दश माला, खंड 37, अंक 6

गुरुवार, 19 फरवरी, 2009

30 माघ, 1930 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पन्द्रहवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

(खण्ड 37 में अंक 1 से 10 तक हैं)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 65-76
Dated 15 June 2010

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिभा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

राकेश कुमार
सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

© 2009 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 37, पंद्रहवां सत्र, 2009/1930 (शक)
अंक 6, गुरुवार, 19 फरवरी, 2009/30 माघ, 1930 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 61 से 80	4-41
अतारांकित प्रश्न संख्या 283 से 429	42-290
सभा पटल पर रखे गए पत्र	290-299
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित विधेयक	299-301
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
28वां प्रतिवेदन	301
कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति	
39वां प्रतिवेदन	301-302
कार्य मंत्रणा समिति	
53वां प्रतिवेदन	302
गुजरात में नई रेल लाइनों के बारे में दिनांक 11-12-2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1963 के उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण	
श्री आर. वेलु	302-303
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) रावी और व्यास नदियों के अतिरिक्त पानी का पूरा हिस्सा राजस्थान के लिए जारी किए जाने की आव	
श्री राम सिंह कस्वां	303-304
(दो) पान के पत्तों को कृषि फसल के रूप में घोषित किए जाने तथा इसे फसल बीमा और कृषि क्षेत्र की अन्य योजनाओं के लाभ दिए जाने की आवश्यकता	
श्री वीरेन्द्र कुमार	304-305

(तीन) डी.डी.ए. और दिल्ली की विभिन्न सहकारी आवास समितियों द्वारा निर्मित आवासीय इकाइयों के लिए ड्रॉ निकालने की प्रक्रिया में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री महावीर भगोरा 305

(चार) राजस्थान के पाली में राजधानी एक्सप्रेस सहित महत्वपूर्ण गाड़ियों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री पुष्प जैन 306

(पांच) अनुसूचित जातियों की सूची में छत्तीसगढ़ राज्य की 'नमोसुध बंगाली' तथा 'महारा' और 'महर' जातियों को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री सोहन पोटाई 306

(छह) केरल में कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री पी. करूणाकरन 307

(सात) भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली वैश्विक आर्थिक मंदी से निपटने के लिए नए आर्थिक उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां 307-308

(आठ) उत्तर प्रदेश में हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के हमीरपुर और महोबा जिलों में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री राजनरायन बुधौलिया 308

(नौ) सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की भविष्य निधि पेंशन बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव 308-309

(दस) असम के करबी-आंगलांग और नॉर्थ कछार हिल्स ऑटोनोमस जिलों में रहने वाले बोडो-कछारी लोगों को भी असम की अनुसूचित जनजाति (पर्वतीय) सूची में शामिल करने की प्रक्रिया को तेज किए जाने की आवश्यकता

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी 309-310

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदों के आरक्षण के बारे में 310-312

विषय	कॉलम
अंतरिम बजट (रेल) - 2009-2010	
लेखानुदानों की मांगें (रेल) - 2009-2010	
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) - 2008-2009	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) - 2006-2007	313
श्री रायापति सांबासिवा राव	313-314
श्री वीरेन्द्र कुमार	314-319
श्री अब्दुल्लाकुट्टी	319-322
श्री अशोक प्रधान	322-325
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	325-328
श्री लालू प्रसाद	328-341
विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2009	341
विचार करने के लिए प्रस्ताव	342
खण्ड 2, 3 और 1	342-343
पारित करने के लिए प्रस्ताव	343
विनियोग (रेल) विधेयक, 2009	343
विचार करने के लिए प्रस्ताव	344
खण्ड 2, 3 और 1	344
पारित करने के लिए प्रस्ताव	344
विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2009	345
विचार करने के लिए प्रस्ताव	346
खण्ड 2, 3 और 1	346
पारित करने के लिए प्रस्ताव	346
झारखण्ड राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प	
झारखण्ड अंतरिम बजट 2009-2010 (सामान्य चर्चा)	
लेखानुदानों की मांगें (झारखण्ड) - 2009-2010 और	

विषय **कॉलम**

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (झारखण्ड) - 2008-2009

डा. शकील अहमद 347-351

श्री उदय सिंह 351-366

झारखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009 367-368

विचार करने के लिए प्रस्ताव 368

खण्ड 2, 3 और 1 368

पारित करने के लिए प्रस्ताव 368

झारखण्ड विनियोग विधेयक, 2009 368-369

विचार करने के लिए प्रस्ताव 370

खण्ड 2, 3 और 1 370

पारित करने के लिए प्रस्ताव 370-372

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अध्यादेश, 2009 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2008

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री वरकला राधाकृष्णन 372-373

श्री हंसराज भारद्वाज 373-376

प्रो. रासा सिंह रावत 376-390

श्री एस.के. खारवेनथन 390-392

श्री प्रसन्न आचार्य 392-396

श्री रेवती रमन सिंह 396-398

श्री अजय चक्रवर्ती 398-400

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' 400-402

श्री विजय बहुगुणा 402-403

डा. सिबैस्टियन पॉल 403-405

श्रीमती पी. सतीदेवी 405-406

विषय कॉलम

श्री रामदास आठवले 407-408

श्रीमती तेजस्विनी गौडा 408-422

खण्ड 2 से 15 और 1 422

पारित करने के लिए प्रस्ताव 423

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2009

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री एस. जयपाल रेड्डी 424-425

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन 425-431

श्री सज्जन कुमार 431-437

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव 437-441

श्री सुधांशु सील 441-444

श्री बृज किशोर त्रिपाठी 444-448

श्रीमती कृष्णा तीरथ 448-450

श्री पी.सी. थामस 450-452

श्री जगदीश टाइटलर 452-454

श्री अजय माकन 454-462

खण्ड 2 से 6 और 1 462

पारित करने के लिए प्रस्ताव 463

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2009 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2008

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी 463-464

प्रो. रासा सिंह रावत 464-468

श्री एस.के. खारवेनथन 468-472

प्रो. बसुदेव बर्मन 472-478

विषय **कॉलम**

श्री रामजीलाल सुमन 478-481

श्री राम कृपाल यादव 481-487

श्री भर्तृहरि महताब 488-492

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी 492-496

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' 496-499

श्री जे.एम. आरुन रशीद 499-501

श्री बालासाहेब विखे पाटील 501-504

श्री पी.सी. थामस 504-506

श्री पी. राजेन्द्रन 506

श्री गिरिधर गमांग 506-507

श्री वीरेन्द्र कुमार 507-509

श्री के.सी. सिंह 'बाबा' 509-510

श्री के. फ्रांसिस जार्ज 510-512

प्रो. चन्द्र कुमार 512-514

श्री आलोक कुमार मेहता 514-517

श्रीमती तेजस्विनी गौडा 517-518

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीगुथियारी 519-523

श्री वरकला राधाकृष्णन 523-533

खण्ड 2 से 47 और 1 533-540

पारित करने के लिए प्रस्ताव 540-560

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 561-562

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 562-566

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 567

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 567-570

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

गुरुवार, 19 फरवरी, 2009/30 माघ, 1930 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, मैंने प्रश्न काल को निलम्बित करने का नोटिस दिया है...*(व्यवधान)* मैं आंध्र प्रदेश से संबंधित एक मुद्दा उठाना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

पूर्वाह्न 11.01 बजे

(इस समय श्री ए.के. मूर्ति और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)

पूर्वाह्न 11.01¼ बजे

(इस समय श्री ई. दयाकर राव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)

अध्यक्ष महोदय: यदि आप नहीं चाहते कि संसद की कार्यवाही चले तो मैं क्या कह सकता हूं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आशा करता हूं कि आप सभी चुनाव हार जाए।

आप सभी की चुनाव में हार होनी चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे आशा है कि जनता सोच-समझकर जनादेश देगी। आप सभी को सबक मिलना चाहिए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल के बाद मैं एक-एक करके आप सभी की सुनूंगा।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.04 बजे

(इस समय श्री इलियास आजमी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)

पूर्वाह्न 11.04¼ बजे

(इस समय श्री रामदास आठवले और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)

पूर्वाह्न 11.04½ बजे

(इस समय डा. सत्यनारायण जटिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा स्थगित नहीं करूंगा। आप मध्याह्न 12.00 बजे तक शोर करते रहें। सभा स्थगित नहीं होगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इन्हें शोर करने दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इस देश की जनता को संसद का नजारा देखने दें। मैं आशा करता हूं कि जनता आपको पहचान लेगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जब विधेयक लाया जाएगा तब आप विधेयक का विरोध कर सकते है। इस तरह से शोर करने से क्या फायदा?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: जब बिल आएगा, तब अपोज करिएगा। यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि संसद को अनिश्चित-काल के लिए स्थगित कर देना चाहिए। इससे जनता के धन को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। आप सभी को व्यर्थ में भत्ते नहीं मिलने चाहिए। यह सबसे कारगर तरीका है। आपको जनता के धन में से एक पैसा भी नहीं मिलना चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, चिल्लाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस देश के लोग अपना जनादेश देंगे। तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन आप जिस ढंग से व्यवहार करते हैं उसकी जितनी निन्दा की जाए उतनी कम है। आप इस सभा का अनादर करते है। आप इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। आप अपने उद्देश्यों से पथभ्रष्ट हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश की जनता अपना जनादेश देगी। मैं सभा को स्थगित नहीं करूंगा। आप शोर करते रहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जब विधेयक आएगा तब आप इसका विरोध कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि विधेयक लाया जाएगा भी या नहीं। लेकिन आप शालीनतापूर्ण व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप इस देश में लोकतंत्र को दफन कर रहे हैं। आप ऐसा पहले ही कर चुके हैं। कोई किसी बात की परवाह नहीं करता। कल आपको पूरा अवसर मिला था। आप फिर शोर कर रहे हैं। आप बिना किसी कारण के शोर कर रहे हैं। यहां विधेयक पारित नहीं हो सकता। जब विधेयक यहां पेश किया जाएगा तब आप अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके व्यवहार की घोर निंदा करता हूं। आप जनता को गुमराह कर रहे है और आप अपने निवृत्त व्यवहार से इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नागर विमानन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

***61. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:**
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र की एअर इंडिया सहित घरेलू विमान कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एअर इंडिया ने इस कदम का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) विदेशी एयरलाइनों को घरेलू एयरलाइनों में निवेश करने की अनुमति देने से संबंधित प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) एअर इंडिया की ओर से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) संबंधित नीति में परिवर्तन संबंधी ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ।

रेलगाड़ियों से तीसरी साइड बर्थ को समाप्त करना

***62. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को शयनयान तथा थ्री टीयर वातानुकूलित डिब्बों में तीसरी साइड बर्थ लगाने से रेलगाड़ियों में क्षमता वृद्धि होने के कारण यात्रियों एवं रेलवे प्राधिकारियों को होने वाली असुविधाओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने इस संबंध में कोई समीक्षा की है अथवा करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) और (ख) जी हां। शयनयान और वातानुकूलित 3-टियर सवारीडिब्बों में अतिरिक्त शायिकाओं के बारे में शिकायतें मुख्यतः भीड़ बढ़ जाने तथा कम जगह के कारण असुविधा एवं परेशानी से संबंधित थीं।

(ग) और (घ) नीति की पुनरीक्षा की गई है। अब शयनयान तथा वातानुकूलित 3-टियर सवारी डिब्बों में अतिरिक्त साइड मध्य शायिकाओं की व्यवस्था की योजना को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। पहले से आशोधित सवारी डिब्बों में की गई इस प्रकार की शायिकाओं की व्यवस्था को छः माह की अवधि में क्रमशः हटा दिया जाएगा।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में विदेशी निवेश

***63. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान गुजरात राज्य सहित देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए कई विदेशी निवेश के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) घरेलू लघु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर इस निवेश का क्या प्रभाव पड़ेगा?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र जिसमें लघु औद्योगिक क्षेत्र के लिए आरक्षित खाद्य खुदरा और मदें शामिल नहीं हैं, समेत अधिकांश क्षेत्रों में स्वतः अनुमोदन के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित एक उदार और पारदर्शी नीति लागू की है जिसके अनुसार 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। स्वतः अनुमोदन के तहत शीतागारों, ढुलाई आदि जैसे खाद्य प्रसंस्करण/भण्डारण कार्यकलापों से संबंधित बुनियादी सुविधा विकास के लिए 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। जनवरी, 2004 से सितम्बर, 2008 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में 4602.75 मिलियन रुपये (105.22 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के कुल विदेशी निवेश वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी प्रौद्योगिकी संबंधी 42 मामले अनुमोदित किए गए। इस अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के जिरए अंतर्प्रवाह और विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड अनुमोदनों की तुलना में वास्तविक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 15795.88 मिलियन (363.15 मिलियन अमेरिकी डॉलर) है। इनके ब्यौरे विवरण-I और II के रूप में संलग्न है।

(ग) देश में घरेलू लघु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के किसी विपरीत प्रभाव के प्रमाण नहीं मिले हैं बल्कि ये उद्योग खाद्य उत्पादों की गुणता नव प्रवर्तक प्रौद्योगिकी और उत्पाद से लाभान्वित हुए हैं। इसे लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि दर के आंकड़ों से भी देखा जा सकता है। लघु उद्योग क्षेत्र ने 2002-03 से 2005-06 के दौरान समग्र औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में वृद्धि की उच्च दर बनाए रखी है। वर्ष 2002-03 के दौरान समग्र औद्योगिक क्षेत्र में 5.70% की तुलना में लघु उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर 8.68% थी। वर्ष 2005-06 में समग्र औद्योगिक क्षेत्र में 8.10% की तुलना में यह 12.32% थी।

विवरण-I

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में जनवरी, 2004 से सितम्बर, 2008 के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी प्रौद्योगिकी मामलों के राज्यवार अलग-अलग ब्यौरे

(मिलियन रुपये)

क्रम सं.	राज्य का नाम	अनुमोदन की संख्या			अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की राशि		कुल का %
		कुल	तकनीकी	वित्तीय	(रुपये)	(अमेरिकी) डालर)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	दिल्ली	9	0	9	2,330.60	55.17	50.63

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	महाराष्ट्र	5	0	5	748.68	16.28	16.27
3.	हिमाचल प्रदेश	2	1	1	525.00	11.41	11.41
4.	केरल	4	1	3	513.62	11.51	11.16
5.	तमिलनाडु	8	0	8	392.43	8.76	8.53
6.	आंध्र प्रदेश	2	0	2	31.20	0.71	0.68
7.	कर्नाटक	3	0	3	25.97	0.56	0.56
8.	राजस्थान	1	0	1	12.46	0.32	0.27
9.	हरियाणा	1	0	1	10.00	0.23	0.22
10.	राज्य का उल्लेख नहीं है	2	0	2	9.20	0.20	0.20
11.	पश्चिम बंगाल	2	0	2	3.50	0.08	0.08
12.	पंजाब	1	0	1	0.10	0.00	0.00
13.	उत्तर प्रदेश	1	0	1	0.00	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	1	0	1	0.00	0.00	0.00
	कुल योग	42	2	40	4,602.75	105.22	

स्रोत: औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय।

विवरण-II

जनवरी, 2004 से सितम्बर, 2008 तक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह (भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को यथासूचित अनुसार) का क्षेत्रवार विवरण

(मिलियन रुपये)

क्रम सं.	भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय	शामिल राज्य	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह की राशि		प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह की प्रतिशतता
			(रुपये)	(अमेरिकी डालर)	
1	2	3	4	5	6
1.	बंगलौर	कर्नाटक	4,801.96	110.32	30.40

1	2	3	4	5	6
2.	नई दिल्ली	दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का हिस्सा	3,266.24	77.56	20.68
3.	मुंबई	महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव	1,758.00	39.97	11.13
4.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1,139.85	26.08	7.22
5.	चेन्नई	तमिलनाडु, पाण्डिचेरी	646.49	15.04	4.09
6.	अहमदाबाद	गुजरात	616.45	14.26	3.90
7.	कोच्चि	केरल, लक्षद्वीप	154.28	3.37	0.98
8.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	50.10	1.09	0.32
9.	चंडीगढ़	चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश	19.45	0.44	0.12
10.	पणजी	गोवा	0.45	0.01	0.00
11.	भोपाल	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	0.24	0.01	0.00
12.	क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया है	क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया है	3,342.37	75.01	21.16
		कुल योग	15,795.88	363.15	

1. केवल 'इक्विटी पूंजी संघटक' शामिल है।
2. उपर्युक्त राज्यवार अंतर्प्रवाह, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई द्वारा प्रस्तुत आर.बी.आई. क्षेत्रवार अंतर्प्रवाह के अनुसार वर्गीकृत है।
3. स्रोत: औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का आधुनिकीकरण

***64. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सरकारी स्वामित्व वाले होटलों के राज्य-वार नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का स्तर वांछित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन होटलों के आधुनिकीकरण के लिए कोई भावी योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) भारत पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.) के देश में आठ होटल हैं। ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	होटल का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम
1	2	3
1.	होटल पाटलीपुत्र, अशोक, पटना	बिहार
2.	अशोक होटल, नई दिल्ली	दिल्ली

1	2	3
3.	सम्राट होटल, नई दिल्ली	दिल्ली
4.	जनपथ होटल, नई दिल्ली	दिल्ली
5.	होटल जम्मू अशोक, जम्मू	जम्मू एवं कश्मीर
6.	ललित महल पैलेस होटल, मैसूर	कर्नाटक
7.	होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर	उड़ीसा
8.	होटल जयपुर अशोक, जयपुर	राजस्थान

इनके अतिरिक्त, आई.टी.डी.सी. राजस्थान में होटल भरतपुर अशोक का प्रबंधन भी करता है, जिसका स्वामित्व पर्यटन मंत्रालय के पास है।

(ख) से (घ) पूर्व में विनिवेश के लिए चिन्हित, आई.टी.डी.सी. होटल के स्वामित्व को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में, वर्ष 2006-07 से कमरों, सम्मेलन हॉलों, लॉबी, लिफ्टों, एयर कंडीशनिंग, फायर फाइटिंग और जलापूर्ति सिस्टमस, शॉपिंग आर्केडस, शौचालयों, रेस्तराओं, किचन्स, पार्किंग आदि के लिए, आई.टी.डी.सी. होटलों में आवश्यक नवीकरण/सौन्दर्यीकरण किया गया है।

वर्ष 2007-08 में, मंत्रालय ने होटल अशोक के नवीकरण/सौन्दर्यीकरण के लिए इक्विटी सहायता के रूप में आई.टी.डी.सी. को 73 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं।

तेल क्षेत्र के अधिकारियों की हड़ताल

*65. **श्री नवीन जिन्दल:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल क्षेत्र के अधिकारियों ने जनवरी, 2009 में हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) हड़ताल के कारण कितनी हानि हुई; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के अधिकारियों का एक वर्ग जोखिम वेतन, फिटमेंट लाभ, फिटमेंट लाभों के लिए विचारार्थ महंगाई भत्ते की मात्रा, वेतन संशोधन की आवर्तिता, वार्षिक/रूद्धता वेतन वृद्धियों, आदि जैसे वेतन संशोधन के कुछ मुद्दों के संबंध में 7 से 9 जनवरी, 2009 तक हड़ताल पर चले गए थे।

(ग) तेल के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा रिपोर्ट की गयी अनुमानित कुल क्षति 459.67 करोड़ रुपये है।

(घ) तेल क्षेत्र में वेतन संशोधन संबंधी मामलों की जांच करने के लिए गृह मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक समिति का गठन पहले ही किया गया है।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में कमी

*66. **श्री विजय कृष्ण:**

श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य कम किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कम हुई कीमतों के कारण पेट्रोलियम कंपनियों ने अपने घाटे की कितनी भरपाई कर ली है; और

(घ) सरकार द्वारा दी जा रही राज-सहायता के बावजूद तेल कंपनियों को हो रहे घाटे की वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) और (ख) हाल में अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में आई कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नीचे दिए अनुसार दो अवसरों पर दिल्ली में और साथ-साथ देश के शेष भागों में तदनुसार संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा बिक्री मूल्यों में कमी की है।

- दिनांक 6-12-2008 से प्रभावी - पेट्रोल में 5/-रु. प्रति लीटर और डीजल में 2/-रु. प्रति लीटर और
- दिनांक 29-1-2009 से प्रभावी - पेट्रोल में 5/-रु. प्रति लीटर, डीजल में 2/-रु. प्रति लीटर और घरेलू एल.पी.जी. पर 25/-रु. प्रति सिलेंडर।

(ग) और (घ) अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में कमी से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) को कुछ राहत मिली है। वर्ष 2008-09 के लिए सकल अल्प वसूलियां, जिनके जून, 2008 में 2,45,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था, कम होकर लगभग 1,03,908 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

तथापि, अप्रैल-दिसंबर, 2008 की अवधि के दौरान चारों संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर हुई अल्प वसूलियों के कारण ओ.एम.सीज की वित्तीय स्थिति गंभीर बनी हुई है। इन अल्प वसूलियों के परिणामस्वरूप तीन ओ.एम.सीज - आई.ओ.सी., बी.पी.सी. और एच.पी.सी. ने 2007-08 की अप्रैल से दिसंबर की अवधि के दौरान 9,679 करोड़ रुपये के लाभ की तुलना में अप्रैल-दिसंबर, 2008 की अवधि के दौरान 11,094 करोड़ रुपये के संयुक्त घाटे की सूचना दी है। यह घाटा 60,967 करोड़ रुपये के तेल बाण्डों और अप्रैल-दिसंबर, 2008 की अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की अपस्ट्रीम तेल कंपनियों द्वारा दी गई 32,000 करोड़ रुपये की मूल्य छूटों को गणना में लेनें के बाद भी हुआ है।

[हिन्दी]

वैश्विक आर्थिक मंदी का भारी उद्योगों और सरकारी उद्यमों पर प्रभाव

*67. **श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारी उद्योगों तथा सरकारी उद्यमों को वर्तमान वैश्विक आर्थिक मंदी से अप्रभावित रखने के लिए कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वैश्विक आर्थिक मंदी के मद्देनजर सरकारी उद्यमों के कामगारों की संख्या कम करने का कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जहां तक भारी उद्योग विभाग के अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का संबंध है, उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के प्रथम 9 माह में कारोबार में कुल मिलाकर 25.46 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है। लेकिन, सार्वजनिक क्षेत्र के 32 प्रचालनरत उपक्रमों में से 17 उपक्रमों ने ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम की नीति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण/हानि उठा रहे उपक्रमों के लिए पुनरुद्धार/पुनर्गठन के प्रयास किए जाते हैं। ऐसी पुनरुद्धार योजनाओं में नया निवेश/माफी, जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाना, ऋणों का इक्विटी में परिवर्तन, प्रौद्योगिकी उन्नयन आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे 15 उपक्रमों में पुनरुद्धार/पुनर्गठन योजना अनुमोदित की गई है। पुनरुद्धार योजना के अनुमोदित होने पर जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाया जाता है। सरकार ने आर्थिक मंदी को ध्यान में रखकर गत पांच माह के दौरान दो प्रोत्साहन पैकेज भी घोषित किए हैं।

(घ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

कोहरे के कारण उड़ानों में व्यवधान

*68. **श्री अधीर चौधरी:**

श्री निखिल कुमार:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) ने हाल ही में अधिकांश विमान कंपनियों द्वारा उनके पास कैट-III प्रशिक्षित पायलट के होने का दावा किए जाने के बावजूद कोहरे के कारण उड़ानों में व्यवधान को गंभीरता से लिया है;

(ख) यदि हां, तो गत दो महीनों के दौरान इन्दिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर कोहरे के कारण रद्द की गई अथवा विलम्बित की गई घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कोहरे, उड़ानों का मार्ग बदलने तथा विमानपत्तनों पर भीड़भाड़ के कारण विमान के आकाश में मंडराते रहने के कारण विमान कंपनियों को कितनी हानि हुई है;

(घ) क्या अधिकांश निजी विमान कंपनियां अपने पायलटों को कैट-II अथवा कैट-III का प्रशिक्षण दिलाने की इच्छुक नहीं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा उन निजी विमान कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जो अपने पायलटों को कैट-II अथवा कैट-III का प्रशिक्षण नहीं दे रही हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) कैट-III प्रचालनों के लिए प्रमाणिकृत एयरलाइनों द्वारा कोहरे के दौरान अपने-अपने रोस्टर में कैट-III की योग्यता प्राप्त कर्मी दल को शामिल किया जाना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, नागर विमानन महानिदेशालय ने दिसंबर, 2008 तथा जनवरी, 2009 के दौरान एयरलाइनों की उड़ान समय-सारणी की मॉनीटरिंग की। पिछले दो महीनों में, कोहरे की वजह से 71 उड़ानें रद्द की गईं, 752 उड़ानों का समय परिवर्तित किया गया तथा 145 उड़ानों का मार्ग परिवर्तन किया गया।

(ग) सरकार द्वारा ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते।

(घ) और (ङ) नागर विमानन अपेक्षाएं (सी.ए.आर.) खण्ड-7, शृंखला 'X' भाग-I में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार विभिन्न अंतर्देशीय अनुसूचित एयरलाइनों के पायलटों को कम दृश्यता वाली स्थितियों के दौरान कैट-II/III प्रचालनों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यद्यपि, अंतर्देशीय एयरलाइनों के लिए अपने पायलटों को कम दृश्यता वाली स्थितियों के दौरान प्रचालन हेतु प्रशिक्षित कराए जाने संबंधी ऐसी कोई अनिवार्य अपेक्षा नहीं है, फिर भी इन एयरलाइनों पर अपने पायलटों को कम दृश्यता वाली स्थितियों के दौरान प्रचालन हेतु प्रशिक्षित कराने के लिए जोर दिया जाता है। केवल कैट-II/III की योग्यता प्राप्त पायलटों को ही अनुदेशक/परीक्षक के रूप में मंजूरी दी जाती है। जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कम दृश्यता वाली स्थितियों के दौरान प्रचालनिक कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में कैट-II/III प्रचालनों के लिए प्रशिक्षित पायलट उपलब्ध हों।

इसके अतिरिक्त, कोहरे से प्रभावित हवाईअड्डों के लिए/से अंतर्देशीय अनुसूचित प्रचालकों की उड़ान समय-सारणियों को, प्रचालकों द्वारा कम दृश्यता की स्थितियों में प्रचालन के लिए प्रशिक्षित कराये गये पायलटों की संख्या तथा ऐसे प्रचालनों के लिए विमानों की उपयुक्तता के आधार पर, मंजूर किया जाता है।

विदेशी पर्यटकों के आगमन में कमी

*69. **श्री एस.के. खारवेनथन:**
श्री नन्द कुमार साय:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई आतंकी हमलों के परिणामस्वरूप देश में पर्यटकों के आगमन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त घटना के बाद पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान आए पर्यटकों की संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत कमी हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के पर्यटन उद्योग के लिए विशेष पैकेज देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में पर्यटकों के आगमन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) भारत में विदेशी पर्यटक आगमन नवम्बर 2008, दिसम्बर 2008 और जनवरी, 2009 के दौरान अनन्तिम रूप से अनुमानित क्रमशः लगभग 0.52 मिलियन, 0.52 मिलियन और 0.49 मिलियन से पिछले वर्ष के तदनुरूपी महीनों में लगभग 0.53 मिलियन, 0.60 मिलियन और 0.59 मिलियन विदेशी पर्यटक आगमन की तुलना में, क्रमशः 2.1%, 12.5% और 17.6% कम हो गया है।

हाल के महीनों में विदेशी पर्यटक आगमनों में कमी, वैश्विक वित्तीय मंदी और आतंकवादी गतिविधियों सहित, विभिन्न कारणों की वजह से हो सकती है।

(ग) से (ङ) वैश्विक वित्तीय मंदी और देश में हाल के आतंकवादी हमले के पर्यटन क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव को कम करने और देश में पर्यटकों के आगमन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- सभी राज्य सरकारों से निवेदन किया गया है कि वे अपने संबंधित राज्यों में होटलों एवं पर्यटक स्थलों में सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करें।
- विदेश स्थित भारत पर्यटन कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और यात्रा व्यवसाय को देश में वास्तविक स्थिति से अपडेट बनाये रखने के लिए उनके साथ सतत् सम्पर्क में है।

- देश में सुरक्षा/संरक्षा, स्थिति संबंधी वास्तविक यथार्थ से अवगत कराने हेतु मुम्बई व देश के अन्य क्षेत्रों के व्यवसाय एवं मीडिया प्रतिनिधियों के लिए विशेष रूप से सुपरिचायक दौरों का आयोजन किया गया। इस पहल के फलस्वरूप दिसम्बर, 2008 और जनवरी, 2009 माह के दौरान यू.एस.ए., यू.के., आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रिया, नीदरलैंड, अर्जेंटिना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, जापान, मलेशिया और सिंगापुर से व्यवसाय/मीडिया प्रतिनिधियों ने भारत की यात्रा की है।

- मार्केट विकास सहायता के अंतर्गत विदेशों में संवर्धनात्मक कार्यकलाप करने के लिए अनुमोदित सेवा-प्रदाताओं को प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता को बढ़ाया गया है। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष अब, पूर्व के दिशा-निर्देशों के अनुसार दो के बजाय, तीन व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी की अनुमति दी गई है। विदेशी मुद्रा आय की शर्तों में, योजना के अधीन पात्रता सीमा भी 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दी गई है।

- मीटिंग, इंसेंटिवस, कन्वेंशन एंड एक्जीबिशंस (माइस) टूरिज्म का संवर्धन करने की दृष्टि से, मार्केट विकास सहायता योजना के स्कोप को बढ़ाया गया है, ताकि इंडिया कन्वेंशन प्रोमोशन ब्यूरो (आई.सी.पी.बी.) के सक्रिय सदस्यों को शामिल किया जा सके। योजना के अंतर्गत आई.सी.पी.बी. के सक्रिय सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी, जो इसे भारतीय संघों/समितियों को रिलीज करेंगे, बशर्ते कि वे बोली को जीते अथवा बोलीदाताओं में वे दूसरे अथवा तीसरे स्थान पर रहें।

- घरेलू टुअर आपरेटरों, ट्रेवल एजेंटों आदि को, घरेलू पर्यटकों के लिए देश के विभिन्न गंतव्यों के लिए टूअर पैकेजों को उनके मार्केटिंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए, मार्केट विकास सहायता योजना के स्कोप का विस्तार किया गया है।

- प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मेलों और प्रदर्शनियों में वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंत तक स्थापित किए गए भारतीय पेविलियनों में भागीदारी फीस में 25% की बढ़ी हुई इमदाद की, पर्यटन मंत्रालय और विदेश स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों की पेशकश की जा रही है।

- अप्रैल से दिसम्बर 2009 की अवधि के दौरान भारत के लिए यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए एयरलाइनों. होटलों, टूअर आपरेटरों, राज्य सरकारों सहित, सभी स्टेकहोल्डरों के साथ सहयोग से एक "विजिट इंडिया 2009" योजना की घोषणा की गई है।

- अनुमेय एंड यूजर्स के लिए विदेशी मुद्रा और/अथवा रुपए पूंजीगत व्यय के लिए प्रतिवर्ष 100 मिलियन अमरीकी डालर तक बाह्य वाणिज्यिक ऋण (ई.सी.बी.) प्राप्त करने के लिए होटल क्षेत्र में कारपोरेट्स को अनुमति दी गई है।

हाल ही में प्रारम्भ किए गए उपरोक्त विशिष्ट उपायों के अतिरिक्त, देश में पर्यटन के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-

- अन्य मंत्रालयों/विभागों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के सहयोग के साथ पर्यटक स्थलों में पर्यटन अवसंरचना का विकास करना;

- होटल अवसंरचना, विशेषतया बजट होटलों के लिए, की वृद्धि पर फोकस करना;

- हवाई क्षमता की वृद्धि और प्रमुख पर्यटक आकर्षणों के लिए सड़क अवसंरचना का सुधार करने के माध्यम से सम्पर्क को बढ़ावा देना;

- "इनक्रेडिबल इंडिया" अभियान के माध्यम से इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ग्राहकों को सीधे एप्रोच करना;

- उभरते बाजारों, विशेषतया चीन, उत्तरपूर्व एशिया और दक्षिणपूर्व एशिया पर अधिक फोकस प्रदान करना।

तेल/गैस ब्लाकों की नीलामी

*70. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:**

श्री उदय सिंह:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन.ई.एल.पी.-VIII) स्कीम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बोली लगाने वालों के लिए 100 और तेल/गैस अन्वेषण ब्लाकों की नीलामी की योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनियों को ये ब्लाक दिए जाने से तेल एवं गैस के आयात पर कोई प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का कोयले की सतहों के नीचे के गैस भंडारों का दोहन करने के लिए कोल-बेड-मीथेन ब्लाकों की भी नीलामी करने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या एन.ई.एल.पी.-VIII आबंटन की शर्तों के अधीन गैस उत्पादक को गैस उत्पादन के कतिपय प्रतिशत का आबंटन ताप संयंत्रों एवं उर्वरक इकाइयों जैसी सरकारी क्षेत्र की जनोपयोगी कंपनियों को करना होगा; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) से (ज) भारत सरकार ने नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन.ई.एल.पी.) और कोल बेड मीथेन नीति (सी.बी.एम.) 1997 में अनुमोदित की थी और ये 1999 में लागू हुए थे। तब से तेल और गैस के अन्वेषण के लिए और सी.बी.एम. ब्लाकों के दोहन के लिए लाइसेंस वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रणाली के जरिए प्रदान किए जा रहे हैं। एन.ई.एल.पी. के तहत बोली के सात दौर और सी.बी.एम. के तहत बोली के तीन दौर अभी तक पूरे किए जा चुके हैं। ब्लाकों की सही संख्या और नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन.ई.एल.पी.-VIII) के आठवें दौर के अंतर्गत प्रस्तावित की जाने वाली संविदात्मक शर्तें और सी.बी.एम. (सी.बी.एम.-IV) के चौथे दौर को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

एन.ई.एल.पी. और सी.बी.एम. के आगामी दौरों के तहत प्रदान किए जाने वाले ब्लाकों में अन्वेषण संबंधी कार्यकलापों से कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और सी.बी.एम. का उत्पादन बढ़ने की संभावना है जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी।

भारतीय संस्कृति का संवर्धन

*71. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान पूरे देश में भारतीय संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारतीय संस्कृति के संवर्धन तथा इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए तैयार किए गए नये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ गैर-सरकारी संगठनों को कितनी धनराशि जारी की गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) संस्कृति मंत्रालय का अधिदेश देशभर में भारतीय संस्कृति के सभी रूपों का संरक्षण तथा संवर्धन करना है। इस संबंध में किए गए कार्यकलापों का विवरण मंत्रालय की वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 की वार्षिक रिपोर्टों में दिया गया है, जिन्हें सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न स्कीमों में संस्कृति का संवर्धन शामिल है और भारतीय संस्कृति के बारे में जागरूकता के प्रसार का घटक भी इसमें शामिल है। इसके अलावा, सरकार ने संस्कृति मंत्रालय तथा पर्यटन मंत्रालय दोनों के माध्यम से विज्ञापनों तथा अन्य अभियानों के जरिए संस्कृति तथा संबंधित मामलों के बारे में जागरूकता का प्रसार किया है। मंत्रालय के अधीन सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय और स्वायत्तशासी संस्थान भी, भारतीय संस्कृति तथा विरासत के बारे में जागरूकता के प्रसार हेतु अनेक कार्यकलाप करते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा इन अभियानों पर किया गया व्यय इस प्रकार है:

वर्ष	कुल राशि (लाख रुपए)
2005-06	135.00
2006-07	338.50
2007-08	310.30

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत गैर-सरकारी संगठनों को जारी की गई निधियों की कुल राशि इस प्रकार है:

वर्ष	कुल राशि (करोड़ रुपए)
2005-06	43.75
2006-07	60.57
2007-08	28.26

[हिन्दी]

रेलवे की आय

*72. **श्री रामजीलाल सुमन:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल से दिसम्बर तक मालभाड़े और यात्री किराए से बढ़ा हुआ राजस्व अर्जित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितना अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया गया;

(ग) क्या रेलवे ने उक्त अवधि को पीक-सीजन और ऑफ-सीजन में विभाजित कर दिया है एवं इनके लिए अलग-अलग मालभाड़ा निर्धारित कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उस समय लागू किए गए अलग-अलग मालभाड़ा प्रभार क्या थे तथा उक्त अवधि के दौरान किन-किन महीनों को पीक-सीजन और ऑफ-सीजन माना गया?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। पिछले वर्ष की तद्नुरूपी अवधि की तुलना में अप्रैल, 08 से दिसंबर, 08 तक माल और यात्री आमदनी में बढ़ोतरी नीचे लिखे अनुसार है:

(करोड़ रुपए)

विवरण	2007-08	2008-09	राजस्व में वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
माल प्रभार	33447.15	38093.29	4646.14	13.89%
यात्री किराए	14440.93	16122.02	1681.09	11.64%

(ग) और (घ) जी, हां। यह सत्य है कि वर्ष 2008-09 के लिए रेलवे ने व्यस्त अवधि और अव्यस्त अवधि को नीचे लिखे अनुसार अधिसूचित किया है:

व्यस्त अवधि: 1 अप्रैल से 30 जून और 1 अक्तूबर से 31 मार्च

अव्यस्त अवधि: 1 जुलाई से 30 सितंबर

वर्ष के दौरान पण्यों के वर्गीकरण के आधार पर सभी पण्यों पर एक समान आधारिक भाड़ा दर लगाई जाती है। बहरहाल, व्यस्त अवधि के दौरान आधारिक भाड़ा दरों के अलावा वसूला जाने वाला अतिरिक्त व्यस्त अवधि प्रभार इस प्रकार है:

पण्य	प्रभार की दर
कोयला एवं कोक	5%
अन्य सभी पण्य	7%
कंटेनर	शून्य

पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में चालू सड़क उपरि पुल/सड़क निम्न पुल परियोजनायें

*73. **श्री रामदास आठवले:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में सड़क उपरि पुलों (आर.ओ.बी.)/सड़क निम्न पुलों (आर.यू.बी.) के निर्माण की चालू परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन पुलों के निर्माण के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ग) इन उपरि पुलों/निम्न पुलों का निर्माण समय पर पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान रेल फाटकों पर उपरि पुलों/निम्न पुलों के निर्माण के लिए महाराष्ट्र सरकार तथा अन्य राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए नए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन प्रस्तावों पर रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) और (ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान रेल जोनवार निधि आवंटन सहित रेल जोनवार कार्यों की कुल संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में है। रेलवे द्वारा संबंधित राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरणों के साथ लागत में भागीदारी के आधार पर व्यस्त समपारों के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल की स्वीकृति पर वहां विचार किया जाता है जहां समपार पर यातायात घनत्व एक लाख गाड़ी वाहन इकाई (टी.वी.यू.) से अधिक है और अन्यथा निक्षेप या बोट शर्तों पर विचार किया जाता है। सामान्यतः ऐसे मामलों में संबंधित राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण द्वारा कतिपय निर्धारित प्रारंभिक पूर्वापेक्षाओं को विधिवत रूप से पूरा करते हुए प्रस्ताव प्रायोजित किया जाता है। लागत में भागीदारी वाले कार्यों के लिए राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरणों द्वारा प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित वचनबद्धताएं प्रस्तुत करना अपेक्षित है:

(i) ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल चालू हो जाने पर राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण द्वारा समपार को बंद कर दिया जाएगा।

(ii) राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण कार्य की लागत में अपने हिस्से का अंशदान करेगी, जो सामान्यतः कुल सिविल कार्य लागत का 50% होता है।

(iii) जहां कहीं आवश्यकता होगी, पहुंच मार्गों हेतु भूमि का अधिग्रहण करने के लिए राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

(iv) राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण अपनी वार्षिक योजना आदि में यथोचित प्राथमिकता प्रदान करेंगी और कार्य के लिए प्रावधान करेंगी।

लागत में भागीदारी वाले कार्य: इस समय पूरे देश में लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल के 710 कार्य स्वीकृत हैं। राष्ट्रीय मार्गों को छोड़कर अन्य सड़कों पर कार्य की कुल लागत रेलवे और राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण के बीच 50:50 के अनुपात में वहन की जाती है। बहरहाल, पहुंच मार्गों या मार्ग परिवर्तनों के लिए अपेक्षित किसी भूमि और उन पर बनी संरचनाओं के अधिग्रहण की लागत प्रस्ताव प्रायोजित करने वाली राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण द्वारा वहन की जाती है।

(ग) (i) ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल कार्यों के योजना एवं निष्पादन हेतु राज्य सरकार प्राधिकारियों तथा राज्यों और केंद्र के सड़क प्राधिकारियों के साथ नियमित फील्ड पुनरीक्षा बैठकें की जाती हैं।

(ii) रेलवे लागत में भागीदारी एवं निक्षेप कार्यों का पर्यवेक्षण एवं निष्पादन करती है जिसके लिए ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल कार्यों के पर्यवेक्षण, गुणवत्ता जांच एवं समय पर कार्य पूरा करने हेतु फील्ड में "कार्यप्रभारित" संगठन मौजूद है।

(iii) सामान्य व्यवस्था आरेखण, नक्शे, विस्तृत अनुमान आदि अनुमोदित करने के लिए तथा परियोजना का समय पर क्रियान्वयन करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने के लिए मुख्यालय स्तर पर क्षेत्रीय रेलवे के अधिकारी नामित किए जाते हैं।

(iv) क्षेत्रीय रेल स्तर पर और मंत्रालय स्तर पर स्वीकृत कार्यों की नियमित आवधिक समीक्षा की जाती है।

(v) ऐसे स्थलों पर जहां समपारों को समाप्त किया जा सकता है और जहां राज्य सरकारें लागत में भागीदारी के आधार पर पूरे ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल के प्रस्ताव को प्रायोजित करने के लिए आगे नहीं आ रही हैं या अनिच्छुक हैं, वहां रेलवे की लागत पर, व्यावहारिक पाए जाने पर, सीमित ऊंचाई वाले भूमिगत पारपथ और सामान्य ऊंचाई के भूमिगत पारपथों पर विचार किया जा रहा है।

(vi) शीघ्र स्वीकृति, अनुमोदन और क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार प्राधिकरणों, विभागों के साथ गहन समन्वय बनाए रखा जाता है।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्ष के दौरान रेलवे को प्राप्त राज्य सरकारों से प्रायोजित पुष्ट प्रस्तावों, जो उपर्युक्त (क) के अंतर्गत अपेक्षित मानदंड को पूरा करते थे, पर स्वीकृति हेतु विचार किया गया है, जबकि अधूरे या निर्धारित

मानदंड को पूरा नहीं करने वाले प्रस्तावों को छोड़ दिया गया था। पिछले तीन साल के दौरान लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत ऐसे मामलों की राज्यवार संख्या नीचे दर्शाई गई है:

राज्य	2006-07	2007-08	2008-09
आंध्र प्रदेश	24	13	22
असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र	0	1	0
बिहार	4	5	8
छत्तीसगढ़	2	2	1
दिल्ली	0	2	16
गुजरात	4	1	1
हरियाणा	2	15	5
जम्मू-कश्मीर	0	0	1
झारखंड	0	0	0
कर्नाटक	5	1	1
केरल	7	1	2
महाराष्ट्र	4	0	4
मध्य प्रदेश	3	2	2
उड़ीसा	0	1	0
पंजाब	0	0	1
पांडिचेरी	0	0	0
राजस्थान	1	6	7
तमिलनाडु	33	39	22
उत्तर प्रदेश	13	5	44
उत्तराखंड	0	0	1
संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़	0	0	0
पश्चिम बंगाल	2	3	1
कुल	104	98	139

महाराष्ट्र राज्य के मामले में प्राप्त पुष्ट प्रस्तावों और स्वीकृत/अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा इस प्रकार है:

प्राप्त प्रस्ताव और स्वीकृत/अनुमोदित	2006-07	2007-08	2008-09
लागत में भागीदारी के आधार पर	4	0	4
निक्षेप शर्तों पर	5	1	5
बोट (बी.ओ.टी.) पर	2	0	2

विवरण

1-12-2008 को ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल के निर्माण हेतु लागत में भागीदारी के आधार पर चालू परियोजनाओं तथा पिछले तीन वर्ष के दौरान उनके लिए आवंटित निधियों का रेल जोन-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

रेलवे	01-12-2008 को लागत में भागीदारी के आधार पर कार्यों की संख्या	निधियों का आवंटन		
		2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
मध्य	15	12.04	11.85	15.00
पूर्व	30	29.84	25.42	31.00
उत्तर	103	47.18	37.60	42.00
पूर्वोत्तर	29	13.07	11.50	15.00
पूर्वोत्तर सीमा	6	5.94	8.48	10.00
दक्षिण	197	23.80	60.51	82.00
दक्षिण मध्य	86	14.06	66.33	80.00
दक्षिण पूर्व	14	9.67	15.20	25.00
पश्चिम	28	26.23	28.21	36.00
पूर्व पश्चिम	54	147.50	122.95	140.00
पूर्व तट	20	23.00	33.55	40.00
उत्तर मध्य	37	17.85	15.30	30.00

1	2	3	4	5
उत्तर पश्चिम	22	13.04	17.32	35.00
दक्षिण पूर्व मध्य	14	16.29	37.37	36.00
दक्षिण पश्चिम	37	29.20	49.10	60.00
पश्चिम मध्य	18	8.12	10.29	23.00
जोड़	710	436.83	550.98	700.00

[अनुवाद]

भेषज कंपनियों द्वारा अधिक मूल्य लिया जाना

***74. श्री सुग्रीव सिंह:**

श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न भेषज कंपनियों के विरुद्ध अधिक मूल्य लिए जाने के मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन कंपनियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान इनमें से प्रत्येक कंपनी से सरकार द्वारा अब तक अधिक मूल्य की वसूल की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने देश में भेषज कंपनियों द्वारा इस प्रकार के कार्यकलापों की पुनरावृति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी, हां।

(ख) एन.पी.पी.ए. की अगस्त, 1997 में स्थापना के समय से 31 जनवरी, 2009 तक एन.पी.पी.ए. ने अतिप्रभार की 1954.53 करोड़ रुपए की राशि की वसूली के लिए 614 मामलों में कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं। अब तक 140.87 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। 1773.91 करोड़ रुपए की वसूली के लिए विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे चल रहे हैं। बड़ी राशि पर मुकदमेबाजी है और इसकी वसूली न्यायालय मामलों के फैसले पर निर्भर है।

(ग) जी हां।

(घ) एन.पी.पी.ए. ने अगस्त 1997 में अपनी स्थापना के समय से 31 जनवरी, 2009 तक सभी 614 मामलों में 1954.53 करोड़ रु. की अतिप्रभारित राशि की वसूली के लिए कंपनियों को मांग नोटिस जारी किए हैं। एन.पी.पी.ए. ने 110.22 करोड़ रुपए की अतिप्रभावित राशि की भू-राजस्व के रूप में वसूली के लिए विभिन्न राज्यों में जिला कलक्टरों को 39 मामले संलग्न विवरण के रूप में संदर्भित किए हैं।

(ङ) एन.पी.पी.ए. ने 2007-08 में 137 मामलों में अतिप्रभार की 4.51 रुपए की राशि तथा 2008-09 (जनवरी, 2009 तक) में 140 मामलों में 36.23 करोड़ रु. की वसूली की है।

(च) जहां कंपनियां अतिप्रभार करती पायी जाती है, वहां अधिसूचित अधिकतम मूल्य का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एन.पी.पी.ए. कंपनी के उन फार्मूलेशनों के बाद के बैचों के कंट्रोल नमूने तथा मूल्य सूची मंगाता है। एन.पी.पी.ए., राज्य औषध नियंत्रकों से प्राप्त शिकायतों, कंपनियों द्वारा प्रस्तुत मूल्य सूचियों के सत्यापन तथा अनुसूचीबद्ध पैकों के नमूनों की स्वतः प्राप्ति के आधार पर अतिप्रभार के लिए कार्रवाई प्रारंभ करता है।

विवरण

जिन मामलों में वसूली प्रक्रिया शुरू की गई है उसकी सूची

क्र.सं.	कंपनी का नाम	वसूली की राशि*	कलक्टर का राज्य
1.	मैसर्स वायथ लि.	43842236	महाराष्ट्र
2.	मैसर्स बायोलोजीकल लि.	9808207	आन्ध्र प्रदेश
3.	मैसर्स मेक्लारेन बायोटेक	477693	तमिलनाडु
4.	मैसर्स मारवल लैब्स (प्रा.) लि.	526316	आन्ध्र प्रदेश
5.	मैसर्स एलपा लैब्स लि.	72442	मध्य प्रदेश
6.	मैसर्स नियो फार्मा (प्रा.) लि.	2903749	महाराष्ट्र
7.	मैसर्स जी.एस.के. फार्मास्यूटिकल्स	75328272	महाराष्ट्र
8.	मैसर्स एन.आर. जेट इण्टरप्राइजेज	131483895	महाराष्ट्र
9.	मैसर्स खण्डेलवा लैब (प्रा.) लि.	274017	महाराष्ट्र
10.	मैसर्स अमीत फार्मास्युटिकल्स	1807717	महाराष्ट्र
11.	मैसर्स साई मीरा इन्नोफार्म	1646392	तमिलनाडु
12.	मैसर्स केमीक्यूर फार्मास्यूटिकल्स	1384277	हरियाणा
13.	मैसर्स सेन्चूर फार्मास्युटिकल्स	2252914	गुजरात
14.	मैसर्स सेन्चूर फार्मास्युटिकल्स	245638	महाराष्ट्र
15.	मैसर्स वीरा फार्म	355485	आन्ध्र प्रदेश
16.	मैसर्स एनरोस फार्मा	444121	हिमाचल प्रदेश
17.	मैसर्स लिका लैब्स लि.	115138386	महाराष्ट्र/गुजरात
18.	मैसर्स कोमड केमीकल्स	25490866	गुजरात
19.	मैसर्स कोमड केमीकल्स	203199	गुजरात
20.	मैसर्स डा. रेड्डी लैब्स	2079024	आन्ध्र प्रदेश
21.	मैसर्स फार्मेड्स फार्मास्युटिकल्स	622080	आन्ध्र प्रदेश
22.	मैसर्स मोदी मुण्डी फार्मा.	362670416	उत्तर प्रदेश
23.	मैसर्स मोदी मुण्डी फार्मा.	60409551	उत्तर प्रदेश

क्र.सं.	कंपनी का नाम	वसूली की राशि*	कलक्टर का राज्य
24.	मैसर्स मंगेश फार्मा	399791	कर्नाटक
25.	मैसर्स असोज सोफ्ट कैप्स प्रा. लि.	99562	गुजरात
26.	मैसर्स बैस्ट लैब लि.	14357790	दिल्ली
27.	मैसर्स अरकाडिया फार्मा स्पेसलिटीज (प्रा.) लि.	228679	आन्ध्र प्रदेश
28.	मैसर्स पी.सी.पी. फार्मास्युटिकल्स प्रा. लि.	692928	आन्ध्र प्रदेश
29.	मैसर्स टूटोन फार्मास्युटिकल्स	25888181	गुजरात
30.	मैसर्स ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी फार्मास्युटिकल्स	285032	तमिलनाडु
31.	मैसर्स सिडमेक लेबोरेट्रीज (इंडिया) प्रा. लि.	23053748	गुजरात
32.	मैसर्स सिडमेक लेबोरेट्रीज (इंडिया) प्रा. लि.	1641204	गुजरात
33.	मैसर्स एलकेम लेबोरेट्रीज लि.	886590	महाराष्ट्र
34.	मैसर्स एलकेम लेबोरेट्रीज लि.	25901	महाराष्ट्र
35.	मैसर्स फ्रांको इंडियन रेमीडीज प्रा. लि.	112950923	तमिलनाडु
36.	मैसर्स डा. रेड्डी लैब्स	47079939	आन्ध्र प्रदेश
37.	मैसर्स लिका लैब्स लि.	2412275	गुजरात
38.	मैसर्स फ्रांको इंडिया फार्मास्युटिकल्स	5680570	महाराष्ट्र
39.	मैसर्स फ्रांको इंडिया फार्मास्युटिकल्स	27107368	महाराष्ट्र

*जिला कलेक्टर को संदर्भित किए जाने की तिथि के अनुसार।

वातानुकूलित सवारी डिब्बों में यात्री यातायात

*75. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान वातानुकूलित सवारी डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान वातानुकूलित सवारी डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों से राजस्व आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) क्या रेलवे अधिक आय जुटाने के लिए एक्सप्रेस/सुपर फास्ट रेलगाड़ियों में वातानुकूलित सवारी डिब्बों की संख्या में वृद्धि करने की योजना बना रहा है; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस वर्ग के यात्रियों को सस्ती विमान कंपनियों की ओर जाने से रोकने के लिए रेल यात्रा हेतु अधिक यात्रियों को आकर्षित करने के लिए क्या कमद उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान वातानुकूलित श्रेणियों से यात्री आमदनी में प्रतिशत वृद्धि नीचे लिखे अनुसार है:-

वित्त वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08
वातानुकूलित सवारीडिब्बों से आमदनी (करोड़ में)	2697.21	3319.99	4189.14
पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि	12.72%	23.09%	26.18%

(ग) जी हां। 2005-06 और 2007-08 के बीच हमने 1633 वातानुकूलित सवारीडिब्बों को जोड़ा है, 2008-09 में 684 वातानुकूलित सवारीडिब्बों के उत्पादन का लक्ष्य है।

(घ) रेलवे द्वारा रेलगाड़ियों की वातानुकूलित श्रेणियों में यात्रा के लिए अधिक यात्रियों को आकर्षित करने हेतु उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

(i) सवारीडिब्बों की संख्या में वृद्धि

(ii) स्कीम ऑफ फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स (एस.ओ.एफ.टी.)

(iii) उन्नयन योजना

(iv) वातानुकूलित श्रेणियों के किरायों में छूट

कोहरे के कारण रेल सेवाओं में व्यवधान

*76. **श्री किन्जरपु येरननायडु:**
श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत शीत ऋतु के दौरान दिल्ली में कोहरे के परिणामस्वरूप कितनी रेलगाड़ियां विलम्ब से चलीं/उनके मार्ग बदले गए;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान कोहरे के कारण रेल दुर्घटनाएं भी हुईं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलवे द्वारा प्रत्येक वर्ष कोहरे के कारण होने वाली प्रचालन संबंधी कठिनाइयों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) दिसंबर, 2008 से जनवरी 2009 तक पिछले दो महीनों के दौरान दिल्ली मंडल में कोहरे के कारण 1646 यात्री गाड़ियां विलंबित हुईं और समयपालन का ह्रास हुआ। बहरहाल, इस अवधि के दौरान कोहरे के कारण किसी गाड़ी के मार्ग में परिवर्तन नहीं किया गया।

(ख) इस अवधि के दौरान दिल्ली मंडल में कोहरे के कारण कोई परिणामी गाड़ी दुर्घटना नहीं हुई।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कोहरे के मौसम के दौरान रेलगाड़ी परिचालन को संभालने के लिए की गई कार्रवाई इस प्रकार है:-

(i) रेलगाड़ी की गति को कम करना।

(ii) रेलपथों पर गहन गश्त।

(iii) स्टॉप सिगनलों से पहले डिटोनेटर रखकर ड्राइवरों को सचेत करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करना।

(iv) सिगनलों की दृश्यता में सुधार करना।

नई रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण

*77. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में नई रेल लाइनें बिछाने के लिए किए गए सर्वेक्षणों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में रेलवे द्वारा आगे क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) और (ख) 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान नई लाइनों के लिए पूरा किए गए सर्वेक्षणों का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र. सं.	राज्य	पूरे किए गए सर्वेक्षण
1.	आन्ध्र प्रदेश	10
2.	असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र	9
3.	बिहार	20
4.	दिल्ली	1
5.	गुजरात	5
6.	हरियाणा	4
7.	हिमाचल प्रदेश	2
8.	झारखंड	5
9.	कर्नाटक	5
10.	केरल	8
11.	मध्य प्रदेश	6
12.	महाराष्ट्र	2
13.	उड़ीसा	2
14.	पंजाब	5
15.	राजस्थान	12
16.	तमिलनाडु	15
17.	उत्तर प्रदेश	11
18.	उत्तराखंड	3
19.	पश्चिम बंगाल	17
	जोड़	142

टिप्पणी: एक से अधिक राज्य में पड़ने वाले सर्वेक्षण को प्रत्येक शामिल राज्य में दिखाया गया है। पूरे किए गए सर्वेक्षणों में से 30 नई लाइन परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

केरोसिन मार्कर प्रणाली

*78. **श्री एल. राजगोपाल:**
श्री संतोष गंगवार:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोल अथवा डीजल में केरोसिन की मिलावट का पता लगाने के लिए तेल विपणन कंपनियों द्वारा शुरू की गई केरोसिन मार्कर प्रणाली कारगर साबित नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मार्कर की आपूर्ति के लिए ठेका दिए जाने में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए मामला किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी को सौंपा गया है;

(घ) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या है तथा चूक के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है; और

(ङ) इस मामले में आगे क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) और (ख) मार्कर प्रणाली अक्तूबर, 2006 से 31 दिसम्बर, 2008 तक मार्कर से सभी उच्च क्वालिटी के मिट्टी तेल (एस.के.ओ.) की डोपिंग द्वारा कार्यान्वित की गई थी। इस अवधि के दौरान जब कानूनी दृष्टि से मार्कर प्रणाली प्रचलन में थी यह मार्कर प्रणाली परम्परागत पद्धति की तुलना में एस.के.ओ. के साथ मोटर स्प्रिट (एम.एस.)/हाई स्पीड डीजल (एच.एस.डी.) की मिलावट का पता लगाने में अधिक सफल थी।

हाल ही में, तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) द्वारा अपनी प्रयोगशालाओं में किये गए परीक्षणों से यह सिद्ध हुआ है कि मैसर्स आथेटिक्स द्वारा सप्लाई किए गए मार्कर की प्रयोगशाला परिस्थितियों में कतिपय रसायनों से सफाई की जा सकती है। मैसर्स आथेटिक्स द्वारा सप्लाई किए गए इस मार्कर को 31 दिसम्बर, 2008 से बंद कर दिया गया था। ओ.एम.सीज किसी अन्य ऐसे मार्कर के लिए ग्लोबल एक्सप्रैशन आफ इंट्रस्ट आमंत्रित करने के लिए कार्रवाई कर रही हैं जो इन विनिर्देशों को पूरा करते हों।

(ग) से (ङ) इस मामले की जांच स्वतंत्र अभिकरण कर रहे हैं। अभी तक उनसे कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

बिना ब्रांड वाली दवाएं उपलब्ध कराना

*79. **श्री के.एस. राव:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भेषजों के ब्रांड निर्माण की लागत कितनी है और इस प्रक्रिया में उपभोक्ताओं द्वारा कितनी कीमत अदा की जा रही है;

(ख) सरकार द्वारा गरीब तथा मध्यमवर्गीय रोगियों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के रोगियों को उचित मूल्य पर बिना ब्रांड वाली दवाएं उपलब्ध करा कर उनके हितों की रक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार भेषजों के ब्रांड निर्माण को हतोत्साहित करने तथा कम मूल्य पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए वैकल्पिक खुदरा नेटवर्क प्रदान करने के लिए कोई नीति तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी.पी.सी.ओ. 95) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 प्रपुंज औषधों और उन पर आधारित सूत्रयोगों के मूल्य डी.पी.सी.ओ. 95 के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्रीय औषध मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) द्वारा नियंत्रित होते हैं। फार्मूलेशनों के खुदरा मूल्य की गणना एन.पी.पी.ए. द्वारा डी.पी.सी.ओ., 95 के पैरा 7 में उल्लिखित फार्मूले के अनुरूप की जाती है जिसमें घरेलू रूप से विनिर्मित अनुसूचीबद्ध सूत्रयोगों के लिए अधिकतम अनुमत विनिर्माण उपरांत व्यय 100% से अधिक नहीं और आयातित फार्मूलेशनों के लिए अवतरित लागत के 50% से अधिक नहीं, तक की अनुमति है।

गैर-अनुसूचीबद्ध सूत्रयोगों अर्थात जो भेषज औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अधीन शामिल नहीं हैं, के मूल्य विनिर्माताओं द्वारा विभिन्न कारकों जैसे उत्पादन लागत, विपणन/ बिक्री व्यय, अनुसंधान एवं विकास व्यय, व्यापार कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्धा, उत्पाद नवीकरण, उत्पाद गुणवत्ता आदि को ध्यान में रख कर, स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। जहां जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पाया जाता है, वहां डी.पी.सी.ओ., 95 के पैरा 10(ख) के अधीन ऐसे गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्य निर्धारण कर सरकार उपचारी उपाय करती है।

(ख) से (घ) उचित मूल्य पर दवाएं उपलब्ध कराने की पहल करके सरकार गरीब एवं मध्यम वर्ग, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के रोगियों की हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। सूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मामले में एन.पी.पी.ए. द्वारा डी.पी.सी.ओ. 95 के प्रावधानों को लागू कर ऐसा सुनिश्चित किया जाता है। गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मामलों में सरकार, तभी मूल्य निर्धारित या संशोधित करती है, जब ऐसा करना जनहित में आवश्यक समझा जाता है।

गुणवत्तापूर्ण अनब्रांडेड जेनरिक उत्पादों को संवर्द्धित करने के लिए पूरक गैर-सांविधिक उपाय के रूप में, फार्मा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों (सी.पी.एस.यूज) के सहयोग से औषध निर्माण विभाग ने उचित मूल्य पर गुणवत्ता पूर्ण अनब्रांडेड जेनरिक औषधियों की बिक्री को संवर्द्धित करने के लिए जेनरिक औषध अभियान शुरू किया है। जन औषधि जेनरिक ड्रग स्टोर सिविल अस्पताल, अमृतसर (पंजाब) एवं शास्त्री भवन, नई दिल्ली में खोले जा चुके हैं। ऐसे और स्टोर्स शीघ्र ही पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में खोले जा रहे हैं। जन औषधि जेनरिक ड्रग स्टोर्स में बेची जा रहीं जेनरिक दवाओं के मूल्य ब्रांडेड दवाओं की तुलना में कम हैं। औषध निर्माण विभाग ने भी सभी राज्य सरकारों से अपने राज्यों में जन औषधि जेनरिक ड्रग स्टोर्स खोलने का अनुरोध किया है। कुछ राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया उत्साहवर्द्धक है।

उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त, राष्ट्रीय औषध नीति 2006 के प्रारूप में जेनरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा और उसमें प्रस्तावित क्रियाविधियों में से एक ट्रेड मार्जिन निर्धारित करना प्रस्तावित है जोकि कतिपय जेनरिक फार्मूलेशनों के मामलों में काफी अधिक है। इस नीति में, देश में जेनरिक दवाओं के संवर्द्धन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से जेनरिक दवाओं की खरीद एवं वितरण, जेनरिक दवा विनिर्माताओं के लिए निःशुल्क गुणवत्ता प्रमाणपत्र दिया जाना आदि भी प्रस्तावित है। यह नीति मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) के विचाराधीन है। जी.ओ.एम. को अभी अपनी सिफारिशें मंत्रिमंडल को करनी हैं।

राष्ट्रीय गैस ग्रिड की स्थापना

*80. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गैस आधारित उद्योगों की भावी मांग पूरी करने के लिए विभिन्न राज्यों से राष्ट्रीय गैस ग्रिड की स्थापना करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई प्रगति हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) और (ख) राष्ट्रीय गैस ग्रिड की स्थापना के लिए राज्य सरकारों से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि राज्य सरकारों से उनके राज्यों में पाइपलाइन जुड़ान (कनेक्टिविटी) के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य उत्पादन केन्द्रों और ग्राहकों की उपलब्धता और अवस्थिति के अनुसार किया जाता है। ट्रंक गैस पाइपलाइन देश में प्राकृतिक गैस के विभिन्न स्रोतों को ग्राहकों से जोड़कर विभिन्न कंपनियों द्वारा बिछायी जा रही हैं। वर्तमान में गेल देश के विभिन्न भागों को प्राकृतिक गैस के प्रेषण के लिए लगभग 142 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम.एम.एस.सी.एम.डी.) की क्षमता की लगभग 6800 कि.मी. लंबी पाइपलाइनों का प्रचालन कर रही है। दाहेज-उरन पाइपलाइन (डी.यू.पी.एल.) और दाभोल-पणवेल पाइपलाइन (डी.पी.पी.एल.) गेल द्वारा जुलाई, 2007 में चालू की गई थीं। केलारास-मालानपुर, विजयपुर-कोटा और जगोटी-पीतमपुर पाइपलाइन गेल द्वारा क्रमशः जुलाई, 2006, जनवरी, 2007 और मार्च, 2007 में चालू की गई हैं। रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आर.जी.टी.आई.एल.) देश के अन्य भागों में ग्राहकों को केजी बेसिन से गैस का प्रेषण करने के लिए काकानाड़ा-हैदराबाद-अहमदाबाद पाइपलाइन (1385 कि.मी.) चालू कर रही है। दादरी-पानीपत पाइपलाइन (133 कि.मी.) इंडियन आयल कार्पोरेशन (आई.ओ.सी.) द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

गेल को दादरी-बवाना-नांगल पाइपलाइन, चैंसा-गुड़गांव-झज्जर-हिसार पाइपलाइन, जगदीशपुर-हल्दिया पाइपलाइन, दाभोल-बंगलौर पाइपलाइन और कोच्चि-कांजिक्कोड बंगलौर/मंगलोर पाइपलाइन के लिए प्राधिकार पत्र जारी किए गए हैं। रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आर.जी.टी.आई.एल.) को काकीनाड़ा-बसुदेवपुर-हावड़ा पाइपलाइन, विजयवाड़ा-नेल्लूर-चेन्नई पाइपलाइन, चेन्नई-तूतीकारन पाइपलाइन और चेन्नई-बैंगलोर-मंगलौर पाइपलाइन के लिए प्राधिकार प्रदान किए गए हैं।

उक्त क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और गैर-भेदभावपूर्ण ढंग से उसका विनियमन करने के लिए सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 निर्मित किया है।

[हिन्दी]

उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए रेल नेटवर्क

283. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

श्री कीरेन रिजीजू:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने वर्ष 2020 तक उत्तर-पूर्व क्षेत्र के सभी राज्यों को बड़ी रेल लाइन से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों में ऐसे संपर्क प्रदान करने की अनुमति दी गई है तथा किन-किन राज्यों में अब तक कार्य शुरू हो चुका है; और

(घ) उत्तर-पूर्व क्षेत्र में प्रस्तावित रेल नेटवर्क के विकास हेतु कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों की राजधानियों को, जहां कहीं भी व्यावहारिक हो, रेलवे लाइनों से जोड़ने का प्रस्ताव है।

(ग) दो राज्यों की राजधानियों अर्थात् गुवाहाटी तथा अगरतला को रेल लाइनों से पहले ही जोड़ा जा चुका है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की राजधानियों को रेल लाइनों से जोड़ने के लिए और कार्य शुरू किए गए हैं।

(घ) वर्तमान अनुमान के अनुसार, चार राज्यों की राजधानियों, जिनके कार्यों को पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, को रेल संपर्क मुहैया कराने की लागत 4200 करोड़ रुपए से अधिक है। सिक्किम और मेघालय की राजधानियों हेतु सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया है।

[अनुवाद]

उड़ीसा के पारादीप में तेल रिफाइनरी परियोजना

284. श्री तथागत सत्पथी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कंपनी (आई.ओ.सी.) ने उड़ीसा में पेट्रोरसायन काम्पलेक्स को पारादीप में प्रस्तावित तेल शोधन परियोजना से अलग करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रिफाइनरी के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निर्माण कार्य कब तक शुरू होगा; और

(ङ) आई.ओ.सी. द्वारा कितनी राशि खर्च किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) जी हां, पारादीप में रिफाइनरी-एवं-पेट्रोरसायन परिसर की बहुत ऊंची अनुमानित लागत के कारण इस परियोजना की मूल्यांकन समिति (पी.ई.सी.) ने 26-5-2008 को हुई अपनी बैठक में निर्णय लिया कि पारादीप में इस परियोजना के प्रथम चरण में पेट्रोरसायन परिसर को छोड़कर केवल रिफाइनरी का निर्माण किया जा सकता है।

(ग) और (घ) पारादीप रिफाइनरी परियोजना के लिए कुल 3344 एकड़ भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है। पूरी भूमि को समतल करने और परियोजना-पूर्व कार्यकलापों को पूरा करने के बाद स्थल निर्माण कार्य वर्ष 2010 की प्रथम तिमाही के दौरान आरंभ किए जाने की संभावना है।

(ङ) मई, 2008 में आई.ओ.सी.एल. के निदेशक मंडल ने इस रिफाइनरी के लिए 29,777 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से पारादीप रिफाइनरी परियोजना के कार्यान्वयन को सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर दिया है।

[हिन्दी]

उत्तर-प्रदेश में माडल रेलवे स्टेशन

285. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं जिन्हें उत्तर-प्रदेश में अब तक माडल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है; और

(ख) निकट भविष्य में उत्तर-प्रदेश में माडल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने वाले रेलवे स्टेशनों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य में उन रेलवे स्टेशनों के नाम, जिन्हें पहले ही आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित कर दिया गया है, निम्नानुसार हैं:

(i) उत्तर मध्य रेलवे (10 स्टेशन) - इलाहाबाद, कानपुर सेन्ट्रल, मिर्जापुर, अलीगढ़, टुंडला, इटावा, ओरई, बांदा, आगरा कैंट तथा मथुरा।

(ii) पूर्वोत्तर रेलवे (17 स्टेशन) - इटावा, पीलीभीत, कासगंज, फरूखाबाद, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, रावतपुर, बादशाहनगर, लखनऊ, कतरा, सीतापुर, लखीमपुर, लखनऊ सिटी, बहराइच, खलीलाबाद और बरहनी।

(iii) उत्तर रेलवे (7 स्टेशन) - लखनऊ, वाराणसी, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, गढ़ मुक्तेश्वर तथा हापुड़।

(iv) पूर्व मध्य रेलवे (1 स्टेशन) - मुगलसराय।

उत्तर प्रदेश राज्य में उन रेलवे स्टेशनों के नाम, जिन्हें भविष्य में आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए पहचान की गई है, निम्नानुसार हैं:

(क) उत्तर मध्य रेलवे (8 स्टेशन) - नैनी, फतेहपुर, फिरोजाबाद, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट धामकरवी, राजा की मंडी तथा आगरा।

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे (12 स्टेशन) - कैमगंज, देवरिया सदर, मऊ, बलिया, मंडुआडीह, आजमगढ़, बेलथरा रोड, गाजीपुर सिटी, सेलमपुर, भटनी, वाराणसी सिटी, इलाहाबाद सिटी।

(ग) उत्तर रेलवे (25 स्टेशन) - मेरठ सिटी, बागपत रोड, बड़ौत, गाजियाबाद, मेरठ कैंट, मुजफ्फरनगर, देवबंद, अयोध्या, फैजाबाद, राय बरेली, प्रयाग, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, भदोई, अकबरपुर, शाहगंज, उन्नाव, बाराबंकी, जंघई, नजीबाबाद, रामपुर, चंदौसी, हरदोई तथा सहारनपुर।

(घ) पूर्व मध्य रेलवे (2 स्टेशन) - चोपान तथा रेणुकूट।

[अनुवाद]

छह विश्व धरोहर स्थलों हेतु
एकल प्रवेश टिकट प्रणाली

286. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में छह विश्व धरोहर स्थलों हेतु एकल प्रवेश टिकट प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

इस्पात क्षेत्र हेतु फोरम

287. श्री हितेन बर्मन: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इस्पात क्षेत्र में सरकार तथा संभावी निवेशकों के बीच सक्रिय संपर्क हेतु कोई औपचारिक फोरम विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस्पात उद्योग की चिंताओं को दूर करने के लिए वर्तमान तंत्र क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर जितिन प्रसाद): (क) से (ग) इस्पात क्षेत्र में सरकार तथा संभावित निवेशकों के बीच सक्रिय संपर्क हेतु कोई औपचारिक फोरम विद्यमान नहीं है। तथापि, देश में प्रमुख इस्पात निवेशकों से संबंधित मुद्दों की मॉनीटरिंग करने तथा समन्वय करने के लिए सरकार ने एक अंतर-मंत्रालय समूह (आई.एम.जी.) का गठन किया है।

आई.एम.जी. में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:-

i.	सचिव, इस्पात मंत्रालय	अध्यक्ष
ii.	सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	सदस्य
iii.	सदस्य (ट्रैफिक), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय	सदस्य
iv.	सचिव, पोत विभाग	सदस्य
v.	सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग	सदस्य
vi.	सचिव, खान मंत्रालय	सदस्य
vii.	सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	सदस्य
viii.	संबंधित राज्य सरकारों के मुख्य सचिव	सदस्य
ix.	संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय	संयोजक

जब भी आवश्यक समझा जाएगा किसी अन्य मंत्रालय/ राज्य सरकार से भाग लेने के लिए अनुरोध किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त आई.एम.जी. के विचाराधीन विषय (टी.ओ.आर.) निम्नानुसार हैं:-

प्रमुख इस्पात क्षमताओं को शीघ्र पूरा करने के लिए उपायों की समीक्षा करना और समन्वय करना तथा निम्नलिखित से संबंधित विभिन्न समस्याओं का समाधान करना:-

(i) पत्तन, रेल, सड़क नेटवर्क से संबंधित अवसंरचनात्मक अड़चनें।

(ii) लौह अयस्क और कोयले की उपलब्धता।

(iii) परियोजना स्थल के साथ-साथ लौह अयस्क तथा कोयला खनन कार्यकलापों के लिए शीघ्र पर्यावरण संबंधी मंजूरी।

(iv) भूमि, जल संसाधनों की उपलब्धता तथा पुनर्वास से संबंधित मुद्दे।

(v) देश में प्रमुख इस्पात निवेशों से संबंधित कोई अन्य मद।

[हिन्दी]

यात्री सुविधाएं

288. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम रेलवे के शामगढ़ से नागदा तथा रतलाम से मैक्सी के बीच सभी रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे की जोन के इन सभी रेलवे स्टेशनों पर विद्यमान सुविधाओं में वृद्धि करने की कोई कार्य योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) शामगढ़ और नागदा तथा रतलाम और मक्सी के बीच सभी रेलवे स्टेशनों पर मानदंडों के अनुरूप अपेक्षित न्यूनतम सुविधाएं (एम.ई.ए.) मुहैया करा दी गई हैं। इन सुविधाओं में बुकिंग कार्यालय, पीने का पानी, प्रतीक्षालय, बैठने की सुविधाएं, प्लेटफार्म शायबान/छायादार वृक्ष, पेशाबघर, शौचालय, प्लेटफार्म लाईटिंग, पंखे, घड़ी तथा गाड़ी समय सारणि शामिल हैं।

(ख) और (ग) जी हां। रेलवे स्टेशनों पर पैसेंजर यातायात/आमदनी में वृद्धि के अनुरूप यात्री सुविधाओं में संवर्धन होना एक सतत प्रक्रिया है और ये कार्य निधियों तथा अन्य सापेक्ष प्राथमिकताओं के आधार पर वार्षिक निर्माण कार्यक्रम के माध्यम से किए जाते हैं। रतलाम, नागदा तथा उज्जैन रेलवे स्टेशन आदर्श स्टेशन के रूप में पहले ही विकसित किए जा चुके हैं। उज्जैन, नागदा, मक्सी, रतलाम तथा खचरोड स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के संवर्धन के लिए विभिन्न कार्य प्रगति पर हैं। शामगढ़, सुवासरा तथा चौमहल स्टेशनों के प्लेटफार्मों के स्तर को ऊंचा करने से संबंधित कार्य तथा शामगढ़, विक्रमगढ़ अलोट, मेहिदपुर रोड, लुनिरिछा, सुवासरा तथा चौमहल स्टेशनों पर अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली (यू.टी.एस.) भी शुरू की गई है।

उड़ीसा में पर्यटन स्थल

289. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पर्यटन स्थलों/स्थानों के सुधार हेतु उड़ीसा सरकार से सरकार को प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उड़ीसा के उन पर्यटन स्थलों के नाम क्या हैं जहां उक्त अवधि के दौरान सौंदर्यीकरण तथा विकास कार्य किए गए हैं; और

(ग) उक्त अवधि तथा चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आवंटित/खर्च की गई?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) पर्यटन का विकास एवं संवर्धन मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, उन पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिनका विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उनके साथ परामर्श और आपसी बातचीत से अभिनिर्धारण किया गया है, जो निम्नलिखित हैं:

(i) गंतव्यों/परिपथों का उत्पाद/अवसंरचना विकास

(ii) भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं के लिए सहायता

(iii) सूचना प्रौद्योगिकी

(iv) मेले/उत्सव और कार्यक्रम

सभी प्रकार से पूर्ण, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले परियोजना प्रस्तावों की योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच की जाती है और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर अनुमोदित किया जाता है और संबंधित शीर्ष के अंतर्गत उपलब्धता की शर्त पर निधियां अवमुक्त की जाती हैं।

पिछले तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उड़ीसा राज्य के लिए स्वीकृत की गई परियोजनाओं की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 में उड़ीसा राज्य के लिए स्वीकृत परियोजनाएं

(लाख रुपए)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
	वर्ष 2005-06	
1.	गोपालपुर-ऑन-सी (जिला गंजम) का विकास	447.22
2.	सखी गोपाल, जिला पुरी का विकास	460.96
3.	जिला गंजम में तप्तापानी का पर्यटक गंतव्य के रूप में विकास	500.00
4.	भुवनेश्वर-धौली-पुरी-कोणार्क पर्यटक परिपथ का एकीकृत विकास	720.09
5.	पर्यटक गंतव्य के रूप में (जिला पुरी और गंजम) चिल्का झील का विकास	389.05
6.	जिला मयूरभंज के ग्राम खिचिंग में ग्रामीण पर्यटन का विकास	50.00
7.	पुरी में श्रीक्षेत्र उत्सव	15.00
8.	पुरी बीच उत्सव, 2005	4.00
9.	कोणार्क उत्सव, 2005	3.00
10.	राजरानी उत्सव, 2005, भुवनेश्वर	3.00
	कुल	**2592.32**
	वर्ष 2006-07	
1.	मयूरभंज जिले में सिमलीपाल का पर्यटक गंतव्य के रूप में विकास	297.12
2.	पुरी बीच उत्सव, 2006	05.00
3.	कोणार्क उत्सव, 2006	05.00
4.	इकाम्रा उत्सव, 2007	10.00
5.	श्रीश्रेत्र वसंत उत्सव, 2006	10.00
6.	चांदीपुर-तल्सारी-उदयपुर-चांदनेश्वर-रेमूना-पंचलिंगेश्वर-नीलागिरी परिपथ का एकीकृत विकास	800.00
7.	जिला बारागढ़, गांव बारपाली का ग्रामीण पर्यटन विकास (हार्डवेयर)	50.00
8.	जिला खुर्दा, गांव हीरापुर का ग्रामीण पर्यटन विकास (हार्डवेयर)	50.00

1	2	3
9.	जिला गंजम, गांव पदमनाभपुर का ग्रामीण पर्यटन विकास (हार्डवेयर)	50.00
10.	जिला अंगुल, दिउलाझारी गांव का ग्रामीण पर्यटन विकास (हार्डवेयर)	50.00
11.	"कोरापुट-देवमाली-जेपोर-अपर कोलाब-गुप्तेश्वर" एक पर्यटक परिपथ के रूप में कोरापुट परिपथ का एकीकृत विकास	692.00
12.	भीतरकनिका में ईको-पर्यटन का विकास	383.22
13.	एक पर्यटक गंतव्य के रूप में सतकोसिया का विकास	424.50
	कुल	**2826.84**
	2007-08	
1.	सूचना प्रौद्योगिकी की योजना के अंतर्गत उड़ीसा पर्यटन सूचना पोर्टल का विकास	42.50
2.	महानदी सेंट्रल हैरिटेज, जिला कटक का एक गंतव्य के रूप में विकास	393.75
3.	कपिलास-जोरांडा-सप्तसज्या का एक पर्यटक परिपथ के रूप में विकास	287.84
4.	सोनापुर-खंडपारा-नरसिंहपुर-कटक-पारादीप का एक पर्यटक परिपथ के रूप में विकास	463.60
5.	हरिशंकर-नृसिंहनाथ-रानीपुरजारियल का एक पर्यटक परिपथ के रूप में विकास	650.21
6.	गंजम जिले में सिल्क रूट परिपथ का विकास	431.15
7.	कोणार्क नाट्य मंडप, कोणार्क, जिला पुरी का गुरूकुल	50.00
8.	अखिल भारतीय पाइका अखाडा एक्जीबीशन उत्सव, 2008	5.00
9.	चांदीपुर-ऑन-सी, 2008 का गोल्डन बीच फेस्टिवल	3.00
10.	कोणार्क नाट्य मंडप के गुरूकुल ग्राम में (सी.बी.एस.पी.) में ग्रामीण पर्यटन	20.00
11.	ग्राम बरपाली, जिला बरगर (सी.बी.एस.पी.) में ग्रामीण पर्यटन	13.50
	कुल	**2360.55**
	2008-09	
1.	भुवनेश्वर-पुरी-चिल्का का एक वृहत गंतव्य के रूप में विकास	3022.80
2.	नंदनकानन-खंडगिरी-डेरास-चंडका का एक पर्यटक परिपथ के रूप में विकास	340.17
3.	ब्रह्मपुरा-नुआगढ़-हुआडौली-नंदिनिया-झंझीबांडा का एक पर्यटक परिपथ के रूप में विकास	379.45

1	2	3
4.	खुर्दा-बरूनई-आत्री-काईपडारा-ओडागांव-बुबूडा का एक पर्यटक परिपथ के रूप में विकास	366.96
5.	धौली में धौली महोत्सव मनाना	3.00
6.	चांदीपुर में गोल्डन बीच फेस्टिवल मनाना	3.00
	कुल	**4115.38**

गुजरात में संरक्षित स्मारक

290. **श्री वी.के. दुम्मर:**

श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार गुजरात में संरक्षित स्मारकों का स्मारक-वार ब्यौरा क्या है तथा ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन स्मारकों के रख-रखाव, संरक्षण तथा निर्माण कार्य पर स्मारक-वार कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने संरक्षित स्मारकों की सूची में और स्मारक शामिल करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) गुजरात में राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए 202 स्मारकों/स्थलों और पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके संरक्षण, परिरक्षण और विकास पर किए गए खर्च का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गुजरात में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार में आने वाले केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची तथा उन पर किया गया व्यय

क्र. सं.	स्मारक/स्थल	स्थान तथा जिला	2005-06 (रु.)	2006-07 (रु.)	2007-08 (रु.)
1	2	3	4	5	6
1.	भद्रकाली मंदिर के पीछे भद्रद्वार	अहमदाबाद	498144	217766	–
2.	अहमदशाह की मस्जिद	अहमदाबाद	–	804	5191
3.	तीन दरवाजा अथवा त्रिपोलिया गेट	अहमदाबाद	–	–	–
4.	जामी मस्जिद	अहमदाबाद	10256	506249	355952

1	2	3	4	5	6
	5. अहमदशाह की रानियों के मकबरे	अहमदाबाद			
	6. अहमदशाह का मकबरा	अहमदाबाद			
	7. कालुलपुर द्वार	अहमदाबाद			
	8. मीर अबू तुरब का मकबरा	अहमदाबाद			
	9. पंच कुवा गेट	अहमदाबाद	74864	15035	5100
	10. बीबी जी की मस्जिद	अहमदाबाद			
	11. मलिक आलम की मस्जिद	अहमदाबाद			
	12. रायपुर द्वार	अहमदाबाद			
	13. शाह आलम का मकबरा तथा इसके आसपास समूह की सभी इमारतें	अहमदाबाद			
	14. छोटे पत्थर की मस्जिद (रानी मस्जिद)	अहमदाबाद			
	15. आजम खान मौजम्म खान का रौजा	अहमदाबाद			
	16. शाहपुर काजी मोहम्मद चिश्ती की मस्जिद	अहमदाबाद			
	17. दरियापुर द्वार	अहमदाबाद			
	18. प्रेमाभाई द्वार	अहमदाबाद			
	19. अच्युत बीबी की मस्जिद तथा मकबरा	अहमदाबाद			
	20. सारंगपुर में रानी की मस्जिद	अहमदाबाद			
	21. शाह कूपा मस्जिद	अहमदाबाद			
	22. मुहाफिस खान की मस्जिद	अहमदाबाद			
	23. दादा हरीर की मस्जिद व मकबरा	अहमदाबाद			
	24. भद्रकाली मन्दिर के पीछे तीन द्वार	अहमदाबाद			

1	2	3	4	5	6
25.	मकबरा	अहमदाबाद			
26.	ईंटों की मीनारें	अहमदाबाद			
27.	सीदी सैय्यद की मस्जिद	अहमदाबाद			
28.	सीदी बशीर की मीनार तथा मकबरा (झुका हुआ)	अहमदाबाद	8381	-	8846
29.	दिल्ली गेट	अहमदाबाद	-	-	-
30.	कुतुब शाह की मस्जिद	अहमदाबाद	-	-	-
31.	दादा बाई हरीर का सीढ़ीदार कुआं	अहमदाबाद	-	-	-
32.	सारंगपुर द्वार	अहमदाबाद	-	1163	164844
33.	माता भवानी का कुआं	अहमदाबाद	-	-	-
34.	दरिया खान का मकबरा	अहमदाबाद	-	-	-
35.	रानी रूपवती की मस्जिद	अहमदाबाद	11372	2841	3386
36.	सैय्यद उस्मान की मस्जिद तथा मकबरा	अहमदाबाद	670313	518536	642364
37.	दस्तूर खान की मस्जिद	अहमदाबाद	–	–	–
38.	रानी सीपरी की मस्जिद व मकबरा	अहमदाबाद	14447	2553	–
39.	एस्टोडिया द्वार	अहमदाबाद	-	-	-
40.	कंकरिया तालाब का प्रवेश मार्ग	अहमदाबाद	-	-	-
41.	हैबतखान की मस्जिद	अहमदाबाद	-	-	-
42.	बाबा लौली की मस्जिद	अहमदाबाद	123287	-	-
43.	सर्वे संख्या 6814 में नवाब सरदार खान की मस्जिद तथा बाहरी द्वार	अहमदाबाद	-	-	-
44.	परिसर सहित नवाब सरदार खान का रौजा जिसकी सी एस संख्या 6811 है	अहमदाबाद	-	-	-

1	2	3	4	5	6
45.	जेठाभाई का सीढ़ीदार कुआं	ईसांपुर	-	-	34821
46.	लघु प्रस्तर मस्जिद (गुमले मस्जिद)	ईसांपुर	792934	595412	-
47.	मकबरे (कुतुब-ए-आलम)	वटवा	-	-	-
48.	विशाल मस्जिद	सरखेज रोजा	666700	814690	562088
49.	विशाल तालाब, महल तथा अन्तःपुर	सरखेज रोजा	-	-	-
50.	मंडप	सरखेज रोजा			
51.	बाबा इशाक तथा बावा गंज बक्श का रोजा	सरखेज रोजा	314451	37028	380460
52.	बीबी (रानी) राजबाई का मकबरा	सरखेज रोजा			
53.	मोहम्मद बेगराह का मकबरा	सरखेज रोजा			
54.	शेख अहमद खट्टाऊ गंज बक्श का मकबरा	सरखेज रोजा	292091	4943340	-
55.	जामी मस्जिद	ढोलका	36016	-	-
56.	ध्वस्त इमारत	ढोलका			
57.	मलाव तालाब	ढोलका	122052	214294	-
58.	खान मस्जिद	ढोलका	1061657	319172	-
59.	बहलोल खान गाजी की मस्जिद	ढोलका	-	-	200291
60.	लोथल स्थित प्राचीन स्थल	सरगवाला	108684	5900	204279
61.	रगुशा पीर की मस्जिद	रनपुर	-	-	-
62.	जामी मस्जिद	मंडल	14422	-	-
63.	काजी मस्जिद	मंडल	-	-	-
64.	सैय्यद मस्जिद	मंडल	-	-	-
65.	मनसर तालाब तथा वेदियां	वीरमगाम	10457	-	144639
66.	प्राचीन स्थल गोहिलवाड टिम्बो (टीला)	अमरेली	750	-	-

1	2	3	4	5	6
67.	काशीविश्वनाथ मंदिर की दीवार पर भित्ति चित्र	पडार सिंही, अमरेली	15417	-	-
68.	प्राचीन स्थल	वेनीवडारी, अमरेली	-	-	-
69.	सीढ़ीदार कुआं	बोरसाड, आनंद	9962	-	-
70.	जामी मस्जिद	खम्भात, आनंद	245	451	1170
71.	प्राचीन स्थल/टीला	सिहोर, भावनगर	-	-	-
72.	दरबारगढ़	सिहोर, भावनगर	18831	3676	-
73.	प्राचीन स्थल/टीला	वाला, भावनगर	15475	2167	377102
74.	जैन मंदिर	तलाजा, भावनगर	-	-	-
75.	तलाजा गुफाएं	तलाजा, भावनगर	25758	9287	-
76.	जामी मस्जिद	भरूच	105528	-	-
77.	महादेव का प्राचीन ध्वस्त मंदिर	बावका, दाहोद	24657	4605	-
78.	सिकंदर शाह का मकबरा	हलोल, गोधरा	-	-	-
79.	एक-मीनार-की मस्जिद	हलोल, गोधरा	-	784689	-
80.	पंच-महुडा-की मस्जिद	हलोल, गोधरा	-	-	-
81.	मकबरा	हलोल, गोधरा	-	-	-
82.	कुंडलीदार सीढ़ीदार कुआं रास्ते के चारों तरफ 50 फुट जगह के साथ जोकि नजदीकी सड़क से 10 फुट दूर है	चांपानेर, गोधरा	-	118229	-
83.	सकर खान की दरगाह	चांपानेर, गोधरा	18036	-	-
84.	शहर द्वार	चांपानेर, गोधरा	-	-	-
85.	दुर्ग की दीवारें	चांपानेर, गोधरा	20152	196871	1383714
86.	दुर्ग के दक्षिण पूर्वी कोने पर शहर दीवार जो कि पहाड़ी तक जा रही है	चांपानेर, गोधरा	-	-	-
87.	पूर्वी व दक्षिणी भद्र द्वार	चांपानेर, गोधरा	41550	600570	-

1	2	3	4	5	6
88.	सहर की मस्जिद (बोहरानी)	चांपानेर, गोधरा	128174	111120	24
89.	तीन प्रकोष्ठ	चांपानेर, गोधरा	23953	-	-
90.	मांडवी अथवा कस्टम हाउस	चांपानेर, गोधरा	-	-	-
91.	जामी मस्जिद	चांपानेर, गोधरा	660391	1245966	3463
92.	सीढ़ीदार कुआं	चांपानेर, गोधरा	-	-	-
93.	केवडा मस्जिद	चांपानेर, गोधरा	562965	924441	474616
94.	मकबरा जिसके मध्य में ईंटों का गुम्बद तथा छोटे कोने में गुम्बद हैं	चांपानेर, गोधरा	-	-	1281014
95.	केवडा मस्जिद का स्मारक	चांपानेर, गोधरा	-	-	-
96.	नगीना मस्जिद	चांपानेर, गोधरा	-	-	-
97.	नगीना मस्जिद का स्मारक	चांपानेर, गोधरा	7320	315238	892923
98.	लाल गुम्बज	चांपानेर, गोधरा	667609	440739	-
99.	कबूतरखाना पैवेलियन	चांपानेर, गोधरा	23664	507977	7545
100.	कमानी मस्जिद	चांपानेर, गोधरा	-	-	416520
101.	बावा मान की मस्जिद	चांपानेर, गोधरा	-	-	790524
102.	द्वार सं. 1 अटक द्वार (दो प्रवेशद्वारों सहित)	पावागढ़ हिल, गोधरा	206882	222848	-
103.	द्वार सं. 2 (तीन प्रवेशद्वारों सहित) बुधिया द्वार	पावागढ़ हिल, गोधरा	-	-	-
104.	द्वार सं. 3 मोती द्वार सदनशाह द्वार	पावागढ़ हिल, गोधरा	-	-	-
105.	द्वार सं. 4 बड़ी बुर्जी सहित तथा उसके अंदर के कमरे	पावागढ़ हिल, गोधरा	-	-	-
106.	बुर्जियो के दाहिने ओर सीढ़ियों सहित सात मंजिल	पावागढ़ हिल, गोधरा	-	-	346314
107.	द्वार सं. 4 के ऊपर टकसाल	पावागढ़ हिल, गोधरा	-	-	-
108.	द्वार सं. 5 गुलान बुलान द्वार	पावागढ़ हिल, गोधरा	-	-	-

1	2	3	4	5	6
109.	द्वार सं. 6 बुलंद दरवाजा	पावागढ़ हिल, गोधरा	-	-	-
110.	मकाई कोठार	पावागढ़ हिल, गोधरा	-	-	85596
111.	पटई रावल का महल तथा तालाब	पावागढ़ हिल, गोधरा	-	-	91568
112.	द्वार सं. 7 मकई द्वार	पावागढ़ हिल, गोधरा	-	-	-
113.	द्वार सं. 8 तारापोर गेट	पावागढ़ हिल, गोधरा	-	-	
114.	पावागढ़ का किला तथा पावागढ़ पहाड़ी के शिखर पर ध्वस्त हिन्दू मंदिर तथा जैन मंदिर	पावागढ़ हिल, गोधरा	242654	89272	60078
115..	नवलखा कोठार	पावागढ़ हिल, गोधरा	-	-	-
116.	शिखर पर किले की दीवार	पावागढ़ हिल, गोधरा	30819	-	2768
117.	रुद्र महालय मंदिर	देसर, गोधरा	12170	-	-
118.	कंकेश्वर महादेव मंदिर	काकनपुर, गोधरा	21772	4564	-
119.	मूर्तियों की स्क्रीन के साथ रत्नेश्वर प्राचीन मंदिर	रतनपुर, गोधरा	15311	4696	7375
120.	रुदाबाई सीढ़ीदार कुआं	अदालज, गांधीनगर	311857	263592	173159
121.	दुर्वासा ऋषि का आश्रम तथा उसका स्थल	पिंडारा, जामनगर	19804	365	-
122.	कालिका माता मंदिर	नवी धेवाड, जामनगर	23406	-	-
123.	गोकेश्वर महादेव मंदिर	लौरांली, जामनगर	22701	295	-
124.	सर्वे सं. 106 में गांधी गढ़ी तथा मंदिर	ओल्ड ढींक, जामनगर	-	-	-
125.	राम लक्ष्मण का मंदिर	बरादिया, जामनगर	4878	1290	-
126.	द्वारकाधीश मंदिर समूह तथा इसके बाहरी परिसर अहाते सर्वे. सं. 1607, 1608, 1906	द्वारका, जामनगर	451221	725802	809294
127.	क्षत्रप अभिलेख	द्वारका, जामनगर	-	-	64609
128.	रुकमिनी मंदिर	द्वारका, जामनगर	-	578	-

1	2	3	4	5	6
129.	धरषनवेल मंदिर मागडेरु	धरषनवेल, जामनगर	-	593	4500
130.	सर्वे. सं. 655 में गुहादित्य मंदिर	वरवाडा, जामनगर	-	-	4500
131.	जूनागढ़ी (जैन) मंदिर	वसई, जामनगर	2439	-	-
132.	कंकेश्वर महादेव मंदिर तथा अन्य पूजा स्थल	वसई, जामनगर	4068	400	-
133.	गोप (सूर्य) मंदिर	नानी गोप, जामनगर	5823	98540	212295
134.	अशोक शिलालेख	जूनागढ़	31592	26482	166072
135.	बौद्ध गुफा	जूनागढ़	128186	39123	97441
136.	बाबा प्यारे, खापरा कोडिया गुफाएं	जूनागढ़	346843	123914	
137.	प्राचीन टीला	इंतवा, जूनागढ़	17585	2167	-
138.	जामी मस्जिद	मंगरोल, जूनागढ़	-	-	-
139.	बीबी मस्जिद	मंगरोल, जूनागढ़	-	-	-
140.	रवेली मस्जिद	मंगरोल, जूनागढ़	19179	-	-
141.	रणछोड़ रायाजी मंदिर तथा महादेव मंदिर चौक के आस-पास पड़ी खाली जमीन	मूल द्वारका, जूनागढ़	12979	-	-
142.	विट्ठलभाई हवेली	वास्को, खेडा	-	3828	-
143.	भामारिया कुआं	महामदाबाद, खेडा	384	801635	-
144.	गल्तेश्वर का मंदिर	सरनाल, खेडा	9914	155619	2937
145.	सैफु-उद्-दीन तथा निजाम-उद्-दीन का मकबरा	सोजाली, खेडा	24257	7303	1340
146.	मुबारक सैय्यद का मकबरा	सोजाली, खेडा	-	-	-
147.	राव लखा छतरी	भुज, कच्छ	410515	1395712	3448980
148.	शिव मंदिर	कोटई, कच्छ	230931	3388	1486010
149.	उत्खनित स्थल	सुरकोटडा, कच्छ	36642	5438	-
150.	मलाई माता मंदिर	पालदार, मेहसाणा	9729	2303	-

1	2	3	4	5	6
151.	हिंगलोजी माता मंदिर	खंडोसान, मेहसाणा	15747	1084	-
152.	सभा मंडप (दोहरे पूजा स्थल) तथा प्राचीन पूजा स्थल	खंडोसान, मेहसाणा	-	-	-
153.	जसमलनाथजी महादेव मंदिर	असोदा, मेहसाणा	7927	-	-
154.	अजपल कुंड	वादनगर, मेहसाणा	24000	-	-
155.	अभिलेख तथा अर्जुन बारी द्वार	वादनगर, मेहसाणा	-	-	-
156.	तोरण	वादनगर, मेहसाणा	64864	484500	347549
157.	कुंड	विजापुर, मेहसाणा	-	-	-
158.	सूर्य मंदिर, सूर्य कुंड तथा अन्य लगे हुए मंदिर व पड़ी हुई मूर्तियां	मोढेरा, मेहसाणा	427426	382061	12722
159.	खान सरोवर का प्रवेशद्वार	पाटन	25092	211855	296679
160.	रानी-की-वाव	पाटन	2739268	733722	1485373
161.	सहस्रलिंग तालाब (उत्खनित)	अनावडा, पाटन	361651	40708	72106
162.	शेख फरीद मकबरा	पाटन	30321	6965	-
163.	जामी मस्जिद	सिधपुर, पाटन	-	-	-
164.	रुद्र महालय मंदिर के अवशेष	सिधपुर, पाटन	12604	10970	407455
165.	नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर	सुनाक, पाटन	23247	2167	554736
166.	सिवाई माता मंदिर	सुनाक, पाटन	10857	1084	-
167.	नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर	रुहावी, पाटन	-	-	-
168.	संदेरी माता मंदिर में दो छोटे पूजा स्थल	सांदेर, पाटन	4179	-	-
169.	सीतामाता मंदिर	पिलुदरा, पाटन	15484	2303	822052
170.	सूर्य प्रतिमा वाला तोरण	पिलुदरा, पाटन	-	-	518213
171.	लिम्बोजी माता मंदिर	डेनमाल, पाटन	6670	-	-
172.	मकान जहां महात्मा गांधी पैदा हुए थे	पोरबंदर	34087	18738	-

1	2	3	4	5	6
173.	प्राचीन पार्श्वनाथ मंदिर	वडोदरा, पोरबंदर	6120	-	-
174.	गुफाएं	मियानी, राजकोट	5	-	-
175.	सिकंदरशाह का मकबरा	प्रांतजी, साबरकंठा	179346	5818	-
176.	मंदिर समूह	खेड तथा रोडा, साबरकंठा	95073	4428	136450
177.	दरगाह जिसे ख्वाजा दाना साहेब की रोजा के नाम से जाना जाता है	सूरत	-	-	-
178.	प्राचीन इंगलिश मकबरे	सूरत	521204	101633	-
179.	ख्वाजा सफर सुलेमानी का मकबरा	सूरत	202964	141450	-
180.	प्राचीन डच तथा अर्मीनियन मकबरे तथा कब्रिस्तान	सूरत	159625	335138	766144
181.	सर्वे प्लाट सं. 535 में शामिल प्राचीन स्थल	कामरेज, सूरत	26937	31071	-
182.	फतेह बुर्ज	व्यारा, सुरेन्द्रनगर	38513	23010	1395236
183.	रनक देवी का मंदिर	वधावन, सुरेन्द्रनगर	-	-	-
184.	प्राचीन टीला	रंगपुर, सुरेन्द्रनगर	-	-	-
185.	सूर्य मंदिर	थानगढ़, सुरेन्द्रनगर	-	-	-
186.	नवलखा मंदिर	सेजकपुर, सुरेन्द्रनगर	221	899	3332
187.	गांव में प्राचीन स्थल/टीला (गणेश मंदिर)	सेजकपुर, सुरेन्द्रनगर	-	-	-
188.	दरबारगढ़	हल्वाड, सुरेन्द्रनगर	-	-	-
189.	अनंतेश्वर मंदिर	भादिया अनंदपुर, सुरेन्द्रनगर	-	-	-
190.	भाउ ताम्बेकरवाडा में भित्ति चित्र के कमरे	वड़ोदरा	24880	926544	851780
191.	ऐतिहासिक स्थल सर्वे सं. 431, 435	वड़ोदरा	-	-	-
192.	हजीरा या कुतुबुद्दीन महमद खान का मकबरा	दंतेश्वर, वड़ोदरा	178267	60985	58519

1	2	3	4	5	6
193.	प्राचीन स्थल (उत्खनित)	कायावरोहन, वड़ोदरा	96866	9767	374121
194.	तोरण प्रवेशद्वार	कायावरोहन, वड़ोदरा	-	-	-
195.	समश्यापुरा का प्राचीन स्थल	गोराज, वड़ोदरा	9425	791	-
196.	वड़ोदरा द्वार तथा उसके आसपास के निर्माण हीरा द्वार सर्वे सं. 38, 41, 45, 47 तथा टिक्का सं. 102 व 103	दभोई, वड़ोदरा	41415	33151	839917
197.	हीरा द्वार सर्वे सं. 38, 41, 45, 47 तथा टिक्का सं. 102 व 103	दभोई, वड़ोदरा	52438	117911	97514
198.	माहुडी (चांपानेरी) द्वार तथा उसके पास के निर्माण	दभोई, वड़ोदरा	-	1722	-
199.	नांदोदी द्वार तथा उसके पास के निर्माण	दभोई, वड़ोदरा	-	19778	-
200.	सप्तमुखी वाव	दभोई, वड़ोदरा	-	-	-
201.	सूक्ष्म प्रस्तर स्थल सर्वे सं. 311, 12, 13 तथा 298	अमाराजपुरा, वड़ोदरा	-	-	-
202.	प्राचीन स्थल (कोटडा)	धौलाबीरा तहसील-भरूच, भुज	18,69,549	20,54,080	2291101
		कुल	17161768	23204889	26736711
		या लाख रुपए	171.62	232.05	267.37

[अनुवाद]

उर्वरकों का उत्पादन

291. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वर्ष 2008-09 के दौरान सभी उर्वरक एककों द्वारा उर्वरक उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो कमी के क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) वर्ष 2008-09 (अप्रैल 08 से जनवरी 09) के दौरान यूरिया का उत्पादन 166.77 लाख मी.टन रहा है जबकि उत्पादन लक्ष्य और कार्यशील संस्थापित क्षमता की तुलना में यह

क्रमशः 170.83 लाख मी.टन और 159.00 लाख मी.टन है। इसी अवधि के दौरान डी.ए.पी. का उत्पादन 26.11 लाख मी.टन है, उत्पादन लक्ष्य और कार्यशील संस्थापित क्षमता की तुलना में यह क्रमशः 38.90 लाख मी.टन और 56.87 लाख मी.टन है। इसी प्रकार, एन.पी.के. (मिश्रित उर्वरक) का उत्पादन इस अवधि में 61.97 लाख मी.टन था जबकि उत्पादन लक्ष्य और कार्यशील संस्थापित क्षमता की तुलना में क्रमशः 65.10 लाख मी.टन तथा 33.51 लाख मी.टन थी। डी.ए.पी. और एन.पी.के. उर्वरकों के उत्पादन तथा लक्ष्य/कार्यशील संस्थापित क्षमता में कमी तकनीकी कठिनाइयों, गैस की कमी, पूंजी की कमी व फॉस एसिड, रॉक फास्फेट, अन्य आदानों की उपलब्धता में कठिनाइयों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनके ऊंचे मूल्यों के कारण संयंत्रों की कुछ उत्पादन इकाइयों को कुछ समय के लिए बंद रखने के कारण हुई।

(ग) उर्वरक विभाग पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, गेल और एन.जी./एल.एन.जी. के अन्य भावी आपूर्तिकर्ताओं से लगातार बातचीत कर रहा है ताकि उर्वरक उद्योग की गैस आवश्यकता की पर्याप्त पूर्ति की जा सके। फास्फेटयुक्त उर्वरकों के संबंध में आदानों/कच्ची सामग्री/मध्यवर्तियों के मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट आई है। कंपनियां इन आदानों को प्राप्त करने के लिए समझौते कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, उर्वरक विभाग ने स्पिक-तूतीकोरिन को एम.सी.एफ.-मंगलौर के साथ उत्पादन और विपणन व्यवस्था करने की अनुमति दे दी है जिससे उर्वरकों की उपलब्धता में सुविधा होगी।

आनन्द विहार रेलगाड़ी टर्मिनल का निर्माण

292. श्री के.सी: सिंह 'बाबा': क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वी दिल्ली में आनंद विहार रेलगाड़ी टर्मिनल के निर्माण हेतु प्ररंभिक परिव्यय कितना है;

(ख) क्या परियोजना के पूरी होने में विलंब के कारण कोई संशोधित परिव्यय है;

(ग) यदि हां, तो परिव्यय में संशोधन के पश्चात् कितनी राशि निर्धारित की गई तथा इस विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) परियोजना के पूरा करने की मूल समय सीमा क्या थी तथा इसे पूरा करने की संशोधित सारणी क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) आनंद विहार टर्मिनल के निर्माण कार्य को 2003-04 में 85 करोड़ रुपए की प्रारंभिक लागत पर स्वीकृत किया गया था। इसके अलावा, अतिरिक्त यात्री एवं परिचालनिक सुविधाओं को शामिल करते हुए वस्तुपरक आशोधन वर्ष 2006-07 में 25.93 करोड़ रुपए की लागत पर स्वीकृत किया गया था। विलंब के कारण लागत में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।

(घ) प्रारंभ में आनंद विहार रेल टर्मिनल को पूरा करने के लिए लक्ष्य तिथि सितम्बर, 2008 निर्धारित की गई थी, जिसे संशोधित कर अब मार्च, 2009 कर दिया गया है।

पुणे-मीराज-कोल्हापुर रेल लाइन का दोहरीकरण कार्य

293. श्री प्रतीक पी. पाटील: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुणे-मीराज-कोल्हापुर रेल लाइन के दोहरीकरण के संबंध में सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में रेलवे ने क्या कार्रवाई की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) पुणे-मिराज-कोल्हापुर खंड के दोहरीकरण संबंधी सर्वेक्षण को 2005-06 में पूरा किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 326 किमी. लंबी इस लाइन के दोहरीकरण की लागत 813 करोड़ रुपए आंकी गई थी और प्रतिफल की दर (-)1.55% ऋणात्मक थी। इस लाइन की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के कारण इसका दोहरीकरण नहीं किया जा सका।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का विस्तार

294. श्री नरहरि महतो: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात की मांग को सरकारी क्षेत्र के बोकारो तथा विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्रों में विस्तार करके पूरा किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की योजना सरकारी क्षेत्र के अन्य इस्पात संयंत्रों का भी विस्तार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर जितिन प्रसाद): (क) जी, हां। बोकारो तथा विजाग इस्पात संयंत्रों के विस्तार से इस्पात की राष्ट्रीय मांग को पूरा करने में काफी योगदान मिलने की संभावना है।

(ख) और (ग) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आर.आई.एन.एल.) दोनों ने अपने इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपने इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण तथा विस्तार किया है। सेल के अपने सभी पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों तथा सेलम इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण तथा विस्तार योजना से तप्त धातु का उत्पादन लगभग 15 मिलियन टन वार्षिक के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 26.2 मिलियन टन वार्षिक करने की परिकल्पना की गई है। इसी तरह आर.आई.एन.एल. के विस्तार में द्रव इस्पात के लगभग 3.0 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन के वर्तमान स्तर को बढ़ाकर 6.3 मिलियन टन वार्षिक करने की परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

बीना-कोटा रेल लाइन का विद्युतीकरण कार्य

295. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बीना-कोटा रेलवे लाइन के विद्युतीकरण कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) अब तक इस परियोजना पर कितना व्यय हुआ है तथा परियोजना पूरी होने तक कुल कितना व्यय होने का अनुमान है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) मार्च, 2008 तक 303 मार्ग किलोमीटर में से, 34 मार्ग किलोमीटर का विद्युतीकरण हो गया है। वर्ष 2008-09 के दौरान 82 मार्ग किलोमीटर के विद्युतीकरण का लक्ष्य है। समूचे खंड का कार्य मार्च, 2010 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ख) बीना-कोटा रेल लाइन के विद्युतीकरण का कार्य 168.49 करोड़ रुपए की लागत पर स्वीकृत किया गया है।

मार्च, 2008 तक 55.92 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और वर्ष 2008-09 के दौरान 33.85 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

[अनुवाद]

कोकराझार में घरेलू हवाईअड्डा स्थापित करना

296. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोकराझार में घरेलू हवाई अड्डा स्थापित करने के लिए कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) जी, हां। तथापि, बोडोलैंड टैरिटोरियल काउंसिल द्वारा बताई गई साइट हवाईअड्डे के निर्माण के लिए अनुकूल नहीं पायी गयी है।

[हिन्दी]

बिना चौकीदार वाले समपार

297. श्री सुभाष महरिया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिना चौकीदार वाले रेल समपारों पर चौकीदार तैनात करने के लिए रेलवे द्वारा क्या दिशानिर्देश/मानक तैयार किये गये हैं;

(ख) क्या बिना चौकीदार वाले रेल समपारों के कारण दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान बिना चौकीदार वाले रेल समपारों पर राज्यवार कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं; और

(घ) इन बिना चौकीदार वाले रेल समपारों पर चौकीदार तैनात करके दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) समपारों पर चौकीदारों की तैनाती के लिए मौजूदा नीति निम्नानुसार है:-

1. प्रतिबंधित दृष्टिक्षेत्र* सहित उन सभी समपारों जहां गाड़ी वाहन इकाई (टी.वी.यू.) 6000 से अधिक हो।

2. उन प्रतिबंधित दृष्टिक्षेत्र* वाले वे समपार जहां गाड़ी वाहन इकाई 3000 से 6000 के बीच हो।

*ऐसे समपारों, जहां सड़क उपयोगकर्त्ता/गाड़ी चालक के लिए दृश्यता 800 मीटर से कम होती है, को प्रतिबंधित दृष्टिक्षेत्र माना जाएगा।

(ख) बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं की संख्या वर्ष 2006-07 में 72 की तुलना में घटकर वर्ष 2007-08 में घटकर 65 हो गई तथा चालू वर्ष अप्रैल, 2008 से जनवरी, 2009 तक, इस प्रकार की घटनाएं पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 57 से घटकर 51 हो गई है।

(ग) परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या का लेखा-जोखा जोन-वार रखा जाता है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान बिना चौकीदार वाले समपारों पर हुई दुर्घटनाओं की जोन-वार संख्या निम्नानुसार है:

क्रमांक	रेलवे	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 जनवरी तक
01.	मध्य	1	0	0	0
02.	पूर्व	1	1	1	1
03.	पूर्व मध्य	3	0	4	3
04.	उत्तर	16	15	10	0
05.	पूर्वोत्तर	7	5	8	9
06.	पूर्वोत्तर सीमा	1	2	0	1
07.	उत्तर पश्चिम	7	10	4	10
08.	दक्षिण	4	11	6	5
09.	दक्षिण मध्य	6	5	4	2
10.	दक्षिण पूर्व	1	0	5	0
11.	पश्चिम	3	9	5	8
12.	पूर्व तट	3	3	4	4
13.	दक्षिण पश्चिम	7	4	8	1
14.	पश्चिम मध्य	3	1	3	2
15.	उत्तर मध्य	1	3	1	2
16.	दक्षिण पूर्व मध्य	1	3	2	3
	कुल जोड़	65	72	65	51

(घ) क्षेत्रीय रेलों द्वारा बिना चौकीदार वाले समपारों पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) बिना चौकीदार वाले समपारों से गुजरते वक्त संरक्षा

आचरणों का पालन करने के लिए सड़क उपयोगकर्त्ताओं को शिक्षित करने के लिए नियमित रूप से जन चेतना कार्यक्रम तथा प्रचार अभियान चलाए जाते हैं। सिविल प्राधिकारियों को शामिल करते हुए संयुक्त औचक जांचें की जाती हैं।

(ii) समपार से होकर गुजरने वाले सड़क वाहन उपयोगकर्त्ताओं के संरक्षित संचलन के लिए रेलवे रेलपथों के नजदीक के समपारों की सतह में सुधार लाना, सही ढाल सहित पहुंच मार्ग बनाना तथा सड़क से आने वाले वाहन को सचेत करने के लिए अंग्रेजी, हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषा में "स्टॉप" बोर्डों सहित पहुंच मार्गों पर उचित सड़क सूचक बोर्डों की व्यवस्था करना।

(iii) समपार गेटों के पहुंच मार्गों पर मानकों के अनुसार गति अवरोधक/गड़गड़ाहट पट्टी की व्यवस्था करना।

(iv) रात्रि समय के दौरान बेहतर दृष्टिसीमा के लिए पहुंच मार्गों पर बेहतर गुणवत्ता वाले रेट्रो-रिफलेक्ट सड़क सूचक बोर्डों की व्यवस्था करना।

(v) वे समपार जिन्होंने चौकीदार की तैनाती के लिए निर्धारित किए गए यातायात की मात्रा के मानदंडों को प्राप्त कर लिया है उन पर धीरे-धीरे चौकीदार की तैनाती की जा रही है। चालू रेलवे बजट 2008-09 में चौकीदार की तैनाती के लिए निर्धारित मापदंडों में संशोधन किया गया है, ताकि काफी बड़ी संख्या में बिना चौकीदार वाले समपारों को शामिल किया जा सके।

(vi) समपारों की संख्या को कम करने के लिए एक विशेष उपाए के रूप में क्षेत्रीय रेलों को 50 लाख रुपये तक की लागत वाले "सीमित उपयोग के सब-वे" तथा दोहरी लाइन पर 1.5 करोड़ रुपये तक की लागत वाले सामान्य ऊंचाई के सब-वे तथा एकहरी लाइन पर 1.25 करोड़ रुपये तक की लागत वाले सामान्य ऊंचाई के सब-वे पर, जहां कही भी तकनीकी रूप से संभव हो, विचार करने तथा मंजूरी देने के लिए अधिकार दे दिए गए हैं।

उठाए गए इन कदमों के सार्थक होने का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि सड़क और रेल यातायात दोनों में महत्वपूर्ण वृद्धि होने के बावजूद, दुर्घटनाओं में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। भारतीय रेल में इस समय ऐसे 547 स्थानों की पहचान की गई है, जिन्हें "सीमित ऊंचाई के सब-वे" के द्वारा बदला जाना है।

(vii) ऐसे समपार, जहां सड़क यातायात कम है तथा उसके नजदीक कोई समपार है, वहां पहुंच मार्ग/लिंक सड़क की व्यवस्था करके सड़क यातायात को दोनों में से किसी एक समपार पर डायवर्ट करके बिना चौकीदार वाले मौजूदा समपार को बंद करना, जहां दो या दो से अधिक समपार निकटतम दूरी पर (एक किमी. की दूरी के भीतर) स्थित हों वहां किसी एक समपार को बंद करना। राज्य सरकारों के साथ निकट समन्वय स्थापित करके पहचाने गए समपारों को बंद करने के प्रयास जारी हैं।

[अनुवाद]

जन औषधि जेनरिक दवा की दुकानें खोलना

298. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को देश के सभी नागरिकों को सस्ती दर पर अच्छी दवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए जन औषधि जेनरिक दवा की दुकानें खोलने का निर्देश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) औषध निर्माण विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रीय केन्द्रीय फार्मा उपक्रमों (सी.पी.एस.यूज) के सहयोग से वाजिब मूल्यों पर ब्रांड रहित अच्छी जेनरिक दवाओं की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए जेनरिक औषधि अभियान शुरू किया है। राज्य सरकारों का प्रत्युत्तर उत्साहवर्द्धक है।

सिविल अस्पताल, अमृतसर (पंजाब) और शास्त्री भवन, नई दिल्ली में जन औषधि जेनरिक ड्रग स्टोर्स खोले जा चुके हैं।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में विज्ञापन

299. श्री राकेश सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलगाड़ियों में विज्ञापनों के माध्यम से राजस्व अर्जित करने के लिए लागू योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे विशेषत: पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर द्वारा इस योजना के अंतर्गत अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने उक्त योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) गाड़ियों के आंतरिक और बाहरी हिस्से पर वाणिज्यिक विज्ञापन की विभिन्न योजनाएं जैसे विज्ञापन पैनलों का प्रदर्शन, सवारी डिब्बों की विनाइल रैपिंग, गाड़ियों पर विज्ञापन अधिकारों का पैकेज आदि, उपलब्ध हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 के दौरान गाड़ियों पर प्रचार सहित वाणिज्यिक प्रचार द्वारा क्रमश: 78.09 करोड़ रुपए, 100.5 करोड़ रुपए एवं 153.25 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। इनमें से पश्चिम मध्य रेलवे ने पिछले तीन वर्षों के दौरान क्रमश: 0.94 करोड़ रुपए, 1.29 करोड़ रुपए एवं 1.27 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं।

(ग) और (घ) वाणिज्यिक प्रचार के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ताकि इस स्रोत से इष्टतम आय प्राप्त हो सके एवं नई योजनाओं को भी परखा जा सके। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

घरेलू एयरलाइनों की उड़ान समय-सारणी

300. श्री एम. अप्पादुरई: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी घरेलू एयरलाइंस अपनी उड़ानों के प्रस्थान समय का सही तरह से अनुपालन नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी सेवाओं को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) प्रस्थान समय का सही तरह से अनुपालन करने के हर संभव प्रयास किये जाते हैं। तथापि, कुछ ऐसे कारणों से, जिनमें से कुछ एयरलाइनों के नियंत्रण में हैं तो कुछ एयरलाइनों के नियंत्रण से बाहर हैं, किसी भी एयरलाइन के प्रस्थान समय में देरी हो जाती है। पिछले दिनों मौसम तथा एयरपोर्ट पर संकुलन के कारण ये विलम्ब हुए हैं तथा जिससे आगे की सभी उड़ानों में लगातार देरी होती चली गई है।

ऐसे विलंबों को नियंत्रित करने के लिए एयरलाइनों के लिए अधिकाधिक विमानों का आर्डर करने के अतिरिक्त, ब्लॉक टाइमिंग में संशोधन, मार्गों की निरन्तर समीक्षा तथा कर्मी दल की तैनाती जैसे अनेक उपाय किए गए हैं जिनका परिणाम धीरे-धीरे सामने आ रहा है।

पेट्रोलियम उत्पादों पर राजसहायता

301. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कतिपय सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को उनकी वित्तीय स्थिति तथा नवरत्न के दर्जे की कीमत पर उन पर बोझ डालने के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पादों पर राजसहायता को तर्कपूर्ण बनाने की योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने पर उपभोक्ताओं पर कम बोझ डाल कर तेल मूल्यन प्रणाली को संतुलित करने की योजना बनायी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) सरकार ने अधिसूचित पी.डी.एस. मिट्टी तेल तथा घरेलू एल.पी.जी. राजसहायता योजना, 2002 के तहत पी.डी.एस. मिट्टी तेल तथा घरेलू एल.पी.जी. पर राजसहायता प्रदान कर रही है। सरकार ने यह निर्णय

लिया था कि 31-3-2010 तक वर्ष 2002-03 की राजसहायता दर के एक-तिहाई स्तर पर इस राजसहायता को प्रदान किया जाएगा। पी.डी.एस. मिट्टी तेल तथा घरेलू एल.पी.जी. पर राजसहायता के लिए वर्ष 2008-09 के राजकोषीय बजट में 2700 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

कच्चे तेल आयातों पर भारत की निर्भरता लगभग 80% तक बढ़ गई है। तदनुसार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल मूल्य, देश में पेट्रोलियम उत्पादों के लागत मूल्यों पर सीधा प्रभाव डालते हैं। तेल मूल्यों में हुई भारी वृद्धि के संपूर्ण प्रभाव को उपभोक्ताओं पर डालने से घरेलू मूल्यों में भारी वृद्धि होगी व मुद्रास्फीति की स्थितियां बढ़ेंगी तथा अर्थव्यवस्था की विकास की गति कमजोर होगी, सरकार एक साम्य भार बांट व्यवस्था को अपना रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पणधारकों, नामतः सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां तथा उपभोक्ताओं पर निम्नलिखित ढंग से भार वहन किया जाए:-

- सार्वजनिक क्षेत्र की ओ.एम.सीज को उनकी अल्प वसूलियों के लिए आंशिक भरपाई के लिए सरकार द्वारा तेल बांड जारी करना,
- सार्वजनिक क्षेत्र की अपस्ट्रीम तेल कंपनियों को कच्चे तेल पेट्रोलियम उत्पादों पर मूल्य रियायत देकर उनके भार का एक हिस्सा बांटना,
- डाऊनस्ट्रीम तेल कंपनियों द्वारा भार के एक भाग को वहन करना, तथा
- उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम मूल्य वृद्धि।

साम्य भार बांट व्यवस्था चार संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को नियंत्रित रखने में सरकार को सक्षम बनाते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की ओ.एम.सीज की वित्तीय स्थिति सुनिश्चित करती है ताकि यह देखा जा सके कि अनिवार्य ईंधनों के आम आदमी की पहुंच में रहे।

एडाप्ट अ मान्यूमेन्ट स्कीम

302. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में 'एडाप्ट अ मान्यूमेंट स्कीम' के अंतर्गत निजी क्षेत्रों को जीर्णोद्धार तथा अनुरक्षण हेतु विरासत स्थल सौंपे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह योजना कितनी सफल रही है;

(ग) क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत और अधिक पुरातात्विक भवनों को शामिल करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राजमार्गों पर सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के खुदरा बिक्री केन्द्र

303. श्रीमती जयाप्रदा: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्य राजमार्गों पर सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के खुदरा बिक्री केन्द्र अपने पेट्रोल पंपों के सामने फ्लाई ओवर के निर्माण के कारण पहुंच मार्ग बंद होने इत्यादि की वजह से अव्यवहार्य/अलाभकारी हो गये हैं/अथवा होने जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार/तेल निगम ने ऐसे डीलरों के पुनर्वास के लिए कुछ कार्यक्रम बनाया है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक आवश्यक निर्देश/नीतियां जारी की जाएंगी और कदम उठाए जाएंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्य राजमार्गों पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) अर्थात् इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.) तथा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.) के सतहत्तर (77) खुदरा बिक्री केन्द्र (आर.ओज), इन बिक्री केन्द्रों के सामने फ्लाईओवरों के निर्माण, जिसके कारण इनके पहुंच मार्ग आदि बंद हो गए हैं, अव्यवहार्य/अलाभप्रद हो गए हैं।

(ख) ऊपर उल्लिखित कारणों से अव्यवहार्य और प्रभावित डीलरशिप का पुनर्स्थापन विद्यमान नीति के अनुसार इन खुदरा बिक्री केन्द्रों का स्थान परिवर्तन करके किया जाता है।

(ग) इस प्रकार के मामलों पर कार्रवाई करने के लिए स्थान परिवर्तन की नीति पहले ही विद्यमान है। तथापि, नये स्थलों पर इन खुदरा बिक्री केन्द्रों को चालू करना, उसी राज्य में और उसी श्रेणी के बाजार में उपयुक्त भूमि को अभिज्ञात और अधिग्रहण करने तथा विभिन्न सांविधिक प्राधिकारियों से विभिन्न प्रकार के अनुमोदन प्राप्त करने पर निर्भर होता है।

नदी संबंधी पर्यटन

304. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नदी संबंधी पर्यटन से जुड़ी परियोजनाओं हेतु पश्चिम बंगाल सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान किसी नदी संबंधी पर्यटन को स्वीकृति दी है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान मंत्रालय द्वारा इन परियोजनाओं के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) नदी संबंधी पर्यटन सहित, पर्यटन का विकास एवं संवर्धन मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा स्वयं किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय गंतव्यों एवं परिपथों हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास की योजना के अंतर्गत परियोजना प्रस्तावों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर, केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 2008-09 में पश्चिम बंगाल में गंगा हेरिटेज रिवर क्रूज के विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय ने 1021.18 लाख रुपए जारी करने के साथ 2042.35 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है।

हिमाचल प्रदेश में रेल नेटवर्क का विस्तार

305. प्रो. एम. रामदास: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में रेल नेटवर्क के विस्तार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का पठानकोट-जोगेन्द्रनगर रेल लाइन का आमान परिवर्तन करने तथा बिलासपुर तथा सलपद रेल लाइन से बरास्ता मंडी-सुन्दरनगर से जोड़ने और चंडीगढ़-अंबाला रेल लाइन को बरास्ता सजनपुर माता ज्वालाजी तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर कब तक परिचालन आरंभ होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) और (ग) भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी, चंडीगढ़-बद्दी तथा नंगल डेम-तलवाडा नई रेलवे लाइन परियोजनाएं पहले ही शुरू कर दी गई हैं। बिलासपुर से लेह (कुल्लू, मनाली तथा सुरेन्द्रनगर के रास्ते) जोगिन्दर नगर से मंडी तक नई बड़ी लाइन के निर्माण संबंधी सर्वेक्षण तथा पठानकोट-जोगिन्दर नगर के आमान परिवर्तन के लिए अद्यतन सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। चंडीगढ़-अंबाला रेल लिंक का ज्वाला जी तक विस्तार करने के बारे में इस समय विचार नहीं किया जा रहा है।

(घ) भाग (ख) और (ग) में उल्लिखित सर्वेक्षणों को 2009-10 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

कोचीन हाई में तेल अन्वेषण

306. श्री पी.सी. थामस: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोचीन हाई में कोई वेधन/अन्वेषण कार्य हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे वेधन/अन्वेषण परियोजनाओं की स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) जी हां। उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी.एस.सी.) व्यवस्था के तहत केरल-कोंकण अपतट एवं गहरे समुद्री क्षेत्रों (कोच्चि हाई) में 19 अन्वेषण ब्लाक संविदा में दिए गए हैं। इनमें से दो ब्लाकों का त्याग कर दिया गया है।

दिनांक 30-9-2008 की स्थिति के अनुसार इन ब्लाकों में कुल 39081 लाइन किलोमीटर (एल.के.एम.) के द्विआयामी भूकंपीय आंकड़े एवं 9241 वर्ग किलोमीटर के त्रिआयामी भूकंपीय आंकड़े अर्जित किए गए हैं। 5 अन्वेषणात्मक कूपों का वेधन किया गया है। इन ब्लाकों में अभी तक कोई खोज नहीं की गई है।

बिना चौकीदार वाले समपार

307. डा. के.एस. मनोज:
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री सुभाष महरिया:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तिथि के अनुसार बिना चौकीदार वाले रेल समपारों की संख्या कितनी है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक जोन विशेषत: दक्षिण रेल के तिरूवनन्तपुरम जोन में बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार तैनात करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) 01-01-2009 को भारतीय रेल प्रणाली पर 17,578 बिना चौकीदार वाले समपार (इसमें केनाल क्रासिंग और 'डी' श्रेणी के मवेशी पारण शामिल नहीं हैं)। इनमें से 1,235 बिना चौकीदार वाले समपार दक्षिण रेलवे में हैं।

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान दक्षिण रेलवे पर 92 बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार तैनात किए हैं:

वर्ष	दक्षिण रेलवे पर बिना चौकीदार वाले समपारों की संख्या, जहां चौकीदार तैनात किए गए	तिरुवनंतपुरम मंडल पर बिना चौकीदार वाले समपारों की संख्या, जहां चौकीदार तैनात किए गए
2006-07	49	15
2007-08	21	04
2008-09	22	05

विश्व विरासत स्थल

308. श्री एस. अजय कुमार: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व विरासत स्थल के रूप में वर्ष 2011 के लिए यूनेस्को की अनुमानित सूची में शामिल करने हेतु सरकार द्वारा प्रस्तावित स्थलों के नाम क्या हैं;

(ख) यूनेस्को द्वारा वर्ष 2010 के लिए विश्व विरासत की अपनी सूची में शामिल करने के लिए स्वीकृत स्थलों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या यूनेस्को की सूची हेतु विरासत स्थलों के नामांकन के लिए हाल ही में केरल सहित विभिन्न राज्यों में सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) वर्ष 2011 में विश्व विरासत स्थल के रूप में विचार करने के लिए यूनेस्को की अनंतिम सूची में शामिल करने के लिए इस समय प्रस्तावित स्थल हैं : नालंदा (बिहार), कांगड़ा वैली रेलवे (हिमाचल), ओकग्रोव स्कूल (उत्तराखंड), चर्चगेट बिल्डिंग (महाराष्ट्र), महाराजा रेलवे ऑफ इण्डिया (मध्य प्रदेश)।

(ख) तीन स्थलों नामत: जन्तर मन्तर, जयपुर; मैथेरन लाइट रेलवे (सांस्कृतिक वर्ग में) और पश्चिमी घाटों के उप-समूहों (प्राकृतिक वर्ग में) के नामांकन डोजियर यूनेस्को को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। यूनेस्को द्वारा इनमें से दो को स्वीकार किए जाने की संभावना है।

(ग) प्राकृतिक वर्ग के अन्तर्गत यूनेस्को को प्रस्तावित पश्चिमी घाटों के सात उप-समूहों में से 5 केरल में हैं।

(घ) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

विश्व प्राकृतिक विरासत के रूप में शामिल करने हेतु प्रस्तावित
केरल में फैले पश्चिमी घाटों के उप-समूह

क्र.सं.	उप समूह	स्थल का मूल नाम
1.	अगस्त्यमलाई	(i) शेंदुरनी वन्य-जीव अभ्यारण्य

		(ii)	नेय्यर वन्य-जीव अभ्यारण्य
		(iii)	पेप्पारा वन्य-जीव अभ्यारण्य
		(iv)	कुलातुपुजहा रेंज
		(v)	पलोडे रेंज
2.	पेरियार	(i)	पेरियार टाइगर रिजर्व
		(ii)	रन्नी वन प्रभाग
		(iii)	कोन्नी वन प्रभाग
		(iv)	अचनकोविन वन प्रभाग
3.	अन्नामलाई	(i)	ऐराविकुकलम राष्ट्रीय उद्यान
		(ii)	करियां शोला राष्ट्रीय उद्यान
		(iii)	मानकुलम रेंज
		(iv)	चिन्नार वन्य-जीव अभ्यारण्य
		(v)	मन्नावान शोला
4.	नीलगिरी	(i)	साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान
		(ii)	न्यू अमरमबलम रिजर्वड् फारेस्ट
		(iii)	कालीकावा रेंज
		(iv)	अट्टापडी रिजर्वड् फारेस्ट
5.	तालकॉवेरी	(i)	एरालम वन्य-जीव अभ्यारण्य

[हिन्दी]

तेल शोधन कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ

309. **श्री सूरज सिंह:**

डा. चिन्ता मोहन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में तेल शोधन कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2008-09 के पहले नौ महीने दिसंबर, 2008 तक निवल लाभ अर्जित किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र की शोधनशालाओं द्वारा प्रति बैरल कितना निवल लाभ अर्जित किया गया;

(ग) उक्त अवधि में इन सरकारी क्षेत्र की शोधनशालाओं द्वारा कुल कितनी मात्रा में तेल शोधन किया गया है; और

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन कच्चे तेल की कंपनियों द्वारा स्थापित क्षमता के मुकाबले कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी नहीं। अप्रैल-दिसंबर, 2008 के लिए अपने तरह की अकेली रिफाइनरियों का करोपरांत लाभ निम्नानुसार है:-

(रु. करोड़)

चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.पी.सी.एल.)	(669)
बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (बी.आर.पी.एल.)	(215)
मेंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एम.आर.पी.एल.)	585
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एन.आर.एल.)	14

(टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े हानियां दर्शाते हैं)

एकीकृत सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों के लिए उनकी रिफाइनरियों के लिए अलग से लाभ प्रकाशित नहीं किए जाते हैं। अप्रैल-दिसंबर, 2008 के लिए करोपरांत हानि के कंपनी-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(रु. करोड़)

इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.)	(3673)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.)	(2892)
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.)	(4529)
कुल	**(11094)**

(टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े हानियां दर्शाते हैं)

(ख) अप्रैल-दिसंबर, 2008 की अवधि के लिए तेल कंपनियों के सकल परिशोधन लाभ (जी.आर.एम.) निम्नानुसार हैं:

(अमेरिकी डालर/बी.बी.एल.)

आई.ओ.सी. की रिफाइनरियां	3.37
एच.पी.सी.-मुंबई	2.81
एच.पी.सी.-विशाख	1.02
बी.पी.सी.-मुंबई	4.25
बी.पी.सी.-कोच्चि	6.91
सी.पी.सी.एल.	(0.79)
एम.आर.पी.एल.	4.77
एन.आर.एल.	4.14

(टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े हानियां दर्शाते हैं)

(ग) और (घ) अप्रैल-दिसंबर, 2008 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों की संस्थापित शोधन क्षमता की मात्रा, शोधित कच्चे तेल की मात्रा एवं पेट्रोलियम उत्पादों का वास्तविक उत्पादन क्रमशः 105.47 एम.एम.टी.पी.ए., 83.52 एम.एम.टी. एवं 77.8 एम.एम.टी. है।

डोक्वा हाल्ट पर रेल समपार

310. श्री राम सिंह कस्वां: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार सादुलपुर-चुरू जंक्शन (उत्तर-पश्चिम रेलवे) के बीच डोक्वा हाल्ट के निकट एक समपार बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की स्थिति क्या है तथा इस परियोजना पर कब तक कार्य शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. आर. वेलु): (क) जी नहीं। बहरहाल, राज्य सरकार ने सादुलपुर-चुरू खंड पर डोक्वा-हदियाल स्टेशनों के बीच 238/9-10 किमी. पर समपार की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया है।

(ख) इस समपार के निर्माण की आरंगिक लागत और आवर्ती अनुरक्षण तथा परिचालन प्रभारों की एकबारगी पूंजीगत लागत वहन करने की सहमति देते हेतु राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर इस मामले में कार्रवाई की जाएगी बशर्ते रेल संरक्षा आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

[अनुवाद]

अहमदाबाद रेलवे स्टेशन

311. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अहमदाबाद (कालूपुर) रेलवे स्टेशन यात्री और वाहनों के यातायात की दृष्टि से व्यस्तम जंक्शन हो गया है;

(ख) यात्री और वाहन के प्रवेश को कालूपुर रेलवे स्टेशन पर कम करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या रेलवे का कालूपुर रेलवे स्टेशन पर भी यात्री और वाहनों के भारी यातायात को कम करने के लिए सिकंदराबाद/बड़ौदा तथा हजरत निजामुद्दीन की तरह साबरमती रेलवे स्टेशन को यात्री और माल गाड़ियों के लिए टर्मिनल स्टेशन के रूप में विकिसत करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) अहमदाबाद स्टेशन (कालूपुर) पर चालू वर्ष (अप्रैल, 08-जनवरी, 09) के लिए यात्री यातायात में 3.5% तक वृद्धि हुई है।

(ख) (i) अहादाबाद स्टेशन की विश्व स्तर के स्टेशन के रूप में विकास के लिए पहचान की गई है।

(ii) बढ़ते हुए वाहन यातायात को संभालने के लिए पार्किंग सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। अहमदाबाद में यात्री/वाहन यातायात को कम करने के लिए मणिनगर तथा साबरमती अर्थात् अहमदाबाद के समीपवर्ती स्टेशनों पर अधिकांश मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों को ठहराव दिए गए हैं।

(iii) मीटर लाइन के प्लेटफार्म नं. 9 एवं 10 के अपग्रेडेड बड़ी लाइन के प्लेटफार्म में आमान परिवर्तन का कार्य प्रारंभिक निर्माण कार्यक्रम 2007-08 में पहले से स्वीकृत है।

(ग) और (घ) अहमदाबाद के लिए वैकल्पिक माल टर्मिनल के रूप में साबरमती स्टेशन को विकसित कर दिया गया है तथा बढ़ते हुए यात्री यातायात को संभालने के लिए मौजूदा मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटकों का आगमन

312. डा. टोकचोम मैन्या: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की संख्या पिछले कुछ महीनों में कई गुणा बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मंत्रालय द्वारा इस प्रोत्साहक रूझान को बनाए रखने के लिए किन उपायों पर विचार किया गया है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) उत्तर पूर्वी क्षेत्र की राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2008 में पर्यटन आगमन के नवीनतम आंकड़े और 2007 हेतु तदनुरूपी आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

राज्य	वर्ष की अवधि	पर्यटक आगमन	
		2007	2008
1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	जनवरी-अक्तूबर	50307	51107
असम	जनवरी-अक्तूबर	3003983	3150179
मणिपुर	जनवरी-दिसम्बर	101880	112505
मेघालय	जनवरी-जून	208166	252546
मिजोरम	जनवरी-दिसम्बर	43830	56826

1	2	3	4
सिक्किम	जनवरी-मई	182857	209054
त्रिपुरा	जनवरी-दिसम्बर	247976	249015

नागालैंड के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) पर्यटन का विकास एवं संवर्धन मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा पेश किये गये उन सभी परियोजना प्रस्तावों को, जो योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण हों, निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2007-08 के दौरान, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 86 पर्यटन परियोजनाओं के लिए 174.69 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई।

एलॉए इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर का पुनरूद्धार

313. श्री सुनील खां: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव एलॉए इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर का पुनरूद्धार एक तैयार इकाई के रूप में करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर जितिन प्रसाद): (क) और (ख) सेल की आधुनिकीकरण तथा विस्तार योजना के तहत अलॉय स्टील प्लांट (ए.एस.पी.), दुर्गापुर में विभिन्न आधुनिकीकरण योजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें निम्नलिखित योजनाओं की स्थापना शामिल है:-

- बिल्ड ओन आपरेट (बी.ओ.ओ.) के आधार पर 100 टन वार्षिक (टी.पी.ए.) क्षमता का ऑक्सीजन संयंत्र।
- 1x60 टी रिफाईनिंग कनवर्टर (ए.ओ.डी.)।
- इलैक्ट्रिक आर्क फार्नेस संख्या-4 का प्रतिस्थापन।

ये ईकाईयां चालू कर दी गई हैं तथा इनका स्थिरीकरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, उत्पादन सुविधाओं को सुदृढ़ करने तथा अलॉय स्टील प्लांट के निष्पादन में सुधार करने के लिए अन्य योजनाओं की भी परिकल्पना की गई है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों को वी.आर.एस.

314. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

श्रीमती निवेदिता माने:

श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) का विचार अपने कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार ने मजदूर संघों से परामर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो उनके द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) के बोर्ड ने आई.जी.आई. हवाईअड्डा, दिल्ली तथा सी.एस.आई. हवाईअड्डा, मुम्बई के कर्मचारियों के लिए 'सैद्धांतिक रूप से' भा.वि.प्रा. की प्रस्तावित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये कर्मचारी प्रचालन सहायता अवधि की समाप्ति के उपरांत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में वापस आ जाएंगे तथा जिन्हें बाद में अन्य हवाईअड्डों पर फिर से तैनात किया जाना होगा। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का आंशिक वित्तपोषण दिल्ली तथा मुम्बई हवाईअड्डों पर प्रचालन करने वाली संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा किया जाएगा।

(ग) और (घ) यूनियनों से प्रचालन सहायता अवधि की समाप्ति के उपरांत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में वापस

आने वाले कर्मचारियों की लाभप्रद पुन:तैनाती के बारे में अपने सुझाव देने के लिए कहा गया था। बहरहाल, इस संबंध में कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकृति प्रदान कर दी है।

[हिन्दी]

उज्जैन से झालावाड़-रामगंज मंडी तक रेल पटरियां बिछाना

315. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने पश्चिम रेलवे मंडल, रतलाम के अंतर्गत उज्जैन से झालावाड़-रामगंज मंडी वाया आगार, सुनेर तक रेल-पटरियां बिछाने के लिए सर्वेक्षण करवाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में रेलवे द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) अगार, सुनेर के रास्ते उज्जैन से झालावाड़-रामगंज मंडी तक नई बड़ी लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण 2000-01 में पूरा कर दिया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इस 190 कि.मी. लंबी लाइन के निर्माण की लागत प्रतिफल की ऋणात्मक दर (-) 1.64% सहित 860 करोड़ रुपए आंकी गई थी। लाइन की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के कारण, नई लाइन के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।

कच्चे तेल का आयात/निर्यात

316. श्री महावीर भगोरा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा पेट्रोलियम/कच्चे तेल के आयात/निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की बढ़ती कीमतों के कारण तेल कंपनियों द्वारा उठाई गई हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में देश में कुल उत्पादित कच्चे तेल का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यूज) द्वारा पेट्रोलियम कच्चे तेल के आयात के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	मात्रा (मिलियन मीटरी टन)
2005-06	69.0
2006-07	77.5
2007-08	83.5

पूर्वोक्त अवधि के दौरान, इन पी.एस.यूज. द्वारा कच्चे तेल का कोई निर्यात नहीं किया गया।

(ख) 2005-06 से 2007-08 की अवधि के दौरान, इन चार संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) द्वारा झेली गई अल्प वसूलियां निम्नानुसार थीं:

वर्ष	अल्प वसूली (करोड़ रुपये)
2005-06	40,000
2006-07	49,387
2007-08	77,123

तथापि, चूंकि सरकार ने समान भार हिस्सेदारी व्यवस्था के जरिए इन अल्प वसूलियों की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की थी, इसलिए ओ.एम.सीज ने पूर्वोक्त अवधि के दौरान हानियों की कोई रिपोर्ट नहीं दी थी। अप्रैल-दिसंबर, 2008 की अवधि में, ओ.एम.सीज ने 11,094 करोड़ रुपये का संयुक्त घाटा उठाया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, देश में उत्पादित कुल कच्चे तेल (कंडेंसेट सहित) के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	कच्चे तेल का उत्पादन (मिलियन मीटरी टन)
2005-06	32.191
2006-07	33.98
2007-08	34.106

वाराणसी में भटनी जंक्शन से हथुआ तक रेल लाइन

317. श्री मोहन सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का पूर्व रेलवे के अंतर्गत वाराणसी मंडल में भटनी जंक्शन से हथुआ तक रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने इस रेल लाइन को अपनी स्वीकृति दे दी है;

(ग) उपरोक्त रेल लाइन की प्रस्तावित लंबाई के साथ इस परियोजना के लिए अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) उपरोक्त रेल लाइन की उत्तर प्रदेश तथा बिहार में अलग-अलग लंबाई कितनी है;

(ङ) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस उद्देश्य के लिए रेलवे को भूमि प्रदान कर दी है; और

(च) यदि हां, तो कितनी भूमि की आवश्यकता है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां, हथुआ से देवरिया सदर (84.6 किमी.) तक प्रस्तावित नई लाइन को 2005-06 के रेल बजट में शामिल किया गया था। बहरहाल, संरेखण के साथ गांववालों से अभ्यावेदनों के आधार पर हथुआ और भटनी के बीच नई लाइन के निर्माण का विनिश्चय किया गया है।

(ग) हथुआ-भटनी नई लाइन (79.74 किमी.) की स्वीकृति लागत 203.65 करोड़ रुपए है।

(घ) उत्तर प्रदेश और बिहार में हथुआ-भटनी नई लाइन की लंबाई क्रमश: 12.45 किमी. और 67.19 किमी. है।

(ङ) जी नहीं।

(च) 112.49 एकड़ भूमि की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों को प्रशिक्षण

318. श्री अनवर हुसैन: क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की असम की अल्पसंख्यक जनसंख्या के मध्य उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ई.डी.पी.) पर अल्पावधि पाठ्यक्रम आरम्भ करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर-पूर्व औद्योगिक और तकनीकी सलाहकार संगठन (एन.ई.आई.टी.सी.ओ.) ने सरकार को अपना प्रस्ताव सौंप दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में एन.ई.आई.टी.सी.ओ. की विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए सरकार की क्या कार्यात्मक योजना है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) से (घ) असम राज्य में नागांव नगर बोर्ड को वर्ष 2008-09 के लिए असम अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (ए.एम.डी.एफ.सी.) द्वारा उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई.डी.पी.) से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिए एक अल्पसंख्यक बस्ती के रूप में चयनित किया गया है। उत्तर-पूर्व औद्योगिक और तकनीकी सलाहकार संगठन (एन.ई.आई.टी.सी.ओ.) से प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने संबंधी प्रस्ताव को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एन.एम.डी.एफ.सी.) द्वारा असम स्थित इसकी अपनी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी अर्थात असम अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (ए.एम.डी.एफ.सी.) को भेज दिया गया है।

बारासत-हसनाबाद खंड पर रेल पटरी का दोहरीकरण

319. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बारास्ता-हसनाबाद खंड पर रेल पटरी के दोहरीकरण का कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की क्या स्थिति है; और

(ग) इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) इस कार्य को 2008-09 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य था लेकिन भूमि अधिग्रहण में देरी, ठेकों की विफलता और असामान्य रूप से भारी वर्षा के कारण यह कार्य 2009-10 तक जारी रह सकता है। इस परियोजना की प्रगति लगभग 50% है और इसे 2009-10 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।

अल्पसंख्यक संकेन्द्रित जिले

320. श्री अबु अयीश मंडल:

श्री प्रतीक पी. पाटील:

क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में पहचाने गये अल्पसंख्यक संकेन्द्रित जिलों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) बुनियादी सर्वेक्षण पर आधारित बहु-क्षेत्रीय जिला विकास योजना तैयार कर चुके राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) वर्ष 2008-09 के लिए 31 दिसंबर, 2008 तक उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) देशभर में अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों की पहचान की गई है।

(ख) और (घ) दिनांक 31-12-2008 तक स्वीकृत प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध करायी गई केन्द्रीय सहायता और आधारभूत सर्वेक्षण के आधार पर अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए जिन राज्यों में पहले ही बहु-क्षेत्रीय विकास योजना तैयार कर ली है, उनके ब्यौरे संलग्न विवरण-I में हैं।

(ग) योजना के उद्देश्य तथा विशेषताएं संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा सम्बद्ध अल्पसंख्यक बहुल जिलों की सूची जिनसे संबंधित बहु-क्षेत्रीय विकास योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है तथा दिनांक 31-12-2008 तक केन्द्रीय सहायता स्वीकृत कर दी गयी है

क्र.सं.	जिला	राज्य	अनुमोदित राशि (लाख रुपए)
1	2	3	4
1.	खीरी	उत्तर प्रदेश	2660.025
2.	बाराबंकी	-तदैव-	1679.290
3.	बरेली	-तदैव-	1177.570
4.	बागपत	-तदैव-	507.38
5.	बिजनौर	-तदैव-	3164.88
6.	मुजफ्फरनगर	-तदैव-	1743.46
7.	जे.पी. नगर	-तदैव-	1859.39

1	2	3	4
8.	सिद्धार्थ नगर	उत्तर प्रदेश	439.50
9.	शाहजहांपुर	-तदैव-	2015.00
10.	बुलन्दशहर	-तदैव-	1475.00
11.	रामपुर	-तदैव-	2525.00
12.	सहारनपुर	-तदैव-	2781.77
13.	बलरामपुर	-तदैव-	2857.88
	योग		**24886.15**
14.	मालदा	पश्चिम बंगाल	2100.00
15.	बीरभूमि	-तदैव-	1464.20
16.	बर्दवान	-तदैव-	2014.00
17.	मुर्शिदाबाद	-तदैव-	1387.50
18.	नादिया	-तदैव-	1419.82
19.	हावड़ा	-तदैव-	269.65
	योग		**8655.17**
20.	बेरपेटा	असम	6320.33
21.	कामरूप	-तदैव-	1039.50
22.	दारंग	-तदैव-	1093.45
23.	बोगाईगांव	-तदैव-	845.54
24.	गोलपारा	-तदैव-	46.80
	योग		**9345.62**
25.	मेवात	हरियाणा	2712.67
26.	सिरसा	-तदैव-	900.90
	योग		**3613.57**
27.	सेनापति	मणिपुर	1037.39
28.	उखरूल	-तदैव-	686.46

1	2	3	4
29.	चूराचांदपुर	मणिपुर	1492.58
30.	थौबल	-तदैव-	630.00
31.	चंदेल	-तदैव-	1518.75
32.	तमेंगलोंग	-तदैव-	658.35
	योग		**6023.53**
33.	कटिहार	बिहार	1042.39
34.	अररिया	-तदैव-	1108.17
35.	दरभंगा	-तदैव-	1199.81
	योग		**3350.37**
36.	पश्चिम गारो हिल	मेघालय	2157.67
37.	निकोबार	अंडमान व निकोबार द्वीप	229.95

विवरण-II

बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की विशेषताएं

- अल्पसंख्यक बहुल ऐसे 90 जिलों की पहचान कर बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है जो सामाजिक-आर्थिक और आधारभूत सुविधा मानदंडों की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और जहां अधिक ध्यान संकेन्द्रित करने और विशेष क्रियाकलाप की आवश्यकता है।

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और समाविष्ट विकास से संबद्ध प्राथमिकता की तर्ज पर असंतुलन को कम करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा, सफाई, पक्के मकान, पेयजल, विद्युत आपूर्ति आदि क्षेत्र में अभिनिर्धारित अपर्याप्त विकास और आधारभूत स्वास्थ्य अवसंरचना, समन्वित बाल विकास योजना केन्द्र, कौशल विकास और विपणन सुविधा जैसी आवश्यक अवसंरचना से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

- अभिनिर्धारित अपर्याप्त विकास की भरपाई केन्द्र सरकार की चालू योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए दी जा रही धन सहायता में वृद्धिकर की जा सकती है अथवा राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित उन परियोजनाओं के माध्यम से की जा सकती है, जिनका प्रबन्धन केन्द्र प्रायोजित वर्तमान योजना के द्वारा नहीं किया जाता है।

- अल्पसंख्यक बहुल जिलों को उपलब्ध करायी जा रही धन सहायता अतिरिक्त संसाधन स्वरूप होगी तथा राज्य सरकार द्वारा इन जिलों को पहले से उपलब्ध करायी जा रही धन सहायता का स्थान नहीं लेगी।

- किसी अल्पसंख्यक बहुल जिले से संबंधित जिला विकास योजना इस ढंग से तैयार की जाएगी कि ये जिले ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल योजनाओं में स्थान पा सके।

- कार्यक्रम से संबंधित ब्यौरे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.com पर उपलब्ध हैं।

राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का सम्मेलन

321. श्री ई. दयाकर राव: क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्मेलन में क्या निर्यण लिए गए;

(ग) इस संबंध में आंध्र प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के क्या विचार थे; और

(घ) इन विचारों के मद्देनजर क्या आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) जी, हां। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने 20 जनवरी, 2009 को राज्य अल्पसंख्यक आयोगों के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया था।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा सम्मेलन की कार्रवाइयों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

भोपाल एक्सप्रेस यात्री रेलगाड़ी

322. श्री टेकलाल महतो: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे स्थानीय यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए धनबाद वाया चन्द्रपुरा-ग्रोनिया चलने वाली भोपाल एक्सप्रेस यात्री रेलगाड़ी के फेरे को बढ़ाकर सप्ताह में तीन बार करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) उक्त रेलगाड़ी के फेरे को बढ़ाकर सप्ताह में तीन बार कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विमान यातायात में वृद्धि

323. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विमान यातायात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए आकलन के अनुसार आगामी तीन वर्षों में विमान यातायात में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है;

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भविष्य में बढ़ते विमान यातायात की मांग को पूरा करने हेतु अवसंरचना निर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 के दौरान, विमान आवाजाही, यात्री और मालवाही के संबंध में कुल यातायात में वार्षिक औसत वृद्धि दर क्रमश: 22.1%, 25.4% और 10.3% रही है।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लगाये गये अनुमान के अनुसार वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 तक विमान आवाजाही, यात्री और मालवाही संबंधी यातायात पूर्वानुमान के लिए क्रमश: 4.5%, 3.5% और 5.2% है।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने देश के 35 गैर महानगरीय हवाईअड्डों के स्तरोन्नयन और आधुनिकीकरण का कार्य हाथ में लिया है। इसके अतिरिक्त 13 और हवाईअड्डों पर भी स्तरोन्नयन का कार्य शुरू किया गया है। विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, डिब्रूगढ़, सिल्चर, गुवाहाटी, कुल्लू, जम्मू, कालीकट, भोपाल, खजुराहो, औरंगाबाद, गोंदिया, इन्दौर, मंगलौर, भुवनेश्वर, पांडिचेरी, अमृतसर, उदयपुर, मदुरै, त्रिची, कोयम्बटूर, अगरतला, वाराणसी, लखनऊ, देहरादून, पंतनगर, कूच बिहार में रनवे विस्तार/पुन:सुदृढ़ीकरण का कार्य शुरू किया गया है।

पोर्ट ब्लेयर, बिजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, डिब्रूगढ़, सिल्चर, गुवाहाटी, रायपुर, रांची, बडोदरा, सूरत, अहमदाबाद, गोवा, गग्गल, कुल्लू, जम्मू, श्रीनगर, त्रिवेन्द्रम, खजुराहो, भोपाल, औरंगाबाद, अकोला, बेलगाम, गोंदिया, नागपुर, इन्दौर, पुणे, इम्फाल, दीमापुर, हुबली, मंगलौर, भुवनेश्वर, पांडिचेरी, अमृतसर, उदयपुर, जयपुर, मदुरै, त्रिची, कोयम्बटूर, अगरतला,

वाराणसी, आगरा, लखनऊ, देहरादून, कूच बिहार में एप्रन विस्तार से संबंधित कार्य शुरू किए गए हैं।

विशाखापत्तनम, चंडीगढ़, रायपुर, रांची, बड़ोदरा, राजकोट, अहमदाबाद, कुल्लू, जम्मू, श्रीनगर, कालीकट, अगाती, भोपाल, खजुराहो, औरंगाबाद, गोंदिया, इन्दौर, इम्फाल, भुवनेश्वर, अमृतसर, उदयपुर, जयपुर, मदुरै, त्रिची, कोयम्बटूर, वाराणसी, देहरादून, पंतनगर, कूच बिहार में टर्मिनल भवन विस्तार और अन्य निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं।

ग्रीनफील्ड और विस्तार परियोजनाएं

324. श्री सुब्रत बोस: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी और निजी क्षेत्रों के अंतर्गत अब तक कितनी ग्रीनफील्ड और विस्तार परियोजनाएं शुरू की गयी हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान रक्षित और अयस्क खानों का परियोजनावार आबंटन कितना है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर जितिन प्रसाद): (क) इस्पात मंत्रालय देश में प्रमुख एकीकृत इस्पात परियोजनाओं के कार्यकलापों को मनिटर करता है। देश में इस्पात क्षेत्र की प्रमुख ग्रीनफील्ड और विस्तार (ब्राउनफील्ड) परियोजनाओं से संबंधित ब्रीफ नीचे दिया गया है:

I. ग्रीनफील्ड परियोजना

(अपरिष्कृत इस्पात क्षमता : मिलियन टन)

क्र. सं.	कम्पनी	परियोजना	प्रस्तावित क्षमता
i.	टाटा स्टील लिमिटेड	कलिंगानगर, उड़ीसा	6.0
		बस्तर, छत्तीसगढ़	5.5
		सरायकेला, झारखंड	12.0
ii.	एस्सार स्टील लिमिटेड	उड़ीसा	6.0
		दान्तेवाडा, छत्तीसगढ़	3.0
		चाईबासा, झारखंड	6.0
iii.	जे.एस.डब्ल्यू.स्टील लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	10.0
		निमीडीह, झारखंड	10.0
iv.	जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड	अंगुल, उड़ीसा	12.5
		पातरातू, झारखंड	6.0
v.	इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड	झारखंड	2.8
vi.	पोस्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	जगतसिंहपुर, उड़ीसा	12.00
vii.	आरसेलर मित्तल इंडिया लिमिटेड	उड़ीसा	12.00
		झारखंड	12.00
viii.	एन.एम.डी.सी. लिमिटेड	जगदलपुर	3.0

II. विस्तार परियोजनाएं:-

(अपरिष्कृत इस्पात क्षमता : मिलियन टन)

क्र. सं.	कम्पनी	परियोजना	विद्यमान क्षमता	प्रस्तावित विस्तार क्षमता
i.	स्टील ॲथारिटी ऑफ इण्डिया लि.	(i) इस्को स्टील प्लांट	0.47	2.50
		(ii) सेलम स्टील प्लांट	–	0.18
		(iii) बोकारो स्टील प्लांट	4.07	7.00
		(iv) भिलाई स्टील प्लांट	4.80	7.00
		(v) राउरकेला स्टील प्लांट	1.99	4.20
		(vi) दुर्गापुर स्टील प्लांट	1.869	3.00
ii.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	विशाखापत्तनम	2.9	6.3
iii.	टाटा स्टील लिमिटेड	जमशेदपुर	5.0	10.0
iv.	एस्सार स्टील लिमिटेड	हजीरा	4.6	8.5
v.	जे.एस.डब्ल्यू. स्टील लिमिटेड	विजयनगर	3.8	10.0
vi.	जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड	रायगढ़	3.0	6.0
vii.	इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड	डोल्वी	3.0	5.0

(ख) इस्पात मंत्रालय तथा खान मंत्रालय की वेबसाईट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात 2006-07, 2007-08 तथा 1-4-2008 के पश्चात प्रमुख इस्पात निवेशकों को किया गया लौह अयस्क खानों का आबंटन/दी गई खनिज रियायत नीचे दी गई है:

कम्पनी	लौह अयस्क खानें/खनिज रियायत
स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड	एम.एल.-छत्तीसगढ़ में 2028.797 हैक्टेयर
टाटा स्टील लिमिटेड	(i) पी.एल.-बेलाडिला निक्षेप-I (2500 हैक्टेयर), छत्तीसगढ़
	(ii) पी.एल.-अंकुआ (आर.एफ.) (1808 हैक्टर) पश्चिम सिंहभूम, झारखंड
	(iii) पी.एल.-मसेली, गढचिरोली (131.1 हैक्टेयर), महाराष्ट्र
इस्सार स्टील लिमिटेड	(i) पी.एल.-भीमबुरू एण्ड मटकमसरंग क्षेत्र (569 हैक्टेयर) पश्चिम सिंहभूम, झारखंड

कम्पनी	लौह अयस्क खानें/खनिज रियायत
	(ii) पी.एल.-2285 हैक्टेयर, छत्तीसगढ़
जे.एस.डब्ल्यू. स्टील लिमिटेड	(i) एम.एल.-अंकुआ आरक्षित वन (999.9 हैक्टेयर) पश्चिम सिंहभूम, झारखंड
	(ii) एम.एल.-200.73 हैक्टेयर कर्नाटक
	(iii) पी.एल.-1388.5 हैक्टेयर झारखंड
जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड	(i) जेरलदाबेरू आयरन ओर ब्लॉक, पश्चिम सिंहभूम, झारखंड (एम.एल. प्रतिक्षित)
इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड	(i) एम.एल.-लतुआ आर.एफ. (520 हैक्टेयर)/रेका, पश्चिम सिंहभूम, झारखंड
	(ii) पी.एल.-25 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र
आरसेलर मित्तल इंडिया लिमिटेड	(i) एम.एल.-मेघाहातावुरू (500 एकड़) पश्चिम सिंहभूम, झारखंड

[हिन्दी]

रेलवे में रिक्त आरक्षित पद

325. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) इन पदों को नहीं भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) रेलवे द्वारा इन रिक्तियों को भरे जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों की कुल संख्या 32,646 पदों सहित आज की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेलों पर लगभग 1.7 लाख रिक्त पद हैं।

(ख) आरक्षित पदों के साथ-साथ अनारक्षित पदों की रिक्तियों को भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है। भर्ती और पदोन्नति वाले ग्रेडों में पात्र पैनलबद्ध उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण कुछ पद हमेशा रिक्त रहते हैं।

(ग) समूह 'ग' की रिक्तियों को भरने के लिए रेल भर्ती बोर्डों तथा समूह 'घ' की रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती कक्षों को मांग पत्र भेज दिए गए हैं। जहां कहीं, पदोन्नति वाले रिक्त पदों को भरने के लिए पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, वहां ऐसी स्थिति में इन पदों को भर्ती वाले ग्रेडों में डायवर्ट कर दिया जाता है और खुले बाजार से सीधी भर्ती द्वारा इन पदों को भर दिया जाता है।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों में अनुपलब्ध सामग्रियां

326. डा. के. धनराजू: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास रेलगाड़ियों में यात्रियों के प्रयोग वाली सामग्रियों की अनुपलब्धता की जांच हेतु कोई निगरानी तंत्र विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने इस बात पर गौर किया है कि अनेक रेलगाड़ियों में ऐसी सामग्रियां यथा शौचालयों में पेपर रोल्स, वाटर जेट स्प्रेज गायब रहती हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) यात्रा शुरू करने से पहले, सवारी डिब्बों की गहन सफाई की जाती है और सवारी डिब्बा डिपो में अनुरक्षण के दौरान सभी आंतरिक उपस्करों और यात्री सुविधा संबंधी मदों की जांच की जाती है।

कमी-कमार गाड़ी चालन के दौरान सवारी डिब्बा फिटिंगों/यात्री सुविधा संबंधी मदों की हुई क्षति तथा चोरी को अनुरक्षण के दौरान ठीक कर दिया जाता है जो निर्धारित अनुसूची के अनुसार नियमित रूप से की जाती है।

[हिन्दी]

चंडीगढ़-बद्दी बरोटीवाला रेलवे लाइन बिछाया जाना

327. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास चंडीगढ़-बद्दी बरोटीवाला रेलवे लाइन बिछाये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है; और

(ग) उक्त कार्य को कब तक आरंभ किए जाने और पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) चंडीगढ़ से बड्डी तक नई बड़ी लाइन के निर्माण कार्य को 2007-08 के रेलवे बजट में शामिल किया गया था। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर दिया गया है और विस्तृत अनुमान का प्रस्ताव कर दिया गया है।

चालू वित्त वर्ष में इस कार्य के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। उपर्युक्त लाइन का बारोतीवाला के रास्ते नंगल तक विस्तार के संबंध में टोही इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण भी शुरू कर दिया गया है।

चंडीगढ़-बड्डी पर प्रारंभिक कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है तथा इस परियोजना को धनराशि की उपलब्धता के अध्यधीन जून, 2014 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को वित्तीय सहायता

328. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की क्षमता तथा संभाव्यता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यशालाएं, संगोष्ठियां, प्रदर्शनियों, मेले तथा अध्ययन/सर्वेक्षण आदि आयोजित करने के लिए सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों पर चालू वर्ष के दौरान, राज्य-वार उक्त कार्यक्रमों के लिए कितनी राशि जारी एवं व्यय की गई;

(ग) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में इस प्रकार के कितने कार्यक्रमों का आयोजन किया गया; और

(घ) इससे कुल कितने लोग लाभान्वित हुए?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की क्षमता और संभावनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए संवर्धनात्मक कार्यकलापों संबंधी अपनी योजना स्कीम के तहत कार्यशालाएं, सेमिनार, प्रदर्शनियां, मेले, अध्ययन/सर्वेक्षण आदि आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता देता है। सरकारी/शैक्षिक निकाय, उद्योग संघ, गैर सरकारी संगठन, सहकारिताएं आदि इस सहायता को प्राप्त करने की पात्र हैं। मंत्रालय स्वयं अथवा कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, उद्योग संघों आदि के निकट सहयोग से भी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लेता है। खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए अध्ययन दौरों के आयोजन हेतु भी सहायता दी जाती है। इनके सहभागी सरकार/खाद्य उद्योग संघों/संगठनों के प्रतिनिधि हो सकते हैं।

उक्त कार्यक्रमों के लिए गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जारी तथा व्यय की गई धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 18 अध्ययन/सर्वेक्षणों का संचालन किया गया। इनमें से 9 का संचालन उत्तर प्रदेश (2), पश्चिम बंगाल (4), असम (1), झारखण्ड (1) और गुजरात (1) में किया गया है। बाकी 9

अध्ययन विभिन्न राज्यों के विभिन्न अंचलों में संचालित किए गए हैं।

प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के सभी पणधारी जिसमें किसान, कामगार/भावी कामगार, प्रसंस्करणकर्ता, निवेशक, विषय की जानकारी रखने वाले व्यक्ति, परामर्शदाता, गैर सरकारी संगठन/उद्योग संघ के शिक्षाविद्, अंतिम प्रयोक्ता/उपभोक्ता आदि शामिल हैं, इन कार्यक्रमों के संचालन से लाभान्वित होते हैं।

विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जारी तथा व्यय की गई धनराशि (लाख रुपये)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	20.18
2.	असम	8.84
3.	बिहार	3.00
4.	चंडीगढ़	9.34
5.	दिल्ली	252.66
6.	गोवा	1.00
7.	गुजरात	8.71
8.	हरियाणा	1.00
9.	जम्मू-कश्मीर	6.38
10.	झारखण्ड	21.84
11.	कर्नाटक	4.26
12.	केरल	4.64
13.	मध्य प्रदेश	2.00
14.	महाराष्ट्र	50.67
15.	नागालैण्ड	0.27
16.	उड़ीसा	1.00
17.	पाण्डिचेरी	0.86
18.	राजस्थान	1.50
19.	तमिलनाडु	23.82
20.	त्रिपुरा	0.86
21.	उत्तर प्रदेश	25.05
22.	उत्तराखण्ड	1.22
23.	पश्चिम बंगाल	47.30

कर्नाटक में पर्यटन का विकास

329. श्री अनंत कुमार: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कर्नाटक सरकार को कुल कितनी निधियां आबंटित, संस्वीकृत और जारी की गयी हैं; और

(ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए ये निधियां आबंटित की गयी हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) कर्नाटक राज्य सहित पर्यटक अभिरूचि के स्थलों के विकास और संवर्धन की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए पर्यटक गंतव्यों/परिपथों के उत्पाद/अवसंरचना विकास, वृहत राजस्व सृजक परियोजनाओं, मेलों/उत्सवों/कार्यक्रमों एवं सूचना तकनीक परियोजनाओं हेतु प्रत्येक वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण परियोजना प्रस्तावों का पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और संबंधित वर्ष के दौरान, संबंधित शीर्ष के अंतर्गत उपलब्धता की शर्त पर निधियां जारी की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों एवं चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं

(लाख रुपए)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	योजना	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5
	वर्ष 2005-06			
1.	शिमोगा में जोग फॉल का गंतव्य विकास	परिपथ	462.52	370.00
2.	कर्णाटक में मैसूर का गंतव्य विकास	गंतव्य	353.89	266.17
3.	मंगलोर-उल्लाल-उडुपी-कोलूर-होनावर-मुर्देश्वर-कुंडापुर-गोकरना पर पर्यटन परिपथ का एकीकृत विकास	परिपथ	698.00	209.40
4.	एल.आर.जी. परियोजना के अंतर्गत कर्नाटक के चिकमंगलूर में गोल्फ क्लब का विकास	भारी राजस्व सृजक	120.00	120.00
5.	बंगलौर हब्बा 2005 समारोह	कार्यक्रम	15.00	15.00
6.	हम्पी उत्सव, 2005-06	उत्सव	5.00	5.00
7.	मेसर्स जंगल लॉजिज एण्ड रिजाट्र्स द्वारा ईको-पर्यटन हेतु आई.टी. अवसंरचना	सूचना प्रौद्योगिकी	53.29	26.64
8.	कोप्पल जिले के अन्नेगुंडी गांव में जी.ओ.आई.-यू.एन.डी.पी. अंतर्जात परियोजना	ग्रामीण पर्यटन (एस.डब्ल्यू.)	20.00	16.00
	कुल		**1727.70**	**1028.21**
	वर्ष 2006-07			
1.	वाइल्डरनेस पर्यटन परिपथ का एकीकृत विकास	परिपथ	226.88	204.20
2.	मंगलौर के नजदीक मुथियालामाडु (पार्ट वैली) का विकास	गंतव्य	293.81	235.04

1	2	3	4	5
3.	भारवाड सिटी, बारो साधनाकेरी पार्क, का सौन्दर्यीकरण	गंतव्य	308.22	246.57
4.	जोग फॉल्स में लिगनामक्की गार्डन का गंतव्य विकास	गंतव्य	494.98	396.00
	कुल		**1323.89**	**1081.81**
	वर्ष 2007-08			
1.	बीजापुर-बीदर-गुलबर्ग पर्यटक परिपथ का एकीकृत विकास	परिपथ	640.97	512.78
2.	जंगल कैम्प एवं ट्रेल्स की स्थापना-ईको पर्यटन का विकास	गंतव्य	322.21	257.76
3.	तालकावेरी, गोपीनाथम, भगवती एवं सीतानदी में इको-स्थलों का विकास	गंतव्य	380.26	304.20
4.	जिला चमराजनगर, कोलेगल में शिवनासमुद्रा - भराचुक्की का गंतव्य विकास	गंतव्य	431.85	345.48
5.	जिला मांड्या, तालुक मद्दूर, हनुमंथ नगर में ईको पर्यटन पार्क का विकास	गंतव्य	229.42	183.53
	कुल		**2004.71**	**1603.75**
	वर्ष 2008-09			
1.	बंगलुरू हब्बा-2008 समारोह मनाना	कार्यक्रम	15.00	12.00
2.	एक वृहत परियोजना के रूप में हम्पी विश्व विरासत स्थल में पर्यटन अवसंरचना का विकास	वृहत परियोजना	3283.58	1641.79
3.	जिला रामनगरा, संगमा (मेक्केदातु) में पर्यटक अवसंरचना एवं विकास कार्य	गंतव्य	474.63	379.32
4.	जिला दावनगिरि, तालुक चैन्नागिरि में शान्ति सागर झील में अवसंरचना सुविधाओं का विकास	गंतव्य	500.00	400.00
	कुल		4273.21	2433.11

सुरक्षा मानकों को पूरा करने हेतु विदेशी सहायता

330. श्री रमेश दूबे: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.जी.सी.ए. ने सुरक्षा मानदंडों को पूरा करने हेतु विदेशी सहायता मांगी है जैसा कि दिनांक 31 जनवरी, 2009 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इससे क्या लाभ होंगे तथा इस पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(ग) विदेशी सहायता मांगने के क्या कारण हैं; और

(घ) भारत में अपेक्षित प्रौद्योगिकी विकसित करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) ने अपने यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट कार्यक्रम के अंतर्गत अक्तूबर, 2006 में इकाओ द्वारा की गई संपरीक्षा के निष्कर्षों पर ध्यान देने के उद्देश्य से उड़ान संरक्षा, एयरोड्रामों तथा हवाई दिकचालन सेवाओं के क्षेत्रों में राष्ट्रीय परियोजनाएं चलाने की पेशकश की है। इन राष्ट्रीय परियोजनाओं से, सरकार द्वारा नियमित तकनीकी स्टाफ को भर्ती तथा प्रशिक्षित किये जाने तक, डी.जी.सी.ए. के विनियामक तथा संरक्षा निगरानी कार्यकलापों को निष्पादित किये जाने में डी.जी.सी.ए. की सहायता के लिए विशेषज्ञों (अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय) को नियुक्त करके डी.जी.सी.ए. की मौजूदा क्षमता में वृद्धि होगी। इकाओ की इन राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए वर्ष 2009-10 के दौरान 2 करोड़ रुपये का योजनागत परिव्यय अनुमानित है।

(ग) और (घ) इकाओ की नीति में यह निर्धारित किया गया है कि संविदाकारी देशों को सरकार द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के अंतर्गत इन खामियों को दूर करने में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इकाओ ने भारत को इन परियोजनाओं की पेशकश, इकाओ के ऑडिट द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर बाकी सुधारात्मक कार्रवाइयों को क्रियान्वित करने में सहायता देने तथा संरक्षा निगरानी कार्यकलापों को निष्पादित करने के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं मुहैया कराकर डी.जी.सी.ए. को सुदृढ़ बनाने के संबंध में है।

बोरियावी में सड़क उपरिपुल

331. श्री भरतसिंह माधवसिंह सोलंकी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास गुजरात के बोरियावी में सड़क उपरिपुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सड़क उपरिपुल के निर्माण हेतु अब तक क्या कार्यक्रम बनाया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी नहीं। बरियाई में ऊपरी सड़क पुल (आर.ओ.बी.) के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, गुजरात में वडोदरा-अहमदाबाद खंड पर 438/0-2 कि.मी. पर कंजारी बोरियावी जंक्शन स्टेशन पर समपार संख्या 264/बी के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इस ऊपरी सड़क पुल की उप-संरचना का कार्य पूरा हो गया है और समूचा कार्य मार्च, 2010 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

गरीब रथ

332. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारका से बान्द्रा तक गरीब रथ चलाने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषद्

333. श्री काशीराम राणा: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषद् द्वारा इस वर्ष की बैठक में क्या सुझाव दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सुझावों पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) से (ग) 15-12-2008 को आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन परामर्शी परिषद् (एन.टी.ए.सी.) की पिछली बैठक में वैश्विक आर्थिक मंदी और मुंबई में आतंकी हमले के परिणामस्वरूप पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु दिए गए सुझावों का संबंध, यात्रा व्यवसाय के लिए प्रोत्साहन में वृद्धि करने, बैठकों, प्रोत्साहनों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों (माइस) पर्यटन एवं देश में घरेलू यात्रा को बढ़ावा देने, मुंबई तथा देश के अन्य हिस्सों में परिचायक दौरों के लिए व्यवसाय एवं मीडिया प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने, होटल क्षेत्र के लिए एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंगस (इ.सी.बी.) हेतु प्रावधानों को आसान बनाने, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा पर्यटक पुलिस का गठन करने, राज्यों में सुगम एवं बाधा-रहित यात्रा सुनिश्चित करने, विलासिता कर, यात्री कर, पथ कर एवं अन्य राज्य कर आदि को युक्तिसंगत बनाने से है।

इसके अनुसरण में, पर्यटन मंत्रालय ने विजिट इंडिया ईयर 2009, विदेशी विपणन के लिए बाजार विकास सहायता (एम.डी.ए.) योजना को उदार बनाने, घरेलू एवं माइस पर्यटन के संवर्धन हेतु एम.डी.ए. योजना को शुरू करने और होटलों के निर्माण के लिए एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग्स (इ.सी.बी.) को मंजूरी देने जैसी विभिन्न योजनाओं की घोषणा की है, ताकि देश में पर्यटक आगमन में वृद्धि की जा सके।

विलासिता कर, यात्री एवं पथ कर सहित पर्यटन के संवर्धन एवं विकास की जिम्मेवारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित कर रहे वैश्विक आर्थिक मंदी के समक्ष पर्यटन क्षेत्र को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से इन मामलों तथा बाधा-रहित यात्रा एवं पर्यटकों की सुरक्षा एवं उनके बचाव पर भी उचित ध्यान देने के लिए 9 जनवरी, 2009 को राज्य सरकारों को पत्र लिखा है।

[अनुवाद]

उर्वरक संयंत्रों को गैस की आपूर्ति

334. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक गैस के आबंटन में उर्वरक उद्योग को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विद्यमान और प्रस्तावित उर्वरक संयंत्रों द्वारा कुल कितनी मात्रा में गैस की खपत की जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (ए.पी.एम.) गैस की आपूर्ति विद्युत क्षेत्र, न्यायालय द्वारा आदेशित ग्राहकों, परिवहन क्षेत्र तथा लघु उपभोक्ताओं के अलावा उर्वरक क्षेत्र को की जाती है। जहां तक केजी डी6 से प्राकृतिक गैस के उत्पादन का संबंध है, यह निर्णय लिया गया है कि प्रथम 40 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम.एम.एस.सी.एम.डी.) में से उच्चतम प्राथमिकता उन विद्यमान गैस आधारित यूरिया संयंत्रों को दी जाएगी जो इस समय अपनी पूरी आवश्यकता से कम गैस प्राप्त कर रहे हैं ताकि पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सके। इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया था कि उर्वरक संयंत्रों की कठिनाइयों को दूर करने तथा उनके विस्तार से 2008-09 के बाद उत्पन्न होने वाली मांग, नेफ्था आधारित तथा ईंधन तेल आधारित उर्वरक संयंत्रों के परिवर्तन तथा बंद उर्वरक संयंत्रों के पुनरूद्धार को उस स्तर पर उच्चतम प्राथमिकता दी जाएगी और उसे आगामी वर्षों के उत्पादन में से पूरा किया जाएगा।

(ग) केजी डी6 के प्रचालक अर्थात् मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा मैसर्स नाइको (एन.ई.सी.ओ.) लिमिटेड को पहले ही कह दिया गया है कि वे विद्यमान गैस आधारित यूरिया संयंत्रों की वर्तमान कमी को पूरा करने के लिए 15.330 एम.एम.एस.सी.एम.डी. प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करें। उर्वरक विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2008-09 के दौरान की आवश्यकता के अलावा, वर्ष 2011-12 के दौरान प्राकृतिक गैस की कुल अनुमानित अतिरिक्त आवश्यकता 53.07 एम.एम.एस.सी.एम.डी. है जिसमें उर्वरक संयंत्रों की कठिनाइयां दूर करने और विस्तार करने, नेफ्था आधारित तथा ईंधन तेल आधारित उर्वरक संयंत्रों के परिवर्तन, बंद उर्वरक संयंत्रों तथा आठ नये संयंत्रों को पुनः चालू करने संबंधी आवश्यकता शामिल है।

बुधाबंका स्टेशन से सुकिन्दा रोड स्टेशन के बीच रेलवे लाइन

335. श्री चन्द्र शेखर दुबे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने गत रेल बजट 2007-08 के दौरान उड़ीसा के नालको कॉम्पलेक्स के नजदीक बुधाबंका स्टेशन और कलिंग नगर के नजदीक सुकिन्दा रोड स्टेशन के बीच रेल लाइन बनाने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका क्रियान्वयन करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) अंगुल से सुकिंदा रोड (98 कि.मी) तक नई रेल लाइन बिछाने का कार्य एक स्वीकृत कार्य है। बुद्धापंक प्रस्थान बिन्दु है। इस परियोजना को रेल विकास निगम लिमिटेड विशेष प्रयोजन योजना (एस.पी.वी.) के माध्यम से क्रियान्वित करेगा। इस परियोजना की अनुमोदित लागत (विद्युतीकरण सहित) 638 करोड़ रु. है। 2008-09 के रेल बजट में इस परियोजना हेतु 60 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। पुष्टिकारक अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण का कार्य आरंभ किया गया है।

नांदेड़ एयरपोर्ट से उड़ानें बंद किया जाना

336. सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के नांदेड़ एयरपोर्ट से उड़ानों का प्रचालन बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विशेषकर हजूर साहिब गुरुद्वारा का प्रतिदिन बड़ी संख्या में दर्शन करने जाने वाले सिक्ख तीर्थयात्रियों की मांग के आलोक में उक्त एयरपोर्ट से उड़ान प्रचालन पुनः शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) एअर इंडिया ने सिक्ख तीर्थ यात्रियों को त्रिशतवार्षिकी समारोहों में शामिल होने के लिए नांदेड़ से/ के लिए यात्रा करने के लिए 29 अक्तूबर से 04 नवम्बर, 2008 की अवधि के दौरान अमृतसर-दिल्ली-नांदेड़ मार्ग पर ए-319 विमान से कुल 7 उड़ानें प्रचालित की हैं।

(ग) से (ङ) इस समय नांदेड़ के लिए नई सेवाएं शुरू करने के लिए एअर इंडिया के पास कोई अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध नहीं है।

एन.एम.डी.सी. द्वारा लौह अयस्क की आपूर्ति

337. श्री के.एस. राव: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन.एम.डी.सी.) और घरेलू इस्पात कंपनियों के बीच कितनी मात्रा में लौह अयस्क की आपूर्ति करने हेतु संविदा की गई है;

(ख) क्रेताओं द्वारा संविदा में तय मात्रा को नहीं उठाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्पादन के स्तर को बनाए रखने या भारतीय इस्पात उत्पादकों को अपने लौह अयस्क कोटा का पूर्णतः प्रयोग करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए वैकल्पिक क्रेताओं को लौह अयस्क की बिक्री करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर जितिन प्रसाद): (क) घरेलू इस्पात कम्पनियों के संबंध में संविदागत/आबंटित मात्रा तथा एन.एम.डी.सी. द्वारा इन आबंटनों के लिए की गई आपूर्तियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(मात्रा: मिलियन टन)

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08
संविदागत मात्रा	18.6	26.8	26.7
आपूर्ति की गई मात्रा	18.9	22.5	23.3

(ख) निम्नलिखित मुख्य कारणों की वजह से क्रेताओं द्वारा संविदागत मात्राओं को पूर्णतः नहीं उठाया गया है:-

(i) माओवादियों की धमकी/हमले जिसके परिणामस्वरूप खनन क्षेत्र में विद्युत उपलब्धता बाधित होने, रेलवे ट्रेकों को नुकसान होने और कन्वेयर ढांचे को नुकसान इत्यादि के कारण जबरनबन्दी की स्थिति।

(ii) रैक की अपर्याप्त उपलब्धता।

(iii) लोजिस्टिक समस्यायें।

(ग) और (घ) चालू वर्ष (2008-09) के दौरान इस्पात उद्योग में मन्दी की प्रवृति के कारण लौह अयस्क की मांग में गिरावट आने को ध्यान में रखते हुये एन.एम.डी.सी. लौह अयस्क की बिक्री हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर तथा ई-आक्सॅन (E-auction) करके नये ग्राहक बनाने के प्रयास कर रही है। एन.एम.डी.सी. कुल खरीद में सुधार करने के लिए विद्यमान दीर्घकालीन घरेलू ग्राहकों के साथ भी बातचीत कर रही है।

लक्जरी टूरिस्ट ट्रेनें

338. श्री नवीन जिन्दल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लक्जरी ट्रेन पर्यटन सुविधाओं की लोकप्रियता के कारण इनमें वृद्धि की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इन ट्रेनों में कितने यात्रियों ने यात्रा की तथा इससे कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(घ) क्या रेलवे के पास कतिपय नये मार्गों पर इन लक्जरी टूरिस्ट ट्रेनों की सेवा शुरू करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। मौजूदा पैलेस ऑन व्हील्स, डेक्कन ओ.डी.सी. और गोल्डन चैरिएट के अलावा, हाल ही में एक और लग्जरी पर्यटन गाड़ी रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स चलाई गई है।

(ग) पिछले दो पर्यटन सीजनों अर्थात् सितम्बर से अगले वर्ष अगस्त के दौरान लग्जरी पर्यटन गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या और इनके परिचालन से रेलवे के हिस्से की आमदनी का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

गाड़ी	2006-07		2007-08	
	यात्रियों की सं.	रेलवे की आमदनी (लाख रु.)	यात्रियों की सं.	रेलवे की आमदनी (लाख रु.)
पैलेस ऑन व्हील्स	3614	2003.94	3724	2102.31
हेरीटेज ऑन व्हील्स	739	45.47	1000	61.68
डेक्कन ओडीसी	813	265.68	1069	355.22
गोल्डन चैरिएट	–	–	118	149.03

(घ) और (ङ) पंजाब हैरिटेज एवं पर्यटन संवर्धन बोर्ड और भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लि. के साथ मिलकर चलाई गई लग्जरी पर्यटन गाड़ियों को अनुमोदित कर दिया गया है। इनके मार्ग/यात्राक्रम को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क

339. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोल पर प्रति लीटर

2.00 रुपये की दर से उत्पाद शुल्क लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल विपणन कंपनियों को केरोसीन और एल.पी.जी. की बिक्री में घाटा हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित उत्पाद शुल्क का आरोपण तेल विपणन कंपनियों द्वारा केरोसीन एवं एल.पी.जी. की बिक्री से होने वाली हानि का भरपाई करने हेतु किया जा रहा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) वित्त मंत्रालय ने सूचना दी है कि इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) 1 फरवरी, 2009 से लागू रिफाइनरी द्वारा मूल्यों के आधार पर, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओ.एम.सीज), पी.डी.एस. मिट्टी तेल पर 11.25 रुपये प्रति लीटर और 14.2 किलोग्राम के प्रति घरेलू एल.पी.जी. सिलिंडर पर 74.53 रुपये की अल्प वसूली झेल रही हैं।

(घ) ऊपर (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

कराड-चिपलुन के बीच नयी रेलवे लाइन

340. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य रेलवे के कराड और चिपलुन खण्ड के बीच नई रेलवे लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण कराने की घोषणा रेल बजट 2007 में की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण की स्थिति क्या है; और

(ग) प्रस्तावित रेलवे लाइन की लम्बाई तथा इस परियोजना पर आने वाली अनुमानित लागत संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां। कराड और चिपलून (90 कि.मी.) के बीच नई बड़ी लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण को वर्ष 2007-08 के रेल बजट में शामिल किया गया था।

(ख) और (ग) सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है और 30-06-2009 तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है। सर्वेक्षण कार्य पूरा होने के बाद ही प्रस्तावित लाइन की लागत का पता चलेगा।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि का दुरुपयोग

341. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उन गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) का योजना-वार और धनराशि-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कौन-कौन से गैर-सरकारी संगठन निधियों के दुरुपयोग आदि जैसी अनियमितताओं में लिप्त पाए गए हैं; और

(ग) सरकार ने उन गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) विभिन्न अनियमितताओं में कथित तौर पर लिप्त गैर-सरकारी संगठनों के मामलों की जांच की जाती है और उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। तथापि, गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, किसान महिला ग्रामोद्योग संस्थान, हरिऔध नगर, पोस्ट ऑफिस हीरापट्टी, ब्लॉक पलहानी, तहसील-सदर, आजमगढ़ को कालीसूचीबद्ध किया गया है।

विवरण

क्रम सं.	योजना	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09 (की तारीख के अनुसार)	
		गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	राशि रुपए (लाख)	गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	राशि रुपए (लाख)	गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	राशि रुपए (लाख)	गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	राशि रुपए (लाख)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना (डी.डी.आर.एस.)	93	652.90	93	600.52	83	704.54	92	486.24
2.	अन्य पिछड़े वर्गों हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना	22	55.46	24	47.96	17	40.17	2	4.68
3.	मद्यपान और नशीले पदार्थ (ड्रग) दुरुपयोग निवारण योजना	40	233.02	40	342.30	19	95.77	24	269.06
4.	वृद्ध व्यक्तियों हेतु एकीकृत कार्यक्रम योजना	30	71.4	33	96.25	17	54.34	2	7.11
5.	अनुसूचित जातियों हेतु कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	65	296.85	70	308.59	55	322.10	24	156.61

6.	सहायक साधनों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना	29	293.13	20	180.90	21	246.61	15	238.39
7.	समाज रक्षा के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान योजना *	1	12.04	1	11.96	–	शून्य	–	शून्य

*अब 1-10-2008 से मद्यपान और नशीले पदार्थ (ड्रग) दुरुपयोग निवारण और समाज रक्षा सेवाएं की केन्द्रीय सेक्टर योजना में मिलाई गई।

[अनुवाद]

बर्ड ग्रुप ऑफ कम्पनीज के लिए समिति का गठन

342. श्री बसुदेव आचार्य: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बर्ड ग्रुप ऑफ कम्पनीज (बी.जी.सी.) के पुनर्गठन/पुनर्संगठन की जांच करने के उद्देश्य से बी.जी.सी. के लिए एक समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर जितिन प्रसाद): (क) से (घ) जी हां। बर्ड ग्रुप कंपनियों (बी.जी.सी.) के बैनर तले पांचों ग्रुप कंपनियों की संभावित पुनर्संरचना/पुनर्गठन की रूप रेखा तैयार करने और बी.जी.सी. की पुनर्संरचना/पुनर्गठन की जांच करने के मद्देनजर इन बर्ड ग्रुप कंपनियों के संबंध में अन्य के साथ-साथ तकनीकी, वित्तीय, कानूनी, कार्यविधिक और अन्य पहलुओं का अध्ययन करने के लिए दिसम्बर, 2006 में डा. जे.के. बागची, पूर्व सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है, जिसकी जांच करके बी.जी.सी. को उनके संबंधित बोर्ड द्वारा मामले पर विचार एवं चर्चा किये जाने हेतु भेज दिया गया है। तत्पश्चात यह निर्णय लिया गया था कि बी.जी.सी. की पुनर्संरचना पर एक रिपोर्ट तैयार करने का कार्य पेशेवर मर्चेंट बैंक को सौंपा जाए। तदनुसार, आई.एफ.सी.आई. लि. को यह कार्य सौंपा गया जिसने अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें कंपनी को प्रस्तुत कर दी हैं। बी.जी.सी. के तहत कंपनियों के बोर्ड द्वारा आई.एफ.सी.आई. लि. की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। बर्ड ग्रुप आफ कंपनियों की पुनर्संरचना के संबंध में मंत्रिमंडल हेतु टिप्पण का प्रारूप संबंधित मंत्रालयों/विभागों को परिचालित कर दिया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों हेतु निर्धारित लक्ष्य

343. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान कतिपय केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और भारी उद्योग हेतु उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान यह लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त किया जा सका;

(ग) यदि नहीं, तो निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन सरकारी क्षेत्र उपक्रमों और भारी उद्योगों द्वारा उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ झा): (क) समझौता ज्ञापन पर केन्द्रीय सरकारी उद्यमों और सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों/धारक कम्पनियों द्वारा प्रतिवर्ष हस्ताक्षर किए जाते हैं और इनमें अन्य बातों के साथ-साथ सकल बिक्री, सकल मार्जिन, उत्पादन आदि से सम्बन्धित लक्ष्यों का उल्लेख किया जाता है।

(ख) वित्तीय वर्ष के अंत में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निष्पादन का मूल्यांकन समझौता ज्ञापन सम्बन्धी संगत लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर की जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान समझौता ज्ञापन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की श्रेणी नीचे दर्शाई गई है:-

वर्ष	श्रेणी			
	उत्कृष्ट	अति उत्तम	उत्तम	संतोषजनक
2005-06	49	32	15	06
2006-07	46	37	13	06
2007-08	55	34	15	08

(ग) निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि नहीं कर पाने के कारणों में अन्य चीजों के साथ-साथ बाजार की स्थितियां, इष्टतम से कम उत्पादकता, महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री की उपलब्धता में विलम्ब, संयंत्रगत व्यवधान आदि शामिल हो सकते हैं।

(घ) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निष्पादन की समीक्षा व निगरानी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाती है। उनके कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए यथापेक्षित उपाय प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों और केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा किए जाते हैं।

रेलवे स्टेशनों के नजदीक खुदरा बिक्री केन्द्र

344. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने रेलवे स्टेशनों के नजदीक खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलवे स्टेशनों के नजदीक भूमि की बिक्री/पट्टा आदि से अर्जित आय का आज तक का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे खुदरा बिक्री केन्द्रों में शिक्षित बेरोजगारों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु कोई योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) कृषि-फुटकर कड़ियों सहित साझीदारी के जरिए खाली रेल भूमि का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त यातायात आकर्षित करने की व्यावहारिकता विचाराधीन है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बाबूराव शेडमाके का स्मारक

345. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के चन्द्रपुर स्थित जिला जेल में बाबूराव शेडमाके स्मारक को राष्ट्रीय संस्मारक घोषित करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

'प्रेनडिसॉलॉन एसीटेट आई ड्राप्स' पर अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्यादा पैसा लेना

346. श्री उदय सिंह: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्रेनडिसॉलॉन एसीटेट आई ड्राप्स पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) से ज्यादा पैसा वसूलने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रेडनिसोलोन ऐसिटेट आई ड्राप्स पर एम.आर.पी. से अधिक मूल्य वसूल करने के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है और एन.पी.पी.ए. ने अतिप्रभार के लिए चूककर्त्ता कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

अल्पसंख्यकों के लिए उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम

347. श्री एल. राजगोपाल: क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अल्पसंख्यकों विशेषकर मुस्लिम शिल्पकारों में दक्षता और उद्यमशीलता विकास हेतु एक गहन कार्यक्रम तैयार करने तथा उसके क्रियान्वयन की निगरानी हेतु एक अंतर्मंत्रालयी समूह का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समूह ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यकों विशेषकर मुस्लिमों में दक्षता और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु क्या कार्य योजना तैयार की गयी है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम में रिक्त पद

348. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) अधिकारियों की कमी के कारण समस्या का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ग्रेड-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रिक्त पदों के बैकलॉग को भरने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी नहीं। वर्तमान में, ओ.एन.जी.सी. के पास लगभग 23,700 अधिकारियों का कार्यबल है जिसे प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त बनाया गया है। कंपनी के पास कार्यबल की सेवा निवृत्ति तथा अन्य कारकों, कारोबार, विस्तार कार्यकलापों आदि के परिणामस्वरूप उत्पन्न अंतरों के आकलन के लिए सुविनिर्दिष्ट प्रणाली है तथा वह उनका समाधान आवश्यकता के आधार पर कुशल व्यक्तियों के पुन: नियोजन तथा नई जनशक्ति को भर्ती करके करती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ओ.एन.जी.सी. में वर्तमान में खाली पदों का कोई बैकलॉग नहीं है।

(घ) और (ङ) ऊपर (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोटा में नए विमानपत्तन की स्थापना

349. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कोटा, राजस्थान में नया विमानपत्तन बनाए जाने का कोई प्रस्ताव लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नए विमानपत्तन के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि तथा अनुमानित लागत सहित अन्य निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त परियोजना की स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) इस समय, ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

फ्रेट टर्मिनल

350. श्री सुभाष महरिया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई तथा राजस्थान में फ्रेट टर्मिनलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन टर्मिनलों के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इन टर्मिनलों की जांच के लिए कोई नियमित तंत्र विद्यमान हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन टर्मिनलों पर भीड़ कम करने तथा उन्हें प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई एवं राजस्थान में मौजूदा माल यातायात टर्मिनलों का विवरण नीचे दिया गया है:-

स्थान	माल यातायात टर्मिनलों की संख्या
दिल्ली क्षेत्र	दिल्ली क्षेत्र में 11 मालभाड़ा टर्मिनल हैं। वे इस प्रकार हैं: नरेला, बादली, आदर्श नगर, शकूरबस्ती, दिल्ली किशनगंज, पटेल नगर, तुगलकाबाद, दिल्ली कैंट, बिजवासन, नागलोई तथा घेवरा।
मुम्बई क्षेत्र	मुम्बई क्षेत्र में 13 मालभाड़ा टर्मिनल हैं। वे इस प्रकार हैं: वाडी बन्दर, पैन, न्यू मुलुंड, नागोथाने, तुर्भे, रोहा, तालोजे, पंचनंद, कल्याण, कलमबोली, अंबरनाथ, कांदीवली, जोगेश्वरी तथा बसई रोड।
कोलकाता क्षेत्र	कोलकाता क्षेत्र में 11 मालभाड़ा टर्मिनल हैं। वे इस प्रकार हैं: शालीमार संकरेल, कोसीपुर, चितपुर, कोलकाता गुड्स, बालीगंज, सौदेपुर, टीटागढ़, बजबज, नया अलीपुर तथा बारासत।
चेन्नई क्षेत्र	चेन्नै क्षेत्र में 4 बड़े माल शेड तथा 13 साइडिंगों सहित 17 मालभाड़ा टर्मिनल हैं। बड़े माल शेड साल्ट कोटॉरस, रोयापुरम, कोरक्कुपेट गुड्स तथा ताम्बरम में हैं।
राजस्थान राज्य	राजस्थान में बड़ी लाइन के 91 तथा मीटर लाइन के 8 मालभाड़ा टर्मिनल हैं। उनमें से कुछेक महत्वपूर्ण टर्मिनल कोटा, रामगंज मण्डी, भवानी मण्डी, मण्डलगढ़, बूंदी, भरतपुर, हिन्डन सिटी, बरन, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, दुरै इत्यादि हैं।

रेलवे नियमित रूप से टर्मिनलों के निष्पादन पर निगरानी रखती है। यातायात के स्तर एवं भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए, अतिरिक्त सम्हलाई लाइनों इत्यादि के द्वारा क्षमता संबर्धन किया जाता है। इसके अलावा रेलवे द्वारा लदान/उतराई क्षेत्र, रोशनी सुविधा, परिचलन क्षेत्र, पहुंच मार्ग, व्यापारी एवं श्रमिक कक्षों आदि में सुधार करके माल शेड सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए उपाय किए हैं। इससे टर्मिनलों पर आवागमन में सुधार तथा भीड़भाड़ में कमी होने की आशा है। इसके अलावा, यातायात औचित्य के आधार पर, जहां-कहीं संभव हो, वैकल्पिक टर्मिनल भी खोले गए हैं।

रसोईयानों में साफ सफाई

351. श्री राकेश सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलगाड़ियों में रसोईयानों में स्वच्छता पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम-मध्य रेल मंडल जबलपुर के अन्तर्गत चलाई जा रही रेलगाड़ियों में इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) रेलगाड़ियों के रसोईयानों में साफ-सफाई रखने तथा रेलगाड़ियों में स्टैंडर्ड की खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय रेलों की पैन्ट्रीकारों को प्रबंधित करने वाले भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम ने पैन्ट्रीकारों को स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद रखने हेतु कड़े मार्गनिर्देश विनिर्दिष्ट किए हैं। यदि पैन्ट्रीकारों को अस्वास्थ्यप्रद स्थिति में जाया जाता है तो दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है।

पैन्ट्रीकारों की स्वच्छता और स्वास्थ्यप्रदता सुधारने हेतु रेलवे द्वारा निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं:-

(i) पैन्ट्रीकारों सहित सभी सवारी डिब्बों की सफाई अनुरक्षण के दौरान वार्शिंग लाइन पर की जाती है।

(ii) महीने में एक बार पैन्ट्रीकारों के सभी उपकरणों को हटाया जाता है ताकि समुचित सफाई की जा सके और आवश्यक स्वास्थ्यप्रदता स्तर बनाई रखी जा सके।

(iii) स्वच्छता और स्वास्थ्यप्रद स्थिति के संबंध में यात्रा के शुरू होने से पहले सभी पैन्ट्रीकारों सहित मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के सभी सवारी डिब्बों पर समुचित ध्यान दिया जाता है।

(iv) पैन्ट्रीकार की स्वास्थ्यप्रदता स्थिति स्वच्छता की जांच हेतु, रेलों के तैनात अधिकारी/निरीक्षकों द्वारा समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं।

मानक खाद्य मदो की बिक्री अनिवार्य है और इनको भारतीय रेलवे में सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में बेचा जाता है।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

352. श्री एम. अप्पादुरई: क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण हेतु और गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) तथा धर्मार्थ संस्थाओं को वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए विभिन्न संगठनों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इन संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों को स्वीकृत की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार के पास अब तक कितने अनुरोध लंबित पड़े है तथा विलम्ब के क्या कारण हैं?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विवरण-I के रूप में संलग्न विवरण में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं से संबंधित सूचना, विवरण-IIक और IIख में मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं से संबंधित सूचना, विवरण-III में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं से संबंधित सूचना दी गई है। वर्षभर प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं तथा सभी दृष्टि से पूर्ण प्रस्तावों पर धन की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति हेतु विचार किया जाता है।

विवरण-I

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

पिछले दो वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृत सहायता-अनुदान का सारांश

क्र. सं.	राज्य	वर्ष 2008-09 के लिए 16-02-2009 तक राज्य सरकार की अनुशंसाओं से प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत धनराशि (लाख रुपए)		
			2006-07	2007-08	2008-09 (16-02-2009 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	असम	1		13.47	
2.	आन्ध्र प्रदेश	8		32.06	19.21
3.	बिहार	3			

1	2	3	4	5	6
4.	चंडीगढ़	1			
5.	छत्तीसगढ़	1		13.11	10.44
6.	दिल्ली	4		41.28	76.34
7.	गुजरात	2			12.06
8.	हिमाचल प्रदेश	2			
9.	हरियाणा	3		1.40	2.10
10.	जम्मू-कश्मीर	–		9.20	
11.	झारखंड	1			7.50
12.	कर्नाटक	21		75.57	57.62
13.	केरल	6			10.02
14.	मध्य प्रदेश	6		12.55	13.87
15.	महाराष्ट्र	9			116.09
16.	मणिपुर	5		15.67	9.31
17.	मेघालय	1			
18.	मिजोरम	1		53.58	
19.	नागालैण्ड	1			7.02
20.	उड़ीसा	17		30.33	7.91
21.	पंजाब	1*		20.86	5.80
22.	राजस्थान	12	41.37	1,52.95	10.57
23.	त्रिपुरा	1*			8.54
24.	उत्तर प्रदेश	58		1,02.06	78.62
25.	पश्चिम बंगाल	2			76.02
	योग	167	41.37	5,74.09	5,29.04

नोट: वर्ष 2005-06 के दौरान योजना कार्यान्वित नहीं थी।

*आवेदन पिछले वर्ष प्राप्त हुए थे।

विवरण-II क

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

वर्ष 2008-09 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को सहायता-अनुदान हेतु राज्य-वार प्राप्त प्रस्तावों का सारांश

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2008-09 (सितम्बर, 2008 तक)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	25
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	14
4.	बिहार	19
5.	छत्तीसगढ़	3
6.	दिल्ली	5
7.	गोवा	1
8.	गुजरात	22
9.	हरियाणा	9
10.	जम्मू-कश्मीर	3
11.	झारखण्ड	12
12.	कर्नाटक	26
13.	केरल	34
14.	महाराष्ट्र	59
15.	मध्य प्रदेश	23
16.	मणिपुर	22
17.	मेघालय	5
18.	मिजोरम	1
19.	उड़ीसा	11
20.	राजस्थान	12
21.	तमिलनाडु	16
22.	उत्तर प्रदेश	155
23.	उत्तराखण्ड	8
24.	पश्चिम बंगाल	54
	योग	540

विवरण-II ख

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृत सहायता-अनुदान का सारांश

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत सहायता - अनुदान			
		पिछले तीन वर्षों के दौरान (2005-06, 2006-07 और 2007-08)		2008-09 के दौरान (जनवरी, 2009 तक)	
		गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	राशि (लाख रुपए)	गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	राशि (लाख रुपए)
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान व निकोबार	0.00	0.00	2.00	25.00

1	2	3	4	5	6
2.	आन्ध्र प्रदेश	6.00	120.00	12.00	205.50
3.	असम	0.00	0.00	4.00	40.00
4.	बिहार	2.00	30.00	1.00	30.00
5.	दिल्ली	2.00	6.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	12.00	145.00	6.00	100.00
7.	हरियाणा	6.00	49.00	3.00	40.00
8.	जम्मू-कश्मीर	2.00	40.00	1.00	15.00
9.	झारखण्ड	1.00	20.00	1.00	15.00
10.	कर्नाटक	9.00	120.00	10.00	195.00
11.	केरल	11.00	222.00	5.00	90.50
12.	मध्य प्रदेश	6.00	82.25	3.00	27.50
13.	महाराष्ट्र	21.00	379.50	30.00	390.20
14.	मणिपुर	2.00	25.00	2.00	15.00
15.	मेघालय	0.00	0.00	1.00	15.00
16.	नागालैण्ड	0.00	0.00	1.00	13.50
17.	राजस्थान	3.00	60.00	1.00	10.00
18.	तमिलनाडु	5.00	88.00	4.00	87.00
19.	उत्तराखण्ड	0.00	0.00	1.00	5.00
20.	उत्तर प्रदेश	56.00	532.54	36.00	409.50
	योग	144.00	1919.29	124.00	1728.70

विवरण-III

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृत वित्तीय सहायता का सारांश

क्र. सं.	राज्य	प्राप्त आवेदन				स्वीकृत धनराशि (लाख रुपए)			
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (31-01-09 तक)	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (31-01-09 तक)
1.	आन्ध्र प्रदेश	75	48	32	35	5.04	58.50	117.45	55.35
2.	अरुणाचल प्रदेश					4.50			
3.	असम	3	5	6	4			29.34	
4.	बिहार	6	3	4	5	0.50	9.00	9.00	
5.	चंडीगढ़								
6.	छत्तीसगढ़			1					
7.	दिल्ली			1	2	21.60		22.50	
8.	गुजरात			1					
9.	हरियाणा	1		2	1				9.00
10.	हिमाचल प्रदेश								
11.	जम्मू-कश्मीर		1					0.43	
12.	झारखंड	3	2	2	12		13.50	19.44	
13.	कर्नाटक	6	6	5	7				
14.	केरल	1	6	5	5				18.00

15.	मध्य प्रदेश	1			1				
16.	महाराष्ट्र	4	8	7	14				
17.	मणिपुर	5	4	1	0			1.80	1.80
18.	मेघालय		2					3.60	
19.	मिजोरम			1					
20.	नागालैण्ड	1	2						
21.	उड़ीसा	2	4	6	9	9.00		31.50	45.00
22.	पंजाब								
23.	राजस्थान	1	1	1	1	9.45		4.50	
24.	तमिलनाडु	14	21	36	25	130.50	119.70	225.00	69.30
25.	त्रिपुरा								
26.	उत्तर प्रदेश	31	17	12	6	15.30		45.00	
27.	उत्तराखंड	2	3	1					
28.	पश्चिम बंगाल	14	7	40	22	24.30	9.00	8.73	15.75
	योग	170	140	164	149	220.19	209.70	518.29	214.20

ओ.एन.जी.सी. के सीमान्त तेल क्षेत्र

353. श्री निखिल कुमार: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेल के उत्पादन/अन्वेषण को बढ़ाने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) के कई सीमान्त तेल क्षेत्रों को मोनेटाइज करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डी.जी.एच.) ने सीमान्त क्षेत्रों में तेल भण्डारों का वास्तविक मूल्यांकन करने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो सीमान्त क्षेत्रों से तेल के अन्वेषण/उत्पादन को बढ़ाने के लिए ओ.एन.जी.सी. द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) ने मुद्रीकरण करने के उद्देश्य से 165 नए और सीमांत क्षेत्रों की पहचान की है, जिनमें से ओ.एन.जी.सी. द्वारा पहले ही 43 क्षेत्रों का मुद्रीकरण किया जा चुका है। कुछ क्षेत्रों का स्वयं ओ.एन.जी.सी. द्वारा या सेवा संविदा के माध्यम से मुद्रीकरण किया जा रहा है। शेष सीमांत क्षेत्रों का आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान रखते हुए वाणिज्यिक आधार पर, ओ.एन.जी.सी. द्वारा मुद्रीकरण किया जाएगा।

(ग) और (घ) जी हां। सीमांत क्षेत्रों के विकास की कार्यनीति, इन क्षेत्रों में उपलब्ध बुनियादी सीमित हाइड्रोकार्बन भंडारों को ध्यान में रखते हुए पूर्णत: मितव्ययता पर निर्भर करती है। तथापि, ओ.एन.जी.सी. ने अपतट क्षेत्र में क्लस्टर विकास द्वारा आंतरिक प्रयास किए हैं तथा आर्थिक व्यवहार्यता प्राप्त करने के लिए जमीनी क्षेत्रों में न्यूनतम अपेक्षित सुविधाओं का प्रयोग किया है। ओ.एन.जी.सी. द्वारा कुछ क्षेत्रों का विकास सेवा संविदा के माध्यम से किया जा रहा है।

गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को गैस पाइपलाइन की नई परियोजनाएं

354. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) की आगामी तीन वर्षों में बिछाए जाने हेतु पांच नई गैस पाइपलाइन परियोजनाएं स्वीकृत की हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इन पर कितनी धनराशि खर्च होगी और इन्हें पूरा करने की समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या इस बात का आश्वासन दिया गया है कि इन परियोजनाओं के लिए गेल के लिए पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) सरकार ने गेल को दादरी-बवाना-नांगल पाइपलाइन, चैन्सा-झज्जर-हिसार पाइपलाइन, जगदीशपुर-हल्दिया पाइपलाइन, डाभोल-बंगलौर पाइपलाइन तथा कोचि कांजीरकोड-बंगलोर-मंगलौर पाइपलाइन नामक पांच नई गैस पाइपलाइनें बिछाने के लिए प्राधिकृत किया है। प्राधिकार की शर्तों के अनुसार, प्रत्येक परियोजना को पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 3(1) के अधीन संबंधित प्रथम अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशन के 36 महीनों के भीतर पूरा करना होता है।

(ख) 620 कि.मी. दादरी-बवाना-नांगल पाइपलाइन (स्पर सहित) तथा 450 कि.मी. चैन्सा-झज्जर-हिसार पाइपलाइन (स्पर सहित) की अनुमानित लागत क्रमश: 2500 करोड़ रुपए तथा 1000 करोड़ रुपए है। इन दोनों पाइपलाइनों को पूरा करने का कार्यक्रम 2009-10 (प्रथम चरण) तथा 2010-11 (द्वितीय चरण) है।

जहां तक अन्य पाइपलाइनों का संबंध है, उनकी पूर्णता अवधि गैस स्रोतों की उपलब्धता तथा ग्राहकों की मांग के अनुरूप होगी। विशेष रूप से, कोचि कांजी कोड-बंगलौर-मंगलौर पाइपलाइन की पूर्णता अवधि गैस स्रोत की उपलब्धता के अनुरूप होगी तथा पेट्रोनेट एल.एन.जी. लिमिटेड (पी.एल.एल.) की कोचि सहित आर.एल.एन.जी. टर्मिनल के 2011-12 तक पूरा होने की संभावना है। कोचि कांजीरकोड-बंगलौर-मंगलौर पाइपलाइन (862 कि.मी. मुख्य तथा 250 कि.मी. स्पर) की अनुमानित लागत लगभग 3500 करोड़ रुपए है। डाभोल-बंगलौर पाइपलाइन (730 कि.मी. मुख्य तथा 800 कि.मी. स्पर) की अनुमानित लागत 4000 करोड़ रुपए है। जगदीशपुर-हल्दिया पाइपलाइन (800 कि.मी. मुख्य तथा 1250 कि.मी. स्पर) की अनुमानित लागत लगभग 7500 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ) गेल ने आर.आई.एल., ओ.एन.जी.सी. तथा जी.एस.पी.सी. के के.जी. बेसिन क्षेत्रों और साथ ही, ओ.एन.जी.सी. के महानदी क्षेत्रों से स्वदेशी गैस की उपलब्धता पर विचार किया है। गेल ने आर.आई.एल. के के.जी.डी. 6 क्षेत्र से गैस के परिवहन के लिए आर.आई.एल. के साथ करार पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, पेट्रोनेट एल.एन.जी. लिमिटेड (पी.एल.एल.) के दहेज स्थित विद्यमान टर्मिनल तथा कोचि स्थित योजनाबद्ध टर्मिनल से और साथ ही, रत्नागिरी गैस एंड पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड (आर.जी.पी.पी.एल.) के डाभोल टर्मिनल से आर.एल.एन.जी. को भी गैस के स्रोत के रूप में माना गया है।

यात्री डिब्बों का विनिर्माण

355. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में विभिन्न रेल डिब्बा कारखानों द्वारा कारखाना-वार तथा वर्षवार कितने डिब्बों का विनिर्माण किया गया;

(ख) वर्ष 2008-09 के दौरान रेलवे में कितने नए यात्री डिब्बे शुरू किए गए;

(ग) क्या डिब्बों की भारी कमी तथा रेल डिब्बा कारखानों द्वारा अपनी पूर्ण क्षमता से डिब्बों के विनिर्माण की अक्षमता के कारण यात्री गाड़ियां शुरू नहीं की जा सकीं; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे के लिए यात्री डिब्बों की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान यात्री सवारी डिब्बों के कारखाना-वार/वर्ष-वार उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	सवारी डिब्बा कारखाना, चेन्नै	रेलवे कोच फैक्टरी कपूरथला	बी.ई.एम.एल.	जैसप्स
2005-06	1175	1263	225	21
2006-07	1251	1319	266	45
2007-08	1291	1480	310	20
2008-09*	920	1201	152	16

*दिसम्बर, 2008 तक

(ख) वर्ष 2008-09 (दिसम्बर, 2008 तक) के दौरान रेलों पर निर्मित/सेवा में लगाए गए नए यात्री सवारी डिब्बों की संख्या 2289 हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं। रेलवे नए सवारी डिब्बों का विनिर्माण करके और आंतरिक उपलब्ध संसाधन जुटाकर नई गाड़ियां चलाने में समर्थ है।

विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड का पुनरूद्धार

356. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड (वी.आई.एस.एल.) को कर्नाटक में आबंटित केमनगुन्डि लौह अयस्क खानों में प्रचालन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देश पर बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वी.आई.एस.एल. के पुनरूद्धार हेतु कर्नाटक में इसके पक्ष में रक्षित लौह अयस्क खान पट्टे पर देने के लिए सरकार से कोई अनुमति मांगी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकारी क्षेत्र के उक्त उपक्रम को बचाने के लिए

रक्षित संसाधनों से लौह अयस्क की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर जितिन प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड (वी.आई.एस.एल.) को आबंटित केमनगुन्डि स्थित लौह अयस्क खान 1923 में चालू किए जाने के बाद प्रचालनरत थी। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य के समीप स्थित यह खान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निदेश पर वर्ष 2004 में बंद कर दी गई थी।

(ग) से (ङ) वी.आई.एस.एल. ने 24-1-2007 को एन.ई.बी. रेंज, संदूर तालुक, जिला बेल्लारी (140 हैक्टेयर क्षेत्र) में खनन पट्टे के आबंटन हेतु आवेदन किया था। कर्नाटक सरकार ने खान मंत्रालय, भारत सरकार को सिफारिश की थी कि यह क्षेत्र सेल के लिए आरक्षित कर दिया जाए। राज्य सरकार की सिफारिशों के विरुद्ध कुछ आवेदकों ने भारत सरकार के पास संशोधन याचिका दायर की है। इस मामले का अंतिम निर्णय अभी प्राप्त होना है।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

357. श्री रामदास आठवले: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजी क्षेत्र में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों से सुझाव एवं अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (घ) जी हां, निजी क्षेत्र में आरक्षण हेतु विभिन्न संगठनों से सुझाव प्राप्त हुए हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उद्योग तथा अन्य संघों के साथ संवाद शुरू करने हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में समाहित वचनबद्धता की अनुक्रिया में एक मंत्रिमंडल समूह गठित किया गया था। इस समूह ने पांच बैठकें कीं और शीर्ष उद्योग संघों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श भी किया। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में अक्तूबर, 2006 में एक समन्वय समिति गठित की गई थी, जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में सकारात्मक कार्रवाई हेतु उद्योग संघों के साथ संवाद को आगे बढ़ाना था। इस समिति ने शीर्ष उद्योग संघों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया। दिनांक 11-7-2008 को हुई समन्वय समिति की तृतीय बैठक में लिए निर्णय के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की अधिक जनसंख्या वाले पिछड़े जिलों में निर्माण इकाइयां स्थापित करने हेतु उद्योगों को राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करने संबंधी मामलों के अध्ययन हेतु सितम्बर, 2008 में अधिकारियों के एक समूह का गठन किया।

[अनुवाद]

तेल विपणन कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ

358. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री सूरज सिंह:
डा. चिन्ता मोहन:
श्री थावरचन्द गेहलोत:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री विजय कृष्ण:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कच्चा तेल उत्पादक कंपनियों ने वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा वर्ष 2008-09 की पहली तीन तिमाहियों में दिसम्बर, 2008 तक लाभ अर्जित किया है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र की तेल उत्पादक कंपनियों द्वारा कंपनीवार कितना लाभ अर्जित किया गया;

(ग) क्या उपर्युक्त प्रत्येक अवधि के दौरान इन तेल कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ में बहुत अधिक अन्तर है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) जी हां। कच्चे तेल का उत्पादन करने वाली राष्ट्रीय कंपनियां अर्थात आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) और आयल इंडिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.) ने प्रश्नगत अवधियों के दौरान लाभ अर्जित किए हैं।

करोपरांत लाभ के कंपनी-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं-

(करोड़ रुपए)

	2006-07	2007-08	2008-09 अप्रैल-दिसम्बर '08 (गैर लेखा परीक्षित)
ओ.एन.जी.सी.	15,643	16,702	13,919
ओ.आई.एल.	1,639.98	1,788.93	1,858.91

कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ में अंतर का कारण कच्चे तेल की उच्चतर मूल्य वसूली, मूल्य वर्धित उत्पादन और कच्चे तेल की बिक्री की मात्रा में वृद्धि है।

विमानपत्तनों पर पक्षियों के विमानों से टकराने की घटनाएं

359. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री एस.के. खारवेनथन:
श्री निखिल कुमार:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अन्य विमानपत्तनों की तुलना में दिल्ली विमानपत्तन पर पक्षियों के विमानों से टकराने की आशंकाएं सबसे अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान हुई ऐसी घटनाओं तथा विमान कंपनियों को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पक्षियों के विमानों से टकराने की घटनाओं में वृद्धि होने के मद्देनजर हाल ही में नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) ने विभिन्न विमानपत्तनों पर पक्षियों के खतरे से रोकथाम से सम्बन्धित राष्ट्रीय समिति को बहाल करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या डी.जी.सी.ए. ने हाल ही में सभी विमानपत्तन प्रचालकों को विमानपत्तनों के आस-पास का क्षेत्र साफ-सुथरा रखना तथा पक्षियों का आकर्षित न होना सुनिश्चित करने के लिए तुरन्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं; और

(ङ) यदि हो, तो सरकार द्वारा प्रस्तावित अन्य ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विमान पक्षियों से टकराने से प्रभावित न हों?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली हवाईअड्डे पर वर्ष 2006, 2007 और 2008 के दौरान विमान से पक्षी टकराव के मामले क्रमश: 25, 30 और 67 रहे हैं। सरकार निजी एयरलाइनों को हुए नुकसान के ब्यौरे नहीं रखती है।

(ग) जी, हां। हवाईअड्डों और उसके आस-पास के क्षेत्रों में पक्षी विमान टकराव को रोकने संबंधी उपाए अपनाये जाने तथा तत्संबंधी प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए हवाईअड्डा ऑपरेटर द्वारा पक्षी नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए तथा इसमें सुधार संबंधी उपाए सुझाने के उद्देश्य से सचिव, नागर विमानन की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय पक्षी नियंत्रण समिति के गठन की योजना है।

(घ) और (ङ) जी, हां। अनुसूचित उड़ान प्रचालनों वाले सभी हवाईअड्डों पर पक्षी आकर्षित करने वाले स्रोतों का पता लगाने तथा पक्षी विमान टकराव को रोकने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों के बारे में एयरफील्ड पर्यावरण प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। पक्षी

विमान टकराव को दूर करने के लिए उठाए जाने वाले कुछ मुख्य उपय निम्न प्रकार हैं:-

(i) विमान क्षेत्र के अंदर घास को कटवाना तथा जल भराव को रोकना।

(ii) पक्षियों को डराकर भगाना।

(iii) हैंगरों की वायर मेशिंग।

(iv) ढक्कन वाले कूड़ेदानों में कूड़ा-करकट इकट्ठा करना तथा उसे जल्दी से वहां से हटाना।

(v) हवाईअड्डे के आस-पास के क्षेत्रों का नियमित संयुक्त निरीक्षण करना।

(vi) आधुनिक वधशालाओं की स्थापना करना।

सार्वजनिक स्थलों पर रेलवे साइन बोर्ड

360. श्री पी.सी. थामस: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को विभिन्न महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर रेलगाड़ियों का समय दर्शाने के लिए साइन बोर्ड लगाए जाने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) रेलवे स्टेशनों के प्रमुख स्थलों पर गाड़ियों के आगमन-प्रस्थान का समय प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा, समय सारणी, दूरभाष द्वारा पूछताछ, रेलवे की वेबसाइट आदि जैसे अन्य विभिन्न माध्यमों द्वारा भी यह सूचना उपलब्ध कराई जाती है।

ग्रामीण पर्यटन

361. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

श्री अनवर हुसैन:

श्री गिरिधारी यादव:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की भागीदारी से बड़ी संख्या में स्थलों को विकसित किया है तथा नई परियोजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण पर्यटन सृजन करने वाले विदेशी बाजारों के लिए रोड शो के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो विभिन्न देशों में वर्ष 2008-09 के दौरान अब तक कितने रोड शो आयोजित किए गए तथा इन पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (घ) गंतव्यों एवं परिपथों के उत्पाद/अवसंरचना विकास की चालू योजना के अंतर्गत पर्यटन की संभावना वाले ग्रामीण स्थलों के अवसंरचना विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार - संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) इंडोजेनस पर्यटन परियोजना और मंत्रालय के सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण योजना के माध्यम से क्षमता निर्माण के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं। अभी तक पर्यटन मंत्रालय ने 27 राज्यों में 139 ग्रामीण पर्यटन स्थलों के लिए परियोजनाओं को स्वीकृति दी है जिनमें ऐसे 36 स्थल शामिल हैं जिसका क्षमता निर्माण हेतु यू.एन.डी.पी. ने समर्थन किया है।

पर्यटन मंत्रालय, प्रासंगिक सामग्री/प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों/मेलों एवं रोड शोज में भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण पर्यटन स्थलों सहित सभी पर्यटन उत्पादों का संवर्धन एवं प्रचार करता है।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्त पद

362. श्री विजय कृष्ण: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में प्रबन्धकीय प्रमुख के पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ झा): (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार दिनांक 31-10-2009 तक केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में मुख्य कार्यपालक के 12 पद रिक्त थे। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 6 उद्यमों के मामले में लोक उद्यम चयन बोर्ड (पी.ई.एस.बी.) की अनुशंसाओं के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित है। जबकि अन्य 5 उद्यमों के मामले में पी.ई.एस.बी. ने चयन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। एक मामले में नियुक्त उम्मीदवार ने अभी पदभार ग्रहण नहीं किया है।

(ग) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में मुख्य कार्यपालकों के रिक्त पदों को भरना एक सतत प्रक्रिया है। सरकार ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनमें केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में ऐसे पदों को भरने की समय सीमा निर्धारित की गई है। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि पी.ई.एस.बी. को अपनी अनुशंसाएं पद के रिक्त होने के कम-से-कम 6 महीने पहले करनी चाहिए ताकि अन्य औपचारिकताएं पूरी जा सकें। सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों में अतिरिक्त प्रभार सौंपने के संबंध में भी दिशानिर्देश जारी किए हैं।

समपार

363. डा. के.एस. मनोज: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को दक्षिण रेलवे के त्रिवेन्द्रम मंडल के अंतर्गत शेरतल्लई रेलवे स्टेशन के समीप अंजीलिपल्लम पर नए समपार खोलने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) एर्णाकुलम-अल्लेपी-कायनकुलम खंड पर लगभग एक सौ से अधिक सम्पार हैं और एक अन्य समपार की व्यवस्था करना संरक्षा की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया है। चूंकि इस स्थान पर ऊपरी सड़क पुल (आर.ओ.बी.) की व्यवस्था करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है। अत: यदि राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण सीमित उपयोग के सब-वे की समूची लागत वहन करने के लिए सहमत हों तो निक्षेप शर्तों पर सीमित उपयोग के लिए एक सब-वे की व्यवस्था करने के बारे में विचार किया जा सकता है।

देहरादून से कोयूवेली तक नई ट्रेन

364. श्री एस. अजय कुमार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देहरादून से केरल के कोयूवेली तक नई ट्रेन जिसे जनवरी, 2009 में शुरू किया जाना था, अभी तक शुरू नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस ट्रेन के कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) रेल बजट में घोषित गाड़ियां आगामी वित्त वर्ष के दौरान चलाई जाती हैं जो चल स्टॉक की उपलब्धता और आमान परिवर्तन, नई लाइनें, गर्त लाइनें आदि जैसे अवसंरचनात्मक कार्यों के पूरा होने पर निर्भर करता है।

(ग) आगामी वित्त वर्ष अर्थात् 2009-10 के आरंभ होने से पूर्व इस गाड़ी को चलाने का प्रस्ताव है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा खाद्य पदार्थों की बर्बादी

365. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है जिससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को चुस्त-दुरुस्त बनाया जा सके ताकि खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पूरे देश में प्रत्येक वर्ष घटिया खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं के कारण होने वाली हानि की निगरानी की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) अनुमान है कि खंडित जुताई,

कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबंधों, शीतागार सुविधाओं, ढुलाई, पर्याप्त भंडारण सुविधाओं आदि जैसी फसलोत्तर पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण, फसल काटने के बाद उसकी उठाई-धराई के विभिन्न चरणों में कृषि खाद्य उपज के नुकसान का स्तर लगभग 58,000 करोड़ रुपये है। इस नुकसान से होने वाली हानि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास का संवर्धन करके, फसलोत्तर बुनियादी ढांचा विकास के सुदृढ़ीकरण तथा आपूर्ति शृंखला के अंतरालों को भरकर कम की जा सकती है। वैसे, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की वृद्धि दर जोकि वर्ष 2003-04 में 7% से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 13.14% हो गई है, में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी और वर्ष 2006-07 में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 40,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश की वजह से बर्बादी में कमी आई है और बेहतर मूल्यवर्धन हुआ है।

प्रसंस्करण के स्तर में बढ़ोतरी करने तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार संभावनाओं के दोहन के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने हेतु, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा विजन, 2015 डॉक्यूमेंट को अंतिम रूप दिया गया है जिसमें जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के प्रसंस्करण स्तर को 6% से बढ़ाकर 20%, मूल्यवर्धन को 20% से बढ़ाकर 35% और विश्व खाद्य व्यापार में अंशदान को 1.5% से बढ़ाकर 3% करते हुए प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के आकार को वर्ष 2015 तक तिगुना करने की परिकल्पना की गई है। सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के संबंध में कृषि कारोबार के संवर्धन के लिए समेकित रणनीति - विजन, रणनीति तथा कार्य योजना को भी अनुमोदित किया है।

रणनीतिक हस्तक्षेप के लिए पहचाने गए क्षेत्रों में उपयुक्त बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज समेत पहचाने गए झुंडों में मेगा खाद्य पार्कों की स्थापना, समेकित शीत शृंखला/मूल्यवर्धन और परिरक्षण संबंधी बुनियादी ढांचे का सृजन, बुनियादी ढांचा विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निजी निवेश को प्रोत्साहित करना, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रमुख संवर्धनात्मक अभियान शुरू करना, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में महत्वपूर्ण ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास के सृजन के लिए बड़े पैमाने पर जन निवेश करने की जरूरत आदि को शामिल किया गया है।

यह मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है: (i) बुनियादी ढांचा विकास संबंधी स्कीम के चार घटक हैं अर्थात मेगा खाद्य पार्क, शीत शृंखला, बूचड़खानों का आधुनिकीकरण तथा मूल्यवर्धित केंद्र। गत पांच वर्षों में 57.35 करोड़ रुपये की लागत से 15 खाद्य पार्क अनुमोदित किए गए, गत पांच वर्षों के दौरान 15.59 करोड़ रुपए की लागत से 20 शीतागार, 3 मूल्यवर्धित केंद्र, 1 पैकेजिंग केंद्र और 4 प्रदीपन सुविधाओं को सहायता दी गई और वर्ष 2008-09 में 10 शीत शृंखलाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है। मंत्रालय ने 11वीं योजना अवधि के दौरान पूरे देश में 50 बूचड़खानों के आधुनिकीकरण संबंधी व्यापक स्कीम शुरू की है। इन सभी स्कीमों से भावी अपव्यय को कम करने में मदद मिलेगी। (ii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/विस्तार के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% की दर पर जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है अथवा दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर पर जिसकी अधिकतम सीमा 75.00 लाख रुपये है सहायता-अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है, इस स्कीम के परिणामस्वरूप, सृजित की गई अतिरिक्त प्रसंस्करण क्षमता से अपव्यय में प्रत्यक्ष रूप से कमी आएगी (iii) गत पांच वर्षों के दौरान मानव संसाधन विकास संबंधी स्कीम के अंतर्गत 15 करोड़ रुपये की लागत से 56 कॉलेजों को खाद्य प्रौद्योगिकी और खाद्य विज्ञान संबंधी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सहायता दी गई, 2.63 करोड़ रुपये की लागत से 99 खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए और उन्होंने 9500 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया और अगले पांच वर्षों में 22.75 करोड़ रुपये की लागत से लगभग ऐसे 270 केंद्रों को सहायता दी जानी है जिनमें 25000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना अपेक्षित है। (iv) अनुसंधान एवं विकास संबंधी स्कीम के अंतर्गत, मुख्य उद्देश्य नोडल खाद्य मानकों की अनुपालना सुनिश्चित करना और खाद्य क्षेत्र में स्थित उद्योगों को, आई.एस.ओ. 9000, एच.ए.सी.सी.पी. आदि जैसे गुणता प्रबंधन प्रणालियों के विकास और कार्यान्वयन के लिए सहायता देना है, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों से प्राप्त नमूनों का विश्लेषण करना, इस क्षेत्र में प्रशिक्षण देना, गुणता मानकों पर सूचना उपलब्ध कराना आदि हैं। गत पांच वर्षों के दौरान 16.68 करोड़ रुपये की राशि से 40 अनुसंधान प्रस्तावों को निधियां दी गईं और अगले पांच वर्षों के दौरान 140 अनुसंधान प्रस्तावों का लक्ष्य है। गत पांच वर्षों में 39.11 करोड़ रुपये की लागत से 29 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं और अगले पांच सालों में

74 प्रयोगशालाएं स्थापित करने का लक्ष्य है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वर्ष 2008-09 को खाद्य सुरक्षा एवं गुणता वर्ष के रूप में मना रहा है और मंत्रालय की योजना विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए खाद्य सुरक्षा एवं गुणता की जानकारी सामान्य लोगों के बीच तेजी से पहुंचाने की है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं गुणता वर्ष 2008-09 का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ 11-06-2008 को विज्ञान भवन में किया गया। (v) स्ट्रीट फूड के गुणता उन्नयन संबंधी स्कीम के दो घटक अर्थात सुरक्षित खाद्य नगर और फूड स्ट्रीट 9 शहरों में अर्थात कोच्चि, लुधियाना, आगरा, रांची, नागपुर, दिल्ली, गुवाहाटी, जयपुर और पणजी में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। फूड स्ट्रीट घटक दो शहरों अर्थात, वाराणसी और तिरूपति में कार्यान्वित किया जा रहा है। सुरक्षित खाद्य नगर पूरे देश के 50 चुनिंदा शहरों में कार्यान्वित किए जाने हैं जिसका उद्देश्य 178.00 करोड़ रुपए की लागत से खाद्य संचलन, तैयार करने, भण्डारण और परोसने के बारे में स्ट्रीट फूड वेंडरों के ज्ञान, दृष्टिकोण और कार्य प्रणालियों के आधार पर उनकी विभिन्न क्षमताओं के निर्माण के लिए पहल करना है (vi) संस्थानों को सुदृढ़ करने संबंधी स्कीम के अंतर्गत, अंगूर, मांस और पॉल्ट्री प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक कार्यकलाप शुरू किए गए हैं जिनमें राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता तथा प्रबंधन संस्थान की स्थापना, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड की स्थापना, राष्ट्रीय मांस और पॉल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड की स्थापना, भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान का सुदृढ़ीकरण और राज्य नोडल एजेंसियों का सुदृढ़ीकरण घटक शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने 21-08-2006 को कुण्डली, सोनीपत, हरियाणा में भारतीय राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का अनुमोदन दे दिया है और मैसर्स राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में लगाया है और कार्य प्रगति पर है। अगले पांच वर्षों में यह संस्थान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्देश्य आर्द्र भूमि, तूफान और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, फसलों के फसलोत्तर प्रसंस्करण के क्षेत्र में मूल, अनुपयुक्त अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण का संचालन करना है। भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा गत पांच वर्षों में 30 प्रौद्योगिकियां विकसित की गईं और उनका व्यापारीकरण किया गया तथा 3 प्रौद्योगिकियों को पेटेंट किया गया। 350 करोड़ रुपये के परिव्यय से इस संस्थान का राष्ट्रीय स्तर के संगठन के रूप में उन्नयन करने संबंधी कार्य प्रगति पर है।

(ग) से (ङ) पूरे देश में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी के कारण प्रति वर्ष होने वाली हानियों के ब्यौरे केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, मंत्रालय ने उपर्युक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अपव्यय को रोकने के लिए अनेक उपायों की शुरुआत की है।

[हिन्दी]

श्रीगंगानगर-जयपुर रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन

366. श्री राम सिंह कस्वां: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास उत्तर-पश्चिम रेल की श्री गंगानगर-जयपुर रेलवे लाइन को 'ब्रॉड गेज' में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) जयपुर से श्री गंगानगर तक लगभग 500 कि.मी. के संपूर्ण मार्ग के आमान परिवर्तन को अलग-अलग परियोजनाओं के अंतर्गत परिवर्तन के लिए शुरू किया गया है जिनमें जयपुर-सीकर-चुरु, चुरु-सादुलपुर और सुरतपुरा-हनुमानगढ़-श्री गंगानगर खंडों का आमान परिवर्तन शामिल है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दवाइयों के खुदरा बिक्री केन्द्र खोलना

367. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री नन्द कुमार साय:
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चुनिंदा राज्यों में जेनरिक दवाइयों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल फार्मा पबिल्क सेक्टर अंडरटेकिंग के परामर्श से दवाइयों के खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ अब तक चिन्हित राज्यों के क्या नाम हैं;

(ग) क्या सरकार ने गत छह महीनों के दौरान दवाइयों की बिक्री में हुई वृद्धि का प्रतिशत जानने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त दवाइयों के खुदरा बिक्री केन्द्रों के परिणाम-स्वरूप देश में दवाइयों के बढ़ते मूल्यों को रोकने/नियंत्रण करने में कितनी सफलता मिल पायेगी?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, हां।

(ख) जन औषधि जेनरिक ड्रग स्टोर्स खोलने के लिए अब तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश नामक पांच राज्यों तथा एक संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ की पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त, औषध निर्माण विभाग ने सभी राज्य सरकारों से अपने राज्यों में जन औषधि जेनरिक ड्रग स्टोर्स खोलने के संबंध में विचार करने का अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) जेनरिक औषधि अभियान को प्रायोगिक तौर पर लांच किया गया है। इस अभियान की सफलता चिकित्सकों द्वारा जारी नुस्खों, जनसाधारण की भागीदारी आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर निर्भर होगी।

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर चोरी की घटनाएं

368. श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री पंकज चौधरी:
श्री निखिल कुमार:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विमानपत्तनों पर चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी नहीं। हाल के दिनों में आई.जी.आई. एयरपोर्ट पर चोरी की घटनाओं में वृद्धि नहीं हुई है। जनवरी, 2008 से नवम्बर, 2008 के दौरान आई.जी.आई. एयरपोर्ट पर हुई चोरी के मामलों का ब्यौरा इस प्रकार है: जनवरी, 2008-2; फरवरी, 2008-2; मार्च, 2008-6; अप्रैल, 2008-2; मई, 2008-2; जून, 2008-2; जुलाई, 2008-2; अगस्त, 2008-2; सितम्बर, 2008-4; अक्तूबर, 2008-3; नवंबर, 2008-1।

(ग) एयरपोर्ट छोड़ते समय गेटों पर ग्राउंड हैंडलिंग एजेंटों के साथ काम करने वाले हर कर्मचारी की हवाईअड्डा सुरक्षाकर्मियों द्वारा तलाशी ली जाती है। साथ ही, सभी बड़े हवाईअड्डों पर सी.आई.एस.एफ. के जवानों द्वारा व्यक्तिगत रूप से तथा सी.सी.टी.वी. कैमरा द्वारा नजर रखी जाती है। अन्य हवाईअड्डों पर सी.सी.टी.वी. लगाये जाने की प्रक्रिया चल रही है। हवाईअड्डों पर प्रचालनरत एयरलाइनों तथा विभिन्न एजेंसियों को अपने-अपने कर्मचारियों की पुलिस जांच रिपोर्ट हासिल करने के संबंध में कहा गया है। निजी अनुसूचित एयरलाइनों ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

सामान चढ़ाने से पहले और बाद में, सभी लोडरों की पूरी तरह फ्रिस्किंग की जाती है; हवाईअड्डों पर सतर्कता और बढ़ाई गई; हवाईअड्डा/सुरक्षा सेवा कर्मचारियों की देख-रेख में चेक-इन शुदा सामान को चढ़ाया/उतारा जाना; मैट्रो हवाईअड्डों पर स्वतःचालित सामान मिलान (रिकंसीलिएशन) पद्धति का प्रयोग करना; रैम्प कर्मचारियों को गहन प्रशिक्षण दिलाया जाना; मैट्रो एयरपोर्टों पर डेडीकेटेड बैगेज हैंडलिंग इकाइयों की स्थापना; कुछ एयरलाइनों के द्वारा हर उड़ान के लिए टैलीशीट लगाई जाती है जिन्हें सुप्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा हैंडल किया जाता है, इत्यादि।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ट्रेन सेवाएं

369. डा. टोकचोम मैन्या: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ट्रेन सेवा में कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बंद की गई ट्रेन सेवाओं के दुबारा कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में, कम लोकप्रिय होने के कारण 865/866 सिलचर-जीरीबाम पैसेंजर के फेरे प्रतिदिन से घटाकर सप्ताह में 3 दिन कर दिए गए हैं जबकि 5691/5692 लमडिंग-सिलचर कचार एक्सप्रेस तथा 5693/5694 लमडिंग-सिलचर बराक वेली एक्सप्रेस 14-5-08 से रद्द कर दी गई है तथा 5695/5696 लमडिंग-अगरतला एक्सप्रेस सुरक्षा संबंधी कारणों से 14-11-2008 से लमडिंग तथा बदरपुर के बीच आंशिक रूप से रद्द कर दी गई है। बहरहाल, खंड के यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लमडिंग और बदरपुर के बीच एक जोड़ी स्पेशल पैसेंजर गाड़ी तथा दूसरी लमडिंग और लोअर हाफलांग के बीच चलाई जा रही है।

गुवाहाटी विमानपत्तन

370. श्री अनवर हुसैन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन को पूर्णरूपेण अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विमानपत्तन के रूप में विकसित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार दक्षिण एशियाई देशों के साथ गुवाहाटी विमानपत्तन की कनेक्टिविटी में सुधार की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) गुवाहाटी हवाईअड्डे पर वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय यातायात की मात्रा पर विचार करते हुए, वर्तमान अवसंरचना अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालनों को दक्षतापूर्ण हैंडल करने के लिए पर्याप्त है।

(ग) से (ङ) ब्रुनेई, कम्बोडिया, मलेशिया, थाइलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, बंगलादेश, मालदीव, श्रीलंका और भूटान की नामित विमान कंपनियों के लिए गुवाहाटी एक अवतरण स्थल के रूप में उपलब्ध है। तथापि, किसी भी एयरलाइन द्वारा वास्तविक प्रचालन उसके वाणिज्यिक विवेक पर निर्भर करता है।

कोलकाता ए.टी.सी. में संचार सेवा ठप्प होना

371. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोलकाता विमानपत्तन पर आने वाली अनेक उड़ानों का आधे घंटे से अधिक समय तक ए.टी.सी. कोलकाता की संचार प्रणाली से संपर्क नहीं हो पाने के कारण उक्त उड़ानों के यात्रियों का जीवन खतरे में पड़ गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस चूक के कारणों का पता लगाने के लिए इस घटना की जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसा कोई कदम उठाने का है जिससे भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोका जा सके; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, जेट एयरवेज के एक विमान के वी.एच.एफ. उपस्करों में उड़ान के दौरान कुछ समस्या आ गई थी जिसके परिणामस्वरूप फ्रीक्वैंसी के जाम होने तथा उसी फ्रीक्वैंसी में प्रचालन कर रहे अन्य विमानों की ब्लॉकिंग की समस्या उत्पन्न हो गई थी। उसी समय चार अन्य विमान भी प्रचालन कर रहे थे जिन्हें तत्पश्चात् अन्य फ्रीक्वैंसी पर जाने तथा अन्य फ्रीक्वैंसी पर प्रचालन करने का परामर्श दिया गया था।

(ग) से (च) इस प्रकार की स्थिति से इकाओ मानकों के अनुसार निपटने के लिए एक कार्यविधि पहले से ही विद्यमान है जिसका अनुपालन इस मामले में भी किया गया।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

372. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे की देश में कुछ रेलवे स्टेशनों पर ऐस्केलेटर्स स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आधुनिकीकरण के ऐसे कितने कार्य रेलवे के विचाराधीन हैं और कुल कितनी परियोजनाएं लम्बित हैं;

(घ) उक्त कार्यों के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) उक्त परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ङ) जी हां। रेलवे ने 50 बड़े स्टेशनों पर 100 अदद ऐस्केलेटर लगाने की योजना बनाई है। इस संबंध में, 2008-09 के रेलवे बजट में कुल 70 करोड़ रुपए की लागत पर निम्नलिखित 2 कार्य स्वीकृत किए गए हैं:-

(i) पिंक बुक मद सं. 625 के अंतर्गत 35 करोड़ रुपए की लागत पर 50 अदद ऐस्केलेटरों का संस्थापन।

(ii) पूरक बजट 2008-09 के अंतर्गत 35 करोड़ रुपए की लागत पर 50 अदद ऐस्केलेटरों का संस्थापन।

इन ऐस्केलेटरों का संस्थापन चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की योजना बनाई गई है।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों को मिनी रत्न का दर्जा देना

373. श्री ई. दयाकर राव:

श्री सी. कुप्पुसामी:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कुछ विमानपत्तनों को मिनी रत्न का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने 'सिद्धांत रूप से' भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को श्रेणी-1 मिनीरत्न का दर्जा दिए जाने का निर्णय किया है।

(ग) निम्नलिखित पात्रता मापदंड और मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं - श्रेणी-I सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पी.एस.ई.) को लगातार पिछले तीन वर्षों में लाभ होना चाहिए, तीन वर्षों में कम से कम एक वर्ष के दौरान 30 करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक का कर-पूर्व लाभ होना चाहिए तथा इसके पास सकारात्मक नेट वर्थ होना चाहिए। श्रेणी-II सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को लगातार पिछले तीन वर्षों के लिए लाभ होना चाहिए तथा सकारात्मक शुद्ध मूल्य (नेट वर्थ) होना चाहिए। ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम बढ़ाई गई प्रत्यायोजित शक्तियां प्रदान करने के पात्र हों बशर्ते उन्होंने सरकार को देय किसी ऋण पर ऋण ब्याज चुकौती करने में किसी प्रकार की चूक नहीं की हो। ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम बजटीय सहायता अथवा सरकारी गारंटी पर निर्भर नहीं हों। संबंधित प्राधिकार प्रत्यायोजन का निर्वाह करने से पूर्व पहले कदम के रूप में इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अपने-अपने बोर्डों की पुनर्संरचना में कम से कम तीन गैर सरकारी निदेशकों को शामिल किया जाना चाहिए। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को इस बात का निर्णय लेना होगा कि क्या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने बढ़ी शक्तियों का निर्वाह करने से पूर्व श्रेणी I/श्रेणी II कंपनी संबंधी अपेक्षाओं को पूरा कर लिया है।

[हिन्दी]

महाबोधि एक्सप्रेस का विस्तार

374. श्री टेकलाल महतो: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे स्थानीय यात्रियों की मांग के मद्देनजर गया से नई दिल्ली तक चलने वाली महाबोधि एक्सप्रेस का विस्तार नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जंक्शन (गोमो) तक करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे ने इस संबंध में क्या पहल की है; और

(ग) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जंक्शन (गोमो) तक इसका विस्तार कब तक करने की संभावना है और इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कजाक तेल क्षेत्रों में ओ.एन.जी.सी. की हिस्सेदारी

375. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) का विचार कजाक तेल क्षेत्र में हिस्सेदारी प्राप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) जी, हां। ओ.एन.जी.सी. विदेश लिमिटेड (ओ.वी.एल.) अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी ओ.एन.जी.सी. मित्तल एनर्जी लिमिटेड (ओ.एम.ई.एल.) के जरिए आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो कजाखस्तान देश की तेल कंपनी काज मुनै गाज (के.एम.जी.) के साथ कजाखस्तान में अन्वेषण ब्लाक में भागीदारिता हित प्राप्त करने के लिए कार्रवाई कर रही है। कजाखस्तान के राष्ट्रपति की दिल्ली की हाल ही में हुई यात्रा के दौरान वाणिज्यिक शर्तों के मुख्य सिद्धांतों को शामिल करते हुए करार के शीर्षों (एच.ओ.ए.) पर ओ.एम.ई.एल. और के.एम.जी. के बीच 24 जनवरी, 2009 को हस्ताक्षर किए गए थे।

[हिन्दी]

रेलवे में ठेका श्रमिक

376. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटिल:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में ठेके पर मजदूर काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में जोनवार कितने श्रमिक ठेके पर काम कर रहे हैं;

(ग) क्या उक्त श्रमिकों को निर्धारित नियमों के अनुसार वेतन तथा भत्तों का भुगतान किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन कर्मचारियों को वेतन तथा भत्ते का भुगतान करने के लिए किस पद्धति को अपनाया जाता है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) ठेके पर काम करने वाला कोई मजदूर सीधे तौर पर रेलवे के रजिस्टर में दर्ज नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) रेलवे में विभिन्न क्षेत्रों में ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों को काम पर लगाया जाता है। ठेके की निविदा शर्तों और सामान्य शर्तों में यह निर्धारित किया जाता है कि ठेकेदार ठेका श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970/नियम 1971 के प्रावधानों का अनुपालन करें और श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार ठेकेदारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाए।

हिमाचल प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा

377. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फलों के उत्पादन के बारे में हिमाचल प्रदेश सहित देश में कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या फलों के उत्पादन की तुलना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (एफ.पी.आई.) की संख्या कम है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा हिमाचल प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) कृषि मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त

संगठन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड देश में महत्वपूर्ण फल एवं सब्जी की फसलों के उत्पादन और क्षेत्र के अनुमान संकलित करता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अनुमान के अनुसार वर्ष 2007-2008 के दौरान देश में 5.77 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फलों का कुल उत्पादन 63.50 मिलियन टन था। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में बड़ी तादाद में बढ़िया किस्म के सेब, खुमानी, आड़ू, आलूबुखारा, बादाम, अंगूर और चिलगोजे और निचले क्षेत्रों में आम, नींबू, निंबूवंशीय फल (सिट्रस) और नाशपाती उगाई जाती हैं। लेकिन प्रसंस्करण की दृष्टि से ये सभी फल उपयोगी नहीं हैं। कुल उत्पादन में से फलों की प्रसंस्करण योग्य किस्मों को ही प्रसंस्कृत किया जाता है। 31-12-2007 की स्थिति के अनुसार फल उत्पाद आदेश 1955 के तहत 154 फल एवं सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों को लाइसेंस प्रदान किए गए हैं।

सरकार वित्तीय सहायता संबंधी अपनी स्कीमों और अन्य संवर्धनात्मक उपायों के जरिए प्रसंस्करण सुविधाओं समेत खाद्य से संबंध रखने वाली बुनियादी सुविधाओं के सृजन हेतु सहायता देती है ताकि अपव्यय घटे, मूल्यवर्धन और टिकाऊपन बढ़े।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास तथा संवर्धन हेतु मंत्रालय विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना संबंधी स्कीम के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है अथवा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम एवं पूर्वोत्तर के राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप और एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम क्षेत्रों समेत दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये है, सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है। इसके अतिरिक्त, समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन के तहत पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों को बढ़ी हुई दरों पर यानी 50% की दर पर सहायता दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा वर्तमान फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना के मामले में 4.00 करोड़ रुपये है और इसके उन्नयन के मामले में 1.00 करोड़ रुपये है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास तथा उन्नयन के लिए विभिन्न अन्य योजना स्कीमों को कार्यान्वित कर रही है। इन स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने हेतु अन्य संवर्धनात्मक उपायों के अलावा बुनियादी ढांचा विकास, मानव संसाधन विकास, गुणता आश्वासन के संवर्धन तथा अनुसंधान एवं विकास हेतु अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

[अनुवाद]

इस्पात संयंत्र तथा हवाई पट्टी की स्थापना हेतु समझौता

378. श्री अबु अयीश मंडल: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने देश में इस्पात संयंत्रों तथा हवाई पट्टियों की स्थापना करने हेतु हाल ही में किसी संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर जितिन प्रसाद): (क) और (ख) जी, नहीं।

गुजरात में सी.एन.जी./एल.पी.जी. स्टेशनों की स्थापना

379. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की गुजरात राज्य में जामनगर, राजकोट, भावनगर, अमरेली, पोरबंदर, सिहोर, द्वारका, ओखा, विजयपुर, विसनगर में आई.ओ.सी., बी.पी.सी., एच.पी.सी. तथा अन्य कंपनियों द्वारा सी.एन.जी. और एल.पी.जी. के और अधिक स्टेशनों की स्थापना करने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) देश में विभिन्न शहरों में सी.एन.जी. और एल.पी.जी. की बुनियादी सुविधाओं का विस्तार आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है।

किसी शहर/क्षेत्र में सी.एन.जी. सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और उक्त शहर/क्षेत्र तक ट्रंक

पाइपलाइनों के जरिए प्राकृतिक गैस का परिवहन करने के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधा की स्थापना पर भी निर्भर करता है। देश भर में प्राकृतिक गैस की ट्रंक पाइपलाइन बिछाने और नगर/स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पी.एन.जी.आर.बी.) अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया है। जामनगर, राजकोट और भावनगर में नगर गैस वितरण नेटवर्क के लिए इच्छाभिव्यक्तियां (ई.ओ.आई.) पी.एन.जी.आर.बी. को प्रस्तुत कर दी गई हैं।

जहां तक आटो एल.पी.जी. वितरण केन्द्रों (ए.एल.डी.एस.) का संबंध है उनकी स्थापना मौजूदा खुदरा बिक्री केन्द्रों पर मांग के आकलन के बाद ओ.एम.सीज द्वारा वहां किया जाता है जहां अचल और सचल दबाव वाहन नियमावली (एस.एम.पी.वी. नियमावली) के तहत यथाविनिर्दिष्ट सुरक्षा दूरी बनाए रखने के लिए पर्याप्त स्थान मौजूद हो। ओ.एम. सीज ने राजकोट में 3 ए.एल.डी.एस. और भावनगर व पोरबंदर प्रत्येक में एक एक ए.एल.डी.एस. स्थापित करने की योजना बनाई है।

[हिन्दी]

जनजातीय संस्कृति का संवर्द्धन

380. श्री रामदास आठवले: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) संस्कृति मंत्रालय की मौजूदा स्कीमों के कार्यक्षेत्र में जनजातीय कला तथा संस्कृति का संवर्धन शामिल है।

संस्कृति मंत्रालय के अधीन सम्बद्ध/अधीनस्थ/स्वायत्तशासी संगठन भी जनजातीय संस्कृति सहित कला तथा संस्कृति के विभिन्न रूपों के संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र लोक/जनजातीय संस्कृति के संवर्धन पर विशेष जोर देते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पंजाब में सड़क उपरि पुल/सड़क अधोगामी पुल का निर्माण

381. सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फतेहगढ़ साहिब जिले में मंडी गोबिन्दगढ़ तथा लुधियाना जिले में खन्ना में योजना को स्वीकृति मिलने के बावजूद सड़क उपरि पुल (आर.ओ.बी.)/सड़क अधोगामी पुल (आर.यू.बी.) का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त परियोजना पर कार्य आरम्भ करने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) मंडी गोविंदगढ़ जिला फतेहगढ़ साहिब पर ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल के निर्माण के दो कार्य हैं (i) कि.मी. 326/4-6 पर समपार से 152 के स्थान पर निचले सड़क पुल का कार्य एक स्वीकृत कार्य है। निर्माण कार्य का वास्तविक निष्पादन सामान्य व्यवस्था आरेखण (जी.ए.डी.) के अनुमोदन और विस्तृत अनुमान के स्वीकृत होने के बाद शुरू किया जाएगा। (ii) कि.मी. 327/10-12, समपार सं. 153 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त हो चुका है और पूरे हो चुके दस्तावेज 11-02-09 को ही प्राप्त हुए हैं।

खन्ना जिला लुधियाना में ऊपरी सड़क पुल के तीन प्रस्ताव है। (i) समपार सं. 145-बी के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल स्वीकृत किया गया है। संरेखण प्रस्तावित समर्पित फ्रेट गलियारे पर पड़ता है जिसके कारण जी.ए.डी. संशोधित किया जाना है और विस्तृत अनुमान की तैयारी जिसके परिणामस्वरूप कार्य शुरू करने में देरी होगी।

(ii) समपार सं. 155-बी के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण अदालती मामला अर्थात निर्णयाधीन होने के कारण लंबित है। (iii) समपार सं. 161-सी के बदले खन्ना के नजदीक ऊपरी सड़क पुल के कार्य हेतु निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया है।

सड़क उपरि पुल

382. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

श्रीमती निवेदिता माने:

श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का वर्ष 2009 में 200 रेल उपरि पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार किन-किन स्थानों का चयन किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) जी नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, यह एक सतत् प्रक्रिया है। रेलें उन व्यस्त समपारों के बदले लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण करती हैं। जहां यातायात घनत्व एक लाख अथवा अधिक गाड़ी वाहन यूनिट होता है (गाड़ी वाहन यूनिट-समपार से 24 घंटे में गुजरने वाली गाड़ियों की संख्या को सड़क वाहनों की संख्या से गुणा करके प्राप्त होने वाला आंकड़ा) अन्यथा यह कार्य निक्षेप शर्तों पर किया जाता है। दोनों मामलों में संबंधित राज्य सरकार द्वारा वर्तमान नियमों के अंतर्गत अपने हिस्से की लागत वहन करने, समपार को बंद करने की सहमति, पहुंच मार्गों के लिए अपेक्षित भूमि के अधिग्रहण जैसी कतिपय पूर्व अपेक्षित शर्तों को विधिवत पूरा करते हुए प्रस्ताव प्रायोजित किए जाने होते हैं। रेलें रेलपथ पर पुल खास का निर्माण करती हैं तथा पहुंच मार्गों का निर्माण संबंधित सड़क प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है।

दवाओं के विपणन हेतु आचार संहिता

383. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

श्री रवि प्रकाश वर्मा:

श्री एल. राजगोपाल:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भेषज कंपनियों हेतु इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन (आई.डी.एम.ए.) के विपणन/आचरण मानदंडों तथा नीति-संहिता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भेषज कंपनियां अपनी दवाओं को बढ़ावा देने के लिए डाक्टरों की यात्राएं प्रायोजित कर तथा उन्हें उपहार देकर अनुचित आचरण में संलिप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार के अनुचित आचरण पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार दवाओं के विपणन हेतु एक आचार संहिता बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) इंडियन ड्रग मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (आई.डी.एम.ए.) ने सूचित किया है कि उनके पास "औषध विपणन परंपराओं पर दिशानिर्देश" है जिसे मूल रूप से 1997 में प्रकाशित और 2007 में संशोधित किया गया था।

(ख) से (ङ) हाल में कुछ मीडिया रिपोर्टों में कुछ फार्मा कंपनियों द्वारा मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के बीच अपने उत्पादों को संवर्द्धित करने के लिए अपनाई जाने वाली ऐसी कुछ परंपराओं का उल्लेख किया था। इस विभाग ने एसोसिएशनों और औषध कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ मामले को उठाया था और उन्हें जोर देकर कदाचार से निपटने के लिए सख्त प्रवर्तन की क्रियाविधि तय करने और दिशानिर्देश/नीतिपरक संहिता तैयार करने और प्रिंट मीडिया द्वारा प्रचारित इस अवधारणा को दूर करने के लिए किए गए उपायों से जनता को अवगत कराने के लिए कहा।

कराड़ विमानपत्तन पर रात में विमान उतरने की सुविधा

384. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के कराड़ विमानपत्तन पर रात में विमान उतरने की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या रात में विमान उतरने की सुविधा चालू है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कराड़ विमानपत्तन पर रात में विमान उतरने की सुविधा चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) महाराष्ट्र में कराड़ हवाईअड्डा महाराष्ट्र राज्य सरकार का है और यह गैर-प्रचालनिक हवाईअड्डा है। इसलिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) की इस हवाईअड्डे पर रात्रि लैंडिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कोई योजना नहीं है।

कर्नाटक में आमान परिवर्तन

385. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में छोटी रेल लाइनों की लंबाई तथा खंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन छोटी लाइनों के खंडों का ब्यौरा क्या है जहां बड़ी लाइन हेतु आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है;

(ग) कर्नाटक में बड़ी लाइन की रेल परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) राज्य में बड़ी लाइन में परिवर्तन हेतु अब तक कितना आवंटन किया गया है तथा चालू वर्ष हेतु पृथक आवंटन कितना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) शिमोगा-तलगुप्पा (97 कि.मी.) मीटर आमान लाइन कर्नाटक में आमान परिवर्तन के लिए शेष है। इस लाइन के आमान परिवर्तन को बैंगलुरू-हुबली-बिरूर-शिमोगा आमान परिवर्तन परियोजना के एक भाग के रूप में पहले ही शुरू किया जा चुका है।

(ग) शिमोगा-तलगुप्पा के आमान परिवर्तन हेतु आंशिक विस्तृत अनुमान को 46.216 करोड़ रु. की लागत पर स्वीकृत किया गया था जिसे बहरहाल, 158.95 करोड़ रु. में संशोधित कर दिया गया है।

(घ) मार्च, 2008 तक शिमोगा-तलगुप्पा आमान परिवर्तन पर 65.03 करोड़ रु. का व्यय किया गया है। 2008-09 के रेलवे बजट में इस कार्य हेतु 42 करोड़ रु. का परिव्यय मुहैया कराया गया है।

[हिन्दी]

किसानों को राजसहायता

386. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों को प्रत्यक्ष उर्वरक राजसहायता देने के संबंध में टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज के माध्यम से कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर कोई कार्रवाई करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (घ) भारतीय उर्वरक संघ (एफ.ए.आई.) ने किसानों को राजसहायता जारी करने की वैकल्पिक पद्धतियों के लिए टाटा कंसलटेंसी सर्विसिज (टी.सी.एस.) से एक अध्ययन कराया है। टी.सी.एस. रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) स्मार्ट कार्ड के जरिए किसानों/खेतिहरों को राजसहायता का सीधा वितरण।

(ii) जिला स्तर पर किसानों और डीलरों के पंजीकरण की आवश्यकता।

(iii) राजसहायता वितरण को उर्वरक उत्पादों (अथवा पोषक-तत्वों) की खरीद से जोड़ा गया है।

(iv) उर्वरक राजसहायता प्रावधान/बजट की इकाई जिला (प्रत्येक राज्य में) होगी।

किसानों को सीधे राजसहायता देने के मामले पर मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) द्वारा विचार किया गया था, जिसका गठन उर्वरकों के सतत् प्रयोग और उचित मूल्य निर्धारण तथा राजसहायता मामलों की जांच करने के लिए किया गया है। मंत्रियों के समूह ने अपनी अंतिम सिफारिशों में उर्वरक राजसहायता के मौजूदा तंत्र में कोई परिवर्तन नहीं करने की सिफारिश की है।

[अनुवाद]

दवाओं का पेटेंट

387. श्री उदय सिंह: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में ऐसी दवाएं अब भारत में पेटेंट हो रही हैं जिनकी पेटेंट की अवधि विकसित देशों में समाप्त हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पेटेंट युक्त दवाओं के मूल्य निर्धारण हेतु सरकार द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) भारत में व्यापक उत्पाद पेटेंट तंत्र की शुरुआत 1-1-2005 से हुई थी। अधिकांश मामलों में इसकी संभावना नहीं है कि जिन औषधों का पेटेंट विकसित देशों में समाप्त हो गया हो, वे भारत में पेटेंट हो जाएं।

(ग) से (ङ) पेटेंटशुदा औषधों के लिए मूल्य निगोसिएशन के मुद्दे की जांच के लिए इस विभाग में एक समिति गठित की गई है। समिति द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट अभी दी जानी है।

पत्तनों को जोड़ने वाली परियोजनाएं

388. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय पत्तनों को जोड़ने वाली परियोजनाओं की स्थिति क्या है तथा इनकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) उक्त परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या रेलवे देश में विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित ग्रीनफील्ड पत्तन के निर्माण की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) और (ख) चल रही पत्तन संपर्क परियोजनाओं की विस्तृत सूची निम्नानुसार है:

क्र. सं.	जोड़े जाने वाले पत्तन का नाम	कार्य क्षेत्र	लम्बाई (किमी में)	परियोजना की लागत (करोड़ रु.)	पूरा होने की संभावित तारीख	मौजूदा स्थिति
1.	पारादीप	हरिदासपुर-पारादीप के बीच नई लाइन	82	456	मई, 2010	भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है तथा लूना पुल तथा महानदी पुल पर कार्य प्रगति पर है।
2.	तूतीकोरिन	मदुरै-डिंडीगुल खण्ड का दोहरीकरण	62.06	126	मार्च, 2009	संरेखण सहित मिट्टी संबंधी कार्य तथा बड़े और छोटे पुलों पर कार्य प्रगति पर है।
3.	कांडला पोर्ट	भिल्डी-समदड़ी आमान परिवर्तन	223	290	दिसम्बर, 2009	पुलों के सुदृढ़ीकरण से संबंधित कार्य तथा स्टेशन यार्ड में आशोधन से संबंधित कार्य प्रगति पर है।
4.	मुंबई	वडाला तथा कुर्ला के बीच समर्पित माल यातायात लाइन	5.66	104	–	संभाव्यता अध्ययन पूरा हो चुका है। कार्य शीघ्र शुरू होने वाला है।
5.	एण्णोर	पुत्तूर-अट्टीपट्टू नई कॉर्ड लाइन	144	435	–	2008-09 के बजट में इन्नोर पत्तन सहित लागत में भागीदारी के आधार पर परियोजना को मंजूरी दे दी गई है।
6.	हल्दिया	राजगोडा-हल्दिया खण्ड का दोहरीकरण	44	230	–	लागत में भागीदारी के संबंध में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के साथ बातचीत चल रही है।
7.	कोचीन	वल्लारपदम-इडापल्ली-नई लाइन	8.86	246.50	जून, 2009	भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है। मिट्टी तथा पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।

[हिन्दी]

अजमेर-कोटा रेल लाइन का सर्वेक्षण कार्य

389. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अजमेर और कोटा के बीच नई रेल लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ख) उक्त रेल लाइन का प्रस्तावित मार्ग क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत तथा खर्च की जा चुकी है; और

(घ) उक्त कार्य के कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) अजमेर-नसीराबाद-बूंदी-कोटा नई बड़ी आमान रेल लाइन (210 कि.मी.) परियोजना के लिए सर्वेक्षण 2008 में पूरा हो चुका है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इस परियोजना की लागत 587.33 करोड़ रु. आंकी गयी है और इसकी प्रतिफल की दर (-) .93% है। सर्वेक्षण कार्य की अनुमानित लागत 0.1 करोड़ रु. है।

[अनुवाद]

पायलटों की नियुक्ति

390. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में भारतीय युवा कमर्शियल पायलट बनने के पश्चात् भी बेरोजगार हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने निजी एयरलाइंस को विदेशी पायलटों की तुलना में भारतीय पायलटों को वरीयता देने का कोई अनुदेश जारी किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने विदेशी पायलटों की चयन प्रक्रिया में भी परिवर्तन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) भारतीय सह-पायलटों की कमांडर रैंक तक कैरियर प्रगति की निगरानी के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) नागर विमानन महानिदेशालय रोजगारयुक्त/बेरोजगार पायलटों के आंकड़े नहीं रखता है। इसके अतिरिक्त, लाइसेंस जारी करने के मामले का पायलटों के रोजगार की मांग से कोई संबंध नहीं है।

(ख) और (ग) सरकार की नीति के अनुसार, विदेशी पायलटों को दिनांक 31-07-2010 तक ही भारत में उड़ान भरने की अनुमति है। एयरलाइनों को विदेशी पायलटों को हटाने की अपनी योजना के आधार पर तथा विदेशी पायलटों के स्थान पर भारतीय पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रवासी (एक्पैट्रिएट) पायलटों के लाने की अनुमति है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सरकार भारतीय सह-पायलटों के कमांडर रैंक में कैरियर प्रोग्रेशन की मॉनीटरिंग नहीं करती है। उनकी एयरलाइनों द्वारा सह-पायलटों को उड़ान प्रशिक्षण अपेक्षाएं पूरा किए जाने पर कमांडर के रैंक में पदोन्नत किया जाता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को आर्थिक पैकेज

391. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए नया आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रस्तावित पैकेज का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) विश्व खाद्य व्यापार में हमारी भागीदारी 1.5% है और खाद्य उत्पादों की मुख्य मांग घरेलू स्तर पर है, अतः खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर विदेशी मंदी का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है। तथापि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास एवं वृद्धि में सहायता देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण

उद्योग मंत्रालय द्वारा कई स्कीमें शुरू की गई हैं, अर्थात (i) बुनियादी ढांचा विकास संबंधी स्कीम (ii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/विस्तार/आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम (iii) गुणता आश्वासन, कोडेक्स मानक तथा अनुसंधान एवं विकास संबंधी स्कीम (v) संस्थानों के सुदृढ़ीकरण संबंधी स्कीम और (vi) सड़कों पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों (स्ट्रीट फूड) की गुणता उन्नयन संबंधी स्कीम।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र जिसमें रोजगार और आय में बढ़ोतरी की व्यापक संभावनाएं हैं, में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश समेत निजी निवेश आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं। अनेक कंपनियों ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश करने में रूचि दिखाई है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी विभिन्न राजकोषीय एवं कर प्रोत्साहन उपलब्ध करा रही है। पिछले वर्ष के बजट में प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग को विभिन्न कर प्रोत्साहन दिए गए हैं जिनमें लघु उद्योग के लिए उत्पाद शुल्क की छूट सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये करना शामिल है। 100 रुपये प्रति किलोग्राम से अनधिक खुदरा कीमत वाले बिस्कुटों पर उत्पाद शुल्क को 8% से घटाकर 0% किया गया है, इंस्टेंट मिक्सेज समेत सभी प्रकार के फूड मिक्सेज पर उत्पाद शुल्क को 8% से घटाकर 0% और प्रशीतित वैनों (प्रशीतित मोटर वाहनों) पर उत्पाद शुल्क को 16% से घटाकर 8% किया गया है। सोयाबड़ी (खाद्य संपूरकों) और खाने के लिए तैयार पैक खाद्यों को उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है। रेफ्रिजरेटिड वैनों को सीमाशुल्क से छूट दी गई है और खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी पर उत्पाद शुल्क को 7.5% से कम करके 5% सूरजमुखी तेल (कच्चा) पर उत्पाद शुल्क को 65% से कम करके 50% और सूरजमुखी तेल (परिकृत) पर उत्पाद शुल्क को 75% से कम करके 60% किया गया है। परिष्कृत खाद्य तेल के मामले में 4% के विशेष अतिरिक्त शुल्क को समाप्त किया गया है। प्रौद्योगिकी कारोबार इन्क्यूबेटरों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं को सेवाकर से छूट दी गई है और इसी तरह उनके इन्क्यूबेटीस जिनका सालाना कारोबार 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है, को प्रथम तीन वर्षों के लिए सेवाकर से छूट दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में संयंत्र और मशीनरी में निवेश के संबंध में प्राथमिक क्षेत्र बैंक ऋण हेतु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की पात्रता जोकि पूर्व में 5 करोड़ रुपये थी, को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया है। फल-सब्जी आधारित नई खाद्य प्रसंस्करण यूनिट को प्रथम पांच वर्षों के लिए आयकर से पूरी तरह छूट और उसके अगले पांच वर्षों के लिए आयकर से 25% छूट प्राप्त है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए आर्थिक पैकेज का अलग से कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उर्वरक उत्पादन कंपनियों को राजसहायता

392. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2007-08 और चालू वर्ष के दौरान किन-किन उर्वरक उत्पादन कंपनियों को राजसहायता प्रदान की गई है और प्रत्येक कंपनी को कितनी धनराशि दी गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) सूचना विवरण-क और विवरण-ख के रूप में संलग्न है।

विवरण-क

यूरिया उत्पादक कंपनियों को दी गई राजसहायता

क्र. सं.	उर्वरक उत्पादक कंपनी का नाम	दी गई राजसहायता	
		2007-08	2008-09 (10-2-2009 तक)
1	2	3	4
1.	इफको	3377.97	4103.77

1	2	3	4
2.	कृभको	490.10	1022.71
3.	जी.एन.वी.एफ.सी.	775.73	618.83
4.	जी.एस.एफ.सी.	79.38	63.16
5.	डंकन	0.39	0.00
6.	इंडो-गल्फ	298.37	569.53
7.	एस.एफ.सी.	684.10	622.64
8.	जेड.आई.एल.	748.69	1040.91
9.	एन.एफ.सी.एल.	1002.65	1193.39
10.	चंबल फर्टिलाइजर्स	1387.65	1338.27
11.	टाटा केमिकल्स	458.57	780.15
12.	के.एस.एफ.एल.	382.02	1148.66
13.	एम.सी.एफ.एल.	758.17	938.19
14.	स्पिक	369.82	3.94
15.	बी.वी.एफ.सी.एल.	105.52	74.49
16.	एम.एफ.एल.	899.39	998.73
17.	एन.एफ.एल.	3013.48	3368.62
18.	आर.सी.एफ.	1618.37	2169.03
	योग	16450.37	20055.02

विवरण-ख

नियंत्रणमुक्त (पी एंड के) उत्पादक इकाइयों को दी गई रियायत

क्र. सं..	कंपनी का नाम	राशि (करोड़ रुपए)	
	स्वदेशी डी.ए.पी./ मिश्रित उर्वरक	(2007-08)	2008-09 (दिसम्बर 2008 तक)
1	2	3	4
1.	कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	876.53	5072.52

1	2	3	4
2.	दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन	19.10	139.38
3.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	359.06	1079.35
4.	गोदावरी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	1107.07	0.00
5.	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड	148.41	240.04
6.	गुजरात राज्य फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	1176.35	3058.48
7.	हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड	153.82	453.12
8.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको)	2785.79	8773.99
9.	मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	242.73	575.50
10.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	30.24	0.00
11.	ओसवाल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	136.26	0.00
12.	पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड	1165.48	2621.55
13.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	285.56	701.37
14.	सदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	146.21	13.44
15.	जेड.आई.एल. इंडस्ट्रीज लिमिटेड	741.27	1718.09
16.	टाटा केमिकल्स लिमिटेड	726.17	2021.27
17.	एस.एस.पी.	276.13	692.16
	सकल योग	10376.18	27160.26

विमानपत्तनों की सुरक्षा

393. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विमानपत्तनों की संरक्षा और सुरक्षा के संबंध में ठोस कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विमानपत्तनों की सुरक्षा से निपटने के लिए एक विधान लाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी हां।

(ख) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा निर्धारित सभी संरक्षा संबंधी उपाय एयरोड्रमों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के लिए, नागर विमानन महानिदेशालय ने वर्ष 2004 में हवाईअड्डों के लाइसेंसिंग का कार्य आरम्भ किया है। अब तक, अनुसूचित उड़ानें प्रचालित करने वाले 22 हवाईअड्डों को लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। अन्य सभी हवाईअड्डों के लिए जून, 2009 तक लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है।

सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय किए गए हैं:-

(i) वाहनों/व्यक्तियों/वस्तुओं की औचक जांच करने के लिए हवाईअड्डों के पहुंच-मार्ग पर ए.एस.जी./ए.पी.एस.यू. द्वारा नाके लगाए गए हैं। (ii) सभी संदिग्ध वस्तुओं की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और उनको आई.इ.डी. की जांच के लिए भेजा जाता है। (iii) हवाईअड्डों के लैंड साईड तथा एयर साईड क्षेत्रों पर निगरानी/वॉच गतिविधि और बढ़ाना। (iv) प्रचालन घण्टों के दौरान पैरीमीटर पैट्रोलिंग तथा फनल क्षेत्र से गार्डिंग। (v) सभी पहुंच नियंत्रण प्वाइंटों का सुदृढ़ीकरण करना। (vi) हवाईअड्डों को सुदृढ़ बनाने के लिए क्यू.आर.टी./स्ट्राइकिंग रिजर्व (vii) विमानों के लैडर प्वाइंट पर सैकंडरी सुरक्षा जांच की जा रही हैं; तथा (viii) होल्ड बैगेज तथा हैंड बैगज दोनों की पूर्ण स्क्रीनिंग की जा रही है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे प्लेटफार्मों का उन्नयन

394. डा. के.एस. मनोज: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का प्लेटफार्मों की ऊंचाई बढ़ाकर और उन्हें चौड़ा करके कुछ रेलवे स्टेशनों का उन्नयन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो त्रिवेन्द्रम मंडल सहित प्रत्येक मंडल में ऐसे उन्नयन के लिए चयन किए गए रेलवे स्टेशनों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) रेलों का पहचान किए गए रेलवे प्लेटफार्मों के विस्तार करने का प्रस्ताव है ताकि लंबी गाड़ियों को खड़ा किया जा सके। रेलवे के कुछ और प्रस्ताव भी हैं जैसे (i) सभी 'बी' श्रेणी के स्टेशनों पर रेल पटरी और मध्यम ऊंचाई वाले प्लेटफार्मों का अधिक ऊंचाई वाले प्लेटफार्मों में बदलाव और (ii) 'डी' श्रेणी के स्टेशनों पर पटरी की ऊंचाई वाले मौजूदा प्लेटफार्मों का मध्यम ऊंचाई वाले प्लेटफार्मों में तथा मध्यम ऊंचाई वाले प्लेटफार्मों का अधिक ऊंचाई वाले प्लेटफार्मों में बदलाव। इस संबंध में मंडलवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	रेलवे	मंडल	प्लेटफार्मों के विस्तार हेतु	प्लेटफार्मों की ऊंचाई बढ़ाने हेतु
1	2	3	4	5
1.	म.रे.	मुंबई	5	0
2.	म.रे.	भुसावल	10	1
3.	म.रे.	नागपुर	15	6
4.	म.रे.	पुणे	3	4
5.	म.रे.	शोलापुर	3	6
6.	पूतरे	खुर्दा रोड	16	7
7.	पूतरे	संबलपुर	22	1
8.	पूतरे	वाल्टेयर	15	9
9.	पूमरे	धनबाद	2	8
10.	पूमरे	द्रानापुर	21	1
11.	पूमरे	मुगलसराय	1	3

1	2	3	4	5
12.	पूमरे	समस्तीपुर	30	9
13.	पूमरे	सोनपुर	14	20
14.	पूरे	आसनसोल	6	7
15.	पूरे	हावड़ा	8	5
16.	पूरे	मालदा	8	3
17.	पूरे	सियालदह	2	1
18.	उमरे	आगरा	2	1
19.	उमरे	इलाहाबाद	18	13
20.	उमरे-	झांसी	10	20
21.	पूर्वोत्तर	इज्जतनगर	0	8
22.	पूर्वोत्तर	लखनऊ	2	10
23.	पूर्वोत्तर	वाराणसी	31	24
24.	पूर्वोत्तर सीमा	अलीपुरद्वार	8	7
25.	पूर्वोत्तर सीमा	कटिहार	9	12
26.	पूर्वोत्तर सीमा	लामडिंग	1	4
27.	पूर्वोत्तर सीमा	रंगिया	4	3
28.	पूर्वोत्तर सीमा	तिनसुकिया	0	3
29.	उरे	दिल्ली	26	4
30.	उरे	फिरोजपुर	13	0
31.	उरे	लखनऊ	40	25
32.	उरे	मुरादाबाद	11	5
33.	उरे	अंबाला	18	13
34.	उपरे	अजमेर	7	0
35.	उपरे	बीकानेर	10	6
36.	उपरे	जयपुर	3	7
37.	उपरे	जोधपुर	9	5

1	2	3	4	5
38.	दमरे	विजयवाड़ा	9	2
39.	दमरे	गुंटूर	4	0
40.	दमरे	गुंतकल	9	5
41.	दमरे	हैदराबाद	5	1
42.	दमरे	नादेड	6	1
43.	दमरे	सिकंदराबाद	4	0
44.	दपूमरे	बिलासपुर	0	3
45.	दपूमरे	नागपुर	7	5
46.	दपूमरे	रायपुर	5	1
47.	दपूरे	आद्रा	5	1
48.	दपूरे	चक्रधरपुर	5	3
49.	दपूरे	खड़गपुर	1	5
50.	दपूरे	रांची	2	1
51.	दरे	मद्रास	10	9
52.	दरे	मदुरै	1	15
53.	दरे	पालाकाड़	26	13
54.	दरे	तिरूचिरापल्ली	1	7
55.	दरे	तिरूअनंतपुरम	15	16
56.	दपरे	मैसूर	14	6
57.	दपरे	बंगलोर	10	4
58.	दपरे	हुबली	11	5
59.	पमरे	भोपाल	6	2
60.	पमरे	जबलपुर	19	1
61.	पमरे	कोटा	2	6
62.	परे	अहमदाबाद	3	2
63.	परे	मुंबई	6	0

1	2	3	4	5
64.	परे	वड़ोदरा	0	1
65.	परे	भावनगर	0	4
66.	परे	राजकोट	3	0
67.	परे	रतलाम	3	14
		योग	595	394

विजिट इंडिया-2009

395. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय आतिथ्य उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय मंदी के कारण अब मंदी का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आतिथ्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए "बिजिट इंडिया-2009" नामक किसी योजना की घोषणा की है;

(घ) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय और विदेशी पर्यटक आगमन में कमी आई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

	नवम्बर 2008	दिसम्बर 2008	जनवरी 2009
विदेशी पर्यटक आगमन*	521247	521990	487262
पिछले वर्ष के इसी माह की तुलना में प्रतिशत बदलाव	-2.1%	-12.5%	-17.6%
विदेशी मुद्रा आय (यू.एस. डॉलर मिलियन में) @	1005	1046	941
पिछले वर्ष के इसी माह की तुलना में प्रतिशत बदलाव	-12.5%	-18.7%	-31.9%

*अनंतिम अनुमान
@ अग्रिम अनुमान

(ग) से (ङ) अप्रैल से दिसंबर, 2009 की अवधि के दौरान भारत की यात्रा को प्रोत्साहनयुक्त बनाने के लिए एयरलाइनों, होटलों, टूअर ऑपरेटरों, राज्य सरकारों सहित सभी स्टेकहोल्डरों के साथ सहयोग से पर्यटन मंत्रालय द्वारा "विजिट इंडिया 2009" योजना की घोषणा की गई है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में संशोधन

396. श्री राम सिंह कस्वां: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में संशोधन करने के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

चल रही और नयी रेल परियोजनाएं

397. श्री रामदास आठवले: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में, विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही और नयी रेल परियोजनाओं तथा किए गए सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार उक्त परियोजनाओं के पूरा होने के संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) उक्त परियोजनाओं के लिए आवंटित और अभी तक खर्च की गई धनराशि का परियोजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) पिछले तीन वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान रेलवे बजट में 41 नई लाइन परियोजनाएं तथा 20 आमान परिवर्तन परियोजनाएं शामिल की गयी हैं जिनमें मुख्यत: देश के पिछड़े, ग्रामीण तथा अविकसित क्षेत्र शामिल हैं। इसी अवधि के दौरान 175 नयी लाइन तथा 20 आमान परिवर्तन परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण शुरू किए गए हैं।

(ख) परियोजनाएं धनराशि की उपलब्धता के अनुसार प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से कोई भी परियोजना पूर्णतया पूरी नहीं हुई है।

(ग) आबंटित धनराशि तथा किए गए खर्च का परियोजनावार ब्यौरा रेल बजट प्रलेखों में उपलब्ध है। राज्यवार खर्च का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(घ) परियोजना की धनराशि की उपलब्धता के अनुसार प्रगति की जा रही है। कोई समय सूची देना व्यावहारिक नहीं है।

[अनुवाद]

रेल सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.)/रेल सुरक्षा विशेष बल (आर.पी.एस.एफ.) को सुदृढ़ बनाना

398. श्री एल. राजगोपाल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर आतंकी हमले के मद्देनजर रेल सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.) को सुदृढ़ बनाने के लिए किए गए अथवा किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आर.पी.एफ. बटालियनों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे का विचार रेल सुरक्षा बल और रेल सुरक्षा विशेष बल को आधुनिक सुरक्षा प्रणाली के संबंध में प्रशिक्षित करने के लिए देश में अनेक विशेष अकादमी की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रेलवे सुरक्षा बल को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। महात्त्वपूर्ण ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) चार महानगरों यथा चेन्नै, दिल्ली, कोलकाता तथा मुंबई के सभी रेलवे स्टेशनों और भारतीय रेलों के 140 अन्य संवेदनशील स्टेशनों पर एक संघठित सुरक्षा प्रणाली स्थापित की जा रही है। इस प्रणाली में निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्र शामिल होंगे:

1. विडियो एनालिटिक्स के साथ इंटरनेट प्रोटोकाल आधारित क्लोज सर्किट टीवी प्रणाली
2. अभिगमन नियंत्रण
3. पर्सनल तथा पैकेज स्क्रीनिंग प्रणाली
4. विस्फोटक पहचान तथा निपटान प्रणाली

परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भारतीय रेलों के महाप्रबंधकों को मार्ग निर्देश तथा उपस्कर की तकनीकी विशिष्टयां परिपत्रित कर दी गयी हैं।

(ii) मानदंड समिति की सिफारिशों पर, रेलवे सुरक्षा बल को सुदृढ़ बनाने के लिए सुरक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 60.76 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं। बल को एके-47 राइफल्स, इनसास 5.56 राइफलें, पिस्टल ऑटो 9 एम.एम. ए1 आदि जैसे आधुनिक ऑटोमैटिक हथियार भी मुहैया किए जा रहे हैं। बल की गतिशीलता में सुधार लाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के लिए वाहनों की खरीद के लिए 14.26 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं।

(iii) रेलवे, रेलवे सुरक्षा बल, अन्वेषण ब्यूरो, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अधिकारियों की समिति द्वारा संयुक्त सुरक्षा योजना प्रस्तुत की गयी है। यह योजना सैद्धांतिक रूप में अनुमोदित हो गयी है। इसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) और (ग) जी हां, मैचिंग सरेण्डर के बिना नयी परिसंपत्तियों से रेलवे सुरक्षा विशेष बल की 3 और बटालियनों (विभिन्न ग्रेडों में कुल 2217 पद) के सृजन का प्रस्ताव है। दूरवर्त्ती परियोजना स्थलों पर रेलवे संपत्ति की सुरक्षा तथा शरारती गतिविधियों को निष्फल करने के लिए कार्यप्रभारित पद सृजित करने के उद्देश्य से निदेश एवं सामान्य प्रावधान लागू किए गए हैं। वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के पद पहले ही सृजित कर दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) जी नहीं, जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी, लखनऊ को केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान का ओहदा प्रदान किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल मानकीकृत तथा अपग्रेड किए गए हैं। बम पहचान एवं निपटान तथा आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रम के प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में प्रशिक्षित रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी रेलवे सुरक्षा बल के अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे। अन्य पैरा मिलिट्री बल के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण केन्द्रों में स्लॉट द्वारा बड़े पैमाने पर कमांडो प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।

रेलवे सुरक्षा बल के मौजूदा प्रशिक्षण केन्द्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं तथा उपकरणों में वृद्धि का निर्णय लिया गया है। पहले चरण में 2 वर्ष की समय सूची में अपग्रेडेशन के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण केन्द्रों का चयन किया गया है:

1. खड़गपुर (दक्षिण पूर्व रेलवे)
2. किम्बेर गार्डन (दक्षिण रेलवे)
3. बांदीकुई (उत्तर पश्चिम रेलवे)
4. राजाही कैंप, गोरखपुर (पूर्वोत्तर रेलवे)
5. मोकामा (पूर्व मध्य रेलवे)

पेट्रोलियम उत्पादों के प्रशासित मूल्य

399. श्री के.एस. राव:
श्री तथागत सत्पथी:
श्री उदय सिंह:
श्री निखिल कुमार:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का ब्यौरा क्या है और इसकी तुलना में उपभोक्ताओं से पेट्रोलियम उत्पादों की ली गई घरेलू प्रशासित कीमतें क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों पर कितनी राजसहायता दी गई;

(ग) क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम उत्पादों की प्रशासित कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने और बाजार द्वारा निदेशित कीमतों पर इन उत्पादों के खुदरा व्यापार में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जनवरी, 2007 से कच्चे तेल की भारतीय बास्किट के मूल्य प्रवृत्ति और पिछले दो वर्ष की अवधि में दिल्ली में संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा बिक्री मूल्यों में तदनुरूपी परिवर्तन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सरकार पी.डी.एस. मिट्टी तेल और घरेलू एल.पी.जी. पर राजसहायता "पी.डी.एस. मिट्टी तेल और घरेलू एल.पी.जी. राजसहायता योजना 2002" के तहत रोजकोषीय बजट से दे रही है। सरकार ने 2007-08 में 2640.60 करोड़ रुपये, 2006-07 में 2523.75 करोड़ रुपये और 2005-06 में 2662.00 करोड़ रुपये की राजकोषीय राजसहायता सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) को दी है।

राजकोषीय सहायता के अतिरिक्त सरकार ने ओ.एम. सीज को संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों नामतः पेट्रोल, डीजल, पी.डी.एस. मिट्टी तेल और घरेलू एल.पी.जी. की बिक्री पर ओ.एम.सीज द्वारा झेली गई अल्प वसूलियों को आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति करने के लिए 2007-08 के लिए 35,290 करोड़ रुपये, 2006-07 के लिए 24,121 करोड़ रुपये और 2005-06 के लिए 11,500 करोड़ रुपये की राशि के तेल बाण्ड जारी किए हैं।

(ग) और (घ) 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी करके प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था (ए.पी.एम.) को समाप्त करते समय सरकार ने निर्णय लिया था कि पी.डी.एस. मिट्टी तेल और घरेलू एल.पी.जी. को छोड़कर सभी पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्यनिर्धारण बाजार घटकों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। संवहनीय मूल्यों पर मिट्टी तेल और एल.पी.जी. उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने राजसहायता योजनाएं तैयार कीं जो अप्रैल, 2002 से प्रचालन में हैं। वर्तमान में सरकार अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों के उतार चढ़ाव और अनिश्चितता से उपभोक्ता और अर्थव्यवस्था से सुरक्षा प्रदान करने के लिए चारों संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों नामतः पेट्रोल, डीजल, घरेलू एल.पी.जी. और पी.डी.एस. मिट्टी तेल के खुदरा बिक्री मूल्यों का अनुकूलन कर रही है।

विवरण

पिछले दो वर्ष की अवधि में कच्चे तेल की भारतीय बास्किट के मूल्यों की चाल और संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों नामतः पेट्रोल, पी.डी.एस. मिट्टी तेल, डीजल और घरेलू एल.पी.जी. के तदनुरूपी घरेलू खुदरा बिक्री मूल्य नीचे दिए गए हैं-

		दिल्ली में खुदरा बिक्री मूल्य (आर.एस.पी.				
	भारतीय बास्केट क्रूड अ.डा./बी.बी.एल.	पेट्रोल (रु./प्र. ली.)	पी.डी.एस. मिट्टी तेल (रु./प्र. ली.)	डीजल (रु./प्र. ली.)	घरेलू एल.पी.जी. (रु./प्र. सि.)	खुदरा बिक्री मूल्य में संशोधन की तारीख
1	2	3	4	5	6	7
माह						
जनवरी, '07	60.35	44.85	9.09	31.25	294.75	जनवरी, '07
फरवरी, '07	52.53	42.85		30.25		16-02-2007
मार्च, '07	60.26					
अप्रैल, '07	65.48					
मई, '07	65.76					
जून, '07	68.10	43.52		30.48		06-06-07 @@
जुलाई, '07	72.58					
अगस्त, '07	68.97					
सितम्बर, '07	74.78					
अक्तूबर, '07	79.33					
नवम्बर, '07	89.11					
दिसम्बर, '07	87.92					

1	2	3	4	5	6	7
फरवरी, '08	92.37			30.76		8-02-08 प्रदूषण उपकर)
		45.52		31.76		15-02-08
मार्च, '08	99.76					
अप्रैल, '08	105.77					
मई, '08	120.91	45.56		31.80		24-05-08 (डीलर कमीशन संशोधित)
जून, '08	129.72	50.56		31.80	346.30 (09-06-08 से प्रभावी) रु. 304.70/ प्र.सि.)#	05-06-08
जुलाई, '08	132.47	50.62		34.80		18-07-08****
अगस्त, '08	113.05					
सितम्बर, '08	96.81		9.22			12-09-08
अक्तूबर '08	69.12					
नवम्बर '08	50.91					
दिसम्बर '08	40.61	45.62		32.86		06-12-2008
जनवरी, '09	43.99	40.62		30.86	279.70	29-01-2009

1. भारतीय क्रूड बास्किट का संघटन सावर ग्रेडों के लिए ओमान और दुबई के औसत तथा स्वीट ग्रेड के लिए ब्रेण्ट (डेटिड) का निम्नलिखित अनुपातों में प्रतिनिधित्व करता है।
   2006-07 के लिए - 59.8:40.2 का अनुपात
   2007-08 के लिए - 61.4:40.2 का अनुपात
   2008-09 के लिए - 62.3:37.7 का अनुपात
2. ●● पेट्रोल और डीजल के लिए वैट पर वापस ली गई कर छूट।
3. ****पेट्रोल और डीजल में साइडिंग और शंटिंग प्रभारों में वृद्धि के कारण।
4. #दिल्ली राज्य सरकार द्वारा प्रति सिलेंडर 40 रुपये की राजसहायता को गणना में लेने के बाद।

असम में लामडिंग से सिल्चर तक आमान परिवर्तन

400. श्री अनवर हुसैन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम में लामडिंग से सिल्चर तक आमान परिवर्तन के कार्य की स्थिति क्या है;

(ख) चालू वर्ष में इस प्रयोजनार्थ आबंटित की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है और अभी तक इस परियोजना पर कितना व्यय हुआ है; और

(ग) उक्त परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) लमडिंग-सिल्चर-जीरीबाम और बदरपुर-कुमारघाट पर कार्य की प्रगति लगभग 40 प्रतिशत, लमडिंग-सिलचर खंड पर मिट्टी संबंधी कार्य की प्रगति लगभग 86 प्रतिशत है, 337 छोटे पुलों में से, 308 पुलों का और 10.498 कि.मी. लंबी सुरंगों के कार्य में से, 4.1 कि.मी. लंबी सुरंग का कार्य प्रगति पर है।

(ख) इस परियोजना पर, 31-03-08 तक 1180.75 करोड़ रु. का व्यय हुआ है और 2008-09 के दौरान 378.95 करोड़ रु. का परिव्यय मुहैया कराया गया।

(ग) इस परियोजना को 31-03-2012 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची में और जातियों को शामिल किया जाना

401. श्री बसुदेव आचार्य:
श्री संतोष गंगवार:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) की सूची में और अधिक जातियों को शामिल करने के लिए सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन जातियों का राज्य-वार और समुदाय-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें शामिल किए जाने की सिफारिश की गई है; और

(ग) उन सिफारिशों के आधार पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) जी हां, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की राज्य सरकारों से चार समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए 2008-09 में सिफारिशें प्राप्त हुई हैं। राज्यवार और समुदायवार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। ऐसे दावों को तय करने के लिए अनुमोदित रूपरेखा के अनुसरण में इन सिफारिशों पर विचार किया गया है।

पांच जातियों को अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने का अनुरोध वर्ष 2008-09 में जम्मू और कश्मीर तथा सिक्किम की राज्य सरकारों से प्राप्त हुआ है। अनुबंध में राज्यवार और जातिवार ब्यौरे दिए गए हैं। अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में इन जातियों को शामिल किए जाने का अनुरोध आवश्यक कार्रवाई हेतु राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अग्रेषित कर दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 2008-09 के दौरान अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अनुशंसित जातियों का राज्यवार और समुदायवार ब्यौरा:

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	समुदाय का नाम
1.	छत्तीसगढ़	1. महरा और माहरा
2.	मध्य प्रदेश	2. साखवार
3.	उड़ीसा	3. चिक, चिक बदैक
		4. तियार/तियोर

(ख) वर्ष 2008-09 के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किए जाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अनुशंसित जातियों का राज्यवार और समुदायवार ब्यौरा:

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	समुदाय का नाम
1	2	3
1.	जम्मू-कश्मीर	1. गिलकर (राजमिस्त्री)
		2. लभाना

1	2	3
	2. सिक्किम	3. बहुन
		4. चेत्री
		5. नेवार

रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

402. श्री ई. दयाकर राव:
श्री सी. कुप्पुसामी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक किन-किन स्टेशनों की पहचान की गयी है; और

(ग) उक्त रेलवे स्टेशनों पर न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) टच एवं फील मदों में दृष्टिगोचर सुधार लाने के संबंध में आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित स्टेशनों का चयन किया गया है।

तमिलनाडु में

1. चेगलपट्ट
2. काटपाडी
3. अरक्कोणम
4. तांबरम
5. तिरुत्तनी
6. चेन्नै बीच
7. अंबुर
8. जोलारपेट्टी
9. अरोड
10. कोयंबतूर
11. सलेम
12. तिरूपपुर
13. कन्याकुमारी
14. नागरकोइल जंक्शन
15. वृद्धाचलम
16. त्रिचुरापल्ली जं.
17. तंजावुर
18. कुंबकोणम
19. श्रीरंगम
20. तिरूवरूर
21. नागापट्टीनम
22. मयिलादुथुरै
23. दिंडीगुल
24. मदुरै
25. तिरूनेलवेली
26. तूतीकोरन
27. विरूद्धनगर
28. करैकुडी
29. पलानी
30. रामेश्वरम
31. रामनाथपुरम
32. धर्मपुरी

आंध्र प्रदेश

1. हिंदुपुर
2. दुवाधा
3. विशाखापट्नम
4. आदिलाबाद
5. अंकपली

6. एलुरू
7. भीमावरम टाऊन
8. गडवाल
9. जेडेहेरला
10. कामारेड्डी
11. रामागुंडम
12. रेणिगुंटा
13. रिपल्ले
14. सामलकोट
15. तेनाली
16. अनंतपुर
17. बसर
18. कुडप्पा
19. गुंतकल
20. हैदराबाद
21. काचेगुडा
22. काकीनाडा टाऊन
23. गुंटुर
24. काजीपेट
25. खम्माम
26. कुरनूल टाऊन
27. महबूबनगर
28. नाडिकुडी
29. नांदयाल
30. नरसरोपेट
31. नेल्लोर
32. निजामाबाद
33. ओंगोल
34. राजामुंद्री
35. सिकंदराबाद
36. तिरूपति
37. विजयवाड़ा
38. वारंगल
39. बोब्बिली
40. चिपुरुपल्ली
41. पलसा
42. पार्वतीपुरम
43. सिम्हाचलम्
44. श्रीकाकुलम
45. विजयनगरम्
46. भद्राचलम रोड
47. गिद्दालूर
48. गूटी
49. मिरयलगुडा
50. नलगोंडा
51. पकाला
52. विकाराबाद
53. पुतुर
54. सल्लुरपेटा
55. सत्तेनपल्ली

(ग) रेलवे स्टेशनों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं पहले ही मुहैया करा दी गयी हैं। इसके अलावा, यात्री यातायात/आय में वृद्धि के अनुरूप स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का आवर्धन एक सतत् प्रक्रिया है और धन की उपलब्धता एवं अन्य सापेक्ष प्राथमिकताओं के अनुसार वार्षिक निर्माण कार्यक्रम के माध्यम से शुरू किया जाता है।

[हिन्दी]

इस्पात का उत्पादन

403. श्री टेक लाल महतो:

श्री के.एस. राव:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात विनिर्माताओं द्वारा एच.आर. कॉयल और अन्य इस्पात उत्पादों के उत्पादन और विभिन्न विनिर्माण तथा अवसंरचना क्षेत्रों द्वारा उनकी मांग का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस्पात पर आयात शुल्क लगाए जाने के क्या कारण हैं, जिनके कारण आयात से प्रतिस्पर्धा में बाधा पहुंच रही है और विशेषकर ऑटो उद्योग, विद्युत उपस्कर, फर्नीचर आदि के उत्पादों की मांग और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रयासों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस्पात के और अधिक उत्पादन को बढ़ावा देने और भवन अवसंरचना तथा विनिर्माण उद्योगों में निवेश को बढ़ाने के लिए इसे आयातित इस्पात के साथ उचित कीमतों पर उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर जितिन प्रसाद): (क) गत तीन वर्षों अर्थात् 2005-06, 2006-07, 2007-08 और अप्रैल से दिसम्बर 2008-09 के दौरान देश में एच.आर. क्वायल और अन्य परिसज्जित इस्पात उत्पादों की बिक्री हेतु उत्पादन तथा उनकी समग्र खपत के ब्यौरे संलग्न विवरण I, II और III में दिये गये हैं।

(ख) सरकार ने नवम्बर, 2008 में कच्चे लोहे, इस्पात के अर्द्ध-परिसज्जित एवं परिसज्जित चपटे व लम्बे उत्पादों पर 5 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया था। ऐसा मन्दी की प्रवृत्तियों का सामना कर रही इस्पात-अधिशेष अर्थव्यवस्थाओं से गैर-प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों/दरों पर इस्पात के इन्फ्लो को हतोत्साहित करने तथा घरेलू हितों को सुरक्षित बनाने के लिये किया गया था।

(ग) और (घ) नियंत्रणमुक्त एवं उदारीकृत अर्थव्यवस्था में इस्पात का उत्पादन मुख्यत: मांग की स्थितियों (स्थानीय और वैश्विक दोनों बाजार) और उत्पादन का अपेक्षित स्तर प्राप्त करने के लिए कच्ची सामग्रियों की उपलब्धता से प्रभावित होता है। उत्पादन संबंधी निर्णय अनिवार्य रूप से इस्पात उत्पादक यूनिटों द्वारा लिये जाते हैं। इस प्रकार की बाजार व्यवस्था में सरकार की भूमिका केवल सुविधादाता के रूप में होती है - वह औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए समग्र रूप से नीतिगत माहौल प्रदान करती है। घरेलू इस्पात उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करने तथा अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समूह (आई.एम.जी.) का गठन किया है। यह समूह अवसंरचना से संबंधित देश में बड़े इस्पात निवेशों, कच्ची सामग्री की आपूर्ति, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा अन्य संसाधनों की कमी आदि से संबंधित मामलों की निगरानी और समन्वय करेगी।

विवरण-I

पिछले 3 वर्षों के लिए विभिन्न परिसज्जित इस्पात उत्पादों (गैर-मिश्र तथा मिश्र) की बिक्री के लिए उत्पादन का ब्यौरा

इकाई: हजार टन

परिसज्जित गैर-मिश्र इस्पात मदें	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4
(क) गैर-चपटे			
बार्स एंड रॉड्स	16636	18811	20188

1	2	3	4
स्ट्रक्चरल्स	4484	4884	5043
रेलवे-मैटिरियल्स	1013	1038	1086
कुल-गैर चपटे	**22133**	**24733**	**26317**
(ख) चपटे			
प्लेट्स	2974	3342	4057
एच.आर. क्वॉयल्स/स्केल्प/शीट्स	10124	11884	12431
सी.आर. शीट्स/क्वॉयल्स	3981	4322	4439
जी.पी./जी.सी. शीट्स	3782	4391	4381
इलैक्ट्रिक शीट्स	148	143	159
टिनप्लेट (डब्ल्यू.डब्ल्यू. सहित)	182	172	183
टी.एम.बी.पी.	8	9	6
पाइप (बड़े व्यास के)	1058	1198	1335
टिन फ्री स्टील		2	0
कुल चपटे	**22257**	**25463**	**26991**
कुल परिसज्जित गैर-मिश्र इस्पात	**44390**	**50196**	**53308**
कुल मिश्र इस्पात	**2176**	**2333**	**2767**
कुल परिसज्जित इस्पात	**46566**	**52529**	**56075**

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जे.पी.सी.)

विवरण-II

पिछले 3 वर्षों के लिए विभिन्न परिसज्जित इस्पात उत्पादों (गैर-मिश्र तथा मिश्र) की खपत का ब्यौरा

इकाई: हजार टन

परिसज्जित गैर-मिश्र इस्पात मदें	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4
(क) गैर-चपटे			
बार्स एंड रॉड्स	16689	18782	20381
स्ट्रक्चरल्स	4482	4905	4990

1	2	3	4
रेलवे-मैटिरियल्स	998	1045	1083
कुल-गैर चपटे	22169	24732	26454
(ख) चपटे			
प्लेट्स	3568	4346	5396
एच.आर. क्वॉयल्स/स्केल्प	9523	11232	13246
एच.आर. शीट्स	639	761	787
सी.आर. शीट्स/क्वॉयल्स	3989	4519	4730
जी.पी./जी.सी. शीट्स	2051	2400	2617
इलैक्ट्रिक शीट्स	336	393	379
टिन प्लेट (डब्ल्यू.डब्ल्यू. सहित)	234	286	294
टी.एम.बी.पी.	2	11	9
पाइप्स (बड़े व्यास के)	998	1063	1218
टिन फ्री स्टील	28	34	44
कुल चपटे	**21368**	**25045**	**28720**
घटाएं .डबल काउंटिंग	4352	5449	5754
कुल परिसज्जित गैर-मिश्र इस्पात	**39185**	**44328**	**49420**
कुल मिश्र इस्पात	**2248**	**2455**	**2705**
कुल परिसज्जित इस्पात	**41433**	**46783**	**52125**

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जे.पी.सी.)

विवरण-III

अप्रैल-दिसंबर, 2008-09 (अनंतिम) की अवधि के लिए विभिन्न परिसज्जित इस्पात उत्पादों (गैर-मिश्र तथा मिश्र) की बिक्री तथा खपत के लिए उत्पादन का ब्यौरा

इकाई: हजार टन

परिसज्जित गैर-मिश्र इस्पात मदें	अप्रैल-दिसंबर 2008-09 (अनंतिम)	
	बिक्री के लिए उत्पादन	खपत
1	2	3
(क) गैर-चपटे		
बार्स एंड रॉड्स	15485	15018

1	2	3
स्ट्रक्चरल्स	3866	3683
रेलवे-मटेरियल्स	865	853
कुल गैर-चपटे	**20216**	**19554**
(ख) चपटे		
प्लेट्स	2876	3362
एच.आर. क्वॉयल्स/स्केल्प	8221	9006
एच.आर. शीट्स	456	485
सी.आर. शीट्स/क्वॉयल्स	3506	3763
जी.पी./जी.सी. शीट्स	3319	2341
इलैक्ट्रिक शीट्स	119	281
टिन प्लेट (बड़े व्यास)	157	197
टी.एम.बी.पी.	0	2
पाइप्स (बड़े व्यास के)	1027	909
टिन फ्री स्टील		27
कुल चपटे	**19681**	**20373**
कुल: परिसज्जित गैर-मिश्र इस्पात	**39897**	**35427***
कुल मिश्र इस्पात	**2180**	**2416**
कुल परिसज्जित इस्पात	**42077**	**37843**

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जे.पी.सी.); * = कुल चपटे में से 4.5 एम.टी. की दोहरी गणना के लिए लेखांकन के बाद।

हेलीकॉप्टर सेवाओं में राजसहायता

404. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार प्राकृतिक आपदाओं और चिकित्सा आपात-स्थिति में लोगों को सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य-सरकार द्वारा चलाई जा रही हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए राजसहायता उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार से समय-समय पर अनुरोध करती रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है और उक्त अनुरोध को लंबे समय तक लंबित रखे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) जी, हां। राज्य सरकार के अनुरोध के प्रत्युत्तर में, सरकार ने भारी बर्फबारी के दौरान हैलीकाप्टर से यात्रा करने वाले हिमाचल प्रदेश के स्थानीय आदिवासियों से भुंतर

हवाई अड्डे पर से यात्री सेवा शुल्क (पी.एस.एफ.) माफ करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

[अनुवाद]

मंगलोर खंड पर विद्युतीकरण कार्य

405. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में रेलवे के मंगलोर खण्ड पर विद्युतीकरण कार्य में समय-सीमा के अनुसार प्रगति नहीं हो रही है;

(ख) यदि हां, तो कार्य की धीमी गति के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त परियोजना के कब तक पूरा होने और इस खंड पर विद्युतचालित रेलगाड़ियों के कब तक चलने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) मुख्यत: यातायात की मात्रा, आर्थिक लाभप्रदता और परिचालनिक आवश्यकता के आधार पर रेलपथ के विद्युतीकरण के बारे में विचार किया जाता है। इस समय, शोरूवण्णूर-मंगलौर खंड के विद्युतीकरण के प्रस्ताव की रेल मंत्रालय में जांच की जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दवाओं की कीमतों में वृद्धि

406. श्री विजय कृष्ण: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाजार में एलबुमिन, हेपारी, माक्स 500, नोवोमिक्स और नोवोरापिड की कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मूल्य नियंत्रण के मामले पर बार-बार आश्वासन देने के बावजूद सरकार अब तक किस सीमा तक नियंत्रण को लागू कर पायी है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ग) एन.पी.पी.ए. औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी.पी.पी.ओ. 95) की प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध 74 बल्क ड्रगों वाले सूत्रयोगों के मूल्यों का निर्धारण/संशोधन करता है। मूल्य निर्धारण/संशोधन एक सतत प्रक्रिया भी है और मूल्य डी.पी.सी.ओ. '95 के अधीन पैरा 7 में दिए गए फार्मूला के अनुसार निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं।

नोवामिक्स एवं नोवारैपिड डी.पी.सी.ओ. '95 के अधीन अनुसूचीबद्ध बल्क ड्रग इन्सुलिन वाले अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशन हैं। नोवामिक्स 30 पेनफिल और नोवारैपिड पेनफिल 3 मिली कार्ट्रिज पैक के मूल्य 29-1-2008 को एस.ओ. सं. 187ई() द्वारा 392.85/पैक (कर अतिरिक्त) से संशोधित कर 425.32/ पैक (कर अतिरिक्त) किया गया। मूल्य वृद्धि का कारण अवतरित मूल्य के आधार पर आयातित सी.आई.एफ. मूल्य में वृद्धि होना है क्योंकि इससे पूर्व वर्ष 2004 में मूल्य निर्धारित हुआ था।

एल्बुमिन, हेपारी एवं मॉक्स 500 गैर-अनुसूचीबद्ध दवाएं हैं जो कि डी.पी.सी.ओ. 95 के अधीन मूल्य नियंत्रण के बाहर हैं। तथापि, उन दवाओं के मूल्यों की निगरानी, ओ.आर.जी.-आई.एम.एस. की मासिक रिपोर्ट के आधार पर दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय औषध मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) द्वारा की जाती है। अक्तूबर, 2008 माह के ओ.आर.जी.-आई.एम.एस. आंकड़ों के सत्यापन के बाद पाया कि उपरोक्त तीनों गैर-अनुसूचीबद्ध दवाओं में मूल्य वृद्धि 10% प्रति वर्ष की सीमा के भीतर है।

सुपर फास्ट रेलगाड़ी

407. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारका यात्राधाम से वीरामगम-मेहसाना होते हुए हरिद्वार यात्राधाम के लिए दैनिक सुपर फास्ट रेलगाड़ी चलाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस रेलगाड़ी के कब तक आरंभ होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन आयल कारपोरेशन की क्रेडिट रेटिंग

408. श्री सुग्रीव सिंह:

श्री रवि प्रकाश वर्मा:

श्री मधु गौड यास्खी:

श्री नन्द कुमार साय:

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टैण्डर्ड एण्ड पूअर नामक एक अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग संगठन द्वारा इंडियन आयल कारपोरेशन की क्रेडिट रेट्रिंग कम कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इंडियन आयल कारपोरेशन के कार्यकरण पर कम क्रेडिट रेटिंग का क्या प्रभाव पड़ा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी, हां। 31 दिसम्बर, 2008 को स्टैंडर्ड एंड पूअर (एस एंड पी) ने इंडियन आयल कार्पोरेशन (आई.ओ.सी.) की दीर्घावधि विदेशी मुद्रा जारीकर्त्ता रेटिंग को "स्थिर दृष्टिकोण सहित बी.बी.बी. - की निवेश ग्रेड रेटिंग" के दर्जे से घटाकर "स्थिर दृष्टिकोण सहित बी.बी.+की परिकल्पित ग्रेड रेटिंग कर दिया है।

(ख) उक्त रेटिंग एजेंसी, कंपनियों की ऋण देने की योग्यता सहित उनकी आधारभूत विशेषताओं की आवधिक निगरानी करती है और 2008 के लिए आई.ओ.सी. की वार्षिक निगरानी पूरी करने के बाद, एस एंड पी ने रेटिंग का दर्जा घटाने का निर्णय लिया। तथापि, एजेंसी ने माना कि आई.ओ.सी. की वित्तीय स्थिति, तेल के वैश्विक मूल्यों में कमी आने से और भारत सरकार से तेल बांडों की अंतिम प्राप्ति से अल्प काल में सुधरेगी और स्थिर होगी।

(ग) दर्जा घटाने से, निधियों की प्रतिबंधित उपलब्धता और/या बैंकों द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की शर्तों में, आई.ओ.सी. के अल्पकालीन विदेशी मुद्रा ऋणों पर प्रभाव पड़ सकता है।

गोवा एक्सप्रेस में आरक्षण कोटा

409. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण-पश्चिम रेलवे द्वारा गोवा एक्सप्रेस में मीरज रेलवे स्टेशन का आरक्षण कोटा रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम महाराष्ट्र में मीरज, सांगली, कराड और सतारा रेलवे स्टेशनों से सवार होने वाले सैनिक और यात्री मीरज कोटा रद्द होने के कारण आरक्षण प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण पश्चिम महाराष्ट्र के यात्रियों को हुई असुविधा को दूर करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) गोवा एक्सप्रेस के लिए मिराज स्टेशन पर मुहैया कराया गया दूरस्थ स्थल कोटा पुणे स्टेशन पर शिफ्ट कर दिया गया है।

(ख) इन स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्री एकत्रीकृत कोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

देश में नए सी.एन.जी. स्टेशनों को खोलना

410. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिसम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक सहित देश में सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशनों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान कर्नाटक सहित प्रत्येक राज्य में स्थापित किए जाने वाले नए सी.एन.जी. स्टेशनों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या वाहनों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सी.एन.जी. स्टेशनों की संख्या पर्याप्त होगी; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनशा पटेल): (क) कंपनियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 31 दिसम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार देश में सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशनों की कुल संख्या निम्न प्रकार है:-

राज्य	नगर	कंपनी	सी.एन.जी. स्टेशनों की संख्या
दिल्ली	दिल्ली	आई.जी.एल.	166
महाराष्ट्र	मुंबई, थाने, मीरा भयनदार और नवी मुंबई	एम.जी.एल.	132
	पुणे	एम.जी.एल.	7
उत्तर प्रदेश	कानपुर	सी.यू.जी.एल.	5
	बरेली		1
	लखनऊ	जी.जी.एल.	4
	आगरा		3
	नऔएडा	आई.जी.एल.	3
गुजरात	वडोदरा	गेल	3
	सूरत, भड़ूच और अंकलेश्वर	जी.जी.सी.एल.	24
	अहमदाबाद	अडानी एनर्जी लि.	45
	अहमदाबाद	एच.पी.सी.एल.	10
	राजकोट, मुरबी इत्यादि	जी.एस.पी.सी.	12
	गांधीनगर	साबरमती	2
आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा		6
	हैदरबादा	बी.जी.एल.	3
	राजामुन्द्री		1
त्रिपुरा	अगरतला	टी.एन.जी.सी.एल.	1
मध्य प्रदेश	इंदौर	ए.जी.एल.	4
	उज्जैन		1
योग			433

आय की स्थिति के अनुसार कर्नाटक में कोई सी.एन.जी. स्टेशन नहीं है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अभी तक, राज्य-वार स्थापित नये सी.एन.जी. स्टेशनों की कुल संख्या निम्न प्रकार है:-

राज्य	नगर	कंपनी	सी.एन.जी. स्टेशनों की संख्या
दिल्ली	दिल्ली	आई.जी.एल.	14
महाराष्ट्र	मुंबई, थाणे, मीरा भयन्दर और नवी मुंबई	एम.जी.एल.	2
	पुणे	एम.एन.जी.एल.	7
उत्तर प्रदेश	नौएडा	आई.जी.एल.	3
आन्ध्र प्रदेश	राजामुन्द्री	बी.जी.एल.	1
मध्य प्रदेश	इन्दौर	ए.जी.एल.	4
	उज्जैन		1
योग			32

(ग) और (घ) देश में विभिन्न राज्यों में सी.एन.जी. बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रमिक ढंग से आरम्भ किया जा रहा है। सी.एन.जी. की सुविधाएं गैस की उपलब्धता, आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना और आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर होती हैं। पूरे देश में ट्रंक नेचुरल गैस पाइपलाइनें बिछाने तथा नगर/स्थानीय नेचुरल गैस वितरण नेटवर्क के लिए सार्वजनिक और साथ ही निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ाने की दृष्टि से भारत सरकार ने "पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006" बनाया है।

[हिन्दी]

ग्वालियर-शिवपुरकलां रेलवे लाईन पर आमान परिवर्तन

411. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोटा के लिए नई रेल लाइन के साथ-साथ ग्वालियर-शिवपुरकला रेल लाईन के आमान परिवर्तन के सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो शिवपुरकलां और कोटा के बीच उक्त नयी रेल लाईन बिछाने के लिए किस मार्ग की पहचान की गयी है और इससे किन नगरों के जुड़ने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां। ग्वालियर-शिवपुर कलां लाइन के आमान परिवर्तन और दीगोद तक इस लाइन के विस्तार के लिए सर्वेक्षण किया गया है।

(ख) प्रस्तावित शिवपुर कलां-दीगोद नई लाइन के लिए निर्धारित मार्ग पिपलड़ाकलां, बरोड और सुल्तानपुर शहरों से होकर जाएगी।

पुलगांव-आर.वी. रेल सेवा

412. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटिश काल से चली आ रही पुलगांव-आरवी (शकुंतला) रेल सेवा को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रेल को बंद करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को स्थानीय लोगों के लिए इसके महत्व को मद्देनजर पुलगांव-आरवी रेल सेवा को पुनः प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकार तथा अन्य संगठनों से इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल, 643/644 पुलगांव-आरवी पैसेंजर को रेल पथ के असुरक्षित हो जाने के कारण संरक्षा उपाय के तौर पर 30-07-2008 से कुछ समय के लिए निरस्त कर दिया गया है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल, महाराष्ट्र प्रदेश समाजवादी पार्टी के राज्य सचिव श्री बाबा अब्दुल जमील से इस संबंध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

643/644 पुलगांव-आरवी पैसेंजर को पुनः चलाना फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

समर्पित माल ढुलाई गलियारा परियोजना

413. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:
श्री अब्दुल्लाकुट्टी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे की समर्पित माल ढुलाई गलियारा परियोजना के पश्चिमी गलियारे के लिए जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी से वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त ऋण को कब तक अंतिम रूप दिया जाएगा और इसके पुनर्भुगतान की शर्त क्या होगी;

(घ) क्या भारतीय रेल पटरियों पर बुलेट रेल गाड़ी के संचालन की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने जापान का दौरा किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त दौरे के दौरान जापान के प्राधिकारियों के साथ अन्य किन मुद्दों पर चर्चा हुई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। जापान सरकार की स्पैशल टर्म्स ऑफ इकोनामिक पार्टनरशिप (स्टैप) के अंतर्गत पश्चिम गलियारे के लिए सहायता मांगी गयी है।

(ग) ऋण को वर्ष 2009-10 में अंतिम रूप देने का लक्ष्य है।

(घ) से (च) माननीय रेलमंत्री जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 12-01-2009 से 15-01-2009 तक जापान का दौरा किया और समर्पित मालभाड़ा गलियारा परियोजना, गाड़ी परिचालनों, अवसंरचना सृजन के वित्त पोषण से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और उद्योग और रेल सुविधाओं के स्थलों का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने शिनकंसन गाड़ी सेवाओं का पहली बार अनुभव लेने के लिए शिनकंसन (बुलट गाड़ी) पर भी यात्रा की।

विदेशी सहायता प्राप्त रेल परियोजनाएं

414. श्री जसुभाई धानाभाई बारड: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशी सहायता प्राप्त चालू रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन के लिए विभिन्न विदेशी वित्तीय एजेंसियों से कितना ऋण लिया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) बाहरी सहायता प्राप्त चल रही रेलवे परियोजनाओं तथा इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विदेशी वित्तीय एजेंसियों से लिए गए ऋण से संबंधित विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) मुंबई क्षेत्र में उपनगरीय रेल सेवाओं में सुधार लाने के लिए मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एम.यू.टी.पी.) जिसके सड़क तथा रेल दोनों घटक हैं, को आंशिक रूप से विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। रेल घटक के लिए अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण एवं विकास बैंक (आई.बी.आर.डी.) तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन (आई.डी.ए.) से लिए गए क्रमशः 304.5 मिलियन अमेरिकी डालर तथा स्पेशल ड्राइंग राइट्स (एस.टी.आर.) 42.13 मिलियन के ऋण शामिल है।

ऋण करार पर अगस्त, 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे।

(ii) गाजियाबाद से कानपुर के बीच सिगनलिंग के आधुनिकीकरण की परियोजना का आंशिक रूप से क्रेडिटेनस्टाल्ट फर वाइडेरफबौ (के.एफ.डब्ल्यू.), जर्मनी द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। परियोजना की अनुमानित लागत 212.3 मिलियन डी.एम. (108.5 मिलियन यूरो) है. ऋण राशि 185 मिलियन डी.एम. (94.5 मिलियन यूरो) है तथा ऋण करार पर जून, 1997 में हस्ताक्षर किए गए थे।

(iii) एशियन विकास बैंक द्वारा रेल नेटवर्क की क्षमता में संवर्धन करने तथा परिचालनिक कुशलता/संरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से रेलवे सेक्टर सुधार परियोजना के वित्त पोषण के लिए ऋण दिया गया है। जिन उप-परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जाना है वे प्रमुखतः स्वर्णिम चतुर्भुज और इसके विकर्णों तथा पत्तन संपर्कता परियोजनाओं में है। ऋणराशि 313.6 मिलियन अमेरीकन डॉलर थी। ऋण करार पर अप्रैल, 2004 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद मार्च, 2007 में इस ऋण से वित्त पोषित होने वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अड़चन पैदा होने के कारण 101.3 मिलियन अमेरीकन डॉलर की राशि रद्द कर दी गई थी। इस समय ऋण की राशि 212.3 मिलियन अमेरीकन डॉलर है।

दवाओं के मूल्य नियंत्रण तंत्र की समीक्षा

415. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में दवाओं के मूल्य नियंत्रण तंत्र की समीक्षा के लिए मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय औषध नीति के प्रारूप को मंत्रि-मंडल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था। मंत्रिमंडल ने 11-1-2007 की अपनी बैठक में इस नीति पर विचार किया और यह निर्णय लिया कि प्रथम दृष्टया, मामले पर मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) द्वारा विचार किया जाए। अब जी.ओ.एम. का गठन कर लिया गया है। और अब तक इसकी चार बैठकें 10-04-2007, 12-09-2007, 30-01-2008 एवं 30-04-2008 को हुई हैं। प्रस्तावित राष्ट्रीय औषध नीति, 2006 की प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित हैं; औषध विनियामक तंत्र का सुदृढ़ीकरण, पेटेंट कार्यालय अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, अनुसंधान एवं विकास पर फोकस, औषधीय विज्ञान में मानव संसाधन विकास, औषधों पर उत्पादशुल्क को तर्कसंगत बनाना, सरकार द्वारा औषधों की थोक खरीद की प्रणाली को सुचारू बनाना, जेनरिक दवाओं का संवर्द्धन, फार्मा सी.पी.एस.ईज का सुदृढ़ीकरण, गरीबों खासतौर पर बी.पी.एल. परिवारों के लिए दवाओं की पहुंच बनाने के लिए स्कीमें, उत्तम विनिर्माण परंपराओं के लिए अनुसूची एम (औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन नियम, 1945) के क्रियान्वयन के लिए ब्याज सब्सिडी स्कीमें, फार्मा निर्यात पर विशेष जोर, अधिक कम्प्यूटरीकरण और बेहतर निगरानी के द्वारा एन.पी.पी.ए. का सुदृढ़ीकरण, औषध मूल्य नियंत्रण के लिए संशोधित प्रणाली, जेनरिक-जेनरिक दवाओं के लिए ट्रेड मार्जिन का विनियमन आदि। जी.ओ.एम. द्वारा मंत्रिमंडल को अभी अपनी सिफारिशें दी जानी हैं।

अलपुज्जा स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-47 बाई-पास पर सड़क उपरि पुल

416. डा. के.एस. मनोज: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को अलपुज्जा स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-47 बाई-पास पर सड़क उपरि पुल के लिए जनरल एग्रीमेंट ड्राईंग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) सामान्य व्यवस्था आरेख (जी.ए.डी.) अलपुज्जा और तिम्बोली स्टेशनों के बीच 55/3-4 कि.मी. पर चेनेज 410.17 रेलवे पर 4 लाइन के ऊपरी सड़क पुलों और अलपुज्जा बाई-पास पर अलपुज्जा और पुनाराप्पा स्टेशनों के बीच 57/14-15 कि.मी. पर चेनेज 412.83 रेलवे पर 4 लाइन वाले ऊपरी सड़क पुल के लिए है।

(ग) 8-6-07 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से सामान्य व्यवस्था आरेख संबंधी टिप्पणी मांगी गयी है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ बैठक के दौरान बार-बार इस मुद्दे को उठाए जाने के बावजूद उक्त ऊपरी सड़क पुलों के लिए संशोधित जी.ए.डी. अभी तक एन.एच.ए.आई. से प्राप्त नहीं हुए हैं।

भारत-ईरान गैस पाइपलाईन परियोजना

417. श्री रायापति सांबासिवा राव:

श्री गणेश सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत-ईरान गैस पाइपलाईन परियोजना की स्थिति क्या है;

(ख) क्या भारत-ईरान गैस पाइपलाईन परियोजना समझौते में तेजी लाने की दिशा में कोई प्रगति हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस परियोजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में किन कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ङ) अब तक इस परियोजना पर कुल कितना व्यय किया गया है; और

(च) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) भारत, ईरान से, ईरान-पाकिस्तान-भारत (आई.पी.आई.) गैस पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से प्राकृतिक गैस का आयात करने के लिए प्रयासरत है। विभिन्न महत्वपूर्ण मामले जैसे गैस का मूल्यनिर्धारण, गैस का सुपुर्दगी बिन्दु, परियोजना की रूप रेखा, परिवहन प्रशुल्क का भुगतान एवं पाकिस्तान से होकर प्राकृतिक गैस के पारगमन के लिए परिवहन शुल्कों आदि के बारे में सहभागी देशों के बीच में विचार-विमर्श किए जा रहे हैं।

(घ) ऐसी बहुपक्षीय परियोजनाओं में लंबी चर्चाएं शामिल होती हैं क्योंकि प्रत्येक देश के हितों की रक्षा करने एवं भविष्य में परियोजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में किसी समस्या से निपटने हेतु सभी पहलुओं की ध्यानपूर्वक जांच की एवं भागीदार देशों की संतुष्टि के विषय में विचार विमर्श किया जाना होता है।

(ङ) परियोजना में शामिल पी.एस.यूज-गेल (इंडिया) लि. एवं इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने परियोजना पूर्व क्रियाकलापों के संबंध में लगभग 4.71 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं।

(च) भागीदारी देशों के बीच विचाराधीन मामलों के संतोषजनक समाधान के बाद ही परियोजना का काम शुरू हो सकता है। इस प्रकार, इस स्थिति में परियोजना के पूरा हो जाने का समय निर्धारित नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

देश में तेल क्षेत्र का सर्वेक्षण/अन्वेषण

418. श्री रामदास आठवले:

श्री जसुभाई धानाभाई बारड:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों के उन राज्यों और स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर आज की तिथि के अनुसार तेल के अन्वेषण के लिए खुदाई की जा रही है और उन कंपनियों के नाम क्या हैं जो यह कार्य कर रही हैं;

(ख) उक्त कंपनियों द्वारा सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए कितनी निधियां खर्च की गयी हैं; और

(ग) अन्वेषण कार्य को समय से पूरा किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी.एस.सी.) व्यवस्था के अंतर्गत राज्य वार/जिला वार अन्वेषण क्रियाकलाप तथा व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सरकार पी.एस.सी. के अनुसार कार्य कार्यक्रम को समय पर पूरा करने हेतु प्रत्येक ब्लाक के लिए प्रबंधन समितियों के माध्यम से कार्य कार्यक्रम तथा बजट पर निगरानी रखती है।

विवरण

राज्य वार ब्यौरे

ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच	जे	के

31-09-09 को यथास्थिति अभितट ब्लॉकों की स्थिति

क्र. सं.	फील्ड/ब्लॉक	प्रचालक/कंसोसियम	जिला	क्षेत्र (वर्ग मी.)	2 डी	3 डी	कूप	की गई खोजें	निवेश लाख $
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गुजरात									
1.	बाओला	इंटरलिंक पेट्रोलियम लि. (100 प्रतिशत)	अहमदाबाद	4	0	0	0	0	6.88
2.	असजोल	एच.ओ.ई.सी. (50 प्रतिशत), जी.एस.पी.सी. (50 प्रतिशत)	मेहसाणा	15	0	0	0	0	11.78
3.	बकरोल	सेलन (100 प्रतिशत)	अहमदाबाद	36	150	0	1	0	111.12
4.	मानदत्त	ओयलैक्स एन.एल. होल्डिंग लि. 40 प्रतिशत, जी.एस.पी.सी. 60 प्रतिशत	सूरत	6	0	18	0	0	56.63
5.	कॉम्बे	ओयलैक्स एन.एल. 30 प्रतिशत, जी.एस.पी.सी. 55 प्रतिशत ओयलैक्स एन.एल. होल्डिंग लि. 15 प्रतिशत	खेड़ा	161	0	160	0	0	1228.42
6.	माटार (आर)	परित्यक्त	भरौच	0	0	0	0	0	6.03
7.	हजीरा	नाइको 33.33 प्रतिशत, जी.एस.पी.सी.एल. 66.67 प्रतिशत	सूरत	50	48	30	3	0	2929.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	साबरमती	ओयलैक्स एन.एल. होल्डिंग लि. 40 प्रतिशत, जी.एस.पी.सी. 60 प्रतिशत	अहमदाबाद	6	0	0	0	0	7.61
9.	इंदौरा	सेलन 100 प्रतिशत	अहमदाबाद	130	8	23	0	0	20.00
10.	लौहार	सेलन 100 प्रतिशत	मेहसाणा	5	8	0	0	0	17.65
11.	एलौरा	हेरामेक लि. 30 प्रतिशत जी.एस.पी.सी.एल. 70 प्रतिशत	मेहसाणा	7	0	0	0	0	44.28
12.	मोधेरा	इंटरलिंक पेट्रोलियम लि. 100 प्रतिशत	मेहसाणा	13	0	0	0	0	0.00
13.	उत्तरी बलोल	एच.ओ.ई.सी. 25 प्रतिशत जी.एस.पी.सी.एल. 45 प्रतिशत हैरामेक लि. 30 प्रतिशत	मेहसाणा	27	0	0	0	0	37.34
14.	उत्तरी कथाना	जी.एस.पी.सी.एल. 70 प्रतिशत, हैरामिक लि. 30 प्रतिशत	मेहसाणा	12	0	0	0	0	5.30
15.	सांगनपुर	हाइड्रोकार्बन रिज. डेव. कं. (प्रा.) लि. 50 प्रतिशत, प्राइज पेट्रोलियम 50 प्रतिशत	मेहसाणा	4	0	0	0	0	7.44
16.	उन्नावा	जी.एस.पी.सी.एल. 70 प्रतिशत, हैरामिक लि. 30 प्रतिशत	मेहसाणा	6	0	6	0	0	0.35
17.	कनवरा	जी.एस.पी.सी.एल. 70 प्रतिशत, हैरामिक लि. 30 प्रतिशत	मेहसाणा	6	0	0	0	0	1984.21
18.	धोलासन	जी.एस.पी.सी.एल. 70 प्रतिशत, हैरामिक लि. 30 प्रतिशत	मेहसाणा	9	0	9	0	0	14.22
19.	वावेल	जे.टी.आई. 100 प्रतिशत	गांधीनगर	9	0	0	0	0	6.19

20. घोलका	जे.टी.आई. 100 प्रतिशत	अहमदाबाद	48	0	0	0	0	128.47
21. सीबी-ओ.एन./2	जी.एस.पी.सी.एल. 80 प्रतिशत, जी.जी.आर. 20 प्रतिशत	खेड़ा, आणंद	1201	0	612	11	तेल की 1 और गैस की 2 खोज	299.11
22. सी.बी.-ओ.एन./7	एच.ओ.ई.सी. 50 प्रतिशत, जी.एस.पी.सी.एल. 50 प्रतिशत	वडोडरा, भरौच, राजपीपला	365	0	0	4	तेल की 1 खोज	130.31
23. जी.के.-ओ.एन.-90/2 (आर)	ऑकलैण्ड	भुज	4920	0	0	1	0	0.60
24. जी.के.-ओ.एन./4	फोकस 100 प्रतिशत	भुज	1550	520	0	0	0	0.00
25. सी.बी.-ओ.एन./3	ई.ओ.एल. 100 प्रतिशत	मेहसाणा	430	0	180	9	तेल की 3 खोजें	178.48
26. सी.बी.-ओ.एन./1	आर.आई.एल. 40 प्रतिशत, टी.आई.ओ.एल. 50 प्रतिशत, ओ.ओ.एच.एल.	पालनपुर, पाटन, मेहसाणा, हिम्मत नगर	6133	1961	0	3	0	34.19
27. सी.बी.-ओ.एन.एन.-2000/1	जी.एस.पी.सी.एल.	सूरत	1424	0	549	36.52	36.52	36.52
28. सी.बी.-ओ.एन.एन.-2000/2 (आर)	नाइको	अहमदाबाद	419	113	333	428.61	428.61	428.61
29. सी.बी.-ओ.एन.एन.-2001/1	ओ.एन.जी.सी. 70 प्रतिशत सी.ई.आई.एल. 15 प्रतिशत, सी.ई.डी. 15 प्रतिशत	आणंद, खेडा	215	0	173	110.67	110.67	110.67
30. सी.बी.-ओ.एन.एन.-2002/1	ओ.एन.जी.सी. 70 प्रतिशत, सी.ई.जी.बी.आई. 30 प्रतिशत	पाटन-मेहसाणा	135	0	205	109.13	109.13	109.13
31. सी.बी.-ओ.एन.एन.-2000/2	जे.ओ.जी.पी.एल. 30 प्रतिशत, जी.एस.पी.सी. 60 प्रतिशत, जी.जी.आर. 10 प्रतिशत	मेहसाणा	125	0	236	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	सी.बी.-ओ.एन.एन.-2002/3	जी.एस.पी.सी.एल. 55 प्रतिशत, जे.ई.पी.एल. 20 प्रतिशत, पी.पी.सी.एल. 15 प्रतिशत, जी.जी.आर. 10 प्रतिशत	गांधीनगर, मेहसाणा अहमदाबाद, खेड़ा	285	0	525	573.54	573.54	573.54
33.	सी.बी.-ओ.एन.एन.-2003/1	आर.आई.एल. 100 प्रतिशत	अहमदाबाद, खेड़ा	635	356	1144	337.97	337.97	337.97
34.	सी.बी.-ओ.एन.एन.-2003/2	जी.एसं.पी.सी.एल. 50 प्रतिशत, गेल 20 प्रतिशत, जे.सी.पी. 20 प्रतिशत, जी.जी.आर. 10 प्रतिशत	भरौच	448	0	494	435.96	435.96	435.96
35.	सी.बी.-ओ.एन.एन.-2004/1	ओ.एन.जी.सी. 50 प्रतिशत, जी.एस.पी.सी. 40 प्रतिशत, हेरामिक 10 प्रतिशत	मेहसाणा	32	197	32	15.78	15.78	15.78
36.	सी.बी.-ओ.एन.एन.-2004/2	ओ.एन.जी.सी. 50 प्रतिशत, जी.एस.पी.सी. 40 प्रतिशत, संतेरा 10 प्रतिशत	आणंद व खेडा	423	0	302	39.20	39.20	39.20
37.	सी.बी.-ओ.एन.एन.-2004/3	ओ.एन.जी.सी. 40 प्रतिशत, जी.एस.पी.सी. 25 प्रतिशत, एनसर्च 25 प्रतिशत	भरौच, वडोदरा व आणंद	113	0	126	0.00	0.00	0.00
38.	सी.बी.-ओ.एन.एन.-2004/4	ओ.एन.जी.सी. 50 प्रतिशत, जी.एस.पी.सी. 40 प्रतिशत, हेरामिक 10 प्रतिशत	भरौच	70	0	70	0.00	0.00	0.00
39.	सी.बी.-ओ.एन.एन.-2004/5	नेफटोगज 10 प्रतिशत, अदानी इंटरप्राइजेज 35 प्रतिशत, वेल्सपन 35 प्रतिशत, अदानी पोर्ट 20 प्रतिशत	भरौच और बडोदरा	75	91	90	0	0	63.27

40.	सी.बी.-ओ.एन.एन.-2005/2	आई.ओ.सी.एल. 100 प्रतिशत	मेहसाणा	81	0	0	0	0
41.	सी.बी.-ओ.एन.एन.-2005/3	मर्केटर पेट्रो. प्रा. लि.	मेहसाणा, अहमदाबाद	48	0	0	0	0
42.	सी.बी.-ओ.एन.एन.-2005/4	ओ.एन.जी.सी. 51 प्रतिशत, जी.एस.पी.सी. 49 प्रतिशत	गांधीनगर, मेहसाणा	31	0	0	0	0
	सी.बी.-ओ.एन.एन.-2005/5	ओंकार नैचुरल रीसोर्सिज प्रा.लि. 100 प्रतिशत	गांधीनगर, अहमदाबाद	83	0	0	0	0
	सी.बी.-ओ.एन.एन.-2005/6	ओंकार नैचुरल रीसोर्सिज प्रा.लि. 100 प्रतिशत	गांधीनगर, अहमदाबाद	102	0	0	0	0
	सी.बी.-ओ.एन.एन.-2005/7	आई.ओ.सी.एल. 100 प्रतिशत	बडोदरा, भरौच	200	0	0	0	0
	सी.बी.-ओ.एन.एन.-2005/8	वसुंधरा सिसोर्सिज लि. 100 प्रतिशत	बडोदरा, भरौच	133	0	0	0	0
	सी.बी.-ओ.एन.एन.-2005/9	मर्केटर पेट्रो. प्रा. लि.	बडोदरा, भरौच	170	0	0	0	0
	सी.बी.-ओ.एन.एन.-2005/10	ओ.एन.जी.सी. 51 प्रतिशत जी.एस.पी.सी., 49 प्रतिशत,	भरौच	270	0	0	0	0
	सी.बी.-ओ.एन.एन.-2005/11	क्वेस्ट पेट्रो. प्रा. लि. (क्वेस्ट) 20 प्रतिशत, क्वीपो ऑयल एण्ड गैस इंफ्रा. लि. (क्यू.क्यू.वी.एस.) 40 प्रतिशत, श्रेय इंफ्रा. फाइ. लि. (एस.आर.ई.आई.) 20 प्रतिशत, वेक्ट्रा इंवे. प्रा. लि. (वी.आई.पी. एल.2) 10 प्रतिशत और प्राइमेरा इनर्जी रिसोसिज लि. (पी.आर. आई.एम.) 10 प्रतिशत	भरौच	257	0	0	0	0
कुल गुजरात				**20927**	**3452**	**5317**	**91**	**19**	**9416.34**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
असम									
1.	अमगुरी	केनोरो (60) और असम कं. लि. (40)	शिवसागर	53	0	0	0	0	330.73
2.	सी-ओ.एन.-90/1 (आर)	पोनेई (29), ई.ओ.एल. (16) और आई.ओ.सी. (35) तथा ओ.आई.एल. (20)	सिलचर, हेलकांडी, करीमगंज	635	233	0	1	0	632.88
3.	ए.ए.पी.:-ओ.एन.-94/1	एच.ओ.ई.सी. (40), ओ.आई.एल. (16) और आई.ओ.सी. (44)	डिब्रुगढ़, तिनसुखिया, चानलांग, खानसा	435	185	0	3	गैस की 1 खोज	383.13
4.	ए.ए.-ओ.एन./3 (आर)	ऑकलैण्ड	चानलांग, खानसा	2988	0	0	0	0	0.00
5.	ए.ए.-ओ.एन./7	सी.आर.एल. (65) और ए.सी.एल. (35)	जोरहट, गोलाघाट, मोकुक चंग	1445	475	0	2	0	87.29
6.	ए.ए.-ओ.एन.जे./2	टुल्लो (60) और ओ.एन.जी.सी. (40)	कछार, इम्फाल और चुराचांदपुर, आइजोल	1277	0	0	0	0	0.00
7.	एस-ओ.एन.एन.-2000/1	आर.आई.एल. 90 प्रतिशत, हार्डी 10 प्रतिशत	सोनितपुर और दरांग	6215	0	0	0	0	0.00
8.	ए.ए.-ओ.एन.एन.-2001/3	ओ.एन.जी.सी. 85 प्रतिशत और ओ.आई.एल. 15 प्रतिशत	गोलाघाट	110	0	130	0	0	56.71
9.	ए.ए.-ओ.एन.एन.-2002/3	ओ.आई.एल.-30 प्रतिशत, ओ.एन.जी.सी.-70 प्रतिशत	उत्तरी कछार हिल्स, कर्बी, अंगलोंग	1460	19	0	0	0	26.88
10.	ए.ए.-ओ.एन.एन./2003/1	जे.ओ.जी.पी.-10 प्रतिशत जे.एस.पी.एल.-35 प्रतिशत, जी.एस.पी.सी.-20 प्रतिशत, गेल-35 प्रतिशत	गोलाघाट	81	0	0	0	0	0.00

11. ए.ए.-ओ.एन.एन./ 2003/3	ओ.आई.एल.-85 प्रतिशत, एच.पी.सी.एल.-15 प्रतिशत	तिनसुखिया	275	0	34	0	0	103.00
12. ए.ए.-ओ.एन.एन./ 2004/1	ओ.आई.एल.-(85 प्रतिशत) शिववाणी-(15 प्रतिशत)	शिवसागर	141	0	144	0	0	59.34
13. ए.ए.-ओ.एन.एन./ 2004/2	ओ.आई.एल.-(90 प्रतिशत) सुनतेरा-(10 प्रतिशत)	डिब्रुगढ़	1252	0	206	0	0	0.00
14. ए.ए.-ओ.एन.एन./ 2004/3	एस्सार एनर्जी-90 प्रतिशत, एस्सार ऑयल-10 प्रतिशत	लखीमपुर और धेमाजी	1252	0	0	0	0	0.00
15. ए.ए.-ओ.एन.एन./ 2004/4	अदानी इंटरप्राइजेज (35 प्रतिशत) अदानी पोर्ट-20 प्रतिशत, नेफतोगज-10 प्रतिशत, जे.सी. (मुंबई)-35 प्रतिशत	तिनसुखिया	95	228	0	0	0	0.00
16. ए.ए.-ओ.एन.एन./ 2004/5	एस्सार एनर्जी-90 प्रतिशत, एस्सार ऑयल-10 प्रतिशत	तिनसुखिया	46	0	0	0	0	
17. ए.ए.-ओ.एन.एन./ 2005/1	ओ.एन.जी.सी.-60 प्रतिशत, ओ.आई.एल.-30 प्रतिशत, ए.सी.एल.-10 प्रतिशत	कर्बी, अंगलोंग, गोलाघाट	363	0	0	0	0	
कुल असम			**18123**	**1140**	**514**	**6**	**1**	**1679.96**
अरुणाचल प्रदेश								
1. खरसांग	जी.ओ.-ई.एन.पी.आर.ओ. (10), ई.एन.पी.आर.ओ. कमर्शियल प्रा. लि.: (25), जी.ओ. पेटो, (25) ओ.आई.एल. (40)	चारलांग	11	52	0	0	0	182.37
2. ए.ए.-ओ.एन.एन./ 2003/2	जी.पी.आई.-30 प्रतिशत, एन.टी.पी.सी.-40 प्रतिशत और सी.आर.एल.-30 प्रतिशत	चारलांग	295	206	100	0	0	0.80
कुल अरुणाचल प्रदेश			**306**	**258**	**100**	**1**	**0**	**183.17**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश									
1.	के.जी.-ओ.एन./1 (आर)	आर.आई.एल. (40) और टी.ओ. आई.एल. (60)	गुंटूर, प्रकाशम, कृष्णा	4182	715	0	0	0	40.15
2.	पी.जी.-ओ.एन.एन.-2001/1	ओ.एन.जी.सी.-100 प्रतिशत	पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, खमम	5190	66	0	0	0	40.70
3.	के.जी.-ओ.एन.एन.-2003/1	सी.ई.आई.एल.-24 प्रतिशत, ओ.एन.जी.सी.-51 प्रतिशत, सी.ई.आई.एल.-25 प्रतिशत	कृष्णा और गुंटूर	1697	503	0	0	0	109.47
4.	के.जी.-ओ.एन.एन.-2004/1	ओ.आई.एल.-(90), जिओ ग्लोबल (10)	पूर्वी गोदावरी और यामन (यूटी)	549	0	0	0	0	0.00
5.	के.जी.-ओ.एन.एन.-2004/2	जी.एस.पी.सी. (40), गेल (40), पेट्रो गैस (20)	पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा	1140	0	453	0	0	0.00
कुल आंध्र प्रदेश				**12756**	**1284**	**453**	**0**	**0**	**190.32**
बिहार									
1.	जी.वी.-ओ.एन.एन.-2002/1	सी.पी.आई.एल.-50 प्रतिशत, सी.ई.एस.एल.-50 प्रतिशत	मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुंगेर, बेगुसराय, पटना, खगरिया, सहरसा, भागलपुर, मधेपुरा, सुपौल	15550	500	0	0	0	270.34
2.	पी.ए.-ओ.एन.एन.-2004/1	ओ.एन.जी.सी -100 प्रतिशत	अररिया, किशनगंज और पुरनिया	2537	1407	0	0	0	19.39
3.	पी.ए.-ओ.एन.एन.-2005/1	ओ.एन.जी.सी.-100 प्रतिशत	पश्चिम दिनाजपुर	1096	0	0	0	0	
4.	पी.ए.-ओ.एन.एन.-	ओ.एन.जी.सी.-100 प्रतिशत	दक्षिण दिनाजपुर,	2552	0	0	0	0	

2005/2		पश्चिमी दिनाजपुर, मालदा						
5. जी.वी.-ओ.एन.एन.-2005/3	ओ.एन.जी.सी.-80 प्रतिशत, टाटा पेट्रोडाइन-20 प्रतिशत	पश्चिम चंपारण	2227	0	0	0	0	
कुल बिहार			**23962**	**1907**	**0**	**0**	**0**	**289.73**
हिमाचल प्रदेश								
1. एच.एफ.-ओ.एन.एन.-2001/1	ओ.एन.जी.सी.-100 प्रतिशत	सोलन, सिरमौर, शिमला	1514	465	0	0	0	113.88
कुल हिमाचल प्रदेश			**1514**	**465**	**0**	**0**	**0**	**113.88**
छत्तीसगढ़								
1. एस.आर.-ओ.एन.एन. 2005/1	दीप इनर्जी एल.आई.सी. 10 प्रतिशत, दीप इंड. लि. 70 प्रतिशत, कनवेल फाइ. लि. 10 प्रतिशत और सावित्रा इलै. प्रा. लि. 10 प्रतिशत	कोरिया	789	0	0	0	0	
कुल छत्तीसगढ़			**789**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**
मध्य प्रदेश								
1. एस.आर.-ओ.एन.एन.-2004/1	प्राइज पेट्रो (10 प्रतिशत) - जयप्रकाश एसोसिएटस लि. (90 प्रतिशत)	शहडोल, सिधी, उमरिया, अनुप्पुर व डिंडोरी	13277	0	0	0	0	14.44
कुल मध्य प्रदेश			**13277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.44**
महाराष्ट्र								
1. डी.एस.-ओ.एन.एन.-2003/1	जी.जी.आर. 100 प्रतिशत	धुले	3155	0	0	0	0	3.07
2. डी.एस.-ओ.एन.एन.-2004/1	जिओ-ग्लोबल रिसोर्सिज (बरबाडोस) 100 प्रतिशत	धुले, जलगांव व नन्दूरबार	2649	0	0	0	0	0.00
कुल महाराष्ट्र			**5804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.07**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मिजोरम									
1.	ए.ए.-ओ.एन.एन.-2001/2	ओ.एन.जी.सी.-80 प्रतिशत, आई.ओ.सी.-20 प्रतिशत	आइजोल	4005	109	0	0	0	109.27
2.	एम.जे.-ओ.एन.एन.-2004/1	ओ.आई.एल.-75 प्रतिशत, सुनतेरा-10 प्रतिशत, शिव वाणी-15 प्रतिशत	आइजोल, सरचीप, ममीत व लुंगेई	3213	110	0	0	0	0.00
3.	एम.जेड-ओ.एन.एन.-2004/2	न्फतोगज-10 प्रतिशत, आर.एन.आर.एल.-10 प्रतिशत, जिओ पेट्रोल-10 प्रतिशत	लुंगेई, सेहा व लवांटलाई	3619	0	0	0	0	0.00
कुल मिजोरम				**10837**	**219**	**0**	**0**	**0**	**109.27**
नागालैण्ड									
1.	ए.ए.-ओ.एन.एन.-2001/4	ओ.एन.जी.सी. 100 प्रतिशत	योखा, मोकोकचिंग	645	0	0	0	0	18.29
2.	ए.ए.-ओ.एन.एन.-2002/4	ओ.एन.जी.सी.-90 ओ.आई.एल.-100	कोहिमा	1060	0	0	0	0	26.26
कुल नागालैण्ड				**1705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.55**
उड़ीसा									
1.	एम.एन.-ओ.एन.एन.-2003/1	ओ.एन.जी.सी.-20 प्रतिशत, गेल-20 प्रतिशत, आई.ओ.सी.-20 प्रतिशत, आई.ओ.एल.-40 प्रतिशत	कटक, जयपुर, पुरी, खुर्दा, जगतसिंहपुर, केंद्रपाडा	5903	464	0	0	0	63.12
कुल उड़ीसा				**5903**	**464**	**0**	**0**	**0**	**63.12**
राजस्थान									
1.	आर.जे.-ओ.एन./06	एफ.ई.एल. (10) आई.एस.आई.एल. (65) और एन.ओ.सी.एल. (25)	जैसलमेर	4026	760	336	11	गैस की 3 खोज	67.94

2.	आर.जे.-ओ.एन.-90/5 (आर)	एस्सार (75) और पी.ओ.जी.सी. (25)	गंगानगर, हनुमानगढ़	3967	962	0	2	0	61.00
3.	आर.जे.-ओ.एन.एन.-2000/1	सी.ई.आई.एल. 50 प्रतिशत और सी.ई.एच.एल. 50 प्रतिशत	बाढ़मेर, जलोर	879	6418	2291	129	तेल गैस की 12 और 2 गैस की खोज	9502.97
4.	आर.जे.-ओ.एन.एन.-2001/1	ओ.आंई.एलं. 100 प्रतिशत	जैसलमेर	1862	800	0	1	0	32.00
5.	आर.जे.-ओ.एन.एन.-2001/1	ओ.एन.जी.सी. 30 प्रतिशत और आई.ओ.एल. 70 प्रतिशत	बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर	3425	500	465	3	0	32.20
6.	आर.जे.-ओ.एन.एन.-2002/1	ओ.आई.एल.-60, ओ.एन.जी.सी.-40	बीकानेर, गंगानगर, चुरू	9900	900	0	0	0	3.87
7.	बी.एन.-ओ.एन.एन.-2003/1	ई.एन.आई. 34 ओ.एन.जी.सी. 36, सीई2एल 30	कोटा और झालावाड़	1335	503	0	0	0	0.00
8.	आर.जे.-ओ.एन.एन.-2003/1	सी.ई.आई.एल. 24, सी.ई.6एल. 25 और ओ.एन.जी.सी. 51	जैसलमेर, बाढ़मेर	3585	0	642	0	0	194.65
9.	आर.जे.-ओ.एन.एन.-2003/2	एफ.ई.एल. 10 और बी.आई.एल. 40 और एक्स.ओ.एच. 50	जैसलमेर, बाढ़मेर और जोधपुर	13195	961	335	2	0	188.52
10.	आर.जे.-ओ.एन.एन.-2004/1	ओ.आई.एल. 75-जिओग्लोबल 25	गंगानगर, हनुमानगढ़	2196	1958	466	0	0	0.00
11.	आर.जे.-ओ.एन.एन.-2004/2	ओ.आई.एल. 60-जिओग्लोबल 25-एच.पी.सी.एल. 15	बीकानेर, जैसलमेर	1330	0	1309	0	0	0.00
12.	आर.जे.-ओ.एन.एन.-2004/3	जी.एस.पी.सी. 20, गेल 20, एच.पी.सी.एल. 20, हालवर्थी (पनामा) 10, नितिन फायर (न्यू दिल्ली 10, सिलवरवेल) (मयनमार) (1)-बी.पी.सी.एल. (10)	जैसलमेर, बीकानेर	4613		0	0	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	वी.एन.-ओ.एन.एन.-2004/1	ओ.एन.जी.सी. 100	बुंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा	5801	0	0	0	0	0.00
14.	वी.एन.-ओ.एन.एन.-2004/2	ओ.एन.जी.सी. 100	झालावाड, कोटा और बारन	4466	26	0	0	0	0.00
15.	आर.जे.-ओ.एन.एन.-2005/1	एच.ओ.ई.सी. 25, बी.पी.आर.एल. 25, जे.एस.पी.एल. 25, ओ.एन.जी.सी. और आई.एम.सी. 25	जैसलमेर	1424	0	0	0		
16.	आर.जे.-ओ.एन.एन.-2005/2	ओ.आई.एल. 60, एच.ओ.ई.सी. 20, एच.पी.सी.एल. और मित्तल इनर्जी लि. 20	जैसलमेर	1517	0	0	0		
17.	आर.जे.-ओ.एन.एन.-2005/3	जी.एस.पी.सी. 60 ओ.एन.जी.सी. 40	जैसलमेर	1217	0	0	0		
कुल राजस्थान				**64738**	**13788**	**5844**	**148**	**17**	**10083.15**
त्रिपुरा									
1.	ए.ए.-ओ.एन.एन.-2001/1	ओ.एन.जी.सी. 100	कैलाशहर, एमबासा	2257	70	0	1	0	11.72
2.	ए.ए.-ओ.एन.एन.-2002/2	जे.ओ.जी.पी.एल. 20, गेल 80	दक्षिण त्रिपुरा, पश्चिम त्रिपुरा, धलाई	1680	412	0	1	0	475.00
कुल त्रिपुरा				**3937**	**482**	**0**	**2**	**0**	**516.38**
तमिलनाडु									
1.	सी.वाई.-ओ.एन.एन.-2002/1	जे.ओ.जी.पी.एल. 30, गेल 50, जी.एस.पी.सी. 20	गुडालोर, पांडिचेरी (यूटी)	680	0	278	2	0	516.38

2. सी.वाई.-ओ.एन.एन.-2002/2	ओ.एन.जी.सी. 60 बी.पी.सी.एल. 40	नगापटनम, कुडालोर	210	0	222	0	0	31.98
3. सी.वाई.-ओ.एन.एन.-2003/1	एन.आर. (वी) एल. 100	तंजावुर	975	0	941	1	0	337.05
4. सी.वाई.-ओ.एन.एन.-2004/1	ओ.एन.जी.सी. 80 - बी.पी.सी.एल. 20	कुडालोर और नागापटनम	214	0	0	0		0.00
5. सी.वाई.-ओ.एन.एन.-2004/2	ओ.एन.जी.सी. 80 - बी.पी.सी.एल. 20	अरियालुर	375	0	0	0		0.00
6. पी.आर.-ओ.एन.एन.-2005/1	ओ.एन.जी.सी. 80, टाटा पेट्रोडाईन लि. 20	कांचीपुरम, थिरूवल्लुर, चेन्नई	1807	0	0	0		
7. सी.वाई.-ओ.एन.एन.-2005/1	गेल (इंडिया) लि. 40, सी.एस.पी.सी. 30, बंगाल इनर्जी इंटरनेसनल इंक. 30	थिरूवरूर, थानहवुर	946	0	0	0		
कुल तमिलनाडु			**5207**	**0**	**1441**	**3**	**0**	
उत्तर प्रदेश								
1. जी.वी.-ओ.एन.एन.-97/1	ओ.एन.जी.सी. 40, आई.ओ.सी. 30, सी.ई.आई.एल. (15) और सी.ई.ई.पी.सी. (15)	बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खेरी, सीतापुर, हरदोई, बहराईच, बाराबंकी	18375	543	0	2	0	168.10
2. जी.वी.-ओ.एन.एन.-2000/1/(आर)	ओ.एन.जी.सी. 85, आई.ओ.सी. 15	फैजाबाद, सुलतान-पुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, भदोई, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी, बलिया	23500	452	0	0	0	10.41
3. जी.वी.-ओ.एन.एन.-2003/1	सी.ई.आई.एल. 24, सी.ई.आई.एल. 25 और ओ.एन.जी.सी. 51	देवरिया, गोरखपुर	7210	356	1144	0	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	जी.वी.-ओ.एन.एन.-2004/1	ओ.एन.जी.सी. 100	अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, संत कबीरनगर, बस्ती और गोरखपुर	8354	0	0	0	0	22.77
कुल उत्तर प्रदेश				**57439**	**1351**	**1144**	**2**	**0**	**201.28**
पश्चिम बंगाल									
1.	डब्ल्यू.बी.-ओ.एन.एन.-2000/1 (आर)	ओ.एन.जी.सी. 85, आई.ओ.सी. 15	24-परगना (रिलिक्वीश्ड)	12505	100	0	0	0	5.65
2.	डब्ल्यू.बी.-ओ.एन.एन.-2005/2	ओ.एन.जी.सी. 100	नादिया, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बर्द्धमान	3792	0	0	0		
3.	डब्ल्यू.बी.-ओ.एन.एन.-2005/3	ओ.एन.जी.सी. 100	हुगली, होरा, पश्चिम मेदिनीपुर, बंकुरा, बर्द्धमान	4001	0	0	0		
4.	डब्ल्यू.बी.-ओ.एन.एन.2004/4	ओ.एन.जी.सी. 75, आई.ओ.एल. 25	हुगली, नादिया, बर्द्धमान, उत्तर 24 परगना	3940	0	0	0		
कुल पश्चिम बंगाल				**24238**	**100**	**0**	**0**	**0**	**5.65**
कुल योग				271156	24652	14713	252	37	22200.32

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास

419. श्री एल. राजगोपाल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य में अनुसूचित जातियों (एस.सी.) के लिए 35 छात्रावासों को स्वीकृति प्रदान की गई है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में उन जिलों का ब्यौरा क्या है जहां इन छात्रावासों को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) वित्त वर्ष 2008-09 में अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिए अब तक आंध्र प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में 7 छात्रावासों को संस्वीकृति प्रदान की गई है:-

1. अनन्तसागरम, नेल्लौर
2. श्रीकलाहस्ती, चित्तूर
3. मकसिरा, अनन्तपुर
4. झारसंगम, मेढक
5. तालामड्डगू आदिलाबाद
6. धर्मपुरी, करीमनगर
7. थिप्पारती, नालगोंडा

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा कल्याण योजनाएं

420. श्री अनवर हुसैन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों यथा ओ.एन.जी.सी., आयल इंडिया, एन.आर.एल., आई.ओ.सी. तथा बी.आर.पी.एल. द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान असम राज्य में सामाजिक कल्याण योजना के तहत शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस प्रकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए आबंटित/व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की इन तेल कंपनियों ने राज्य में कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए गैर-सरकारी संगठनों की सेवाएं ली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रम, नामत: ओ.एन.जी.सी., आयल इंडिया लिमिटेड, एन.आर.एल., आई.ओ.सी. तथा बी.आर.पी.एल. जिनकी इकाईयां असम राज्य में हैं, अपने निगम के सामाजिक कल्याण दायित्वों के तहत सामाजिक कल्याण योजनाएं चला रही हैं। चालू वर्ष के दौरान, असम राज्य में तेल पी.एस.यूज द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों में निम्नवत् हैं-

कृषि-संबद्ध तथा आय सृजन

* आस पास के क्षेत्रों के किसानों को निशुल्क बीजों का वितरण।
* आय सृजन योजनाओं के लिए बेरोजगार युवाओं तथा स्व-सहायता समूहों को वित्तीय सहायता।
* आस पास के गांवों की महिलाओं को करघा और सूत का वितरण।

शिक्षा

* पुस्तकालयों, कक्षाओं तथा प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए आस पास के क्षेत्रों में स्कूलों तथा कालेजों जैसी विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता।
* कम्प्यूटर साक्षरता तथा जागरूकता पैदा करने और उसे बढ़ाने के लिए राज्य में विभिन्न संस्थानों और संगठनों को कंप्यूटरों का वितरण।
* छात्राओं सहित प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृति।

संरचना विकास

* रिफाइनरी के आसपास गांव की सड़कों का विकास।
* आस पास के गांवों में पीने के पानी की सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता।
* ग्रामीण बाजारों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता।
* आसपास के गांवों में कम लागत वाले शौचालयों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता।

* सार्वजनिक सभा भवनों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता।

* बच्चों के लिए पार्कों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता।

सामुदायिक स्वास्थ्य

* आवधिक अंतरालों पर आसपास के गांवों में चिकित्सा कैंप।

* उन्नत चिकित्सा सुविधाओं के लिए आसपास के क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य केन्द्रों को वित्तीय सहायता।

कला, खेल और संस्कृति को प्रोन्नयन

* भाषा और साहित्य को प्रोन्नत करने के लिए राज्य की प्रमुख साहित्यिक निकायों को वित्तीय सहायता।

* राज्य के प्रमुख खेल आयोजनों के लिए वित्तीय सहायता।

* राज्य में खेल, कला और संस्कृति के क्षेत्रों में विकास के लिए विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों के लिए वित्तीय सहायता।

जल आपूर्ति और सफाई

* विभिन्न स्थानों पर पीने के पानी के लिए जल आपूर्ति/नलकूपों/गहरे कूपों के लिए रिंग-कूपों का निर्माण, साफ शौचालयों का निर्माण।

* फूटबॉल, वालीबाल आदि के लिए कोचिंग हेतु खेल के मैदानों का विकास।

* बेहतर संपर्क/बेहतर स्वास्थ्य के लिए सड़कों/नालियों का विकास।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के ये तेल उपक्रम अपने नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व योजनाओं पर विगत वित्तीय वर्ष के अपने करोपरांत निवल लाभ का 0.75% से 1.0% तक खर्च कर रही हैं। चालू वर्ष के दौरान असम राज्य में सामाजिक कल्याण योजनाओं पर इन पी.एस.यूज द्वारा किया गया व्यय निम्नवत है-

पी.एस.यूज	राशि लाख रुपए
आई.ओ.सी.एल.	136.00
ओ.एन.जी.सी.	347.48
एन.आर.एल.	340.90
आयल इंडिया लि.	828.11.
बी.आर.पी.एल.	150.40

(ग) और (घ) आयल इंडिया लिमिटेड, बी.आर.पी.एल. और एन.आर.एल. ने रिपोर्ट दी है कि राज्य में सामाजिक कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उन्होंने किसी गैर सरकारी संगठन को नहीं लगाया है। तथापि ओ.एन.जी.सी. और आई.ओ.सी. असम राज्य में सामाजिक कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कुछ एन.जी.ओज की सेवाओं का उपयोग कर रही हैं।

एच.एफ.सी.एल. तथा एफ.सी.आई.एल. की बंद/रुग्ण इकाइयों का पुनरुद्धार

421. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भविष्य में उर्वरकों की मांग को पूरा करने हेतु देश में उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (एच.एफ.सी.एल.) तथा फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफ.सी.आई.एल.) की बंद/रुग्ण इकाईयों के पुनरुद्धार तथा गैस सहित अन्य सामग्री की आपूर्ति के लिए वित्तीय मॉडल की रूपरेखा बनाने के उद्देश्य से सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने एफ.सी.आई.एल. तथा एच.एफ.सी.एल. के ऋण तथा ब्याज दायित्वों को बट्टे खाते में डालने के लिए कोई पहल की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान

मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ङ) सरकार के दिनांक 30-10-2008 के निर्णय के अनुपालन में उर्वरक विभाग द्वारा 7 नवम्बर, 2008 को सचिवों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा सरकार को अभी अपनी रिपोर्ट सौंपी जानी है। इसलिए, इस स्तर पर की गई/प्रस्तावित कार्रवाई और ब्यौरे देने का प्रश्न नहीं उठता है। फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफ.सी.आई.एल.) और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (एच.एफ.सी.एल.) पर बकाया भारत सरकार के ऋण और ब्याज देयताओं को बट्टे खाते डालने के संबंध में विचार करने के लिए सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है। सरकार द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय प्रत्येक इकाई के पुनरुद्धार के लिए पूर्ण अनुबंधित प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद लिया जाएगा।

दिल्ली से आंध्र प्रदेश के लिए नई रेलगाड़ियां

422. श्री ई. दयाकर राव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अत्यधिक यात्री यातायात के मद्देनजर रेलवे का विचार नई दिल्ली से आंध्र प्रदेश के लिए नई रेलगाड़िया चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई दिल्ली से आंध्र प्रदेश के लिए नई रेलगाड़ियों को कब तक चलाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) और (ग) वर्ष 2009-10 के रेल बजट में काचेगुडा के रास्ते निजामुद्दीन-बेंगलूरू के बीच राजधानी एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन) चलाने का प्रस्ताव है।

ऐतिहासिक मीनारों का झुकना

423. श्री उदय सिंह:

श्री मिलिन्द देवरा:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुतुब मीनार दक्षिण-पश्चिम दिशा में 25 इंच तक झुक गई है तथा इसका इस दिशा में और झुकने का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या ताजमहल की मीनारें भी खतरनाक ढंग से झुक रही हैं तथा इसकी नींव एक दिशा में धंस रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन स्मारकों के पुनरूद्धार के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) भारतीय सर्वेक्षण ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से कुतुब मीनार का भूगणितीय सर्वेक्षण किया है और पिछले वर्ष अपनी रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को प्रस्तुत की है। रिपोर्ट में सूचित किया गया है कि मीनार 1983 से 2005 तक 9 से 11 विकला (सेकेन्ड) के बीच झुकी है और झुकाव की वार्षिक दर केवल 0.5 से 3 विकला (सेकेण्ड) है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। भारतीय सर्वेक्षण की भूगणितीय तथा अनुसंधान शाखा द्वारा मार्च-अप्रैल, 2005 के दौरान किए गए अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला है कि ताज महल की मीनारें मापचित्र (प्लान) तथा उत्तोलन (एलिवेशन) दोनों की दृष्टि से बिल्कुल स्थिर हैं।

(ङ) इन स्मारकों पर संरक्षण कार्य नियमित रूप से किए जा रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन्हें कोई क्षति न पहुंचे, पूरा ध्यान रखा जाता है।

विदेशी पर्यटक

424. श्री विजय कृष्ण: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्य देशों की तुलना में वैश्विक स्तर पर भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) सिंगापुर, थाइलैण्ड, श्रीलंका, फिलीपीन्स जैसे देशों की तुलना में भारत की स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विदेशों से पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) वर्ष 2008 में, 924 मिलियन विश्वव्यापी कुल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में भारत

का 0.58% (5.37 मिलियन) हिस्सा, 2007 में 0.56% से वृद्धि के रूप में दर्ज की गई।

(ख) वर्ष 2006 और 2007, नवीनतम वर्षों के दौरान, सिंगापुर, थाइलैण्ड, श्रीलंका, फिलीपीन्स एवं भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन की संख्या के उपलब्ध तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए गए हैं।

देश	अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन (मिलियन)		
	2006	2007	वृद्धि दर 2007/06
सिंगापुर	7.59	7.96	4.9%
थाइलैण्ड	13.82	14.46	4.6%
श्रीलंका	0.56	0.49	(-)11.7%
फिलीपीन्स	2.84	3.09	8.7%
भारत	4.45	5.08	14.3%

वर्ष 2006 की तुलना में 2007 में भारत में पर्यटक आगमन में वृद्धि दर इन देशों की तुलना में उच्चतम थी। यह भी नोट किया जाए कि इन देशों के आगमन आंकड़ों में श्रीलंका के सिवाय विदेशों में निवास करने वाले उनके राष्ट्रिकों के आगमन शामिल हैं। तथापि, भारत के मामले में आगमन आंकड़ों में अप्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.) शामिल नहीं हैं, क्योंकि भारत की यात्रा करने वाले अप्रवासी भारतीयों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) विदेशी प्रयटकों को आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- अन्य मंत्रालयों/विभागों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के सहयोग से पर्यटक स्थलों में पर्यटन अवसंरचना का विकास;
- होटल अवसंरचना, विशेषतया बजट होटलों की वृद्धि पर ध्यान देना;
- प्रमुख पर्यटक आकर्षणों के लिए एयर क्षमता में वृद्धि करने और सड़क अवसंरचना में सुधार करना;
- "इंक्रेडिबल इंडिया" अभियान द्वारा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से ग्राहकों तक सीधी पहुंच बनाना;
- प्रचार सामग्री का उत्पादन एवं वितरण;
- विदेशी बाजारों में एयरलाइनों, टूअर ऑपरेटरों तथा थोक विक्रेताओं के साथ मिलकर प्रत्यक्ष सहकारी मार्केटिंग करना;
- उभरते बाजारों, विशेषतया चीन, पूर्वोत्तर एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया पर अधिक ध्यान देना;
- व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना;
- इंटरनेट एवं वेब मार्केटिंग का प्रयोग करना; और
- विभिन्न पर्यटन उत्पादों पर स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए, मीडिया कार्मिकों और टूअर ऑपरेटरों को भारत की परिचायक यात्रा पर आमंत्रित करने के लिए, आतिथ्य कार्यक्रम को पुनः प्रवर्तित करना, जिसमें एयर पैसेज प्रदान करना भी शामिल होगा।

[हिन्दी]

कोटा-बीना रेल लाइन का दोहरीकरण

425. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राथमिक अभियांत्रिकी सह यातायात सर्वेक्षण

2008-09 में रेलवे ने कोटा-बीना रेल लाइन के दोहरीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) बीना-कोटा दोहरीकरण (283 कि.मी.) के लिए सर्वेक्षण को वर्ष 2007-08 के रेल बजट में शामिल किया गया था। यह सर्वेक्षण 30-06-2009 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन

426. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटन और अतिथि सत्कार क्षेत्र (टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटेलिटी सेक्टर) का सकल घरेलू उत्पाद में केवल 5.83प्रतिशत व रोजगार में इसका केवल 8.27 प्रतिशत योगदान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके निष्पादन में सुधार करने के लिए मंत्रालय द्वारा मांगे गए इकानोमिक स्ट्यूमलस पैकेज का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्यटन क्षेत्र को अवसंरचनात्मक दर्जा दिए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) भारतीय पर्यटन उद्योग पर वैश्विक मंदी व आतंकवाद का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(च) सरकार द्वारा पर्यटन उद्योग को उभारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) भारत के लिए टूरिज्म सेटेलाइट एकाउण्ट (टी.एस.ए.) के अनुसार, पर्यटन ने वर्ष 2002-03 के दौरान, देश में सकल घरेलू उत्पाद का 5.83 प्रतिशत और कुल रोजगार का 8.27 प्रतिशत योगदान दिया।

(ख) से (घ) पर्यटन क्षेत्र को मौजूदा संकट से उबारने हेतु पर्यटन मंत्रालय में सरकार के आर्थिक बेल आउट पैकेज में निम्नलिखित उपायों को शामिल करने का सुझाव दिया:-

(i) लक्जरी कर में कमी।

(ii) पर्यटन क्षेत्र हेतु आय कर अधिनियम की धारा 80डी एच.एच.डी. को फिर से लागू करना।

(iii) 90 प्रतिशत तक के सेवा कर की प्रतिपूर्ति (वर्तमान में 75 प्रतिशत तक छूट है)।

(iv) होटलों के फ्लोर एरिया रेशियो (एफ.ए.आर.) में वृद्धि करना।

(v) वाणिज्यक रीयल एस्टेट परियोजनाओं से होटल परियोजनाओं को अलग करना।

(ङ) और (च) यद्यपि, वर्ष 2008 के दौरान, भारत में विदेशी पर्यटक आगमन की संख्या 5.37 मिलियन, 2007 के दौरान 5.08 मिलियन विदेशी पर्यटक आगमन की तुलना में अधिक है, 2007 की तुलना में 2008 के दौरान, विदेशी पर्यटक आगमन में वृद्धि दर 2006 की तुलना में 2007 के दौरान विदेशी पर्यटक आगमन में 14.3 प्रतिशत की वृद्धि दर से तुलना करने पर केवल 5.6 प्रतिशत है। वर्ष 2008 में न्यूनतम वृद्धि दर, वैश्विक वित्तीय मंदी और आतंकवादी गतिविधियों सहित विभिन्न कारणों से हो सकती है।

देश में पर्यटक आगमन बढ़ाने हेतु, पर्यटन मंत्रालय ने विजिट इंडिया ईयर 2009, विदेशी मार्केटों हेतु मार्केटिंग विकास सहायता को उदार बनाना (एम.डी.ए.), स्वदेशी एवं मीटिंग इन्सेन्टिव कांफ्रेन्स एंड एक्जीबिशन (माइंस) पर्यटन के संवर्धन के लिए एम.डी.ए. योजना की शुरुआत करना जैसी विभिन्न संवर्धनात्मक योजनाओं की घोषणा की है।

उर्वरक क्षेत्र के लिए नई निवेश नीति

427. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा हाल ही में उर्वरक क्षेत्र के लिए घोषित नई निवेश नीति पर निवेशकों की क्या प्रतिक्रिया रही है;

(ख) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2002 से यूरिया की लागत की समीक्षा नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2002 की तुलना में वर्ष 2008 में यूरिया उत्पादन की लागत का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्ष 2002 से यूरिया उत्पादकों के लाभ में कमी हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा विनिर्माण क्षेत्र के हितों के संरक्षण हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) उर्वरक उद्योग ने नई निवेश नीति के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मौजूदा उर्वरक कंपनियों ने अपनी मौजूदा इकाइयों नामतः चम्बल फर्टिलाइजर्स, कृभको, टाटा केमिकल्स लिमिटेड, एन.एफ.एल., आर.सी.एफ. आदि का पुनरुद्धार कार्य शुरू कर दिया है। इसके अलावा, इनमें से कुछ कंपनियों ने अपने मौजूदा संयंत्रों नामतः इफको-कालोल, कृभको-हजीरा, आर.सी.एफ.-थाल और सी.एफ.सी.एल.-गडेपान के विस्तार में भी अपनी रुचि अभिव्यक्त की है बशर्ते कि गैस की उपलब्धता सुनिश्चित हो।

(ख) सरकार ने वर्ष 2002 से यूरिया के अधिकतम खुदरा मूल्य में वृद्धि नहीं की है। यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य 28-2-2002 से 4830/-रुपए प्रति मी.टन है। 28 फरवरी, 2003 से 11 मार्च, 2003 तक की लघु अवधि के दौरान यह 5070 रुपए/मी.टन यूरिया था।

(ग) प्रत्येक इकाई के लिए यूरिया की रियायत दर अलग-अलग है जो फीडस्टॉक/ईंधन, पुरानेपन, परिवर्तन लागत आदि पर आधारित है। रियायत दर की अपेक्षा किए बिना यूरिया की बिक्री फुटकर दुकानों में 4830/- रुपए मी.टन यूरिया के अधिकतम खुदरा मूल्य पर की जाती है। वर्ष 2002-03 और 2007-08 के दौरान यूरिया उत्पादक सभी इकाइयों के लिए भारित औसत रियायत दर इस प्रकार है:-

	2002-03 (रु./प्रति मी.टन)	2007-08 (रु./प्रति मी.टन)
आदानों पर बिक्री कर सहित भारित औसत रियायत दर	8558	11651
भारित औसत भाड़ा	467	611
योग	9025	12262

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन संयंत्रों के लिए मशीनरी

428. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना हेतु आवश्यक मशीनरी की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव विद्युत संयंत्रों के लिए मशीनरी की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी.एच.ई.एल.) का विस्तार करने का है;

(ग) क्या भविष्य में विद्युत संयंत्रों के लिए मशीनरी की आपूर्ति करने हेतु बी.एच.ई.एल. की तर्ज पर किसी अन्य उद्यम के सृजन का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ झा): (क) और (ख) जी नहीं। 11वीं योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना करने के लिए अपेक्षित मुख्य प्लांट इक्विपमेंट की आपूर्ति के लिए देश में पर्याप्त उत्पादन क्षमता है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी.एच.ई.एल.) का विद्युत इक्विपमेंट उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है और इस क्षेत्र की मांगों को सफलतापूर्वक पूरा कर रहा है। बी.एच.ई.एल. ने विद्युत उत्पादन की बढ़ी हुई मांगों को पूरा करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- विद्युत उत्पादन उपकरणों की विनिर्माण क्षमता को दिसम्बर, 2007 में 6,000 मेगावाट से बढ़ाकर 10,000 मेगावाट प्रति वर्ष किया गया है, इसके अलावा, दिसम्बर, 2009 तक इसे बढ़ाकर 15,000 मेगावाट प्रति वर्ष और दिसम्बर, 2011 तक 20,000 मेगावाट प्रति वर्ष करने की संभावना है।

- सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर सेटों और उन्नत गैस टरबाईन सेटों के लिए प्रौद्योगिकी समझौता के जरिए नई प्रौद्योगिकी का उन्नयन/शुरुआत।

- नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एन.टी.पी.सी.) के साथ एन.टी.पी.सी.-बी.एच.ई.एल. पावर प्रोजेक्ट प्राईवेट लि. (एन.बी.पी.पी.एल.) नामक संयुक्त उद्यम का गठन किया गया है ताकि दोनों प्रोमोटर कंपनियों के कार्यकलापों विशेष रूप से इंजीनियरिंग प्रॉक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ई.पी.सी.) प्रोजेक्टों को कार्यान्वित किया जा सके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वंदनम अलपुज्जा में नया रेलवे स्टेशन

429. डा. के.एस. मनोज: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल मंत्रालय केरल स्थित वंदनम, अलपुज्जा में नया रेलवे स्टेशन बनाने का विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा को मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

पूर्वाह्न 11.16 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं-

(1) (एक) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 10587/09]

(3) (एक) नार्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 10588/09]

(4) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, श्रीनगर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, श्रीनगर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 10589/09]

[श्रीमती अम्बिका सोनी]

(5) (एक) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 10590/09]

(7) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 10591/09]

(9) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्युजियम, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्युजियम, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्युजियम, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 10592/09]

(11) (एक) नार्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, इलाहाबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, इलाहाबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 10593/09]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वायुयान (छठा संशोधन) नियम, 2008 जो 22 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 870(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) वायुयान (पहला संशोधन) नियम, 2009 जो 22 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 21(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(तीन) वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 2007 जो 8 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 19(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(चार) वायुयान (पांचवां संशोधन) नियम, 2008 जो 21 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 812(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(पांच) वायुयान (चौथा संशोधन) नियम, 2008 जो 21 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 813(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 10594/09]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 10595/09]

(ख) (एक) एफ.सी.आई. अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एफ.सी.आई. अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 10596/09]

(ग) (एक) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 10597/09]

(घ) (एक) राष्ट्रीय केमिकल्स एंण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 10598/09]

(ङ) (एक) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 10599/09]

(च) (एक) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 10600/09]

(छ) (एक) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन

[श्री विजय हान्डिक]

लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले सात विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 10601/09]

(3) (एक) कृषक भारती को-ऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषक भारती को-ऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 10602/09]

(5) बंगाल केमिकल्स एण्ड फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 10603/09]

(6) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 2544(अ) जो 29 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 2008-2009 की रबी मौसम के दौरान यूरिया के घरेलू विनिर्माताओं द्वारा राज्य और संघ राज्य-क्षेत्रों को की जाने वाली यूरिया की आपूर्ति दर्शाई गयी है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 10604/09]

(7) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, एस.ए.एस. नागर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 10605/09]

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कतिपय कार्य हो रहे हैं। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप इस प्रकार नहीं बोल सकते हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): महोदय, मैं श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 10606/09]

(3) (एक) नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 10607/09]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): महोदय, श्री रघुनाथ झा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, कर्नाटक के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, कर्नाटक का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 10608/09]

(ख) (एक) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, इलाहाबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, इलाहाबाद का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 10609/09]

(ग) (एक) भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसेल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसेल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 10610/09]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइप लाइन टैरिफ का अवधारण) विनियम, 2008 जो 20 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 807(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को शहरी अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन अथवा विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2008 जो 19 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 800(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहरी अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए नेटवर्क टैरिफ का अवधारण तथा सी.एन.जी. के लिए संचूषण प्रभार) संशोधन विनियम, 2008 जो 19 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 801(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को गैसपाइप लाइन बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन करने के लिए प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2008 जो 19 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में

[श्री दिनशा पटेल]

अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 802(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 10611/09]

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) दि मोटर स्प्रिट एण्ड हाई स्पीड डीजल (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ मालप्रैक्टिसेज) संशोधन आदेश, 2008 जो 1 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) केरोसिन (रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज एण्ड फिक्सेसन ऑफ सीलिंग प्राइस) संशोधन आदेश, 2008 जो 1 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 2(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 10612/09]

(3) भारत सरकार और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच कोल बेड मिथेन के गवेषण और उत्पादन के लिए ब्लाक के रूप में पहचान की गई संविदा क्षेत्र के संबंध में संविदा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 10613/09]

अपराह्न 12.01 बजे

राज्य सभा से संदेश
और
राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित विधेयक*

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

(ii) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 18 फरवरी, 2009 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 30 अप्रैल, 2008 को पारित विमान वहन (संशोधन) विधेयक, 2008 को निम्नलिखित संशोधनों सहित पारित कर दिया है:-

अधिनियमन सूत्र

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में "उनसठवें" के स्थान पर "साठवें" प्रतिस्थापित किया जाए।

खण्ड 1 — **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**

पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में अंक "2008" के स्थान पर अंक "2009" प्रतिस्थापित किया जाए।

अत: राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 128 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे एतद्द्वारा उक्त विधेयक को इस 'अनुरोध के साथ लौटाना है कि उक्त संशोधनों के बारे में लोक सभा की सहमति की सूचना इस सभा को दी जाए।'

2. महोदय, मैं विमान वहन (संशोधन) विधेयक 2009, जिसे राज्य सभा द्वारा 18 फरवरी, 2009 को संशोधनों के साथ वापस किया गया, को सभा पटल पर रखता हूं।

(ii) 'मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने मंगलवार, 23 दिसम्बर, 2008 को हुई अपनी बैठक में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है':-

"कि यह सभा अपनी बैठक में लोक सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की शेष अवधि के लिए समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से एक सदस्य श्री अमर सिंह जो 25 नवम्बर, 2008 को राज्य सभा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, के स्थान पर नामित करने के लिए लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और सभापति द्वारा यथानिर्देशित सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को उक्त समिति में कार्य करने हेतु चयन के लिए आगे की कार्यवाही करे।"

2. 'आगे मुझे लोक सभा को यह बताना है कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में श्री अमर सिंह, सदस्य राज्य सभा को उक्त समिति के लिए विधिवत चुना गया है।'

(iii) 'मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश

---

*सभा पटल पर रखा गया।

हुआ है कि राज्य सभा ने मंगलवार, 23 दिसम्बर, 2008 को हुई अपनी बैठक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:-

"कि यह सभा अपनी बैठक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी दोनों सभाओं की समिति को शेष अवधि के लिए समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से एक सदस्य श्री वीर सिंह जो 25 नवम्बर, 2005 को राज्य सभा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, के स्थान पर नामित करने के लिए लोकसभा की सिफारिश से सहमत हुई और सभापति द्वारा यथानिर्देशित सभा ने सदस्यों में से एक सदस्य को उक्त समिति में कार्य करने हेतु चयन के लिए आगे की कार्यवाही करें।"

2. 'अतः मुझे लोक सभा को यह बताना है कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में श्री अंबेथ राजन, सदस्य, राज्य सभा, को उक्त समिति के लिए विधिवत चुना गया है।'

अपराह्न 12.01¼ बजे

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

28वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): महोदय, मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2008-2009) का 28वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.01½ बजे

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

39वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): महोदय, मैं 'खान और खनिज (विकास और विनियम) संशोधन विधेयक, 2008' के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 39वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

53वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

अप्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 53वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

गुजरात में नई रेल लाइनों के बारे में दिनांक 11-12-2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1963 के उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): महोदय, मैं निम्नलिखित वक्तव्य देता हूं:-

कृपया 11-12-2008 को लोक सभा में सर्वश्री महेश कनोडिया, हरिन पाठक, भूपेन्द्रसिंह सोलंकी, श्रीमती जयाबेन बी. ठक्कर द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 1963 के भाग (क), (ख) और (ग) के लिए दिए गए उत्तर का अवलोकन करें। भाग (क) में यह उल्लेख किया गया किया था कि "उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार गुजरात राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है" और भाग (ख) और (ग) में "प्रश्न नहीं उठते" उल्लेख किया गया था। चूंकि राजस्व, आपदा प्रबंधन, सड़क एवं भवन, पूंजीगत परियोजना, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री, गुजरात राज्य सरकार ने 10 नई रेल लाइनों का अनुरोध करते हुए रेल मंत्रालय को एक पत्र लिखा है, अतः वस्तुपरक स्थिति प्रस्तुत करने के लिए उत्तर में संशोधन किया गया है।

[श्री आर. वेलु]

अतः संशोधित स्थिति इस प्रकार है:

भाग	वर्तमान	संशोधित
(क)	उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार गुजरात राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	(क) से (ग) एक विवरण संलग्न है
(ख) और (ग)	प्रश्न नहीं उठता	

विलंब के कारण

संसदीय प्रश्न का शोधक विवरण संसद में समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका क्योंकि यह विसंगति माननीय सासंद के पत्र द्वारा ही ज्ञात हुई है। 23-12-2008 को संसद सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था जिससे यह उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कोई समय नहीं बचा।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 10614/09]

अपराह्न 12.03½ बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आज के लिए नियम 377 के तहत सूचीबद्ध मामलों को सभा पटल पर रखे गए माना जाएगा।

(एक) रावी और व्यास नदियों के अतिरिक्त पानी का पूरा हिस्सा राजस्थान के लिए जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): महोदय, दिनांक 31-12-81 को प्रधान मंत्री की उपस्थिति में पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों के मध्य रावी-व्यास नदियों के अतिरिक्त जल के बंटवारे के बारे में एक समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार राजस्थान का हिस्सा 8.6 एम.ए.एफ. निर्धारित किया गया था। समझौते में एक प्रावधान यह रखा गया था कि जब तक राजस्थान अपने सम्पूर्ण हिस्से के पानी को उपयोग में लाने की स्थिति में नहीं होता तब तक पंजाब राजस्थान के अतिरिक्त हिस्से के पानी को उपयोग में ला सकेगा। उसके अनुसार राजस्थान को 8 एम.ए.एफ. पानी का ही आबंटन किया गया। इंदिरा गांधी नहर प्रणाली के तीव्र विकास के कारण राजस्थान पिछले कई वर्षों से अपने सम्पूर्ण हिस्से के पानी का उपयोग करने की स्थिति में है। राजस्थान ने अपने हिस्से के शेष 0.60 एम.ए.एफ. जल को छोड़ने के लिए केन्द्र सरकार, पंजाब सरकार तथा भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल को कई बार अभ्यावेदन दिये हैं, लेकिन पंजाब राज्य द्वारा पानी नहीं दिया जा रहा है।

अतः भारत सरकार से आग्रह है कि राजस्थान में 0.60 एम.ए.एफ. जल को छोड़ने के लिए भाखड़ा व्यास प्रबंधन मण्डल को इस संबंध में निर्देश जारी करे।

(दो) पान के पत्तों को कृषि फसल के रूप में घोषित किए जाने तथा इसे फसल बीमा और कृषि क्षेत्र की अन्य स्कीमों के लाभ दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): महोदय, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में गढ़ी मलहरा एवं महाराजपुर क्षेत्र पान उत्पादन के लिये काफी प्राचीन समय से प्रसिद्ध हैं। यहां के पान गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत अच्छे होने के कारण देश की सभी पान मंडियों में सबसे ऊंची कीमत पर बिकते आ रहे हैं। यहां का पान बड़ी मात्रा में पाकिस्तान निर्यात होता था, किंतु इस व्यवसाय को किसी भी तरह का प्रोत्साहन शासन की योजनाओं में नहीं मिलने से इसका उत्पादन प्रभावित हो रहा है। सबसे विडम्बना की बात है कि पान की खेती को न तो कृषि में एवं न ही उद्योग में शामिल किया गया है। इस कारण उत्पादकों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है।

*सभा पटल पर रखे गए।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पान उत्पादन को कृषि में शामिल कर कृषि की सरकारी योजनाओं तथा फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने का सहयोग करें।

(तीन) डी.डी.ए. और दिल्ली की विभिन्न सहकारी आवास समितियों द्वारा निर्मित आवासीय इकाइयों के लिए ड्रॉ निकालने की प्रक्रिया में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री महावीर भगोरा (सलूम्बर): देश में विशेषकर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता तथा चेन्नै में सस्ते आवास की अत्यंत कमी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण, जिसे दिल्ली के नागरिकों के लिए रिहाइशी इकाइयां बनाने का कार्य सौंपा गया था, वह आशाओं पर खरी नहीं उतर पाई है। दिल्ली में आवास की मांग और आपूर्ति के बीच गहरी खाई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण और आवास क्षेत्र के सहकारी आंदोलन भी दिल्ली वासियों द्वारा झेली जा रही समस्याओं से निजात दिलाने में नाकाम रहे हैं। दिल्ली सहकारी सोसायटी के पंजीयक, जो सहकारी आवास समितियों के लिए उत्तरदायी है, ने फरवरी 2008 में ड्रा ऑफ लाट्स के लिए 48 पात्र सहकारी समितियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए, जो सी.बी.आई. जांच के दायरे में नहीं थी। इन मकानों का 1998 से 2001 के बीच निर्माण किया गया था। तथापि पिछले एक वर्ष के दौरान केवल 15 आवास समितियों के लिए ड्रा किया गया।

संयोगवश, दिल्ली उच्च न्यायालय ने विभाग को उन आवास समितियों के लिए ड्रा आयोजित करने का निदेश दिया, जो सी.बी.आई. जांच के दायरे से बाहर थी तथा आवास प्रक्रिया को एक माह के भीतर पूरा करने का निदेश दिया ताकि आवास समितियों के पात्र सदस्यों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। यह ज्ञात हुआ कि इस विषय पर कानून की अवहेलना करते हुए ड्रा ऑफ लाट के प्रस्तावों की जांच करने हेतु समिति की बैठक ही नहीं हुई। वैसे, समिति की बैठक आयोजित करने में नौकरशाहों की अड़चन है।

इसलिए, मैं शहरी विकास मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली गें सहकारी विभाग को शीघ्रतापूर्वक ड्रा आयोजित करने का निदेश दे। वहीं, नौकरशाहों द्वारा इसमें किए जा रहे विलम्ब को दूर किया जाए तथा समय-समय पर समिति की बैठक आयोजित की जाए।

(चार) राजस्थान के पाली में राजधानी एक्सप्रेस सहित महत्वपूर्ण गाड़ियों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पुष्प जैन (पाली): महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र पाली जिला व्यापारिक, औद्योगिक व ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। रेल की दृष्टि से पाली जिला काफी पिछड़ा हुआ है और आज भी पाली जिला मुख्यालय से देश की राजधानी दिल्ली व राज्य की राजधानी जयपुर के लिए कोई भी सीधी रेल सेवा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का ठहराव भी पाली जिले में नहीं है। जवाई बांध, फालना, रानी, मारवाड़ जंक्शन, सोजत रोड जैसे कई महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों से हजारों यात्री प्रतिदिन देश के विभिन्न भागों में आते जाते हैं, परन्तु रेल गाड़ियों के ठहराव के अभाव में उन्हें भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा बर-बिलाड़ा रेल लाइन जो कि मात्र 54 किलोमीटर की है, का सर्वे भी कई बार हो चुका है, किंतु कोई सकारात्मक आदेश आज तक प्राप्त नहीं हुआ। राजधानी जैसी महत्वपूर्ण रेलगाड़ी मेरे निर्वाचन क्षेत्र के 6(छः) विधान सभा क्षेत्रों से होकर गुजरती है, किंतु कहीं भी ठहराव न होने से क्षेत्र के निवासी इस रेलगाड़ी की सुविधा से वंचित हैं। मेरा रेल मंत्री से अनुरोध है कि वे इस पर ध्यान देते हुए उचित कार्रवाई का आदेश दें।

(पांच) अनुसूचित जातियों की सूची में छत्तीसगढ़ राज्य की 'नमोसुध बंगाली' तथा 'महारा' और 'महर' जातियों को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री सोहन पोटाई (कांकेर): महोदय, छत्तीसगढ़ में नमोसुद्ध बंगालियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिये जाने का शासकीय संकल्प भेजा गया है। अन्य प्रदेशों की तरह इन्हें भी यहां अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाए जाने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार महरा जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है। शब्दों में मात्राओं के सूक्ष्म अंतर के चलते माहरा, और महर जातियां इस सुविधा से वंचित हैं, जिस कारण जाति प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाई होती है। कृपया संशोधन कर इन्हें लाभ दिलाया जाये।

(छह) केरल में कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): केरल सरकार ने दिल्ली मेट्रो परियोजना की तर्ज पर कोच्चि मेट्रो परियोजना का कार्यान्वयन करने का निर्णय लिया, जिसमें परियोजना लगात के 30 प्रतिशत को राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा 50:50 आधार पर वहन किया जाना था तथा शेष राशि को ऋण प्रदान करने वाली एजेन्सियों से लिया जाना था। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लि. (डी.एम.आर.सी.) द्वारा तैयार किया गया तथा शहरी विकास मंत्रालय ने परियोजना को अनुमोदित किया था। तथापि, योजना आयोग ने परियोजना को अनुमोदित करने से इंकार कर दिया। योजना आयोग मेट्रो परियोजना में हैदराबाद मेट्रो परियोजना की तर्ज पर निजी-सरकारी भागीदारी (पी.पी.पी.) मॉडल के आधार पर एक निजी पार्टी को शामिल करना चाहता है। मैं प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं ताकि केरल सरकार द्वारा सुझाए गए वित्तपोषण पैटर्न के आधार पर कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना का तीव्रता से अनुमोदन सुनिश्चित किया जाए।

(सात) भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली वैश्विक आर्थिक मंदी से निपटने के लिए नए आर्थिक उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा वस्त्र, परिधान उद्योग, धातु तथा धातु उत्पाद, सूचना प्रौद्योगिकी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, वाहन उद्योग, जवाहरात और आभूषण, यातायात, निर्माण तथा खनन उद्योग को शामिल करते हुए 11 राज्यों में 20 केन्द्रों की 2581 इकाइयों पर किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। भारतीय उद्योग पर वैश्विक मंदी के असर के कारण इन क्षेत्रों में कुल रोजगार सितम्बर, 2008 में 16.2 मिलियन से घट कर दिसम्बर, 2008 में 15.7 मिलियन रह गया।

अमरीका तथा यूरोप में मांग में कमी के कारण अक्तूबर 2008 से प्रत्येक माह भारतीय निर्यात भी कम हो रहा है। अनेक इकाइयां बंद हो चुकी है तथा उनके कर्मचारियों की नौकरी चली गई है। अगर यह रूझान जारी रहा जैसाकि वाणिज्य मंत्री ने कहा है, तो यह पूरी संभावना है कि 31 मार्च से पहले 5,000,00 और कामगार बेरोजगार हो जायेंगे।

जहां एक और उदारीकरण की नीति जैसे सार्वजनिक सेक्टर के निजीकरण बीमा क्षेत्र को खोले जाने, मल्टीब्राड में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा बीज की आपूर्ति, उर्वरक इकाइयों को बंद करने तथा सत्यम प्रकरण के कारण बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है वही दूसरी ओर वायदा बाजार की नीति हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। गरीब लोगों को सस्ती दरों पर खाना उपलब्ध कराने की आवश्यकता है तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की वास्तविक संख्या को पहचानने की आवश्यकता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वैश्विक मंदी का मुकाबला करने के लिए भूमि सुधार आरंभ किये जायें तथा स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित किया जाए। अवसंरचना विकास में निवेश के लिए निधियों का प्रावधान किया जाए, बंद सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को पुर्नजीवित किया जाए, असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर भी भविष्य निधि की नीति लागू की जाए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए, कार्पोरेट घरानों पर कर उद्ग्रहण किया जाए, छोटे निवेशकों के लिए उत्पाद शुल्क में छूट दी जाए, समान कर ढांचा लागू किया जाए तथा लौह अयस्क और अन्य खनिजों लिए उचित वितरण नीति बनाई जाए तथा मजदूरी में कमी और छटनी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(आठ) उत्तर प्रदेश में हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के हमीरपुर और महोबा जिलों में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उत्तर प्रदेश): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के हमीरपुर-महोबा जनपदों में तुरंत केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है। मैं विगत चार वर्षों से लगातार केन्द्र सरकार से मांग करता आ रहा हूं किंतु अभी तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कोई कदम नहीं उठाये गए हैं।

सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि तुरन्त प्रभाव से उक्त दोनों जनपदों में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

(नौ) सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की भविष्य निधि पेंशन बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री रामकृपाल यादव (पटना): महोदय, सरकारी

कर्मचारियों की भविष्य निधि पेंशन में बढ़ोत्तरी पिछले 16-11-1995 में की गयी थी और उसके द्वारा पेंशन स्कीम का लाभ उन गरीब मेहनतकश कर्मचारियों को मिला। लेकिन पिछले 14-15 वर्षों में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई, किंतु कर्मचारियों के भविष्य निधि पेंशन में बढ़ोत्तरी के लिए सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। ऐसा मालूम होता है कि कर्मचारियों को उनकी उचित मांग से वंचित किया जा रहा है। अब तो यह खबर आ रही है कि सरकार अवकाश प्राप्त कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि करने के बजाय भविष्य निधि की धारा 12 एवं 13 को ही समाप्त करने जा रही है इससे छोटे पेंशन भोगी को छः सौ रुपये प्रतिमाह का नुकसान होगा। जहां सरकार को उन्हें लाभ पहुंचाने का कार्य करना चाहिए नहीं उनके पेंशन में कटौती की जाने वाली है। यह अवकाश प्राप्त कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से अन्याय होगा।

अतः मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और आग्रह करता हूं कि भविष्य निधि की धारा 12 एवं 13 को समाप्त करने के बजाय पेंशन में उचित बढ़ोतरी के लिए अविलम्ब कदम उठायें और करोड़ों अवकाश प्राप्त कर्मचारियों के परिवार को लाभ पहुंचाने का कार्य करें।

(दस) असम के करबी-आंगलांग और नॉर्थ कछार हिल्स स्वायत्त जिलों में रहने वाले बोडो-कछारी लोगों को भी असम की अनुसूचित जनजाति (पर्वतीय) सूची में शामिल करने की प्रक्रिया को तेज किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान केन्द्र सरकार और असम राज्य सरकार तथा बोडो लिबरेशन टाइगर्स (बी.एल.टी.) के नेताओं के बीच भारत के संविधान की छठी अनुसूची के उपबंधों के अंतर्गत 10 फरवरी, 2003 को हस्ताक्षरित बोडो लैण्ड प्रादेशिक परिषद (बी.टी.सी.) के संबंध में नए बोडो समझौते के खण्ड 8 के अनुसार असम के नॉर्थ कछार हिल्स स्वायत्त जिलों एवं करबी आंगलांग में रहने वाले बोडो कछारियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए दीर्घकाल से लंबित वास्तविक मुद्दे से संबंधित तात्कालिक आवश्यकता की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। लेकिन इस संबंध में अब तक, उक्त समझौते पर हस्ताक्षर होने के पांच वर्षों के बाद भी, कुछ भी नहीं किया गया है। इस संबंध में सरकार की अर्कमण्यता ने करबी आंगलांग और नॉर्थ कछार हिल्स स्वायत्त जिलों के बोडो लिबरेशन टाइगर (बी.एल.टी.) के आत्मसमर्पित कैडरों में निराशा और कुंठा की भावना भर दी है। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि वह करबी आंगलांग और नार्थ कछार हिल्स स्वायत्त जिलों में रहने वाले बोडो कछारियों को नए बोडो समझौते के खण्ड 8 के अनुसार उन्हें असम में अनुसूचित जनजाति (हिल्स) का दर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया तेज करे।

अपराह्न 12.04 बजे

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मद संख्या 13 से 16 एक साथ लिए जाएंगे।

...(व्यवधान)]

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): महोदय, मंत्रीजी जवाब दें उससे पहले मैं एक मिनट के लिए कुछ कहना चाहूंगा *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): माननीय अध्यक्ष जी, हम लोगों ने एडजर्नमेंट मोशन दिया है।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस विधेयक को राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है। जब कभी यह विधेयक चर्चा के लिए आएगा है तब आपको बोलने का मौका मिलेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप प्रक्रिया को क्यों बाधित कर रहे हैं। आप अजीबो गरीब व्यवहार कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश वर्मा: महोदय, यह राज्य सभा से पास हुआ है, इसे हम मान रहे हैं, लेकिन यह जो बिल लाया गया है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आइए हम पहले मंत्री जी को सुनें। हमें उन्हें सुनना चाहिए। सरकार इस पर प्रतिक्रिया देना चाहती है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश वर्मा: अध्यक्ष जी, बहुजन समाज पार्टी इसका प्रबल विरोध करती है। बहुजन समाज पार्टी इसके विरोध में सदन से वाकआउट करती है।

अपराह्न 12.04½ बजे

[अनुवाद]

(इस समय श्री राजेश वर्मा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए)

अध्यक्ष महोदय: मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं!

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री आठवले, अगर आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो मुझे आपको बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको सभा छोड़कर जाना होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपको सभा छोड़कर जाना होगा।

...(व्यवधान)

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): महोदय, इस विधेयक के कुछ प्रस्तावित उपबंधों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आठ दस महत्वपूर्ण सदस्यों तथा सभा के कुछ अन्य महत्वपूर्ण नेताओं द्वारा कल सभा के नेताओं के बीच चर्चा हो चुकी है। नेताओं सहित निम्नलिखित संशोधनों का सुझाव दिया गया है...*(व्यवधान)* संशोधन यह है कि खण्ड 1(3) तत्काल प्रभाव से लागू हों...*(व्यवधान)* खण्ड 3(1) के संबंध में, यह विशेष रूप से उल्लिखित हो कि: अनुसूचित जातियां - 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियां - 7.5 प्रतिशत *...(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, यह हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है। वह यह वक्तव्य कैसे दे रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: सभा में बाधा के कारण केवल इसकी घोषणा कर रहे हैं। उनके साथ टोकाटाकी न करें। आप कृपया अपनी बात जारी रखिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यहां सभी असहनशील हैं। कोई भी किसी अन्य के विचारों को सहन नहीं करता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

*(व्यवधान)**...

श्री वायालार रवि: खण्ड 4(1) [i] [ii] [iii] [iv], खण्ड 4(2) 4(3) और अनुसूची को भी हटा दिया जाए। इस संदर्भ में, खण्ड 9(1) में से 'वांछनीय' शब्द को हटा दिया जाए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, अब खुश हो जाओ।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब श्री लालू प्रसाद अपना जवाब देंगे।

...(व्यवधान)

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): मुझे जवाब देने दीजिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने जिस रेलवे पर घंटों चर्चाएं की हैं वह उसी रेलवे की एक महत्वपूर्ण बहस पर जवाब दे रहे हैं। कृपया सहयोग कीजिए।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.06 बजे

अंतरिम बजट (रेल) - 2009-2010;

लेखानुदानों की मांगें (रेल) - 2009-2010;

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) - 2008-2009

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) - 2006-2007

[अनुवाद]

***श्री रायापति सांबासिवा राव** (गुंटूर): महोदय, मैंने यह निवेदन किया था कि गुंटूर और तेनाली के बीच कम से कम एक रेलवे लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण किया जाए। इस पर 70 से 80 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। दुर्भाग्य से रेल मंत्री ने आंध्र प्रदेश के लोगों को उक्त राशि उपलब्ध नहीं कराई है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि वह उक्त राशि उपलब्ध करवाएं ताकि गुंटूर और तेनाली रेलवे लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण किया जा सके। इससे गुंटूर, तेनाली और विजयवाड़ा जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों को जोड़ने वाली सर्कुलर रेलगाड़ी को चलाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।

अन्य प्रमुख मुद्दा गुंटूर और के.सी. कैनाल के दोहरीकरण और विद्युतीकरण का है। इस लाइन के संबंध में एक रोचक बात यह है कि इसका दोहरीकरण और विद्युतीकरण एक वर्ष पूर्व ही पूरा हो चुका है किन्तु रेलवे संरक्षा निरीक्षण अभी तक नहीं किया गया है। अतः माननीय मंत्रीजी से मेरा सविनय निवेदन है कि गुंटूर और के.सी. कैनाल लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण का उद्घाटन अति शीघ्र करें।

मैं इसको विस्तार से बताना चाहूंगा। गुंटूर-कृष्णा कैनाल के दोहरीकरण को वर्ष 2006-07 में स्वीकृति दी गई थी और इसे 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूरा भी कर दिया गया था। गुंटूर और मंगलागिरी के बीच दोहरी लाइन (20.28 कि.मी.) को यात्री परिवहन के लिए 28-12-07 को खोल दिया गया था। मंगलागिरी-कृष्णा कैनाल के कुछ भाग को पूरा कर लिया गया था तथा सी.आर.एस. को निरीक्षण के लिए अप्रैल, 2008 में आवेदन भी दिया गया था। उस समय श्री आर.पी. अग्रवाल सी.आर.एस. थे परंतु निरीक्षण का दिन निर्धारित करने से पहले ही उनका स्थानांतरण कर दिया गया। फिर सी.आर.एस., बंगलौर को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। निर्माण संगठन सी.आर.एस. से खण्ड का निरीक्षण कराने का प्रयास करती रही परन्तु अब तक निरीक्षण नहीं किया गया है। सी.ए.ओ./सी.एन. के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को दो बार सी.आर.एस. ने लौटा दिया और रेलवे से कहा गया कि वे दक्षिण रेलवे द्वारा अपनाए गए प्रारूप का ब्यौरा दें। तद्नुसार ब्यौरों को भरकर सी.आर.एस. को 14-02-2009 को भेज दिया गया।

गुंटूर-विजयवाड़ा खण्ड एक व्यस्त मार्ग है जिस पर उपनगरीय मालगाड़ियां और लम्बी दूरी की रेलगाड़ियां चलती हैं। प्रतिदिन लगभग 46 रेलगाड़ियां इस खण्ड से गुजरती हैं। सी.एन.टी. - बी.जेड.ए. के 33 कि.मी. के संपूर्ण रेल मार्ग पर 27 कि.मी. तक दोहरी लाइन मौजूद है और एम.ए.सी. और के.सी.सी. के बीच 6 कि.मी. की एकल लाइन है। इससे रेल परिवहन के निर्बाध आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है।

रेलवे ने इस खण्ड के दोहरीकरण पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का निवेश किया है किन्तु इस निवेश से वह अब तक लाभान्वित नहीं हो पाई है क्योंकि एम.ए.जी.-के.सी.सी. के बीच की कुछ दूरी की दोहरी लाइन को अब तक नहीं खोला गया है, हालांकि इसका कार्य लगभग एक वर्ष पहले हो चुका था।

मैं माननीय रेल मंत्री श्री लालू जी से यह निवेदन करता हूं कि कृपया मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करें।

[हिन्दी]

***श्री वीरेन्द्र कुमार** (सागर): रेल बजट ने मध्य प्रदेश को घोर निराशा ही दी है मैं विशेष रूप से बीना कटनी के बीच पड़ने वाले स्थानों की बात करना चाहता हूं वर्षों से सागर दमोह क्षेत्र के नागरिकों द्वारा दक्षिणी राज्यों की ओर इस ट्रैक से जाने वाली रेलगाड़ी की मांग की जा रही है। सागर से भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस की मांग भी बार-बार की जा रही है इसी तरह आशा थी कि बीना-भोपाल के बीच डी.एम.यू. शटल चलायी जायेगी। सागर से दिन के 12.00 बजे के बाद तथा बीना से सागर की तरफ दोपहर 11.30 बजे के बाद शाम तक कोई गाड़ी नहीं है। इन रेल आवश्यकताओं को इस रेल बजट में पूरी तरह उपेक्षित किया गया है। बीना में रिफाइनरी का कार्य तीव्र

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री वीरेन्द्र कुमार]

गति से चल रहा है तथा पावर प्लांट भी लगने वाला है। बीना जंक्शन पर भोपाल-दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस का ठहराव रिफाइनरी होने के कारण किया जाना था। इस अति महत्वपूर्ण मांग को भी अनदेखा कर दिया गया। मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं कि बीना स्टेशन के पास 3 अक्तूबर, 2008 को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान जिस बर्बरतापूर्व से मेरे ऊपर प्राणघातक लाठीचार्ज किया गया वह अपने आप में काफी निंदनीय है क्योंकि अध्यक्ष महोदय लाठीचार्ज भीड़ पर होता है एक व्यक्ति के ऊपर वह भी निहत्थे पर नहीं। दूसरे लाठीचार्ज में पैरों पर हल्का प्रहार किया जाता है यहां तो पूरा प्रहार सिर पर किया गया तथा मरणासन्न हालत में छोड़कर रेलवे सशस्त्र पुलिस बल चला गया। जी.आर.पी. के लोग उठाकर अस्पताल ले गये कहा गया कि क्या जानते नहीं थे कि जनता के ऊपर इस तरह बर्बरतापूर्वक लाठी चलाने का अधिकार रेलवे सशस्त्र पुलिस बल को दे दिये गये हैं। महोदय, सामान्य व्यक्ति के ऊपर भी ऐसा निर्ममतापूर्वक लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। मैं अतिक्रमण हटाने का विरोधी बिल्कुल नहीं था। मैंने तो स्वयं पिछले रेल बजट में बीना स्टेशन के पास रेलवे की लगभग 400 एकड़ भूमि जिस पर कृषि की जा रही है अथवा ठेके पर दी जा रही है पर से अनॉधिकृत कब्जा हटवाकर ऐसी सारी भूमि को मुक्त कराने की बात कही थी, वह अतिक्रमण आज तक नहीं हटाया गया। रेलवे प्रशासन मात्र कुछ वर्ग भूमि पर बैठे 10-20 दुकानदारों को त्यौहार के समय हटाने में प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर अड़ गया। मैंने मात्र यही तो जी.एम. तथा डी.आर.एम. भोपाल से कहा था कि दशहरे के बाद यह अतिक्रमण हटा लेना मात्र इतना कहने पर इतनी बड़ी घटना वहां रेलवे सशस्त्र पुलिस बल द्वारा की गयी।

महोदय, जो घटना मेरे साथ घटी उसके कारण मैं आज भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाया हूं। उसका प्रभाव मेरे शरीर पर आज भी बना हुआ है। किंतु दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दोषी अधिकारियों एवं रेलवे पुलिस बल के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई तथा वह कहते हैं कि हमारा क्या कर लिया। महोदय, प्रश्न सिर्फ एक सांसद का नहीं बल्कि सर्वोच्च सदन के सम्मान का भी है। अगर अफसरशाही इतनी निरंकुश हो जायेगी तो कोई भी जनप्रतिनिधि अपने कर्त्तव्यों का पालन कैसे कर पायेगा अतः इस घटना को पूरे सदन को गंभीरता से लेना चाहिए तथा दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाये जाने चाहिये ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

मैं अपने संसदीय क्षेत्र की प्रमुख रेल समस्याओं एवं आवश्यकताओं के संदर्भ में भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिनका शीघ्र निराकरण करने की दिशा में रेल बजट के उत्तर में उल्लेख किया जाना चाहिए।

गणेशगंज स्टेशन पर पूर्व में उत्कल एक्सप्रेस का स्टापेज था पुनः उत्कल एक्सप्रेस का गणेशगंज पर स्टापेज होना चाहिए।

जरूबाखेड़ा स्टेशन पर क्षिप्रा एक्सप्रेस, कामायनी एक्सप्रेस तथा गोड़वाना एक्सप्रेस का स्टेपेज होना चाहिए।

खुरई रेलवे स्टेशन पर खुरई से बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं पढ़ने के लिये कोटा जाते हैं तथा व्यापारियों का भी बड़ी संख्या में आना-जाना होता है। अतः खुरई स्टेशन पर जबलपुर कोटा एक्सप्रेस का पूर्व की भांति स्टापेज होना चाहिए।

नरयावली स्टेशन पर बीना इटारसी एक्सप्रेस का स्टापेज।

जबलपुर कोटा एक्सप्रेस को मकरोनिया एवं जरूवाखेड़ा स्टेशन पर स्टापेज दिया जाना चाहिए।

पश्चिम मध्य रेल के रीवा से चेन्नई/बंगलौर/तिरूवनंतपुरम के लिए वाया रीवा-सतना-कटनी-बीना-भोपाल मार्ग से नई रेल चलाई जाये।

इंदौर हावड़ा क्षिप्रा एक्सप्रेस हमेशा फुल जाने वाली रेल है इसको सप्ताह के सातों दिन चलाया जाना चाहिए।

दमोह कोटा शटल को फास्ट पैसेंजर बनाते हुए इसमें बोगियों की संख्या बढ़ाई जाये, शयनयान लगाए जाए तथा इसे चित्तौड़गढ़ होते हुए उदयपुर तक बढ़ाया जाये जिससे मध्य प्रदेश के मध्यवर्गीय पर्यटकों व व्यापारियों को राजस्थान यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। बीना कोटा एक्सप्रेस को जयपुर तक बढ़ाया जाये।

जयपुर से कोटा गुना-बीना-सागर-कटनी-बिलासपुर रेलमार्ग से हावड़ा एवं विशाखापट्नम जाने के लिए नई गाड़ी चलाई जाये।

9306-9305 क्षिप्रा एक्सप्रेस एवं चंबल एक्सप्रेस ट्रेनों को मानिकपुर स्टेशन से लिंक करके हावड़ा तक चलाया जाये ऐसा करने से इंदौर भोपाल सागर दमोह से हावड़ा के लिए दैनिक ट्रेन मिल जायेगी।

निजामुद्दीन से विशाखापट्टनम चलने वाली स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस का मार्ग बदलकर निजामुद्दीन बीना-सागर-कटनी-बिलासपुर-रायपुर-विशाखापट्नम किया जाये।

जबलपुर से गंगानगर (राजस्थान) के लिए साप्ताहिक ट्रेन चलाई जाए।

कानपुर-खैरार-बांदा-मानिकपुर-सतना-कटनी-दमोह-सागर-बीना के लिए बुन्देलखंड पैसेंजर गाड़ी चलाई जाये।

भोपाल बिलासपुर का कटनी पहुंचने का समय चित्रकूट एक्सप्रेस से सामंजस्य कराया जाये जिससे लखनऊ की तरफ से आने जाने के लिए कटनी से कनेक्शन मिल सकेगा।

छतरपुर सागर करेली छिंदवाड़ा नागपुर रेल लाइन को स्वीकृति दी जाये।

सागर स्टेशन के रिटायरिंग रूम में सफाई व्यवस्था ठीक एवं साफ सुथरे बिस्तरों की भी सुविधा होनी चाहिए।

सागर रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म क्रमांक 2 पर जी.आर.पी. की व्यवस्था अति आवश्यक है इस प्लेटफार्म पर अक्सर असामाजिक तत्वों का जमाव रहता है।

सागर आर्मी का प्रमुख केंद्र है अतः सैनिकों के आरक्षण हेतु अलग से खिड़की होनी चाहिए।

सागर से बीना-कटनी लाइन पर माल गाड़ियों का बड़ी संख्या में आना जाना होता है तथा स्टाफ यहां बदलता है अतः अक्सर माल गाड़ियां खड़ी रहती हैं। अतः अतिरिक्त प्लेटफार्म का निर्माण 2 नं. के पीछे करना चाहिये।

सागर स्टेशन पर मरीजों की सुविधा हेतु व्हील चेयर उतारने के लिए बीना स्टेशन की तरह रेम्प बनाया जाना चाहिये।

गणेशगंज, मकरोनिया, ईशुखारा, नरयावली, जरूआखेड़ा, डांगीडहर स्टेशनों पर धूप बारिश से बचाव हेतु दोनों तरफ शेड निर्माण होना चाहिये।

रतौना स्टेशन का विस्तार होना चाहिये तथा नई रेल लाइनें अप लाइन, डाउन लाइन डाली जानी चाहिये।

हीराकुंड एक्सप्रेस को सप्ताह के तीन दिनों के स्थान पर सप्ताह के सातों दिन चलाया जाना चाहिये।

खुरई स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 2 पर शेड की लम्बाई बढ़ानी चाहिये।

मकरोनिया उपनगरीय स्टेशन पर सभी एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव होना चाहिये।

मकरोनिया स्टेशन के पास कानपुर भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर अक्सर गेट बंद रहता है अतः ओवर ब्रिज का शीघ्र निर्माण किया जाना चाहिये।

सागर रेलवे स्टेशन पर स्थित पोस्ट आफिस से तिलकगंज की ओर पैदल पुल बनाया जाये जिससे आम जनता एक ओर से दूसरी तरफ सड़क तक जा सके।

स्टेशन यार्ड अर्थात् ट्रेनों के खड़े होने वाली पटरी का सीमेंटीकरण किया जाये जिससे मलमूत्र सफाई में सुविधा हो सके।

टेलीफोन बूथों पर फैक्स एवं इंटरनेट मशीनें लगाई जायें।

यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एस.बी.आई. का ए.टी.एम. लगाया जावे।

छतरपुर-सागर-करेली-छिंदवाड़ा-नागपुर रेल लाइन को स्वीकृति दी जाये।

बीना तथा सागर में छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का कामर्शियल हाल्ट होना चाहिए तथा सागर से आरक्षण कोटा निर्धारित होना चाहिए।

बीना जंक्शन पर गाड़ियों की संख्या अत्यधिक है तथा कई बार गाड़ियां प्लेटफार्म खाली नहीं होने से आउटर पर रोक दी जाती हैं अतः अतिरिक्त प्लेटफार्म बनाया जाना चाहिए।

बीना से गुना लाइन पर आनंदपुर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। गोवा तथा अन्य गाड़ियों का वर्ष में दो बार 15-15 दिन के मेले के समय स्टापेज किये जाते हैं। अतः गोवा एक्सप्रेस, पुष्पक एक्सप्रेस तथा नांदेड़ सचखंड एक्सप्रेस का बीना में स्टापेज होना चाहिए।

बीना में बीना बजरिया शमशान घाट झांसी गेट के पास स्थित है इस कारण इसका जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। यहां एक रेलवे कालोनी भी है। अतः इसके जीर्णोद्धार की व्यवस्था होनी चाहिये।

करौंदा स्टेशन पर पठानकोट का पूर्व में स्टापेज था, ग्रामीणों की सुविधा हेतु पुनः करौंदा स्टेशन पर पठानकोट एक्सप्रेस का स्टापेज होना चाहिए।

[श्री वीरेन्द्र कुमार]

मंडीबामोरा स्टेशन बीना तथा कुरवाई क्षेत्र के पचासों गांव का प्रमुख केंद्र है जहां से यात्री गाड़ी पकड़कर भोपाल एवं दिल्ली की ओर यात्रा करते हैं। अत: मंडीबामोरा स्टेशन पर क्षिप्रा एक्सप्रेस एवं झेलम एक्सप्रेस का स्टापेज होना चाहिए।

गौड़वाना एक्सप्रेस राजस्व की दृष्टि से काफी आय अर्जित करने वाली गाड़ी है जो कभी खाली नहीं रहती, इसे जबलपुर से पूरी गाड़ी के रूप में चलाया जाना चाहिये।

मरीजों की सुविधा हेतु अच्छी व्हील चेयर बीना-खुरई सागर स्टेशन पर उपलब्ध कराई जानी चाहिये।

बीना नगर के झांसी फाटक एवं सागर फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज शीघ्र बनाया जाना चाहिये।

[अनुवाद]

***श्री अब्दुल्लाकुट्टी** (कन्नानौर): मैं माननीय रेल मंत्री को इस बार भी एक जनहितैषी रेल बजट प्रस्तुत करने के अपने विगत रिकार्ड को बनाए रखने के लिए बधाई देता हूं।

यद्यपि इस बार अधिशेष राशि के कम होने का अनुमान लगाया गया है, माननीय मंत्री महोदय ने यात्री किराया में टोकन कमी करके आम आदमी से किए गए वादे को पूरा किया है।

यह कहने के पश्चात् मुझे कतिपय क्षेत्रों अधिकांशत: मेरे क्षेत्र केरल से संबंधित क्षेत्रों के संबंध में सुधार हेतु कुछ सुझाव भी देने है।

यह जानकर खुशी होती है कि रेलवे ने अधिशेष रेलवे भूमि का विकासात्मक और वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु उपयोग करने के लिए इस भूमि के संचालन व प्रबंधन हेतु एक भूमि विकास और सम्पदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना की है। मुझे भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की हाल की रिपोर्ट से पता चला है कि इस भूमि प्रबंधन प्रकोष्ठ को अभी भी ऐसे अधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा है जो सम्पदा प्रबंधन में प्रशिक्षित नहीं हैं। यही नहीं ये अधिकारी मात्र सम्पदा प्रबंधन का कार्य ही नहीं कर रहे हैं बल्कि अन्य कार्य भी देख रहे हैं। यह भी पाया गया है कि रेल भूमि पर लोगों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण की घटनाएं बढ़ रही हैं तथा रेल अधिकारियों द्वारा जगह खाली कराए जाने का कार्य समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि और अधिक प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराकर भूमि प्रबंधन प्रकोष्ठों को मजबूत बनाया जाना चाहिए।

मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, कन्नानौर में कन्नूर रेलवे स्टेशन के निकट 40 एकड़ से भी अधिक अतिरिक्त रेल भूमि पड़ी हुई है। अंतत: यह स्वीकार किया गया कि करीब 52 एकड़ भूमि में से मात्र चालीस एकड़ भूमि ही विकास हेतु बची है।

कन्नूर स्टेशन पर रेलवे की इस अतिरिक्त खाली भूमि का प्रयोग कूड़ा डालने के लिए किया जा रहा है और इसकी ठीक से देखभाल नहीं की जा रही है। स्टेशन के दोनों ओर बीस-बीस एकड़ की इस भूमि का विकास किया जा सकता है और जनता के उपयोग लिए पार्किंग स्थल बनाया जा सकता है। इस रिक्त और परती भूमि का विकास करने का ऐसा एक प्रस्ताव था परन्तु रेलवे के जोनल और मंडल कार्यालयों, जो कि नौकरशाही तरीके से कार्य करते है, के बीच आपसी झगड़े की वजह से कन्नूर रेलवे स्टेशन के अगल-बगल रेलवे की कितनी भूमि खाली पड़ी है इसका पता लगाने के कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है। यह आश्चर्यजनक है कि रेल अधिकारियों ने इस चालीस एकड़ रिक्त व अतिक्रमित जमीन में से सिर्फ 8 एकड़ जमीन को विकास हेतु घोषित किया है। मेरा अनुरोध है कि रेलवे भूमि के आकलन करने हेतु कठोर उपाय किए जाएं तथा जोनल/मंडलीय रेल अधिकारियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए जो रेलवे के काफी पुराने नियमों व विनियमों, जो जनविरोधी हो गए हैं, की आड़ में जनहित के विरुद्ध कार्य करने में लगे हुए हैं।

स्थानीय लोगों की कन्नूर और तेल्लिचेरी के बीच थाझेचोवल में रेल उपरिपुल बनाने की मांग लम्बे समय से चली आ रही है तथा कन्नूर नगरपालिका की तत्परता के बावजूद रेलवे के अधिकारियों ने इस प्रस्ताव में तकनीकी बाधाएं खड़ी कर दी हैं। ठीक इसी प्रकार, कन्नूर और बालियापटम के बीच करीब 5 कि.मी. रेललाइन का दोहरीकरण किए जाने का प्रस्ताव अभी भी पूरा होने से काफी दूर है। यद्यपि सिविल और स्थायी कार्य पूरा हो चुका है रेलगाड़ी का प्रायोगिक परिचालन सिर्फ इसलिए नहीं किया गया है, क्योंकि इस मंडल के रेल सुरक्षा निरीक्षक के पास रेल पटरी का सुरक्षा सर्वेक्षण करने के लिए समय नहीं है। मेरा

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अनुरोध है कि रेलवे द्वारा ऐसे अधिकारियों को एक तय अवधि के अंदर रेलगाड़ी का सुरक्षा परीक्षण परिचालन पूरा करने हेतु समयसीमा दी जाए।

लम्बे समय से हमारे क्षेत्र की जनता कन्नूर को कोट्टियुर से जोड़ने की मांग करती आ रही है जहां महादेव टेम्पल स्थित है जिसे दक्षिण का काशी कहा जाता है। इस महत्वपूर्ण रेल सम्पर्क को विकसित किए जाने के पश्चात् मट्टानूर और मनंथावाडी के पहाड़ी क्षेत्र मुख्य रेललाइन से जुड़ जाएंगे। पूरे वर्ष कोट्टियुर महादेव टेम्पल में तीर्थयात्रियों की सतत व भारी भीड़ लगी रहती है। इस रेललाइन के शुरू हो जाने से यह वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम परियोजना साबित होगी।

थ्रिस्सुर-गुरूवायौर रेल सम्पर्क की तरह जो कोट्टियुर पिछले अनेक वर्षों से तीर्थयात्रियों की सेवा में है, कन्नूर कोट्टियौर रेल सम्पर्क विकसित किए जाने और इस प्रकार मट्टानुर और मानतावाडी पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए बेहतर यातायात सुविधा मुहैया कराये जाने की आवश्यकता है। मैं पुरजोर मांग करता हूं कि इस महत्वपूर्ण परियोजना पर प्राथमिक सर्वेक्षण कार्य करने हेतु इस बजट में एक सांकेतिक बजटीय प्रावधान किया जाना चाहिए।

मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि कन्नूर से मंगलोर की ओर जाने वाली मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की बारम्बारता बढ़ायी जाए। उदाहरणार्थ, सुबह 9.30 के करीब मंगलोर के लिए मालाबार मेल के प्रस्थान करने के पश्चात् इस रूट पर अगली कोई अन्य फास्ट ट्रेन छह घंटे के पश्चात् है।

नार्थ मालाबार के लोगों की कोझिकोड से मडगांव के बीच एक शताब्दी ट्रेन चलाए जाने की मांग भी लम्बे समय से लम्बित चली आ रही है। इस मांग के पूरा हो जाने पर केरल और गोवा जाने वाले काफी संख्या में पर्यटकों की दोनों तरफ पहुंच आसान हो जाएगी। मेरा आकलन है कि यदि इस प्रकार से कोझिकोड और मडगांव के बीच शताब्दी ट्रेन शुरू हो जाती है तो इस क्षेत्र में यात्रा करने वाले यात्रियों की भारी संख्या विशेषकर गोवा और केरल के बीच यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या को देखकर यह लगता है कि रेलवे को इससे अच्छा राजस्व प्राप्त होगा। बुलेट ट्रेनें चलाने की परियोजना पर ध्यान देने के बजाय हमें इस प्रकार की परियोजनाओं पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जिनसे काफी संख्या में यात्रियों को लाभ पहुंचता हो।

चूंकि इस रेलमार्ग पर नियमित रूप से यात्रियों की भीड़ रहती है वर्तमान में चल रही कन्नूर-यशवंतपुर एक्सप्रेस की बारम्बारता सप्ताह में 3 दिन के बजाय बढ़ाकर प्रतिदिन कर दिया जाए।

नई घोषित परियोजनाएं पूरे राष्ट्र के लाभ के लिए होनी चाहिए थी परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इस बजट में घोषित की गयी लगभग सभी 45 नई परियोजनाएं उस राज्य से संबंधित हैं जो माननीय मंत्री महोदय का गृह राज्य है।

इन सुझावों और टिप्पणियों के साथ मैं इस बजट का अनुमोदन करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री अशोक प्रधान** (खुर्जा): माननीय रेल मंत्री जी ने इस वर्ष भी हर वर्ष की भांति भारी भरकम घोषणाएं की हैं जो आम जनता को सुनहरे सपनों में उलझा कर रखने के लिए काफी है। रेल मंत्री जी ने भारतीय रेलवे को हजारों करोड़ का मुनाफा देने वाली संस्था के तौर पर प्रचारित करने की कोशिश की है जैसा कि वह अपने हर बजट में करते आए हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि, माननीय रेल मंत्री जी ने इस बार भी घोषणाओं का अम्बार लगा दिया है जिसमें बुलेट-ट्रेन चलाने की भी चर्चा है। लेकिन शायद पिछले रेल बजट की तरह इस बार भी इन घोषणाओं को वास्तविकता के धरातल पर उतरने में वर्षों लग जाएंगे।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र खुर्जा का ही उदाहरण देना चाहूंगा जहां पिछले रेल बजट में कई किलोमीटर रेल लाईन बिछाने की घोषणा की गयी थी लेकिन उन पर अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। रेल मंत्री महोदय पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खासे नाराज जान पड़ते हैं शायद इसीलिए उन्होंने अपने पूरे बजट में इस क्षेत्र के लिए एक भी बड़ी घोषणा नहीं की है। पिछले कई वर्षों से मैं माननीय रेल मंत्री जी व उनके सहयोगी मंत्रियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराता रहा हूं लेकिन फिर भी मेरे क्षेत्र की उपेक्षा मंत्री जी के पहले रेल बजट से लेकर इस आखिरी रेल बजट तक लगातार होती रही है।

मान्यवर, बुलंदशहर जनपद उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जनपद है, इस जनपद को पूरे देश में कई महत्वपूर्ण उत्पादनों के लिए जाना जाता है, जैसे यह जनपद कपास

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री अशोक प्रधान]

के लिए पूरे भारत में मशहूर रहा है। गेहूं उत्पादन में भी यह जनपद पूरे देश में अव्वल रहा है और आज भी बुलंदशहर जनपद ही पूरे देश में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी है।

मान्यवर, देश को आजाद हुए 62 वष होने के बाबजूद भी इस जनपद को आज तक रेल की मेन लाइन से नहीं जोड़ा गया, जबकि यहां के यात्री अपने गन्तव्य तक पहुंचने के लिए गाजियाबाद, हापुड़ व अलीगढ़ जाकर यात्रा करते हैं।

मान्यवर मेरा आपसे अनुरोध है कि, जनपद बुलंदशहर की जनता की अब तक हुई उपेक्षा की पीड़ा को समझते हुए आप जनपद बुलंदशहर को भारतीय रेल सेवा की मेन लाइन से जोड़ने की कृपा करेंगे।

मान्यवर आप जनपद बुलंदशहर के साथ जुड़े हुए चोला चौकी स्टेशन को बुलंदशहर जंक्शन का नाम देकर उस पर प्रमुख गाड़ियों का ठहराव व वहां का आरक्षण कोटा निर्धारित करके बुलंदशहर जनपद स्टेशन को एक आधुनिक स्टेशन बनाने की कृपा करेंगे तो निश्चित रूप से बुलंदशहर जनपद व आस-पास के क्षेत्र के सम्मानित निवासियों को उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और मैं व क्षेत्र की समस्त जनता आपके सदैव आभारी रहेंगे।

मान्यवर मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप जैसे जनप्रिय रेल मंत्री इस मांग को निश्चित रूप से पूरा करेंगे।

महोदय, इसके अलावा ग्राम-ताजपुर में एक रेलवे हाल्ट बनवाए जाने की अति आवश्यकता है इस स्थान पर रेलगाड़ियों का ठहराव हो जाने से इस क्षेत्र के ग्रामीण निवासियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सहुलियत होगी। क्योंकि जनपद-बुलंदशहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नजदीक होने की वजह से यहां के ग्रामीण निवासियों का दिल्ली व अन्य स्थानों पर आना-जाना बना रहता है व स्थानीय किसानों व दुग्ध उत्पादकों को दिल्ली व अन्य स्थानों की मंडियों तक अपने उत्पादों को पहुंचाने में भी सहुलियत होगी, व इस क्षेत्र के निवासी जो कि सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में कार्यरत हैं व दैनिक यात्रियों व छात्रों को अपने गन्तव्य तक पहुंचने में विशेष सहुलियत होगी।

महोदय, खुर्जा एक ऐसा महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है जहां से प्रतिदिन लगभग दो लाख यात्री आवागमन करते हैं लेकिन कभी भी इस स्टेशन के आधुनिकीकरण की कोई चर्चा नहीं की गई। इसके अलावा खुर्जा स्टेशन पर नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी के न रुकने की वजह से देश की रक्षा में लगे जवानों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि सेना में कार्यरत अधिकतर जवान बुलंदशहर जिले के रहने वाले हैं। मैं इस जनपद की माटी को नमन करते हुए अपने भाषण में यह भी कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा देश की सुरक्षा व सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए इसी जनपद के सम्मानित जवानों ने अपनी शहादत दी है। मैं उन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं मैं चाहूंगा कि पूर्वोत्तर राज्यों को जाने वाली सभी मेल-एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को खुर्जा जंक्शन पर रोकने का प्रावधान किया जाए जिससे देश की सुरक्षा में तैनात इस क्षेत्र के जवानों को आने जाने में सुविधा हो। महोदय, खुर्जा की उपेक्षा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रेल मंत्रालय द्वारा जारी समयावली यानी ट्रेन्स एट ए ग्लांस में इस स्टेशन का जिक्र भी नहीं है।

महोदय, इसके अलावा मेरे संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले सभी रेलवे स्टेशनों की हालत आज भी काफी खस्ता है, इनके विकास के लिए कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। ये प्रमुख रेलवे स्टेशन है दादरी जहां पर कंटेनर डिपो भी है, की आज भी खस्ता हाल है इसके अलावा चोला, दनकौर स्टेशन व फतेहपुर मकरन्दपुर (हाल्ट) है जिन पर प्रमुख रेलगाड़ियां नहीं रुकती हैं। दनकौर स्टेशन (श्याम नगर मंडी) व चोला रेलवे स्टेशन पर रेलवे-फ्लाई ओवर बनाए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, जो अभी देश में सबसे ज्यादा तीव्र गति से चलने वाली बुलेट ट्रेन चलाए जाने की चर्चा हुई है जिसमें मुम्बई से अहमदाबाद, दिल्ली से पटना आदि स्थानों को जोड़े जाने का प्रावधान है परन्तु उत्तर प्रदेश जो कि, हमारे देश सबसे बड़ा प्रदेश है जिसकी राजधानी लखनऊ को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बुलेट ट्रेन से जोड़े जाने का माननीय रेल मंत्री जी के भाषण में कहीं जिक्र तक नहीं है और इससे उत्तर प्रदेश की जनता में बहुत रोष है, मेरी माननीय मंत्री जी से मांग है कि, लखनऊ से दिल्ली तक भी बुलेट ट्रेन प्रथम चरण में चलायी जाएं।

मैं माननीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि दादरी फ्लाई-ओवर जिसकी मांग मैं वर्षों से करता रहा हूं, वह कार्य प्रारम्भ तो हो गया है पर फ्लाईओवर के निर्माण कार्य की गति अति धीमी है।

मैं व मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करेंगी यदि वह उपरोक्त मांगों को पूरा करें।

महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे रेल बजट पर बोलने का मौका दिया।

*डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): महोदय, देश में यात्रियों के यातायत और माल परिवहन की दृष्टि से रेलों की सर्वाधिक उपादेयता है। इसका सामाजिक दायित्व भी है। विगत् वर्षों में जिस प्रकार से रेलों के कार्यकरण का विस्तार हुआ है, उस विस्तार की दृष्टि से रेलों के सुसंचालन पर भी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। कई नये जोन बने हैं, नये डिवीजन बने हैं और उस दृष्टि से रेलवे मंत्रालय पर और रेलवे बोर्ड पर अत्यधिक कार्यभार है। जहां तक रेलवे बोर्ड का संबंध है सक्षमतापूर्वक अपना दायित्व का निर्वाह कर रहा है। किंतु, उसे और सक्षम बनाने की दृष्टि से ताकि रेलों का सुसंचालन निश्चित किया जा सके, यात्री सुविधाएं हों, माल का परिवहन व्यवस्थित हो, इस दृष्टि से रेलवे बोर्ड में यद्यपि कार्य का विभाजन है उसे और नये पदों के सृजन के साथ पुनर्विभाजित कर पुनर्गठन आवश्यक है। विगत् वर्षों में यद्यपि कहा जा रहा है कि रेलवे लाभप्रद स्थिति में है किंतु इस लाभ का समुचित उपयोग किया जाता तो नई रेलवे लाइनें, दोहरीकरण और विद्युतीकरण के कार्य में गति आती। लेकिन सब अत्यंत धीमी गति से सम्पन्न हो रहा है। माल परिवहन की दृष्टि से वर्तमान में माल डिब्बों की क्षमता में वृद्धि करते हुए जिस प्रकार से लाभ अर्जित किया जा रहा है वह कुल मिलाकर डिब्बों की प्रचलन क्षमता को कम करने वाला सिद्ध होगा और शीघ्र ही खराब हो जायेंगे। यात्री सुविधाओं की बात तो जरूर की जाती है लेकिन स्वच्छता की यदि हम बात करें तो उसका सर्वथा अभाव देखा जाता है, खान-पान की सुविधा नहीं है, स्टेशनों पर बैठने की व्यवस्था नहीं है, बरसात में और गर्मी में खुले आसमान के नीचे यात्रियों को खड़े होना पड़ता है। इन सब बातों पर ध्यान देने की नितांत आवश्यकता है। केवल रेलों के नाम बदल देने से यात्री सुविधाएं नहीं बढ़ जाती हैं। पिछले दिनों कई सामान्य गाड़ियों को या फास्ट गाड़ियों को सुपरफास्ट गाड़ी बना दिया गया है किंतु उनकी गति वही है, वे हर स्टेशन पर रुकती हैं, यात्रियों को समय की बचत नहीं लेकिन यात्रियों पर किराये का बोझ अवश्य बढ़ा है। रेल मंत्री इसे लाभ होना बता रहे हैं। यात्री की जेब पर बोझ बढ़ा है।

इसी प्रकार तत्काल आरक्षण सुविधा द्वारा जो सामान्य व्यक्तियों को आरक्षण की सुविधा मिल सकती थी उसमें कटौती कर, कुछ व्यक्तियों को सुविधा प्रदान कर लाभ कमाया जा रहा है इससे जो यात्री पूर्व में लाभान्वित होते थे वे वंचित हो गये और उन्हें अनारक्षित या कई बार खड़े-खड़े यात्रा करने को बाध्य होना पड़ता है। प्लेटफार्म शुल्क तक बढ़ा दिया गया है। खान-पान की सुविधाओं की मैं चर्चा कर रहा था इनका या तो अभाव है या इनका स्तर दिनोंदिन गिरता जा रहा है। यहां तक कि शताब्दी गाड़ियों में भी स्तर की गिरावट देखी गई है।

रेलवे का अपना लक्ष्य है। समान गेज। इस दृष्टि से जो कार्य किया जाना चाहिए था वह अत्यंत धीमी गति से सम्पन्न हो रहा है। कई मीटर गेज लाइनों को बदलने की बात कही गई है, किंतु वे नहीं बदली जा सकीं। उदाहरण स्वरूप में कहना चाहूंगा कि रतलाम-खण्डवा-आकोला खण्ड पर मीटर गेज लाइन के अमान परिवर्तन की स्वीकृति के बाद भी परिवर्तन का कार्य जिस तेजी से सम्पन्न होना चाहिए था वह नहीं हो रहा है और आज यात्री इसके कारण जो खण्डवा से चलकर रतलाम पहुंचते हैं जिन्हें अजमेर आदि स्थानों की यात्रा करनी होती हैं, वे आगे के कनेक्शन के लिए लंबी प्रतीक्षा को बाध्य होते हैं। अतः गेज परिवर्तन शीघ्र किया जाये। जिन लाइनों का अमान परिवर्तन हुआ लेकिन यदि वहां दोहरीकरण नहीं होता तो उनका जितना लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा। रतलाम-अजमेर के बीच की लाइन ब्रॉड गेज में बदली गयी, यदि इसका दोहरीकरण शीघ्र होता है जो अत्यंत आवश्यक है तो उसका लाभ मुंबई से दिल्ली के लिए या दिल्ली से दक्षिण भारत के लिए जोड़ने वाली एक अतिरिक्त लाइन के रूप में होगा। अजमेर-रतलाम के बीच दोहरीकरण की आवश्यकता है। रेलवे इसे अपने हाथ में शीघ्र ले। वर्तमान में नीमच चित्तौड़ के बीच ब्राडगेज है परन्तु वहां पर एक ओर मीटर गेज लाइन साथ-साथ चल रही है जो आज निरूपयोगी हो गई है यदि वहां पर केवल पटरियां बदल दी जायें तो ब्राडगेज में एक और लाइन मिल सकती है। नीमच-चित्तौड़ के बीच यातायात में सुगमता होगी।

रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों की आवासीय और चिकित्सा की दृष्टि से कतिपय स्थानों पर नये आवास और चिकित्सालयों के विस्तार की आवश्यकता है। इन स्थानों में रतलाम-नीमच, अजमेर और इंदौर आदि प्रमुख हैं। रेलों में दावा किया जा रहा है कि दुर्घटनाएं कम हुई हैं, किंतु हाल

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

ही में जो तथ्य सामने आये हैं उससे सिद्ध होता है कि रेलों में दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। उसके दो प्रमुख कारण हैं - एक तो वर्षों पुरानी पुल-पुलियाएं और कहीं-कहीं हमारे ट्रेक की खराबी। पुल-पुलियाओं का नवीनीकरण व ट्रैक को ठीक किया जाना आवश्यक है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

उपर्युक्त कतिपय बिन्दुओं के बाद मैं अपने संसदीय क्षेत्र की कतिपय समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं -

पश्चिम रेलवे के रतलाम-अजमेर खण्ड पर मंदसौर स्टेशन के निकट यातायात की दृष्टि से एक ओवर ब्रिज बनाया जाना आवश्यक है। ठीक इसी तरह से जावरा में स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज बनाये जाने की आवश्यकता है। मंदसौर जावरा-नीमच आदि स्थानों पर यद्यपि दो या तीन प्लेटफार्म हैं किंतु केवल एक ही प्लेटफार्म पर शेड की व्यवस्था है वह भी समुचित नहीं है जबकि दूसरे प्लेटफार्मों पर इस सुविधा का सर्वथा अभाव है और यात्रियों को परेशानी होती है। अतः यहां पर शेड की व्यवस्था एवं विस्तार किया जाये। मैंने पूर्व में भी यह मांग की थी कि यात्री सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाये जिनमें प्लेटफार्मों की लंबाई बढ़ाना, शेड की व्यवस्था किया जाना, पेयजल तथा खानपान की सुविधा उपलब्ध कराना है। यह शीघ्र हो।

अब मैं कतिपय ट्रेनों के ठहराव व घोषित नई गाड़ियों के परिचालन के बारे में कहना चाहूंगा -

रेलवे के अधिकारियों द्वारा अजमेर-रतलाम खंड पर अजमेर-रतलाम के बीच तथा नीमच-रतलाम के बीच नई यात्री गाड़ियां चलाने की घोषणा की गई है। रेल मंत्री ने भी गत् वर्ष के रेल बजट के समय इस प्रकार के संकेत दिये थे किंतु वे आज तक नहीं चली हैं। मैं चाहूंगा कि अजमेर-इंदौर के बीच वाया रतलाम, नागदा उज्जैन यात्री गाड़ी प्रतिदिन चलाई जाये। इसी क्रम में उदयपुर-भोपाल के बीच अथवा अजमेर-भोपाल के बीच नई यात्री गाड़ी चलायी जाये। वर्तमान में बांद्रा-अजमेर गाड़ी चल रही है उसका जावरा में ठहराव देने के लिए मैंने कई बार निवेदन किया है उसका ठहराव तथा रतलाम-अजमेर फास्ट पैसेंजर का ठहराव जावरा में दिया जाये। कतिपय अन्य स्टेशनों पर यथा ढलौदा-ढोढर-पिपलिया मण्डी आदि पर सामान्य यात्री गाड़ियों का ठहराव भी नहीं है। वहां इनका ठहराव दिया जाये।

आमान परिवर्तन के बाद जो सुविधाएं इस खंड के यात्रियों को मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल रही हैं। इस दृष्टि से कुछ गाड़ियों के और चलाये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकि यात्रियों की कठिनाई दूर हो सके। इस खंड के तथा नागदा-कोटा खंड के यात्रियों द्वारा इन्दौर-निजामुद्दीन इंटरसिटी का गरोठ स्टेशन (पश्चिम मध्य रेलवे) पर ठहराव दिये जाने के बारे में इस क्षेत्र के लोग निरंतर मांग कर रहे हैं। इसी प्रकार जम्मू-तवी मुंबई सुपरफास्ट का शामगढ़ में ठहराव (प. मध्य रेलवे) जोधपुर-इंदौर का सुवासरा (प. मध्य रेलवे) में ठहराव दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है मंदसौर जावरा स्टेशनों पर प्लेटफार्म दो पर उपर्युक्त शेड नहीं है, जावरा में फुट ओवर ब्रिज नहीं है उनके निर्माण की महति आवश्यकता है उसको शीघ्र सम्पन्न कराया जाये।

रेलवे द्वारा जहां मुनाफे कमाये जाने की बात कही जा रही है वहीं उसे अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए यात्री सुविधाओं को और अच्छा बनाने की दृष्टि से कई कदम उठाये जाने आवश्यक हैं। जिनमें स्टेशनों पर उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार, प्लेटफार्मों पर बैठने की सुविधाएं, शेड्स आदि, यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नई गाड़ियां चलाया जाना, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, विद्युतीकरण, पुराने ट्रैक व पुलियाओं का आधुनिकीकरण, इन पर ध्यान दिया जाना जनहित की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है।

मैंने संक्षेप में कुछ बातें रखी हैं। अन्य बातें यथासमय अवगत करवाऊंगा अथवा अपने पत्रों द्वारा लिखकर प्रेषित करूंगा।

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले उन सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने कल रात को साढ़े दस बजे तक सदन में बैठकर रेलवे के आगामी वर्ष 2009-2010 के लिए अंतरिम रेल बजट, चालू वर्ष 2008-2009 की पूरक मांगों तथा वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की अतिरिक्त मांगों के लिए हुई चर्चा में भाग लिया। चालू वर्ष के लिए 10,860 करोड़ रुपए की पूरक मांगें मुख्यतः छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए, पूंजी के तहत परियोजनाओं के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने तथा नई सेवाओं के अंतर्गत चार नए कार्यों के अनुमोदन के लिए ली जा रही हैं। अनुदान की अतिरिक्त मांगें लोक लेखा समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2006-2007 से सम्बन्धित अधिक खर्च विनियमित करने के लिए प्रस्तुत की गई हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने जानना चाहा है कि जब रेलवे सालाना 20,000 करोड़ रुपए से 25,000 करोड़ रुपए कमा रही है, तो फिर उसे बजटीय सहायता की जरूरत क्यों पड़ती है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जहां रेलवे द्वारा वर्ष 2004 में 13,000 करोड़ रुपए का निवैश किया गया था, वहीं अब 2009 में रेलवे 37,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां पहले निवेश का 53 प्रतिशत हिस्सा बजटीय सहायता के माध्यम प्राप्त होता था, वहीं अब 29 प्रतिशत हिस्सा बजटीय सहायता से प्राप्त होगा। इस प्रकार अब रेलवे का निवेश 2004 की तुलना में न केवल तीन गुना हो गया है, बल्कि इसकी बजटीय सहायता पर निर्भरता भी 53 प्रतिशत से घटकर मात्र 29 प्रतिशत रह गई है। जो रेलवे पहले गतायु एवं जर्जर हो चुकी संपत्तियों को बदलने के लिए डी.आर.एफ. में सालाना 3,000 करोड़ रुपए का निवेश नहीं कर पाती थी, वहीं रेलवे अब सालाना 7,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। पहले रेलवे को जर्जर सम्पत्तियों को बदलने के लिए भी सरकार के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे, वहीं एन.डी.ए. शासन में वहीं 2009 में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आंतरिक संसाधनों के माध्यम से कर रही है। अब रेलवे द्वारा बजटीय सहायता का उपयोग प्रमुख रूप से पिछड़े एवं दूर-दराज इलाकों में नई रेल लाइनों के निर्माण, आमान परिवर्तन की योजनाओं में किया जाता है।...*(व्यवधान)* महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने आशंका व्यक्त की है कि हायर एक्सल लोड की वजह से रेल की पटरियों और लोडिंग स्टाक को क्षति पहुंच रही है।

मैं सदन को एक बार पुनः आश्वस्त करना चाहूंगा कि रेल संरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। महोदय, मालगाड़ियों का एक्सल लोड बढ़ाने का निर्णय लेने के समय सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाये गये हैं। एक तरफ मालगाड़ियों में ओवरलोडिंग रोकने के लिए जगह-जगह धर्मकांटे लगाये गये हैं वहीं दूसरी ओर पटरियों एवं पुलों को मजबूत किया गया है। इस संबंध में मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। भारतीय रेल 1970 के दशक से ही के के लाइन पर 23 टन एक्सल लोड की गाड़ियां चल रही हैं। पिछले तीन वर्षों में प्राप्त हुई फीडबैक पर विचार-विमर्श करने के लिए गत वर्ष रेल पथ इंजीनियर्स का एक सेमिनार हुआ जिसमें देश-विदेश के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस सेमिनार में यह आम राय बनी कि रेलवे द्वारा लिया गया निर्णय सामयिक एवं सही है।

महोदय, रेल संरक्षा, उत्पादकता एवं लाभप्रदता एक दूसरे के पूरक हैं। संरक्षा में सुधार लाकर ही रेलवे की उत्पादकता एवं मुनाफा कमाने की क्षमता में सुधार लाया जा सकता है। महोदय, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक रेल दुर्घटना होने से यातायात कई घंटों और कभी-कभी तो कई दिनों तक बाधित हो जाता है। इसीलिए अब रेल संरक्षा कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जा रही है। कुछ माननीय सदस्यों ने एन.डी.ए. सरकार द्वारा रेल संरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए किये गये प्रयासों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की है। इस संबंध में मैं सम्मानित सदन को बताना चाहूंगा कि जहां पहले रेलवे को गतायु संपत्तियों को बदलने के लिए विशेष रेल संरक्षा निधि के माध्यम से बजटीय सहायता पर निर्भर रहना पड़ता था वहीं अब रेलवे अपने आंतरिक संसाधनों से पुरानी संपत्तियों को बदलने के लिए डी.आर.एफ. में 7 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान कर रही है। यही कारण है कि वर्ष 2001 में जहां परिणामी रेल दुर्घटनाओं की संख्या 473 थी वहीं गत वर्ष यह संख्या घटकर मात्र 194 रह गई। गिरावट का यह क्रम इस वर्ष भी जारी है।

इसी प्रकार यात्रियों एवं गाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमने राष्ट्रव्यापी भर्ती अभियान के माध्यम से सिपाहियों, उपनिरीक्षकों और सहायक कर्मचारियों की रिक्तियों को भरा है। रेल सुरक्षा बल में 22 हजार अतिरिक्त पदों और रेल सुरक्षा विशेष बल में बटालियनों के सृजन के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। हमने मुम्बई, चेन्नै, दिल्ली और कोलकाता के चार महानगरों के सभी स्टेशनों और 140 अन्य संवेदनशील स्टेशनों की सुरक्षा के लिए एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली स्वीकृत की है। इसमें आई.पी. आधारित सी.सी.टी.वी. प्रणाली, एक्सेस कंट्रोल, व्यक्ति एवं सामान जांच प्रणाली, विस्फोटक जांच एवं डिस्पोजल प्रणाली शामिल हैं। सुरक्षा उपकरणों एवं वाहनों की खरीद के लिए अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है। रेल सुरक्षा बल के लिए तीन हजार एके-47 राइफलें उपलब्ध कराने के लिए गृह मंत्रालय से संपर्क किया गया है। रेल संपत्ति के बेहतर संरक्षण एवं सुरक्षा में बल के कानूनी पहलू को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से संसद रेल संपत्ति अधिनियम में एक संशोधन प्रस्तुत किया गया है।

महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि रेलवे तत्काल योजना एवं सुपरफास्ट चार्ज के माध्यम से पिछले दरवाजे से यात्री किराया बढ़ा रही है। मैं पूरी

[श्री लालू प्रसाद]

जिम्मेदारी के साथ सदन को पुनः सूचित करना चाहता हूं कि बजट में न तो फ्रंट डोर से और न ही बैक डोर से यात्री किराया बढ़ाया गया है। इस संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि तत्काल चार्ज, सुपर फास्ट चार्ज और डेवलपमेंट चार्ज की दरों में न तो हाल ही में कोई परिवर्तन किया गया है और न ही प्रस्तावित है। वस्तुतः मैंने वर्ष 2007-2008 में द्वितीय श्रेणी के सुपर फास्ट चार्ज में 20 प्रतिशत की कमी की थी।

महोदय, तत्काल योजना के अंतर्गत टिकट खरीदने की सुविधा आज से नहीं बल्कि वर्ष 1997 से ही है। यह योजना उन यात्रियों की सुविधा के लिए बनाई गई है जिन्हें आपातकालीन परिस्थितियों में यात्रा करनी पड़ती है। आरक्षण न मिल पाने की वजह से ऐसे यात्रियों को बिचौलियों एवं दलालों के पास जाना पड़ता है। इस तरह की अनियमितता को रोकने के लिए ही तत्काल योजना शुरू की गयी थी। इससे रेल और यात्री दोनों को फायदा हुआ है। हमने पिछले पांच वर्षों में हर श्रेणी के किरायों में कमी कर 90 हजार करोड़ रुपए का कैश सरप्लस कमाया है। इसलिए ऐसे लोगों को सहजता से विश्वास नहीं होता जो किराए में वृद्धि करके ही रेलवे के कायाकल्य हो सकने की बात करते थे। हमने यात्रियों पर बढ़े हुए किराए का बोझ डालकर नहीं अपितु अपनी उत्पादकता में सुधार कर मुनाफा कमाया है और इसीलिए देश-विदेश में रेल और रेलकर्मियों का सम्मान बढ़ा है।

महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी सम्मानित सदन को सूचित किया था कि पूर्वी डेडिकेटिड फ्रेट कारीडोर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और इस माह पश्चिमी कारीडोर का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। हमने पिछले पांच सालों में जो घोषणाएं की हैं, उन सभी को समयबद्ध तरीके से लागू करने की कोशिश की है। मुंबई उपनगरीय रेल सेवा पर दिनों-दिन बढ़ते यात्री यातायात को देखते हुए हमने वर्ष 2007-08 का बजट पेश करते हुए 150 नई सेवाएं शुरू करने की घोषणा की थी जो कि शुरू हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष का बजट पेश करते हुए मैंने 300 नई ई.एम.यू. सेवाएं शुरू करने की घोषणा की थी। इसमें से 165 सेवाएं शुरू की जा चुकी हैं और शेष को अप्रैल, 2009 के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। मुंबई शहरी परिवहन परियोजना फेज-1 वर्ष 2009-10 के दौरान पूरी होने की आशा है। गत वर्ष के बजट में हमने 5300 करोड़ रुपए की लागत से फेज-2 शुरू करने की घोषणा की थी। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मुंबई रेल विकास निगम ने एक योजना तैयार की है।

मैं सदन को यह सूचित करना चाहूंगा कि प्रांतिक-सिवरी और आनंदपुर साहिब-गढ़शंकर नई लाइनों के सर्वे कार्य पूरे हो गए हैं और इनकी स्वीकृति हेतु आगे की कार्रवाई की जा रही है। कई सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र में नई रेल लाइन के निर्माण, आमान परिवर्तन इत्यादि के लिए आग्रह किया है। घोघरडीहा-घोघेपुर, कोशीकलां-नंदगांव-बरसाना-गोवर्धन, बिलासपुर-कुल्लू-मनाली-लेह, ईडापल्ली-गुरूवायूर, कंजनगढ़-पानाथुर नई लाइन, पठानकोट-जोगिन्दरनगर आमान परिवर्तन और तिरूवनन्तपुरम-कन्याकुमारी दोहरीकरण के सर्वे चल रहे हैं जिन्हें पूर्ण कर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। आरा-छपरा, नांदेड़-देगलूर-बिदर, चुरू-नौहर वाया तारानगर बेतिया-तुरकोलिया, बेतिया-थावे वाया गोपालगंज एवं मनिहारी-साहिबगंज नई लाइन का सर्वे कराने का प्रस्ताव है।

महोदय, केरल में एर्नाकुलम-कयानकुलम वाया कोट्टायम के दोहरीकरण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाएगा। साथ ही कोलम-पुन्नलूर के आमान परिवर्तन का कार्य शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा तथा पुन्नलू-सेनकोटाई के कार्य में तेजी लाई जाएगी। मुजफ्फरपुर-जनकपुर नई लाइन जो जाले से गुजरेगी, का उरई से सिंघवारा तक विस्तार किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। लमडिंग-सिलचर-कुकारघाट-जिरीबाम के आमान परिवर्तन का कार्य प्रगति पर है। लमडिंग-सिलचर के बीच कार्य आतंकवादी गतिविधियों के कारण पैरामिलिटरी फोर्स नहीं रहने के कारण बार-बार बाधित हुआ है। हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि पैरामिलिटरी फोर्स दे, ताकि हम काम को तेजी से पूरा करें। कार्य को पूर्ण करने में विलंब हुआ है। गृह मंत्रालय तथा असम राज्य सरकार ने इस परियोजना पर सुरक्षा प्रदान करने की कार्यवाही की है। कार्य की प्रगति बढ़ाकर इस राष्ट्रीय परियोजना को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। नेपाल और भारत को रेलमार्ग से जोड़ने के प्रयासों के तहत जयनगर-बर्डीवास और जोबनी-बिराटनगर की डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

महोदय, अंतरिम बजट पेश करते समय मैंने माननीय सदस्यों से कहा था कि रेल बजट में उनके क्षेत्र से संबंधित जो भी कमी रह गई है, उस पर मैं विचार करूंगा। लोकसभा के विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने इच्छा जाहिर की है कि गांधीनगर और दिल्ली के बीच

गरीब रथ चलाई जाए। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आमान परिवर्तन के बाद गाड़ी संख्या 9105/9106 अहमदाबाद हरिद्वार मेल को वाया गांधीनगर चलाया जा चुका है। मैंने अपने अंतरिम बजट प्रस्ताव में भी गरीब रथ ट्रेन संख्या 2993/2994 मुम्बई-जयपुर गरीब रथ एक्सप्रेस जो कि गांधीनगर से गुजरती है, को दिल्ली तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है। केरल के माननीय सांसद तथा माननीय संसदीय प्रभारी कार्य मंत्री श्री वायालार रवि जी ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें केरल के लिए कुछ नई ट्रेन तथा कुछ ट्रेन के फेरों में वृद्धि की मांग की है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने केरल के लिए दो लंबी दूरी की ट्रेन चलाने का ऐलान किया है, एक मुंबई को तिरुवनंतपुरम से और दूसरी बिलासपुर से तिरुवनंतपुरम को जोड़ेगी। इसके अलावा पिछले बजट में एक गरीब रथ को कोचीवेली एवं बंगलौर के बीच चलाने की घोषणा की थी और यह इसी महीने में चलेगी। इसके अतिरिक्त केरल को दिल्ली से जोड़ने के लिए 25 जनवरी, 2009 को अमृतसर-दिल्ली-कोचीवेली एक्सप्रेस चलाई है तथा इसी महीने दूसरी ट्रेन कोचीवेली-दिल्ली-देहरादून चलाई जाएगी। ये दोनों गाड़ी उसी रास्ते से चलेंगी जिस पर केरल सम्पर्क क्रान्ति चलती है। इससे केरल के लोगों की मांगें काफी हद तक पूरी हो जाएंगी। फिर भी केरल के माननीय सांसदों द्वारा दी गई मांगों पर सार्थक कार्रवाई की जाएगी। महोदय, केरल के पालाघाट में नई रेल कोच फैक्ट्री के निर्माण की स्वीकृति हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार केरल सरकार के सार्वजनिक उपक्रम स्टील इंडस्ट्रीज केरल लिमिटेड, अलेप्पी के साथ संयुक्त उपक्रम बनाने के लिए एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं और जरूरी अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

माननीय सांसद, श्री केसरी देव जी ने विशाखापत्तनम से दिल्ली, निजामुद्दीन तक चलने वाली समता एक्सप्रेस के फेरों में वृद्धि की मांग की है। माननीय सांसद, श्री विनोद खन्ना जी ने धौलाधार एक्सप्रेस के फेरों में वृद्धि की मांग की है। माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, श्रीमती सूर्यकांता पाटिल ने मराठवाड़ा के अकोला से मुंबई के बीच नई ट्रेन चलाने की मांग की है, उसे चलाएंगे/बेल्लोर से चैन्नई डेमू तथा तिरुतनी से चैन्नई के बीच मेमू ट्रेन चलाने की मांग की गई है। मैं माननीय सदन को सूचित करना चाहता हूं कि हमने पिछले बजट में जो नई ट्रेन तथा अन्य ट्रेन सेवाओं की घोषणा की थी उसे पूरा करने के लिए भी हमारे पास कोच धीरे-धीरे उपलब्ध हो पा रहे हैं। साधनों की उपलब्धता होते ही आवश्यकतानुसार मैं आप लोगों की मांग को भी पूरा करने का प्रयत्न करूंगा।

महोदय, कोसी नदी के रास्ता बदल लेने से प्रभावित उत्तर पूर्वी बिहार में यातायात की व्यवस्था बेहतर करने की दृष्टि से जोगबनी से दिल्ली के बीच गरीब रथ, सहरसा एवं जोगबनी से पटना के लिए एक्सप्रेस ट्रेन तथा सहारसा से रोसड़ा होते हुए समस्तीपुर तक फास्ट पैसेंजर ट्रेन सेवाएं दी जाएंगी। सहरसा से मधेपुरा के बीच आमान परिवर्तन का कार्य जल्द ही पूरा होने वाला है। उसके बाद सहरसा से चलने वाली इन ट्रेनों का विस्तार मधेपुरा तक किया जाएगा। माननीय सदस्य बसुदेव आचार्य जी ने सियालदाह से सिलिगुड़ी के बीच वाया नवजोतपुरी साप्ताहिक जनशताब्दी चलाने की मांग की है, उसे भी चलाएंगे।

माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को संज्ञान में लिया गया है। मैं सभी माननीय सदस्यों को उनके बहुमूल्य सुझावों और रेल बजट पर दिए गए समर्थन के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। अब मैं सदन से रेलवे की आगामी वर्ष 2009-10 के लिए लेखानुदान, चालू वर्ष 2008-09 की अनुदान की पूरक मांगों तथा वर्ष 2006-07 की अतिरिक्त मांगों और इनसे संबंधित विनियोग विधेयकों को पारित करने का आग्रह करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, हम लोग माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। हम विरोध स्वरूप सभा से बहिर्गमन कर रहे हैं।

अपराह्न 12.23 बजे

(इस समय श्री बृज किशोर त्रिपाठी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपने वायालार रवि जी को दे दिया, आडवाणी जी को दे दिया, लेकिन स्पीकर को नहीं दिया, इसलिए आपका बजट पास नहीं होगा!

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आपने मेरी परियोजना की घोषणा नहीं की है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: हमने शुरू में ही पढ़ा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने शुरू में ही पढ़ा है। नहीं तो, आपका बजट फंस जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: मैंने शुरू में ही पढ़ दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रान्तिक से शिवडी दिया है।

श्री लालू प्रसाद: दिया है।

अध्यक्ष महोदय: तब तो ठीक हो जायेगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मैं वर्ष 2009-2010 हेतु लेखा नुदानों की सभी मांगें (रेल) को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 16 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, (वर्ष) 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2009-10 के लिए लेखानुदानों की मांगें (रेल)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लेखानुदानों की मांगों की राशि
1	2	3
1.	रेलवे बोर्ड	75,99,49,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	233,25,49,000
3.	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	1962,60,37,000
4.	रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	2983,97,92,000
5.	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	1317,55,54,000
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	3044,48,49,000
7.	संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	1741,93,40,000
8.	परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर	2243,41,67,000
9.	परिचालन व्यय-यातायात	5861,11,11,000
10.	परिचालन व्यय-ईंधन	4977,06,17,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	1265,96,65,000
12.	विविध संचालन व्यय	1297,88,19,000

1	2	3
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवाएं-निवृत्ति लाभ	6555,09,80,000
14.	निधियों में विनियोग	8757,42,00,000
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण की अदायगी और अतिपूंजीकरण का परिशोधन	8,56,23,000
16.	परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव	
	राजस्व	20,00,00,000
	अन्य व्यय	
	पूंजी	14758,98,40,000
	रेलवे निधियां	6668,04,46,000
	रेलवे संरक्षा निधि	566,59,67,000
	जोड़	64339,95,05,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं वर्ष 2008-09 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों (रेल) को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1, 3 से 13, 15 और 16 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2008-09 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुपुरक अनुदानों की मांगों की राशि
1	2	3
1.	रेलवे बोर्ड	15,00,00,000
3.	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	427,25,77,000
4.	रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	432,51,11,000
5.	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	258,62,14,000

1	2	3
6.	सवारी एवं माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	845,19,03,000
7.	संयंत्र व उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	371,08,19,000
8.	परिचालन व्यय - चल स्टाक और उपस्कर	540,27,88,000
9.	परिचालन व्यय-यातायात	1205,17,90,000
10.	परिचालन व्यय-ईंधन	567,36,50,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	281,01,04,000
12.	विविध संचालन व्यय	353,57,32,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	3065,35,87,000
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण की अदायगी और अतिपूंजीकरण का परिशोधन	75,08,00,000
16.	परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव	
	अन्य व्यय	
	पूंजी	2280,00,00,000
	रेलवे निधियां	10,000
	जोड़	10717,50,85,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं वर्ष 2006-07 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेल) को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1,10, 15 और 16 के सामने दिखाये गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2006-07 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अतिरिक्त अनुदानों की मांगों की राशि
1	2	3
1.	रेलवे बोर्ड	1,34,075

1	2	3
10.	परिचालन व्यय-ईंधन	23,47,96,342
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण का भुगतान तथा अतिपूंजीकरण के परिशोधन के लिए भुगतान	4,54,77,535
16.	परिसंपत्तियां - अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव	
	रेलवे निधियां	121,32,89,008
	जोड़	149,36,96,960

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.27 बजे

विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2009*

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2009-10 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2009-10 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर. वेलु: मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव करें।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि रेल के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2009-10 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2009-10 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गये।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड-2, दिनांक 19-2-2009 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित और प्रस्तुत।

[अध्यक्ष महोदय]

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए"।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.28 बजे

विनियोग (रेल) विधेयक, 2009*

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेल के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2008-2009 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि रेल के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2008-2009 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री लालू प्रसाद: मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव कर सकते हैं।

श्री लालू प्रसाद: मैं प्रस्ताव * करता हूं:

"कि रेल के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2008-2009 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि रेल के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2008-2009 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री लालू प्रसाद: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: विधेयक पारित हुआ।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड-2, दिनांक 19-2-2009 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित और प्रस्तुत।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित और प्रस्तुत।

अपराह्न 12.29 बजे

विनियोग (रेल) संख्याक 2 विधेयक 2009*

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेल के प्रयोजनार्थ 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि रेल के प्रयोजनार्थ 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री लालू प्रसाद: मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब, मंत्री जी विधेयक को विचार करने हेतु प्रस्तुत करें।

श्री लालू प्रसाद: मैं प्रस्ताव ** करता हूं:

"कि रेल के प्रयोजनार्थ 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि रेल के प्रयोजनार्थ 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री लालू प्रसाद: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 12.34 बजे

झारखण्ड राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

झारखण्ड अंतरिम बजट 2009-2010

*लेखानुदान की मांगें (झारखण्ड) - 2009-2010 और

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड-2, दिनांक 19-2-2009 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित और प्रस्तुत।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

*अनुपूरक अनुदानों की मांगें (झारखण्ड) - 2008-2009

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मद सं. 23 से 26 पर एक साथ विचार किया जा रहा है।

...(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत झारखण्ड राज्य के संबंध में 19 जनवरी, 2009 को जारी उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:-

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत झारखण्ड राज्य के संबंध में 19 जनवरी, 2009 को जारी उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 3 में राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा में मांग संख्या 1 से 4, 6 से 12, 15 से 27, 29 से 33, 35 से 44 और 46 से 52 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां झारखंड राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:-

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 3 में राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा में मांग संख्या 1 से 4, 6 से 12, 15 से 27, 29 से 33, 35 से 44 और 46 से 52 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां झारखंड राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2009-10 की अनुदानों की मांगें (झारखण्ड)

क्र.सं.	संख्या और मांगों का शीर्षक	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लेखानुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
1.	कृषि विभाग	1287717333	8333333
2.	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	676503200	16666667
3.	भवन निर्माण विभाग	291956167	335666667
4.	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	118933000	–
6.	निर्वाचन	880783000	–
7.	निगरानी	29864667	–

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

1	2	3	4
8.	नागर विमानन विभाग	384347667	–
9.	सहकारिता विभाग	307174333	25333333
10.	ऊर्जा विभाग	1583810000	1053333333
11.	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	56044333	–
12.	वित्त विभाग	204163333	53333333
15.	पेंशन	4583350000	–
16.	राष्ट्रीय बचत	7830000	–
17.	वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	107792667	–
18.	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1041951333	–
19.	वन एवं पर्यावरण विभाग	891057667	500000
20.	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	3408481268	541029065
21.	उच्च शिक्षा विभाग	1536863667	–
22.	गृह विभाग	6028670000	467469333
23.	उद्योग विभाग	506974000	4000000
24.	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	139022333	–
25.	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	11972000	–
26.	श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	2292452000	–
27.	विधि विभाग	497053667	–
29.	खनन् एवं भूतत्व विभाग	83857333	1500000
30.	अल्प संख्यक कल्याण विभाग	4433833	34133333
31.	संसदीय कार्य विभाग	604667	–
32.	विधान मंडल	136190333	–
33.	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	49945333	–
35.	योजना एवं विकास विभाग	410816667	–
36.	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	583695667	1416966667
37.	राजभाषा विभाग	30591333	–

1	2	3	4
38.	निबंधन विभाग	42727000	–
39.	आपदा प्रबंधन विभाग	780358667	–
40.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	870053667	333
41.	पथ निर्माण विभाग	597302333	2114833333
42.	ग्रामीण विकास विभाग	3216631000	1936350333
43.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	356383833	206833333
44.	माध्यमिक, प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग	10295546000	73333333
46.	पर्यटन विभाग	41552000	83833333
47.	परिवहन विभाग	45237000	182666667
48.	नगर विकास एवं आवास विभाग	646740333	2040316667
49.	जल संसाधन विभाग	889954333	1660666667
50.	लघु सिंचाई विभाग	209024000	280666667
51.	कल्याण विभाग	3449785167	384600000
52.	खेलकूद, कला संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग	203403000	226290667
	जोड़ - राज्य/पूंजी	49819601134	13148656397

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह इस पर कार्यवाही करने का समय नहीं है। हम झारखंड बजट पर कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री उदय सिंह

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री उदय सिंह (पूर्णिया): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे झारखंड विनियोग विधेयक, 2008 पर बोलने का मौका दिया है। जब बिहार का विभाजन हुआ था तो एक विचित्र परिस्थिति का निर्माण हुआ है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): महोदय, आपने मुझे बताया था कि आप मुझे प्रश्न काल के बाद मौका देंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास जी, आपने मेरे साथ सहयोग नहीं किया मैंने आपसे अनुरोध किया था आपने उसका सम्मान नहीं किया। आपने मेरे सुझाव को स्वीकार नहीं किया कि प्रश्नकाल के बाद मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। आपने ऐसा नहीं किया। आपने सभा में व्यवधान डाला और मुझे मजबूरी में सभा को स्थगित करना पड़ा।

प्रो. एम. रामदास: महोदय, मैं चाहता हूं कि जो मैं कहने जा रहा हूं उसे मैडम सोनिया जी सुनें।

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है, ऐसे नहीं होता है। यह सभा व्यक्तिगत बातचीत के लिए नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री उदय सिंह: महोदय, मैं सस्पैंडिड एनीमेशन में हूं, मैं बोलूं या नहीं।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.36 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: केवल, श्री उदय सिंह का भाषण ही कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा। जो मेरी अनुमति के बिना भाषण देंगे उनका भाषण कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्री उदय सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, हमारा झारखण्ड वाला हाल हो गया है, हम लटके हुए हैं।...*(व्यवधान)* झारखण्ड तो झारखण्ड, झारखण्ड के लिए जो बोलने के लिए खड़े हुए हैं, उनके साथ भी अन्याय हो रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अपराह्न 12.37 बजे

(इस समय, प्रो. एम. रामदास और कुछ माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: पहले अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको अपने विचार रखने के लिए पांच मिनट का समय दूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनें। श्री उदय सिंह जी, भाषण के बाद मैं आपको केवल पांच मिनट के लिए बोलने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: पांच मिनट पर्याप्त है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। पहले अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.37¼ बजे

(इस समय प्रो. एम. रामदास और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने अपने स्थान पर वापस चले गए।)

[हिन्दी]

श्री उदय सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, झारखण्ड के साथ इतनी बदसलूकी क्यों होती है? झारखण्ड तो लटका हुआ है ही, मैं भी लटका हुआ हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उदय सिंह जी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): उपाध्यक्ष महोदय, हमें मध्य प्रदेश के बारे में बोलने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: मैडम, आप बैठ जाइए। हम इसे शाम को जीरो ऑवर में लेंगे।

...(व्यवधान)

हम आपको टाइम इसलिए दे रहे हैं कि इसके बाद आप हाउस को चलने देंगे।

[अनुवाद]

आपके बोलने पर कोई हल्ला-गुल्ला नहीं होना चाहिए। आप नैतिक रूप से प्रतिबद्ध हैं।

प्रो. एम. रामदास: हां, महोदय, हल्ला-गुल्ला नहीं होगा।
...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. रामदास, अब कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपको एक शर्त पर बोलने की अनुमति दे रहा हूं कि आप अपने भाषण के पश्चात् सभा की कार्यवाही में व्यवधान नहीं डालेंगे।

प्रो. एम. रामदास: ठीक है, महोदय हम व्यवधान नहीं डालेंगे। सभा को बाधित करने का हमारा कोई इरादा नहीं है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सायं 6.00 के पश्चात् चर्चा हेतु विशेष उल्लेख लिए जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

प्रो. एम. रामदास: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको पता है, पट्टाल्ली मक्कल काची माननीया सोनिया जी के नेतृत्व वाले संप्रग गठबंधन का एक विश्वसनीय सहयोगी दल रहा है। हमने सभी नीतिगत मामलों पर भारत सरकार को पूरा सहयोग दिया है। हमने सरकार को स्थिरता दी है और हमने सब कुछ किया है। परन्तु तमिलनाडु की सात करोड़ जनता की भावनाओं से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम भारत सरकार से एक अनुकूल जवाब की उम्मीद कर रहे थे।

भारत की माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में एक उल्लेख किया था जो हमारे लिए पूर्णतया संतोषजनक था। उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि श्रीलंका की सरकार को वहां सैन्य कार्रवाई रोकनी चाहिए और निर्दोष तमिलों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। राष्ट्रपति के इस अभिभाषण को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। इसका अभिप्राय है कि भारत की जनता ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को अनुमोदित कर दिया है तथा यह संतोषजनक है क्योंकि उन्होंने श्रीलंका में शांति बहाली की मांग की है। हम संतुष्ट थे।

परन्तु तत्पश्चात् हमारे द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद माननीय विदेश मंत्री ने कल इस सभा में स्वमेव एक वक्तव्य दिया जो पूरी तरह से तथ्यों का मिथ्यावर्णन है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा कही गयी बात के विपरीत है। जबकि भारत के राष्ट्रपति का यह कहना है कि श्रीलंका सरकार को वहां सैन्य कार्रवाई अवश्य रोकनी चाहिए, माननीय विदेश मंत्री का यह कहना है कि लिट्टे को अपनी सभी गतिविधियां रोकनी चाहिए और यह तथ्यों के विपरीत कथन है।

स्वमेव दिए गए इस वक्तव्य के अनेक प्रकथन परिस्थिति के विपरीत हैं। हम भारत सरकार से यह जानना चाहेंगे कि क्या स्वमेव दिया गया यह वक्तव्य माननीय विदेश मंत्री का व्यक्तिगत वक्तव्य है अथवा इसके लिए मंत्रिमंडल को विश्वास में लिया गया था; क्या सरकार ने उन्हें यह वक्तव्य देने की अनुमति दी थी और इस वक्तव्य में नसीहत देने वाली जो बड़ी-बड़ी बातें कही गयी हैं क्या इस बारे में उनके पास कोई प्रमाण हैं। हम समझते हैं कि यह एक गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य है। यह लिट्टे के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण व एकपक्षीय वक्तव्य है।

महोदय, यदि हमारी विदेश नीति गुटनिरपेक्ष विदेश नीति रही है तो आपको दो युद्धरत समूहों के बीच निष्पक्ष रहना चाहिए। लेकिन वह ऐसे लोगों के पक्ष में वक्तव्य दे रहे हैं जो देश में राज्य प्रायोजित आतंकवाद में संलिप्त है। हम महसूस करते हैं कि यह वक्तव्य भारत की जनता का वक्तव्य नहीं था, भारत की संसद का वक्तव्य नहीं था, यह विदेश मंत्री के रूप में श्री प्रणब मुखर्जी का वक्तव्य था।

हम सरकार से मात्र यही अनुरोध करते हैं कि या तो वह इस वक्तव्य को वापस ले लें अथवा यहां आकर सभा में इसे स्पष्ट करें। हम इस वक्तव्य में कही गयी गलत बातों को उन्हें बतायेंगे। महोदय, हम सभी संप्रग के भागीदार हैं, डी.एम.के. भागीदार है, पी.एम.के. भागीदार है तथा तमिलनाडु से दो अन्य सदस्य हैं। सरकार संप्रग के भागीदारों से परामर्श करके, एक निर्णय ले और उसके बाद स्वमेव एक वक्तव्य दे। इसलिए हम महसूस करते हैं कि यह...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): उन्हें संप्रग के साथ संबंधों का परिणाम भुगतने दें। वे लोग संप्रग में बने हुए हैं और वे उनकी बातों का खण्डन नहीं कर सकते। ...*(व्यवधान)*

प्रो. एम. रामदास: वह संप्रग के भागीदार थे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**...

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. रामदास की बातों के अलावा और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*(व्यवधान)**...

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैं उन लोगों के साथ हूं परन्तु ये लोग इस प्रकार का वक्तव्य नहीं दे सकते।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**...

उपाध्यक्ष महोदय: अब कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. रामदास, अब कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

श्री जे.एम. आरून रशीद (पेरियाकुलम): महोदय, कृपया इनके पश्चात् श्री तंगबालु को बोलने की अनुमति दीजिए। *...(व्यवधान)*

प्रो. एम. रामदास: उन्हें भी बोलने दीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. रामदास, अब कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

प्रो. एम. रामदास: महोदय, कृपया आपस में बात मत कीजिए। हम सरकार से अपील कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. रामदास, कृपया मेरी एक बात सुनिए। मुझे केवल प्रो. रामदास से ही नोटिस प्राप्त हुआ है। मुझे किसी अन्य सदस्य से नोटिस नहीं प्राप्त हुआ है। इसलिए, मैं केवल प्रो. रामदास को ही अनुमति दूंगा और उसके बाद में दूसरी मद लूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. रामदास, कृपया अब समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री के.वी. तंगबालु (सेलम): प्रो. रामदास, मैं आपका समर्थन करता हूं परन्तु हमें भी इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अधिकार है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. रामदास आप अपनी बात समाप्त कर रहे हैं या नहीं?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अभी बैठ जाइए। मैं आपको 'शून्यकाल' में समय दूंगा।

...(व्यवधान)

प्रो. एम. रामदास: यू.पी.ए. अध्यक्ष मैडम सोनिया जी यहां हैं। हमारे नेता डा. एस. रामदास ने परसों उनसे भेंट कर उन्हें तमिलनाडु के घटनाक्रम के बारे में बताया था और उनसे हस्तक्षेप का आग्रह किया था। मैडम श्रीलंका के इस मुद्दे के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण रखती हैं।

कल, डी.एम.के. पार्टी के एक शिष्टमंडल ने उनसे भेंट की थी और इस मामले में उनसे हस्तक्षेप का अनुरोध किया था। जब इस समय इस प्रकार की वार्ता प्रक्रिया चल रही है तब माननीय विदेश मंत्री के वक्तव्य ने आग में घी डालने का कार्य किया है और लोग अब इससे और अधिक उद्वेलित हो गए हैं। जब हालात सामान्य हो रहे हों तो, इस प्रकार के वक्तव्य से, जोकि तथ्यों पर आधारित नहीं हैं, तमिलनाडु के लोगों का क्रोध बढ़ गया है। महोदय, इसीलिए हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि या तो वह इस वक्तव्य को स्पष्ट करे या फिर इस वक्तव्य को वापस ले ले, क्योंकि हमें लगता है कि संवैधानिक रूप से यह

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[प्रो. एम. रामदास]

उचित नहीं है और यह किसी भी प्रकार से इन लोगों के हित में नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं, परन्तु इस तरीके से नहीं...*(व्यवधान)*

प्रो. एम. रामदास: हमें आपका समर्थन नहीं चाहिए। कृपया बैठ जाइए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन जी, कृपया बैठ जाइए।

प्रो. रामदास, आपकी बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित कर ली गई है। कृपया अब समाप्त कीजिए।

प्रो. एम. रामदास: महोदय, मुझे बोलने ही नहीं दिया जा रहा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी बात को पहले ही कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जा चुका है। कृपया अब समाप्त कीजिए।

प्रो. एम. रामदास: महोदय, कृपया मुझे दो-तीन मिनट और बोलने की अनुमति दीजिए।

महोदय, हम इस सभा को तथा मैडम को यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम श्रीलंका में किसी गुट का समर्थन नहीं कर रहे हैं। श्रीलंका का कोई भी गुट हमारे साथ नहीं है। हम केवल उन निर्दोष तमिलों के बारे में चिंतित हैं जिन पर श्रीलंका की सेना बमबारी कर रही है। अस्पतालों में भर्ती लोग और निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। यह मानवता का प्रश्न है। हम चाहते हैं कि गांधी की यह धरती बताए कि उसके पास हृदय है और उसके पास लोगों की रक्षा करने का तर्काधार है। महोदय, हमारी सरकार से यही अपील है।

हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह विदेश मंत्री के वक्तव्य को वापस ले तथा एक संशोधित वक्तव्य दे अथवा सरकार की स्थिति स्पष्ट करे।

उपाध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

मैं अब श्री उदय सिंह से अनुरोध करूंगा कि वह झारखण्ड बजट पर बोलें।...*(व्यवधान)*

प्रो. एम. रामदास: अब हमारा एकमात्र अनुरोध यह है कि सरकार को श्रीलंका सरकार से संघर्ष विराम के लिए बात करनी चाहिए...*(व्यवधान)* हम चाहते हैं कि माननीय विदेश मंत्री का वक्तव्य वापस लिया जाए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, शून्य-काल कब लेंगे?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, शून्य-काल पर चर्चा कब प्रारम्भ करेंगे?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आज हम सायं 6.00 बजे के बाद शून्य-काल लेंगे।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. रामदास, कृपया अब अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

उपाध्यक्ष महोदय: हां, श्री उदय सिंह।

...*(व्यवधान)*

श्री उदय सिंह: उपाध्यक्ष महोदय,...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. रामदास, कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कृपया बैठ जाइए। मैं आपको जरूरत से ज्यादा समय दे चुका हूं। मैं अब आपको और बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब, श्री उदय सिंह।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): उपाध्यक्ष महोदय, श्रीलंका में हिन्दू तमिलियन मारे जा रहे हैं। उनकी रक्षा होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. रामदास, मैं आपको और अनुमति नहीं दूंगा। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: अगर आप इस प्रकार से शोर करेंगे और सदन की कार्यवाही को नहीं चलने देंगे, तो मैं झारखंड के बजट एवं सप्लीमेंट्री डिमांड्स को पारित करने की प्रक्रिया शुरू कर दूंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है। अगर आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं तो हम बिना चर्चा के इसे पारित करेंगे।

प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत झारखण्ड राज्य के संबंध में 19 जनवरी, 2009 को जारी उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं वर्ष 2009-2010 की लेखानुदानों की मांगें (झारखण्ड) सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 4, 6 से 12, 15 से 27, 29 से 33, 35 से 44 तथा 46 से 52 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए था के संबंध में, कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से, लेखे पर; राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से आप झारखंड के बजट को पारित मत कीजिए। इस पर चर्चा होनी है। आपने श्री उदय सिंह जी का नाम इस पर बोलने के लिए पुकारा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की अनुपूरक मांगें (झारखण्ड) सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 4, 6 से 12, 15 से 27, 29 से 33, 35 से 44 तथा 46 से 52 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए था के संबंध में, कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित पूरक राशियां झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से, लेखे पर; राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2008-09 की अनुपूरक अनुदानों की मांगें (झारखण्ड)

क्र.सं.	संख्या और मांगों का शीर्षक	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुपूरक अनुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
1.	कृषि विभाग	114505966	

1	2	3	4
2.	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	132432962	
3.	भवन निर्माण विभाग	42977230	
4.	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	20456022	–
6.	निर्वाचन	6852639	–
7.	निगरानी	12599343	
8.	नागर विमानन विभाग	630429323	–
9.	सहकारिता विभाग	41792356	
10.	ऊर्जा विभाग	7907907	
11.	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	24599612	–
12.	वित्त विभाग	46475809	
15.	पेंशन	4120000000	–
16.	राष्ट्रीय बचत	2821833	–
17.	वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	44762223	–
18.	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	487157101	
19.	वन एवं पर्यावरण विभाग	197044254	
20.	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	583504215	
21.	उच्च शिक्षा विभाग	1342546	
22.	गृह विभाग	2224127032	85857045
23.	उद्योग विभाग	39203258	
24.	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	11847282	–
25.	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	1560227	–
26.	श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	103999488	–
27.	विधि विभाग	205654909	–
29.	खनन् एवं भूतत्व विभाग	27919512	
30.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1002827	
31.	संसदीय कार्य विभाग	37190	–

1	2	3	4
32.	विधान मंडल	42492979	–
33.	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	16094348	–
35.	योजना एवं विकास विभाग	113504394	–
36.	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	164951315	–
37.	राजभाषा विभाग	13727567	–
38.	निबंधन विभाग	11352436	–
39.	आपदा प्रबंधन विभाग	2167304	–
40.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	698969028	
41.	पथ निर्माण विभाग	131786503	500000000
42.	ग्रामीण विकास विभाग	479852242	
43.	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	37638945	
44.	माध्यमिक, प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग	2790020310	
46.	पर्यटन विभाग	43256437	100000000
47.	परिवहन विभाग	10731613	
48.	नगर विकास एवं आवास विभाग	8659946	
49.	जल संसाधन विभाग	382945328	
50.	लघु सिंचाई विभाग	77185123	
51.	कल्याण विभाग	103767875	
52.	खेलकूद, कला संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग	12609239	
	जोड़-राजस्व/पूंजी	14274725998	685857045

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: वर्ष 2008-09 के लिए झारखण्ड राज्य के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें पारित हुईं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.55 बजे

झारखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 27 पर विचार करेंगे।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2009-10 के एक भाग की सेवाओं के लिए झारखंड राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2009-10 के एक भाग की सेवाओं के लिए झारखंड राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पवन कुमार बंसल: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय विधेयक को विचार के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री पवन कुमार बंसल: मैं प्रस्ताव** करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 2009-10 के एक भाग की सेवाओं के लिए झारखंड राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2009-10 के एक भाग की सेवाओं के लिए झारखंड राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार चर्चा आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.57 बजे

झारखण्ड विनियोग विधेयक, 2009*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मद संख्या 29 को लेगी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, मैं वित्तीय

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड-2, दिनांक 19-2-2009 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित और प्रस्तुत।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड-2, दिनांक 19-2-2009 में प्रकाशित।

वर्ष 2008-09 के एक भाग की सेवाओं के लिए झारखंड राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव करता हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2008-09 के एक भाग की सेवाओं के लिए झारखंड राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पवन कुमार बंसल: मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मंत्री जी विधेयक पर विचार करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 2008-09 के एक भाग की सेवाओं के लिए झारखंड राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2008-09 के एक भाग की सेवाओं के लिए झारखंड राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार चर्चा करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनःसमवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 12.59 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.03 बजे

(लोक सभा अपराह्न 2.03 बजे पुनःसमवेत हुई)

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों के साथ पिछली बार अन्याय हुआ, जब चर्चा नहीं हो पायी। हमारा अनुरोध है कि विपक्ष आज पूरे सदन से, सत्ता पक्ष से को-आपरेट करना चाहता है, इसलिए जो भी बिल हैं, बिना चर्चा के पास न हों।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित और प्रस्तुत।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको एश्योर करता हूं कि अगर हाउस आर्डर में होगा, तो जितना टाइम एलॉट हुआ, उसमें जितने मैक्सिमम लोगों को एकमोडेट करना होगा,

[अनुवाद]

मैं आपको अवसर देने का पूरा प्रयास करूंगा।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: हम लोग पूरा को-आपरेट करने को तैयार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं भी ऐसी बात नहीं करना चाहता, जिससे किसी का मन दुखे। जब आपका मन दुखता है, तो मेरा भी मन दुखता है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी चेयर से को-आपरेट करेंगे।

[अनुवाद]

मैं आपको पुन: आश्वासन देता हूं कि मैं आपको समय देने के लिए हर संभव प्रयास करूगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 31 को लेंगे।

श्री एस. जयपाल रेड्डी - उपस्थित नहीं।

श्री अजय माकन - उपस्थति नहीं।

...(व्यवधान)

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): महोदय, माननीय मंत्री जी रास्ते में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या हम अगली मद लें?

श्री वायालार रवि: जी हां महोदय, हम अगली मद ले सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है। प्रो. रासा सिंह रावत।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: उपाध्यक्ष महोदय, यह दिल्ली का इतना महत्वपूर्ण विषय है। दिल्ली के नेता अजय माकन जी, जो मंत्री हैं, वे मौजूद न हों, हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि बिल रखना हो, दिल्ली के लोगों को सीलिंग की वजह से जितनी दिक्कत हुई है, दुश्वारी हुई है, भारतीय जनता पार्टी पूरा कोआपरेट करना चाहती है, लेकिन अगर मंत्री जी बिल पेश करने के लिए न हों, हम पूरी तैयारी से यहां आए हैं, यह बहुत दुख की बात है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वायालार रवि: उन्हें यह कहने का पूरा अधिकार है ...*(व्यवधान)* हम यह स्वीकार करते हैं और मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने देर की है...*(व्यवधान)* वे रास्ते में हैं, लेकिन उन्होंने देर कर दी, हो सकता है, कुछ हो गया हो...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.06 बजे

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अध्यादेश, 2009 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2008

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, हम मद संख्या 32 और 33 को एक साथ लेंगे। मद संख्या 32 का संबंध सांविधिक संकल्प से है, प्रो. रासा सिंह रावत भी उपस्थित नहीं हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव - उपस्थित नहीं।

श्री वरकला राधाकृष्णन।

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली सदर): महोदय, अत्यंत सम्मानपूर्वक मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी रास्ते में हैं, मुझे आशा है कि आप मद संख्या 32 को समाप्त करने के बाद मद संख्या 31 को ले सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: हमें यह विधेयक लेना है। इसके बाद मैं इस विधेयक को लूंगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 9 जनवरी, 2009 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अध्यादेश, 2009 (2009 का संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय: अब, माननीय मंत्री विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे।

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): मैं प्रस्ताव* करता हूं:

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

"कि यह सभा 9 जनवरी, 2009 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अध्यादेश, 2009 (2009 का संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है।"

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, अब आप बोलने के लिए स्वतन्त्र हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैंने संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत निरनुमोदन के लिए संकल्प प्रस्तुत किया था। क्या मैं बोलना जारी रखूं।

उपाध्यक्ष महोदय: हां, आप बोलना जारी रखिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: यह ऐसा विधेयक है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, वह बिल कब लिया जाएगा?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, पहले हमें यह विधेयक पूरा करना है, और उसके बाद हम इस विधेयक पर विचार करेंगे।

हां, कृपया जारी रखिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: हां, मैं बोलूंगा। लेकिन जब सभा में शोर हो रहा है तो मैं कैसे बोल सकता हूं? यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है...*(व्यवधान)*

माननीय मंत्री ने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित एक विधेयक प्रस्तुत किया है। इस विधेयक के प्रस्तुत किए जाने पर मैं अत्यंत नाराज हूं क्योंकि भारत में जहां तक न्यायपालिका का संबंध है हमारे लिए अत्यंत रहस्यमय स्थिति है...*(व्यवधान)*

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): यह रहस्यमय स्थिति क्या है...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं बताऊंगा।...*(व्यवधान)* अब कार्यपालिका इस सभा के प्रति जबावदेह है...*(व्यवधान)*

प्रो. एम. रामदास: यह कैसे जबावदेह है? हमें इसके बारे में बताएं...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: नहीं, मैं आपको यह नहीं बता सकता...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया माननीय सदस्य जब बोल रहे हैं तब उनकी बात के बीच में व्यवधान न डालें। कृपया सभा में शांति बनाए रखें।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं अध्यक्षपीठ को संबोधित करूंगा। इस समय, कार्यपालिका इस सभा के प्रति जबावदेह है...*(व्यवधान)*

प्रो. एम. रामदास: आज, जब मैं सभा में बोल रहा था तब वे मेरी बात में व्यवधान डाल रहे थे। जब मैं बोल रहा था उन्होंने हस्तक्षेप क्यों किया?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मुझे खेद है लेकिन मैं आपकी बात का उत्तर नहीं दूंगा। मैंने कोई व्यवधान नहीं डाला। मैं मात्र संसदीय पद्धति का पालन कर रहा था जो केवल यहीं नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रचलित है...*(व्यवधान)*

प्रो. एम. रामदास: आप भारत की बात करते हैं, विश्व की नहीं...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं केवल भारत के बारे में बात कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया इन्हें मत टोकिए।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: जब आप किसी गठबंधन के सदस्य हो तो आप मंत्री जी से वक्तव्य वापस लेने के लिए नहीं कह सकते। आप गठबंधन का साथ छोड़े और तत्पश्चात यह मांग करे...*(व्यवधान)* मैं इनकी मांग का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में बने रहना और मंत्री जी से वक्तव्य वापस लेने के लिए कहना...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन के वक्तव्य के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

श्री वरकला राधाकृष्णन: यह संसदीय पद्धति नहीं है। मैंने किसी को नहीं टोका।

प्रो. एम. रामदास: आपने मुझे टोका है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: श्रीमान जी, मैंने आपको नहीं टोका। मैं आपका समर्थक हूं। लेकिन आप संसदीय सिद्धान्तों के विपरीत अवसरवादी व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन जी, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

प्रो. एम. रामदास: भारत को पता है कि कौन सा दल अवसरवादी है।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. रामदास, कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं। पहले दिल्ली वाला बिल था। इस बिल पर हमें बोलना था।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको इनके बाद बोलने के लिए बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत: उपाध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब की गलती से हमें भुगतना पड़ रहा है।...*(व्यवधान)* थोड़े विलंब से आये, तो हमें भुगतना पड़ रहा है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वरकला जी के बाद मैं आपका नाम बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 32 और 33 को एक साथ लेंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, भारत में न्यायपालिका किसी के प्रति जबावदेह नहीं हैं। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 133 उपखण्ड (iv) में मात्र एक उपबंध है जोकि महाभियोग है। और हमें जस्टिस रामास्वामी के मामले में हुई महाभियोग की कार्यवाही में हुए कटु अनुभव के बारे में पता है। महाभियोग कार्यवाही कारगर नहीं हैं। इस प्रक्रिया से कभी कोई हल नहीं निकला। अतः जब किसी न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है तो वह स्थायी हो जाता है। उन्हें नियन्त्रित करने के लिए देश में कोई कानून नहीं है। एक न्यायाधीश किसी के प्रति जबावदेह नहीं होता।

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार मौजूद हैं। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार मौजूद है और उनके कार्यों को नियन्त्रित करने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है। वह मामले के बारे में केवल राष्ट्रपति को अवगत करा सकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई न्यायाधीश सार्वजनिक रूप से कोई रिश्वत लेता है तो उस विशेषकर उस व्यक्ति के जोकि भ्रष्ट है, कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। हमारे देश की यही प्रक्रिया है। आप इसे बरकरार रखना चाहते हैं। अब न्यायाधीश वेतन विधेयक हमारे समक्ष पेश किया गया है।

हमारी न्यायपालिका ने अंग्रेजी भाषा के एक 'शब्द' को बहुत ही विचित्र ढंग से परिभाषित किया है। संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि न्यायपालिका "सलाह" शब्द का अर्थ "सहमति" बताएगी। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया यह है कि उच्चतम न्यायालय के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश से और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से 'सलाह' ली जाएगी। "सलाह" ही एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग किया गया है। उन्होंने इसे "सहमति" के रूप में परिभाषित किया है। इस बारे में जब हम अंग्रेजी भाषा के चैम्बर्स शब्दकोश को देखते हैं तो हम पाते हैं कि "सलाह" शब्द का "सहमति" अर्थ कहीं भी नहीं है।

न्यायमूर्ति नरीमन समिति के समक्ष उपस्थित हुए थे जिसका मैं भी सदस्य था। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी भाषा में उस शब्द का यह अर्थ कहीं नहीं है। विश्व के जिस भाग में भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है वहां "सलाह" का अर्थ "सहमति" नहीं, कदापि नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी न्यायपालिका ने "सलाह" शब्द को नया अर्थ देकर इसे "सहमति" बना दिया है। अतः कार्यपालिका जब भी किसी न्यायाधीश को नियुक्त करना चाहती है तो उसे संबंधित मुख्य न्यायमूर्ति से "सहमति" लेनी पड़ती हैं। उनकी "सहमति" के बिना राष्ट्रपति मजबूर हो जाता है।

अतः न्यायाधीश स्वयं अपने को नियुक्त करते हैं। वे स्वयं अपनी सेवा शर्तों का निर्धारित करते है; वे स्वयं अपने वेतन तथा भत्तों का निर्धारण करते है; अपनी सेवानिवृत्ति की आयु का निर्धारण भी वही करते है। अधिवर्षिता का निर्धारण भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। नियुक्ति का निर्णय भी वही करते है। सेवा शर्तों का निर्धारण भी देश के न्यायाधीशों द्वारा ही किया जाता है। हमारे देश की यही स्थिति है। विश्व में और कहीं भी ऐसी प्रक्रिया मौजूद नहीं हैं।

भारत के संसदीय लोकतंत्र में जिस प्रकार न्यायाशीधों द्वारा स्वयं को नियुक्त किया जाता है वैसा और कहीं नहीं होता। यही स्थिति है। वे अपनी चीजों का निर्धारण स्वयं करते हैं। अब माननीय मंत्री एक विधेयक लाए है। हमें उनका वेतन निर्धारित करना है। हमें केवल उनका वेतन निर्धारित करना हैं। लेकिन अपनी सेवा शर्तों तथा मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में किसे नियुक्त किया जाए इसका निश्चय वे स्वयं करते हैं? हमारे देश का कानून यही है। उन्होंने "सलाह" शब्द को "सहमति" के रूप में परिभाषित किया है। हमारे देश में यही स्थिति हैं।

मेरे माननीय मंत्री जोकि एक वकील भी है और जो इन बातों से भलीभांति परिचित भी है, वे इस सभा के समक्ष वेतन नियतन का विधेयक लाए है जैसे कि हमारे पास उनके वेतन नियत करने के अलावा और कोई काम ही न हो। वे अपनी सेवा शर्तों का निर्धारण स्वयं करेंगे। देश का कानून यही है क्योंकि "सलाह" को "सहमति" के रूप में परिभाषित किया गया है। हमें नहीं लगता कि न्यायापालिका तभी स्वतंत्र रह पाएगी जब न्यायाधीशों द्वारा न्यायधीशों को नियुक्त किया जाएगा। पूर्ववर्ती स्थिति तो यही है। हम भी स्वतंत्र न्यायपालिका चाहते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है। यह कुछ और नहीं बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम एक स्वतंत्र न्यायपालिका चाहते हैं : हम एक उत्तरदायी न्यायपालिका चाहते हैं। हमारे देश में कोई उत्तरदायी न्यायपालिका नहीं है। हमने इस संदर्भ में अनेक प्रयास किए हैं किंतु हम इसमें विफल रहे हैं।

वर्ष 1962 में इस संसद ने कुछ कार्रवाई करने के लिए एक विधेयक पारित किया था। तब उपलब्ध कराई एक कार्रवाई महाभियोग है - सेवा से निष्कासन - जो कि संभव नहीं है। इसलिए, वर्ष 1968 में हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम लागू किया, जिस पर भी समुचित चर्चा नहीं की गई। मेरे माननीय मित्र और सज्जन, जो मेरे समक्ष हैं, उन्होंने 2006 का न्यायाधीश जांच विधेयक 2006 रखा, जिसके अन्तर्गत कुछ प्रतिबंध और निलंबन के साथ न्यायाधीशों की नियुक्ति पर कुछ नियंत्रण की बात कही गई है। हमने सभी संबंधित व्यक्तियों की जांच की। मैं उस समिति का सदस्य था। हमने न्यायमूर्ति नरीमन की जांच की; हमने न्यायमूर्ति सबरवाल की जांच की; हमने विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की जांच की और हमने देश भर के न्यायविदों की जांच की। तत्पश्चात, हमने सिफारिश की और उन्हें एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उसका क्या हुआ? उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

2006 का न्यायाधीश जांच अधिनियम, जिसे हमारी समिति को सौंपा गया है, जिसके संबंध में हमने साक्ष्य लिया है और एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। उस प्रतिवेदन का क्या हुआ? वह कहां हैं? उन्होंने उसे ठंडे बस्ते में डाल रखा है। वे उनका वेतन निर्धारित करने के लिए एक अन्य विधेयक ला रहे हैं। 2000 के विधेयक को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। वे इस विधेयक पर आगे कार्रवाई के

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

लिए तैयार नहीं हैं। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें न्यायाधीशों से डर लगता है। वे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से डरते हैं। हम उस पर आगे चर्चा नहीं कर सकते। हमने कुछ सिफारिशें की हैं। वह विधेयक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है लेकिन हमने कुछ चीजों की सर्वसम्मति से सिफारिश की है क्योंकि इस रूप में यथाप्रस्तावित विधेयक, संसद द्वारा महाभियोग चलाने की शक्तियों को छीन लेगा। अंतिम विश्लेषण के दौरान हमने पाया कि 2006 के विधेयक में एक शिकायत प्रक्रिया को अपनाया गया था - जब कोई शिकायत कर रहा है, तो वह उनको सौंपी जाएगी। केवल न्यायाधीश ही ऐसा करेंगे: वे किसी अन्य को ऐसा नहीं करने देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, धन्यवाद।

श्री वरकला राधाकृष्णन: यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

प्रश्न यह है कि उन्होंने उस आधार पर कार्रवाई नहीं की; उन्होंने उस विधेयक को सभा में प्रस्तुत नहीं किया। विधि आयोग की सिफारिश पर एक विधेयक तैयार किया गया था। सरकार ने विधि आयोग को नियुक्त किया; और उसने उच्चतम न्यायालय के परामर्श से कुछ सिफारिशों का प्रारूप तैयार किया और इन सज्जन द्वारा सभा में वह विधेयक प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप बारंबार उसी बात को दोहरा रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: भारत के मुख्य न्यायाधीश ने हाल ही में घोषणा की कि वे उच्च न्यायाधीश के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे जो संदेह के दायरे में है या शक के घेरे में है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: यदि कुछ न्यायाधीश भ्रष्टाचार के कुछ मामलों में संलिप्त है, जैसा कि भविष्यनिधि के मामले में, जिसमें कुछ न्यायाधीश संलिप्त थे, उस मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सी.बी.आई. को उस न्यायाधीश से पूछताछ करने के निदेश दिए। यह भी भारत में ही किया गया था।

उन्होंने आंतरिक कार्यवाही प्रक्रिया ईजाद की है। अब, न्यायाधीशों ने 1968 के विधेयक की समीक्षा करने के लिए 1999 में एक सूत्र का ईजाद किया ताकि वे स्वयं कार्रवाई की दिशा निर्धारित कर सकें। वे निर्णय ले सकें कि शिकायत के मामले में क्या किया जाना चाहिए। यही आंतरिक कार्यवाही प्रक्रिया कहलाती है। आंतरिक कार्यवाही प्रक्रिया के तहत मुख्य न्यायाधीश किसी संबंधित न्यायाधीश को या तो सेवानिवृत्त होने के लिए कहेंगे या त्यागपत्र देने के लिए कहेंगे। किंतु जब भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने संबंधित न्यायाधीश को अवकाश पर जाने के लिए कहा, तो उन्होंने इंकार कर दिया। इस प्रकार, वह प्रक्रिया भी विफल हो गई।

भविष्य निधि में संलिप्ति के एक अन्य मामले में, उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को त्यागपत्र देने के लिए कहा गया, किंतु उन्होंने इंकार कर दिया क्योंकि किसी न्यायाधीश विशेष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनके पास सांविधिक शक्ति या सांविधिक प्राधिकार नहीं है। मुख्य न्यायाधीश अपने सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करने में लाचार हैं। मुख्य न्यायाधीश कोई कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कोई भूमिका नहीं है; न कोई निलंबन हो सकता है और न ही कोई चेतावनी दी जा सकती है। इस प्रकार किसी न्यायाधीश का निलंबन या उसे कोई चेतावनी भारत में संभव नहीं है। केवल महाभियोग का प्रावधान है। ऐसा क्यों है? क्या हम ख्याली दुनिया में जी रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: हमारे देश में यही स्थिति कायम है और ये सज्जन, मेरे विद्वान मित्र, विधि मंत्री यहां आकर हमें यह विधेयक पारित करने के लिए कह रहे हैं। उनकी नियुक्ति के बारे में क्या होगा? वे एक ऐसा विधेयक क्यों नहीं लाना चाहते जो न्यायाधीशों की सेवाओं की शर्तें आदि तय करने के लिए एक आयोग का गठन करे? एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। पहले भी विधेयक लाए गए थे। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग एक आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है: धन्यवाद। अब, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप बैठ जाइए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: ये सज्जन, 2006 के विधेयक को भूल चुके हैं। यह हास्यास्पद है - ये आकर हमसे उनका वेतन तय करने के लिए कह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, अब बैठ जाइए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: उनकी नियुक्तियों में हमारा कोई अधिकार नहीं है; उनकी नियुक्तियों में किसी का कोई अधिकार नहीं है। वे स्वयं अपनी नियुक्ति करते हैं और हम उनका वेतन क्यों निर्धारित करें? न्यायाधीश स्वयं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। यह न्यायाधीशों का कॉलेजियम है, जो यह निर्णय लेता है कि मुख्य न्यायाधीश कौन होगा और अन्य न्यायाधीशों के रूप में किनकी नियुक्ति होगी और इसका यह परिणाम है कि पिता न्यायाधीश होगा, बेटा न्यायाधीश होगा और दामाद न्यायाधीश होगा और इस प्रकार भारत में न्यायपालिका को एक वंशानुगत पारिवारिक प्रणाली बन जाएगी।

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): महोदय, मंत्री महोदय को जवाब देने दें।

उपाध्यक्ष महोदय: अब, माननीय मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन: उन्हें स्वतंत्र होना चाहिए, और साथ-ही-साथ जवाबदेह भी होना चाहिए। भारत में किसी प्रकार की जवाबदेही नहीं है। वहां मात्र स्वतंत्रता है और वह भी आत्यधिक। मेरी समझा में नहीं आता कि इसके पीछे क्या महत्व या तर्क है। जब उनकी नियुक्ति में मेरा कोई योगदान ही नहीं है, जब उनकी नियुक्ति में किसी का कोई योगदान नहीं है फिर हम उनके वेतन की आलोचना क्यों करें? साथ ही हमें यह समझना चाहिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने आपके विचार तीन या चार बार सुन चुका हूं। कृपया अब बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: अध्यादेश जारी करने के पीछे उद्देश्य क्या है?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं। मैंने आपकी बात सुन ली है। इसे पहले ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित कर लिया गया है।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: वे उनके वेतन के बारे में निर्धारण निर्णय क्यों नहीं कर सकते? वे इसके लिए हमसे क्यों कहेंगे?

श्री हंस राज भारद्वाज: माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, मैं अपने विद्वान मित्र का काफी सम्मान करता हूं और अपने भाषण के दौरान उन्होंने जो कहा उससे मेरा कोई विवाद नहीं है। उन्होंने तीन मुद्दे उठाए हैं। पहला 1993 के एडवोकेट ऑन रिकार्ड मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में है कि न्यायाधीशों ने संविधान की यह कहकर गलत व्याख्या की है कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल द्वारा दी गई सलाह न्यायपालिका की सहमति से बंधी है।

महोदय, मैंने सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे पर कहा है कि हम इसे नहीं मानते तथा जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय ने इसकी व्याख्या की है, वह सही तरीका नहीं है। राष्ट्रपति ही मंत्रिमंडल की सलाह पर न्यायधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस सभा के किसी भी सदस्य को इससे आपत्ति होगी क्योंकि भारत का राष्ट्रपति...*(व्यवधान)* कृपया मुझे बोलने दीजिए। मुझे उत्तर देने दीजिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री हंस राज भारद्वाज: मुझे उत्तर देने दीजिए। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। मुझे नहीं लगता कि यह सही तरीका है।

महोदय अत: यह निर्णय संविधान की व्याख्या के संबंध में था और जिन न्यायधीशों ने इसकी व्याख्या की उन्होंने ही कहा है कि उनकी नजर में यह गलत निर्णय था। इसमें सुधार करने का क्या तरीका है? यह संविधान में संशोधन करने के लिए था। 1993 के बाद कई सरकारें आईं पर वह समय नहीं आ पाया कि हम इस संविधान में संशोधन कर पाते। मुझे काफी प्रसन्नता होगी अगर इस मुद्दे को संसद में उठाया जाए और संविधान में संशोधन द्वारा इस व्याख्या को हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाए। महोदय, हम इसके बारे में अवगत हैं कि उच्चतम न्यायालय देश में अन्तिम न्यायालय है और इसके बाद कहीं अपील नहीं की जा सकती। इसलिए माननीय सदस्य ने जो कहा और जो मैं सभा के सामने कह रहा हूं उसमें कोई विवाद नहीं है कि शमशेर सिंह मामले से मंत्रीपरिषद की सलाह और मशविरे पर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री हंस राज भारद्वाज]

न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। इस अवस्था में यह मुद्दा प्रासंगिक नहीं है। सबकी सहमति के बाद हम इस मुद्दे को उठाएंगे। यह नियुक्ति के संबंध में है।

उनको पद से हटाने के संबंध में मैं फिर से यही कहूंगा कि भारत के संविधान के अनुसार पद से हटाने की शक्ति दोनों सदनों द्वारा दो-तिहाई बहुमत द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा इस सभा में निहित है। हमारे संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका को ऊंचे पायदान पर रखा है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर संविधान निर्माताओं द्वारा विस्तृत चर्चा की गई है। मैं ही इस संस्थान को इतना ऊंचा स्थान देने के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। हमारे संविधान निर्माताओं ने ही न्यायपालिका को इतना ऊंचा स्थान दिया है। मैं पंडित नेहरू के उन शब्दों को उद्धृत करना चाहूंगा जो उन्होंने 1939 में संविधान सभा में उच्चतम न्यायालय पर चल रही बहस के दौरान कहे थे। उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि -

> "हम इस प्रकार के नियम बनाएं ताकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में ऐसे व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त किया जाए जो इतना निष्ठावान और स्वतंत्र हो कि सरकार के विरुद्ध भी जा सके।"

यह हमारे संविधान निर्माताओं डा. अंबेडकर, नेहरू और अन्य लोगों की वचनबद्धता है। सभी सभ्य समाजों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को एकमत से स्वीकार किया गया है। किसी भी सरकार ने कभी इसकी आलोचना नहीं की है और न्यायाधीशों को जो भी सुविधाएं दिए जाने का प्रावधान है वे एकमत होकर उन्हें दी जाती हैं। ऐसी ही नजीर इस सभा के साथ-साथ दूसरी सभा में भी है।

अब मैं उनको हटाए जाने की प्रक्रिया पर आता हूं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि भ्रष्टाचार के कुछ मामले प्रकाश में आए हैं और यह बहुत चिन्ता की बात है। इस पर जनता में बेचैनी है और जनता के बीच विशेषकर मीडिया में इसकी काफी आलोचना हो रही है। यह हमारे संज्ञान में है। मैं ऐसा मंत्री नहीं हूं जो अपने काम से जी चुराऊं। मैंने फौरन सभा की आपत्ति के बिना मामले की जांच शुरू कर दी और संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैण्ड, कनाडा सभी लोकतांत्रिक समाजों में कानून प्रावधानों को देखा ताकि यह पता चल सके कि हम महाभियोग की कार्यवाही में क्या प्रावधान जोड़ सकते हैं। मैंने एक अन्य प्रणाली द्वारा महाभियोग की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के संबंध में बिल क्लिंटन के कार्यकाल में संयुक्त राज्य अमेरिका के आयोग की रिपोर्ट का भी अध्ययन किया है। मैंने न्यायपालिका, वकीलों और अन्य लोगों सहित सभी भागीदारी से तुरंत इस संबंध में संपर्क किया और विधेयक का प्रारूप तैयार किया। मैंने ही इस विधेयक को तैयार किया और उसे 2006 में इस सभा में पुरःस्थापित किया था। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें आप जल्दबाजी करें। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें हम जल्दबाजी करें। यह एक ऐसा मामला है जिस पर हमें सावधानी पर काम करना होगा। न्यायपालिका के साथ छेड़-छाड़ बहुत कठिन है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक ऐसा मामला है जिसका सभा ने हमेशा समर्थन किया है। इसलिए मैंने स्थायी समिति की राय लेने के लिए यह विधेयक पुरःस्थापित किया था। मुझे काफी प्रसन्नता है कि मेरे मंत्रालय की स्थायी समिति ने इसका विस्तारपूर्वक अध्ययन किया तथा अनेक ऐसी सिफारिशें की जिसने इस विधेयक का पूरा स्वरूप ही बदल दिया। मैं इसे पहले ही मंत्रिमण्डल में प्रस्तुत कर चुका हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बाधा न डालें।

श्री हंस राज भारद्वाज: यह सही नहीं है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: उस विधेयक का क्या हुआ?

श्री हंस राज भारद्वाज: आप वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूं पर आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन जो कुछ कह रहे हैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको तो कम से कम अध्यक्षपीठ को संबोधित करना चाहिए।

(व्यवधान)...*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, आपसे अनुरोध है कि सर्वप्रथम आप अपनी सीट पर जाओ।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री हंस राज भारद्वाज: महोदय, स्थायी समिति ने विधेयक को स्वीकृति दे दी है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया एक मिनट इंतजार करें। श्री राधाकृष्णन, आपसे अनुरोध है कि आप अपनी सीट पर जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: यह संसद है। हमें कार्य संचालन गंभीरता से करना होगा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपको सबसे पहले अपनी सीट पर जाना होगा।

श्री हंस राज भारद्वाज: संसद में एक प्रक्रिया है। जब भी कोई विधेयक स्थायी समिति के समक्ष भेजा जाता है तो स्थायी समिति की सिफारिशें हम पर बाध्यकर होती है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन, उन्हें अपनी सीट पर जाने दें। श्री राधाकृष्णन कृपया अपनी सीट पर जाइए।

श्री हंस राज भारद्वाज: जब स्थायी समिति ने सिफारिशें की तो हमने उन सिफरिशों की गहरायी से पड़ताल की थी। जब मूल विधेयक में किए जाने वाले संशोधन प्राप्त हुए तो मैंने उन्हें मंत्रिमण्डल से अनुमोदित करवाया। सिफारिशें इतनी बड़ी हैं कि विधेयक का पूरा स्वरूप ही बदल गया है। अब मैं पूर्ववर्ती विधेयक में सुधार करके नया विधेयक तैयार कर रहा हूं। अतएवं, जब मुझे सभा समय देगी मैं तब ही सभा में आऊंगा। सभा में आना मेरे हाथ में नहीं है। वे मुझे उनके वेतन बढ़ाने के लिए छोटा सा उपाय करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। परंतु वह विधेयक बेहद जटिल है। उस पर कम से कम दो-एक दिन बहस होनी चाहिए। सभा को यह विशेषाधिकार प्राप्त है। अतएवं, ऐसा नहीं है कि हम उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। मैंने भारत के मुख्य न्यायधीश से अनुरोध किया है कि आपकी आंतरिक प्रक्रियाएं कमजोर पड़ गयी है और अब हमें आपको सांविधिक उपबंधों का उस प्रकार से सहारा देना ही होगा जिस प्रकार से अन्य देशों में हो रहा है क्योंकि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार एक गंभीर मसला है। राष्ट्र यह चाहता है कि भ्रष्टाचार संबंधी मामलों पर न्यायालय कोई समझौता न करे। अतएवं, मैं इस सभा को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि जल्दी ही उपयुक्त समय पर सभा इस मुद्दे पर चर्चा करेगी और महाभियोग के अतिरिक्त अन्य उपाय सुझाएगी।

अब तीसरा बिन्दु महाभियोग से संबंधित है। मुझे इस पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी माननीय सदस्य इस बात को जानते ही हैं कि संवैधानिक उपबंधों के अतिरिक्त ऐसा कोई कानून नहीं है जो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार संबंधी मामलों से निपट सके क्योंकि न्यायपालिका इतनी साफ-सुथरी थी कि इस बारे में कभी सोचा ही नहीं गया। ब्रिटिश काल के दिनों के दौरान उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति महारानी की सरकार द्वारा की जाती थी। बाद में, 1935 के अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने इसे बदल दिया और वे न्यायाधीशों को उनके सद्व्यवहार के आधार पर नियुक्त करने लगे। उनको केवल दुर्व्यवहार की स्थिति में ही हटाया जा सकता था अतएवं ब्रिटिश काल में 1935 के अधिनियम द्वारा ऐसा किया गया और हमारे संस्थापनों ने उस उपबंध को वैसे का वैसे उठाकर संविधान में रख दिया...*(व्यवधान)* अतएवं जब तक हम संविधान में संशोधन नहीं करेंगे तब तक ऐसा कोई अन्य उपबंध नहीं किया जा सकता जिसके द्वारा आप न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से निपटा जा सके। तीनों बिन्दु यही हैं।

अब मुद्दे पर आ रहा हूं, कार्यपालिका को वेतन आयोग द्वारा यथा अनुमोदित नए वेतन मान दे दिए गए हैं। परंतु न्यायधीशों को यह नहीं मिला है। अतएवं, इस अध्यादेश के माध्यम से मैंने तुरंत यह व्यवस्था कर दी है ताकि उन्हें संसद के विरुद्ध इस प्रकार की कोई शिकायत न रहे कि उन पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसा इसलिए है कि न्यायाधीशों के मामलों पर बहस कौन करेगा? यह सभा उत्कृष्ट है। इसलिए मैंने इस मामले को यहां पर उठाया ...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: कृपया...की तरह मत बोलो *(व्यवधान)**...

श्री हंस राज भारद्वाज: कृपया...प्रयोग न करें *(व्यवधान)**...

अब कृपया आप चुप रहें। संसद में इस प्रकार से शायद ही कोई बोलता है। महोदय इन सज्जन को सबक सिखाया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये।

श्री हंस राज भारद्वाज: मैं केवल आपसे इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। पूरा विश्व हमें देख रहा है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री हंस राज भारद्वाज]

हम किस बात पर चर्चा कर रहे हैं? वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद कार्यपालिका के सभी अधिकारियों के वेतनमानों में वृद्धि कर दी गयी है। अतएव उन सिफारिशों के अनुसार हमने उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की है। यह विशेषाधिकार हमेशा ही से संसद का रहा है क्योंकि उनके वेतन का निर्धारण यहां पर होता है। गलत क्या है? अब 2009 चल रहा है। अन्य सभी के वेतनमान भी संशोधित हो चुके हैं। अतएवं न्यायपालिका को जो कुछ देय है उसे न देकर मैं भी अपने कार्य की अवहेलना कैसे कर सकता हूं? यह देश की सेवा न करना माना जाएगा। संसद में इस प्रकार की बहस पहले कभी नहीं हुई। मैं 20 वर्षों से मंत्री हूं। इस प्रकार की बहस पहले कभी नहीं हुई जिसमें यह कहा गया हो कि जिन न्यायधीशों को उनके काम के लिए वेतन का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। अतएव हम कुछ असाधारण कार्य नहीं कर रहे हैं और इस समय किसी भी आपत्ति को समुचित नहीं माना जाएगा। अतएव मेरा इस सभा से अनुरोध है कि इस सद्कार्य में वह अपनी सहमति दे। विंस्टन चर्चिल ने न्यायाधीशों के वेतन के संबंध में कहा था कि हम न्यायपालिका द्वारा प्रदत्त सेवा को पौंड स्टर्लिंग में नहीं तोल सकते। हमें सीधे सीधे वह सब दे देना चाहिए जो वे अपेक्षा करते हैं और हम देना वहन कर सकते हैं। हम न्यायाधीशों को असाधारण चीज नहीं दे रहे हैं। वे सचिव और मंत्रिमंडल सचिव स्तर के अधिकारी हैं। इसलिए, न्यायपालिका को भी वही दिया गया है। हम उनके वेतन में कोई असाधारण वृद्धि नहीं कर रहे हैं। अतएवं, मेरा सभी माननीय सदस्यों से करबद्ध अनुरोध है कि हमारे पास विवाद के बहुत मुद्दे हैं। न्यायपालिका ने इस देश में बहुत अच्छा कार्य किया है अतएवं हमें इसे विवाद का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बिल का प्रश्न है, हमारी पूर्ण सहमति है। क्योंकि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2008 का हमारी पार्टी और हम सब समर्थन करते हैं और निश्चित रूप से जैसा कि अभी मंत्री जी ने कहा कि अब तक जो परम्परा रही है, उस परम्परा का पालन होना चाहिए। हम केवल ऑर्डिनैन्स वाली जो बात थी कि ऑर्डिनैन्स नहीं लाना चाहिए और बिल लाने का जो तरीका था, मैं समझता हूं कि जब हाउस चलने वाला था तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। बाकी हम इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं।

महोदय, मैं एक-दो बातें आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। हिंदुस्तान के लिए यह बहुत गर्व की बात है कि यहां की न्यायपालिका राजनैतिक दबाव से काफी मुक्त रही है और जनता का विश्वास भी न्यायपालिका की निष्पक्षता में बना हुआ है। हमारी सरकार से प्रार्थना है कि न्यायपालिका की यह गरिमा बनी रहनी चाहिए। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र के तीन आधार स्तम्भ हैं - न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। इन तीनों में जो लक्ष्मण रेखा है, उसका उल्लंघन किसी भी तरफ से नहीं होना चाहिए और सब अपनी-अपनी मर्यादा में रहकर राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने के लिए अपने-अपने सेवा कार्य करते रहें।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हम सैलरी वाली बात का पूर्ण समर्थन करते हैं। अभी छठा वेतन आयोग लागू हुआ तो निश्चित रूप से उन्हें भी इसका लाभ दिया जाना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है और अब तक की परम्परा का पालन होना चाहिए। आपने पेंशन, कुटुम्ब पेंशन, एलाउंसेज या उनके वेतन के बारे में जो कुछ भी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में इस बिल में दिया है, हम सब उसका पूरा समर्थन करते हैं। मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। न्याय में जो विलम्ब किया जाता है तो मानो न्याय से इनकार किया जाता है। देश के सामने बड़ा दुर्भाग्य है कि न्यायालयों के सामने जो लम्बित प्रकरण हैं, 17 अक्तूबर, 2008 को एक अतारांकित प्रश्न संख्या 69 लोक सभा में पूछा गया था और उत्तर दिया गया था कि हाई कोर्ट के अंदर 31 लाख 26 हजार 825 सिविल मामले और दांडिक मामले 7,55,249 और कुल 38,82,074 मामले हाईकोर्ट्स में पैंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट में 29,273 ग्रहीत मामले चल रहे थे। जो मामले ग्रहण किये हुए थे और जिनकी नियमित सुनवाई हो रही थी, वे 19,565 मामले थे। अर्थात 48,838 मामले पैंडिंग थे। यह उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति है। न्यायाधीशों के बारे में आप पिछले दिनों जो बिल लाये थे और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को भी आपने बढ़ाकर 25 से 30 किया था। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आज उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालयों में कितने पद रिक्त हैं? प्रत्येक उच्च न्यायालय

और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो पद निर्धारित हैं, क्या वे सारे पद भर दिये गये हैं?

अभी हमारे साथियों ने चयन के बारे में कहा। मैं चयन के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि चयन में पारदर्शिता रहे। न्यायपालिका स्वतंत्र रहे, जवाबदेह रहे। लेकिन न्यायपालिका की नियुक्ति में पारदर्शिता रहे, उसमें गोपनीयता के नाम पर कुछ गड़बड़ न हो। इसके अलावा जो कोलेजियम बना है, 1993 से जो सिस्टम चल रहा है। मैं समझता हूं कि उस सिस्टम की पालना विधिवत ढंग से हो और बाद में जब कोई ऐसा उपाय हो तो इसमें और भी ज्यादा पारदर्शिता बढ़े।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी न्यायपालिका को राइट टू इंफॉर्मेशन के परव्यू में लाने का प्रयास किया गया तो वहां काफी आलोचना हुई। इस संदर्भ में जब मंत्री जी जवाब दें तो राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर हमारे न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में एक्जिक्यूटिव्ज का क्या दृष्टिकोण है, इसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालने का कष्ट करें। तीन करोड़ मामले सब-ऑर्डिनेट, छोटे न्यायालयों में लम्बित हैं। जहां हम चाहते हैं कि जनता को सहज न्याय, सुलभ न्याय उपलब्ध हो, लेकिन वहां अभी छः करोड़ और मामले लम्बित हैं तो ऐसी स्थिति में वहां जजेज की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।

एक्जीक्यूटिव को जजों की नियुक्ति के लिये, जजों को सुविधाओं देने के लिये, उनके आतास के लिये और जहां मोबाईल कोर्ट्स हैं या फास्ट ट्रेक कोर्ट्स हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार की कोर्ट हो, उन सबके लिये धन का प्रावधान करना चाहिये। वे सब राज्य सरकारों की तरफ देखते हैं। परिणामस्वरूप न्यायालयों और न्यायाधीशों की संख्या बढ़नी चाहिये और न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिये। न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होने से जनता को समय पर न्याय नहीं मिलता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस मामले में सरकार ध्यान दे।

उपाध्यक्ष जी, आज देश के कई हिस्सों से यह आवाज उठती रहती है कि राज्य में न्यायालय की एक अस्थायी पीठ होनी चाहिये। हाई कोर्ट की ऐसी बैंचेज कहां काम करनी चाहिये या कहां नहीं करनी चाहिये, इसके लिये एक मानदंड निर्धारित किया जाना चाहिये कि कहां अस्थायी बैंच बनायी जा सकती है ताकि अनावश्यक विवाद पैदा न हो।

उपाध्यक्ष जी, मैं अंतिम बात कहकर अपना वक्तव्य समाप्त कर दूंगा। आज देश की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसके साथ जुर्म भी बढ़ गये हैं। लोगों में भी कानून के प्रति जागरूकता पैदा हो गई है। जब कोई कानून बन गया तो उसके आधार पर न्यायालय भी बढ़ाये जा सकते हैं जिनमें न्यायाधीशों की संख्या भी बढ़ायी जा सकती है जिससे स्वतः न्याय, शीघ्र, सहज और सस्ता मिल सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): महोदय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, वेतन और सेवा शर्त (संशोधन) अधिनियम, 2008 पर चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देता हूं।

हमारे संविधान के अनुसार, उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय है तथा भारतीय न्यायपालिका में अपील किए जाने का अंतिम प्राधिकार इसके पास निहित है। इसके नीचे विभिन्न उच्च न्यायालय है।

अब, वर्तमान विधेयक का उद्देश्य उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों के वेतन एवं अन्य लाभ में वृद्धि करना है। छठे वेतन आयोग द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के समुचित एवं संशोधित वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तों की सिफारिश करने के लिए तीन न्यायाधीशों की एक समिति का गठन किया। समिति की सिफारिशों के आधार पर हमारी सरकार ने न्यायाधीशों के वेतन को संशोधित किया है।

मैं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के बारे में कतिपय तथ्यों का उल्लेख करना चाहता हूं। अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 33,000 रुपये है। हमारी सरकार ने भारत के मुख्य न्यायधीश के वेतन को 33,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। महोदय देश में ऐसी दयनीय स्थिति है कि उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत कार्यरत सचिव, न्यायाधीशों से अधिक वेतन पा रहे हैं। मैं महसूस करता हूं कि महंगाई के वर्तमान रूझान को ध्यान में रखते हुए यह पर्याप्त नहीं है। यह राज्यपाल के वेतन से कम है। इसलिए, मुख्य

[श्री एस.के. खारवेनथन]

न्यायाधीश का वेतन, राज्यपाल के वेतन के बराबर होना चाहिए। न्यायाधीशों की समिति ने वेतन को 33,000 रुपये से बढ़ाकर 1.10 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया है परंतु वित्त मंत्रालय ने इसे 1 लाख रुपये तक सीमित कर दिया। यह ठीक नहीं है। इसे बढ़ाकर 1.10 लाख रुपये किया जाना चाहिए साथ ही अन्य न्यायाधीशों का वेतन भी बढाया जाना चाहिए।

यह अत्यंत दयनीय है कि अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों को केवल 9,000 रुपये प्रति माह वेतन मिल रहा है। यह केन्द्र सरकार में चतुर्थ श्रेणी के किसी कर्मचारी को प्राप्त होने वाले वेतन से भी कम है। अतः उनका वेतन भी बढ़ाकर कम से कम 25,000 रुपये प्रति माह किया जाना चाहिए।

वर्ष 1956 के दौरान, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 11 थी। 1960 में इसे बढ़ाकर 14 कर दिया गया, और 1977 में 18 तथा बाद में 1986 में इसे बढ़ाकर 26 कर दिया गया। अब हमारी सरकार ने इसे बढ़ाकर 30 कर दिया है। देशभर में हमारे न्यायिक तंत्र में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वास्तविक संख्या 886 है परंतु केवल 620 न्यायाधीश ही कार्यरत है तथा 266 पद रिक्त पड़े हैं। पदों के रिक्त रहने के कारण देशभर के 21 उच्च न्यायालयों में लगभग 37.1 लाख मामले लंबित पड़े हैं। अब हमने पदों की संख्या में वृद्धि की है परंतु अब तक हम संस्वीकृत पदों को भरने में असफल रहे हैं।

सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र आदि के कारण विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिक्त होने वाले पदों को भरा जाना एक निरंतर प्रक्रिया है। उच्चतम न्यायालय अधिवक्ता रिकार्ड एवं अन्य बनाम भारत की संघ सरकार के मामले में दिनांक 6-10-1993 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, उच्च न्यायालय में नियुक्ति के प्रस्ताव की समग्र प्रक्रिया, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश के पास निहित है।

यद्यपि, भारत सरकार विभिन्न उच्च न्यायालयों को लगातार स्मरण कराती आ रही है, तथापि वे रिक्तियों को भरने के लिए ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। देशभर में, हमारे पास न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की तिथि की संपूर्ण सूची है। उनकी सेवानिवृत्ति से कम से कम तीन माह पूर्व, सर्वोधिक उच्च न्यायालय को नई भर्ती की प्रक्रिया आरंभ करनी होती है। अधीनस्थ न्यायालयों के मामले में यह स्थिति चिंताजनक है। अधीनस्थ न्यायालयों में संस्वीकृत पदों की संख्या 15,399 है जिसमें से 12, 368 पदों पर न्यायाधीश नियुक्त है तथा 3031 पद रिक्त पड़े है? अधीनस्थ न्यायालयों में कुल 3.45 करोड़ मामले लंबित पड़े हैं। केवल उच्चतम न्यायालयों में ही 71,708 मामले लंबित पड़े हैं।

इस स्थिति में, मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश से बातचीत करके देश के दक्षिणी क्षेत्र के लिए चेन्नई में एक उच्चतम न्यायालय स्थापित किया जाए। इससे सुदूर दक्षिण राज्यों से दिल्ली आकर उच्चतम न्यायालय में मामला दायर करने वाले गरीब वादियों को सुविधा होगी।

उपरोक्त सभी पहलूओं को ध्यान में रखते हुए मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं तथा इसका समर्थन करता हूं तथा माननीय मंत्री को धन्यवाद देते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि करने के लिए लाये गए इस विधेयक पर कोई विवाद नहीं है। मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं। परंतु मेरी धारणा केवल यह है कि विधि मंत्री अध्यादेश प्रख्यापित करने को जल्दी में क्यों थे। जब इस सभा के पिछले सत्र के दौरान विधेयक पुरःस्थापित किया गया था जो अध्यादेश लाए जाने की क्या जल्दी थी? मैं यह समझ नहीं पाया हूं। जब अध्यक्षपीठ से माननीय अध्यक्ष ने किसी बात पर टिप्पणी की थी तो माननीय विधि मंत्री ने अपने उत्तर में कहा था कि 'हम न्यायपालिका को नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं।' इस देश में कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका को नीचा नहीं दिखाना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति न्यायपालिका और न्यायाधीशों का आदर करता है परंतु जब विधेयक को पहले ही पुरःस्थापित किया जा चुका था और जब भूतलक्षी प्रभाव से वृद्धि की जाएगी, जब सरकार द्वारा उनके सभी बकायों का भुगतान किया जाएगा तो अध्यादेश लाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह मेरी धारणा है।

अगर माननीय मंत्री उनके वेतन में और अधिक वृद्धि का प्रस्ताव लेकर आते हैं तो इस पर किसी को भी आपत्ति नहीं होती। सभी चाहते है कि न्यायाधीशों को अच्छा ओहदा दिया जाए, सम्मान दिया जाए तथा अच्छा भुगतान किया जाए। उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए

चूंकि देश में उनका सबसे बड़ा दर्जा है। परंतु न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते बढ़ाने भर से हम समस्या का निराकरण नहीं कर सकते हैं?

जैसा कि अनेक माननीय सदस्यों द्वारा उल्लेख किया गया है उच्चतम और उच्च न्यायालयों में विभिन्न कारणों से बड़ी संख्या में मामले लंबित है। पिछले सत्र में हमने भारत के मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को 26 से बढ़ाकर 31 करने का विधेयक पारित किया परंतु यह पर्याप्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों में बड़ी संख्या में न्यायाधीशों के अनेक पद रिक्त पड़े हैं। हम सभी जानते है कि अनेक बार भारत के मुख्य न्यायाधीश ने केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों से आगे आने और अधीनस्थ न्यायालय में रिक्तियों को भरने हेतु कदम उठाने का अनुरोध किया है। परंतु कोई कदम नहीं उठाए गए। मैं न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर आगे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। अब न्यायाधीशों के पास न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति है। जहां तक मैं जानता हूं कि दुनिया भर में ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जहां न्यायाधीश ही न्यायाधीशों को नियुक्त करते हो। उसी प्रकार, भारत में विधायिका अपना वेतन स्वयं निर्धारित करती हैं। दोनों प्रकार की प्रणालियां खराब हैं। विधायिका को अपना वेतन स्वयं निर्धारित नहीं करने दें तथा न्यायाधीशों को न्यायाधीश नियुक्त नहीं करने दें। यह काफी खराब प्रणाली है। मैं नहीं जानता कि सरकार कब इस भूल को सुधारने के लिए संविधान में संशोधन लाने हेतु विधेयक लाएगी। मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं।

लेकिन मेरा कहना है कि न्यायाधीश एक वर्ष में कितनी छुट्टियों के हकदार हैं। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय उच्च विद्यालय या माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं। मुझे डर है कि वे स्कूली बच्चों की तरह छुट्टियों का मजा ले रहे हैं। एक तरफ, लाखों-करोड़ों मामले लंबित हैं तथा दूसरी ओर न्यायाधीश कई छुट्टियों का मजा ले रहे हैं। अतएवं, यह विरोधाभास भरा है। सरकार को इस पर सोचना है। माननीय मुख्य न्यायाधीश को इस पर सोचना है।

अब, एक अच्छी बात यह है कि कुछ राज्यों में सायंकालीन न्यायालय शुरू किए गए हैं। तो इसे सभी राज्यों में क्यों नहीं शुरू किया गया? मेरे प्रिय सहकर्मी, प्रो. रासा सिंह रावत ने पहले उल्लेख किया कि कई राज्यों में अब सर्किट न्यायालय या उच्च न्यायलय की खंडपीठ की स्थापना करने के लिए आन्दोलन चलाए जा रहे हैं। अतएव, सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय की परामर्श से इस ठोस फार्मूले पर क्यों नहीं पहुंचती है कि कहां उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करनी है तथा कहां नहीं? यदि हम विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालय की खंडपीठ और ज्यादा संख्या में स्थापित करते हैं तो विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में कमी आएगी। ऐसे उदाहरण हैं जहां न केवल दशक तक बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक परिवार के लोग उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दौड़ रहे हैं तथा अभी भी मामले लंबित हैं।

एक और बात है। मैं नहीं जानता कि उच्चतम न्यायालय का उच्च न्यायालय को क्या दिशानिर्देश है। महोदय, आप यह जानकर आश्चर्य चकित होंगे तथा यह विभिन्न उच्च न्यायालयों में देखा जाता है कि दीवानी मामले या फौजदारी अपीलीय मामले की सुनवाई पूरी होने के काफी समय के पश्चात् भी, निर्णय नहीं सुनाए जाते हैं। सुनवाई पूरी हो गई, लेकिन उच्च न्यायालय निर्णय नहीं सुना रहे हैं तथा इसे एक या दो वर्षों के लिए ही नहीं बल्कि कई बर्षों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। अतएव, माननीय उच्चतम न्यायालय को उच्च न्यायालय के लिए विशिष्ट दिशानिदेश लेकर आना चाहिए कि ऐसे मामलों में जहां सुनवाई पूरी हो चुकी है, वे वर्षों से इसे सुरक्षित क्यों रख रहे हैं तथा वादियों को परेशानी में डाल रहे हैं। वे अपना निर्णय क्यों नहीं सुनाते हैं? मैं उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय पर अभियोग नहीं लगा रहा हूं लेकिन यह उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की जिम्मेवारी है। श्री वरकला राधाकृष्णन पहले दोहरा रहे हैं कि केवल वेतन वढ़ा देने से समस्या हल नहीं होगी।

माननीय विधि मंत्री ने कहा कि उन्होंनें न्यायालय को सुना है। हां, और छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के पश्चात् यह स्वाभाविक है कि न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाया जाना है। लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तथा न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। मुझे याद है कि कुछ दिनों पूर्व उच्चतम न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने माननीय प्रधानमंत्री को यह सिफारिश करते हुए एक पत्र लिखा कि पश्चिम बंगाल के माननीय उच्च न्यायालय ने एक न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाए। अतएवं, सरकार इसे दबाए क्यों बैठी हैं? उच्चतम न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश की अनदेखी करके क्या सरकार उच्चतम न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश का पद छोटा करने तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का कार्य नहीं कर रही है? जब उच्चतम न्यायालय के

[श्री प्रसन्न आचार्य]

माननीय मुख्य न्यायाधीश ने न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप पर उच्चतर चिंता व्यक्त की तथा सिफारिश की...

उपाध्यक्ष महोदय: ईमानदार न्यायाधीश भी हैं।

श्री प्रसन्न आचार्य: हां, कोई शक नहीं है। अधिकांश न्यायाधीश ईमानदार हैं। हमें अपनी न्यायपालिका पर गर्व है। लेकिन जब परिवार के मुखिया, न्यायाधीशों के मुखिया, उच्चतम न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश स्पष्ट तथा विशिष्ट रूप से सभी पुराने रिकार्ड देखकर माननीय प्रधानमंत्री की यह सिफारिश करते हुए लिखते हैं कि अपने ही एक न्यायाधीश के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाया जाए, तो सरकार इस पर बैठी क्यों हैं? न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को कौन प्रोत्साहित कर रहा है? हम केवल न्यायाधीशों पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। क्या सरकार की इस संबंध में कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है? फिर, सरकार इस पर बैठी क्यों हैं? अतएव, हम इस प्रकार न्यायपालिका का कद छोटा कर रहे हैं। मुझे आशा है कि जब माननीय मंत्री अपना अंतिम उत्तर दे रहे होंगे, वे इस मामले पर सभा को जानकारी देंगे।

महोदय, यह आरोप लगाया जाता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोई पारदर्शिता नहीं है। यह ठीक है कि कुछ दिनों पूर्व तक दूसरी प्रणाली थी। अफसरशाही तथा राजनीतिक वर्ग के न्यायाधीशों की नियुक्ति में वरीयता मिलती है। माननीय न्यायमंत्री ने इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिना संवैधानिक संशोधन के, हम उच्चतम न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

लेकिन मैं सोचता हूं कि सरकार को इसे गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। सचमुच में कोई पारदर्शिता नहीं है। उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की रिक्तियों के क्या कारण हैं? उच्च-न्यायालय कालेजियम तथा उच्चतम न्यायालय कालेजियम इसके बारे में क्या कर रही है? मेरे विचार से सरकार को इस संबंध में भी उच्चतम न्यायालय से बातचीत करनी चाहिए। जब तक हम रिक्तियां नहीं भरें, विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जाएगी।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मेरी इच्छा है कि काफी कम समय में, आगामी चुनाव के बाद ही, सरकार उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में और वृद्धि करने के लिए सरकार एक और संशोधन लाएगी। हमें उन्हें आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए क्योंकि वे इस देश के माननीय न्यायाधीश हैं। लेकिन उल्लिखित अन्य मामलों के संबंध में सरकार को उन्हें गंभीरतापूर्वक देखना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आती। मुझे याद है कि कुछ दिन पहले इसी सदन में स्पीकर साहब ने काबिल लॉ मिनिस्टर साहब से पूछा था कि क्या दुनिया में ऐसा कोई अन्य देश है, जहां जज स्वयं को एपाइंट करते हैं तो मुझे याद है कि माननीय मंत्री जी ने खड़े होकर कहा कि दुनिया में कहीं किसी देश में ऐसा प्रोसिजर नहीं है। यह हिन्दुस्तान में ही है कि स्वयं को जज बनाने का काम यहां के जज लोग ही करते हैं। हमें एक बात समझ में नहीं आती है कि हमारे कांस्टीट्यूशन में इस बात का प्रावधान है कि कोई भी संविधान के ऊपर नहीं है, लेकिन यहां पर देखने में यह आता है कि ज्यूडिशियरी के ऊपर कोई भी लॉ, चाहे हमारी पार्लियामेंट हो, लॉ मिनिस्टर हों, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या प्रेसीडेंट ऑफ इंडिया हो, उनके ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं है। अंकुश होना भी नहीं चाहिए, मैं मानता हूं, ज्यूडिशियरी इनडिपेंडेंट होनी चाहिए। हमारे प्रेसीडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर को भी अपनी प्रोपर्टी का हिसाब देना पड़ता है, जिससे पूरी जनता को पता लग जाए कि हमारी प्रोपर्टी क्या है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, यहां पर यह है कि प्रोपर्टी का हिसाब हम नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे?

[अनुवाद]

क्यों? क्या वे भारत के लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं? क्या वे संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं?

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, आर.टी.आई. एक्ट हमारे ऊपर लागू नहीं होता है, यह क्यों नहीं लागू होता है? आर.टी.आई. एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ है और वह सब के लिए बराबर है - चाहे कॉमन आदमी हो, जज हो या कोई भी हो। लेकिन वे कह देते हैं कि हमारे ऊपर लागू नहीं होता। अभी पी.एफ. स्केम गाजियाबाद में हुआ। इतना बड़ा

स्केम हुआ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, तमाम अन्य सबोर्डीनेट कोर्ट के जज, जिनके ऊपर अंगुली उठी, उनकी सी.बी.आई. जांच भी कर रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप सैलेरी बढ़ाइए, जैसा हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि सैलेरी और ज्यादा बढ़ा दीजिए, हमें एतराज नहीं है।

[अनुवाद]

उन्हें उत्तरदायी होना चाहिए।

[हिन्दी]

रासा सिंह रावत जी ने कहा कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं उनके लिए कौन एकाउंटेबल है?

[अनुवाद]

कौन उत्तरदायी है?

[हिन्दी]

क्या यह कहीं तय होगा कि एक कोर्ट में इतने फैसले होंगे, कहीं कोई लिमिट है। जज एपाइंट करते जाइए और उनकी संख्या बढ़ाते जाइए और हमारे पैंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ते जाएं।

[अनुवाद]

उत्तरदायित्व क्या है?

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, अभी काबिल लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम एक कॉम्प्रीहेंसिव बिल ला रहे हैं, लेकिन अभी वह सदन में नहीं आ पाएगा। अगले सदन में ऐसा एक बिल आना चाहिए, जिसमें कि ज्यूडिशियरी एबव बोर्ड हो। मैं मानता हूं और चाहता भी हूं कि ज्यूडिशियरी पर करप्शन के चार्जेज न लगें।

मान्यवर, मुझे याद है कि एक चीफ जस्टिस की एपाइंटमेंट में हमारे प्रैसीडेंट ने कंसेंट नहीं दी। प्रैसीडेंट के कंसेंट नहीं देने के बावजूद, लॉ मिनिस्टर साहब, वे एक जगह के चीफ जस्टिस बना दिए गए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जब प्रैसीडेंट के कंसेंट न देने पर, उनके क्वैरी करने पर भी, उसे ओवरलुक किया जा सकता है, तो यह सिस्टम चल नहीं पाएगा। हमें यह सोचना पड़ेगा और इस सिस्टम को फूलप्रूफ बनाना पड़ेगा।

मान्यवर, श्री राधाकृष्णन जी ने जो बात कही थी कि इम्पीचमेंट नहीं हो सकती है। मैं उससे सहमत हूं, क्योंकि हमने रामास्वामी वाले केस में यह देखा कि लाख चाहते हुए भी, गवर्नमेंट चाहे, तो भी इम्पीचमेंट नहीं करा सकती। अभी हमारे उड़ीसा के एक नेता बोल रहे थे कि चीफ जस्टिस ने एक जस्टिस की एम्पीचमेंट के बारे में लिखा है। इम्पीचमेंट हो ही नहीं सकती। उसके जो प्रावधान हैं, उनके अनुसार लॉ मिनिस्टर भी चाहें, पूरी गवर्नमेंट भी चाहे, तो भी इम्पीचमेंट इम्पौसीबल है। कभी किसी जज का इम्पीचमेंट हो नहीं सकता।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा और सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि जजों का हम सब लोग आदर करते हैं, लेकिन पब्लिक में जजों के प्रति विश्वास होना चाहिए। उनके प्रति जनता में आदर का भाव होना चाहिए। उसका खात्मा होता जा रहा है और उनके ऊपर अंगुलियां उठ रही हैं। हमें यह देखना पड़ेगा कि हम ऐसा कानून लाएं, जिससे कि इन बातों का समाधान हो सके और जो गड़बड़ियां हुई हैं, भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियां न हो सकें। मैं इसी विचार से इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद। सर्वप्रथम, सिद्धांततः मुझे इस अध्यादेश के प्रास्थापन पर आपत्ति है। सरकार उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन बढ़ाने में इतनी जल्दी क्यों दिखा रही है? वे पहले से ही काफी वेतन और अन्य सुविधा ले रहे हैं।

महोदय, माननीय विधि मंत्री ने इस सभा में न्यायाधीश जांच विधेयक नामक एक विधेयक प्रस्तुत किया था। अंततः, इसे स्थायी समिति को भेजा गया और काफी पहले स्थायी समिति द्वारा संबंधित मंत्रालय और सरकार को भी एक सिफारिश की गयी है परन्तु इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। सरकार इस विधेयक को सभा में लाने के मामले में चुप क्यों है? इस सभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। हमें उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि राज्यों के सर्वोच्च न्यायाधिकरणों,

[श्री अजय चक्रवर्ती]

उच्च न्यायालयों और देश के सर्वोच्च न्यायाधिकरण, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भ्रष्टाचार एवं कदाचार के अनेक मामलों में संलिप्त पाया गया है।

समाचार पत्रों, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यह खबर आयी थी कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश काफी दुःखी थे और उन्होंने यह कहा था कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्याधीशों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के मामलों की देश के प्रत्येक व्यक्ति को पता है। जनता ने उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में विश्वास खो दिया है क्योंकि उनका कामकाज, उनका व्यवहार और उनकी गतिविधियां काफी संदेहास्पद हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सभी न्यायाधीश भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त हैं परन्तु उनमें से कुछ लिप्त हैं। कुछ न्यायाधीश काफी ईमानदार हैं। परन्तु कुछ न्यायाधीश कदाचार के मामलों में संलिप्त हैं तथा उनका आचार और व्यवहार बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। यही स्थिति उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के कुछ वकीलों की भी है।

मैं यह बताना चाहूंगा कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय देश के सबसे बड़े न्यायालय हैं। हम कोई आपत्ति नहीं उठा रहे हैं, परन्तु उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लम्बे समय से मामले लम्बित पड़े हैं पदों पर, लोग आ-जा रहे हैं परन्तु मामले अभी भी लम्बित पड़े हैं। मान लीजिए मैं उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में एक मामला या अपील दायर करता हूं, कोई नहीं जानता कि इसका निपटारा कब होगा। अंततः मैं मर जाऊंगा, तब मेरा बेटा आएगा, वह भी मर जएगा और उसका बेटा आएगा परन्तु उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में मामलों का निपटारा नहीं होगा। कोलकाता, मुम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों का मूल पहलू यह है।

यदि कोई व्यक्ति किन्हीं अन्य उच्च न्यायालयों में अपील दायर करने को प्राथमिकता दे तो भी मामले का निपटारा नहीं होगा। मामले लम्बे समय से लम्बित पड़े हैं। उनके निपटान का कोई प्रश्न नहीं है। सरकार को इस प्रकार के दस्तूर पर ध्यान देना चाहिए। एक ऐसा तंत्र होना चाहिए ताकि मामलों का निपटान एक निर्धारित समय सीमा के भीतर, यथाशीघ्र हो सके अन्यथा विलम्ब से कानून का प्रयोजन समाप्त हो जाता है।

सिर्फ इतना ही नहीं एक दूसरी समस्या यह है कि उच्च न्यायालय के खंडपीठों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिए। इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि गांव के लोगों के लिए राजधानियों में आना संभव नहीं है। वे देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्थापित विभिन्न खंडपीठों में अपना मुकदमा दायर कर सकते हैं, इन खंडपीठों में अपील करने को वरीयता दे सकते हैं। अन्यथा गरीब लोग राहत नहीं पा सकते हैं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह विभिन्न जिला मुख्यालयों में और अधिक खंडपीठ स्थापित करे। यदि सभी जिला मुख्यालयों में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करना संभव न हो तो कम से कम कुछ जिला मुख्यालयों में खंडपीठ स्थापित की जानी चाहिए। देर से न्याय मिलना न्याय न मिलने के बराबर है। विलम्ब से कानून पराजित होता है। वह इस बात को मुझसे बेहतर समझते हैं क्योंकि वह सिर्फ विधि मंत्री ही नहीं हैं बल्कि एक प्रखर वकील भी हैं। मैं विधि मंत्री से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वह इस मुद्दे पर ध्यान दें। कृपया देश की जनता में विश्वास पैदा करें ताकि वे देश की न्यायपालिका पर गर्व कर सकें और उस पर विश्वास कर सकें। न्यायपालिका पहले ही जनता का विश्वास खो चुकी है। यह सर्वोच्च न्यायाधिकरण है। यह हास्यास्पद है कि वे स्वयं अपने न्यायाधीश नियुक्त कर रहे हैं। क्या यह भारत के संविधान के अनुसार संभव है? मैं संविधान विशेषज्ञ नहीं हूं, परन्तु जहां तक मेरी जानकारी है, यह संवैधानिक प्रावधानों के दायरे से बाहर है कि वे स्वयं अपने न्यायाधीशों की नियुक्ति करें। भारत के राष्ट्रपति देश की जनता के प्रति जवाबदेह है परन्तु न्यायाधीश तो पवित्र गाय के समान है; वे देश की जनता के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। वे अपनी परिसम्पत्तियों को घोषित करने से मना करते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से पता है कि कुछ न्यायाधीशों का काफी प्रभाव है, वे उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के पश्चात् अपनी सम्पत्ति और अन्य धन बढ़ा रहे हैं।

अंततः मैं यह कहना चाहूंगा कि न्यायपालिका में जनता का विश्वास बढ़ाने हेतु सरकार को विचार करना चाहिए। दलीय भावनाओं से ऊपर उठकर दोनों पक्षों के सभी सदस्यों की न्यायपालिका की स्थिति पर एक ही राय है। इसलिए सरकार को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए और इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): माननीय उपाध्यक्ष

जी, मैं बिल का अपनी ओर से पूरा-पूरा समर्थन करता हूं। जो विषय यहां पर उठाये गये हैं, वे करप्शन से सम्बन्धित हैं, जो वास्तव में चिन्ता का विषय है। इस बिल के द्वारा वर्तमान सैलरी से लगभग तीन गुना वृद्धि करने का विषय आया है, लेकिन बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए, छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को देखते हुए इसी सदन में और संसद में पहले कार्यपालिका का और आज हम न्यायपालिका के जजेज की वेतन वृद्धि का विधेयक पारित कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: फिर आपका भी पास होगा।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': लोकतंत्र में हमारा तीसरा अंग है। हमारे देश में तीन व्यवस्थाएं हैं, एक कार्यपालिका है, एक न्यायपालिका है और तीसरी हमारी विधायिका है। विधायिका के सम्बन्ध में जब-जब वेतन वृद्धि की बात आई है, तब-तब उसकी अति कटु आलोचना होती है, क्योंकि तब हम अपने बारे में स्वयं विचार कर रहे होते हैं। मीडिया के माध्यम से और हमारे वामपंथी दलों के माध्यम से उसकी तीव्र आलोचना की जाती है। भले ही फिर वेतन आहरण करते समय सभी वही वेतन आहरित करते हैं। जो महंगाई है या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, देश की परिस्थितियां हैं, इन्फ्लेशन का रेट है, यह अगर प्रभावित करता है, तो पूरे तीन के तीन अंग इससे प्रभावित होते हैं।

हालांकि मैं यह मानता हूं कि माननीय विधि मंत्री जी से यह संबंधित विषय नहीं है, लेकिन चूंकि वेतन वृद्धि का विषय लेकर, न्यायपालिका का मामला लाये हैं, तो जो संसदीय कार्य मंत्री जी हैं, उन तक ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी ऑन मेंबर्स सेलरी एंड एलाउंस है, उन्होंने लगातार अपनी बैठकें करके यह संस्तुति की है और यह आग्रह किया है कि इसी सत्र में सांसदों से संबंधित विधेयक में संशोधन और उनकी वेतन वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकृत होना चाहिए और वह भी वर्ष 2006 से आनवर्ड्स हो, जिस प्रकार से अन्य व्यवस्थायें हुई हैं, वह होना चाहिए। इसके अतिरिक्त पीठ से, माननीय अध्यक्ष महोदय की ओर से एक बार यह विषय आया था और इस संबंध में एक कमीशन बनाने की बात आयी थी। जो मेंबर सेलरी एंड एलाउंस की ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी है, उसकी ओर से एक परमानेंट मैकेनिज्म बनना चाहिए कि हमको बार-बार उस विधेयक में संशोधन के लिए पुनः संसद के समक्ष न आना पड़े और स्वतः ही जिस तरीके से वेतन का निर्धारण होता है या वेतन वृद्धि का, देशकाल और समय की परिस्थिति के अनुरूप, वह होना चाहिए। यह संदेश अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि सरकार के सभी वरिष्ठ मंत्रीगण यहां पर हैं। अगर इसी सत्र में वह पारित होता है, तो निश्चित रूप से माननीय संसद सदस्यों के लिए एक प्रकार का जाते समय का बोनस और गिफ्ट होगा और आने वाले समय के लिए यह व्यवस्था जो अगली 15वीं लोकसभा आएगी, उनको भी एक ठीक व्यवस्था उनको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जितने भी संसद सदस्य हैं, वह अपने पर्सनल वर्क, जैसे हम वकालत करते हैं, लेकिन संसद में रहते हुए वकालत नहीं कर पाते। वह व्यवसाय हमारा छूट गया। केवल हम भी इसी पर निर्भर रहते हैं। ऐसे सांसदों के लिए जरूर विधायिका के संबंध में विचार होना चाहिए। मैं समझता हूं कि सभी लोग इसका समर्थन करते हैं। अगर यह सारा कुछ होता है तो सांसदों का विचार भी अवश्य आना चाहिए।

महोदय, इसी के साथ जो चिंता करप्शन के बारे में प्रकट की गयी है, उसके बारे में अवश्य विचार करेंगे और जो पेंडेंसी है, उसके संबंध में भी चेन्नई में एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच बननी चाहिए, ऐसा विषय आया था। मेरा मानना है कि देश की विशालता को देखते हुए न केवल एक बेंच चेन्नई, बल्कि कोलकाता और मुंबई ये दो इतनी दूरी के क्षेत्र हैं, वहां छोटी डिवीजन बेंचेज बनें, ताकि कुछ मामलों पर वहां विचार हो सके। इस संबंध में भी मंत्री जी को विचार करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री विजय बहुगुणा (टिहरी गढ़वाल): उपाध्यक्ष महोदय, मजबूत और शक्तिशाली न्यायपालिका हमारे संविधान और लोकतन्त्र का सार है तथा हमें अपनी न्यायपालिका पर गर्व करना चाहिए जिसने इतने समय से हमारे अधिकारों की रक्षा की है। महोदय, समानता, भाषण की स्वतन्त्रता और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के क्षेत्र में युगान्तरकारी निर्णय दिए गए हैं।

मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं। मैं माननीय विधि मंत्री को दो सुझाव देना चाहता हूं।

हमें बकाया मामलों के लिए सदैव न्यायपालिका को दोष नहीं देना चाहिए। यह उचित समय है कि भारत सरकार सभी निगम और राज्य सरकारें उन सभी मामलों का पुनरीक्षण करें जो उन्होंने दायर किए हैं। प्रत्येक फैसले के खिलाफ चाहे वह न्यायाधिकरण का हो या न्यायालयों का उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर

[श्री विजय बहुगुणा]

दी जाती है। यदि भारत सरकार, निगमों और राज्य सरकारों के पास कोई 'इन-हाउस' सृदृढ़ तन्त्र हो तो यह आवश्यक नहीं है कि कोई सभी निर्णयों के खिलाफ अपील ही करेगा। इस तरह निश्चय ही कुछ हद तक न्यायालयों का कार्यभार कम हो।

महोदय, न्याय को सुगम बनाने के लिए कतिपय और न्यायपीठों की स्थापना आवश्यक है। मैं माननीय विधि मंत्री से उत्तराखण्ड के देहरादून में न्यायपीठ या 'सर्किट' न्यायपीठ की स्थापना करने हेतु विचार करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र के कारण मुकदमा लड़ने वाले लोगों को न्यायालय जाना अत्यंत कठिन हो गया है।

महोदय न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाकर हम इस क्षेत्र में प्रतिभाशाली लोगों को आकृष्ट करेंगे। यदि आपके पास न्यायपीठ में प्रतिभाशाली वकील नहीं होंगे तो निश्चय ही न्याय देने के मानकों में गिरावट आएगी। मुझे विश्वास है कि न्यायधीशों के वेतन में वृद्धि होने से 'कोलेजियम' न्यायपीठ में और वकीलों को आमंत्रित करने पर विचार करेगा ताकि हमारी न्याय-प्रणाली बेहतर ढंग से कार्य कर सके।

महोदय, यह अत्यंत उपयुक्त समय है कि हम माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए पहलुओं के संबंध में, न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं अभियुक्त के संबंध में संविधान का पुनर्विलोकन करें। इसके लिए पूरी सभा एवं सभी प्रमुख दलों की राय आवश्यक होगी। लेकिन हमें इस संस्था का सम्मान करना चाहिए। यदि हम सम्मान चाहते हैं तो हमें यह सीखना चाहिए कि न्याय प्रणाली का सम्मान कैसे करें। लोकतन्त्र को बचाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि न्यायपालिका मजबूत एवं स्वतन्त्र हो। हमें उन उचित मांगों के प्रति विचारशील होना चाहिए जिसकी अपेक्षा वे इस संसद से करती हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा. सिबैस्टियन पॉल (एर्णाकुलम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं लेकिन मेरी एक आपत्ति है कि अध्यादेश सत्र शुरू होने के एक महीने पहले ही लाया गया। अध्यादेश की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसकी कोई तत्काल आवश्यकता नहीं थी। बढ़े हुए वेतन का भुगतान पूर्व के बकाया के साथ किया जा सकता था।

लेकिन जो भी हो, महोदय, मैं इस प्रस्ताव का तहेदिल से स्वागत करता हूं। हमारे न्यायाधीशों को संतुष्ट होना चाहिए, उन्हें अच्छा वेतन मिले ताकि देश की न्याय प्रणाली एक परम्परा और स्वस्थ्य मार्ग पर चल सके। लेकिन, इसी के साथ-साथ न्यायाधीशों को और जबावदेह बनाया जाना चाहिए। प्रतिदिन, हम समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के ढेर सारे मामले देख रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश भी इस सच को स्वीकार करते हैं कि भ्रष्ट तत्व न्यायपालिका में घुसे हैं। यह स्वागत योग्य स्थिति नहीं है। हमें न्यायाधीशों को और जबावदेह बनाने के लिए कतिपय अत्यावश्यक उपाय करने है।

इसी के साथ न्यायाधीशों को और कार्य करना चाहिए। वेतन बढ़ाने के बाद न्यायाधीशों से और कार्य लेना चाहिए क्योंकि उन्हें लम्बी छुट्टियां मिलती हैं। प्रत्येक वर्ष न्यायालय विभिन्न कारणों से कई दिनों तक बंद रहते हैं जबकि न्यायालयों में कई लाख मुकदमे लंबित रहते हैं। इसलिए इन लंबित मुकदमों का निपटान करने के लिए कतिपय अत्यावश्यक उपाय किए जाएं। न्यायाधीशों को और कार्य करना चाहिए। अत्यधिक दिनों तक न्यायालयों में अवकाश की घोषणा करना एक उपनिवेशवादी परिपाटी है। हमें यह परिपाटी बंद करनी चाहिए क्योंकि न्यायालय किसी अन्य संस्थान या किसी अन्य कार्यालय की तरह पूरे वर्ष कार्य कर सकते हैं।

मुझे एक और बात का उल्लेख करना है। अनेक माननीय सदस्यों ने न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में अपनी राय पहले ही व्यक्त कर दी है। जहां तक भारतीय संविधान के बारे में मेरी समझ है कार्यपालिका को उनकी चयन प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना है। लेकिन भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां न्यायाधीश स्वयं अपने उत्तराधिकारी का चयन करते हैं। देश में एक नया न्यायिक वर्ग पैदा हो गया है। इनकी चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की पारदर्शिता नहीं है। यह प्रक्रिया अपारदर्शी है और यह गोपनीय है। यह स्वस्थ्य परिपाटी नहीं है। हमें भारत के संविधान की सच्ची भावना के अनुरूप पूर्व परिपाटी स्वीकार करनी चाहिए क्योंकि संविधान का निर्वचन न्यायपालिका करती है और इस मामले में कार्यपालिका की शक्तियां हड़प लेती है। इसलिए, कार्यपालिका की भागीदारी से न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया को और अत्यधिक पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। यह संविधान का अधिदेश है।

महोदय, मैं न्यायाधीशों को और अधिक भुगतान करने

की इस पहल का स्वागत करता हूं लेकिन उन्हें और कार्य करना चाहिए। हमें न्यायपालिका से और परिणाम प्राप्त करने की अपेक्षा करने का अधिकार है ताकि बकाया मामलों का निपटान हो और लंबित मामलों की संख्या कम हो। हमारी न्यायपालिका को और जबावदेह होना चाहिए और उसे पारदर्शी एवं लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करना चाहिए।

श्रीमती पी. सतीदेवी (बडागरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, जिसे यहां पुरःस्थापित किया गया है, मैं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में संशोधन करने तथा न्यायाधीशों को अनुमत्य अतथ्य और निःशुल्क फर्नीचर उपलब्ध कराने संबंधी भत्तों को दो गुना करने की मांग की गई है।

फिर इसमें पेंशन, अतिरिक्त पेंशन, न्यायधीशों की अधिकतम पेंशन, पेंशन की अतिरिक्त मात्रा और परिवार पेंशन को भी संशोधित करने की मांग की गई है जैसा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मामले में लागू है।

प्रारूप विधेयक में सूचीबद्ध वेतन वृद्धि को सरकार एक अध्यादेश के माध्यम से पहले ही लागू कर चुकी है। जैसाकि अन्य सदस्यों ने कहा है, मैं यह नहीं समझ पाई हूं कि ऐसा अध्यादेश लाने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई है। मेरा निवेदन है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन पेंशन और अन्य सुविधाओं में वृद्धि संबंधी विधेयक को न्यायपालिका से संबंधित अन्य विधेयकों यथा न्यायाधीश जांच विधेयक, जो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, के साथ ही लाया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक के साथ-साथ न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उनसे संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग के गठन जैसे न्यायिक प्रणाली में सुधार सहित अन्य पहुलओं को भी लिया जाना चाहिए। न्यायाधीशों द्वारा धन और संपत्तियों की घोषणा करने संबंधी हाल ही के विवाद के मद्देनजर, न्यायाधीशों और उनके परिवार के सदस्यों के धन और संपत्ति को सार्वजनिक करने के साथ-साथ उनके द्वारा लिए गए उपहारों और 20,000/-रुपये से ऊपर किए गए व्यक्तिगत खर्च को भी सार्वजनिक करने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

न्यायपालिका के इन मुद्दों के समाधान हेतु एक स्थायी निकाय होना चाहिए।

हमारा संविधान न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का आदेश देता है। जैसाकि पहले कहा गया है हमारे देश की न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय न्यायाधीश जांच विधेयक को पारित किया जाए और एक उपयुक्त राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग की शुरुआत की जाए। न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में वृद्धि के साथ-साथ न्यायपालिका से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

जैसाकि अन्य सदस्यों ने कहा है, कि न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि, न्यायालयों में समुचित कार्यकरण हेतु अवसंरचना का अभाव, देश के सभी भागों में न्यायाधीशों के पदों का रिक्त रहना और ऐसे ही अन्य मुद्दों का भी समाधान किया जाना चाहिए। अतः न्यायिक सुधार के एक भाग के रूप में हमें इन सभी मुद्दों पर ध्यान देना होगा। राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग के गठन के साथ-साथ उसे इन सेवा शर्तों और जवाबदेही के अनुरूप वेतन में संशोधन करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। न्यायाधीशों के कार्य-निष्पादन, जवाबदेही, भ्रष्टाचार और अन्य संबंधित मुद्दों का भी समाधान किया जाना चाहिए।

मैं इस बात से सहमत हूं कि समाज के प्रत्येक वर्ग के वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए। यह भी सच है कि हमारे राष्ट्रीय विधि विद्यालय (नेशनल लॉ स्कूल) के नौजवान प्रतिभाशाली छात्रों को 'बार' में भी प्रवेश मिलना चाहिए। दुर्भाग्यवश, कई प्रतिभाशाली छात्र 'बार' में प्रवेश नहीं ले रहे हैं। वे कुछ अन्य रोजगार ढूंढ रहे हैं। इसलिए इस प्रयोजन से उन बुद्धिमान छात्रों को 'पीठ' (बेंच) और 'बार' की ओर आकर्षित करने के लिए बढ़ा हुआ वेतन और अन्य सुविधाएं होनी चाहिए। तभी, अच्छे वकील, योग्य और विद्वान विधिवेत्ताओं को 'बार' से बेंच की तरफ आकर्षित किया जा सकेगा। इसलिए इस प्रयोजन से वेतन तथा अन्य परिलब्धियों में वृद्धि आवश्यक है।

किंतु, जैसा कि कुछ सदस्यों ने कहा है, अब न्यायाधीशों की नियुक्ति से कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं है। फिर, हम वेतन में वृद्धि और अन्य मुद्दों के बारे में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? अतः राष्ट्रीय न्यायिक आयोग और न्यायाधीश जांच विधेयक को पारित किए जाने की तत्काल जरूरत है। इसके साथ-साथ वेतन और अन्य परिलब्धियों को भी लागू किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे हंसराज भारद्वाज जी, जो एक सेक्युलर मिनिस्टर हैं, मिलिटेंट मिनिस्टर हैं और कानून पर...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: बी.जे.पी. ने भी सपोर्ट किया है। इन बैंचों ने तो सपोर्ट किया है।

...(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले: यहां जजों के वेतन बढ़ाने के संबंध में जो बिल लाया गया है, मैं उसे सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे लगता है कि आज जुडिशियरी में जो भी करप्शन हो रहा है, उसके लिए आज जो बिल आया है, उसमें और बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता है। जजेज की पेमेंट बढ़ेगी, जजेज अगर खुश होंगे और उनको सेटिस्फैक्शन रहेगा, तो वे ज्यादा अच्छी तरह जजमेंट दे सकते हैं। कोर्ट्स में केसेज बहुत दिनों तक पेंडिंग रहते हैं, इसलिए मेरा सुझाव है कि जजेज की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। उनमें एस.सी.-एस.टी. जजेज को भी लिया जाना चाहिए। आपने एस.सी.-एस.टी. जजेज को लिया है, लेकिन उनकी संख्या अभी बहुत कम है और अगले पांच साल में ज्यादा जजेज को लेना है। आज सुप्रीम कोर्ट के जज हमारे शिड्यूल कास्ट के हैं। जहां तक मेरिट का सवाल आता है तो ये लोग किसी से पीछे नहीं हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, आप भी हमारे समाज से हैं। पहले कुछ लोगों को लगता था कि श्री चरणजीत सिंह अटवाल जी डिप्टी स्पीकर के पद को नहीं संभाल सकते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छी तरह से हाउस को चला रहे हैं। इसलिए एस.सी.-एस.टी. की मेरिट बहुत अच्छी है। मेरा सुझाव है कि मुंबई में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बनाने की आवश्यकता है। मुंबई शहर हमारे देश की आर्थिक राजधानी है, वह साउथ इंडिया, गुजरात और मध्य प्रदेश से नजदीक है। इसी तरह राज्यों में जो हाई कोर्ट्स हैं, उनकी ज्यादा बेंचेज बनानी चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और लखनऊ में हाई कोर्ट की बेंचेज हैं, उसकी एक बेंच गोरखपुर में भी बनानी चाहिए। उत्तर प्रदेश को बांटकर तीन राज्य बनाने की आवश्यकता है, एक स्टेट*...के लिए, एक स्टेट*... के लिए, एक स्टेट हमारी पार्टी के लिए और एक स्टेट कांग्रेस के लिए बनाने की कोशिश कीजिए। वह बहुत बड़ा राज्य है।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। यदि सभा में अनुपस्थित रहे सदस्यों का नाम लिया जाता है तो उन्हें कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: जुडिशियरी के करप्शन को खत्म करने के लिए और भी प्रावधान करने की आवश्यकता है, इसीलिए हंसराज भारद्वाज जी आपके ऊपर जिम्मेदारी अभी भी है और चुनाव के बाद भी जुडिशियरी की जिम्मेदारी हम आपको देने वाले हैं। आपको जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन हमको भी कोई जिम्मेदारी देने के बारे में विचार करें। इसलिए मैं इस बिल का पूरा समर्थन करता हूं। लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि जजमेंट्स दो-तीन साल में अंदर आना ही चाहिए, इसके लिए कोई प्रावधान आपको करना चाहिए। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। आप जजेज का पेमेंट और भी बढ़ाइए ताकि वे खुश होकर अच्छी तरह से काम करें। आप उनका पेमेंट और बढ़ाइए। यही मेरा सुझाव है।

[अनुवाद]

श्रीमती तेजस्विनी गौडा (कनकपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधि मंत्रालय द्वारा लाए गए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2008 का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं संप्रग सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान और अधिक जन-उन्मुखी विधेयक लाने के लिए विधि मंत्री की प्रशंसा करती हूं एवं उन्हें बधाई देती हूं।

इस विधेयक में न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि करने तथा न्यायाधीशों की परिवार पेंशन में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इसमें यह भी कहा गया है कि अधिकांश खर्च राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाना चाहिए। यह समय की आवश्यकता भी है। न्यायाधीश पूरे दिन कार्य करते हैं तथा उनका जीवन व्यस्तता से भरा है। वे राष्ट्र को न्याय प्रदान करने के लिए लाखों मामलों को देखते हैं। साथ-ही-साथ मेरा अनुरोध है कि और अधिक महिला न्यायाधीशों को अवसर प्रदान किए जाएं। यह समय की आवश्यकता है।

मेरा न्यायपालिका समुदाय से अनुरोध भी है कि वे गरिमा एवं सम्मान बनाए रखें क्योंकि हर कोई मजाक उड़ा

रहा है तथा आरोप लगा रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों से न्यायपालिका भी नहीं बची है। इस सभा में चिन्ता के साथ हम उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रख रहे हैं तथा निश्चित रूप से वे संसद के इस तरह के समर्थन के हकदार हैं। दलगत भावना से ऊपर उठकर, प्रत्येक सदस्य उनका समर्थन करता है क्योंकि देश में बहुत से मामले लंबित पड़े हैं तथा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः लोगों की सहायता करने के उद्देश्य से हम ये बदलाव कर रहे हैं।

महोदय अन्त में, मैं संसद से अनुरोध करती हूं कि दक्षिण भारत के लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए उच्चतम न्यायालय की एक शाखा कर्नाटक के बैंगलोर शहर में स्थापित की जाए जो कि मौसम के लिहाज से, लोगों के लिहाज से तथा संस्कृति के लिहाज से बहुत ही सुगम है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

श्री हंस राज भारद्वाज: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण विधान पर इस सभा द्वारा चर्चा करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं क्योंकि हम इस मामले की संवेदनशीलता नहीं समझते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि न्यायाधीश अपने लिए आवाज नहीं उठाते हैं तथा वे किसी भी चीज की मांग नहीं करते हैं। इस सभा के पास राष्ट्र का राजकोष सम्भालने का दायित्व होता है एवं इसमें से खर्च किया जाता है। अतः यह संविधान के लागू होने के दिन से ही परम्परा रही है कि देश की परिस्थितियों के अन्तर्गत जो सुविधाएं एवं भत्ते देय योग्य होते हैं वे बिना किसी विवाद के सभी परवर्ती सरकारों द्वारा दिए जाते हैं तथा इस मुद्दे पर कभी कोई कटुता या बहस नहीं हुई।

मुझे प्रसन्नता है कि सभी माननीय सदस्यों ने बोला है। मेरे कुछ पुराने मित्रों द्वारा संक्षिप्त हस्तक्षेप के सिवाय सदस्यों ने केवल बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया है। अन्यथा यह बहस बहुत ही अच्छी एवं रचनात्मक रही है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वह आपके खास मित्र हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं आपको न्यायिक प्रणाली के बारे में केवल जानकारी ही देना चाहता था...*(व्यवधान)*

श्री हंस राज भारद्वाज: मैं इसका बुरा नहीं मानता हूं। वह मुझे संसद के बाहर जानकारी दे सकते हैं तथा मैं इसका स्वागत करूंगा। लेकिन वह एक वरिष्ठ संसद सदस्य हैं। अतः जो भी वह बोलते हैं हर कोई उस पर ध्यान देता है।...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं केवल न्यायिक प्रणाली के बारे में ही व्याख्या कर रहा था।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने पिछले पांच वर्षों के दौरान पहली बार आपको उद्वेलित होते देखा है जब वह बोल रहे थे।

...*(व्यवधान)*

श्री हंस राज भारद्वाज: ऐसा इसलिए कि जब एक मित्र दूसरे मित्र को पीडा देता है तो यह पीड़ा बहुत गंभीर हो जाती है। मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहता हूं कि मैं एक वामपंथी हूं लेकिन जब आप पर कोई दायित्व का पद होता है तो आपको दायित्व निभाना होता है।

मैं बहुत प्रसन्न हूं। भाजपा के एक माननीय सदस्य श्री रासा सिंह रावत एक परिपक्व वक्ता हैं तथा जब वे धन्यवाद कहते हैं, तो वह मेरे कानों को संगीत जैसा लगा। मैं ऐसे माननीय सदस्यों को पसंद करता हूं। उड़ीसा के माननीय सदस्यों तथा अन्य सदस्यों द्वारा दिए गए भाषण बहुत ही रचनात्क थे। हम इस प्रकार से लोगों को जानकारी प्रदान कर सकते हैं एवं उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं और आपका यह संदेश न्यायपालिका तक पहुंच जाता है। मैं वास्तव में बहुत ही प्रसन्न हूं। मैं संक्षेप में सभी बिन्दुओं पर बात करना चाहूंगा तथा यदि कोई बात बच जाती है तो मुझे इनका उत्तर देने में प्रसन्नता होगी।

आप सभी जानते हैं कि इस देश के संविधान निर्माता बहुत ही उच्च स्तर के विधि स्नातक और वकील थे। संविधान निर्माताओं ने यह संविधान हमें दिया तथा उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि संसद या न्यायपालिका में भ्रष्टाचार होगा। अतः उन्होंने लोकतंत्र के इन संस्थानों को दण्डित करने के लिए न के बराबर प्रावधान किए।

हमें प्रसन्नता है कि गत लगभग 50 वर्षों में हमारा सार्वजनिक जीवन या हमारा न्यायिक जीवन बहुत ही साफ-सुथरा रहा है। एक वकील के रूप में मेरा लगभग 45 वर्ष का अनुभव है तथा मैंने कभी नहीं सुना कि एक न्यायाधीश भी भ्रष्ट हो सकता है। लेकिन ये बदलाव हाल ही में हुए

[श्री हंसराज भारद्वाज]

हैं। सार्वजनिक जीवन में भी माननीय अध्यक्ष महोदय को कुछ कठोर कदम उठाने पड़े, जो कि आश्चर्यजनक हैं। अब, जब हम समाचार पत्रों में उच्च न्यायालयों में भ्रष्टाचार के मामले सुनते हैं तो ये चिन्ता के विषय हैं। अतः इसका उत्तर क्या होगा? आज मैं यहां हूं तथा आप कल यहां हो सकते हैं। यहां कोई भी हो सकता है। अतः यह एक ऐसा मामला है जिस पर पूरी संसद को एकजुट होने की जरूरत है। कोई भी सरकार संविधान में इतने आमूल-चूल संशोधन नहीं कर सकती है कि वर्तमान स्थिति को ठंडे बस्ते में डाल कर नया संविधान ले आए। ऐसा प्रयास श्री दिनेश गोस्वामी के समय किया गया था लेकिन यह सफल नहीं रहा, क्योंकि हम संसद में एक-साथ नहीं हैं। संसद की एकजुटता से ही राष्ट्रीय मुद्दों का समाधान किया जा सकता है। जब हम आतंकवाद के मुद्दे पर एक साथ खड़े हुए तो समाधान हुआ। यदि हम बिखरे हुए होंगे तो समस्याओं का समाधान नहीं होगा।

मैं आपको साफ-साफ बता दूं कि न्यायपालिका भी हम पर निगाह रखती है। जैसा कि आप कहते हैं कि न्यायपालिका अधिक काम करे ठीक वैसे ही न्यायपालिका कहती है कि संसद अधिक काम करे। जब वे हमें लड़ते देखते हैं तो ऐसा खुलकर कहते हैं। वे कहते हैं: "संसद में क्या हो रहा है?" कुछ लोगों ने ऐसा कहा, और मैं कहता हूं: "संसद की बात न करें। संसद जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है।" उन्होंने कहा कि: "हमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उत्तरदायित्व संसद ने दिया है।"...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: यह न्यायिक समीक्षा उत्क्रमित हुई...

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन सभा में विघ्न न डालें। कृपया बैठ जाएं।

श्री हंस राज भारद्वाज: महोदय, मैं रचनात्मक सुझाव देने वाले कुछ माननीय सदस्यों को उत्तर देना चाहता हूं।

मैं बहुत प्रसन्न हूं कि यह विचार उभर कर आ रहा है कि राष्ट्र न्यायाधीशों को सभी सुविधाएं प्रदान करे। इस पर कोई विवाद नहीं है। अध्यादेश के संबंध में यह संसदीय पद्धति रही है कि अध्यादेश का विरोध किया जाए। मैं इससे अनभिज्ञ नहीं था। पर मैं यह बता दूं कि न्यायाधीश मुझे फोन कर यह पूछते हैं "हमारे वेतन का क्या हुआ? भारत सरकार के सचिव हमसे अधिक वेतन पा रहे हैं। हमारे रजिस्ट्रार-जनरल हमसे अधिक वेतन पाते हैं। अतः जल्दबाजी इसलिए है कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए क्योंकि न्यायाधीश इसकी शिकायत कर रहे हैं। इसलिए किसी अच्छे कार्य के लिए यह विधेयक लाया गया है। मैं जानता हूं कि इसका काफी अधिक विरोध होगा। मैं संसदीय पद्धति को हतोत्साहित नहीं करना चाहता। आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसकी अनदेखी करें। मैंने वक्तव्य दिया है। मैं अध्यक्षपीठ या भारत के राष्ट्रपति को इस चर्चा में शामिल नहीं करूंगा क्योंकि पारंपरिक रूप से इन पर चर्चा नहीं की जा सकती। इसलिए मैंने इसे आरंभ में ही निवेदन कर दिया कि शीघ्रता क्यों थी। आप इसे उपयुक्त या अनुपयुक्त मान सकते हैं, ये आपके विचार होंगे। पर आपने उदार हृदयता प्रदर्शित करते हुए इस कानून का समर्थन कर इसकी अनदेखी कर दी है।

वास्तविक मुद्दा दोतरफा है। एक पहलू मामलों का लंबित होना है। कोई व्यक्ति इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि अधिवक्ता या न्यायधीश भारत की जनता की सेवा के लिए हैं। अन्यथा इस संस्था की उपयोगिता क्या है? मैं इस बात को बताने में गर्व महसूस करता हूं कि न्यायपालिका ने इस देश की बहुत अच्छी तरह सेवा की है। क्योंकि आप प्रति-न्यायाधीश मामलों का निपटारा चाहते हैं इसलिए मैं इसकी लगातार निगरानी करता रहा हूं। एक या दो उच्च न्यायालयों को छोड़कर देश के सभी उच्च न्यायालयों ने एक न्यायाधीश की अपेक्षित क्षमता अनुसार मामलों का निपटारा किया है जो कि औसतन 1020 है। हम इन निपटारों पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। मैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के मामले देखता हूं। मैं राज्यों की न्यायपालिका के मामलों को नहीं देखता। उनका कार्य-निष्पादन उसी तरह है। पर क्या किया जाए। संस्थानों की संख्या बढ़ रही है।

क्या यह ऐसा मामला नहीं है जहां और अधिक संख्या में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रयास किए जाएं? हां यह ऐसा मामला है जहां राष्ट्रीय प्रयास की आवश्यकता है क्योंकि यह एक राष्ट्रीय समस्या है। राजग की सरकार ने त्वरित न्यायालयों के लिए धन दिया और इससे सत्र विचारणा में सुधार आया। मैंने इसको जारी रखा। इसके अतिरिक्त, सभा ने ग्राम न्यायालयों की स्थापना की मुझे अनुमति देने में काफी उदारता दिखाई। यही वह क्षेत्र है जहां हम राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रहे हैं ताकि तीन से चार

हजार निचले स्तर के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सके तथा वे गरीब जनता के लिए मामलों का त्वरित निपटारा कर सकें। हमने वहां महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनूसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है ताकि उनकी समस्याओं का वहीं समाधान किया जा सके। यही वह नया कदम है जिस संसद ने हाल में पारित किया है।

प्रत्येक तीसरे वर्ष न्यायाधीशों की संख्या की समीक्षा की जाती है। इस वर्ष भी हमने समीक्षा किया और उच्च न्यायालयों में लगभग 180 न्यायाधीशों के पदों का सृजन किया। परंतु उनकी नियुक्तियों का प्रस्ताव उच्च न्यायालयों से आना चाहिए। यह दो कारणों से नहीं आ पाए। कई बार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश इसे अग्रसारित नहीं करते। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 60 पद अभी भी रिक्त हैं। मैं चाहता हूं कि वे सिफारिश करें। इसका उत्तर क्या है? उनके पास न्यायालय कक्षों की संख्या पर्याप्त नहीं है। हमें न्यायालय कक्ष, अवसंरचनाओं के लिए व्यवस्था करनी होगी और इसके लिए काफी धन चाहिए। हम राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करेंगे। इस संबंध में राज्यों की सहायता के लिए केन्द्र सरकार पहले ही आगे आ चुकी है। राजग की सरकार ने इसे वित्त आयोग से दिया था। हमने भी केन्द्र सरकार से निवेदन किया है कि वह राज्यों की सहायता करे। पर यह हमारे सामने एक बहुत बड़ा कार्य है। जब तक हम राज्य और केन्द्र एक नहीं होते तब तक यह संभव नहीं हो पाएगा। केन्द्र का एक विधि मंत्री इन सारे मामलों का समाधान नहीं कर सकता।

केन्द्र सरकार का एक मंत्री अर्थात विधि मंत्री इन सारे मामलों का समाधान नहीं कर सकता। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि सारी रिक्तियों को भरा जाना चाहिए। राज्यों में तीन हजार पद रिक्त हैं। इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। परंतु इन रिक्तियों को भरने के लिए मैं राज्यों को अक्सर लिखता रहता हूं। मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का संयुक्त सम्मेलन हर वर्ष आयोजित किया जाता है और इससे स्थिति में सुधार आइ है।

अवसंरचना के क्षेत्र में हमने ऐसे प्रावधान किए हैं कि देश के सभी न्यायालयों में तालुका स्तर तक कम्प्यूटरीकरण किया जाए। हमने राज्यों को धन उपलब्ध करवाए हैं, 100 प्रतिशत अनुदान मेरे मंत्रालय द्वारा दिया गया है। हम निगरानी रख रहे हैं और मुझे विश्वास है कि अगले दो वर्षों में देश में ई-गवर्नेस अदालतें स्थापित हो जाएंगी। परिवर्तन हो रहे हैं। परंतु यह काफी धीमी गति से हो रहे हैं और जनता इससे असंतुष्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव के बाद चाहे जो भी विधि मंत्री हो इस चर्चा के बाद यह मुद्दा प्राथमिकता पाएगा। हमें राष्ट्रीय मतैक्य का विकास करना होगा क्योंकि यह एक राष्ट्रीय समस्या है - एक या दो राज्यों की नहीं, और इस संबंध में हमें बहुत ही सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा।

आप भले ही न्यायपालिका की आलोचना करें किन्तु जनता यह मानती है कि न्यायपालिका राज्य के अन्य अंगों की तुलना में बेहतर कार्य कर रही है। हमें भ्रष्टाचार से निपटना है पर हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है। आप सभी विद्वान सदस्य हैं, आप में से कई अधिवक्ता भी है जो यह जानते है कि संविधान और न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968 में कुछ उपबंधों के सिवाय हमारे पास कोई उपबंध नहीं है। इस बात की आवश्यकता है कि इस संपूर्ण क्षेत्र का पुनः अध्ययन किया जाए और हमें यह देखना होगा कि भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों से निपटने के लिए हम किस प्रकार अन्य अनुपूरक उपबंधों को सम्मिलित कर सकते हैं। अतः मुझे ऐसा लगा कि मैं संसद द्वारा न्यायपालिका परिषद विधेयक पारित करवाने में सफल हो जाऊंगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो भी संसद एक सतत संस्थान है। चुनाव के बाद यह मुद्दा तुरंत वापस आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी वापस दोबारा आएंगे और इस चर्चा पर और अधिक रचनात्मक ढंग से पुर्नविचार करेंगे। आप जो भी समाधान निकालेंगे वही न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से निपटने का उपाय होगा। संसद की स्वतंत्रता असीम है। संसद शासन के किसी भी लिखत एवं किसी भी प्रणाली में सुधार कर सकती है। यह एक सर्वोच्च संस्थान है।

मैं संसदीय मर्यादाओं और शक्तियों की बात स्वीकार नहीं करता चाहे संभ्रात समूह मर्यादाओं की धारणा पर कितना भी बल दें। मैं केशवानंद भारती मामले में लगाई गई मर्यादाओं से संतुष्ट नहीं हूं। संसद सर्वोच्च संस्था है। यह संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। नेहरू के समय तक संसद को सर्वोच्च संस्था के रूप में स्वीकार किया जाता था।

श्री वरकला राधाकृष्णन: आपको न्यायपालिका को भी बताना चाहिए कि संसद सर्वोच्च संस्था है।

श्री हंस राज भारद्वाज: मैं पूरी जिम्मेदारी से यह वक्तव्य दे रहा हूं कि संसद सर्वोच्च संस्था है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: आपको यह कहना चाहिए कि संसद की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाएगा।

श्री हंस राज भारद्वाज: मैं भी पूरी जिम्मेदारी के साथ यह वक्तव्य दे रहा हूं कि हम न्यायपालिका में भ्रष्टाचार कम करने के मामले में किसी से कम नहीं है। माननीय सदस्यगण, यह मेरी पहल है, कि मैंने यह अध्ययन आरंभ किया, इसे पूरा किया है तथा इसे स्थायी समिति को सौंपा है। अगर हम चुनकर सत्ता में वापिस आते हैं तो हम पुन: इस मामले पर कार्यवाही कर इस कार्य को पूरा करेंगे। मैंने न केवल राज्यों के एक, दो या तीन मुख्य न्यायधीशों से बात की है, वे चाहे कितने भी अनिच्छुक हों, वे भी भारत के संविधान के प्रति जवाबदेह हैं। मैं इस मत को नहीं मानता हूं कि न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। ऐसा नहीं है। यह संविधान के प्रति जवाबदेह है चूंकि वे संविधान के नाम पर शपथ लेते हैं और संविधान सबसे ऊपर है। इसलिए, संसद संविधान को संशोधित कर सकती है। सीमाओं के बावजूद संसद को संविधान संशोधन का पूर्णाधिकार है।, ऐसा भारत में ही नहीं है, 1883 से अमेरिका में संसद, राष्ट्रपति तथा न्यायपालिका के बीच - संसद की सर्वोच्च सत्ता की लड़ाई लड़ी जा रही है। चूंकि संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। हम नियुक्ति की दूसरी पद्धति अपना सकते हैं। हम अवसर आने पर इस पर चर्चा करेंगे। हम इस पर तदर्थ रूप से चर्चा नहीं कर सकते हैं। भारत के संविधान के बारे में आपके संदेह दूर करना संभव ही नहीं है। वर्तमान में, न्यायपालिका के प्रावधानों पर कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त उपबंध नहीं हैं।

मेरा उत्तर यह है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो कल्पना की थी उसमें उन्होंने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की कभी परिकल्पना भी नहीं की थी। न्यायधीश सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थे। संसद सदस्य के रूप में, मैं आशा करता हूं कि ऐसा समझा जाना चाहिए और कुल मिलाकर ऐसा हो रहा है।

कृपया मुझे क्षमा करें कि मैं किसी विशिष्ट मामले, कोलकाता के न्यायधीश के मामले पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं जिसका माननीय सदस्यगणों ने संदर्भ दिया है। पहले तो, मैं आपको बता दूं कि यह गलत धारणा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय से यह सिफारिश करेंगे कि आप अमुक व्यक्ति पर महाभियोग चलाए और मैं ऐसा कर दूंगा। यह संभव नहीं है। यह आपका विशेषाधिकार है; आज मुझे 100 हस्ताक्षर दें और मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा। आपको 100 लोक सभा तथा 50 राज्य सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए।

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): यह इसका तकनीकी पहलू है। भारत के मुख्य न्यायाधीश से सिफारिश अर्थात एक सुझाव भेजा जाना चाहिए।

श्री हंस राज भारद्वाज: कतिपय मुद्दे हैं जिन पर विचार किया जाना है; यह संविधान की व्याख्या करने का एक सूक्ष्म प्रश्न है। पहले मुझे अपने आपको आश्वस्त होना होगा, मैं आयु और अनुभव की दृष्टि से मुख्य न्यायधीश से वरिष्ठ हूं, मुझे अध्ययन करना होगा कि क्या महाभियोग का मामला बनता है। क्या मैं बिना पूरे मामले का अध्ययन किए किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकता हूं? मैं जानता हूं आप ऐसा करने का मुझे परामर्श नहीं देंगे। यहां एक से एक प्रतिभाशाली संसद सदस्य हैं। अन्यथा मुझे यहां आलोचकों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए, ऐसा नहीं है; मैं मामले का पूरा अध्ययन कर रहा हूं तथा मामले पर निर्णय को भविष्य पर छोड़ रहा हूं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): 'निर्णय न लेना ही' अपने आप में एक निर्णय है।

श्री हंस राज भारद्वाज: नहीं। इसके लिए समय नहीं है। आरोप तय करने के लिए मुझे 100 सांसदों को मनाना होगा। मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों का कोई महत्व नहीं है। यहां अध्यक्षपीठ निर्णय लेगी; पुन: सदस्यों की समिति का गठन करना होगा। 1968 का न्यायाधीश जांच विधेयक - इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। इस प्रणाली में कोई अन्य तरीका नहीं है जिससे आप न्यायधीश की जांच कर सकते हैं।

मेरा विश्वास है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, आपको संसद की मंजूरी से सभी दाण्डिक उपबंधों को सांविधिक समर्थन देना होगा। इसलिए मैं इसके ब्यौरे में नहीं जा रहा हूं। मैं किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं कर रहा हूं चूंकि इसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए, यह दो मामले अविलम्बनीय लोक महत्व के मुद्दे हैं।

हमें लोगों की बेहतर तरीके से सेवा करनी चाहिए; हमें उन्हे तेजी से न्याय देना चाहिए; हमें न्यायिक कर्मियों की संख्या को बढ़ाना चाहिए; और हमें अवसंरचना को बढ़ाना चाहिए। मुझे अत्यंत हर्ष है कि अब राज्य इस मामले

पर आगे आ रहे हैं; पहले राज्य इसकी अनदेखी करते थे। एक के बाद एक मुख्य न्यायाधीश अब यह कह रहे हैं कि वे राज्य सरकारों के रवैया से खुश हैं। यह एक संयुक्त उत्तरदायित्व है।

अगर समय से रिक्तियों के संबंध में संस्तुति की जाती है, मेरे पास ज्ञापन की एक प्रति है जिसमें प्रक्रिया दी गई है कि मुख्य न्यायाधीश छह माह पहले ही भर्ती की सिफारिश करेंगे। परंतु वे छह माह बाद भी सिफारिश नहीं करते हैं। मैं तब तक न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं कर सकता हूं जब तक मुख्य मंत्री तथा मुख्य न्यायाधीश से मेरे पास नाम नहीं भेजे जाते। आप जानते हैं कि आजकल सिफारिश प्राप्त करने में विलम्ब होता है। परन्तु मैं इस सम्मानित सभा को सूचित करना चाहता हूं कि पिछले चार वर्षों के दौरान, मैंने देश के उच्च न्यायालयों में 400 से ज्यादा न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। औसतन, एक वर्ष में 100 न्यायाधीश, जबकि पहले के वर्षों के दौरान विधि मंत्री द्वारा अधिकतम 60 नियुक्तियां की जाती थीं। इसलिए, इसमें 40 नियुक्तियों की वृद्धि हुई है। इसलिए, यदि न्यायिक आयोग आदि के माध्यम से प्रक्रिया को सरल बनाया जाता है तो मेरे विचार से तेजी हासिल की जा सकती है।

परंतु मैं फिर यही कहता हूं कि यह मामला सामयिक और बेहद जटिल है; यह संस्था इतनी संवेदनशील है कि यदि इसमें असमान्य मामले द्वारा कोई छेड़छाड़ या परिवर्तन किया जाएगा तो देश उसे स्वीकार नहीं करेगा। आप ऐसा कह सकते हैं। इसलिए हम हमेशा यही मानते है कि न्यायपालिका, राष्ट्र सेवा कर रही है और हमें इस बात से सहमत होना चाहिए।

मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि लोगों में इस प्रकार की आशंकाएं हैं कि उन्हें कुछ और ज्यादा दिया जा रहा है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन सरकार के सचिव के समकक्ष है। क्या आप नहीं चाहते कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को भारत के सचिव के समकक्ष रखा जाए?

श्री प्रसन्न आचार्य: हम उससे इंकार नहीं कर रहे हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: इस मुद्दे पर तो कोई विवाद है ही नहीं।

श्री हंस राज भारद्वाज: मैं केवल यह सूचित करने को यह कह रहा हूं कि कुछ लोगों ने कहा कि इसमें तीन गुणा वृद्धि हो रही है; इसमें कोई तीन गुणा वृद्धि नहीं हो रही है।

मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं कि हम सब इस बात पर सहमत है कि यहां पर ये संस्था बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रही है। भारत एक गौरवमयी लोकतंत्र है। मैं इस सभा के सामने यह कहना चाहता हूं कि हम जहां कहीं भी जाते हैं एक महान लोकतंत्र और राष्ट्र के रूप में हमारी सराहना की जाती है जहां न्यायपालिका एक बिल्कुल स्वतंत्र संस्था है। हमें इसका गर्व होना चाहिए। ये बात कोई मायने नहीं रखती कि यह पक्ष शासन करे या विपक्ष शासन करे। राष्ट्र सर्वोपरि है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, "यदि भारत मर जाए तो कौन जीना-चाहेगा और यदि भारत जीवित है तो कौन मरना चाहेगा"? संवैधानिक दर्शन के पीछे काम करने वाले दर्शनशास्त्री डा. अम्बेडकर थे। उन्होंने इससे जुड़ी संवेदनशीलताओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया था। वे खुद नहीं चाहते थे कि न्यायाधीशों को नियुक्त करने की पूरी शक्तियां राष्ट्रपति के पास हों। मुझे उनके उदात्त शब्द याद हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश दोनों उच्च पद हैं। हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। परंतु 1993 मामले पर किसने तर्क प्रस्तुत किए। वे सभी इस देश के उत्कृष्ट विधिवेता थे। उन्होंने यह कहकर तर्क प्रस्तुत किए कि राजनेताओं पर विश्वास न करो। आपके रिकार्ड केस में 1993 अधिवक्ता का मामला पढ़ सकते हैं। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ये प्रतिभाशाली विधिवेता संसदीय शक्तियों अथवा राष्ट्रपति की शक्ति के विरोध में किस प्रकार से तर्क दे रहे थे। शमशेर सिंह के केस से लेकर बाद तक कृष्णा अय्यर जी ने कहा था कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। मंत्रिमण्डल की सलाह के अतिरिक्त उनकी कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है। आज का दर्शन यही है। मैं चाहता हूं कि न्यायपालिका इसकी प्रशंसा करे और या तो किसी समीक्षा में या फिर आपके सहयोग से अपने संस्करण को सही बनाएं हम भी संवैधानिक संशोधन द्वारा ऐसा करेंगे।

अतएव, महोदय आपने मुझ पर जो कृपा की है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यदि कोई बात रह जाती है तो मुझे उसका उत्तर देने में खुशी होगी...*(व्यवधान)*

महोदय आपकी अनुमति से मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद मैंने यह सुनिश्चित किया कि उच्चतम न्यायालयों में महिला न्यायाधीश भी हो। दिल्ली उच्च न्यायालय में जहां एक महिला न्यायाधीश

[श्री हंस राज भारद्वाज]

हुआ करती थी वहां पर आज छः महिला न्यायाधीश हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय में कम से कम चार महिला न्यायाधीश तैनात की गयी है और इसी प्रकार से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के मामलों में भी प्रत्येक न्यायालय में प्रतिनिधित्व पूरा करने का प्रयास किया गया है। मैं ग्राम न्यायालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं को आरक्षण दे रहा हूं। आप जानते हैं कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में उपयुक्त प्रतिभा की खोज में मैंने एक एक करके कई राज्यों का दौरा किया है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, क्या आप संकल्प वापिस लेना चाहते हो?

श्री वरकला राधाकृष्णन: वापिस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे पूरा विश्वास है कि मौजूदा स्थिति अच्छी स्थिति नहीं है। वे कुछ भी कहें वर्तमान स्थिति न्यायपालिका के लिए अच्छी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप इसे वापिस लेना चाहते हो या नहीं?

श्री वरकला राधाकृष्णन: वापिस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 9 जनवरी, 2009 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2009 (2009 का संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि उच्च न्यायालय न्यायधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम 1954 तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 में संशोधनों पर विचार किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 से 13 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 13 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अपराह्न 4.00 बजे

नियम 80(i) का निलम्बन संबंधी प्रस्ताव

श्री हंस राज भारद्वाज: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2008 की सरकारी संशोधन संख्या 3 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2008 की सरकारी संशोधन संख्या 3 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 14 बकाया

संशोधन किया गया

पृष्ठ 5 पंक्ति 8 के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए:-

"अध्याय 4

संक्रमणकालीन उपबंध

14. इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उसके कुटुंब को या उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उसके कुटुंब को संदेय वेतन, पेंशन और कुटुंब पेंशन तथा इस अधिनियम से पूर्व, यथास्थिति, ऐसे न्यायाधीश या उसके कुटुंब को संदेय वेतन, पेंशन या कुटुंब पेंशन के बीच अंतर का दो किस्तों में संदाय किया जाएगा जिनमें से चालीस प्रतिशत की पहली किस्त का संदाय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान किया जाएगा और शेष साठ प्रतिशत का संदाय वित्तीय वर्ष 2009-10 में किया जाएगा। (3)

(श्री हंस राज भारद्वाज)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 14 विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(i) का निलम्बन संबंधी प्रस्ताव

श्री हंस राज भारद्वाज: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2008 की सरकारी संशोधन संख्या 4 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2008 की सरकारी संशोधन संख्या 4 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 15 निरसन और व्यावृत्ति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 5, पंक्ति 8 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए:-

15. (1) उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अध्यादेश, 2009 निरसित किया जाता है। 2009 का अध्यादेश।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 के अधीन की गई समझी जाएगी।" (4) 1954 का 28 1958 का 41

(श्री हंस राज भारद्वाज)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।

[उपाध्यक्ष महोदय]

खंड 1

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 6,-

"2008" के स्थान पर "2009" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

(श्री हंस राज भारद्वाज)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,-

"उनसठवें" के स्थान पर "साठवें" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्री हंस राज भारद्वाज)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।"

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री हंस राज भारद्वाज: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.04 बजे

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2009

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 31 को लेंगे। श्री एस. जयपाल रेड्डी सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है और अपराह्न 2.00 बजे का अर्थ है अपराह्न 2.00 बजे। लेकिन आपने विलम्ब किया है। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए।

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): महोदय, सर्वप्रथम मैं अपने गैर इरादतन विलम्ब के लिए माफी मांगता हूं। ऐसा भ्रम के कारण हुआ है। महोदय, क्या मैं अब अपनी बात शुरू कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: हां।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए 31 दिसंबर, 2009 तक की एक और अवधि के लिए विशेष उपबंध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, मैं सभा का ज्यादा समय नहीं लूंगा। गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में न्यायालय आदेशों, सीलिंग और तोड़फोड़ जैसी अनेक असाधारण घटनाएं हुई है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार और शहरी विकास मंत्रालय ने आवश्यकतानुसार जरूरी कदम उठाए हैं और मैं संसद का आभारी हूं जिसने मेरी प्रत्येक विधायी पहल को अपना पूर्ण समर्थन दिया है।

अपराह्न 4.06 बजे

[श्री बालासाहिब विखे पाटील *पीठासीन हुए*]

हमने स्थितियों का सामना करते हुए कभी भी लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास नहीं किया। इसके विपरीत हमने इसे एक ऐसे सृजनात्मक अवसर के रूप में देखा है जिसके माध्यम से दिल्ली का समुचित विकास हो सके। इन सभी बातों के परिणाम आप इस मुद्दे पर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा की गई पहलों के रूप में देख सकते हैं।

दिल्ली में कांग्रेस सरकार ने लगातार तीसरी बार चुनाव जीता है। मैं इन परिणामों को बहुत ही सम्मान और गर्व से देखता हूं। इस दौरान संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार और शहरी विकास मंत्रालय ने प्रभावित लोगों को सुरक्षा के साथ-साथ मास्टर प्लान दिल्ली, 2021 को भी स्वीकृति दी जिससे दिल्ली का समुचित विकास संभव हो सकेगा। इसके अतिरिक्त कतिपय प्रक्रियाओं को भी स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता है और वर्तमान विधेयक में विकास के लिए छह वर्गों को सुरक्षा प्रदान की गई है। ये निम्नलिखित हैं - प्रथम, मलिन बस्ती और झुग्गी-झोपड़ी; दूसरा अनुमेय भवन सीमाओं से अधिक निर्माण वाले फार्म हाउस; तीसरा; विद्यालय, औषधालय, धार्मिक संस्थाएं और सांस्कृतिक संस्थाएं; चौथा, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर निर्मित डेयरी और कुक्कुट पालन सहित कृषि निविष्टियों या उत्पादों के लिए प्रयुक्त भंडारगृह; भांडागार, गोदाम; पांचवां, ग्रामीण आबादी सहित अनधिकृत कालोनियों और उनका विस्तार और छठा, ग्रामीण आबादी के अतिरिक्त शहरी गांव और इनका विस्तार।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए 31 दिसंबर, 2009 तक की एक और अवधि के लिए विशेष उपबंध करने और संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): महोदय, श्री जयपाल रेड्डी जी हमारे मित्र हैं और इनके साथ हमारा बहुत पुराना साथ रहा है। इनके देर से आने पर मैं इसे इनकी मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की मजबूरी मानता हूं। महोदय, दिक्कत यह है कि कांग्रेस ने दिल्ली की जनता को टेकन फार ग्रान्टिड लिया हुआ है। सरकार कितनी गंभीर है, आप इस बात को इससे समझ सकते हैं कि विधेयक पेश करते वक्त भी सरकार गायब रही है, लेकिन चलिये ठीक है देर आये दुरुस्त आये। श्री जयपाल रेड्डी जी की बात से ही मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं कि मैं बिहार का हूं, लेकिन मेरी शिक्षा-दीक्षा दिल्ली में हुई है। टाइटलर साहब ने सही कहा है कि मेरी शादी भी दिल्ली में हुई है।

कई सालों से मुझे दिल्ली में रहने का अवसर मिला है। जितने सांसद हैं, अपने संसदीय क्षेत्र के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी शहर में उनका समय बीतता है, तो वह दिल्ली है। दिल्ली में जब अखबार पढ़ने का मौका मिलता है, तो दिल्ली के ऊपर संकट का बादल छाया रहता है और उसमें जो लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से तिनका-तिनका जोड़ कर घर बनाते हैं, उनके ऊपर तलवार लटकी रहती है कि उनका आशियाना कब उजड़ जाए। मकान बनाना आसान काम नहीं है। जो लोग नौकरीपेशा हैं, गरीब लोग हैं, उनकी पूरी जिंदगी की उम्मीद उनका मकान होता है। उनकी जिंदगी की कमाई बाल-बच्चे के बाद अगर कुछ होती है, तो वह उनका मकान है। दिल्लीवासियों के सिर पर पिछले तीन साल से भय और आतंक की तलवार लटकी हुई है। यह डर उनको लगा रहता है कि कब आदेश आएगा, कब बुलडोजर आएंगे और कब हमारे मकान को तोड़ डालेंगे। इस समस्या का हल निकालने के लिए, क्योंकि दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार है और सौभाग्य से कुछ दिनों के लिए केंद्र में भी इनकी सरकार है, मैं आपकी याददाश्त को ताजा करूंगा, चुनाव होने वाले हैं। फीलगुड फैक्टर में आप आने वाले हैं। देश की जनता नतीजा बताएगी कि किसकी सरकार होगी।...*(व्यवधान)* आज मैं भड़काने पर भी भड़कने वाला नहीं हूं। दिल्ली में केंद्र की सरकार है और मैं आपको बधाई देता हूं कि फिर से आप चुन कर आए हैं। जनतंत्र में जो चुन कर आता है, उसे सलाम करना चाहिए। लोकतंत्र में हम इस बात की कद्र करते हैं। दिल्ली में जब म्यूनिसिपल कारपोरेशन का चुनाव हुआ था, तब पूरी तरह से दिल्ली की जनता ने आपको दो तिहाई बहुमत से हराने का काम किया था। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, लेकिन नगर निगम के चुनाव आप बुरी तरह से हारे थे, वह आपको याद नहीं है। पहले लोक सभा का चुनाव हुआ और आप जीत गए। नगर निगम का चुनाव हुआ हम जीते। फिर दिल्ली राज्य का चुनाव हुआ और आप जीते और अब दिल्ली में लोक सभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी तथा एन.डी.ए. की बारी है। इस बार हम जीतेंगे। जिस तरह से एम.सी.डी. की जीत पर हम गुमान में रह गए, दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी ही, लेकिन आपने मेहनत की और आप चुनाव जीत गए। इसलिए राजनीति में स्पोर्ट्समैन स्प्रिट होनी चाहिए, आप बढ़िया दौड़े, आप जीते। आप एम.सी.डी. का चुनाव कैसे हारे, इसका आकलन करना चाहिए। हम आपके मित्र हैं, इसलिए विपक्ष में होने के नाते आप हमारे मित्र हैं और अच्छी सलाह देना हमारा अधिकार

[श्री सैयद शाहनवाज हुसैन]

भी है। लोकतन्त्र में आपको जगाते रहने का हमें अधिकार है। जब आप इधर थे और हम उधर थे, तब आप हमें सुझाव देते रहते थे, हम उस पर कभी नाराज नहीं होते थे। आप सुझाव नहीं देंगे तो कौन देगा क्योंकि आप लोकतन्त्र में चुनकर आए हैं। एम.सी.डी. के चुनाव हारने पर आपने चिन्तन किया होगा। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता था, लेकिन जयपाल रेड्डी जी ने दिल्ली की जीत के बारे में अपने भाषण में जिस प्रकार से जश्न मनाया, उस पर मुझे आपको एम.सी.डी. की करारी हार की याद दिलानी पड़ी।

महोदय, दिल्ली में गांव भी हैं। वहां रहने वाले भी दिल्ली वाले कहलाते हैं। दिल्ली में ज्यादातर लोग बाहरी हैं या बिहारी हैं। बाहरी और बिहारी दो लोग यहां ज्यादा रहते हैं। मुझे पता है कि बिहार का नाम लेते ही कांग्रेस के लोग कुछ न कुछ बोलेंगे, क्योंकि आपने बिहार के बारे में बहुत बयान दिए, फिर भी आप जीत गए।...*(व्यवधान)*

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोलबाग): बुलडोजर चल रहे थे, उसे आप भूल गए।...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: आप तो चेयर पर भी बैठती हैं, इसलिए हम आपके सवाल का जवाब देना नहीं चाहते हैं। दिल्ली में पूरे देश के लोग आकर रहते हैं, क्योंकि यह राजधानी है। देश की आर्थिक राजधानी दिल्ली, मुंबई, हमारे गीते साहब यहां बैठे हैं, हम लोग भी मुंबई में जाते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी): हम आपका स्वागत करते हैं।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: दिल्ली देश की राजनीतिक राजधानी है और जब यह राजधानी बनी तो पूरे देश को ध्यान में रख कर इसका निर्माण हुआ था। यहां बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं। दिल्ली में जो प्लानिंग होती है, अगर आप दो साल की प्लानिंग करेंगे तो हमें पता है कि यहां इतने लोग आ जाते हैं कि वह प्लानिंग पूरी तरह फेल हो जाती है। दिल्ली में सीवर, बिजली, मकान आदि सब चीजों की जरूरत है। बड़ी तादाद में गरीब लोग, खासकर हमारे बिहार से पिछले 15-20 सालों में बहुत बड़ी तादाद में लोग यहां आए। रोजगार की तलाश में भी बहुत से लोग आए। लोग झुग्गी-झोंपड़ी में रहे और आपने उन्हें 20-25 गज का प्लाट दिया। पहले सरकार ने एनाउंस किया था कि हम एक लाख से ज्यादा मकान बनाएंगे, लेकिन जो मुझे सूचना है, मंत्री जी उसे बाद में करेक्ट कर सकते हैं, उसमें आप पांच हजार से ज्यादा मकान बना कर लोगों को नहीं दे रहे। दिल्ली की जो समस्या मुंह-बाएं खड़ी है, उसका आप निदान नहीं कर रहे। दिल्ली के अंदर जो 1632 अनआथोराइज्ड कालोनियां हैं, उन्हें आपने चुनाव से पहले तो राहत दे दी, लेकिन वहां राहत दिखाई नहीं दे रही।

महोदय, दिल्ली के अंदर जो 120 शहरी गांव हैं, जिनके ऊपर व्यापार पर सीलिंग के वक्त में रोक हो गई थी, उन पर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप सिर्फ चुनाव से पहले एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, फिर अनआथोराइज्ड कालोनियों को आथोराइज कर दिया, उसका सर्टिफिकेट दे दिया। आप कागज के टुकड़े पकड़ा कर लोगों को यह बता रहे हैं कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन आज भी दिल्ली के गांवों में काम नहीं हुआ है। आज दिल्ली की अनआथोराइज्ड कालोनियों में काम नहीं हुआ है। आज भी दिल्ली के अंदर जो गरीब लोग हैं, उन्हें झुग्गी-झोंपड़ी मुहैया नहीं हुई है।

महोदय, मेरा आपके जरिए मंत्री जी से अनुरोध है कि अगर आप दरियादिली दिखा ही रहे हैं तो कंजूस क्यों बनते हैं। आप क्यों हर चुनाव से पहले उन्हें थोड़े दिन की रिलीफ देते हैं। अभी आप दस महीने का उन्हें रिलीफ देने की तैयारी करके आए हैं। अगर आपके हृदय में दिल्ली वालों के लिए इतनी जगह है तो आप एक बार दिल्ली वालों को, अगर अनआथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुआ हो तो सरकार संसद में आए, भारतीय जनता पार्टी इस बात का वचन देती है कि हम पूरे एन.डी.ए. की तरफ से आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं, आप आम माफी दें। आप आम माफी नहीं दे रहे हैं। श्री जयपाल रेड्डी साहब ने कहा कि हम संसद में आए और संसद ने हमारी मदद की। उनके ऊपर आपने जो सीलिंग और बुलडोजर की तलवार लटका रखी है, यह तलवार आप उनके सिर से कब हटाएंगे, यह हम आपसे पूछना चाहते हैं?

महोदय, हम आपके जरिए यह भी कहना चाहते हैं कि जो मल्होत्रा कमेटी की सिफारिश थी, जिसमें दिल्ली में फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर तथा सैकिंड फ्लोर के बाद कोई फ्लोर नहीं बना सकता। उस कमेटी की सिफारिश के बाद एक फ्लोर और बढ़ाने के लिए आपने एक बार ऐलान किया था, लेकिन शायद कोर्ट में उसमें दिक्कत आई। क्या

आप मल्होत्रा कमेटी की सिफारिश पर विचार करेंगे? जिस तरह की स्थिति बनी है, आज जो अनआथोराइज्ड कालोनियां हैं, सीलिंग में वे सब स्थान आ रहे हैं - चाहे स्कूल हों या धार्मिक स्थल हो। हर जगह लोग चिन्तित हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस पर कोई सियासत करना नहीं चाहता, मैं दिल्ली के लोगों का दर्द रखने आया हूं। हमारे दिल्ली के एक सांसद हैं, वे अब विपक्ष के नेता हैं। बिहार की अच्छी-खासी आबादी दिल्ली में रहती है।...*(व्यवधान)*

सभापति जी, मैं आपसे दिल्ली के बारे में अनुरोध करना चाहता हूं। श्री अजय माकन जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। उनकी हमारी 15-20 साल पुरानी दोस्ती है। उन्हें सामने देखकर मैं ज्यादा कठोर भाषा में बोलना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन, दिल्ली की जो समस्या है, उसे आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मैं दिल्ली के लोगों का दर्द आपके सामने रख रहा हूं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों के ऊपर सीलिंग और बुलडोजर की जो तलवार लटक रही है, उसे हटाने का काम आप करें और अपनी जिम्मेदारी से आप भागिए मत।

महोदय, आजकल दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं का एक अलग फैशन है। कुछ भी होता है, तो वे उसकी जिम्मेदारी एम.सी.डी. को दे देते हैं और कह देते हैं कि यह काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रही है। हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आप अगर इस बिल में अभी कोई अमेंडमेंट लाना चाहें, आप दिल्ली के लोगों को अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन पर एक बार आम माफी देकर, तोड़-फोड़ और सीलिंग के मुद्दे से सदा के लिए निजात दिलाना चाहते हैं, तो तत्काल इस दिशा में काम करें और इस बात की घोषणा करें कि दिल्ली में जिन लोगों ने अनधिकृत निर्माण कर लिया है, उन्हें एक बार आम माफी दे दी जाए। दिल्ली में गांवों के अंदर जो लोग रहते हैं, जिनकी जमीनों पर पूरी दिल्ली बसी हुई है, उन किसानों की जमीन डी.डी.ए. ने 5 रुपए गज में ले ली और अब आप उसे 5 लाख रुपए गज में बेच रहे हैं। आप द्वारिका में देख लीजिए, साउथ दिल्ली में देख लीजिए और सरिता विहार से आगे जाकर देख लीजिए। किसान से उस समय आपने कौड़ियों के भाव जमीन ले ली और आज आप उसी जमीन को अखबार में विज्ञापन देकर आसमान छूते दामों पर डी.डी.ए. के माध्यम से बेच रहे हैं। उसमें बाकायदा प्लॉट नंबर दिया जाता है कि इतना प्लॉट नंबर और 5 लाख रुपए गज बेच रहे हैं। जिस किसान से आपने 100 रुपए गज जमीन ली और उसी जमीन को आप 5 लाख रुपए गज बेच रहे हैं। सोचिए आप उस किसान के दिल पर क्या बीत रही होगी। आप सरकार हैं, आप कोई कॉरपोरेट नहीं हैं जो बिजनैस करें। आपको यह चाहिए कि अगर आप किसी की जमीन पर कोई फायदा कमा रहे हैं, तो उसका कुछ हिस्सा उस गरीब किसान को भी पहुंचाने की व्यवस्था करें, जिसकी जमीन ली गई है। इस प्रकार का इंतजाम आपको करना चाहिए।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि दिल्ली में जो बाहर के लोग आते हैं। दिल्ली में रोजगार की तलाश में जो लोग आते हैं, उन पर किसी को ऐतराज करने की जरूरत नहीं है। जब तक इस देश में आप लोगों को बराबरी नहीं देंगे, जब तक आप रोजी-रोटी कमाने का हक बराबर नहीं देंगे, जब तक लोगों को नौकरी और रोजगार नहीं देंगे, जब तक आप फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रीज एक ही खास राज्य में बनाते रहेंगे, तब तक लोग यहां आते रहेंगे। इस देश में लोकतंत्र में इतनी ताकत है कि उसकी हिम्मत पर लोग आपके शहर में आएंगे। इसमें कोई परमिट सिस्टम नहीं हो सकता। हम यह चाहते हैं कि लोग अपने राज्य में रहें। बिहार में हमारी सरकार है। बड़ी-बड़ी रोड्स बनाने का काम हो रहा है। पूरे साउथ से और महाराष्ट्र से कई कंपनियां वहां इन निर्माण कार्यों में लगी हुई हैं। वे वहां सड़क बना रही हैं। बिहार के लोग उनका दिल से स्वागत कर रहे हैं। हिन्दुस्तान में जिस दिन रोजगार के साधनों में बराबरी हो जाएगी, जिस दिन इन्फ्रास्ट्रक्चर की फेसिलिटी सब शहरों में बराबर दे देंगे, उस दिन आपके शहर में लोगों का आना बन्द हो जाएगा। यदि आप एक शहर में मैट्रो का जाल बिछा देंगे और बगल के शहर में टूटी बस भी नहीं मिलेगी, तो जहां अच्छा साधन होगा, लोग वहां पहुंचेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको चाहिए कि पूरे देश के अंदर इस प्रकार की स्थिति बनाएं और दिल्ली जैसे विचित्र शहर, देश के सभी बड़े-बड़े शहर बनें।

महोदय, जिन लोगों के बारे में सरकार ने घोषणा की है कि आप गरीबों को 24 मंजिले मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में एक-एक कमरे की सुविधा प्रदान करेंगे, इस बारे में मेरा निवेदन है कि आपने जिन्हें 25 गज का प्लॉट दिया है, क्या आप उनसे वह अधिकार छीनने वाले हैं और यदि वह 25 गज के प्लॉट में कहीं पर, ऊपरी मंजिल पर, एक कमरा बना लेता है, तो उस पर भी आप ऑब्जैक्शन लगाते

[श्री सैयद शाहनवाज हुसैन]

हैं। आज वे पति-पत्नी हैं, अगर बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके रहने के लिए वह ऊपर एक रूम बना लेता है और अपनी जिंदगी बसर करता है, तो उससे यह अधिकार आपको नहीं छीनना चाहिए। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएं, लेकिन उसमें भी उन्हें कुछ सुविधा बढ़ाएं। एक रूम की जगह, 25 गज के प्लॉट में जितनी सुविधा होती है, उतनी सुविधा तो आपको देनी चाहिए और 25 गज प्लॉट में अगर वह एक रूम ऊपर बना लेता है, तो उस पर आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब आप उन्हें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दें, तो उन्हें यह ऑप्शन होनी चाहिए कि 25 गज के प्लॉट के बराबर उन्हें सुविधा मिले। 25 गज का प्लॉट देना क्या कोई ब्रह्म वाक्य है कि इससे ज्यादा गज का प्लॉट नहीं दिया जा सकता है। क्यों केवल 25 गज का प्लॉट ही मिलेगा? अगर आपके पास जगह है, तो उसे इतनी जगह देनी चाहिए, जिससे आम आदमी अच्छी तरह से अपना जीवन बसर करे। इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। मेरा फिर से अनुरोध है कि सीलिंग में सालभर की छूट देकर दिल्ली की जनता को ललचाइए मत, लटकाइए मत। आप उन्हें आम माफी दीजिए और उनके सिर से सीलिंग की तलवार हटाइए। यही मेरा अनुरोध है।

श्री सज्जन कुमार (बाहरी दिल्ली): सभापति जी, आज जो बिल दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (स्पेशल) विधेयक, 2009 माननीय श्री जयपाल रेड्डी जी लेकर आये हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मुझे खुशी है कि दिल्ली की जरूरतों को देखते हुए और दिल्ली के लोगों की तकलीफ को समझते हुए केन्द्र सरकार ने फिर एक बार पहल की है कि दिल्ली के लाखों लोगों को रिलीफ देने का काम करे। आज भी जब हम याद करते हैं, दो साल पहले के उन सारे हालात, जो दिल्ली में हुए थे, जब सीलिंग का और डैमोलीशन का कहर दिल्ली पर बरस रहा था, आज भी शायद हम लोग जब उसे महसूस भी करते हैं तो शरीर कांपने लगता है। लेकिन मैं केन्द्र सरकार का इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसका रास्ता निकालने के लिए 2021 का नया मास्टर प्लान लेकर आये, जिससे दिल्ली के लोगों को राहत मिली।

मेरे दोस्त शाहनवाज जी जिक्र कर रहे थे कि देर से आये, दुरुस्त आये, यदि उन्होंने उस वक्त, जब ये सरकार में मंत्री थे और एन.डी.ए. की सरकार को उस वक्त इन्होंने यह सुझाव दिया होता तो शायद दिल्ली में आज जो भाजपा का हश्र हुआ है, वह नहीं होता। 2021 का नया मास्टर प्लान 10 वर्ष पूर्व आना चाहिए था। पांच वर्ष तक, 6 वर्ष तक, सात वर्ष तक इनकी सरकार यहां लगातार रही, लेकिन इन्होंने दिल्ली वालों की चिन्ता नहीं की, किसी नये मास्टर प्लान पर चर्चा शुरू नहीं की गई। यही कारण रहा कि 2021 का नया मास्टर प्लान न आने की वजह से दिल्ली को दुख भरी कहानी सहनी पड़ी। अदालतों का आदेश, अदालतों के समक्ष उस वक्त जो नया मास्टर प्लान नहीं आया था, उसकी वजह से लगातार कई ऑर्डर पास हुए, जिसमें हजारों लोगों के मकान गिराये गये, सीलिंग की गई और उसी दुख को समझते हुए 2021 का नया मास्टर प्लान बहुत तेजी के साथ आदरणीय जयपाल रेड्डी जी ने, अजय माकन जी ने, दोनों ने मिलकर और अधिकारियों ने मिलकर डॉ. मनमोहन सिंह जी के दिशा-निर्देश पर इस नये मास्टर प्लान को लेकर आये और दिल्ली को व्यापक तौर पर रिलीफ दी गई।

शाहनवाज साहब किसानों का जिक्र कर रहे थे। उनको किसानों का दर्द यदि महसूस होता तो अपनी सरकार के समय में किसानों की बात सोचते, उनकी जमीनों का उचित मूल्य मिले, उस पर वे कुछ करते, लेकिन दुर्भाग्य से वे नहीं कर पाये। हमारी सरकार ने दिल्ली के अन्दर जो उस वक्त 13 लाख रुपये प्रति एकड़ जमीन का मुआवजा मिला करता था, उसे बढ़ाकर 75 लाख रुपये प्रति एकड़ किया गया और इतना ही नहीं, बल्कि आज नई जो कालोनियां डैवेलप की जा रही हैं, उसमें प्राइवेट बिल्डर्स को प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर कालोनियां विकसित करने का काम, जो भी प्राइवेट बिल्डर करना चाहता है, उसकी भी उसमें व्यवस्था की गई। उस वजह से वह जमीन, जो 13 लाख, 15 लाख और 12 लाख रुपये प्रति एकड़ उस वक्त बिका करती थी, उसका आज हम 75 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दे रहे हैं।

आज दो-दो, तीन-तीन करोड़ रुपए प्रति एकड़ जमीन किसानों की बिकी है। मैं समझता हूं कि किसानों के लिए जब यह शहर इतनी तेजी के साथ बसता जा रहा है, तेजी के साथ शहर का विकास हो रहा है, किसान की यदि किसी ने चिंता की तो हमारी यू.पी.ए. की सरकार ने की, कांग्रेस की सरकार ने की और उसी वजह से दिल्ली के चुनावों में ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं ने, किसानों ने, मजदूरों ने, वहां के दलितों ने, सभी वर्ग के लोगों ने आज फिर

एक बार कांग्रेस की सरकार को तीसरी बार चुनकर दिल्ली में भेजा। झुग्गी-झोपड़ी वालों की बात कही गयी, पच्चीस वर्ग गज के प्लाट की बात कही गयी।

शाहनवाज साहब, आप हमारे दोस्त हैं, पुरानी दिल्ली से ताल्लुकात रखने वाले लोग हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब देश की प्रधानमंत्री थीं, तो आठ लाख लोगों को हमने 25-25 गज के प्लाट्स देकर दिल्ली में बसाया था। फिर आपकी सरकार आयी, आपकी सरकार की वह कारगुजारियां आज तक दिल्ली के लोग नहीं भूले। हजारों झोपड़ियों को तोड़ दिया गया और किसी एक आदमी को भी पच्चीस गज का प्लाट नहीं दिया गया। आप बिहार के नेता हैं, हम तो आपको दिल्ली में भी तसलीम करते हैं। आप बिहार की बात करते हैं। जरा याद करिए, जब आपकी दिल्ली में सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार थी, दिल्ली में हजारों फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया था, लाखों मजदूर जो बिहार और उत्तर प्रदेश से काम करने के लिए दिल्ली आते थे, आज जो दिल्ली में हैं, हमने हमेशा उनका स्वागत किया है। उनको जो सुविधाएं दे सकते हैं, हमने उन्हें दी हैं। फैक्ट्रियों को बंद करने के नाम पर हजारों मजदूर उस वक्त बेकार हुए और वे ट्रेन में बैठकर वापस बिहार चले गए, यह रिकार्ड की बात है। इसीलिए, इसी कारण से आज जो बिहार के लोग यहां दिल्ली में रहते हैं, वे हमारे साथ हैं। उन्होंने हमारा साथ दिया और उनके साथ की वजह से ही आज हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम दिल्ली में तीसरी बार सरकार बना सके। इसलिए आपको कोई हक नहीं है कि आप बिहार के लोगों की बात दिल्ली में उठायें, दिल्ली में उनकी बात करें। बिहार वालों की बात करनी थी, तो आप उस वक्त मंत्री थे जब दिल्ली में बिहार के लोगों को दिल्ली से बाहर भेजा जा रहा था। झोपड़ियों में अधिकतर लोग बिहार के रहते थे, उत्तर प्रदेश के रहते थे, अन्य प्रांतों के लोग रह रहे थे, जब झोपड़ियां तोड़ी जा रही थीं। शाहनवाज साहब, यदि आप पार्लियामेंट में खड़े होकर इस सवाल को उठाते तो मैं बाहर ही था, लेकिन बाहर से भी आपका स्वागत करता। उस वक्त आप बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आप कह रहे हैं नगर निगम के चुनाव की बात...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: यह रिकार्ड में नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री सज्जन कुमार: यह रिकार्ड की बात है, जो मैं कह रहा हूं, इतिहास को निकालकर पढ़ लीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: वर्तमान है, इतिहास में कहां चले गए?...*(व्यवधान)*

श्री सज्जन कुमार: हमने दिल्ली के लोगों के लिए काम किया, इसलिए दिल्ली के लोगों ने हमें अपनाया। दिल्ली नगर निगम का चुनाव हम हारे। लोकतंत्र में चुनाव हारना और जीतना लगा रहता है। लेकिन किस कारण से हम चुनाव हारे? अदालतों के आदेश, लगातार डिमोलीशन, लगातार सीलिंग हो रही थी और उसका प्रचार आपके दल के लोगों ने यह किया कि यह सब कांग्रेस पार्टी करा रही है। उसमें लोग बह गए और हम चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद जब लोगों को सही स्थिति पता लगी कि वर्ष 2021 के नए मास्टर प्लान में अजय माकन जी ने और जयपाल रेड्डी जी ने क्या दिल्ली के लोगों को दिया है, किस तरह से दिल्ली के लोगों को राहत मिली है। जो चुनाव हम जीते हैं, उसका एक बड़ा कारण वर्ष 2021 का नया मास्टर प्लान है, जिसकी वजह से हम चुनाव जीतकर आए हैं।

आदरणीय विजय कुमार मल्होत्रा जी इस हाउस के मेंबर थे, आपने उनके नाम का जिक्र किया, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूं। वह मेरे साथी हैं, हमारे साथ वह संसद में थे। क्या हुआ, दिल्ली के चुनाव में गए थे, चौबे जी और छब्बे जी की बात तो शाहनवाज जी सुनी होगी, वह चौबे जी से छब्बे जी बनने गए थे और दुबे जी बन गए। लोक सभा के सदस्य भी नहीं रहे, जाकर विधान सभा में बैठे हैं। दिल्ली के लोगों ने स्वीकार नहीं किया।...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: हर सदन महत्वपूर्ण होता है।...*(व्यवधान)*

श्री सज्जन कुमार: सभी सदनों का सम्मान और इज्जत होती है। चौबे जी की भी इज्जत है, दूबे जी की भी इज्जत है और जो छब्बे जी बनता है, उसकी भी इज्जत है। मैं इज्जत और सम्मान में कोई कमी नहीं कह रहा हूं, लेकिन आने वाले लोक सभा के चुनाव में दूबे जी का क्या होगा, वह पता लगेगा।

आपने अनधिकृत कालोनियों का जिक्र किया कि हमने अनधिकृत कालोनियों को प्रोवीजनल सर्टीफिकेट दिए। आपकी सरकार थी। हम रोज झंडा उठाकर आते थे, लोगों को याद दिलाते थे, आपकी पार्टी के लोग भी आपकी सरकार के समक्ष कहते थे कि अनधिकृत कालोनियों को पास कर दें, सड़क नाली बना दें, लेकिन आपकी सरकार नहीं कर

[श्री सज्जन कुमार]

पाई। मैं यू.पी.ए. की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके दिशा-निर्देश से 1600 से अधिक कालोनियों को पास करने का फैसला किया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में 612 कालोनियों को पास किया गया था। मैं 1980 में भी हाउस का मैम्बर बना था और मुझे उनके चरणों में बैठकर अनधिकृत कालोनियों पर काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। लेकिन उसके बाद लगातार इतने वर्षों के अंदर अब फिर वही हुआ है और आप कहते हैं कि वहां कुछ हुआ ही नहीं है। शाहनवाज साहब, आप उत्तम नगर गए नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: आप बुलाते नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सज्जन कुमार: मैं तो बुलाऊं, लेकिन आप आते नहीं हैं। आप डरते हैं कि कहीं बी.जे.पी. वाले यह समझें कि सज्जन कुमार की दावत में जा रहा है तो कल कहीं आपको दिक्कत हो जाए। जरा अनऑथोराइज्ड कालोनियों को देखें। उत्तम नगर से नजफगढ़ जाने वाली मेन सड़क टूटी हुई है, लेकिन जब आप उत्तम नगर की अनऑथोराइज्ड कालोनी में जाएंगे, वहां आर एंड सी की सड़कें, सीमेंट, कंक्रीट की मिक्स अप करके बनाई हुई सड़कें हैं। उसके विकास के लिए 2800 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इतनी तेजी के साथ खूबसूरत सड़कें और नालियां बनाई गई हैं कि अगर आप और हम देखेंगे तो प्रसन्न होंगे। सिर्फ सड़कें और नालियां ही नहीं बनाई गई हैं, दूसरे चरण के अंदर पीने के पानी की लाइनें डाली गई हैं और तीसरे चरण में जनकपुरी और द्वारका में लोगों को सीवर्स की सुविधाओं का काम भी शुरू कर दिया गया है। उन्हें पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, सड़कें, नालियां दे रहे हैं, सीवर की सुविधाएं दे रहे हैं। आप जानते हैं कि आज वहां मकान की कीमत क्या है? सभापति जी, जो मकान एक लाख रुपये का हुआ करता था, आज उसकी कीमत 20 लाख रुपये हो गई है। सारी अनाधिकृत कालोनियों में रहने वाले, वे चाहे किसी भी प्रांत के रहने वाले थे, हमने उन सबको लखपति बना दिया है और अगली बार हमारी सरकार आएगी तो शाहनवाज साहब, उन्हें करोड़पति बनाएंगे। यह बिल वही है जिससे हम उन्हें राहत दिला रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: आपने महंगा कर दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री सज्जन कुमार: महंगा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम उन्हें बेचें, लेकिन हम बता रहे हैं कि हमने उन कालोनियों की प्रतिष्ठा किस तरह बढ़ाई है।...*(व्यवधान)* सभापति जी, मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। गांव की जमीनें लगातार बिकती जा रही हैं, शहर बसते जा रहे हैं। 2021 के नए मास्टर प्लान में कहा गया है कि सन् 2021 के बाद कोई गांव नहीं रहेगा, सब शहर हो जाएंगे। गांव विकसित होंगे, गांवों के अंदर सुविधाएं, गांवों के साथ-साथ शहरीकृत गांव, मैं आदरणीय जयपाल रेड्डी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, भाई अजय माकन जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि डा. मनमोहन सिंह जी के दिशा-निर्देश पर आज वे ऐसा बिल लेकर आए हैं। पिछली बार अर्बनाइज्ड विलेज रह गए थे। शहरीकृत गांवों को इनक्लूड नहीं किया गया था। उसका असर क्या हुआ? दिल्ली नगर निगम का सबसे ज्यादा डंडा शहरीकृत गांवों पर बजा है। मकान तोड़े गए, सील किए गए और हमें दिखा देते थे, हम कहते थे कि यह गांव का है, वे कहते थे कि नहीं, इसमें गांव लिखा है, शहरीकृत गांव नहीं लिखा है। अबकी बार हमने वह भी कर दिया है कि शहरीकृत गांव उसमें इनक्लूड कर दिए गए हैं। गांवों के लोगों को सुविधाएं दी हैं और गांवों के लोगों के साथ-साथ फेरी लगाने वाला आदमी, जो पटरी पर बैठकर काम करता है, दिल्ली नगर निगम क्या कर रहा है, हमने 2021 के नए मास्टर प्लान में कहा था कि तमाम रेहड़ी और पटरी वालों को तहबाजारी लगाकर हम उन्हें स्टॉल देंगे। यह काम दिल्ली नगर-निगम को सौंपा गया जिसके तहत लाखों आदमियों को बसाना था। कुल 500 आदमियों को दिल्ली नगर-निगम ने पौने दो साल के अंदर बसाया है, लेकिन अगर हम यह बिल आज न लायें, तो पटरी, रेहड़ी और फेरी पर काम करने वाले लोगों के सिर पर जो तलवार मंडरा रही थी, उसे बचाने का काम यह बिल कर रहा है। इसलिए मैं इस बिल का स्वागत कर रहा हूं। झुग्गी-झोंपड़ी वालों को मकान देने की बात, आप एक लाख मकान की बात कह रहे हैं, शाहनवाज साहब एक लाख मकान की बात नहीं है, हमारे प्रधान मंत्री जी का यह आदेश है कि एक लाख नहीं, यदि दिल्ली में चार लाख भी मकान बनाये जायेंगे, तो हम झोंपड़ी वालों को मकान देंगे। उसकी शुरुआत कर दी गयी है और उस जमीन पर की गयी है जहां जमीन के दाम एक लाख रुपये गज है। हम वहां पर फ्लैट बना रहे हैं। हम फ्लैट बनाने का काम यह नहीं कर रहे कि जाकर हरियाणा के बॉर्डर पर बना दें। अजय माकन जी कालका जी के उस झुग्गी-झोंपड़ी कैम्प में जा रहे हैं जहां वी.पी. सिंह साहब, जो आज इस दुनिया में

नहीं हैं, गये थे। उनके चरण वहां उस समय पड़े थे, जब वहां बुलडोजर घूम रहा था। आज उन झुग्गी-झोंपड़ी वालों के लिए मकान बनाने का काम हम इस रविवार से शुरू कर रहे हैं, दिल्ली की पॉश कालोनी के अंदर कर रहे हैं। दिल्ली में जहां झुग्गी-झोंपड़ी कैम्प है, वहीं पर मकान बनाने का काम हमने शुरू किया है, इसीलिए आज दिल्ली के लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और खास तौर से जयपाल रेड्डी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वे किसानों की तकलीफ को समझते हैं। वे दिल्ली से नहीं हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली के लोगों की तकलीफ के लिए रात-रात जागे हैं। मैं अजय माकन जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो दिल्ली से सांसद हैं और दिल्ली की तकलीफ को उन्होंने समझा है, गली-मोहल्ले में जाकर समझा है और उसे पूरा किया है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: 60 साल में आम नागरिकों के लिए कितने मकान बने, यह आपने नहीं बताया।...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (मधेपुरा): सभापति महोदय, मैं जयपाल रेड्डी साहब के द्वारा लाये गये नैशनल कैपिटल टेरिटरी बिल के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। दिल्ली देश की राजधानी है और यहां पूरे देश में रहने वाले हर आदमी की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सभी तरह की जरूरतें पूरी होती हैं। देश के लोगों का योगदान भी कहीं न कहीं इस दिल्ली के साथ रहता है। हम सिर्फ दिल्ली पर केन्द्र बिन्दु नहीं होना चाहते। निश्चित रूप से सज्जन कुमार जी बहुत जुझारू साथी हैं। मैं जगदीश टाइटलर जी को तब से जानता हूं, जब मैं कालेज में पढ़ता था। खासतौर पर जिस दिल्ली को केन्द्र बिन्दु बनाकर यह बिल लाया गया है, उसमें हमारे मित्र शाहनवाज जी ने कई तरफ की बातें कहीं हैं। उनका जवाब हमारे मित्र सज्जन कुमार जी ने दे दिया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जो बात सामने आयी है, जिसे शाहनवाज जी ने कहा कि यह जो हाहाकार मचा, जो तलवारें लटकीं, यह कोई वर्तमान सरकार के कारण नहीं हुआ। बीस सालों में कई सरकारें बनीं। केन्द्र में भी सात साल एन.डी.ए. की सरकार बनी। हम भी आपके साथ थे। आज सोनिया जी के नेतृत्व में यू.पी.ए. की सरकार है, जिसमें 90 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जो सिर्फ गरीबों, झोंपड़ी, रेहड़ी, फेरी और गांव में रहने वाले लोगों के दर्द को समझकर इस सदन में आये हैं और उन्हीं लोगों का यह यू.पी.ए. का गठबंधन है। यह गठबंधन कोई दो या दस प्रतिशत कैपिटलिस्टों का गठबंधन नहीं है। एन.डी.ए. का गठबंधन कैपिटलिस्टों का हो सकता है लेकिन यू.पी.ए. गठबंधन सिर्फ झुग्गी-झोंपड़ी, गांव में रहने वाले लोगों के लिए बना। उनको मुख्य धारा में लाने का काम निश्चित रूप से यू.पी.ए. ने किया है। बी.जे.पी. के पास एक प्रचार सामग्री है - आर.एस.एस.। वह सच को झूठ इस कदर बना देता है कि सच ही गायब हो जाए। एक बार इन लोगों ने ऐसा दूध पिलाया कि हाथ से दूध चू रहा है और कह दिया कि गणेश जी पी गए। दिल्ली में जो घटना घटी, दिल्ली में बड़ी-बड़ी अनधिकृत कालोनियां बन गयीं, क्या ये केवल पांच या दस साल में बन गयीं? निश्चित रूप से पहले से खामियां थीं। इसके लिए दोषी कौन लोग थे? कोई नेता तो इसमें सम्मिलित नहीं था, किसी जनप्रतिनिधि ने तो अपना घर नहीं बना लिया है। इसके लिए दोषी कौन था? किसको केन्द्र बिन्दु बनाना पड़ेगा। जिन लोगों ने दिल्ली के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को आज इस कदर बर्बाद कर दिया है, इसके केन्द्र बिन्दु में नौकरशाह हो सकते हैं। इसके लिए गुनाहगार वह नहीं है जिसने अपना सब कुछ बेचकर घर बना लिया। इसके लिए गुनाहगार वह नहीं जिसने अपनी सारी कमाई, सारी पूंजी दो-तीन कमरे का घर बनाकर अपना परिवार रखने के लिए लगा दी। जो दोषी है ही नहीं, उसे किस कानून के तहत दंडित किया जाएगा? उन्हें खाने के लिए मिल रहा था, चाहे वह जिस हालत में उन्हें मिल रहा हो, चाहे सरल रूप से मिल रहा हो या दुर्लभ रूप से उसे मकान बनाने की व्यवस्था दी गयी हो, यह दोष उनका तो नहीं है। जब मिल रहा था तो उन्होंने लिया। उन्होंने कोई चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं डाला। शाहनवाज जी, आप सात साल यहां थे, आज आप जिस कानून और माफीनामे की बात कर रहे हैं, वह काम आप पहले करते तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता, आज यहां पर आपको नहीं बोलना पड़ता। निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूं कि सोनिया गांधी जी का इस देश में कितना बड़ा योगदान है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से गरीबों की पीड़ा और दर्द को उन्होंने समझा है। वह एक संवेदनशील महिला हैं और दिल्ली की झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की पीड़ा और दर्द को अगर सोनिया गांधी जी ने न समझा होता तो ये हालात नहीं बदलते। वह धन्यवाद की पात्र हैं। इसके लिए पूरी यू.पी.ए. सरकार धन्यवाद की पात्र है। आज अजय माकन जी यहां

[श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव]

बैठे हुए हैं। सोनिया गांधी जी की ही वजह से वह यहां बैठे हुए हैं। इन्होंने जो निर्णय लिया होगा, वह उनकी संवेदनशीलता का ही एक हिस्सा होगा। जयपाल रेड्डी साहब को हम आज से नहीं, बहुत पहले से, जब हम श्री राम विलास पासवान जी के साथ यहां आया करते थे, जब वह जनता दल में थे, तब से मैं उन्हें जानता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली में बिहार और यू.पी. के लोग रहते हैं। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि किस तरह से फैक्टरी को तोड़ा गया, उसको तोड़ने वाले कौन लोग थे, किन्होंने उनको बेरोजगार करने की कोशिश की? किसने उनको खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया? मैं राजनीतिक बातों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि घटनाक्रम जो भी हो, उसमें पीसे जाते हैं गरीब, पीसे जाते हैं झोपड़ियों में रहने वाले, पीसे जाते हैं मजबूर लोग, पीसे जाते हैं दो वक्त की रोटी के लिए मरने वाले लोग।

अभी हमारे बिहार के मित्र अपनी बात कह रहे थे। मैं अपने सभी कांग्रेस के सांसदों को धन्यवाद देता हूं कि वे बिहार और उत्तर प्रदेश के गरीबों के सम्मान के लिए बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं इसलिए वे बधाई के पात्र हैं और उन्हें साधुवाद है। यदि बिहार के लोगों को यहां थोड़ा सा भी सम्मान मिला है तो निश्चित रूप से उनकी भागीदारी के कारण मिला है। उसमें उनकी राजनैतिक और सामाजिक भागीदारी तो है ही, साथ ही वहां के नेतृत्व की भी भागीदारी है। मैंने पहले ही कहा कि यू.पी.ए. सरकार के गठबंधन वाले जो दल हैं, जो भी हमारे नेता हैं, वे भी गांव की झोंपड़ी से निकलकर आए हैं इसलिए वे गरीबों का दर्द अच्छी तरह समझते हैं।

सभापति महोदय, मुझे इस बात का दुख होता है कि बिहार के बारे में यहां कई तरह की बातें कही जाती हैं। दिल्ली को इन लोगों ने गंदा कर दिया है, यह भी कहा जाता है। मैं देख रहा था, इसमें लिखा है 'गंदी बस्ती'। गरीब आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से इतना सम्पन्न या मजबूत नहीं है, लेकिन जहां वह रहता है उस जगह को गंदी बस्ती और मलिन बस्ती कहना सही नहीं है। ये शब्द उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि हम गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। हमारा आग्रह है कि इसकी जगह आपको गरीब बस्ती कहना चाहिए।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): हमारे मंत्रालय से इसका कोई वास्ता नहीं है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: आपके ही मंत्रालय से है और इस बिल में भी लिखा है। मैं कुछेक बातों की तरफ मंत्री जी का ध्यान केन्द्रित करना चाहूंगा। दिल्ली में सीलिंग के समय जो मकान तोड़े गए, खासकर मिडिल क्लास के लोगों के, तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जीते जी ही वे मर गए हैं। वे कह रहे थे कि उनका जी चाहता है कि आत्महत्या कर लें। उस वक्त यू.पी.ए. की सरकार और सोनिया गांधी जी ने अगर मोर्चा नहीं सम्भाला होता, तो पता नहीं दिल्ली में कितने ही लोगों ने आत्महत्या कर ली होती। दिल्ली के सांसद और मंत्री अजय माकन जी बधाई के पात्र हैं और बाकी साथी भी कि आपने दिल्ली के सैंकड़ों लोगों को आत्महत्या से बचाने का काम किया, जो शायद अपने बच्चों की परवरिश न कर पाते और बाद में विवश होकर आत्महत्या कर लेते। इसलिए जो मकान बन गए हैं, उन्हें तोड़ा नहीं जाना चाहिए।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: मैं कहना चाहता हूं कि जो काम राजनीतिज्ञों को और लोक सभा को करना चाहिए, क्या कारण है कि वह काम न्यायालय को करना पड़ता है। झोंपड़ी के दर्द को, गरीबों के दर्द को ए.सी. रूम में बैठकर नहीं समझा जा सकता। इसलिए सरकार को ऐसा बिल लाना चाहिए जिससे दिल्ली में रहने वाले, मुम्बई आदि बड़े शहरों में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, फिर कभी किसी कानून या नियम से परेशान न हो, उसकी वजह से उनका परिवार आत्महत्या करने को विवश न हो। इस देश में जो भी कानून बनता है, वह आम लोगों के लिए बनता है। कानून लोगों के लिए है, लोग कानून के लिए नहीं हैं। किसी भी तरह के कानून को लाने से पहले हमारी सरकार आम लोगों की जरूरतों को, उनकी भावनाओं को, उनकी खुशहाली को और उनकी एक अच्छी शुरुआत को ध्यान में रखने का काम करे।

मैं अंत में मंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली में जो बस गए, उन्हें परेशान न किया जाए। आज लुधियाना में, मुम्बई में या अन्य कहीं जो सामान बनता है, वह दिल्ली में ट्रांजिट होता है। इसका मतलब यह है कि कहीं भी सामान बने, आता वह दिल्ली में है।

यदि ऐसी दिल्ली को खत्म करने की मंशा होगी, तो पूरा देश ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा माननीय अजय माकन साहब, कि आप ऐसा कानून

लाएं जिससे कोई भी अनधिकृत बस्ती, गांव न बने और आगे अगर कोई इस तरह की कॉलोनी या गांव बसता है तो दोषी पदाधिकारी और लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन जो दिल्ली का ढांचा अब बन चुका है उसे न उजाड़ा जाए, उस दिल्ली में आपने और यू.पी.ए. की सरकार ने 80 प्रतिशत अच्छी शुरुआत की। बिहार और यू.पी. से आने वाले लोगों के बारे में आप ज्यादा ख्याल रखते हैं और बिहार से आने वाले लोगों को बिहारी कहना, कभी मलिन कहना, कभी गंदी बस्ती कहना, इन सब बातों को खत्म कीजिए। बिहार और यू.पी. के लोग भी सम्मान के साथ जी सकें, वह आप चाहते हैं। उन्हें और सम्मान मिले, ऐसा मेरा आग्रह है तथा उन लोगों के लिए भी आप और सोचने का काम कीजिए - यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। पुनः इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुधांशु सील (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): सभापति महोदय, 31 दिसंबर, 2009 तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान करने वाले माननीय मंत्री, श्री जयपाल रेड्डी द्वारा पुरःस्थापित विधेयक को स्वीकार करते हुए मैं एक बात की ओर माननीय मंत्री जी श्री अजय माकन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह सच है कि किसी भी राज्य के लिए, किसी भी राजधानी के लिए कुछ संदर्शी योजना होनी चाहिए और तदनुरूप दिल्ली के लिए भी आपने एक संदर्शी योजना का प्रस्ताव किया है जो वर्ष 2021 तक वैध होगी।

इसे तैयार करते समय आपने इस विधेयक के अंदर ही कुछ प्रस्ताव दिए हैं। इनमें आपने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि अनधिकृत भवनों के विनियमन के बारे में निर्णय लेने हेतु आपको कुछ समय चाहिए। दूसरी बात यहहै कि आपने यह सही उल्लेख किया है कि हॉकरों की समस्या पर ध्यान दिया जाएगा तथा इसके लिए सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। आपको इसके लिए भी कुछ समय की जरूरत है।

जहां तक हॉकरों का प्रश्न है, आपको यह अवश्य पता होगा कि इस सम्माननीय सभा में हमने हाल ही में एक निर्णय लिया है और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बारे में एक विधेयक पारित किया है। जबकि हमारे देश के 93 प्रतिशत लोग असंगठित क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं, सरकार ने असंगठित क्षेत्र के इन लोगों को मान्यता देने का सही कदम उठाया था। मेरा विश्वास है कि हॉकर असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसलिए उन्हें सामाजिक सुरक्षा दी जानी चाहिए तथा इस खास विधेयक में हमने जो भी वायदे किए हैं, वे सुविधाएं हॉकरों को भी दी जानी चाहिए।

यहां मैं कोलकाता का उदाहरण देना चाहूंगा। आपको पता है कि हॉकर फुटपाथ पर बैठने को बाध्य हैं क्योंकि उनके पास जीविकोपार्जन का कोई अन्य रास्ता नहीं है। इसलिए, कोलकाता में, हमने निर्णय लिया है कि हॉकरों को वाहन मार्गों पर और क्रासिंग से 50 मीटर के अंदर अनुमति नहीं दी जाएगी जबकि जहां कहीं उनके द्वारा फुटपाथों पर अतिक्रमण किया है वहां वे फुटपाथ के एक-तिहाई हिस्से का उपयोग कर सकेंगे और दो तिहाई हिस्सा पैदल यात्रियों के लिए मुक्त रखेंगे।

इसके अलावा, कतिपय ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमने निर्णय लिया है कि कुछ कियोस्क बनाए जायें और वे दिखने योग्य होने चाहिए। मुझे कुछ अन्य देशों की यात्राएं करने का मौका मिला है जहां मैंने पाया कि इसी प्रकार की व्यवस्थाएं की गयी थीं। कुछ हॉकर कार्नर बनाये गए थे। हमने कोलकाता में ऐसी ही व्यवस्था की है। दिल्ली के लिए भी इसकी बहुत जरूरत है। मेरा कहना है कि उन्हें वहां से हटाया नहीं जाना चाहिए और उन्हें अपनी जीविकोपार्जन का अवसर दिया जाना चाहिए।

इस मुद्दे पर मुझे माननीय मंत्री महोदय में पूरा विश्वास है क्योंकि शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का सदस्य होने के नाते मैंने देखा है कि राजग के शासनकाल में ऑल इंडिया स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग ऑफिस की कोलकाता इकाई को बंद करने का निर्णय लिया गया था। मैं माननीय राज्य मंत्री, श्री अजय माकन के प्रति कृतज्ञ हूं तथा मुझे उन्हें और हमारे वरिष्ठ नेता, श्री जयपाल रेड्डी को अवश्य बधाई देनी चाहिए जिन्होंने इस इकाई को अर्थक्षम बनाने का साहसी निर्णय लिया है और आश्वासन दिया है कि कोई छंटनी नहीं होगी।

मुझे इसके लिए आपको अवश्य बधाई देनी चाहिए। पूरे देश में - जहां कहीं भी आपकी इकाइयां हैं - सभी कामगार काफी खुश हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

चूंकि आप इन इकाइयों का आधुनिकीकरण करने जा

[श्री सुधांशु सील]

रहे हैं आपने उन्हें लेने का निर्णय पहले कर लिया है तथा आपने यह भी बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें उनकी संबंधित नौकरियों में रख लिया जाएगा।

इस विधेयक के खंड 2(1)(छ) में यह उल्लेख किया गया है कि:

> "'दंडात्मक कार्रवाई' से अप्राधिकृत विकास के विरुद्ध किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अधीन की गई कार्रवाई अभिप्रेत है और इसमें परिसर को ढहा देना, सील करना और व्यक्तियों या उनके कारबारी स्थापन को, चाहे न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में या अन्यथा, विद्यमान स्थान से विस्थापित करना भी सम्मिलित होगा;"

मैं यह बात कहना चाहता हूं। मुझे ऐसे अनेक स्थानों की यात्रा करने का मौका मिला है जहां शहरी विकास मंत्रालय कार्यरत है। आपने झोपड़ी बस्ती के बारे में बात की है जबकि आपके विभाग द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट्स का निर्माण कराया गया है। हमने यह पाया कि इन सभी ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैटों तथा मध्य आय वर्गों के लिए निर्मित एल.आई.जी. और एम.आई.जी. फ्लैटों हेतु आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया गया था, तथा आवंटन दे देने के साथ ही इन्हें किन्हीं अन्य पक्षों को ऊंची कीमतों पर बेचा जा रहा है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि झोपड़ीवासी - जिन्हें फ्लैट आवंटित किए गए हैं - इन सभी फ्लैटों को अन्य लोगों को बेच रहे हैं और स्वयं अपनी झोपड़ियों में वापस जा रहे हैं। इसलिए जब झोपड़ीवासियों को ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट दिए जायें तो कतिपय शर्त लगा दी जानी चाहिए कि वे कम से कम 20 वर्षों तक इसे बेच न सकें। उनके लिए इनका प्रयोग करना, और उनके परिवार के सदस्यों के लिए इनका प्रयोग करना बाध्यकारी हो और इसे वे बेच न सकें। आगे, कुछ निगरानी प्रक्रिया होनी चाहिए जहां विभाग यह पता लगायेगा कि क्या इसे किसी अन्य पक्ष को बेचा जा रहा है अथवा नहीं।

जहां तक अनधिकृत ढांचों को गिराए जाने का प्रश्न है, दिल्ली में हमारा अनुभव है कि अनेक मकान कानून अर्थात् वर्तमान भवन निर्माण संबंधी नियमों की अनदेखी करके बनाए गए हैं। मेरा कहना यह है कि जब ऐसे भवन बनाए जाते हैं तो हमारा स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा होता है? स्थानीय प्राधिकारियों को कुछ निर्देश होने चाहिए कि किसी भी अनधिकृत निर्माण को शुरू में ही रोक दिया जाए बजाय इसके कि इसके पूरा होने का इंतजार करते रहें। परन्तु मैं निश्चित रूप से आपके इस निर्णय का स्वागत करता हूं कि इसके लिए कोई कानून होना चाहिए।

मैं निश्चित रूप से वर्ष 2021 हेतु संदर्शी योजना का स्वागत करता हूं। केन्द्र सरकार किसी अन्य स्थान की तुलना में दिल्ली में सर्वांगीण विकास हेतु काफी धन खर्च कर रही है। वस्तुतः हम जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत निधियां प्राप्त कर रहे हैं, परन्तु हमारा अवलोकन यह है कि कम से कम पश्चिम बंगाल में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए आवास योजना हेतु 12 प्रतिशत का लाभार्थी अंशदान देना उन लोगों के लिए काफी पीड़ादायक है। मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि आप कोई ऐसा तंत्र स्थापित करें ताकि वे दीर्घावधि आधार पर बैंक से इस 12 प्रतिशत के अंशदान को हासिल कर सकें। दीर्घावधि ऋण दिया जाना चाहिए ताकि वे पक्के भवन में आवास प्राप्त कर सकें।

इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष प्रावधान) विधेयक का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अगले वक्ता श्री बृज किशोर त्रिपाठी हैं। मैं इस मुद्दे पर बोलने के लिए आपको मात्र पांच मिनट का समय दे सकूंगा।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2009 पर चर्चा कर रहे हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले अनधिकृत निर्माणों को नियमित करना, आवासीय परिसरों के व्यवसायिक प्रयोग को रोकना, सार्वजनिक भूमि पर मलिन बस्तियों तथा झुग्गी-झोपड़ियों के समूह द्वारा अतिक्रमण को रोकना, शहरों में वेंडरों से संबंधित समस्याओं को दूर करना है। इस विधेयक के प्रावधानों, को लागू करने में सरकार को लगभग एक और वर्ष का समय लगेगा जिसके दौरान वह मास्टर योजना का पालन नहीं किए जाने से संबंधित मिश्रित भूमि उपयोग पर अनधिकृत विकास, स्वीकृत योजना से बाहर निर्माण और मलिन तथा झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों हॉकरों और शहरी वेंडरों के अतिक्रमण की समस्याओं से निपटने के लिए मानदण्डों, नीतियों, दिशा-निर्देशों तथा संभावित कार्ययोजना का निर्धारण करने हेतु सभी संभावित कदम उठा सकेगी।

सरकार इस विधान के साथ आगे आई है ताकि की गई अनियमितताओं का नियमन किया जा सके। हाल के दिल्ली विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की निर्वाचक सफलता में इस मंत्रालय का काफी योगदान रहा है हालांकि नियमन की प्रक्रिया में विलंब से जनता के दिमाग में आशंकापूर्ण मनोवृति उत्पन्न हो गयी थी। माननीय मंत्री जी अपने प्रयासों में सफल रहे हैं।

महोदय, हम इस संबंध में विधेयकों और अध्यादेशों पर पिछले दो वर्षों में चौथी बार चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम 2006 जिसे काफी जल्दबाजी में पारित कर दिया गया था, के कारण राजधानी में अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करने तथा आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के सीलिंग में एक वर्ष का अधिस्थगन हो गया। यह संभावना थी कि शायद उच्चतम न्यायालय इसे निरस्त कर दे। वैयक्तिक रूप से भी उस समय मैंने यह आशंका जतायी थी कि यह अधिनियम न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा।

वर्तमान विधेयक का कारण और उद्देश्य वक्तव्य यह कहता है कि दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2006 को लागू किया गया था ताकि उच्चतम न्यायालय तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों के संबंध में उनके द्वारा पारित कतिपय आदेशों तथा दिशा-निर्देशों का पालन किया जा सके। परंतु वस्तुतः यह उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के आदेशों को अस्वीकार करने के लिए है इसलिए सरकार इस विधेयक के साथ आगे आई है। सरकार इस विधेयक को लाकर इस सभा को गुमराह करना चाहती है ताकि सरकार द्वारा बरती गई सभी अनियमितताओं का नियमन किया जा सके और सरकार को इससे उबारा जा सके।

उच्चतम न्यायालय ने 2006 के इस अधिनियम को पूर्णतः अमान्य और अवैध करार दे दिया है। खण्डपीठ ने यह पाया है कि यह न्यायालय के आदेशों की अनदेखी करने का साधारण एवं शुद्ध विधान है। हम यहां पुनः वही होते देख रहे हैं। मंत्रीजी ने पिछली बार 2006 के अधिनियम की वैधता के बारे में विश्वास व्यक्त किया था। उन्होंने सभा को इस बात के प्रति आश्वस्त किया था कि यह अधिनियम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाएगा। तथापि दुर्भाग्यवश यह विधेयक उसके तुरंत बाद न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। अब जिस तरीके से केन्द्र सरकार सीलिंग अभियान समाप्त करने का प्रयास कर रही है उससे उसकी नाकामी का पता चलता है।

निःसंदेह संसद देश का कानून बनाने वाली उच्चतम संस्था है लेकिन कानून बनाकर न्यायालय आदेशों को उलटने की कार्यपालिका की प्रवृत्ति हमारे लोकतंत्र की अपवित्र विशेषता है। सरकार को इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए उन्हें समय रहते पहले ही कानून बना लेने चाहिए और दूर दृष्टि के साथ कार्य करना चाहिए। जब सरकार कोई कानून बनाती है तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए की वह विधान कानून की कसौटी पर खरा उतरेगा और उसे न्यायालय में निरस्त नहीं किया जाएगा।

इस सरकार के कार्यकाल के दौरान हमारे सामने अनेक ऐसे उदाहरण आए हैं जहां विभिन्न अधिनियमों को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है या उसके प्रति उदासीनता दिखाई गई है।

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपने इस विधेयक के लिए एक घंटे का समय लिया था। आप इसके एक पक्षकार हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठीः मैं केवल एक मिनट और लूंगा।

प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि दिल्ली एक आधुनिक और आदर्श शहर बने। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नया मास्टर प्लान अधिसूचित किया गया था।

7 फरवरी, 2007 को मास्टर प्लान तैयार किया गया था जबकि आज 2009 है।

अध्यक्ष महोदयः आपकी पार्टी को एक मिनट की अनुमति दी गई थी लेकिन मैंने आपको 6-7 मिनट का समय दिया है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठीः पिछले दो वर्षों से सरकार क्या कर रही है? मास्टर प्लान 2021 के लिए तैयार किया गया था। इसमें दूरदृष्टि का अभाव है उन्हें प्लान को बहुत पहले तैयार कर लेना चाहिए था। कोई बात नहीं। वे अब मास्टर प्लान लेकर आए हैं। पिछले दो सालों से उन्होंने क्यों रोके रखा था? पुनः इसके अधिनियमन के लिए उन्होंने एक वर्ष का समय क्यों लिया?

अध्यक्ष महोदयः श्रीमती कृष्णा तीरथ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री बृज किशोर जी आपने हमेशा सहयोग दिया है।

...(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा इससे अधिक नहीं।

इससे दिल्ली और अन्य स्थानों पर गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। अनेक बेरोजगार युवा रोजगार के लिए इन शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं कर रही और यही कारण है कि...

अध्यक्ष महोदय: यह बात सभी सरकारों पर लागू होती है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: केन्द्र और राज्य सरकार दोनों को भविष्य को ध्यान में रखते हुए योजना बनानी चाहिए। बेरोजगार युवा रोजगार के लिए शहरों में आ रहे हैं। शहर बेरोजगार लोगों से भरा पड़ा है। सरकार को उन्हें आवास, भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा देनी पड़ती हैं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि सरकार को उचित समय पर उचित निर्णय लेने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: इस विधेयक में एक वर्ष का विस्तार करने की सीमित गुंजाइश है और यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: उन्होंने 2006 में पहली बार यह विधेयक प्रस्तुत किया था। हम इस विधेयक पर चार बार चर्चा कर चुके हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यह कह सकता हूं कि यह विधेयक एक मात्र ऐसा विधेयक है जिस पर हमने चार बार चर्चा की है। सरकार के पास दूर दृष्टि का अभाव है। सरकार इस बात का अनुमान नहीं लगा सकी की भविष्य में क्या होगा। मंत्री महोदय आपने कोई योजना नहीं बनाई। सरकार द्वारा की जा रही इन चीजों से लोगों के मन में डर पैदा होता है। यदि सरकार वास्तव में कुछ करना चाहती है तो उसे यह कार्य समुचित ढंग से करना चाहिए। ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: बस इतना ही। आप पहले ही बहुत ठोस बातें कह चुके हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, आखरी बात।

अध्यक्ष महोदय: आप चौथी बार आखरी बात कह रहे हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: सरकार ने दिल्ली में कितने मकानों का निर्माण किया है। उन्होंने कई बार इस बात का आश्वासन दिया है कि वे ऐसा करेंगे लेकिन सरकार ने कितने मकानों का निर्माण किया? सरकार ने कितनी सड़कों का निर्माण किया? आपने दिल्ली की मलिन बस्तियों में रहने वाले कितने लोगों का पुनर्वास किया? बताइए आपने मलिन बस्तियों में रहने वाले कितने लोगों का पुनर्वास किया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती कृष्णा तीरथ के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदय: श्री त्रिपाठी आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोलबाग): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी परमीशन से नेशनल कैपिटल टैरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज (स्पेशल प्रोविजन) बिल, 2009 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। श्री एस. जयपाल रेड्डी और श्री अजय माकन जी जिस बिल को लेकर आये हैं, वे दिल्ली वालों को जिस तरह से राहत देने की हमारी यू.पी.ए. की सरकार ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के दिशा-निर्देश पर और हमारे देश के प्रधान मंत्री, डा. मनमोहन सिंह जी के आदेशानुसार इस बिल को लाये हैं। इसका दर्द यू.पी.ए. की सरकार अच्छी तरह जानती है। जब यह बिल पर बहस शुरू हुई तो सामने की बैंच से श्री शाहनवाज जी बोल रहे थे। वह शायद इस बात को भूल गये थे कि जिस समय वह सरकार में थे, उस समय उनके एक मंत्री, जिन्हें बुलडोजर के नाम से जाना जाने लगा था, उनके द्वारा तमाम दिल्ली को बुलडोज किया जा रहा था और ये लोग केवल दिल्ली शाइन करने और सरकारी सम्पत्तियों को बेचने में लगे थे। चाहे उदयपुर का किला हो, चाहे होटल्स हों, चाहे दूसरी तरह की इमारतें हों, ये उन्हें बेचने में लगे थे। ये भूल गये थे कि दिल्ली के लोगों के लिए जिस बिल को हम आज

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लेकर आ रहे हैं, उसके द्वारा दिल्लीवासियों को किस तरह से राहत देनी है। मुझे याद है वह समय जब स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया था और बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने कहा था कि हर महिला, हर बच्चा, हर पुरुष जो बेरोजगार है, लेकिन हाथ का दस्तकार है, उसके हाथ में कला है। चाहे वह कढ़ाई, बुनाई का काम करता हो, चाहे वह छोटे जूते बनाने का काम करता हो, जिनको बच्चों के लिए बुलबुल कहा करते थे, उस तरह के जूते हमारी दिल्ली के बहुत सारे क्षेत्रों में आज भी बनाये जाते हैं।

इन्दिरा जी ने भी इस बात को सोचकर लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया था। लेकिन जब एन.डी.ए. की सरकार केन्द्र में आयी, इन्होंने तमाम लोगों को धराशायी कर दिया और जब आज यह सरकार बिल लेकर आयी है तो इस समय इनको डर लगता है कि कहीं जिस प्रकार से दिल्ली का बढ़ावा हुआ है, दिल्ली के प्रति आकर्षण बढ़ा है, उसको देखते हुये दिल्ली जो भारत की राजधानी है, एक मिनी भारत है, जहां विभिन्न प्रान्तों के लोग दिल्ली में आकर बसे हुये हैं, क्योंकि उन लोगों को जिन चीजों ने लुभाया है कि जब वे लोग दिल्ली जायेंगे तो उन्हें रहने के लिये घर मिलेगा, उन्हें रोजगार मिलेगा, छोटी सी रेहड़ी पर काम कर लेंगे, पटरी पर बैठकर रोजगार कमा लेंगे, छोटी सी दुकान खोल लेंगे या छोटा मोटा उद्योग लगाकर अपनी रोजी रोटी कमा सकेंगे। इसलिये डी.डी.ए. उन्हें बहुत सारे थड़े बनाकर दिया करती थी। लेकिन हमारे सामने बैठने वाले विपक्ष की जब यहां सरकार आयी तो उन्हें लगने लगा कि दिल्ली में हम लोगों की कहीं तीसरी बार सरकार में आने के बाद केन्द्र में न आ जाये, इसलिये विमिन्न तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं और इस बिल के पक्ष में नहीं बोलना चाहते हैं।

अध्यक्ष जी, जिस तरह से स्लम कॉलोनियों में स्लम डवैलर्स हैं, झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उनकी बस्तियों में सीवरेज का प्रावधान नहीं है, उनके यहां सड़क-बिजली-पानी नहीं है, बच्चों के लिये स्कूल नहीं हैं, अस्पताल नहीं हैं या पार्क नहीं हैं, इन सब चीजों का इन्तजाम करने के लिये हमारी यू.पी.ए. की सरकार यह बिल लाई है। मैं माननीय मंत्री जी को मुबारकवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने सोच-विचार करके यह कहा है कि दिल्ली में जो हमारे डेवलेपमेंट्स हुये हैं, चाहे वह किसानों के लिये हों, मजदूरों के लिये हों, चाहे असंगठित क्षेत्र में रहने वाले मजदूरों के लिये हों, चाहे झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हों, अगर उसका अपना मकान बना है और वह रोजगार करता है तो उसे पक्का किया जायेगा। उन लोगों को राहत देने के लिये यह बिल लाया गया है। दिल्लीवासी इस बात से बेहद प्रसन्न हैं क्योंकि जिस चीज के लिये आज तक किसी ने नहीं सोचा था, उसे श्रीमती सोनिया गांधी के चेयरपर्सन के नेतृत्व में यू.पी.ए. की सरकार द्वारा हर व्यक्ति और नीचे के हर तबके के रहने वाले लोगों के लिये सोचा गया है कि उनके रहने के लिये इंतजाम कैसे किया जाये, कैसे ये आराम से रह सकें। आज दिल्ली के लोग इस बात को सोचकर प्रसन्न हैं।

अध्यक्ष जी, उस समय की सरकार को मास्टर प्लान 2001 में लाना चाहिये था लेकिन मास्टर प्लान नहीं लाया गया। किसी कारण से पिछले समय में जो बातें कही गईं, कारपोरेशन के इलैक्शन में हम हार गये, उसका कारण इन लोगों की खामियां रहीं। उस समय कॉरपोरेशन पर यह गाज गिरी। जब समय था, उस समय मास्टर प्लान नहीं बनाया। अगर 5 वर्ष पहले ही सोच लिया जाता कि आने वाले समय में मास्टर प्लान कब बनेगा या अगर उस समय लाया जाता तो दिल्लीवासियों को यह तकलीफ नहीं होती। लेकिन मेरा विश्वास है कि जिस तरह आज यह बिल लाया गया है, उससे हर व्यक्ति को, हर तबके को पूरी ताकत मिलेगी। किसानों के लिये जो मुआवजा बढ़ाया गया है, उससे उनकी समस्या का हल हुआ है लेकिन किसानों की अन्य समस्याओं का समाधान करने के लिये हमारी सरकार पूरी तरह तत्पर है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करती हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपके सहयोग के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अब, श्री पी.सी. थामस - केवल चार मिनट के लिए।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): मुझे पूरा विश्वास है कि यह विधेयक पारित होने के बाद ऐसी नीतियां बनायी जाएगी ताकि भविष्य में अतिक्रमण को रोका जा सके और ये समुचित रूप से जरूरतमंदों को ही दी जाएंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्रालय में इस प्रकार के कठोर कदम उठाए जाने से लाखों गरीब लोग लाभान्वित होंगे।

[श्री पी.सी. थामस]

मैं केवल एक या दो सुझाव ही देना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि पूरे भारत से आकर दिल्ली में रहने वाले विशेषकर यहां नौकरी की तलाश में बड़ी संख्या में आने वाले व्यक्तियों को सस्ते आवास मुहैया करवाए जाएं। मैं यह बताना चाहूंगा कि भारी लागत के चलते इस मामले को तुरंत उठाया जाना चाहिए। दूसरे, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि यहां पर बहुत से बड़े फार्म हाऊस हैं जो पांच सितारा होटलों से भी बेहतर हैं; मैं नहीं जानता कि क्या हम उन्हें भी बचाने जा रहे हैं, क्योंकि उनमें से कई अतिक्रमण कर चुके हैं और उन्होंने कृषकों की संपत्तियां ली हैं। इसलिए, इस पहलू को एक अलग रूप देना ही पड़ेगा और मुझे आशा है कि इस पर ध्यान दिया जाएगा। अंततः दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। मुझे पूरा विश्वास है कि स्मारक बनवाने के लिए समुचित स्थान देकर समाज के बड़े नेताओं का सम्मान किया जाना चाहिए।

उदाहरण के लिए, श्री नारायण गुरू। मुझे लगता है कि आप व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानते हैं। लाखों लोग इसका अनुरोध करते रहे हैं। यहां तक कि संसद में भी इस प्रकार का अनुरोध किया गया है। मुझे लगता है कि संबंधित व्यक्ति बिल्कुल उपयुक्त तरीके से मूर्ति बनाने के लिए सारी व्यवस्था करने के लिए आगे आए हैं। केवल जमीन दी जानी ही बाकी है। भूमि तुरंत देनी होगी, मुझे लगता है कि इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस संबंध में कुछ कदम उठाए गए थे और कुछ आश्वासन भी दिए गए थे परंतु वे अभी तक भी पूरे नहीं किए गए हैं। श्री नारायण गुरू एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके संदेश आज बेहद प्रासंगिक हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इनके संदेश न केवल भारत अपितु विदेशों की आने वाली पीढ़ी में उत्साह का संचार करेंगे।

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली सदर): महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए, विशेष उपबंध करने वाले विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, मैंने इस विषय पर कई सदस्यों को बोलते हुए सुना है। मैं इसे रिकार्ड में रखना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि बिहार से मेरे मित्र विशेष रूप से मुझे सुनें। पासवान साहब, मैं चाहता हूं कि बिहार से आए मेरे मित्र मुझे सुनें। कई साल पहले बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली आए और बेहद गरीब कालोनियों में रहे। सर्वश्री सज्जन कुमार, एच.के.एल. भगत और युवा नेता स्वर्गीय श्री संजय गांधी, श्रीमती इन्दिरा गांधी के पास गए और कहा कि इन गरीब लोगों को रहने के लिए उपयुक्त स्थान दिया जाए। मुझे याद है कि उस समय जनसंघ अथवा जनता पार्टी ने यह कहा था कि ये लोग बाहरी है परंतु इस पर श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह कहा कि दिल्ली पूरे भारत की है और हर व्यक्ति को कहीं भी आने जाने और रहने का अधिकार है जहां वह चाहे। पहले 20 सूत्री कार्यक्रम में बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आए 7 लाख लोगों को दिल्ली में 25 गज जमीन दी गयी। कांग्रेस पार्टी की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा की गयी इस शुरुआत का ही परिणाम है कि उन 7 लाख लोगों की संख्या 72 लाख हो गयी है।

अध्यक्ष महोदय: ऐसा कितने वर्षों में हुआ है?

श्री जगदीश टाइटलर: इसके द्वारा मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि हमारा दिल इतना बड़ा है।

[हिन्दी]

दिल्ली का दिल बहुत बड़ा है।

[अनुवाद]

हमने उनके लिए योजना बनाई और यह मास्टर प्लान इसी के मद्देनजर बनाया गया है। मास्टर प्लान में पहली वरीयता निस्संदेह दिल्ली को सुधारने, साफ-सफाई में सुधार करने, जल की उपलब्धता में सुधार करने और गरीब लोगों को आवास मुहैया कराने को दी गयी थी। यह इसी प्रकार से तैयार की गयी थी श्री शाहनवाज हुसैन यहां पर नहीं हैं। यह वही मास्टर प्लान है जिस पर आप 6 वर्षों तक बैठे रहे। वे तो गुलाम नबी आजाद ने आगे आकर कार्रवाई कर मास्टर प्लान बनाने की दिशा में कदम उठाया। बाद में श्री जयपाल रेड्डी और हमारे युवा मंत्री श्री अजय माकन ने इसे मूर्त रूप प्रदान किया। जब यह मास्टर प्लान तैयार हो गया तो नगर निगम हमारे हाथों से निकल गया। कोई नहीं जानता कि निगम हमारे हाथों से क्यों निकल गया। यह रिकार्ड का ही भाग है। अपने भाषण के अंतिम खण्ड में मैंने कहा था कि श्री जगमोहन ने न्यायालय में इस प्रकार के दस्तावेज दिए थे कि इन्हें ध्वस्त किया जाना चाहिए, यह कहा गया कि तोड़-फोड़ की जाए और मंत्रालय में प्रतिदिन इसकी रिपोर्ट दी जानी चाहिए। यह रिकार्ड का एक भाग है और मुझे लगता है कि युवा मंत्री इस निर्णय का सत्यापन

करेंगे। इससे दिल्ली में अफरा-तफरी मच गयी थी। इसने मास्टर प्लान को अव्यवस्थित कर दिया क्योंकि तोड़-फोड़ होनी प्रारंभ हो गयी है। जब हमने एक चीज को सुधारना प्रारंभ किया तो दूसरी चीज आगे आ गयी और वो हमारे हाथों से निकल गयी। यह केवल श्री जयपाल रेड्डी और श्री अजय माकन के ही कारण हुआ था क्योंकि इन्होंने ही दिल्ली को उस तरीके से देखा जिस तरीके से देखा जाना चाहिए था। हमने तरह-तरह की रियायतें देना और दिल्ली को सुधारना प्रारंभ कर दिया और दिल्ली को उपयुक्त स्थान पर पहुंचा दिया। इन्हीं सब बातों के कारण कांग्रेस तीसरी बार दिल्ली का चुनाव जीत गयी। लोगों ने यह महसूस करना प्रारंभ कर दिया कि ये ही वे लोग है जिन्होंने हमें सुंदर दिल्ली दी है। ये लोग ही गरीब लोगों और शहरी गांवों के शुभचिंतक हैं।

इसी कारण से अचानक यह बात उभर कर सामने आयी कि दिल्ली में सुधार करने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि यह विधेयक पारित किया गया। ऐसा नहीं है कि विधेयक 2009 में लाया गया है। यह विधेयक तो पहले ही लाया जा चुका है। इसे अनुमोदित किया गया है और सभी रियायतें दी गई हैं। परंतु इसके लिए केवल तकनीकी व्यवहार्यता की आवश्यकता होगी। इसे केन्द्र से मंजूरी मिल चुकी है और यह राज्य के समक्ष भेज दिया गया है। यदि वे ऐहतियात बरतें तो मेरा मानना है कि यह सब 2009 तक पूरा हो जाएगा और दिल्ली के पास समुचित मास्टर प्लान उपलब्ध हो जाएगा। दिल्ली के लिए समुचित योजना बनायी जानी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ और किया जाना चाहिए जैसाकि मेरे किसी मित्र ने कहा। दिल्ली का मास्टर प्लान बेहद सुन्दर है। यह मास्टर प्लान लागू किया जाएगा और भावी पीढ़ियां इस मास्टर प्लान को याद रखेगी क्योंकि इसी के आधार पर हम अपनी दिल्ली को साफ और सुन्दर बना पाएंगे। दिल्ली विश्व में आधुनिक शहरों में से एक होगी। राष्ट्रमण्डल खेल नजदीक आ रहे हैं और मुझे आशा है कि एक दिन दिल्ली में ओलंपिक का आयोजन भी होगा। आज हमने इसी की परिकल्पना की है। नए नए विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोले जा रहे हैं। इससे ज्यादा यह मास्टर प्लान हमें क्या दे सकता है? मैं इसके लिए श्री अजय माकन और श्री जयपाल रेड्डी को बधाई देना चाहता हूं।

मैं केवल एक बात और कहना चाहूंगा। बेशक हमें श्री जगमोहन के आदेशों के कारण हुयी पीड़ा को नहीं भूलना चाहिए। लोगों के घर और काम-काज छिन गए। ऐसा कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के मंत्री के आदेशों के कारण नहीं हुआ। ऐसा पूर्ववर्ती सरकार द्वारा न्यायालय में दिए गए हलफनामे के कारण हुआ। कोई भी यह बात नहीं जानता। आपको यह जान लेना चाहिए इसके लिए कौन उत्तरदायी है? लोगों की कड़ी मेहनत की कमाई धूल में मिल गयी। पाकिस्तान से शरणार्थी के रूप में भारत आए लोग को उत्पीड़न झेलना पड़ा। लोग बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आदि जैसे स्थानों से आए थे। वे सब दिल्ली को अपना घर बनाना चाहते थे। उन्होंने दिल्ली की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। वे दिल्ली में पैसा भी लाए। ऐसा नहीं है कि वे हम पर कोई बोझ थे। वे हम पर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं थे। दिल्ली एक जीवंत शहर बन गया। परंतु हमें चाहिए कि हम उन्हें रहने के लिए उपयुक्त स्थान दें। इसी वजह से श्रीमती सोनिया गांधी और दिल्ली के संसद सदस्यों की सहायता से हमने आपको यह मास्टर प्लान दिया है। मैं दिल्ली को सुंदर शहर बनाने के लिए युवा मंत्री और श्री जयपाल रेड्डी को बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अजय माकन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इस चर्चा के अंदर हिस्सा लिया और अपने सकारात्मक सुझाव दिए।

दिल्ली एक ऐसा शहर है, जिसे हम ब्राडली दो हिस्सों में बांटना चाहें, तो एक हिस्सा सर्विस यूजर्स का है और दूसरा सर्विस प्रोवाइडर्स का है। अगर हमें दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है, दिल्ली को दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में से एक बनाना है, तो जहां हम सर्विस यूजर्स की बढ़ोतरी के लिए और उनके रहन-सहन के लिए और साथ-साथ सर्विस प्रोवाइडर्स तथा गरीब लोगों को हम भूल जाएं, तो दिल्ली कभी भी वर्ल्ड क्लास सिटी नहीं बन सकती है। यही हम लोगों का, यू.पी.ए. सरकार का काम करने का तरीका रहा है। इसी वजह से हम मास्टर प्लान लेकर आए और समय-समय पर हम बिल संसद में लाए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे संसद सदस्य दिल्ली विधान सभा के अंदर लीडर आफ ओपोजिशन बने हैं। मुझे याद है जब सीलिंग और डिमोलिशन की चर्चा होती थी, आपको भी ध्यान होगा, उन्होंने संसद के अंदर

[श्री अजय माकन]

बार-बार कहा है कि पूरी दिल्ली तबाह हो जाएगी। दिल्ली के अंदर पांच लाख मकान सील हो जाएंगे, दस लाख मकान सील हो जाएंगे और दिल्ली पूरी खत्म हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2001 की जनगणना के हिसाब से दिल्ली के अंदर 33.80 लाख सेंसेक्स हाउसिस हैं। सेंसेक्स की फिगर कहती है कि 33.80 लाख सेंसेक्स हाउसिस में से 10.64 लाख सेंसेक्स हाउसिस के अंदर नॉन रेजिडेंशियल एक्टिविटीज होती हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के 16 फरवरी, 2006 के आर्डर को सीधे-सीधे इम्प्लिमेंट करते, तो दिल्ली के अंदर 10,74,000 मकानों के ऊपर ताला लग जाता। ऐसी भयानक स्थिति दिल्ली के अंदर पैदा हो गई थी। आज मैं सदन को रिकार्ड्स के माध्यम से बताना चाहूंगा कि पूरी दिल्ली के अंदर 10,64,000 में से मात्र 5596 दुकानें सील हैं और उनमें एक भी छोटी दुकान नहीं है। सभी बड़े-बड़े शोरूम्स हैं, जिन लोगों ने वायलेशंस इस हद तक कर रखी थी कि कानून से उन्हें किसी भी हालत में राहत नहीं दी जा सकती थी। अगर हम टोटल परसेंटेज में देखें तो केवल 0.5 परसेंट ऐसे हैं और जिन्होंने बड़े वायलेशन किए हैं, केवल उन्हीं को पनिश किया गया है। हम लोगों ने 99.5 परसेंट दिल्ली के लोगों को परमानेंट राहत दी। यह हम लोगों का काम करने का तरीका और मकसद था। अगर आज हम इन्हें केवल राहत देने की बात के साथ दूसरे रेवेन्यू आस्पेक्ट्स से भी सोचें, जब हमने इन्हें परमानेंट रिलीफ दिया तो इनसे कंवर्जन चार्जेज लिया और हमने इनसे पार्किंग चार्जेज भी लिए। हमने कहा कि आप कंवर्जन चार्जेज और पार्किंग चार्जेज भी दीजिए ताकि आपके ही पैसे से हम आपको रेगुलराइज करेंगे और हम आप ही के पैसे आपसे लेकर आपके लिए मल्टी लेवल पार्किंग बनाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, मुझे आज सदन को बताते हुए खुशी होती है कि केवल इन दो सालों के अंदर 528 करोड़ रुपए म्युनिसिपल कार्पोरेशन के पास इकट्ठे हुए, जिसमें से 184 करोड़ रुपए पार्किंग के लिए, इन्हीं लोगों से लेकर, इन लोगों के लिए 184 करोड़ रुपए मल्टी लेवल पार्किंग, इन मार्केट्स के अंदर बनाने का काम शुरू हो रहा है। यह हम लोगों की प्लानिंग का नतीजा है। हर साल म्युनिसिपल कार्पोरेशन को 342 करोड़ रुपए मिलेंगे, जोकि इन सब व्यावसायिक केन्द्रों के कमर्शियल स्ट्रीट्स की डेवलपमेंट के ऊपर कार्पोरेशन को खर्च करने के लिए जो रिसोर्सेस हैं, वे यहीं से मिलेंगे। हम लोगों ने एक ऐसा फार्मूला तैयार किया, कि न केवल हमने इन्हें रेगुलराइज किया बल्कि इन व्यावसायिक केन्द्रों को आगे कैसे डेवलप कर सकें और कैसे यहां पर पार्किंग और दूसरी फैसिलिटीस दे सकें, उसका भी हमने साथ-साथ रास्ता तैयार किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अभी बहुत सारे लोगों ने कहा। माननीय शाहनवाज साहब तो अभी यहां उपस्थित नहीं हैं, माननीय त्रिपाठी जी ने कहा कि आप बार-बार क्यों यह बिल लेकर आते हैं और कब तक लेकर आएंगे। आप परमानेंट रिलीफ क्यों नहीं देते, एक-एक साल का आप आक्सीजन क्यों देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन केटेगिरीज को हम लोगों ने रिलीफ दिया है, अगर आप स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जैक्ट एंड रीजंस पढ़ें तो आपको स्वतः समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने परमानेंट रिलीफ दिया है।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर लगभग साढ़े पांच लाख झुग्गी, स्लम्स हैं। इन सारे स्लम्स को एक दिन के अंदर रिसेटल नहीं किया जा सकता तो हमें उस समय तक इन्विटी देनी पड़ेगी, जब तक कि हम लोग इन स्लम्स को वहीं के वहीं रिहेबिलिटेट न कर सकें। इसलिए हमने कहा है कि जब तक इन स्लम्स को रिहेबिलिटेट न किया जाए, जिसका प्रोविजन हमने मास्टर प्लान के अंदर दिया है। जिसके ऊपर ऑलरेडी हम लोगों का काम शुरू हो चुका है। मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने क्या किया है और कितना पैसा हमने खर्च किया है, कितने मकान बनाए हैं। जब तक हम इन सब लोगों को वहीं के वहीं सेटल करने का प्रावधान शुरू नहीं करते, तब तक इनके लिए छत की रक्षा करने का काम भी हमारा है। दूसरी केटेगिरी हॉकर्स की आती है। हमारी नेशनल वेंडर्स पॉलिसी यह कहती है कि दो से तीन प्रतिशत टोटल पापुलेशन का हॉकिंग जोन होना चाहिए। उनके स्कवार्टर्स के लिए स्कवार्टिंग जौन बना कर, ताकि वे ट्रैफिक को कोई नुकसान न पहुंचा पाएं, पेडिस्ट्रियन मूवमेंट्स को रोक न पाएं। उस हिसाब से दिल्ली के अंदर भी तीन से चार लाख हॉकिंज पेसेज, स्कवार्टिंग पेसेज बनाने हैं और यह काम एम.सी.डी. को करना है। जब तक यह काम एम.सी.डी. नहीं करेगी, हॉकर्स को प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। मास्टर प्लान के अंदर हम लोगों ने दो से तीन प्रतिशत एम.सी.डी. को प्रोवाइड करने के लिए कहा है। लेकिन जब तक एम.सी.डी. इसे प्रोवाइड नहीं करेगी, हम लोगों को तो उन्हें प्रोटेक्शन देना है। हम लोग गरीब आदमी हॉकर्स को आज डंडा लगा करके, पुलिस का आदमी या म्युनिसिपल कार्पोरेशन मार-

मार कर अगर हटा दे, जो सुबह रोज कमाते हैं और शाम को उसी का खाते हैं। अगर हम लोग उनकी तरफ ध्यान न दें तो यह उनके ऊपर अन्याय होगा, जिसको हम लोगों ने इस बिल के तहत आगे किया। इसी तरीके से वेयरहाउसेस और गोडाउंस हैं। हम लोग जो जोनल प्लान लेकर आ रहे हैं, उसके अंदर हम लोग स्पॉट जोनिंग करके कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें हम वहीं के वहीं रेगुलराइज करें। लेकिन जोनल प्लान आने में एक साल का समय लगेगा। इसलिए हम लोगों ने इसके लिए एक साल का समय लिया। इसके अलावा हमने अन्य जो अनआथोराइज्ड कालोनियां हैं, जो रेगुलराइजेशन के प्रोसेस में हैं, जब तक वे रेगुलराइज नहीं होंगी, उनके ऊपर मास्टर प्लान लागू नहीं होगा और वह रेगुलराइजेशन इसी एक साल के अंदर होना है, इसलिए हमने उन लोगों के लिए एक साल का समय लिया है। ऐसा नहीं है कि हमने परमानेंट रिलीफ नहीं दिया है, हमने हरेक केटेगिरीज के लिए परमानेंट रिलीफ दिया है। सिर्फ उसके लिए समय रखा है ताकि जो स्टेचुटरी रिकवायरमेंट इन सब चीजों की है, वह एक साल के अंदर पूरी हो सकें और यह होते ही सब को रिलीफ मिलता जाएगा। तब इन सबको परमानेंटली रिलीफ मिलेगा। ये ज्यादातर गरीब लोग हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे मैंने कहा कि जिन्हें हमने रिलीफ देने की बात कही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और चीज जरूर बोलना चाहूंगा, जो हमारी अमनेस्टी स्कीम, आम माफी के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे बी.जे.पी. के साथी ने आम-माफी, जनरल एमनैस्टी स्कीम की बात कही। मैं इस बारे में बताना चाहता हूं कि हमने जो एलाऊ किया है, उसके अनुसार बेसमेंट के अंदर कोई भी आदमी, किसी भी जगह पर, प्रोफैशनल एक्टीविटीज शुरू कर सकता है। हमने एलाऊ किया है कि एक प्लॉट में 200 स्क्वेयर फीट तक की चार छोटी दुकान, पूरी दिल्ली में, कहीं भी खोली जा सकती हैं, जिनमें रोजमर्रा की चीजें बेची जाएं। इस प्रकार, कोई भी आदमी, एक प्लॉट में, चार दुकानें खोल सकता है। हमने 3000 के करीब सड़कों को चिन्हित किया है। उन सड़कों पर कोई भी, किसी भी प्रकार की, दुकानें खोल सकता है। अगर आम-माफी की योजना आ जाए, तो आप सोच लीजिए कि उस स्थिति के अंदर क्या होगा। हमने एक प्लॉट में चार दुकानें खोलने के लिए एलाऊ किया है और अगर आम-माफी की योजना लागू हो गई, तो जहां एक छोटी दुकान है, वहां और दुकानें नहीं खुल पाएंगी। वहीं पर फुल स्टॉप लग जाएगा। अगर जनरल एमनैस्टी की योजना लागू हो जाती है, तो जो प्रोफैशनल्स बेसमेंट में काम कर रहे हैं, केवल उन्हीं को लाभ मिलेगा। कल को हमारे बच्चे यदि वकील बनते हैं या चार्टर्ड एकाउंटेंट बनते हैं और यदि उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए जगह चाहिए, तो उन्हें जगह इसलिए नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वे लोग लॉ-एबाइडिंग हैं। अतः उन लोगों को नुकसान होगा और जो लॉ-ब्रेकर हैं, उन्हें इससे फायदा होगा। इसलिए हमारा मानना है कि आम-माफी की स्कीम से, जनरल एमनैस्टी की स्कीम से खराब स्कीम कोई नहीं हो सकती। यह हम नहीं कह रहे हैं। इनकी अपनी पार्टी के लोगों ने भी यही कहा है।

महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि मल्होत्रा कमेटी की जिस जनरल एमनैस्टी स्कीम की बात ये लोग कर रहे हैं; दिनांक 7 जून, 1999 को, मल्होत्रा साहब ने जनरल एमनैस्टी स्कीम डायरैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट की। दिनांक 7 जून, 1999 को सबमिट करते ही, दिनांक 23-11-1999 को, जिनका नाम टाइटलर साहब ले रहे थे, जिन्हें लोक सभा के चुनाव में हराकर मुझे यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन्होंने दिनांक 23-11-1999 को ही जनरल-एमनैस्टी स्कीम रिजैक्ट कर दी। केवल रिजैक्ट ही नहीं की, बल्कि दिनांक 4 दिसम्बर, 1999 को 15 दिन के अंदर-अंदर ही, उन्होंने डी.डी.ए. के तमाम ऑफीसर्स को तलब किया और कहा कि वी.सी., डी.डी.ए. ने, जो मल्होत्रा कमेटी के मैम्बर थे, कैसे हमसे पूछे बगैर आपने हामी भरी, इसलिए उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल हुई? आप जिस आम-माफी की बात करते हैं, वह दिल्ली की जनता के हित में नहीं है। सिर्फ उन्हीं मंत्री जी ने नहीं, बल्कि उसके बाद में, एम.सी.डी. के मेयर ने जब लिखकर भेजा, तो हमारे लोक सभा के एक और माननीय सदस्य ने, जो कर्नाटक से आते हैं, उस समय वे मंत्री थे, उन्होंने 6 फरवरी, 2002 को इस स्कीम को रिजैक्ट किया। इस प्रकार, बार-बार, इनकी अपनी पार्टी के सदस्य, इनकी अपनी पार्टी के मंत्री, वे भी कोलिशन गवर्नमेंट के, जो कोई दूसरी पार्टी नहीं है, बल्कि इनकी अपनी पार्टी के सदस्य थे। अपनी पार्टी के मंत्री बार-बार जिस जनरल एमनैस्टी स्कीम को रिजैक्ट करते चले गए, तो भा.ज.पा. को या इनके एम.पीज. को क्या मॉरल राइट है कि वे हमसे कहें कि आप इस एमनैस्टी स्कीम को मानें और जनरल एमनैस्टी स्कीम को लागू नहीं करेंगे, तो हम दिल्ली के अंदर हंगामा करेंगे। इसी वजह से दिल्ली की जनता, इन सब चीजों को जानती है और उसने पिछले चुनावों के अंदर, इन्हें सही रास्ता दिखा दिया।

[श्री अजय माकन]

महोदय, आज कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा कि हम कितने मकान बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं। श्री शाहनवाज जी ने पूछा। काश, वे यहां होते, तो मैं उनके सामने जवाब देता, लेकिन शायद उन्हें पता था कि जवाब मेरे पास है। इसलिए वे यहां पर नहीं हैं। उन्होंने पूछा था कि श्री जयपाल रेड्डी जी ने 1 लाख मकान बनाने का वायदा किया था, क्या हुआ? श्री जयपाल रेड्डी जी के डायरेक्शन्स पर, श्रीमती सोनिया गांधी जी की डायरेक्शन्स पर, डा. मनमोहन सिंह जी की डायरेक्शन्स पर और जयपाल रेड्डी जी की लीडरशिप में 1 लाख नहीं, बल्कि 1 लाख 13 हजार मकान गरीब लोगों के लिए बनाने की शुरुआत की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 हजार के लगभग मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। 6 हजार मकानों की शुरुआत, पिछले रविवार को मैंने कठपुतली कालोनी के अंदर की है और वजीरपुर था वसंत विहार के अंदर हम लोग आने वाले रविवार को शुरुआत करने जा रहे हैं। वहां भी हम लगभग 10 हजार मकान बना रहे हैं। इस प्रकार मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने 1 लाख 13 हजार मकान बनाने की शुरुआत की है, जिसमें आलरेडी काफी काम हो चुका है। केवल उन्हें बांटना बाकी है। जो मकान हम गरीब लोगों के लिए बना रहे हैं, उनमें सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग उन्हें वहीं की वहीं मकान बना रहे हैं, जहां वे वर्तमान में रहते हैं। इससे पहले का प्रावधान यह होता था कि उन्हें उठाकर के, उन्हें कान पकड़कर दिल्ली के एक कोने में ले जाया करते थे। एक जगह से उन्हें उठाकर के 50-60 किलोमीटर दूर जंगल में फेंक देते थे।

हमने कहा कि झुग्गी-झोंपड़ी के लोग, जो हजारों किलोमीटर दूर अपना मकान छोड़कर, अपना गांव छोड़कर दिल्ली में काम के लिए आते हैं तो उसको अधिकार है कि अपने काम के स्थान के नजदीक ही मकान और फ्लैट बनाकर दिया जाये। सदन को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि लगभग 40 गज का सुपर बिल्ट-अप एरिया वाले फ्लैट हर एक झुग्गी वाले को हम लोग यहां पर देने का प्रावधान कर रहे हैं। इससे पहले आज तक के इतिहास में कभी भी इस तरीके का काम दिल्ली में नहीं हुआ। आप लोगों को भी 6-7 साल काम करने का मौका मिला, लेकिन आप लोग नहीं कर पाये। आज साथ में गरीब लोगों को मकान दिल्ली में और देने की बात एक और माननीय सदस्य ने कही। मैं बताना चाहूंगा, जैसा मैंने कहा कि 52 हजार हम इन सीटू रिहैबिलिटेशन झुग्गी-झोंपड़ी को वहीं के वहीं बसाने का काम कर रहे हैं। साथ में हमने मास्टर प्लान में रखा है कि

[अनुवाद]

एफ.ए.आर. का 15 प्रतिशत या आवास इकाइयों के 35 प्रतिशत, में जो ज्यादा हो,

[हिन्दी]

दोनों में से जो ज्यादा होगा, कोई भी दिल्ली में कंस्ट्रक्शन है, वह इकोनोमिकली वीकर सैक्शन (ई.डब्लू.एस.) हाउसिंग के लिए रिजर्व होगा। दिल्ली के अन्दर मकानों की कमी केवल इकोनोमिकली वीकर सैक्शन के मकानों की ज्यादा है और पूरे हिन्दुस्तान में 99 परसेंट जो टोटल हाउसिंग की रिक्वायरमेंट है, उसका 99 परसेंट इकोनोमिकली वीकर सैक्शन का है। लेकिन दिल्ली के अन्दर हम लोगों ने कहा है कि कम से कम एक तिहाई मकान, जब कभी भी अमीर का बनेगा तो कम से कम एक तिहाई इनके लिए रिजर्व होगा। यह भी अपने आपमें पहली बार है, अब तक के मास्टर प्लान में यह प्रावधान नहीं है।

मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने मलिन बस्ती और गंदी बस्ती की बात यहां पर रखी है। मैं माननीय सदस्य को यहां पर बताना चाहता हूं कि लॉ डिपार्टमेंट का हिन्दी डिवीजन इसको ट्रांसलेट करता है। हम आपकी भावनाओं से उनको बाकायदा राइटिंग में अवगत कराएंगे और हम कोशिश करेंगे कि आगे से इन शब्दों का इस्तेमाल न किया जाये और इसके अन्दर आपकी भावनाओं से मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर सहमत हूं और यह टर्म इन बस्तियों के लिए कम से कम इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए।

त्रिपाठी जी ने बार-बार एक बात कही कि हमारे बिल रिजैक्ट हुए हैं। त्रिपाठी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद आपकी जानकारी में नहीं है कि बिल रिजैक्ट पुराने होने की बात तो छोड़ दीजिए, हम लोगों के जो बिल्स यहां पर इस मुताल्लिक सीलिंग और डिमोलीशन के मुताल्लिक पास किये हैं, यहां इस हाउस के अन्दर जो एक्ट हमने पास किये हैं, रिजैक्ट होने की बात तो दूर रही, हां, चेलैंज सुप्रीम कोर्ट में हर एक्ट को किया गया। रिजैक्ट होने की बात तो दूर रही, किसी भी एक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे तक नहीं दिया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस जानकारी को आप सही कर लें। ऐसी बात नहीं है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: आपने अपने आब्जैक्ट्स एंड रीजंस में दिया है,

[अनुवाद]

मैंने उद्देश्य और कारणों का कथन से उद्धृत किया है।

[हिन्दी]

श्री अजय माकन: इसमें रिजैक्ट किसी और चीज का होगा,

[अनुवाद]

यह किसी अन्य चीज के बारे में हो सकता है। मैं जो कुछ कह रहा हूं वह अभिलेख में दर्ज है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: यह उद्देश्य और कारणों के कथन में है। मैं इसे पढ़ रहा हूं। इसके अनुसार "दिल्ली विधि विशेष उपबंध) अधिनियम, 2006 का अधिनियमन...उच्चतम न्यायालय...द्वारा पारित विभिन्न आदेशों और निदेशों का समाधान करने के लिए किया गया था।"

श्री अजय माकन: इसे कहां अस्वीकार किया गया है? आपने 'रिजैक्टेड' शब्द का प्रयोग किया। आपने बार-बार कहा कि संसद के अधिनियम अस्वीकृत किए गए...*(व्यवधान)* यदि आप इस समय जो कह रहे हैं आपका इरादा ऐसा नहीं था तो मेरी बात सही है। अन्यथा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन मामलों पर संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को कभी भी अस्वीकार नहीं किया गया। अस्वीकार करने की बात छोड़िये उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई स्थगनादेश भी जारी नहीं किया गया था। इसलिए, यह रिकार्ड का मामला है। मैं केवल स्पष्ट करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, एक माननीय सदस्य ने कहा कि कितने मकान बनाये जा रहे हैं और कितने मकान बनाये हैं। मैं बताना चाहूंगा, जैसा मैंने कहा कि 1.13 लाख मकानों की जयपाल रेड्डी जी की स्कीम थी, 1.13 लाख मकान हम लोग गरीबों के लिए दिल्ली में बना रहे हैं। साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत: कितने बन गये हैं?

अध्यक्ष महोदय: रनिंग कमेंट्री नहीं करें।

श्री अजय माकन: साथ-साथ 15,660 ड्वैलिंग यूनिट्स के ऊपर काम चल रहा है और ये 1.13 लाख के अलावा हैं। इन 1.13 लाख में से, जैसा मैंने कहा, हमारे लगभग 15 हजार मकान जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्युअल मिशन में बन चुके हैं, लगभग 6000 मकानों का पिछले हफ्ते हमने शिलान्यास किया है और इस हफ्ते दोबारा से हम लोग 5.7 हजार मकानों का करने जा रहे हैं। सब की स्कीम बन गयी हैं। कुछ बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं और लोग उसके अंदर जाना शुरू हो गए हैं। यह काम हमने किया है। आप लोगों को भी गत 6-7 सालों का मौका मिला था, लेकिन आप एक भी काम नहीं कर पाए थे। मेरा साथ में यह भी कहना है। इसके अंदर इस वर्ष अभी तक 15,660 ड्वैलिंग यूनिट्स पर काम चल रहा है और वर्ष 2009-2010 तक हम लोग 1,094 करोड़ रुपए डी.डी.ए. के माध्यम से हाउसिंग के बनाने के लिए, अकेले उसमें खर्च कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं।

मैं अंत में आप तमाम सदस्यों का जिन्होंने यहां बहुत कांसेप्टिव सुझाव दिए हैं, उनका धन्यवाद करते हुए सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस बिल को पास करे और हम लोगों की मदद करें कि हम दिल्ली के गरीब लोगों की और मदद कर सकें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली के लिए 31 दिसम्बर, 2009 तक की एक और अवधि के लिए विशेष उपबंध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब, सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री अजय माकन: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 15.47 बजे

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2009 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2008

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, सभा मद संख्या 34 और 35 एक साथ लेगी।

प्रो. रासा सिंह रावत।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं:

"कि यह सभा 15 जनवरी, 2009 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2009 (2009 का संख्यांक 3) का निरनुमोदन करती है।"

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री अर्जुन सिंह की तरफ से प्रस्ताव* करती हूं:

"कि विभिन्न राज्यों में अध्यापन और अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना और उनका निगमन तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

"कि यह सभा 15 जनवरी, 2009 को राष्ट्रपति द्वारा प्रस्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2009 (2009 का संख्यांक 3) का निरनुमोदन करती है।"

"कि विभिन्न राज्यों में अध्यापन और अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना और उनका निगमन तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इन दोनों मदों के लिए एक घंटे का समय नियत किया गया है।

प्रो. रासा सिंह रावत।

[हिन्दी]

आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं, संक्षेप में ठीक-ठीक पांच मिनट में अपनी बात कह दीजिए।

प्रो. रासा सिंह रावत: महोदय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2009 जिस रूप में प्रस्तुत हुआ है, उसका तो स्वागत करता हूं, लेकिन जो अध्यादेश के माध्यम से इसको लागू करने का प्रयास किया है, उसकी आपकी अनुमति से निंदा करना चाहूंगा। मैं इसलिए निंदा करना चाहूंगा कि यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है। जो पिछला सत्र हुआ था, उसमें यह इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों को समाविष्ट कर दिया गया। यह सत्र होने वाला था, इसमें कोई विशेष 10-15 दिनों का अंतर पड़ता, लेकिन आप अध्यादेश ले आए और अध्यादेश के द्वारा इसको लागू कर दिया। ऐसा मालूम पड़ता है कि यह सरकार हड़बड़ाहट में थी कि पता नहीं यह सत्र होगा या नहीं होगा, इलेक्शन में कैसे हमें लाभ मिलेगा, इसलिए जो कुछ करना है, उसे जल्दी कर दो। साढ़े चार साल तक तो इनको सारी बातें याद नहीं आयीं और अब जाते-जाते, सारे एक से एक अच्छे विधेयक, जिनको पहले आ जाना चाहिए था, जिन पर विस्तार से चर्चा हो जानी चाहिए थी, उन पर सदन में खुलकर विचार-विमर्श होता, अच्छे अमूल्य सुझाव आते।

अध्यक्ष महोदय, ने व्यवस्था दी है कि केवल एक घंटे का समय है। ऐसी स्थिति के अंदर मैं कहना चाहूंगा कि हेस्ट मेक्स वेस्ट होगा। जिस तरह अध्यादेश के द्वारा इसको लागू करने का जो प्रयास किया है, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधन भी अच्छा होना चाहिए। अध्यादेश तो तब लाया जाता है, जब

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

कोई इमरजेंसी की स्थिति हो, कोई अपरिहार्य परिस्थिति पैदा हो गयी हो, कुछ संकट पैदा होने वाला हो अथवा और कोई ऐसा सत्र नहीं होगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

प्रो. रासा सिंह रावत: ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर इस प्रकार का यह अध्यादेश लाते, तो कोई बात थी, लेकिन अभी तो ऐसी कोई बात नहीं थी। दोनों सत्रों के बीच में आपने 15 जनवरी को यह किया है, तो मैं इस अध्यादेश की प्रवृत्ति की निंदा करना चाहूंगा।

मैं इस बिल का समर्थन करना चाहूंगा क्योंकि अन्य देशों के मुकाबले वैसे ही हमारे देश के अंदर उच्च शिक्षा कम है। आज भारत दुनिया की बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रहा है और इस आर्थिक प्रगति के जमाने में आर्थिक ताकत बनने के लिए गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा हमारे नवजवानों को प्राप्त हो, यह अत्यन्त आवश्यक है। अब तक जहां भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित होते थे, उनके लिए विधेयक अलग-अलग आता था, लेकिन यह अपने आप में और भी अनूठा है कि एक साथ 12 विश्वविद्यालय, 12 राज्यों के अंदर, इसके अलावा चार विश्वविद्यालय अलग से। उन राज्यों में जो पुराने विश्वविद्यालय थे, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय स्तरीय विश्वविद्यालयों के अंदर प्रोन्नत करना, इस प्रकार से 16 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना मैं समझता हूं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह वास्तव में बड़ा अच्छा क्रान्तिकारी कदम है। मैं इसका स्वागत करना चाहूंगा और इसके लिए बधाई देना चाहूंगा। सौभाग्य की बात यह भी है कि देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और अब तक राजस्थान में केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं था। हम कई बार इस मांग को उठाते थे, लेकिन देर से ही सही, late but not the least, आखिर राजस्थान को भी इन राज्यों की शृंखला में सम्मिलित कर दिया गया है और वहां भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। इस समय देश में 24 केन्द्रीय विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं। राज्यों में भी कई विश्वविद्यालय हैं, लेकिन ये जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित होंगे, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बात है। हमें शिक्षा में गुणवत्ता की ओर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता - यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी पिछले दिनों एक साइंस कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। उसके अंदर मेकेन्सी नाम के एक ऐजूकेशनिस्ट ने अपने सर्वे में निष्कर्ष निकाला और वहां कहा था कि भारत से निकलने वाले 90 प्रतिशत ग्रेजुएट्स मल्टी नेशनल कम्पनी की नौकरियों के लायक भी नहीं हैं। यह हमारी उच्च शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ा व्यंग्य है। यदि मैं यह कहूं -

कि निकले हैं कहां जाने के लिए,
पहुंचेंगे कहां यह मालूम नहीं,
इन राह में भटकने वालों को,
मंजिल के निशां मालूम नहीं।

अपराह्न 5.53 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*]

आखिर हम जो उच्च शिक्षा देना चाहते हैं, हम किस प्रकार के नवजवानों और नई पीढ़ी का निर्माण करना चाहते हैं। हमारे प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह जी ने मुम्बई विश्वविद्यालय के एक सौ पचास वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिए गए भाषण में माना कि भारत के दो-तिहाई विश्वविद्यालय तथा 90 प्रतिशत महाविद्यालय औसत से नीचे के स्तर पर कार्य कर रहे हैं। कमजोर गुणवत्ता तथा कौशलविहीन शिक्षा युवा पीढ़ी के साथ एक छलावा है। मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर हमारी उच्च शिक्षा के ऊपर और क्या टिप्पणी की जा सकती है। स्वयं प्रधान मंत्री जी ने यह बात कही।...*(व्यवधान)* मंत्री महोदया जरा ध्यान से इस बात को सुनेंगी। इस दृष्टि से जहां मैं इस विधेयक का पूर्णतया स्वागत करता हूं और इसके लिए बधाई भी देता हूं कि इतने केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे, उनके लिए धन जुटाया जाएगा, वहां मैं यह अवश्य कहूंगा कि यू.जी.सी. के अंतर्गत कार्यरत जो नेट है, जो मूल्यांकन करता है, उसे इतना सुदृढ़ और प्रभावी बनाया जाए कि वह सारे देश के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का समय-समय पर भली प्रकार से निरीक्षण कर सके, उचित सुझाव दे सके और उसकी की हुई संस्तुतियों की पालना भी करवा सके। इस बात के लिए हमारी सरकार को विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

यू.जी.सी. ने एक और बात कही थी। सुखदेव जी थोराट ने कहा था कि सैंट्रल यूनीवर्सिटी हो या स्टेट यूनीवर्सिटी हो, प्रत्येक यूनीवर्सिटी के अंदर क्वालिटी असैसमेंट सैल, गुणवत्ता जांच प्रकोष्ठ बनने चाहिए। मंत्री महोदया जब उत्तर देंगी तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में

[प्रो. रासा सिंह रावत]

इसका विस्तार करने के लिए और वहां के प्राध्यापकों, लैक्चरर्स में अध्ययन कार्य को बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च प्रोजैक्ट वगैरह के लिए और अन्य शैक्षिक कार्यों के लिए गुणवत्ता जांच प्रकोष्ठ स्थापित कर दिए गए हैं? यदि कर दिए गए हैं तो क्या उनका कोई अध्ययन वगैरह हुआ है? उसकी क्या स्थिति है?

सभापति महोदय, हमारे यहां नैशनल नॉलेज कमीशन जैसी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग बना। उसने भी इस विधेयक पर सरकार जो अध्यादेश लाने वाली थी, उस पर चिन्ता व्यक्त की और उसका विरोध किया। उन्होंने कहा था कि इस अध्यादेश के द्वारा यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक नहीं लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें जो प्रावधान किये गये हैं, उनसे इन सब पर सरकार का कंट्रोल हो जायेगा और ये यूनीवर्सिटीज सरकारी एजेंसी बन जायेंगी। इनकी स्वायत्ता और श्रेष्ठता की तरफ कोई ध्यान नहीं होगा। इसलिए सैम पित्रोडा का...*(व्यवधान)* मान्यवर, मैं जो बात कह रहा हूं, वह बहुत महत्वपूर्ण है।...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा।...*(व्यवधान)* सैम पित्रोडा ने जो बात कही, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन्होंने स्वयं पुनर्विचार की मांग की। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के चेयरमैन ने इस बात को स्वयं इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक के बारे में कहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि जिस रूप में यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक आ रहा है, वह उच्च शिक्षा की स्वायत्ता और श्रेष्ठता को खतरे में डाल देगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए, उनकी स्वायत्ता और श्रेष्ठता बनाये रखने के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए। चाहे वह प्राइवेट यूनीवर्सिटीज हों, चाहे सैंट्रल यूनीवर्सिटीज हों या स्टेट यूनीवर्सिटीज हों, वह उनकी संस्थागत स्वायत्ता और शैक्षिक स्वतंत्रता को भी बनाये रखेगा। इसे आप ध्यान रखें।...*(व्यवधान)*

मान्यवर, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। दुर्भाग्य से आज हमारे विश्वविद्यालयों में शोध यानी रिसर्च की जैसी व्यवस्था होनी चाहिए वैसी नहीं है। केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। रिसर्च करने वाले, पी.एच.डी. करने वाले हमारे यहां पर एक साल में केवल पांच हजार निकलते हैं जबकि चीन में सालाना 35 हजार ग्रेजुएट निकलते हैं, पी.एच.डी. करने वाले निकलते हैं। अमेरिका में एक साल में 25 हजार निकलते हैं। इसलिए हमारे यहां के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में, जैसे नालंदा, तक्षशिला प्राचीन काल में विश्वविद्यालय थे, विदेशों से लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। हमारे यहां के विश्वविद्यालय भी ऐसी उच्च श्रेष्ठता वाले हों, जिससे वहां विदेशी नागरिक भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आयें।

मान्यवर, एक ओर इन विश्वविद्यालयों में सरकार सारा खर्चा करती है, लेकिन छात्र पढ़-लिखकर विदेशों में चले जाते हैं। हमारी प्रतिभा विदेश में चली जाती है। उन प्रतिभाओं को यहीं पर रोकने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, ताकि इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र यहीं पर रहकर शोध कार्य कर सकें और देश और राष्ट्र के विकास में भी अपना सहयोग प्रदान कर सकें। इस बात की ओर भी पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि कई नकली विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। नकली विश्वविद्यालय की बात बार-बार उठायी जाती है। लेकिन कई लोग भ्रमित हो जाते हैं। छात्र उनकी प्राइवेट शिक्षा लेते हैं, लेकिन उनकी डिग्रियां मान्यता प्राप्त नहीं होतीं। उन फेक यूनीवर्सिटीज पर क्या एक्शन लिया गया है? कितने लोगों को इस मामले में सजा दी गयी है? मंत्री जी जब उत्तर दें तब वे इस बारे में बतायें। इसके साथ-साथ डीमिड यूनीवर्सिटीज की संख्या बहुत बढ़ती चली जा रही है। पहले डीम्ड यूनीवर्सिटी का दर्जा जिस कालेज या संस्थान को दिया जाता था, माना जाता था कि वह वास्तव में शिक्षा के कार्य में अनूठा कार्य कर रहा है और राष्ट्र की बड़ी अच्छी सेवा कर रहा है। लेकिन आज डीम्ड यूनीवर्सिटीज के नाम पर इनकी संख्या 100 से 150 तक बढ़ गयी है। इसे भी देखा जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जो अध्यादेश लायी है, उस अध्यादेश की प्रवृत्ति का मैं विरोध करता हूं, लेकिन इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय का स्वागत करता हूं क्योंकि यह राष्ट्र के हित में है।

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): महोदय, चर्चा में भाग लेने के लिए अवसर देने हेतु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस दल तथा मेरी नेता श्रीमती सोनिया गांधी की ओर से इस ऐतिहासिक विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

इस विधेयक के माध्यम से, हमारी सरकार का उद्देश्य

12 राज्यों में 12 राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय स्थापित करने का तथा मौजूदा विश्वविद्यालयों का उन्नयन कर उन्हें राष्ट्रीय स्तर का बनाने का है। 12 विश्वविद्यालयों में से एक विश्वविद्यालय तमिलनाडु में कियाजाएगा। मेरे राज्य में एक विश्यविद्यालय स्थापित करने पर छह करोड़ तमिल लोगों की ओर से मैं यू.पी.ए. की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी तथा डा. मनमोहन सिंह जी का धन्यवाद करता हूं।

जब हमारे माननीय प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह द्वारा इस प्रस्ताव की घोषणा की गई थी, तब उन्होंने कहा कि अकादमिक मानदण्ड के रूप में प्रत्येक विश्वविद्यालय को उत्कृष्टता का प्रतीक, कार्यकुशलता का मॉडल बनना चाहिए।

भारत सरकार द्वारा गणित ज्ञान आयोग ने देश भर में कम से कम 1500 विश्वविद्यालय तथा 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की है।

सायं 6.00 बजे

वर्तमान में, देश भर में हमारे पास 450 विश्वविद्यालय हैं। आंध्र प्रदेश इस मामले में अग्रणी है तथा उसके प्रत्येक जिले में एक विश्वविद्यालय है। तमिलनाडु में भी अधिक संख्या में विश्वविद्यालय हैं।

सभापति महोदय: छह बज चुके हैं। केवल इसी विधेयक पर बोलने के लिए 15 और वक्ता शेष हैं। आज एक और विधेयक पारित किया जाना है। इसलिए, यदि सभा सहमत हो तो हम सभा का समय बढ़ा सकते हैं। मुझे सभा की सहमति लेनी होगी।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (मधेपुरा): सभापति महोदय, कल भी रात दस बजे तक हाउस चला था और आगे भी एक बिल लेना है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इसे कल के लिए रेफर किया जाए या जो बिल अभी चल रहा है, उसे खत्म किया जाए और अगले बिल को कल लिया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा का समय सात बजे तक बढ़ाया जाता है। श्री खारवेनथन।

श्री एस.के. खारवेनथन: यह भी सिफारिश की गई है कि तीन वर्षों की अवधि के दौरान कम से कम 10 राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय बनाए जाएं। 350 जिलों में सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.), राष्ट्रीय औसत से नीचे था। इसलिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने 2015 तक कम से कम 15 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लिए 1500 विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की है। भारत में उच्च शिक्षा के लिए सामान्य नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) विकसित देशों के 36 प्रतिशत की तुलना में लगभग 11 प्रतिशत है। चीन में यह 22 प्रतिशत है। ग्यारहवीं योजना के दौरान भारत की जी.ई.आर. को 15 प्रतिशत तथा बारहवीं योजना के अंत तक 21 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। विशालकाय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार को नए विश्वविद्यालयों को तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है। इस स्थिति पर विचार करते हुए, सरकार 12 राज्यों में 12 राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए आगे आई है। इसके लिए, यू.पी.ए. सरकार ने 45,000 करोड़ रुपये व्यय करने का निर्णय लिया है।

महोदय, मैं विधेयक के बारे में कतिपय मुद्दों के बारे में कुछ उल्लेख करना चाहता हूं। विधेयक की धारा 6 प्रस्तावित विश्वविद्यालयों की शक्तियों की व्याख्या करती है। धारा 6(2) विद्यार्थियों के दाखिले के बारे में है। खण्ड के अनुसार इन विश्वविद्यालयों में सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित कर अखिल भारतीय आधार पर छात्रों की चयन कर भर्ती की जाएगी। इस प्रस्ताव पर मेरी कुछ आपत्तियां हैं। संबंधित राज्य के छात्रों के लिए कोई विशेष आरक्षण नहीं हैं। यहां, मैं गोवा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारी सरकार ने गोवा विश्वविद्यालय का उन्नयन करने का निर्णय लिया है। इसका भी हम उन्नयन कर केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं। राज्य के छात्रों के भविष्य का क्या होगा?

सभापति महोदय: समय बहुत कम है। कृपया भाषण समाप्त करें।

श्री एस.के. खारवेनथन: मौजूदा विश्वविद्यालय का उन्नयन करने के बजाय, हमें गोवा में नए विश्वविद्यालय स्थापित करने चाहिए: अन्यथा हमें स्थानीय छात्रों के लिए कुछ प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी होंगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे सभी विश्वविद्यालयों में यह सुविधा देने पर विचार करें तथा स्थानीय छात्रों के लिए कुछ सीटें आरक्षित करें।

[श्री एस.के. खारवेनथन]

विधेयक की धारा 27 के अनुसार, विश्वविद्यालयों के विनियम तैयार किए गए हैं। इस विधेयक की धारा 8(1) के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति कुलाध्यक्ष हैं। विनियम के अनुसार कुलाध्यक्ष को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति तथा साथ ही कुलपतियों को नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है। इस समय मैं तमिलनाडु स्थित एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की दयनीय स्थिति की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

महोदय, तमिलनाडु के चिन्नासना डिडिगुल जिले में गांधी ग्राम नामक एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। यह भारत के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है। भारत के उपराष्ट्रपति इस विश्वविद्यालय के कुलपति है।

प्रो., डा. करूणाकरन, ने जून 2007 में अपनी सेवानिवृत्ति तक इस विश्वविद्यालय में कुलाधिपति के रूप में कार्य किया। नए कुलपति का चयन करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया। डेढ वर्ष पूर्व, इस समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को किसी उपयुक्त व्यक्ति को कुलपति के रूप में नियुक्त करने के लिए तीन सदस्यीय पैनल का गठन करने की सिफारिश की। परंतु आज तक कुलपति की नियुक्ति नहीं की गई है।

विश्वविद्यालयों में, केवल कुलपतियों द्वारा ही उनकी अध्यक्षता में दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा सकता है।

चूंकि वहां कुलपति का पद रिक्त पड़ा हुआ है, इसलिए पिछले दो वर्षों से दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं किया गया। इसलिए पी.एचडी., एम.फिल, स्नातकोत्तर, स्नातक तथा अन्य लगभग 1500 छात्रों को पिछले दो वर्षों से अपनी डिग्रियां प्राप्त नहीं हुई हैं। इससे उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वे अपने उच्च अध्ययन जारी नहीं रख पा रहे हैं तथा रोजगार प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।

इन तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए, मैं माननीय मंत्री महोदय से शीघ्रातिशीघ्र गांधी ग्राम विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त करने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, अब मैं धारा 33(1) पर आता हूं, जो कर्मचारियों की सेवा और शर्तों से सबद्ध है। इसके अनुसार:

> "विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी को एक लिखित करार के तहत नियुक्त किया जाएगा,...।"

महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि क्या विश्वविद्यालय सभी कर्मचारियों को ठेकागत आधार पर नियुक्त करेगा, और क्या विश्वविद्यालय इन कर्मचारियों को स्थायी दर्जा प्रदान नहीं करेगा। इस मुद्दे पर माननीय मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। अन्यथा इससे कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा नहीं होगी जो इन विश्वविद्यालयों में सेवा करेंगे। यह मेरा विनम्र निवेदन है।

इन शब्दों के साथ ही मैं एक बार पुनः इस विधेयक को लाने के लिए आपको बधाई देता हूं तथा माननीय मंत्री महोदय की सराहना करता हूं और इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो. बसुदेव बर्मन (मथुरापुर): सभापति महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

इस विधेयक के उपबंधों में कतिपय विसंगतियां हैं। उदाहरण के लिए कृपया धारा 2(घ) देखें जिसके अनुसार "महाविद्यालय से विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालय अभिप्रेत है" परन्तु धारा 4(5) में संबद्ध महाविद्यालय का उल्लेख है। इसलिए, मैं सुझाव देता हूं कि धारा 2(घ) की भाषा को इस प्रकार बदल दिया जाए "महाविद्यालय" का अर्थ है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किए जा रहे या उससे संबद्ध महाविद्यालय "से संबद्ध" शब्द को यहां जोड़ दिया जाए।

दूसरे, कृपया धारा 3(4) - पृष्ठ 3 - को देखें - जो विश्वविद्यालयों के क्षेत्रीय अधिकारिता के बारे में है। पृष्ठ 17 में "संपूर्ण राज्य" उल्लेख किया गया है जबकि यह "संपूर्ण भारत" होना चाहिए क्योंकि अगले पृष्ठ में हम अखिल भारतीय आधार पर छात्रों के दाखिले तथा शिक्षकों की भर्ती के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही, कुछ अन्य उपबन्धों में "अखिल भारतीय आधार पर" चर्चा का उल्लेख है और इसलिए यदि क्षेत्रीय अधिकारिता केवल संबंधित राज्य की ही होगी तो इसमें विवाद उत्पन्न हो जायेगा। जब हम संपूर्ण भारत से छात्रों की भर्ती करेंगे तो मेरा सुझाव है कि सरकार 50 प्रतिशत या 75 प्रतिशत सीटें संबंधित राज्य के लिए आरक्षित करने तथा शेष 50 प्रतिशत या 25 प्रतिशत सीटें अन्य राज्यों के लिए आरक्षित करने पर विचार कर सकती है और इससे भारत के सभी राज्यों से लोगों को अवसर दिया जा सकेगा। इसलिए, इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।

अब, मैं पृष्ठ 6 की धारा 6(2) (vii) पर आता हूं। इसके अनुसार "राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् या राष्ट्रीय स्तर के किसी अन्य प्रत्यायन अभिकरण से प्रत्यायन प्राप्त किया जाएगा;..." यह बहुत अच्छा है परंतु इसके अंत में कृपया यह शब्द अवश्य जोड़ दें 'भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त'।

अब मैं धारा 7 पर आता हूं। परंतुक के अनुसार "परंतु इस धारा की कोई बात...नहीं समझी जाएगी।" इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में कहा गया है। इस परंतुक के अंत में शब्द - "भारत सरकार के संगत मौजूदा नियमों के अनुरूप" जोड़ा जाए।

और भी अनेक चीजे हैं परंतु समयाभाव के कारण मैं इनमें नहीं जाना चाहता हूं।

अब मैं पृष्ठ 18 पर आता हूं - द्वितीय अनुसूची - विश्वविद्यालयों के परिनियम। यदि हम परिनियम 1 की परिनियम 2 से तुलना करें, कि कुलपति की नियुक्ति कम से कम तीन लोगों के एक पैनल से कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी परन्तु कुलपति की नियुक्ति के मामले में, परिनियम 2(1) में यह लिखा हुआ है कि कुलपति की नियुक्ति व्यक्तियों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी। यहां, संख्या विनिर्दिष्ट नहीं की गई है। मैं यह सुझाव दूंगा कि - "पैनल तीन व्यक्तियों से कम न हो" - को यहां अतःस्थापित किया जाए।

महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान परिनियम 25 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जोकि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को हटाये जाने के बारे में हैं। यह किसी व्यक्ति के, जो कि जीवन भर शिक्षा के क्षेत्र में रहा है, उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का आरोप का मामला अत्यंत खतरनाक साबित हो सकता है : इसके अनुसार:-

> "जहां विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के किसी सदस्य या किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध किसी अवचार का अभिकथन हो वहां शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य के मामले में कुलपति और अन्य कर्मचारी के मामले में नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी कहा गया है) लिखित आदेश द्वारा, यथास्थिति, ऐसे शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को निलंबित कर सकेगा।"

इसके अनुसार यदि किसी शिक्षक या अकादमिक स्टाफ या कर्मचारिवृंद आदि के विरुद्ध कदाचार का आरोप हो तो उसे निलंबित कर दिया जाएगा। यह ठीक नहीं है। इसलिए, कुछ उपबंध होने चाहिए। मान लीजिए, मैं किसी व्यक्ति तथा कुलपति या कार्यकारी परिषद् के विरुद्ध कोई आरोप लगाता हूं, अचानक उसे निलंबित कर दिया जाता है, यह ठीक नहीं है। इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। इसे संशोधित किया जाना चाहिए।

मैं एक या दो और चीजों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मंत्रिमंडल ने जुलाई 2008 में प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परिवर्तित करने तथा देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ जोड़ने का निर्णय लिया था। इस संबंध में, 17 जुलाई, 2008 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। अन्य बातों के साथ-साथ, इसमें कहा गया है कि: "मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस विश्वविद्यालय जो कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का घटक है, को अधिकार में लेने तथा इसका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में संपरिवर्तन करने तथा इसे देश में आई.आई.टी. तंत्र के साथ जोड़ने के प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में अनुमोदित कर दिया है।"

इसके आधार पर अनेक छात्रों को वहां दाखिला मिला है। परन्तु वे अब असंतुष्ट हैं। मैं नहीं जानता कि सरकार ने इस पर क्यों विचार किया। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय एक बहुत अच्छा संस्थान है; तथा बिना किसी विलम्ब के इस प्रौद्योगिकी संस्थान को आई.आई.टी. में बदलने के लिए सभी कदम उठाए जाने चाहिए।

महोदय, हाल ही में, एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से विश्व भारती विश्वविद्यालय अधिनियम, 1957 के कतिपय उपबंधों का अनादर किया है, तथा शिक्षकों का ग्रेडेशन हुआ है। मेरा विचार है कि सरकार मूल अधिनियम में संशोधन पश्चात् इस प्रकार के कदम उठाना आरंभ कर सकती है न कि उससे पूर्व। इसलिए, मैं सरकार से कार्यकारी आदेश का प्रतिसंहरण करने तथा आवश्यक संशोधन करने का अनुरोध करता हूं।

अब, दिनांक 16 दिसम्बर, 2008 के तारांकित प्रश्न सं. 243 के उत्तर में यह कहा गया कि "सरकार का प्रस्ताव विश्व स्तरीय मानदण्ड वाले 14 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का है।"

[प्रो. बसुदेव बर्मन]

तत्पश्चात् मैं सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए विस्तारित सुविधाएं दी जानी चाहिए ताकि वे आने वाले समय में बड़ी संख्या में लड़के और लड़कियों को उच्च शिक्षा में प्रवेश देने हेतु तैयारी कर सकें। इसके लिए समूचे शिक्षा क्षेत्र के लिए समानुपातिक रूप से अधिक आवंटन करने की आश्यकता है।

महोदय, मैं अपने पहले शिक्षा मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा दिए गए सुझाव का स्मरण कराना चाहता हूं। उन्होंने शिक्षा पर अपने पहले भाषण में कहा था कि "शिक्षा के लिए निधियों का प्रावधान कम से कम रक्षा के लिए किए गए प्रावधान के बराबर होना चाहिए।" परंतु आज हम क्या देखते है? न्यूनतम साझा कार्यक्रम में, यह उपबंध किया गया था कि सकल घरेलू उत्पाद की कम से कम छह प्रतिशत राशि शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित की जानी चाहिए। हम विभिन्न आयोगों अर्थात् राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग आदि के बारे में जानते हैं। इन सभी आयोगों ने शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 10% खर्च करने की सिफारिश की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिफारिश, 1986, जिसकी वर्ष 1992 में समीक्षा की गई थी और जिसमें शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का न्यूनतम छह प्रतिशत व्यय करने की बात कही गई थी, पर आधारित न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का केवल 6 प्रतिशत खर्च करने की ही सिफारिश की गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने यह सिफारिश की कि शिक्षा क्षेत्र हेतु सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6 प्रतिशत आबंटन किया जाना चाहिए। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी शिक्षा क्षेत्र के लिए सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6 प्रतिशत भाग आबंटित करने की सिफारिश की गयी है। परंतु आज हम यह देख रहे हैं कि शिक्षा क्षेत्र पर 3.6% से ज्यादा खर्च नहीं किया जा रहा है और हमें कई बार यह बताया गया है कि ग्यारहवीं योजना के अंत तक ऐसा कर दिया जाएगा। हालांकि बजट पेश करने के दौरान अंतिम दिन हमें माननीय वित्त मंत्री ने यह बताया कि शिक्षा के लिए नौ गुणा अधिक आबंटन किया गया है परंतु मेरी जानकारी, ज्ञान और गणना के अनुसार इस बार भी यह सकल घरेलू उत्पाद के चार प्रतिशत से ज्यादा नहीं है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

प्रो. बसुदेव बर्मन: मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के पास उपलब्ध निधियों में भारी असमानता है। मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की असमानता कम से कम होनी चाहिए। केन्द्रीय और राज्य, शहरी और ग्रामीण सभी संस्थानों को एक समान दर्जा दिया जाना चाहिए और मेरे विचार से आदर्श विद्यालय, आदर्श महाविद्यालय अथवा आदर्श विश्वविद्यालय बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसे आदर्श संस्थानों से जहां तक गुणतायुक्त शिक्षा प्रदान करने का प्रश्न है अवसंरचना और सुविधाओं के संबंध में भेदभाव में ही वृद्धि हो रही है। अतएवं, सरकार इस बात का ध्यान रख सकती है।

इस समय, जैसा कि हम सब जानते हैं, 18-23 वर्ष के आयु समूह वाले 10 से 11 प्रतिशत युवा पुरुष और महिलाएं उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें। आबंटित समय एक घंटे का है।

प्रो. बसुदेव बर्मन: हां, मैं जानता हूं। आप उसकी घोषणा कर चुके हैं। मुझे कुछ समय दीजिए।

सभापति महोदय: आप शेष भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं। लिखित भाषण यहां दिया जा सकता है।

प्रो. बसुदेव बर्मन: सभापति महोदय, आदर सहित मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं आपका अनुसरण कर रहा हूं कि जब आप बोलते हैं तो आप क्या करते हैं।

वर्तमान में जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 18-23 वर्ष के आयु समूह वाले 10 से 11 प्रतिशत युवा पुरुष और महिलाएं तकनीकी, चिकित्सा विधि और प्रबंधन सहित उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं।

सभापति महोदय: आप इसे सभा पटल रख सकते हैं।

प्रो. बसुदेव बर्मन: कुछेक विकासशील राष्ट्रों में ये आंकड़े 20% तक हैं। कुछ विकसित देशों में ये आंकड़े उससे भी कहीं ज्यादा हैं।

सभापति महोदय: 17 वक्ता शेष हैं। एक घंटे का समय आबंटित किया गया है।

प्रो. बसुदेव बर्मन: अत: हमारे राष्ट्र को भी ऐसा करने का प्रयास जरूर करना चाहिए।

अब, मैं विश्वविद्यालयों के निधियन के संबंध में बताना चाहूंगा। मैं अपने आपसे नहीं कह रहा हूं। मैं केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त डा. पुनिन्या समिति के शब्दों को ही उद्धृत कर रहा हूं। इसने 1992-93 में "उच्च शिक्षा संस्थान का वि.अ.आ. द्वारा निधीयन" शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी।

सभापति महोदय: अब, मैं अगले वक्ता को बुलाता हूं।

प्रो. बसुदेव बर्मन: कृपया मुझे एक मिनट और दीजिए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार उच्च शिक्षा प्रदान करने के अपने दायित्व से बच नहीं सकती। इसमें कहा गया है:

> "राज्यों को विश्वविद्यालयों के अनिवार्य अनुरक्षण और विकास आवश्यकता हेतु निधीयन करने के प्रमुख दायित्वों को निभाते रहना स्वीकार करना चाहिए। हालांकि प्राथमिक शिक्षा पूरे राष्ट्र के लिए आधार तैयार करती है परंतु शैक्षिक और प्रौद्योगिकीय प्रगति सहित समग्र विकास की दिशा उच्च शिक्षा ही तय करती है। हालांकि यह अधिदेशात्मक है कि राष्ट्र सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा और पूर्ण साक्षरता के लक्ष्यों को प्राप्त करे परंतु साथ ही साथ हम उच्च शिक्षा के वैश्विक मानक प्राप्त करने के अपने प्रयासों की उपेक्षा भी नहीं कर सकते।"

सभापति महोदय: हां, कृपया अपनी बात समाप्त करें। अब, श्री रामजीलाल सुमन।

प्रो. बसुदेव बर्मन: उच्च शिक्षा पर यूनेस्को विश्व सम्मेलन 1998 ने "वर्ल्ड डैक्लेरेशन आन हायर एजुकेशन फार दा 21 सेंचुरी - विजन एंड एक्शन" शीर्षक से दस्तावेज को अंतिम रूप प्रदान किया।

सभापति महोदय: 17 वक्ता शेष है। आप स्थिति समझ ही नहीं रहे है। आप पढ़े जा रहे हैं?

प्रो. बसुदेव बर्मन: मेरी दो पंक्तियां और रह गयी हैं:

मैं उद्धृत करता हूं:-

> "उच्च शिक्षा के निधीयन के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र के संसाधनों की आवश्यकता होती है। इस संबंध में राज्य की भूमिका अनिवार्य होती है। उच्च शिक्षा का सरकारी क्षेत्र द्वारा निधीयन उस सहयोग को दर्शाता है जो समाज उच्च शिक्षा के लिए मुहैया करवाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा तंत्र को और अधिक मजबूत बनाता है जिससे कि उच्च शिक्षा का विकास हो, उसकी दक्षता बढ़े तथा इसकी गुणवत्ता और प्रासंगकिता को सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान को सरकारी सहयोग देना आवश्यक है ताकि शैक्षणिक और सामाजिक अभियान की संतुलित उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके।"

और वर्तमान रूप में मैं विधेयक का समर्थन नहीं करता।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): माननीय सभापति महोदय, हम केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। सरकार अध्यादेश के जरिए बिल सदन में लाई कि 12 ऐसे राज्य, जहां कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं था, वहां केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनेंगे और तीन ऐसे राज्य, जहां राजकीय विश्वविद्यालय थे, उनका दर्जा बढ़कर केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो जाएगा। मैं समझता हूं कि यह निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है। सरकार जिस भावना से सदन में आई है और जिस विश्वास के साथ केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाना चाहती है ताकि उच्च शिक्षा का स्तर सुधरे और उपेक्षित वर्ग के छात्रों को बेहतर शिक्षा मिले, लेकिन मैं समझता हूं कि इसके लिए समयबद्ध कार्यक्रम की आवश्यकता है। आप जिस तरह से अध्यादेश लाए हैं उससे तो ऐसा लगता है कि इसी सत्र में करने वाले हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि अब तक के जो अनुभव रहे हैं, वे ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। छात्रों की संख्या कैसे बढ़ेगी और मूलभूत ढांचा कैसे बनेगा, ये कुछ शंकाएं हैं जिनके विषय में मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा। मैं अपेक्षा करूंगा कि सरकार इसे देखे क्योंकि इस सदन में सिर्फ बिल पास हो जाए, इतना ही काफी नहीं है, इस पर बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। इसके लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है, तभी इसके अपेक्षित परिणाम निकलेंगे।

मैंने कहा शंकाएं हैं, इसके कई कारण हैं। वर्ष 1991 में लखनऊ में डा. भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय शुरू हुआ। आज हालत है कि वहां 500 बच्चे हैं। वहां शिक्षा की जो स्थिति होनी चाहिए वह नहीं है। 15 वर्षों के बाद भी जिस तरह से विश्वविद्यालय चलना चाहिए, संचालित होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। इसलिए मात्र विश्वविद्यालय बनाया जाना काफी नहीं है, हमें यह भी देखना होगा कि

[श्री रामजीलाल सुमन]

जिस मकसद के लिए विश्वविद्यालय बनाया जाना चाहिए वह पूरा हो रहा है या नहीं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, वर्धा का हाल सबसे बुरा है। उसका न कोई ढांचा है, न कोई पढ़ाई है। अगर इस तरह के केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने हैं तो मैं समझता हूं कि इसका कोई अर्थ नहीं है। जब तक लोगों को गुणवत्ता न दिखाई दे, अपेक्षित सुधार न दिखाई दे, तब तक आपकी मंशा पूरी नहीं हो सकती है। आप जो लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, वह प्राप्त नहीं हो सकता।

महोदय, आप कुलपति बनाते हैं, इसमें यह मत देखिए कि शिक्षा के क्षेत्र में उनकी कितनी शोहरत है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनकी प्रशासनिक योग्यता क्या है। आज तमाम विश्वविद्यालय, जो भली प्रकार नहीं चल रहे हैं, उस विश्वविद्यालय के कुलपति के पास प्रशासनिक योग्यता और जानकारी तो होनी चाहिए। हम यही अपेक्षा करेंगे कि जब आप कुलपति की नियुक्ति करते हैं तो अल्पसंख्यक और दलित समुदाय के लोग भी होने चाहिए। इनमें क्षमता की कमी नहीं है, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि देश में 24 विश्वविद्यालयों में सिर्फ एक में अनुसूचित जाति और दो में अल्पसंख्यक समुदाय के कुलपति हैं। जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक्ट, 1956 बना था, उस समय पूरे देश में राज्य और केंद्र के मात्र 20 विश्वविद्यालय थे, 500 महाविद्यालय थे और 2,25,000 छात्र थे। आज 450 विश्वविद्यालय, 21,000 महाविद्यालय और एक करोड़ पचास लाख छात्रों की संख्या है। मुझे सबसे ज्यादा कष्ट होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके संचालन का ढांचा पुराने ढांचे पर ही चल रहा है। आपने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक्ट, 1956 में दो बार छोटी तब्दीलियां 1972 और 1984 में कीं। इन तबदीलियों से उनके संचालन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए इस एक्ट में व्यापक संशोधन की आवश्यकता है।

महोदय, आज शिक्षा का क्या हाल है? 25 वर्ष से अधिक समय से हमारे देश में 22 फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं। इनकी सूची मेरे पास है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सिर्फ सूची जारी करके कोई कार्रवाई न करे, इससे ज्यादा दुःख की क्या बात हो सकती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक्ट के मुताबिक अगर कोई फर्जी विश्वविद्यालय है तो उस पर सिर्फ 1000 रुपए दंड का प्रावधान है और वह भी आज तक नहीं हुआ। आज स्थिति यह है कि 22 फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं।

मैडम मिनिस्टर, छह फर्जी विश्वविद्यालय आपकी दिल्ली में चल रहे हैं और इन फर्जी विश्वविद्यालयों को आप रोक नहीं पा रहे हैं। आप उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना चाहते हैं और आप नये-नये विश्वविद्यालय बना रहे हैं। जबकि पूरे देश में फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं। इस तरह की तमाम खबरें आती हैं कि किसी नवजवान को जब पता चलता है कि उसे फर्जी डिग्री मिल गई है तो वह खुदकुशी कर लेता है।

सभापति महोदय, मेरी जानकारी में एक केस है। यू.पी.एस.सी. में एक महिला की डिग्री पर उसका प्रिंसिपल पद के लिए चयन कर लिया। लेकिन जब उसके पेपर्स की जांच हुई तो पाया गया कि उसकी डिग्री फर्जी यूनिवर्सिटी की है। आप कल्पना कीजिए कि वह कितनी परेशान हुई होगी। इस तरह के केस ऐसा नहीं है कि आजकल आ रहे हैं, अखबारों में बराबर इस तरह की खबरें छपती हैं कि फर्जी सर्टिफिकेट दे दिया, फर्जी डिग्री दे दी गई और उस डिग्री के आधार पर जिस नवजवान को नौकरी मिलने वाली होती है, वह नवजवान उस नौकरी से वंचित रह जाता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: बहुत हो चुका। आप सभी बातों को कह चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: सभापति महोदय, हमारे देश में न सिर्फ हमारे देश के फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं, बल्कि यहां पर आस्ट्रेलिया, कनाडा, यू.के. एवं अमरीका के भी फर्जी विश्वविद्यालय गैरकानूनी तरीके से चल रहे हैं और भारत सरकार के पास इन्हें रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। इसका साक्षात् प्रमाण यह है कि जो दिल्ली में नेहरू प्लेस है, इस नेहरू प्लेस में ही कई विदेशी विश्वविद्यालयों के दफ्तर चल रहे हैं। जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि आप नये केन्द्रीय विश्वविद्यालय बना रहे हैं, इसके लिए बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरह से उच्च शिक्षा के काम को आप देख रहे हैं, आपका काम करने का तरीका निहायत ही घटिया है। यू.जी.सी. का एक्ट बहुत पुराना है। पूरे देश में जो फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं, उनसे निपटने के लिए आप कोई सार्थक कानून नहीं बनाना चाहते। मेरा आरोप है कि यू.जी.सी. के जो एक्ट में संशोधन होना है, वह दस साल से धूल चाट रहा

है। सरकार को उसकी कोई परवाह नहीं है। इसलिए, जहां एक ओर इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का हम स्वागत करते हैं, वहीं हम यह अपेक्षा करते हैं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 1956 का जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक्ट था, उसमें व्यापक तब्दीली करने की आवश्यकता है। जिसकी वजह से पूरे देश में नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम जो फर्जी विश्वविद्यालय कर रहे हैं, उन्हें रोका जा सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अगले वक्ता श्री राम कृपाल यादव हैं। मुझे विश्वास है कि आप इस बात को जानते हैं कि हमारे पास बहुत सीमित समय है। अतएवं; आपको उसी सीमित समय में अपनी बात कहनी चाहिए।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): धन्यवाद, महोदय।

सभापति महोदय: ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वे समय पर नियंत्रण नहीं रख रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, मैं यहीं से बोलने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय: ठीक है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: सभापति महोदय, जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 लाया गया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं सबसे पहले केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और विशेष तौर पर माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने बिहार जैसे पिछड़े राज्य में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया। पिछले न जाने कितने वर्षों से हमारी यह मांग चली आ रही थी कि बिहार में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। उन्होंने उस मांग को मान लिया और वहां की नौ करोड़ जनता की भावनाओं के अनुरूप एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय ले लिया है, यह स्वागतयोग्य है। आज पूरे बिहार की जनता उनका आभार व्यक्त कर रही है। हम सभी लोग भी आभार व्यक्त कर रहे हैं कि माननीय प्रधान मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी ने बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा उपहार दिया है। बिहार एक पिछड़ा प्रदेश है, वहां शिक्षा की बड़े पैमाने पर जरूरत है। लेकिन आज भी देश के पैमाने पर बिहार में साक्षरता का प्रतिशत सबसे पीछे है। मगर मैं समझता हूं कि बिहार के पिछड़ेपन के कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण यह भी है कि वहां बड़े पैमाने पर अशिक्षा है, जिसके कारण बिहार आगे नहीं बढ़ पा रहा है। देश को आजाद हुए साठ वर्ष से अधिक हो गये हैं। लेकिन इस बात की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जा सका, चाहे वहां किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, सब लोगों ने बिहार के साथ अन्याय किया है। मगर यू.पी.ए. सरकार ने बड़ी महती कृपा की है जिन्होंने केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, मैं बार-बार धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, देश के विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। मगर कोई स्थान तय नहीं किया गया है। हमने देखा है कि मध्य प्रदेश और कई ऐसे राज्यों में विश्वविद्यालय चलाये जा रहे हैं जिन्हें केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने का काम किया गया है। हम लोगों को यह जानकर आश्चर्य हुआ लेकिन दु:ख भी है कि काफी समय से बिहार में केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाये जाने की मांग की जा रही थी जिसे पूरा किया गया लेकिन पटना विश्वविद्यालय, जिसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, अंग्रेजों के जमाने से पहले का 100-150 वर्षों का जिसका इतिहास रहा है और पूरे बिहार में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के रूप में ख्यातिप्राप्त रहा है, उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय से एक से एक बढ़कर विद्वान निकले हैं, और अपनी प्रतिभा का निखार उस विश्वविद्यालय के माध्यम से देश की सेवा करने में लगाया है। इसी विश्वविद्यालय से बहुत सारे प्रोफैसर्स, इंजीनियर्स और वैज्ञानिक निकले हैं। पटना विश्वविद्यालय से न केवल बिहार के बल्कि प. बंगाल के लोग भी शिक्षा प्राप्त करते रहे हैं। केवल देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से आकर भी लोगों ने शिक्षा ग्रहण की है। जैसा माननीय सदस्य बता रहे थे कि वहां गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई होती है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी अलग पहचान होती है। इसी तरह पटना विश्वविद्यालय की अलग से पहचान है। मुझे जानकर तकलीफ हुई कि पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने के लिये लम्बे समय से मांग की जाती रही है, एजीटेशन होता रहा है, लेकिन उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। मैंने सदन में कई बार इस विषय को उठाया है और मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है। यह जानकर दुख हुआ कि पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने का निर्णय नहीं किया

[श्री राम कृपाल यादव]

गया है। इसका क्या कारण है? पटना विश्वविद्यालय सारे क्राईटेरिया को पूरा कर पा रहा है। यहां तक कि पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने, जब हमारे दल की सरकार के मुख्य मंत्री, श्री लालू प्रसाद और उसके बाद श्रीमती राबड़ी देवी थीं, उस समय पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने के लिये निवेदन किया गया। पता नहीं, क्यों नहीं दिया गया? मैं देश के ऐसे 5-7 प्रदेशों के बारे में जानता हूं जहां केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा वहां के विश्वविद्यालयों को दिया गया है। मध्य प्रदेश में यह दर्जा दिया गया है। पटना विश्वविद्यालय में सारे इनफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, एक कैम्पस में कालेज हैं, अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं, अच्छी लैबोरेट्रीज हैं, अच्छी फैकल्टी है, एक से एक बढ़कर विद्वान व्याख्याता हैं लेकिन आपने कंसीडर नहीं किया है। मैं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है और पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाये, बिहार के लोगों की भावनाओं के अनुरूप, पटना की जनता आभारी रहेगी।

सभापति महोदय, आज प्रतिस्पर्द्धा का युग है। केवल डिग्री प्राप्त करने से कुछ नहीं होता है। मैं समझता हूं कि अगर एम.ए. भी पास कर लिया तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, जब तक क्वालिटीयुक्त पढ़ाई नहीं होगी। आज नई आर्थिक नीति आयी है। दुनिया में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ गई है। आज रोजगार के अवसर घटे हैं। निश्चित तौर पर जब तक गुणवत्तायुक्त पढ़ाई नहीं होगी, कुछ नहीं हो सकेगा। मेरे पास आंकड़े हैं। आज 80 प्रतिशत डिग्री कालेज हैं। वहां के पढ़े लोग बेकार पड़े हुये हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। उन बच्चों का भविष्य क्या होगा, इस पर हम लोगों को विचार करना चाहिये। जब तक आधारभूत समस्या ठीक नहीं होगी, समस्या का हल नहीं है। ठीक है, आपने केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी। लेकिन आज ऐसे बहुत से कालेज हैं जो भवनविहीन हैं। शुरू में जो स्कूलों की हालत थी, वह आज कालेजों की भी है। उनके पास अपनी आर्थिक तंगी रहती है। विद्यालयों और महाविद्यालयों के निर्माण के लिये पैसा नहीं देते हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपने स्तर से यह निर्णय लेने का काम कीजिये। ठीक है, केन्द्रीय विश्वविद्यालय आपने बना दिया और सारा खर्चा आप यहां से भेजते हैं लेकिन जो कालेजेज रन कर रहे हैं, जहां पर पढ़ाई हो रही है, अब ग्रामीण इलाकों के कॉलेजों की स्थिति यह है कि बच्चे खपरैल में पढ़ रहे हैं। जब तक उसकी आधारभूत संरचना नहीं होगी तब तक पढ़ने का माहौल नहीं बनेगा। आपने सर्व शिक्षा अभियान में यह निर्णय लिया है और देश व बिहार के न जाने कितने स्कूलों में भवनों का निर्माण करा दिया है। यहां पहले बच्चे खुले आकाश के नीचे पढ़ते थे, पेड़ के नीचे पढ़ने का काम करते थे, खुली छत के नीचे पढ़ने का काम करते थे। आपने यह जो निर्णय लिया है, उसके पॉजीटिव रिजल्ट आ रहे हैं और कम से कम बच्चे ठीक ढंग से पढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपने केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाकर लोगों को उपहार दिया है। मैं समझता हूं कि आपकी साफ तौर पर यह मंशा है कि अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई हो, लेकिन अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई केवल एकमात्र केन्द्रीय विश्वविद्यालय से नहीं होगी। राज्यों में महाविद्यालयों की स्थिति बिल्कुल खराब है। आप जब तक उसमें सहूलियतें प्रदान नहीं करेंगी, विशेष पैसा देने का काम नहीं करेंगी, वहां अच्छे व्याख्याता होने चाहिएं, अच्छी लेबोरेट्रियां होनी चाहिए, तब मैं समझता हूं कि इसका कुछ असर होगा। आज देश के कॉलेजों की क्या स्थिति है? देश के विभिन्न कॉलेजों का एक आकलन प्रस्तुत किया गया है कि उनमें 35 से 60 प्रतिशत शिक्षकों के पद खाली हैं। जब व्याख्याता ही नहीं होंगे तो आप कैसे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम करेंगे? एक नेशनल एसेसमेंट काउन्सिल ने सर्वेक्षण किया है कि 90 प्रतिशत कॉलेजों और 68 प्रतिशत विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता मध्यम और खराब दर्जे की है। केवल 10 प्रतिशत ही कॉलेज ऐसे हैं जहां पर अच्छी शिक्षा मिलती है। इससे देश के भविष्य का निर्माण कैसे होगा?

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं क्या कर सकता हूं? नियत समय सीमित है। हमें निर्धारित समय के भीतर ही इसे समाप्त करना है।

श्री कृपाल यादव, आपको अब अपना भाषण समाप्त करना होगा।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, भारत में प्रतिवर्ष केवल पांच हजार लोग पी.एच.डी. करते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि हम जहां से दुनिया के साथ अपना कम्पेरिजन करते हैं, अगर वहां देखें तो, हमारे यहां मेधा की कमी नहीं है। हमारे यहां एक से एक मेधा है, केवल उसको ठीक ढंग से प्रोत्साहित करने की जरूरत है। एक तरफ

जहां भारत में प्रतिवर्ष पांच हजार छात्र पी.एच.डी. करते हैं वहीं अमेरिका में 35 हजार और चीन में 30 हजार लोग पी.एच.डी. करते हैं। इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि आप इतने बड़े गैप को कैसे फुलफिल करेंगे?

महोदय, हम यह मान रहे हैं कि यू.पी.ए. सरकार शिक्षा पर काफी खर्च करने का काम कर रही है, लेकिन उच्च शिक्षा में जो कुल खर्च हो रहा है, वह अभी भी बहुत कम है। जी.डी.पी. का कुल छह प्रतिशत हिस्सा ही उच्च शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। आप प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन उच्च शिक्षा पर आप खर्च नहीं कर रहे हैं। जब आप उच्च शिक्षा पर खर्च नहीं करेंगे तो आप कैसे मेधा रखने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे? मैं इस बात को मानता हूं और यह ठीक भी है कि बेसिक शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ-साथ उच्च शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। आपने अभी जो राशि आबंटित की है, उसे निश्चित तौर पर बढ़ाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग पढ़ सकें और उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें।

महोदय, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं यह कोशिश कर रहा हूं कि अपनी बात जल्दी समाप्त करूं। हमारे यहां गरीबी का क्या हाल है? हिन्दुस्तान की आधी से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर करती है। बच्चों के मां-बाप उनको हॉयर एजुकेशन दिलाने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आप जो फीस ले रहे हैं, वह बहुत अधिक है। आज के समय में जो इंजीनियरिंग, मैडिकल कॉलेज और तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा रखने वाले लोग हैं, उनकी इच्छा फीस को देखकर ही मर जाती है। आपने बैंकों से ऋण देने का उपबन्ध किया है, लेकिन वह नाकाफी है। उच्च शिक्षा के लिए ऋण की अधिकतम सीमा आपने 7.5 लाख रुपये रखी है जो बहुत कम है। आप वर्ष 2005-06 का आंकड़ा ले लीजिए, इसमें आपने इसमें मात्र 10 हजार करोड़ रुपये दिये हैं। इसको बढ़ाइए और सरल करने का काम कीजिए ताकि उच्च शिक्षा सर्वसुलभ हो सके। आप फीस कम करने का काम कीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि निश्चित तौर पर इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा। हमारे यहां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वह भी अब कम पड़ रहे हैं। केन्द्रीय सरकार के पास खजाना है। कई ऐसे राज्य हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव: मैं समाप्त करने जा रहा हूं।

सभापति महोदय: यह ऐसा विषय है जिस पर चर्चा के लिए कई दिन लग सकते हैं। पर हमें आवंटित समय के भीतर ही अपनी बात समाप्त करनी होगी। विश्वविद्यालय शिक्षा एक बृहद विषय है और चर्चा में 2-3 दिन लगेंगे। लेकिन उन्हें केवल एक घंटा आबंटित किया है। मैं क्या कर सकता हूं।

विश्वविद्यालय शिक्षा एक गंभीर मामला है और इस पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है लेकिन आवंटित समय केवल एक घंटा है। मैं क्या कर सकता हूं? मैंने शुरू में ही आपसे बता दिया था।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्साहित करने के लिए अधिक से अधिक राशि आवंटित करनी चाहिए, कॉलेजों में इन्फ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करनी चाहिए।

अंत में मैं आपसे निवेदन करूंगा, यह पूरे बिहार की फीलिंग है कि पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। केन्द्रीय मंत्री जब बिहार गए थे तो उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया है। इस पर आप विचार कीजिए और पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप कई बार कह चुके हैं कि आप समाप्त कर रहे हैं, पर आप ऐसा नहीं कर रहे।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: इस पर सभी बिहारवासियों, सदन के सांसदों, चाहे वे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के, सभी की सहमति है, इसलिए आप पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सायं 6.43 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, मैं यहां केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 से सम्बंधित चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं इस बात से अवगत हूं कि संसद के पिछले सत्र के दौरान माननीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री विशिष्ट केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से संबंधित कतिपय संशोधनों को लेकर आए थे और मैंने उसमें भाग लिया तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संबंध में अपने विचार भी रखे थे कि विशिष्ट क्षेत्रों में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का निर्माण किया जाए।

यह देश भर में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय का विस्तार नहीं कर रहे। इसके पीछे विचार यह था कि अपने देश की मूलभूत संस्कृति और लोकोन्मुखी सभ्यता को बढ़ावा दिया जाए। इसीलिए नागालैण्ड विश्वविद्यालय, मणिपुर विश्वविद्यालय और हैदराबाद भाषा विश्वविद्यालय आर्ट आरंभ में शुरुआत किए गए थे।

डा. सैम पित्रोदा के नेतृत्व में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग हमारे देश की जरूरतों के अनुसार बिल्कुल सही समय पर आया है। हमें उच्च शिक्षा के विस्तार की आवश्यकता क्यों है और हम वैश्विक स्तर पर अपनी श्रेष्ठता कैसे साबित करेंगे? उनका विचार था कि देश में कम से कम 1500 विश्वविद्यालय हों। मैं नहीं जानता की 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक हम इसे हासिल कर पाएंगे या नहीं पर इस संबंध में कुछ प्रगति हुई है।

साफ-साफ कहूं तो मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि संप्रग सरकार अपने कार्यकाल के अंत तक उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त बजटीय सहायता प्रदान करेगी। मैंने यह बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। मैं समझता हूं कि संपूर्ण देश और शिक्षित समुदाय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की इस प्रदत्त वित्तपोषण राशि की सराहना करेगा। लेकिन साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रयुक्त हिन्दी शब्द 'गुणवत्ता' का भी हमें ध्यान रखना होगा।

इस विधेयक के संबंध में, मैं यह कहूंगा कि पिछले सत्र के दौरान जब 17 मिनट में आठ विधेयक पारित किए गए थे, यह विधेयक सूचीबद्ध था तथा कार्य मंत्रणा समिति ने भी कुछ समय आबंटित किया था...

उपाध्यक्ष महोदय: इसके लिए एक घंटे का समय आवंटित किया गया था।

श्री भर्तृहरि महताब: पिछली बार यह एक घंटा नहीं था। इस बार हमने इसके लिए एक घंटा आवंटित किया है। शुक्र है कि उन आठ विधेयकों की तरह इसे भी 17 मिनट में पारित नहीं किया गया। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इस संबंध में आपने सरकार की बात को नहीं माना। मैं यह कहना चाहूंगा कि विभिन्न ऐतिहासिक कारणों के चलते 11 राज्यों, जिनमें अधिकांश पिछड़े राज्य हैं, जहां केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं हैं इस सरकार ने वहां केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रदान कर दिए हैं। मैं इसकी सराहना करता हूं। उड़ीसा, एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए संघर्ष कर रहा है। उड़ीसा सरकार और उड़ीसा की जनता लगातार यह बात कह रही है कि राज्य में कम से कम एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय और अच्छी गुणवत्ता के एक उच्च शिक्षण संस्थान की स्थापना की जाए क्योंकि उच्च शिक्षा के लिए लोग उड़ीसा से काफी अधिक संख्या में बाहर जाते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने यह ठीक ही उल्लेख किया है कि उच्च शिक्षा स्तर पर विकसित देशों में सामान्य नामांकन अनुपात 56 प्रतिशत है तथा आगे बढ़ते देशों में औसत 36 प्रतिशत और यहां तक की चीन में भी 22 प्रतिशत है जबकि हमारे देश में केवल 11 प्रतिशत है। हमें कम से कम इसकी बराबरी करनी चाहिए। लेकिन इस बराबरी के लिए हमने जो समय सीमा रखी है वह छह से दस वर्षों की है। मुझे लगता है कि इसमें इससे कहीं अधिक समय लगेगा। इन 16 विश्वविद्यालयों के खुलने से मुझे यकीन है कि सरकार अगले पांच वर्षों में 30,000 सीट और बढ़ाने का लक्ष्य रखेगी। अगले पांच वर्षों के लिए यही लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

11वीं योजना का प्रस्ताव भारतीय जी.ई.आर. को 15 प्रतिशत करने का है जबकि 12वीं योजना के अंत तक यह लक्ष्य 21 प्रतिशत का है। आप चीन के 22 प्रतिशत तक

नहीं पहुंचेंगे क्या यही प्रगति है जिस ओर आप बढ़ रहे हैं और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यही हमारा दृष्टिकोण है। इस कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार को नए संस्थाओं की संख्या बढ़ानी होगी तथा मौजूदा संस्थाओं की क्षमता बढ़ानी होगी।

महोदय, पिछले अनुभव से सीखकर इस नये विधेयक से यह उम्मीद है कि नए विश्वविद्यालयों के शासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया का पुनर्गठन करेगा ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो तथा शिक्षा की पहुंच की पर्याप्त रूप से विस्तार होने तथा गुणवत्ता में सुधार आदि दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने विस्तार, उत्कृष्टता और समावेश के संबंध में महत्वपूर्ण सिफारिशें की थी। दुर्भाग्य से यह विधेयक एक बड़ी निराशा के रूप में सामने आया है। महोदय, मुझे पता है कि इस विधेयक के माध्यम से अब प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुमति होगी। इसके लिए पहले से ही प्रत्येक के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और इस धनराशि को पहले ही जारी कर दिया गया है। मुझे यह भी पता है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उच्च शिक्षा के लिए निर्धारित बजट में छह गुना की वृद्धि की गई है जिसके परिणामस्वरूप यह धनराशि 8000 रुपए से बढ़कर 45,000 करोड़ रुपए हो गई है। राज्य सरकारों ने उक्त प्रयोजनार्थ निशुल्क भूमि मुहैया कराने के लिए भूमि का चयन भी कर लिया है। लेकिन आज समस्या यह है कि क्या इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को पर्याप्त स्वायत्तता दी जाएगी। डा. गिरधर गमांग यहां उपस्थित हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए इनके निर्वाचन क्षेत्र को चुना है। यह निर्णय बिना किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह के अल्प विकसित और अनुसूचित क्षेत्र को ध्यान में रखकर लिया गया है।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग इस बात पर जोर दे रहा है कि भारत में और अधिक विश्वविद्यालयों की दरकार है लेकिन मैं यहां प्रो. यशपाल जोकि नए विश्वविद्यालय खोलने के लिए आतुर थे का हवाला देना चाहता हूं। उन्होंने कहा:

> "विश्वविद्यालय मात्र ईंट और गारे का ढांचा भर नहीं है। उन्हें प्रतिभा को बढ़ावा देना चाहिए और प्रतिभा विकास के लिए सभी विषयों से सम्बद्ध होना चाहिए।"

यही राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 14 जनवरी, 2009 को एक वक्तव्य के साथ सामने आया जिसमें कहा गया था कि केन्द्र सरकार को केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक पर पुन: विचार करना चाहिए जिसमें सरकार को नियन्त्रण की व्यापक शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, इसमें पूर्ववर्ती त्रुटियों को दोहराया गया है और भारत में उच्च शिक्षा के समक्ष लगातार आने वाली समस्याएं बढ़ी हैं तथा इसकी सिफारिशों को सच्ची भावना से लागू नहीं किया गया है। निस्संदेह इस विधेयक में कुछ सुधार किए गए हैं। लेकिन इस संबंध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप दस मिनट से ज्यादा समय ले चुके हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: मुझे सरकार को विचारयोग्य सुझाव देने के लिए कुछ और समय की जरूरत है।

इस विधेयक में यह कहा गया है कि संक्रमणकाल के दौरान केन्द्र सरकार जिसका अर्थ हुआ मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा प्रथम कार्यकारी परिषद और विद्वत परिषद को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। लेकिन न तो विधेयक में और न ही संविधि में पात्रता और अर्हता के बारे में कुछ बताया गया है। चयन समिति द्वारा विभाग के डीन की नियुक्ति करने के मामले में भी यही बात लागू होती है। विधेयक में विजीटर को किसी कदाचार या उल्लंघन के आधार पर कुलपति को हटाने के लिए व्यापक शक्तियां दी गई हैं। लेकिन क्या इन शक्तियों का उपयोग केवल अपवाद वाले मामलों में नहीं होना चाहिए तथा इसके उपयोग किए जाने के कारणों को नहीं बताया जाना चाहिए? विधेयक में किसी नीतिगत विषय पर विश्वविद्यालयों को बाध्यकारी दिशा-निर्देश देने के लिए केन्द्र सरकार को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। किन्तु नीतिगत विषय क्या है? इसकी व्याख्या कौन करेगा? क्या ये शक्तियां भी केन्द्र सरकार के अधीन नहीं आ जाती। क्या इससे विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की अवधारणा समाप्त नहीं हो जाती जोकि केन्द्र की उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है?

केन्द्र सरकार की भूमिका मात्र कार्यकारी परिषद और विद्वत परिषद में प्रतिनिधियों को नामनिर्दिष्ट करने तक सीमित होनी चाहिए। यहां यह जानना रोचक है कि ऐसी विस्तृत शक्तियां विद्यमान विश्वविद्यालय अधिनियम में भी मौजूद नहीं है जिसके माध्यम से विद्यमान केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रशासित होते हैं।

विधेयक, केन्द्र सरकार को प्रथम कुलाधिपति, प्रथम कुलपति, प्रथम रजिस्ट्रार और प्रथम वित्त अधिकारी को

[श्री भर्तृहरि महताब]

नियुक्त करने की शक्ति देता है किन्तु इस संबंध में किसी खोज समिति या उनकी अर्हताओं के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। क्या इससे विश्वविद्यालयों के स्थापना के आरंभिक वर्षों में ऐसी नियुक्तियों के राजनीतिकरण के बारे में संदेह पैदा नहीं करता? इस विधेयक में सरकार को बिना किसी योग्यता निबंधन और अर्हता के प्रथम न्यायालय, प्रथम कार्यकारी परिषद और प्रथम विद्वत परिषद का गठन करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त पूर्ववर्ती कुलपति की नियुक्ति; अनुसंधान समिति के गठन में विजीटर के नामिति, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में पढ़ा जाए, का बोलबाला रहेगा।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करता इसके अतिरिक्त यह सरकारी पद्धतियों में आधुनिक प्रबंधन को भी प्रदर्शित नहीं करता। शायद इसी कारण गोवा सरकार ने केन्द्रीय विश्ववद्यालय का दर्जा लेने से इंकार कर दिया है। मैं इस संबंध में माननीय मंत्री से उत्तर प्राप्त करना चाहता हूं। यह हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली में किसी प्रकार के सुधार का संकेत देने में असफल रहा है इसके अतिरिक्त रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अनुसंधान को प्रोत्साहन, नवोन्वेषण को बढ़ावा और उत्कृष्टता की आवश्यकता को समझ कर उसे बढ़ावा देने के लिए अकादमिक प्रणाली तथा स्वायत्तता देने में असफल रहा है। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप हो। मैं सरकार से विश्वविद्यालय ढांचे के भीतर आदर्श सशक्त शासन प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। उसे अपने दैनिक कार्य करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यह कहा जाता है कि मानव इतिहास शिक्षा और विध्वंस के बीच एक समाप्त न होने वाली दौड़ बन गई है। हमें लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। अभी देर नहीं हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय: अगले वक्ता के नाम की घोषणा करने से पूर्व मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विधेयक पर अभी 13 सदस्यों को और बोलना है। यह तभी संभव होगा जब शेष सदस्यों में प्रत्येक सदस्य तीन से चार मिनट का समय लेंगे। अन्य दलों को भी कांग्रेस पार्टी के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने इस चर्चा में बोलने के लिए सात सदस्यों का नाम दिया था लेकिन अब केवल एक सदस्य को ही बोलने की अनुमति दी गई है। अन्य सदस्य जो बोलना चाहते हैं उनसे अनुरोध है कि वे अपनी बात संक्षेप में कहें। उन्हें केवल कारण और सुझाव देने चाहिए न कि लम्बे-लम्बे भाषण।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): महोदय, मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है। मुझे आशा है कि इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने का मुझे पूरा समय मिलेगा। मैं लम्बा भाषण नहीं दूंगा। मैं केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक का स्वागत करता हूं और इसके प्रस्तुत किए जाने हेतु आभार व्यक्त करता हूं। इस विधेयक के पारित हो जाने से उन 12 राज्यों में एक-एक विश्वविद्यालय होगा जहां अभी कोई विश्वविद्यालय नहीं है तथा चार विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने में होने वाला खर्च आवर्ती एवं गैर आवर्ती दोनों को मिलाकर मात्र 3300 करोड़ रुपये है जो आश्चर्यजनक भी है।

महोदय, मैं इस विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर विचार करने से पहले यह कहना चाहता हूं कि संप्रग सरकार ने अपने साझा न्यूनतम कार्यक्रम में घोषणा की थी कि सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत शिक्षा के लिए निर्धारित किया जाएगा। लेकिन, दुर्भाग्य से यह इस समय मात्र 3.8 प्रतिशत है। अभी भी छह प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु काफी प्रयत्न करना है। विश्वविद्यालयों में पर्याप्त सुविधाओं एवं पर्याप्त वित्तपोषण का अभाव है तथा अनेक विश्वविद्यालयों में न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं हैं। अधिकांश विश्वविद्यालयों ने अब स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम शुरू कर दिए है। यह अत्यंत दुखद स्थिति है।

महोदय, भारत एक विशाल देश है जहां बड़ी आबादी है। इस समय प्रवेश की दर लगभग 11 प्रतिशत है और प्रत्येक वर्ष इसमें काफी वृद्धि हो रही है। शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। यदि हम विश्वविद्यालयों को आवश्यक धनराशि प्रदान करने में असफल रहते हैं तो मात्र विश्वविद्यालय खोले जाने से कुछ नहीं होगा।

सायं 7.00 बजे

संप्रग सरकार ने एक और महत्वपूर्ण वादा किया था, शिक्षा का अधिकार विधेयक । यह लंबित है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह विधेयक चौदहवीं लोक सभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले नहीं लाया जाएगा। महोदय, यह देश से किया गया महत्वपूर्ण वादा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय

को यह बताना होगा कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक को क्यों स्थगित रखा गया है।

इन विश्वविद्यालयों के बारे में विवाद इस बात को लेकर है कि क्या इतने विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है। हमें इनकी आवश्यकता है। सीमाओं के बावजूद, हमें उच्च अध्ययन संस्थाओं की अत्यंत आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा का समय सायं 7.00 बजे तक बढ़ाया गया था। यदि माननीय सदस्य सहमत हों तो हम इसे एक घंटा और बढ़ा सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा का समय एक घंटे और बढ़ाया जाता है। श्री रेड्डी, अब आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: मेरे कई साथियों ने कतिपय संदेह व्यक्त किए थे। मैं उनके संदेह से सहमत हूं। नये विश्वविद्यालयों की स्थापना करते समय गुणवत्ता, प्रतिभा आदि प्रश्नों का ध्यान रखना होगा। हमारे पास तो बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं। लेकिन मुझे इस बात पर अफसोस है कि 12 नये विश्वविद्यालय जो इस समय स्थापित किए जा रहे हैं उनका क्षेत्राधिकार केवल संबंधित राज्य तक ही होगा। यह कहने का कोई अर्थ नहीं है कि ये केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं। आप धन देने का प्रयास कर रहे हैं और यह कहते हैं कि वहां केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित है लेकिन वास्तव में आप राज्य विश्वविद्यालय स्थापित कर रहे हैं। जैसा कि पहले मेरे सहयोगी श्री महताब कह रहे थे कि विश्वविद्यालय वह संस्था है जहां आप लोगों के अन्दर सबसे बेहतर तरीके से संस्कृति एवं सभ्यता की भावना पैदा होती है। लेकिन आप इसे एक राज्य तक सीमित कर रहे हैं। उसमें अन्य राज्यों के विद्यार्थियों के प्रवेश की अनुमति नहीं है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में ऐसा पहले नहीं होता था। उनके दरवाजे पूरे भारत के विद्यार्थियों के लिए खुले रहते हैं। विभिन्न राज्यों के विद्यार्थी इन विश्वविद्यालयों में सभ्यता सीखकर, पढ़कर अपनी सोच व्यापक करते हैं। अन्यथा सीमित समझ एवं संकुचित भावना ज्यों की त्यों बनी रहेगी और यह भविष्य में भारतीय संस्कृति के प्रति अत्यंत नकारात्मक प्रवृत्ति होगी। आप प्रत्येक राज्य में स्थानीय विद्यार्थियों के लिए राज्य के 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित कर सकते हैं। लेकिन उनके क्षेत्राधिकार को केवल उसी राज्य विशेष तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। मेरे विचार से यदि क्षेत्राधिकार को केवल एक राज्य विशेष तक ही सीमित रखा जाएगा तो केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।

मेरे विचार से विश्वविद्यालय प्रशासन के लोकतांत्रिक स्वरूप के बारे में और ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार द्वारा असामान्य शक्तियां ली जा रही हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुलाधिपति की क्या आवश्यकता है? कृपया कुलाधिपति का पद समाप्त करें। आप ये शक्तियां राज्य सरकारों को देने का प्रयास कर रहे हैं। राज्यपाल जो स्वतन्त्र रूप से कार्य नहीं कर सकते की नियुक्ति की जाएगी या वहां मुख्य मंत्री होगा। किसी विजिटर, राष्ट्रपति को इस विश्वविद्यालय की देखरेख करना संभव नहीं होगा। यह केवल औपचारिकता है। इस पर फिर केन्द्रीय शिक्षा मंत्री या राज्य के राज्यपालों का नियंत्रण होगा।

दूसरा प्रश्न विद्यार्थी परिषद के बारे में है। यह अच्छी बात है कि मंत्रालय ने स्थायी समिति की सात सिफारिशें मान ली हैं। मैं नहीं जानता कि उन्होंने समिति की अन्य आठ सिफारिशें क्यों स्वीकार नहीं की। यह अच्छी बात है कि उन्होंने आधी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। अन्यथा, स्थायी समिति की अधिकांश सिफारिशों पर विभिन्न मंत्रालयों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्थायी समिति की बैठकें करना व्यर्थ का कार्य हो गया है। दो से तीन माह तक माननीय सदस्य विषय का अध्ययन करते हैं और बहुत अच्छी सिफारिशें करते हैं लेकिन उनमें से अधिकांश अस्वीकृत कर दी जाती हैं। यह परिपाटी स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि अन्य सिफारिशें अस्वीकार क्यों की जाती हैं। इसमें कुछ जवाबदेही होनी चाहिए। अन्यथा इन समितियों से छुटकारा पाया जाना चाहिए। मंत्रालय जैसा चाहता है उसे वैसा करने दें।

विद्यार्थी संघों की पुनः स्थापना की जानी चाहिए। इसमें विद्यार्थी परिषद का प्रावधान है। इस प्रावधान के अनुसार 20 विद्यार्थियों का नामांकन होना है और 20 विद्यार्थियों का चुनाव होना है। नामांकन का अंश अच्छा है। यदि आप होनहार विद्यार्थियों को विद्यार्थी परिषद में होने का गौरव प्रदान करना चाहते हैं तो यह अच्छी बात है। लेकिन विद्यार्थी परिषद में बहुमत चुने गए विद्यार्थियों का होना चाहिए। अतः इसकी संख्या 50 कीजिए। इसमें 30 विद्यार्थियों का चुनाव हो और 20 विद्यार्थी नामित किए जाए। विश्वविद्यालय विद्यार्थी संघ की अनुपस्थिति में इसे कम से कम एक ऐसे संगठन के रूप में कार्य करना चाहिए जो विद्यार्थियों की

[श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी]

इच्छाओं और विद्यार्थियों की उन समस्याओं का प्रतिनिधित्व करे जिनका समाधान किया जाना है तथा यह अच्छी सिफारिशें कर सकता है। मुझे अपना भाषण समाप्त करने से पहले दो-तीन बातें कहनी हैं।

इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 का स्वागत करते हुए मैं विभिन्न महाविद्यालयों द्वारा विशेषकर उच्च स्तर पर वसूले जा रहे कैपिटेशन शुल्क के बारे में चेतावनी देना चाहता हूं। व्यावसायिक शिक्षा यथा अभियांत्रिकी और चिकित्सा शिक्षा का व्यावसायीकरण हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय ने इस सभा में अनेक बार यह आश्वासन दिया है कि किसी प्रकार का कैपिटेशन शुल्क लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परन्तु मैं यह चुनौती के साथ कहता हूं कि देश में ऐसा कोई एक भी निजी शिक्षण संस्थान नहीं है जो बिना कैपिटेशन शुल्क के चल रहा हो। आप इसे साबित नहीं कर सकते हैं। इसे डेवलपमेंट फीस के नाम पर लिया जाता है। उच्च शिक्षा सिर्फ धनी लोगों तक सीमित होती जा रही है। यह भविष्य में एक बहुत ही बुरा उदाहरण बनने जा रहा है। कैपिटेशन शुल्क की वसूली पर रोक लगनी चाहिए। इसे तभी रोका जा सकता है जब उच्च शिक्षा के निजीकरण और व्यावसायीकरण को रोका जाए।

अब हमारे देश में विदेशी विश्वविद्यालयों को लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अनेक निजी शिक्षण संस्थाओं को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव हैं। उच्च स्तर पर अधिकांश वाणिज्यिक संस्थाओं ने इसके लिए पहले ही आवेदन कर रखा है। वस्तुतः उच्च शिक्षा स्तर पर हमें निजी क्षेत्र की भागीदारी की जरूरत नहीं है। परन्तु दुर्भाग्यवश हमारे देश में जनहितैषी लोग शिक्षण संस्थाएं स्थापित नहीं कर रहे हैं। बल्कि अन्य लोग, जिनके पास उद्योग अथवा व्यवसाय हैं, शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यह शर्मनाक बात है। अधिकांश गरीब विद्यार्थियों और मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों के पास इन निजी शिक्षण संस्थाओं में दाखिला लेने की क्षमता नहीं है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। शिक्षा का निजीकरण और व्यावसायीकरण रोका जाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में उत्कल स्थित सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का मामला लाना चाहता हूं। श्री गमांग के कार्यकाल के दौरान इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने का विचार आया था। परन्तु पिछले दो सप्ताह से यह विश्वविद्यालय बंद है। यहां तक कि आज सुबह विद्यार्थियों ने फोन करके मुझ से पूछा कि इस विश्वविद्यालय का क्या भविष्य है। पूरे देश में संस्कृति से संबंधित यही एकमात्र विश्वविद्यालय है। केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस विश्वविद्यालय के कार्यकलाप सुचारू रूप से चले।

मेरा विश्वास है कि हमारी शिक्षा के लोकतांत्रिकरण का ध्यान रखा जाएगा तथा आगे के संशोधनों में स्थायी समिति की अन्य सिफारिशों पर विचार किया जाएगा। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, चूंकि समय की कमी है, वे माननीय सदस्य जो अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं उसे रख सकते हैं। इसे कार्यवाही का अंग माना जाएगा।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): उपाध्यक्ष जी, मैं इस तरफ से बोलने के लिए पहला मैम्बर खड़ा हुआ हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप शुरू कीजिए।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': रासा सिंह जी ने स्टैटूटरी रैजोल्यूशन पर बोला है।...*(व्यवधान)* मुझे चार-पांच मिनट का समय एक्सट्रा दे दीजिएगा।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्लीज, आप शुरू कीजिए। जितनी जल्दी हो सके, समाप्त कीजिएगा।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': मैं जल्दी से जल्दी ही समाप्त करूंगा। हमारी ओर से दो सदस्य ही बोलने वाले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': उपाध्यक्ष जी, इस विधेयक द्वारा उत्तराखंड राज्य के लिए एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्वीकृति दी गई है। मैंने 23 अक्तूबर को बोलते हुए भी उसका स्वागत किया था और सरकार का धन्यवाद दिया था। लेकिन उत्तराखंड अधिकांशतः पर्वतीय क्षेत्र है। उत्तराखंड दो डिवीजनों को मिलकर बना है - एक कुमाऊं डिवीजन और दूसरा गढ़वाल डिवीजन। दोनों डिवीजनों में भौगोलिक विषमता है और 600 किलोमीटर की दूरी है। गढ़वाल विश्वविद्यालय को जो दर्जा दिया गया है, उसके पीछे बैकग्राउंड

यह है कि उत्तर प्रदेश में सन् 1971 में एक उत्तराखंड विश्वविद्यालय इस क्षेत्र के लिए स्वीकृत हुआ, लेकिन उसमें दूरी को देखते हुए जनता की ओर से बार-बार रिप्रैजेंटेशन गये और आंदोलन खड़ा हुआ, तो 23 नवम्बर, 1973 को उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया कि एक कुमाऊं विश्वविद्यालय होगा और एक गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में होगा, जिसे आज केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। इस समय पूरे कुमाऊं क्षेत्र में जो कुमाऊं विश्वविद्यालय है, ओरिजनली वहां पर वह विश्वविद्यालय था और आज भी है। वह भी मानक पूरा करता है और दूरी, विषमता और सम्पर्क मार्गों के अभाव के कारण उत्तरांचल की वर्तमान विधान सभा ने सर्वसम्मति के संकल्प पारित करके मंत्रालय को भेजा कि इस कुमाऊं विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वयिद्यालय का दर्जा दिया जाये। इसके अतिरिक्त कुमाऊं विश्वविद्यालय, एस.एस.जे. कैम्पस अल्मोड़ा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दो बार प्रधान मंत्री और एच.आर.डी. मंत्री को मिल चुके हैं कि यह रीजनल इम्बैलेंस है। एक ओर जहां हम क्वालिटी एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं, तो एक हिस्से का यानी आधे प्रदेश में क्वालिटी एजुकेशन रहेगी और दूसरा कुमाऊं का नैनीताल और उधमसिंह नगर तक का जो क्षेत्र है, वह क्वालिटी एजुकेशन से वंचित रहेगा। इसलिए मेरी पुरजोर मांग है, जबकि कुमाऊं विश्वविद्यालय मानक पूरा करता है और इस संबंध में जो मांग पत्र है, जब यह चर्चा चली थी, तो मुख्यमंत्री जी श्री बी.सी. खन्डूरी ने अपना पहला पत्र 26 मई, 2008 को लिखा था, उसकी मैं केवल एक पंक्ति का उल्लेख कर रहा हूं। उन्होंने लिखा था कि -

[अनुवाद]

> "मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि आपको सिर्फ एक नहीं बल्कि तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हमारे राज्य के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल गें एक-एक। कुमाऊं विश्वविद्यालय हेतु नैनीताल। अल्मोडा में, गढ़वाल विश्वविद्यालय हेतु श्रीनगर में। तथा दून विश्वविद्यालय हेतु देहरादून में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने पर विचार करना चाहिए।"

[हिन्दी]

उसके आगे और सारी चीजें लिखी हैं, उनके ग्राउंड्स लिखे हैं। जब यह नहीं हुआ, तो उन्होंने दोबारा 6 अक्तूबर, 2008 को पत्र दिया, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया गया जिस कारण पूरे कुमाऊं डिवीजन में शिक्षकों और छात्रों का आंदोलन चल रहा है। मुझे लगता है कि हम रीजनल इम्बैलेंस और भौगोलिक असंतुलन खड़ा न हो, तो देर सवेर आपको इसे स्वीकृति देनी होगी। मैं उम्मीद करता था कि इतने समय के बाद इसमें संशोधन होकर आयेगा। वह संशोधन नहीं आया, लेकिन मेरी ओर से संशोधन का प्रस्ताव सर्कुलेट हुआ है। जब संशोधन के कंसीडरेशन का विषय आयेगा, तो मैं उस विषय पर आऊंगा।

माननीय सभापति जी, रीजनल इम्बैलेंस का एक कारण और है, जिस कारण लोग आंदोलित हैं कि गढ़वाल मंडल में आई.आई.टी., ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्वीकृत हुआ। अब यह सुना जा रहा है कि गढ़वाल में ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसे एन.आई.टी. का भी दर्जा दिया जा रहा है, जबकि कुमाऊं का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, वह पहले से ही मानक पूरा कर रहा है। इस तरीके से रीजनल इम्बैलेंस पैदा करने का प्रयास लगातार रहेगा, तो हमें इस ओर ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा उत्तराखंड राज्य जो विषमताओं से पहले ही भरा हुआ है, उसमें पुनः विषमताएं पैदा होंगी। मेरा कहना है कि एन.आई.टी. पर पुनर्विचार किया जाये। सैंट्रल यूनीवर्सिटी कुमाऊं विश्वविद्यालय को बनाया जाये और आई.आई.एम. बनाने की जो बात है, निश्चित रूप से उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थान उपलब्ध है, वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान है। कम से कम वहां के लोगों को लगेगा कि केन्द्रीय सरकार की ओर से कुमाऊं क्षेत्र की भी देख-रेख हो रही है। इसके अतिरिक्त गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनीवर्सिटी पंतनगर है। यहां भी इस एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी को सैंट्रल यूनीवर्सिटी बनाया जाये या उसे केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान का दर्जा दिया जाये। इसकी मांग वहां की जनता और विश्वविद्यालय के स्टाफ की ओर से की गयी है। इस बारे में प्रस्ताव भी भेजा गया है। यह एकमात्र यूनीवर्सिटी है जो एशिया में ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालय है। यह स्टेट का विश्वविद्यालय है लेकिन उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाये, यह मांग चल रही है। जनता की ओर से यह मांग उसमें जोड़ी गयी है कि उत्तराखंड के छात्रों को 85 परसेंट आरक्षण प्रवेश में मिलता है, उसे यथावत रखते हुए, क्योंकि जनता और वहां के कर्मचारी जो छात्र आदि आश्रित हैं, उस आरक्षण को यथावत रखते हुए इसे केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय या संस्थान बनाये जाने की बात की है, उसका मैंने भी समर्थन किया है। अपनी ओर से भी मैं उसके लिए मांग कर रहा हूं। गढ़वाल

[श्री बची सिंह रावत 'बचदा']

विश्वविद्यालय जिसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन उसकी दूरी बहुत ज्यादा है, हमारे लिए एक समस्या खड़ी हो गयी है। अच्छा यह होता कि जब एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना रहे थे, तो उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की बजाय किसी केंद्रीय स्थान पर विश्वविद्यालय बनता तो निश्चित रूप से सभी को सुविधा होती। अब उसका ज्युरिस्डिक्शन भले ही आपने स्टेट का दे दिया है, लेकिन कुंमायू का छात्र गढ़वाल और श्रीनगर जाकर, वहां प्रवेश लेकर पढ़ेगा, यह संभव ही नहीं है। पहले जब हम उत्तर प्रदेश में थे, उस समय भी एक विश्वविद्यालय की जगह दो विश्वविद्यालय करने पड़े थे। आज मेरा पुरजोर निवेदन यही है कि इस विश्वविद्यालय को प्रदेश के व्यापक हित को देखते हुए कुमायूं विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए और अभी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनाने की बात हो रही है, जिसके लिए काशीपुर का प्रस्ताव भी सम्मिलित है, तो काशीपुर, उधमसिंह नगर को निश्चित रूप से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का दर्जा दिया जाए।

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि गढ़वाल विश्वविद्यालय को आपने दर्जा दे दिया है, लेकिन वहां पर कम से कम 600 अध्यापक संविदा पर या अंशकालिक और डेलीवेजेज बेसिस पर काम कर रहे हैं। अब उनका भविष्य अनिश्चित हो गया है कि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा तो उनके साथ कौन सा व्यवहार होगा, कहीं उनको बाहर का रास्ता न दिखाया जाए, तो उनको नियमित करते हुए, उनको भी लाभ प्रदान करते हुए, उनके हितों को सुरक्षित रखते हुए यह काम किया जाए क्योंकि वे पिछले कई वर्षों से वहां अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

*श्री जे.एम. आरून रशीद (पेरियाकुलम): मैं केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2009 का समर्थन करता हूं। मैं तमिलनाडु के लिए भी एक विश्वविद्यालय देने के लिए वस्तुतः कृतज्ञ हूं। मद्रास विश्वविद्यालय में, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे अनेक विद्वानों ने शिक्षा ग्रहण की है। डा. अब्दुल कलाम, आर. वेंकटरमन और अनेक अन्य प्रतिष्ठित विद्वानों को डिंडुगल, गांधीनगर विश्वविद्यालय ने पैदा किया है। अनेक संकाय रिक्त पड़े हैं, यहां तक कि यह विश्वविद्यालय बिना कुलपति के चल रहा है।

महोदय, सम्पूर्ण भारतीय शिक्षा प्रणाली वस्तुतः उत्तम है। हमारी सरकार के दिशानिर्देश में हमारी संप्रग सरकार विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए हजारों करोड़ रुपये खर्च कर रही है। भारत सरकार विद्यार्थी शिक्षा ऋणों के माध्यम से धन दे रही है।

महोदय, देश में निजी महाविद्यालय शिक्षण कर्मचारियों, समुचित सुविधाओं और अच्छे प्रोफेसरों के बगैर व्यावसायिक रूप से चल रहे हैं। वे आज किसी एक महाविद्यालय में कार्य करते हैं और कल किसी दूसरे महाविद्यालय में। सरकार को उन्हें नियंत्रित करना चाहिए। यदि कोई प्रोफेसर किसी एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में जाना चाहता है तो उसे पहले वाले महाविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होता है। प्रोफेसरों पर कोई नियंत्रण नहीं है। वस्तुतः भुगतना विद्यार्थियों को पड़ता है।

महोदय, अच्छे पुस्तकालय, प्रयोगशाला और समुचित प्रशासनिक अधिकारी/कर्मचारी मौजूद नहीं हैं। महोदय सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और विशेषकर सॉफ्टवेयर में हमारे भारतीय छात्र बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए हमें अच्छे विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है। वास्तव में केन्द्रीय विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा विशेषकर अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी इत्यादि क्षेत्र में तथा समुद्र विज्ञान, विमानन साफ्टवेयर कौशल जैसे नए क्षेत्रों में आगामी वर्षों में अच्छा प्रदर्शन करेगा। उच्च शिक्षा के इन क्षेत्रों में सरकार को संभावनाओं का पता लगाना है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों, अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों और दक्षताप्राप्त विद्यार्थियों को महत्व दिया जाना चाहिए। महोदय एम.बी.ए., एम.सी.ए. इत्यादि जैसे उच्च शिक्षा में किसी अल्पसंख्यक छात्र को अवसर नहीं मिलता। किसी समुदाय विशेष की इस उपेक्षा को रोका जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। निजी महाविद्यालय बहुत महंगे हैं। ये तथाकथित मानित् विश्वविद्यालय काफी अधिक शुल्क वसूल रहे हैं। महोदय, आपको उन्हें नियंत्रित करना होगा। इन मानित विश्वविद्यालयों की सम्बद्धता रद्द करनी होगी। वे एम.डी., एम.टेक और अन्य उच्च शिक्षा के लिए उच्च शुल्क की मांग कर रहे हैं। यह निर्धन और मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों के लिए वहनीय नहीं है। मैं आशा

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

करता हूं कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय इस प्रकार के सभी गलत कार्यों को रोकेगा।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव): महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं समय की कमी को देखते हुए अपनी बात बहुत कम समय में रखना चाहता हूं।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को जो ऐलान किया था कि शिक्षा का विस्तार होना चाहिए, विश्वविद्यालय हों, आई.आई.एम. हों, आई.आई.टी. हों, उसके लिए मैं यू.पी.ए. सरकार और यू.पी.ए. की चेयरपर्सन सोनिया जी का अभिनन्दन करता हूं। हमारे एच.आर.डी. मिनिस्ट्री के मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी ने भी इसके लिए प्रयास किया और आज यह बिल लाए हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप यह बिल लाए हैं, आई.आई.टी. बन रहे हैं, सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस खुल रहे हैं, आई.आई.एम. बन रहे हैं, लेकिन मेरा सुझाव है कि बड़े-बड़े शहरों में केंद्रित रहने के अलावा इनको थोड़ा गांवों की ओर बढ़ना चाहिए क्योंकि इससे गांवों में वातावरण तैयार होता है। मैं जिस गांव में रहता हूं वहां 3000 की आबादी थी, अभी बढ़कर 10,000 हो गयी है, लेकिन वहां 60,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे मणिपाल है कर्नाटक में। गांव की तरफ जाने से एक वातावरण बनता है। गांव के बच्चे-बच्चियां उसका लाभ उठा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो विश्वविद्यालय बन रहे हैं, वे कंवेंशनल नहीं होने चाहिए। उसमें एम्प्लायेबल शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे बच्चा बाहर आने के बाद खुद कुछ न कुछ काम करे, खुद की रोजी-रोटी कमाए, उसको इसके साथ ही एक्सपर्टाइज करके नौकरी दी जाए। मैं शिक्षा के विस्तार के पक्ष में हूं। क्वालिटी का मतलब यह नहीं है कि इससे शिक्षा का विस्तार रुक जाए। बच्चे को एम्प्लायेबल स्किल कैसे मिले, इसलिए विश्वविद्यालय को इतना मौका मिलना चाहिए कि वह खुद ही विश्वविद्यालय के अंदर पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप भी कर ले। मैं भारत सरकार से यह विनती करता हूं कि पहले प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में एक बिल आया था। वह बिल स्टैडिंग कमेटी के पास जाकर वापस आपके पास आ चुका है। इस देश में केंद्र के माध्यम से कुछ निजी विश्वविद्यालय भी खुलने चाहिए और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए। एजुकेशन पर थोड़ा सा कम नियंत्रण होने पर शिक्षा में बढ़ोतरी होगी। यूनिवर्सिटी बिल के बारे में मैं दरख्वास्त करूंगा कि वाइस चांसलर के साथ एक स्टेट्युटरी कमेटी बन जाए क्योंकि दुनिया में एजुकेशन में हो रहे बदलाव को हम केवल एकेडेमिक काउंसिल के माध्यम से नहीं ला सकते हैं। एकेडेमिक काउंसिल में उसी कॉलेज के प्राध्यापक होते हैं, उनमें ज्यादा झगड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव और राजनीतिक होता है। इसको दूर करने के लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया जाए जिससे यूनिवर्सिटी में एकेडेमिक डेवलपमेंट होता रहे और बोर्ड ऑफ स्टडीज पर उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मेरा तीसरा सुझाव यह है कि जैसे विदेश में एम.आई.टी., हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आदि कई विश्वविद्यालय हैं, जो प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन तक यूनिवर्सिटी बनती है। हम उसके लिए प्रयास क्यों न करें, क्यों न हम इसका एक मॉडल बनाएं जिसमें प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक की व्यवस्था हो। हम ब्रिटिश लीगेसी से आए हैं जिसमें एडवांस्ड एजुकेशन पर ज्यादा जोर देते हैं। इस सोच को भी हमें बदलने की जरूरत है कि हम क्या केवल ग्रेजुएट ही पैदा करते जाएंगे। अभी आप देखिए कि कितने ही ग्रेजुएट रास्ते में घूम रहे हैं, मजबूर होकर वे डकैती करते हैं या नक्सलवाद की तरफ मुड़ जाते हैं। उसमें कैसे बदलाव ला सकते हैं, इस पर सोचना होगा।

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का नाम बदलने की जरूरत है। यह ठीक है कि उन्होंने अच्छा काम किया है। अभी एक अनुसूचित जाति के लड़के का उन्होंने बोर्ड में चयन किया है, उसके लिए मैं मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। शिक्षा प्रणाली में उन्होंने काफी प्रयास किया है, यह हमने सलाहकार समिति में भी अनुभव किया है। इसलिए ग्रांट्स कमीशन नाम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह एजुकेशन डवलपमेंट का विस्तार करता है, क्वालिटी देता है। आपको और भी यूनिवर्सिटीज खोलनी चाहिए।

आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आपत्ति कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज खोली जानी चाहिए, क्योंकि इससे उच्च शिक्षा का काफी विस्तार होता है और नई शिक्षा प्रणाली आती है। मैं भी डीम्ड यूनिवर्सिटी का हिस्सा हूं। मैं कई नए प्रयोग कर रहा हूं, जिसके कारण गरीब बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैंने अपने यहां अर्न एंड लर्न के आधार पर शिक्षा शुरू की है। आपने भी इसे 11वीं पंचवर्षीय योजना में सुविधा दी है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सरकार का जो कार्पोरेशन बन रहा है, यह तुरंत लागू होना चाहिए और सभी यूनिवर्सिटीज में अर्न एंड लर्न स्कीम लागू होनी चाहिए। इसका आधा हिस्सा वहां की प्रदेश सरकार और यूनिवर्सिटी दे तथा

[श्री बालासाहिब विखे पाटील]

आधा हिस्सा केन्द्र सरकार दे। इससे क्या होगा कि जो गरीब बच्चे हैं, बिलो पावर्टी लाइन हैं, उन्हें बहुत सहारा मिल सकता है।

[अनुवाद]

वे हमारे देश की परिसम्पत्ति हैं।

[हिन्दी]

मेरे यहां अर्न एंड लर्न स्कीम के तहत 1500 बच्चे पढ़ रहे हैं। उनमें से कई पढ़ने के साथ-साथ कमा भी रहे हैं और अपने माता-पिता को भी सम्भाल रहे हैं। इसलिए इस योजना को कैसे लागू किया जा सकता है, यह आपको देखना चाहिए। आपको 20 प्रतिशत छात्र उच्च शिक्षा में लेने हैं और फिर उनकी भी मैरिट बनेगी, तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि रोजगारपरक शिक्षा होनी चाहिए। आपने एक अच्छी बात कही और वह यह कि सीनियर स्कॉलरशिप पी.एच.डी. में लागू की।

नेट शेड की बात हो रही है, वह दोबारा आ गई है। उसकी सुविधा देने की जरूरत है। जो प्राध्यापक बनता है, बीच में कोई ट्रेनिंग उसके लिए होनी चाहिए, क्योंकि कई नई शिक्षा प्रणालियां आती रहती हैं और उसे पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं मिल पाती। इसलिए एक बार नेट शेड हो जाती है तो ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए और उसमें सुधार करते रहना चाहिए।

मल्टीपल डिग्री की बात करना चाहता हूं। हमारे एजुकेशन वर्टिकल है, मैं चाहता हूं कि होरिजेंटल और वर्टिकल दोनों को इंटीग्रेट किया जाए। 12वीं क्लास का साइंस का बच्चा अगर कॉमर्स पढ़ना चाहता है, तो उसे पढ़ने देना चाहिए। इसी तरह कॉमर्स का फर्स्ट ईयर का बच्चा अगर साइंस में जाना चाहता है, तो उसे जाने देना चाहिए। विदेशों में यह सब हो रहा है। ब्रिटेन में भी हो रहा है, जबकि हमारे यहां ब्रिटिश एजुकेशन ही एजुकेशन का आधार है। मैंने यह खुद देखा है, अमेरिका में एम.बी.ए. का बच्चा मेडिकल की एजुकेशन ले रहा है।

[अनुवाद]

हमारे नियम अनावश्यक रूप इतने कठोर क्यों हैं?

[हिन्दी]

एक समय में वह दो डिग्री लेने के लायक हो जाता है तो उसे अलाऊ करना चाहिए। मैंने अपने यहां यही काम करने का प्रावधान किया है। इसे पुणे यूनिवर्सिटी ने माना है, उसका डिप्लोमा तक माना है और आई.आई.टी. तक ने माना है। पहले तो उन्होंने ऑडिट निकालकर कह दिया कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन जब बच्चा पास हो गया, जब उन्होंने उसका अनुभव देखा और रिजल्ट देखा तो उन्होंने कहा कि यह करना चाहिए। इसलिए यह व्यवस्था भी लागू करनी चाहिए। बच्चा आखिर कितने समय तक पढ़ेगा इसलिए मल्टी डिग्री की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी चाहे तो होम साइंस के साथ-साथ एम.ए. भी करे, बी.एड. भी कर सकता है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है।

जैसा राजीव जी ने कहा था कि डिग्री कुछ नहीं है, अनुभव और ज्ञान होना चाहिए। ठीक है नॉलेज कमीशन हमारे देश में है, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। उसने भी शिक्षा का विस्तार, खुलेआम विस्तार करने की बात कही है। इसलिए विस्तार और क्वालिटी के कारण शिक्षा को रोकना गलत है। जैसा हमारे साथी ने कहा कि पहाड़ों में कहां शिक्षा मिलती है, उच्च शिक्षा तो दूर-दूर तक नहीं मिल पाती है। इसलिए मैं शिक्षा का विस्तार बहुत जरूरी मानता हूं, बाकी गुणवत्ता वगैरह बातें अपनी जगह सही हैं।

महाराष्ट्र में आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी विदर्भ के कारण नहीं दी है। महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है। कम से कम वहां सेंट्रल रूरल यूनिवर्सिटी ही दे देते। महात्मा गांधी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, वहां न शिक्षा है, न बिल्डिंग है और न पढ़ाई हो रही है, खाली नाम की यूनिवर्सिटी है। महाराष्ट्र के नाम पर तीन-चार हिस्से बनते हैं, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन यह चाहता हूं कि आप उस पर सोचें।

आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं जिसमें 3,300 करोड़ रु. तक की वित्तीय देयता की अपेक्षा की गई है। मुझे यकीन है कि

इससे हजारों छात्रों को उत्कृष्ट उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

मैं समझता हूं कि अधिकाधिक युवकों को उत्तम व्यावसायिक, वैज्ञानिक एवं वाणिज्यिक के साथ-साथ समाज विज्ञानोन्मुखी उच्च शिक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए। मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ-साथ छात्रों के लिए और अधिक छात्रवृत्ति का प्रावधान करना चाहिए और उनके लिए बेहतर एवं अधिक उदार तरीके से सुविधाजनक ऋण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। मुझे यकीन है कि ब्याज दर कम होनी चाहिए। जबकि केन्द्रीय विश्वविद्यालय का सीधा इससे कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि इस पर ध्यान दिया जा रहा है।

मेरा विचार है कि बिना किसी हस्तक्षेप के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को और अधिक स्वायत्तता देनी चाहिए। इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में जो कॉलेज तथा संस्थान आते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ संकाय सदस्यों की भर्ती की जानी चाहिए।

भारत एक कृषक देश है और कृषि क्षेत्र में भविष्य उज्ज्वल है। मेरा विचार है कि इस क्षेत्र को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। मैं यह भी सुझाव दूंगा कि अनुसंधान - जिसपर यहां अधिक बल दिया गया है - उसे अधिकाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। इससे जुड़े सभी संस्थानों में अनुसंधान के लिए सभी सुविधाएं एवं उत्तम शिक्षा के लिए सभी अन्य सुविधाएं होनी चाहिए।

अंत में, मैं समझता हूं कि केरल एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना की जा रही है और उसका नाम श्री मन्नातु पदमनाभन के नाम पर रखा जाना चाहिए जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है तथा जिन्होंने नायर सेवा सोसायटी (एन.एस.एस.) की स्थापना की। उनका इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण था। वे इस क्षेत्र में एक अग्रणी व्यक्ति हैं जिन्होंने विद्यालय तथा कॉलेज दोनों ही स्तरों तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षा स्तर पर अनेक संस्थानों की नींव डाली। मुझे विश्वास है कि उनके दृष्टिकोण के तहत जिन अनेक संस्थानों की नींव पड़ी, उन्हें निश्चित ही अधिक महत्व दिया जाएगा। मुझे विश्वास है कि यह इसके लिए एक उत्तम अवसर है। भारत सरकार को केरल के इस विश्वविद्यालय का नाम श्री मन्नातु पदमनाभन के नाम पर रखने का विचार करना चाहिए। मुझे यकीन है कि इस संबंध में मैं जो संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं और जिसे प्रकाशित किया गया है, इस पर विचार किया जाएगा। मुझे आशा है कि संशोधन पारित हो जाएगा अथवा सरकार, केरल में स्थापित किए जाने वाले विश्वविद्यालय का नामकरण सुझाए गए नाम पर रखने के लिए सहमत हो जाएगी।

श्री पी. राजेन्द्रन (क्विलोन): उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा को अधिक महत्व दिए जाने के कदम का इस देश में प्रत्येक व्यक्ति स्वागत करेगा। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री के समक्ष कुछ मुद्दे रखना चाहता हूं।

हमें शिक्षा के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए। जैसा कि हमारे वयोवृद्ध साथी, प्रो. बसुदेव बर्मन ने इंगित किया है कि हम शिक्षा के लिए निधियों का केवल 3.5 प्रतिशत ही उपलब्ध करवा रहे हैं; जबकि सभी लोग यह स्वीकार करते है कि 6 प्रतिशत की न्यूनतम आवश्यकता है। जैसा कि हमारे न्यूनतम साझा कार्यक्रम में दिया गया है, मैं सरकार से शिक्षा के लिए हमारे सकल घरेलू उत्पाद के 6% के बराबर और अधिक निधियां उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं।

माननीय मंत्री महोदय ने कल, इस सम्माननीय सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह स्पष्ट किया था कि उच्च शिक्षा का मूल्यांकन तथा सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। मैं इस सम्माननीय सभा से अनुरोध करता हूं कि वे सरकार पर दबाव डाले कि वह उच्च शिक्षा के मूल्यांकन तथा सुधार के लिए एक स्थायी तंत्र स्थापित करे जो कि समय की मांग है। इसमें केन्द्रीय या राज्य, मानित अथवा अन्य सभी विश्वविद्यालय शामिल होंगे।

प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि सामान्य शिक्षा के मामले में केरल सबसे अग्रणी राज्य है। जहां तक साक्षरता का प्रश्न है वहां यह शतप्रतिशत है। परंतु हम उच्च शिक्षा में पिछड़ रहे हैं। अब राज्य सरकार उच्च शिक्षा में भी आगे आने का प्रयास कर रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि हम केरल में भी एक आई.आई.टी. चाहते हैं। कृपया केरल में इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय के साथ-साथ एक आई.आई.टी. खोलने की अनुमति भी दें।

***श्री गिरिधर गमांग** (कोरापुट): उपाध्यक्ष महोदय, अविभाजित कोरापुट अनुसूचित क्षेत्र जिले के लोगों तथा उड़ीसा के लोगों की ओर से मैं माननीय प्रधान मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री तथा श्रीमती सोनिया गांधी जी को

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री गिरिधर गमांग]

धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस अकादमिक सत्र से आरंभ होने वाले विश्वविद्यालय को खोलने के लिए निधियां उपलब्ध करवा कर कोरापुट उड़ीसा में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया है।

वर्ष 1999 में जब मैं मुख्य मंत्री था तो मेरे द्वारा स्थापित किए गए संस्कृति विश्वविद्यालय को उड़ीसा सरकार की रा्शि के अभाव में बंद कर दिया गया है। विश्वविद्यालय का वित्तपोषण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाए ताकि इसका अनुरक्षण और प्रबंधन तत्काल प्रारंभ हो सके।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): उपाध्यक्ष महोदय, केंद्रीय विश्वविद्यालय बिल 2009 सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र सागर है। सागर क्षेत्र के लोग बहुत समय से सागर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग करते आ रहे हैं। मैं भी जब पढ़ता था, उस समय से हमने इसके लिए कई आंदोलन किए। यह बिल वास्तव में स्वागत योग्य है। इस बिल के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि डा. हरि सिंह गौर का नाम बिल में लगभग 20 बार आया है, लेकिन 20 जगहों में से केवल एक जगह ही नाम सही लिखा गया है, वह भी पृष्ठ 13 के पैरा 20 के सैकेंड हाफ में। केवल एक जगह ही सही नाम लिखा गया है। बाकी जगह पर डा. हरि सिंह गौड़ लिखा हुआ है। गौड़ शब्द सही नहीं है, व्याकरण की अशुद्धि है। सही शब्द डा. हरि सिंह गौर है। इस शब्द को संशोधित किया जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इससे सागर के लोगों की भावनाओं का सम्मान होगा।

डा. हरि सिंह गौर की यह सोच थी कि सागर, बुंदेलखंड काफी पिछड़ा क्षेत्र है और यहां के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर मिलने चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने जीवनभर की कमाई से इस यूनीवर्सिटी की स्थापना की थी। मैं कहना चाहता हूं कि इस यूनिवर्सिटी के केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने से हमारे क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे। अभी माननीय सदस्य विखे पाटिल जी ने जो कहा है, मैं उनकी बात से अपने को जोड़ता हूं कि इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से जो शिक्षा दी जाए, उसे रोजगारपूर्वक शिक्षा बनाया जाए, ताकि इन विश्वविद्यालयों से निकलने वाले छात्रों के सामने बेरोजगारी की समस्या न आए। आज देश के नौजवानों के सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। डा. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में बहुत से विभागों में शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय में काम करने वाले, वहां के जो स्थानीय शिक्षक हैं, जो वहां संविदा के आधार पर काफी समय से काम कर रहे हैं, उनको नियमित किया जाए और वहीं उन्हें स्थायी नियुक्ति दी जाए। वहां बहुत से दैनिक वेतन भोगी हैं, जो नियमित होने के लिए काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं। उन्हें अनुभव के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर नियमित करना चाहिए। बहुत से कर्मचारी एस.सी. और एस.टी. हैं, जिनकी नियमानुसार स्थायी नियुक्ति की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इस विश्वविद्यालय में उनकी स्थायी नियुक्ति की जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यह बैकवर्ड एरिया का केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, अतः मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इसके लिए विशेष वित्तीय सहायता बिल्डिंग के लिए और इक्विप्मेंट्स के लिए दी जाएगी।

एक बात और सामने आई थी कि बहुत से फर्जी शिक्षा संस्थान चल रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे एक मित्र की बच्ची पूना में मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए गई और वह एक विदेशी शिक्षण संस्थान था, जिसके द्वारा वह मेडिकल कॉलेज प्रारम्भ किया गया था। फर्स्ट ईयर करने के बाद उनके सामने समस्या आई कि उस शैक्षणिक संस्थान को मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया की मान्यता प्राप्त नहीं थी। उन्होंने कहा कि आप भारत में पढ़ने वाले बच्चों को हमारे देश में ले चलिए। वहां हम इन्हें शिक्षा देंगे। लड़के दूसरे देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन लड़कियों के मामले में हमारे यहां की संस्कृति में एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है कि यहां के लोग सामान्य तौर पर बच्चियों को विदेश में भेजने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस प्रकार के जितने शैक्षणिक संस्थान चल रहे हैं, उन संस्थानों के बारे में खोजबीन करके उनको किसी न किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कराने के प्रयत्न किए जाने चाहिए, किसी न किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के माध्यम से उन्हें जोड़ा जाए और बाहर से प्रारम्भ होने वाले शैक्षणिक संस्थानों पर नजर रखी जाए।

अंत में एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि सागर में इंडियम इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट खोला जाए। मैं इस बिल का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री के.सी. सिंह 'बाबा' बोलेंगे। आप सिर्फ दो-तीन मिनट तक बोल सकते हैं। कृपया संक्षेप में बात कहें।

श्री के.सी. सिंह 'बाबा' (नैनीताल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, मैं सरकार को केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक लाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं यू.पी.ए. की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी; भारत के प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह और माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह को इस विधेयक में गढ़वाल विश्वविद्यालय को शामिल करने तथा उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए बधाई देना चाहता हूं।

किंतु जैसा कि मेरे पूर्ववर्ती वक्ता और मेरे सहयोगी श्री बची सिंह रावत ने कुमाऊं विश्वविद्यालय को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग की है, हम सभी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस मांग का समर्थन करते हैं। उन्होंने बड़े ही संतुलित तरीके से यह बात कही है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा क्यों मिलना चाहिए। हम सब इससे सहमत हैं।

[हिन्दी]

बची सिंह रावत जी ने संक्षेप में सरकार को बताया कि क्यों कुमाऊं यूनिवर्सिटी को सैंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए। मैं उनका समर्थन करता हूं कि गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को सैंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए।

[अनुवाद]

महोदय, अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं जिसमें यह भी शामिल होगा कि कुमाऊं विश्वविद्यालय को एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा क्यों दिया जाना चाहिए। यह पहले भी कहा जा चुका है। क्षेत्रों को शैक्षिक दृष्टि से समान रूप से महत्वपूर्ण बनाने के लिए 1973 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हेमवती नंदन बहुगुणाजी ने कुमाऊं और गढ़वाल, दोनों, क्षेत्रों की जटिल, सामाजिक और भौगोलिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुमाऊं और गढ़वाल, दोनों विश्वविद्यालयों को लगभग एक ही समय में स्थापित करने की बात कही ताकि दोनों क्षेत्रों के छात्रों को लाभ मिल सके।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के 10,000 से अधिक छात्रों ने विभिन्न संकायों में पी.एच.डी. डिग्री हासिल की है। लगभग 30 लाख की आबादी में से 1 लाख के करीब छात्र प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में इन विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं देते हैं। हमें एन.ए.ए.सी. से 'चार-सितारे' वाला दर्जा प्राप्त हुआ है। समय-समय पर इन दोनों क्षेत्रों में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करते समय पूर्व राजनेताओं तथा नौकरशाहों ने कुमाऊं और गढ़वाल के बीच उचित क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की बात को दिमाग में रखा है।

उदाहरण के लिए, जब कुमाऊं में हल्द्वानी में एक चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया गया तो उसी समय गढ़वाल के श्रीनगर में एक अन्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसी प्रकार, कुमाऊं के अल्मोड़ा और गढ़वाल के श्रीनगर में एक पर्यावरण संस्थान स्थापित किया गया। कुमाऊं और गढ़वाल, दोनों, क्षेत्रों में अल्मोड़ा और पौढ़ी में एक ही समय कृषि अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए गए जो भावी, सांस्कृतिक विकास और राजनीतिक दृष्टिकोण से सदैव जरूरी रहा है।

किंतु इस समय मैं सुन रहा हूं कि गढ़वाल के देहरादून में ही दो दर्जन से अधिक उच्च शिक्षण संस्थान हैं। गढ़वाल में आई.आई.एम. और 'एम्स' भी स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इससे कुमाऊं और गढ़वाल के दो क्षेत्रों में थोड़ी सी असमानता आ गई है।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं पुरजोर रूप से यह मांग करता हूं कि हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाए।

इन कुछ शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री के. फ्रांसिस जार्ज, कृपया अपनी बात बहुत संक्षेप में कहें।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इडुक्की): जी महोदय, अब बहुत कुछ कहने की गुंजायश नहीं है। मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कहूंगा।

वस्तुत: मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का सदस्य हूं। उस समिति में हमने इस विधेयक के विभिन्न

[श्री के. फ्रांसिस जार्ज]

उपबंधों पर विस्तार से चर्चा की है। समिति ने कई सिफारिशें की थीं जिनमें से सात सिफारिशों को सरकार ने उदारतापूर्वक स्वीकार कर लिया है।

माननीय प्रधानमंत्री ने प्रत्येक राज्य में कम से कम एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय और प्रत्येक जिले में एक डिग्री कॉलेज बनाने की घोषणा की थी। माना जाता है कि ये संस्थाएं उत्कृष्टता की प्रतीक, कुशलता का प्रतिमान बनेंगी और शैक्षणिक मानकों के संदर्भ में उदाहरण स्थापित कर राज्य विश्वविद्यालयों के लिए शासन में अनुकरणीय भूमिका अदा करेंगी।

महोदय, जैसा कि पहले कहा गया है; मौजूदा नामांकन दर केवल 11 प्रतिशत है। हम इसमें वृद्धि करने की योजना बना रहे हैं।

इसी कारण से इन नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। माननीय मंत्री जी ने 2007 में इसी सदन में यह कहा था कि सरकार ने 12 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की योजना बनायी थी। उन्होंने कहा है कि यहां कम से कम 1,500 विश्वविद्यालय होने चाहिए। अतएवं, जहां तक इस देश में उच्चतर शिक्षा का प्रश्न है तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने इस संबंध में कई सुझाव दिए थे। यह सिफारिश की गयी है कि हमें और ज्यादा विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए। उच्च शिक्षा की विनियमन प्रणाली को भी परिवर्तित करना चाहिए, सार्वजनिक कार्यों पर होने वाले व्यय में वृद्धि करनी चाहिए, मौजूदा विश्वविद्यालयों का सुधार करना चाहिए, परास्नातक महाविद्यालयों का पुनर्गठन किया जाए और गुणवत्ता को बढ़ाने आदि जैसे कार्य किए जाएं।

इसलिए मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इन संस्थानों की स्थापना करने की दिशा में कदम उठाते समय हमें बहुत ध्यान रखना होगा जैसा कि हमारे लब्ध प्रतिष्ठित राज्य सभा सदस्य श्री एन.के. सिंह द्वारा यह सुझाव दिया गया कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये संस्थान अकादमिक सब से स्वतंत्र और शोध को बढ़ावा देने वाले नवीनता को तरजीह देने वाले और उत्कृष्टता की प्राप्ति के लिए स्वायत्त हों।

मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। जब हम 16 अर्थात् 12+4 विश्वविद्यालयों जिन्हें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में बदला जा रहा है कि स्थापना कर रहे हैं तो अन्य शाखाओं में प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ आप इन्हें ज्ञान की एक शाखा विशेष में उत्कृष्टता का केन्द्र क्यों नहीं बनाते? ऐसा करने पर हमारे पास ज्ञान की शाखा विशेष के 16 विशेषीकृत केन्द्र होंगे जिनमें उस शाखा विशेष का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं।

अतएवं, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन बिन्दुओं पर विचार किया जाए। निस्संदेह ये महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्वायत्त होने चाहिए और प्रत्येक सदस्य का सुझाव है कि इन संस्थानों पर सरकार का नियंत्रण बहुत कम होना चाहिए और इन्हें ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता प्रदान की जाए। परंतु साथ ही साथ मैं केन्द्र सरकार से कुछ मार्गदर्शन करने का भी अनुरोध करूंगा ताकि प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने स्थान और उस क्षेत्र की आवश्यकता विशेष के अनुसार किसी शाखा विशेष का चुनाव कर सकें ताकि हम धीरे-धीरे इन्हें विश्वस्तरीय संस्थान बना सकें। बस यही कहना है।

प्रो. चन्द्र कुमार (कांगड़ा): महोदय, मैं केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हम, हिमाचल प्रदेश के लोग माननीय प्रधानमंत्री, डा. मनमोहन सिंह, श्रीमती सोनिया गांधी, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती पुरन्देश्वरी के कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य को भी एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हम पंजाब में शामिल थे हमारे पास केवल चण्डीगढ़ स्थित एक ही विश्वविद्यालय था और लाहौल-स्पीति से लेकर उत्तर-पूर्व के अन्य किनारों तक बसने वाले लोग शिक्षा प्राप्त करने चण्डीगढ़ ही आया करते थे। बाद में, विभिन्न राज्यों में अलग-अलग विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने लगे। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास कृषि विश्वविद्यालय, बागवानी विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालय हैं। परंतु 12 राज्यों में खुले ये उत्कृष्ट संस्थान दर्शाते हैं कि हमारा समाज ज्ञान आधारित समाज है इन संस्थानों में हम श्रेष्ठ शिक्षा मुहैया करवा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार थी तो धर्मशाला, में इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने के संबंध में एक नीतिगत निर्णय लिया गया था। जहां पर सारी सुविधाएं और अवसंरचनाएं उपलब्ध है, बाद में यह प्रस्ताव देहरा के उपमंडल में किसी अन्य क्षेत्र के लिए स्थानांतरित

कर दिया गया जो कि कांगड़ा जिले का एक भाग है। परंतु उस विश्वविद्यालय को दिये जाने वाली भूमि एक जंगल की भूमि है। मैं चाहता हूं कि जब हम पर्वतीय क्षेत्रों में इन विश्वविद्यालयों की स्थापना कर रहे हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों में होने के कारण मानदण्डों में कुछ छूट दी जानी चाहिए क्योंकि वहां पर जमीन आसानी से उपलब्ध नहीं होती। क्योंकि सारा क्षेत्र घने जंगलों से पटा हुआ है। अतएवं, उसके लिए पर्वतीय क्षेत्रों को कुछ छूट दी जानी चाहिए। क्योंकि वे इन विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए 400 से 500 हैक्टेयर भूमि की मांग कर रहे हैं।

वह संपूर्ण क्षेत्र जिसे प्रस्तावित किया गया है वह एक वन क्षेत्र है और वन अधिनियम, 1980 के उपबंधों को प्रभावित करता है। वन भूमि का अंतरण वनेतर प्रयोग के लिए नहीं किया जा सकता। अत: मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि धर्मशाला में विश्वविद्यालय को खोलने के पहले से दिए गए प्रस्ताव पर विचार करे। धर्मशाला में भी भूमि उपलब्ध है और वहां एक पुराना संस्थान भी है, जहां सरकारी महाविद्यालय चल रहा है। यह भी अच्छा है। एक ओर अगर वे विश्वविद्यालय खोलना चाहते हैं, तो डीसी उस विशेष संस्थान के साथ मिलकर काम करें, ताकि वे अच्छे परिणाम दे सकें। जब यह विश्वविद्यालय उस राज्य विशेष में खोला जाएगा तो इसे वहां पहले से मौजूदा डिपार्टमेन्ट आफ बेसिक साइंस और एलाइड साइंस का भी लाभ मिलेगा। अत: अगर भविष्य में इसका विस्तार होता है तो उस विश्वविद्यालय के आस पास के सारे पहले से सक्रिय विभाग उनके अनुसंधान केन्द्र बन जाएंगे। पालमपुर में खोले गए कुछ सी.एस.आई.आर. संस्थानों से भी उनके अनुसंधान कार्य में सहायता मिलेगी।

अगर हम वहां शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को ज्ञान प्रदान कर सके तो हम उनके ज्ञान का प्रयोग कृषि क्षेत्र, मानविकी विकास तथा अन्य विभिन्न विषयों में कर सकेंगे। यह संस्थान भी श्रेष्ठता का संस्थान होना चाहिए क्योंकि यह अधिनियम जो इस सम्मानीय सभा में पुर:स्थापित किया गया है वही अधिनियम है जिसके तहत वहां पर विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। यह वही अधिनियम है।

जब हम ऐसे उत्कृष्ट संस्थान खोलने जा रहे हैं तो विभिन्न विषयों के लिए कुछ सोच होनी चाहिए, ताकि मास्टर डिग्री अर्थात विशेषज्ञता की सुविधा उपलब्ध हो, जिससे कि हम विश्वविद्यालय में जो भी शिक्षा दें उसके ज्ञान का अनुप्रयोग संबद्ध क्षेत्र में किया जा सके। हम जो भी अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, उसका परस्पर संबंध उद्योगों, कृषि क्षेत्रों तथा उस राज्य की चलने वाली सामाजिक-आर्थिक स्थिति से हो ताकि हम छात्रों को जो भी ज्ञान प्रदान करे, वह उस राज्य में लागू होता हो।

जब मैं पंजाब विश्वविद्यालय का छात्र था तब स्नातकोत्तर के छात्रों के लिए लघु शोध प्रबंध लिखना अनिवार्य था। हम वहां जाते रहते थे। हमारे पास उन क्षेत्रों की भूमि उपयोग योजना थी और हमारे पास उन क्षेत्रों का भूमि-उर्वरता सर्वेक्षण भी था। यह इस विषय का अभिन्न अंग था। हमारे विश्वविद्यालय काल में दी गई सिफारिशों के आधार पर चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों का पूरा परिदृश्य ही बदल गया है और संपूर्ण भूमि उपयोग पद्धति भी बदल गई है। अब लोग विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक संरचना, बागवानी संरचना का प्रयोग करने लगे हैं। उन्होंने सब्जियों के उत्पादन के लिए स्थापित किए हैं और बाजरा तथा इसके जैसी अन्य चीजों का उत्पादन किया है। विश्वविद्यालय में हम जो भी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वह ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए ताकि हम उस ज्ञान का प्रयोग बाकी के क्षेत्रों में कर सकें, जिससे कि हम जो भी सीख रहे हैं, उस ज्ञान का प्रयोग उस विशेष राज्य के आस-पास किया जा सके। इस प्रकार प्रतिष्ठा के इन संस्थानों द्वारा हम उन राज्यों में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन पा सकेंगे। सर्वश्रेष्ठ उत्पादों के उत्पादन के साथ-साथ हम ज्ञानवर्धक समाज भी बना सकेंगे। इस प्रकार उस स्थिति में होंगे जहां हम अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकेंगे और संबंधित क्षेत्र के पूरे परिदृश्य को बदल सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर माननीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री से यह निवेदन करूंगा कि वे इस मुद्दे पर ध्यान दें।

सायं 7.48 बजे

[श्री बालासाहिब विखे पाटील *पीठासीन हुए*]

अगर वे विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहते हैं तो धर्मशाला सबसे उपयुक्त स्थान है क्योंकि संरचनात्मक सुविधाएं भी वहां उपलब्ध हैं...*(व्यवधान)* मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे इस मुद्दे पर दोबारा ध्यान दें।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): सभापति महोदय, मैं केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 के समर्थन में बोलने

[श्री आलोक कुमार मेहता]

के लिये खड़ा हुआ हूं। इसे पहले ही अध्यादेश के माध्यम से और आगे बढ़ाया जा चुका है लेकिन चंद बिन्दुओं पर चर्चा करना अत्यावश्यक है जिनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। इस विधेयक का उद्देश्य एजुकेशन सिस्टम को विश्वस्तरीय बनाना है। वैसे विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाना जिसका दुनिया में रिकोग्नीशन हो, यही उद्देश्य है। उनके तमाम पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। नेशनल नॉलेज कमीशन के द्वारा उठाये गये कुछ बिन्दुओं पर तो ध्यान दिया ही जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ-साथ जो स्टेच्युटरी स्टेक है, इंस्टीट्यूशन को खोले जाने, उसको रिकग्नाइज करने, और उसके चलाने पर, उसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उससे गुणवत्ता प्रभावित होती है और देश का बड़ी आवाम, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन गुदड़ी में लाल पैदा होते हैं, कीचड़ में कमल खिलते हैं, इसलिए गरीब बच्चों के लिए भी उसका पर्याप्त प्रावधान होना चाहिए।

सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी एड दी जाती हैं, लेकिन उसका उपयोग सिर्फ सेलरी बढ़ाने में न हो। मेरा मतलब है कि छात्रों को उसकी पर्याप्त सुविधा प्राप्त हो, इस पर उसको खर्च करना अत्यंत आवश्यक है। बहुत सारे विषय आज की दुनिया में बहुत व्यावहारिक हैं, लेकिन अभी तक जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं उनमें पढ़ाई का स्तर या तो उतना अच्छा नहीं है या फिर उसमें उस तरह के विषयों को नहीं रखा गया है जो मॉस के इस्तेमाल की चीजों का सब्जेक्ट है। हाल के दिनों में बहुत सारे डिसिप्लिन्स को जोड़ा गया है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं वे गवर्नमेंट इन्स्टीट्यूशंस से ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं। जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको गिनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे माइक्रोबॉयलॉजी का क्षेत्र हो या जो नये ढंग की मैनेजमेंट टैक्निक्स हैं, उसके अंदर जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस होंगे, उनके अंदर ऐसे डिसिप्लिन्स को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए।

महोदय, आंकड़े बताते हैं भारतीय विश्वविद्यालयों के 90 प्रतिशत छात्रों का एब्जर्बान मल्टी नेशनल कंपनियों में नहीं हो पाता है, लेकिन मैं इस आंकड़े से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं आज यह देख रहा हूं कि इस देश के व्यावसायिक संस्थान उम्दा किस्म के हैं और उनके छात्रों को मल्टीनेशनल कंपनियों में बहुत अच्छे-अच्छे रिकग्नेशन मिल रहे हैं। इसमें होमोजिनिटी नहीं है और कोई क्षेत्र तो बिल्कुल अछूता छोड़ दिया गया है, वहां कैम्पस इन्टरव्यू भी नहीं होता है। इसलिए वहां के बच्चे वहीं उपलब्ध रोजगार के माध्यम और जॉब इन्सटीट्यूशन में काम करके संतुष्ट रहते हैं। उनका रिकग्नेशन वर्ल्ड लेवल पर हो, इसके लिए इनके कोर्सेज में यूनिफॉरमिटी होनी चाहिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जिसमें अधिक से अधिक गुणवत्ता के साथ शिक्षकों की बहाली हो, फैसिलिटी डेवलप हो और वे वर्ल्ड क्लॉस लायक बन सके। मैं इस बात की वकालत करता हूं। महोदय, खास तौर पर तकनीकी संस्थानों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो गरीब बच्चे हैं अगर उनका सलेक्शन किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हुआ, यदि उनके पास जमीन, जायदाद और साधन हैं तभी उनको ऋण दिया जा रहा है, नहीं तो बैंकों के द्वारा उन्हें ऋण नहीं दिया जाता है। उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके साथ-साथ शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे बिन्दुओं पर भी इम्फेसिस दिये जाने की आवश्यकता है।

मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बिहार जैसे पिछड़े राज्य को एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय देने का काम किया है। अभी माननीय सदस्य राम कृपाल यादव जी ने कहा कि पटना विश्वविद्यालय, जो कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनने की पूरी अर्हता रखता है, उसको केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दें। एक से ज्यादा अगर कहीं केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। बिहार की पोपुलेशन बहुत ज्यादा है और देश की 9 प्रतिशत आबादी वहां रहती है। दुनिया के बड़े से बड़े इन्सटीट्यूशंस में बिहार के छात्र बहुत अच्छा कर रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री मेहता आप इस मुद्देपर पहले ही बोल चुके हैं। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता: महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार में पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से इस संशोधन विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अगली वक्ता श्रीमती तेजस्विनी गौडा हैं।

श्रीमती तेजस्विनी गौडा (कनकपुरा): धन्यवाद सभापति महोदय।

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण संक्षिप्त और सारगर्भित रखें।

श्रीमती तेजस्विनी गौडा: जी हां, महोदय।

संप्रग सरकार पांच साल पहले बनी थी और कोई इस बात के प्रति निश्चिंत नहीं था, कि सरकार अपने पांच वर्ष पूरे कर पाएगी। आज यह क्षण मेरे लिए हमारे विश्व विख्यात अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के प्रति अत्यंत गर्व का है, जिन्होंने जीवंत भारत का स्वप्न देखा था। आज जब हम 'मिशन टू मून' का उदाहरण लेते हैं, तो जीवंत भारत फलीभूत होता दिखाई देता है।

महोदय, मेरे विचार से केवल गुणवत्तापरक और सार्थक शिक्षा से ही लोगों का अज्ञान दूर हो सकता है जो अनेक सामाजिक बुराइयों का मूल कारण है। भारत की कुल जनसंख्या की तुलना में उच्चशिक्षा में केवल 11 प्रतिशत का सकल नामांकन अनुपात काफी चिन्ता का विषय है। यही कारण है कि संप्रग सरकार इस समस्या को निश्चित समय सीमा के भीतर निपटाने के लिए प्रतिबद्ध है।

महोदय, मैं इस मौके पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के शिक्षा द्वारा जीवंत भारत के निर्माण के स्वप्न को याद करना चाहूंगी। मुझे यह देखकर काफी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे युवा नेता राहुल गांधी इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने पिता के स्वप्न को जारी रखते हुए शिक्षा द्वारा सशक्त भारत के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। हमें शिक्षा के क्षेत्र में भारत-ग्रामीण और शहरी भारत - की खाई को पाटना होगा। केवल शिक्षा ही इन बुराइयों से लोगों को छुटकारा दिला सकती है। केवल शिक्षा द्वारा ही उन्हें यह महसूस होगा कि उनकी अपनी समस्याएं हैं और वे इसका समाधान कर सकते हैं। शिक्षा द्वारा ही उन्हें इस बात का एहसास होगा कि उन्हें राष्ट्रीय भूमिका निभानी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि श्री राहुल गांधी आने वाले दिनों में और अधिक नेतृत्व प्रदान करेंगे।

इस ऐतिहासिक विधेयक को लाने के लिए संप्रग सरकार की सराहना करते हुए मैं अपने राज्य के लिए कुछ मांग रखना चाहूंगी। केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 के द्वारा संप्रग सरकार ने मेरे राज्य सहित कई राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रदान किए हैं। प्राचीन विरासत वाले मैसूर राज्य में स्थित मैसूर विश्वविद्यालय को यह दर्जा मिल चुका है। मैं कर्नाटक राज्य की निवासी हूं जिसकी राजधानी बंगलौर है। बंगलौर में लगभग चार सौ महाविद्यालय हैं जो लाखों छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। परंतु यहां अवसंरचनात्मक सुविधा की कमी है। हमें केवल ग्रामीण भारत के लिए भाषण नहीं देना है। हमें ग्रामीण महाविद्यालयों के लिए अवसंरचना और सुविधाएं प्रदान करनी है। केवल उनके विषय में बात करके हम उनकी सहायता नहीं कर सकते। मुझे डर है कि कर्नाटक में उत्तर-दक्षिण विभाजन की नई पृष्ठभूमि तैयार हो रही। इसका मूल कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच का असंतुलन है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह सुप्रसिद्ध धारवाड़ विश्वविद्यालय को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे। यदि धारवाड़ विश्वविद्यालय और बंगलौर विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय बना दिये जाएं तो यह बहुत ही अच्छी बात होगी।

इस विधेयक को लाने के लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगी। विभागों से संबद्ध संसदीय स्थाई समिति की सात सिफारिशों के सम्मिलित करने के लिए मैं सरकार की सराहना करती हूं। ये कदम देश के युवाओं में नेतृत्व क्षमता के गुणों का विकास कर तथा कट्टरवादी नक्सली विचारधारा से दूर ले जाते हुए उन्हें पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराएंगे।

सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन विश्वविद्यालयों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति करते समय राजनीति को उससे दूर रखें। इन नियुक्तियों के लिए प्रतिभा तथा विशेषज्ञता एकमात्र अर्हताएं हों। इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को निधियां आवंटित करते हुए विशेष प्रावधान बनाए जाएं कि इनका खर्च किस प्रकार हो और इनकी प्राथमिकताएं क्या-क्या हों।

मैं कनकपुरा निर्वाचन क्षेत्र की रहने वाली हूं। महान गांधीवादी और राजनीतिज्ञ स्वर्गीय करियप्पा ने वर्षों पहले करियप्पा ग्रामीण महाविद्यालय के नाम से एक ग्रामीण महाविद्यालय स्थापित किया था। अभी इस महाविद्यालय में लगभग 9000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी मांग है इस महाविद्यालय को सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाए। मुझे उम्मीद है कि सरकार कनकपुरा में करियप्पा ग्रामीण महाविद्यालय को सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने में सहायता करेगी।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): माननीय सभापति महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आज इस सभा में चर्चा करने और इसे पारित करने के उद्देश्य से पेश किये गये केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 पर बोलने का मौका दिया।

महोदय मैं इस विधेयक के समर्थन और स्वागत के लिए भारी दिल से और थोड़ी झिझक के साथ खड़ा हुआ हूं। मुझे बहुत खुशी होती यदि प्रस्तावित बारह केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की तर्ज पर निचले असम क्षेत्र में अवस्थित बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की इस विधेयक की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत स्थापना होती।

रात्रि 8.00 बजे

सभापति महोदय: जरा रुकिए। अभी 8 बज रहे हैं। मुझे लगता है कि हम आधे घंटे के भीतर इस विधेयक पर चर्चा समाप्त कर लेंगे। अत: अगर सभा सहमत है तो हम बैठक का समय आधा घंटा बढ़ा सकते हैं।

कई माननीय सदस्य: जी हां, महोदय...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है। सभा का समय आधा घंटा बढ़ाया जाता है।

...*(व्यवधान)*

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: शिक्षा के संबंध में देश के संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति क्षेत्र बोडोलैंड को ध्यान में रखते हुए इसे इस विधेयक की प्रथम अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए।

इस विधेयक ने छठी अनुसूची में उल्लिखित पिछड़े क्षेत्रों विशेषकर हमारे बोडोलैंड क्षेत्र में यहां की युवा पीढ़ी के लिए लम्बे समय से आवश्यक केन्द्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी न देकर हमारे साथ भेदभाव किया है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि चूंकि कोकराझार जोकि बोडोलैंड प्रादेशिक प्रशासनिक परिषद का मुख्यालय है अत: इसमें भी वह केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रदान करने की दिशा में समुचित कदम उठाए ताकि बोडोलैंड क्षेत्र में केन्द्रीय विश्वविद्यालय और अन्य शिक्षा के उत्कृष्ट संस्थानों के अभाव में निरंतर शोचनीय होती जा रही स्थिति का समाधान किया जा सके।

महोदय, केन्द्र सरकार से मेरा यह निवेदन है कि वह इस विधेयक की प्रथम अनुसूची के संबंध में मेरे द्वारा सुझाए गए संशोधन को मंजूरी प्रदान करे।

मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह बोडोलैंड क्षेत्र के लिए निम्नलिखित शिक्षण संस्थानों को मंजूरी प्रदान करे। बोडोलैंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय कम से कम एक और केन्द्रीय विश्वविद्यालय जैसा ही बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला के लिए मंजूर किया जाए। एक बोडोलैंड केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की भी स्थापना बोडोलैंड प्रदेश में हो। इनमें से कम से कम एक आई.आई.एम., आई.आई.टी. और एम्स की तरह के संस्थान, वस्त्र संस्थान, एक उपचर्या सह अर्ध चिकित्सीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, एक भेषज संस्थान, एक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय, एक शारीरिक शिक्षा, क्रीड़ा और खेलकूद केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं।

ऐसे कई कार्यक्रम हैं जो मेरे क्षेत्र में काफी जरूरी हो गए हैं। बोडो भाषा 1963 से शिक्षा का माध्यम है। बोडो माध्यम से 1000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय समाप्त होने की कगार पर हैं। धनराशि के अभाव में असम सरकार इन विद्यालयों का ध्यान नहीं रख सकी। प्राथमिक विद्यालयों के अतिरिक्त 500 अन्य बोडो माध्यम के उच्च प्राथमिक विद्यालय है। सरकार इन विद्यालयों का भी ध्यान धनाभाव के कारण नहीं रख पा रही है। अत: मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से भारत सरकार से यह अपील करता हूं वह 200 करोड़ रुपए की केन्द्रीय निधि असम सरकार को प्रदान करे जिससे कि बिना विलंब के इन 'बेंचर विद्यालय' को शुरू किया जा सके...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अब समाप्त कीजिए। आप पहले ही पांच मिनट का समय ले चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: मेरे कुछ मुद्दे हैं। स्वदेशी जनजातीय छात्रों के लिए बोडोलैण्ड में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अपने भाषण का शेष भाग सभा पटल पर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

***श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी:** महोदय, ठीक है। महोदय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 पर अपने

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

विचार रखने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं, जिसे सभा में आज चर्चा तथा पारित करने के लिए लिया गया है।

महोदय, यद्यपि मैं अनिच्छा से इस विधेयक का समर्थन करता हूं तथा निम्नलिखित कारणों के चलते भारी मन से इस विधेयक का स्वागत करता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में देश के संविधान की छठी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र-बोडोलैण्ड राज्य क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत विधेयक की पहली अनुसूची में शामिल प्रस्तावित बारह केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की तर्ज पर निचले असम में भी अवस्थित बोडोलैण्ड प्रादेशिक क्षेत्र जिले (बी.टी.ए.डी.) में यदि एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती। नि:संदेह इस विधेयक में बोडोलैण्ड राज्य क्षेत्र की युवा पीढ़ी के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय की लम्बे समय से प्रत्याशित और महसूस की गई जरूरत को स्वीकार न करके हमारे बोडोलैंड क्षेत्र के विशेष उल्लेख के साथ देश में छटी अनुसूची वाले क्षेत्रों में पिछड़े क्षेत्रों के प्रति भेदभाव करने की चेष्टा की गई है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय एवं इसी प्रकार के अन्य मूलभूत शैक्षणिक संस्थानों के अभाव में बोडोलैण्ड क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होने वाली अत्यधिक शोचनीय स्थिति के मद्देनजर कोकराझार जो बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद प्रशासन का मुख्यालय है में भी एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की मंजूरी देने में सहायता करने के लिए समुचित कदम उठाए जाएं हूं।

महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि विधेयक की पहली अनुसूची के संबंध में मेरे संयोजनों को स्वीकार किया जाए। अंत में मैं एक बार फिर निम्नांकित मांगों को सरकार के ध्यान और सक्रिय विचार हेतु दोहराना चाहूंगा अर्थात

(1) कोकराझार में बोडोलैण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना

(2) बोडोलैण्ड केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय

(3) केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का पूर्णरूपेण केन्द्रीय तकनीकी विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयन किया जाए।

(4) एक भारतीय प्रबंधन संस्थान

(5) एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

(6) एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रकार का संस्थान

(7) उक्त बोडोलैण्ड सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान

(8) एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एण्ड फैशन टेक्नालाजी

(9) 10 पोलीटेक्निक संस्थान

(10) 10 आई.टी.आई.

(11) 7 जे.एन.यू.एस.

(12) 100 मॉडल विद्यालय

(13) 10 गुणवत्ता शिक्षा कॉलेज

(14) 10 वस्त्र संस्थान

(15) एक उपचर्या सह अर्ध चिकित्सीय प्रशिक्षण कॉलेज

(16) एक भेषज संस्थान

(17) एक मेडिकल कॉलेज

(18) एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय

(19) शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा, खेलों और खेलकूद हेतु केन्द्रीय विश्वविद्यालय

(20) केन्द्र द्वारा प्रति वर्ष कम से कम 2000 करोड़ रुपये देकर बोडो शिक्षा माध्यम के उपेक्षित 1000 प्राथमिक विद्यालयों, 500 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 500 हाई स्कूलों को असम में प्रांतीयकरण प्रणाली के तहत लाया जाना चाहिए।

(21) कोकराझार के उत्तर पूर्वी राज्यों के स्वदेशी जनजातीय छात्रों के लिए एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय।

(22) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रबंधन संस्थानों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं में रोजगार में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण कोटे का प्रावधान

(23) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पड़े शिक्षक के पदों को विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से भरा जाना चाहिए।

[श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी]

(24) बोडोलैण्ड में शिक्षा के विकास के लिए बोडोलैण्ड प्रादेशिक परिषद् सरकार को न्यूनतम 5000 करोड़ रुपये वार्षिक केन्द्रीय निधि दी जानी चाहिए।

(25) उत्तर बंगाल में जलपाईगुडी जिले के महाकालगुडी में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए।"

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): प्रस्तावित अध्यादेश से असहमत होते हुए मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। जिस प्रकार इसे लाया गया वह उचित नहीं था यह अध्यादेश सभा की विधायी शक्तियों की कीमत पर जारी किया गया था। यह सभा की शक्तियों पर अतिक्रमण था क्योंकि स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी और इसके लिए उपयुक्त रास्ता को अपनाया जाना चाहिए था। लेकिन उपयुक्त रास्ता अपनाने के बजाय...*(व्यवधान)* महोदय, स्थायी समिति द्वारा 15 सिफारिशें की गई थीं जिनमें से 7 को स्वीकार कर लिया गया है। मुझे आशा है कि इस नए विधेयक में उन सिफारिशों को शामिल कर लिया गया है। यह देरी से लाया गया विधान है। कई वर्षों से राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की मांग की जा रही है। यह अचानक नहीं हुआ है, अतएव, इसे पूरा किया जाना चाहिए।

जब केरल में केन्द्रीय विश्वविद्यालय शुरू किया जाना था, मुझे इस सभा में एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना है। केरल में, सबसे बड़े सामाजिक सुधारक, श्री नारायण गुरु हुए हैं। वहां राज्य भर दर्जनों श्री नारायण महाविद्यालय, उच्चतर शिक्षा केन्द्र और उत्कृष्टता केन्द्र हैं। दर्जनों महाविद्यालय, उच्चतर शैक्षिक संस्थान उत्कृष्टता केन्द्र घोषित किए गए थे, जो राज्य भर में फैले हैं। वे धार्मिक सद्भाव तथा धार्मिक सहनशीलता के धर्मगुरु हैं। उन्होंने एक व्यक्ति, एक जाति' तथा एक धर्म का उपदेश दिया।

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): उन्होंने मानव समुदाय के लिए 'एक भगवान, एक धर्म, एक जाति, का उपदेश दिया।

श्री वरकला राधाकृष्णन: जब केरल में केन्द्रीय विश्वविद्यालय शुरू किया जाना था, वह केवल उन्हीं के नाम से शुरू किया जाना था। केवल वही एकमात्र सम्मान के पात्र व्यक्ति है। केवल केरल में ही नहीं अपितु संपूर्ण दक्षिण भारत में वही एक मात्र पहले व्यक्ति हैं जिनके शिष्य पूरे विश्व में हैं। श्री नारायण मिशन न्यूयार्क, क्वालालमपुर, सिंगापुर, फ्रांस, लंदन तथा सभी जगहों पर कार्यरत हैं। वे इतने महान व्यक्ति हैं, उनके नाम पर सैंकड़ों संस्थाएं कार्य कर रहीं हैं। अतएव, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि उक्त विश्वविद्यालय का नामकरण श्री नारायण गुरु के नाम पर किया जाय। इस मामले में वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सम्मान के पात्र हैं।

सभापति महोदय: ठीक है, आप अपनी बात समाप्त कर सकते हैं। यह राज्य सरकार से संबंधित विषय है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मुझे आशा है कि केन्द्र सरकार इस पर विचार करेगी।

सभापति महोदय: ठीक है, मंत्री महोदय।

श्री वायालार रवि: इसके पहले कि माननीय मंत्री उत्तर दें, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम सभी वास्तव में संसदीय परिसर में उनकी प्रतिमा लगाये जाने की अपेक्षा करते हैं। यहां उनकी कोई प्रतिमा नहीं है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से कम से कम उनके नाम पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के सुझाव का समर्थन करता हूं।

श्री जे.एम. आरुन रशीद (पेरियाकुलम): महोदय, मैं भी उनका समर्थन करता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: माननीय मंत्री मेरे विषय का समर्थन कर रहे हैं।

सभापति महोदय: हां, सभी समर्थन कर रहे हैं। अब आप बैठ जायें। माननीय मंत्री जी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): मैं अपने माननीय साथियों, जो बीस की संख्या में हैं, को आज की बहस में भाग लेने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं। नाम की सूची को पढ़ने में समय लगेगा; अतएव, मैं उनके नाम से आज की बहस में भाग लेने तथा विधेयक पर अपने दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए उन सभी को धन्यवाद देती हूं।

प्रारंभ में, मुझे सभा को सूचित करना है कि सरकार की यह इच्छा नहीं थी कि वह उस संसद की विधायी क्षमता को खत्म करे जिसे सरकार बड़े सम्मान की दृष्टि से देखती है।

कुछ अपरिहार्य कारणों के चलते हमें अध्यादेश लाना पड़ा, जिसका मुख्य कारण कुछ राज्य विश्वविद्यालयों का केन्द्रीय विश्वविद्यालय में उन्नयन तथा शैक्षिक सत्र शुरू

होना था। नए स्थापित किए जाने वाले विश्वविद्यालयों के लिए भूमि अधिग्रहीत की जानी थी तथा कुलपति नियुक्त किए जाने थे। अतएव, यह समय लेने वाली प्रक्रिया है। इन्हीं कारणों के चलते हमें अध्यादेश लाना पड़ा। लेकिन निश्चित रूप से यह संसद की विधायी क्षमता को कम करने का प्रयास नहीं था।

लेकिन शुरू में ही मैं कहना चाहती हूं कि यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात है, हमारी उच्चतर शिक्षा का क्षेत्र तेजी से बढ़ा है, संस्थाएं, पठन-पाठन अवसंरचना तथा संकायों में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस तेजी से वृद्धि के प्रति उदासीन हो जायें। हमारे सामने कुछ ऐसी चुनौतियों तथा मामले हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है तथा कमियों को दूर करने की आवश्यकता है।

शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, जैसा कि मेरे कई सहयोगियों ने कहा, एक अनवरत प्रक्रिया है। यह आवश्यक है कि हम हमारी शिक्षा को उत्तरदायी तथा उसे देश की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाएं। अतएव, यह देखने की आवश्यकता है कि हमारे देश में आर्थिक विकास तथा सामाजिक विकास के लिए क्या आवश्यक है। इस प्रकार, सुधार एक अनवरत प्रक्रिया है।

सुविधा, समता, गुणवत्ता तथा प्रासंगिकता हमेशा से देश की शिक्षा प्रणाली के आधार रहे हैं। हमारे समक्ष कभी भी आ सकने वाली हमारे देश में पहली चुनौती, जिसमें भौगोलिक तथा जनसांख्यिकीय चुनौती शामिल है, सुविधा की चुनौती होगी। हम इस तथ्य पर गर्व का अनुभव करते हैं कि हमने जी.ई.आर. अनुपात में वृद्धि कर इसे आज ग्यारह प्रतिशत पर पहुंचा दिया है, जो कि आजादी प्राप्त करने के समय एक प्रतिशत था। वर्ष 1950 में एक मिलियन छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और आज लगभग 1 करोड़ दस लाख छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तथापि, जैसा कि उचित ही इंगित किया गया है, हमें इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि 11 प्रतिशत का जी.ई.आर. लगभग 23 प्रतिशत के अंतर्राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। विकसित देशों में यह अनुपात 60 और 80 प्रतिशत के बीच है तथा संक्रमण काल से गुजर रहे देशों में यह 40 प्रतिशत से कुछ अधिक है। भारत में आज जी.ई.आर. अनुपात 11 प्रतिशत है।

एक ही बार में 20 प्रतिशत जी.ई.आर. प्राप्त करना हमारे लिए काफी कठिन है, जो कि किसी देश को आर्थिक रूप से व्यवहार्य होने के लिए काफी आवश्यक माना गया है। लेकिन यह मानते हुए कि भारत जैसे विशाल देश के लिए, जिसके समक्ष भौगोलिक तथा जनसांख्यिकीय दोनों से संबंधित चुनौतियां हैं, तुरंत 20 प्रतिशत जी.ई.आर. प्राप्त करना कठिन है, इसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत करना मेरे अनुसार काफी युक्तिसंगत लक्ष्य होगा, जोकि ग्यारहवीं योजनावधि के अंत तक अर्थात 2012 के अंत तक प्राप्त किया जाना है और हमें किसी भी कीमत पर इसे हासिल करने का प्रयास करना है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम तैयार किए गए हैं और यहां मैं इस पर जोर देना चाहूंगी कि सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक की पहचान करना है। महोदय, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ऐसे 374 ब्लॉक की पहचान की गई है जहां भारत सरकार का इरादा ऐसे प्रत्येक ब्लॉक में एक संस्थान की स्थापना करने का है ताकि शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े इन ब्लॉकों में साक्षरता दर में वृद्धि की जा सके जो राष्ट्रीय औसत से कम है।

इसी प्रकार, प्रत्येक जिले में पॉलीटेक्निकों की स्थापना तथा संस्थानों के उन्नयन के रूप में भी विभिन्न अन्य पहल की गई हैं। ये विभिन्न पहल हैं जो भारत सरकार तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सुविधा उपलब्ध हो सके। क्षेत्रीय असंतुलनों का समाधान किए जाने की आवश्यकता है। जब हम क्षेत्रीय असंतुलन की बात करते हैं तो हमें यह समझना तथा महसूस करना चाहिए कि हमारे देश के कुछ अंचलों, क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वास्तव में काफी अच्छी प्रगति हुई है, जबकि कुछ क्षेत्र अभी भी सुविधा के रूप में, संस्थानों की संख्या की दृष्टि पिछड़ रहे हैं। इसी पृष्ठ भूमि में हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह ने उच्च शिक्षा में काफी विस्तार की घोषणा की थी जिनमें आई.आई.टी., आई.आई.एम., एन.आई.टी. तथा आई.एस.सी.आर. सभी की संख्या में वृद्धि की गई है।

जब हम अपने केंद्रीय संस्थानों की संख्या में वृद्धि की बात करते हैं तो यह महत्वपूर्ण कारक ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जाए। इसीलिए यह निर्णय लिया गया कि उस प्रत्येक राज्य में सबसे पहले एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी जहां अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। महोदय, ऐसे 16 राज्यों की पहचान की गई है और इसी के आधार पर वास्तव में

[श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी]

विभिन्न राज्यों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों का आबंटन किया गया है। जैसा कि विधेयक में ठीक हो गया है, आज 3 राज्य विश्वविद्यालयों का उन्नयन किया गया है और अन्य 12 राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं विनम्रतापूर्वक इस सम्माननीय सभा को यह बताना चाहती हूं कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सात नए भारतीय प्रबंध संस्थानों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव था, जिसमें शिलांग में राजीव गांधी भारतीय प्रबंध संस्थान की स्थापना की जा चुकी है। लेकिन जहां तक अन्य आई.आई.एम. के स्थान का संबंध है, सीमित संसाधनों तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ग्यारहवीं योजना में किसी एक राज्य को एक नया आई.आई.टी. तथा एक आई.आई.एम. दोनों एक साथ नहीं दिए जाएंगे। लेकिन ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के शुरू में किसी ऐसे राज्य को दोनों में से एक संस्थान, अर्थात् आई.आई.टी. अथवा आई.आई.एम. दिया जा सकता है जहां एक संस्थान पहले से विद्यमान है। राजस्थान में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक आई.आई.टी. पहले से ही चल रही है, यद्यपि इसका कैम्पस अस्थायी है तथा इसका संरक्षण आई.आई.टी., कानपुर द्वारा किया जा रहा है। लेकिन हमारे मंत्रालय द्वारा माननीय वित्त मंत्री को उनके बजट भाषण के लिए प्रदान की गई जानकारी में असावधानीवश मुद्रण त्रुटि के कारण शैक्षणिक वर्ष 2009-10 से शुरू होने वाले नए आई.आई.एम. के लिए राज्यों के नाम में छत्तीसगढ़ के स्थान पर राजस्थान राज्य का उल्लेख कर दिया गया। अतः, मैं विनम्रतापूर्वक सभा से यह अनुरोध करती हूं कि इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाए। हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय की इस मुद्रण त्रुटि के लिए क्षमाप्रार्थी है।

यहां विशेषकर शिक्षा क्षेत्र से संबंधित आबंटन के बारे में अनेक चिंताएं व्यक्त की गई हैं। हमने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि सकल घरेलू उत्पाद का छः प्रतिशत केवल भारत सरकार से आबंटन नहीं है, बल्कि यह भारत सरकार तथा राज्य सरकारों दोनों द्वारा किया गया आबंटन है। भारत सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी मुख नहीं मोड़ा है। शिक्षा के मद में भारत सरकार का हिस्सा बढ़ रहा है। जबकि भारत सरकार तथा राज्य सरकारों का हिस्सा लगभग 20 तथा 80 प्रतिशत था, आज भारत सरकार का हिस्सा बढ़कर लगभग 23 से 24 प्रतिशत हो गया है। हम सभी राज्य सरकारों से गंभीरतापूर्वक यह अनुरोध करते हैं कि वे अपनी जिम्मेदारियों पर खरे उतरें और शिक्षा क्षेत्र जो कि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, के लिए अपने हिस्से में कमी न करें।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में आबंटन कितना है?

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: सकल घरेलू उत्पाद के रूप में दसवीं योजना अवधि में सकल बजटीय सहायता नौ प्रतिशत अथवा नौ प्रतिशत से कुछ अधिक थी, लेकिन आज सकल बजटीय सहायता 19 प्रतिशत है जो कि 11वीं योजना में शिक्षा क्षेत्र के लिए आबंटित की गई है।

महोदय, राज्य तथा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के बीच असमानता का संदर्भ भी दिया गया था। केंद्रीय विश्वविद्यालय पूर्णतया केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए जाते हैं क्योंकि इनकी स्थापना संसद के अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधित राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। इसलिए, राज्य सरकारें राज्य विश्वविद्यालयों की सहायता करती हैं तथा केन्द्र सरकार भी यह देखते हुए कि विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों से किस प्रकार की सिफारिशें की जाती हैं यू.जी.सी. के माध्यम से कुछ विकासात्मक निधियां मुहैया कराती हैं। इसलिए यह बात पुनः आती है कि राज्यों को अपने राज्य विश्वविद्यालयों के आवंटन, जो कि काफी महत्वपूर्ण हैं, को न घटाकर अपनी जिम्मेदारी पर खरा उतरना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा मिले।

शिक्षा के व्यावसायीकरण की बात यहां की गयी है। शिक्षा संबंधी हमारी राष्ट्रीय नीति तथा उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में शिक्षा के व्यवसायीकरण का पुरजोर विरोध किया गया है। इसलिए हम सरकारी संस्थाओं में शिक्षा के व्यावसायीकरण की बात कभी नहीं सोच सकते हैं परन्तु कैपिटेशन फीस वसूले जाने के उदाहरण हैं। इसे हमारी जानकारी में लाया जा सकता है और कौन-सी कार्रवाई की जाए, इसके बारे में सोच सकते हैं। ज्यादा फीस वसूले जाने का भी उल्लेख किया गया था। परन्तु मैं यहां यह अवश्य बताना चाहूंगा कि यू.जी.सी. ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलोशिप सहित छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ा दी है तथा उसने सिर्फ संख्या ही नहीं बढ़ायी है बल्कि छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में भी बढ़ोत्तरी की है।

स्वयं सी.ए.बी.ई. समिति ने कहा है कि विद्यार्थियों से वसूली गई फीस से संस्थानों और विश्वविद्यालयों के आवर्ती खर्चों का मात्र करीब 20 प्रतिशत भाग ही पूरा हो पाएगा। यह बात ध्यान देने की है कि हमारा यह सतत प्रयास रहा है कि शिक्षा तक न सिर्फ संस्थाओं की संख्या के संदर्भ में बल्कि वहनीयता के संदर्भ में भी पहुंच होनी चाहिए। इसलिए फीस का कम होना बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस विचार पर दृढ़ता से अडिग हैं। ऐसा उल्लेख किया गया है कि छात्रवृत्तियां बढ़ायी जाने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने बताया है छात्रवृत्तियां बढ़ायी गयी हैं। जहां तक ऋणों का प्रश्न है आई.आई.टी. बैंकों के माध्यम से ऋण मुहैया कराते हैं और हम बच्चों को ऋण मुहैया कराए जाने की एक योजना पर भी कार्य कर रहे हैं।

जहां तक गुणवत्तापरक शिक्षा का प्रश्न है, प्रत्यायन के बारे में एक उल्लेख किया गया था। हमारे पास दो बोर्ड हैं - एक एन.बी.ए. है जो ए.आई.सी.टी.ई. के साथ है और दूसरा एन.ए.ए.सी. है जो यू.जी.सी. के साथ है, जो कि वस्तुतः प्रत्यायन प्रदान करते हैं। एन.बी.ए. कार्यक्रमों को प्रत्यायन प्रदान करता है एन.ए.ए.सी. अवसंरचना को प्रत्यायन प्रदान करता है। जब तक भवनों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं के रूप में ही नहीं बल्कि अच्छे संकाय के रूप में भी अवसंरचना उपलब्ध नहीं होगा तब तक हम यह समझते हैं कि हम अपने बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा नहीं दे सकते। इसलिए ये दो संगठन हैं जो वस्तुतः अवसंरचना और कार्यक्रमों दोनों को प्रत्यायन प्रदान करने का कार्य करते हैं।

महोदय, जहां तक बच्चों के रोजगार पाने का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमें बाजार की जरूरतों और बाजार की मांगों के अनुरूप बने रहने की आवश्यकता है ताकि हमारे बच्चे विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ज्यों ही बाहर आएं वे उद्योग जगत में रोजगार हासिल करने में सक्षम हो सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे पास ए.आई.सी.टी.ई. के अंतर्गत 10 बोर्ड हैं जो आवधिक रूप से पाठ्यक्रम को अद्यतन बनाते रहते हैं। वे इस पर कार्य करते हैं। सम्भवतः आपके द्वारा इसी बात की ओर इंगित किया गया था। ए.आई.सी.टी.ई. के पास 10 बोर्ड हैं जो पाठ्यक्रम को अद्यतन बनाते हैं तथा यू.जी.सी. भी पाठ्यक्रम पर ध्यान रखता है।

महोदय, विभिन्न पक्ष के सदस्यों से यह मांग रही है कि आखिर उनके राज्यों में कोई केन्द्रीय विद्यालय क्यों नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, यह मूलतः क्षेत्रों के बीच असमानता को दूर करने के लिए किया गया था। मैं श्री बची सिंह रावत द्वारा कुमाऊं विश्वविद्यालय को परिवर्तित करने के बारे में की गयी मांग का अवश्य उल्लेख करना चाहूंगा। यह ठीक है कि राज्य सरकारों से तीन सिफारिश आयी थीं। परन्तु हम प्रारंभिक तौर पर प्रत्येक राज्य को मात्र एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय ही दे सके हैं क्योंकि हमें उन प्रत्येक राज्य को केन्द्रीय विश्वविद्यालय देने की जरूरत थी जिनके पास एक भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। इसलिए जब हमने विद्यार्थियों की संख्या, विभागों, सम्बद्ध महाविद्यालयों और पाठ्यक्रमों के संदर्भ में कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय की तुलना की थी तो हमने यह पाया था कि गढ़वाल विश्वविद्यालय निश्चित रूप से कुमाऊं विश्वविद्यालय से बड़ा है। यही कारण था कि गढ़वाल विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए चुना गया।...*(व्यवधान)*

महोदय, असम में तेजपुर विश्वविद्यालय और असम विश्वविद्यालय पहले से ही कार्यरत है। इसलिए अभी भारत सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि असम के लिए एक और केन्द्रीय विश्वविद्यालय दे क्योंकि वहां पहले से ही दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय मौजूद हैं।

महोदय, अब मैं श्री पी.सी. थामस और श्री वरकला राधाकृष्णन द्वारा अपने राज्य में विश्वविद्यालयों के नामकरण के बारे में उल्लेख किए जाने की ओर रुख करती हूं। श्री वरकला राधाकृष्णन ने सुझाव दिया कि राज्य में चल रहे विश्वविद्यालय का नाम नारायणगुरू के नाम पर रखा जाए और श्री पी.सी. थामस ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय का नामकरण मन्नता पद्मनाभन के नाम पर किया जाए। मैं यहां यह अवश्य कहना चाहूंगी कि पहले केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना संसद के अधिनियम के माध्यम से की गयी है। तथापि, यह सोचते हुए कि एक ही साथ समान विशेषताओं वाले 15 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करने पर विचार किया जा रहा है, जिसमें तीन राज्य विश्वविद्यालयों का दर्जा बढ़ाकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय करना तथा 12 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलना शामिल है, यह निर्णय लिया गया है कि उनका नामकरण स्वयं राज्यों के नाम पर किए जाएं। मैं समझती हूं इससे उनके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। निस्संदेह, श्री राम कृपाल यादव जी ने पटना विश्वविद्यालय का उल्लेख किया था। हमने वस्तुतः अपने लिए भूमि आबंटित करने हेतु राज्य सरकार को लिखा था और यदि राज्यों ने यह कहा होता कि हमारे राज्य विश्वविद्यालयों को ही केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दें

[श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी]

'जैसा कि तीन अन्य विश्वविद्यालयों के बारे में किया गया है' तो निश्चित रूप से हमने इस पर विचार किया होता। परन्तु हमें जमीन दी गयी और यही कारण था कि पटना में एक नया केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: बिहार सरकार ने पहले ही प्रपोजल दे रखा है कि पटना विश्वविद्यालय को ही केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: तब यह आलोचना नहीं थी, लेकिन जब यह बिल बन गया था, तब हमने राज्य सरकार को लैंड देने के लिए लिखा था, तो राज्य सरकार ने हमें लैंड दे दी।

[अनुवाद]

इसलिए हमने एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया।

महोदय, गांधीग्राम ग्रामीण विश्वविद्यालय के बारे में श्री खारवेनथन द्वारा किए गए उल्लेख की ओर रुख करते हुए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अभी आपने कहा कि आपने राज्य सरकार को लिखा था और आपने यह भी कहा कि यदि राज्य सरकार यह प्रपोजल देगी कि पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया जाए तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। क्या राज्य सरकार ने आपको इस बात की जानकारी दी है कि पटना में...*(व्यवधान)* लोगों के सैंटीमैंट्स उससे जुड़े हुए हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मुझे नहीं लगता कि उनके पास इस समय वह जानकारी है।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय, मैं अभी वह जानकारी नहीं दे सकती।

गांधीग्राम ग्रामीण विश्वविद्यालय के बारे में, मैं कहना चाहती हूं कि इसे मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना है। इसकी प्रक्रिया चल रही है और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द हम वहां कुलपति की नियुक्ति कर देंगे।...*(व्यवधान)*

श्री के.वी. तंगबालु (सेलम): गांधीग्राम विश्वविद्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है...*(व्यवधान)* मैं सरकार से इस प्रस्ताव के प्रति सहमति व्यक्त करने का आग्रह करता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह प्रशासनिक मामला है। वे नीतियों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे सकतीं।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का हवाला दिया गया था। मैं कहना चाहती हूं कि यह अखिल भारतीय स्तर पर फैकल्टी की नियुक्ति तथा छात्रों के प्रवेश को प्रतिबाधित नहीं करता। इसके विपरीत, इन विश्वविद्यालयों से अखिल भारतीय दृष्टिकोण अपनाने की आशा की जाती है तथा क्षेत्रीय अधिकार - क्षेत्र का अर्थ केवल इतना है कि शिक्षण केवल उसी राज्य में होगा जहां विश्वविद्यालय स्थित है।

मुझे लगता है कि मैंने चर्चा में भाग लेने वाले अपने बहुत से सहयोगियों द्वारा प्रकाट की गई अधिकांश आशंकाओं तथा चिंताओं का उत्तर देने का प्रयास किया है।

सभापति महोदय: क्या ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा सकती है?

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: हमें भूमि देना राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। वह जहां भी हमें भूमि देगी वहां केन्द्रीय समिति जाकर निरीक्षण करेगी तथा इनकी स्थापना की जाएगी।

इन शब्दों के साथ ही, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगी कि वह अपना संकल्प वापस लें।

सभापति महोदय: प्रो. रावत, क्या आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, मंत्री जी ने मेरे सवालों का कोई जवाब ही नहीं दिया है। मैंने सैम पित्रोडा के बारे में कहा था और जो क्रिटीसीजम हुआ था।...*(व्यवधान)* गुणवत्ता सेल आदि के बारे में कहा था।

...(*व्यवधान*) अभी आई.आई.एम. राजस्थान में स्थापित होगी या नहीं?...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: आप रेजोल्यूशन वापिस ले रहे हैं या नहीं, यह बताइये। अभी भाषण का समय नहीं है।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

प्रो. रासा सिंह रावत: महोदय, मैं संकल्प वापस लेना चाहता हूं।

सभापति महोदय: क्या सभा प्रो. रासा सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत संकल्प को वापस लेने की अनुमति देती है?

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विभिन्न राज्यों में अध्यापन और अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना और उनका निगमन तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: सभा अब विधेयक पर खंडवार चर्चा करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना

सभापति महोदय: श्री बची सिंह रावत, क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं -

पृष्ठ 2, पंक्ति 32,

"गढ़वाल विश्वविद्यालय" के पश्चात्

"और कुमायूं विश्वविद्यालय" अंत:स्थापित किया जाए। (1)

पृष्ठ 2, पंक्ति 33-34

"और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय" के स्थान पर

"हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमायूं विश्वविद्यालय" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

पृष्ठ 2, पंक्ति 35-36,

"और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय" के स्थान पर

"हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमायूं विश्वविद्यालय" प्रतिस्थापित किया जाए। (3)

पृष्ठ 2 पंक्ति 35-36,

"और श्रीनगर" के स्थान पर

"श्रीनगर और नैनीताल" प्रतिस्थापित किया जाए। (4)

पृष्ठ 2, पंक्ति 37-38,

"और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय" के स्थान पर

"हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमायूं विश्वविद्यालय" प्रतिस्थापित किया जाए। (5)

पृष्ठ 3, पंक्ति 1,

"और उत्तर काशी जिलों" के स्थान पर

"और काशी जिलों और नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर और उधमसिंह नगर जिलों" प्रतिस्थापित किया जाए। (6)

मुझे इसमें दो शब्द कहने हैं। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो रीजनल इम्बैलेंस की बात कही, तो हमारे दो रीजन्स हैं। भविष्य में कुमायूं विश्वविद्यालय का ध्यान रखा जाये और उसे सैंट्रल यूनीवर्सिटी का दर्जा दिया जाये। इसी के साथ मैं अपने संशोधन का प्रस्ताव मूव करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं अब श्री बची सिंह रावत द्वारा

[सभापति महोदय]

प्रस्तुत संशोधन सं. 1 से 6 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 4 विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रभाव

सभापति महोदय: श्री बची सिंह रावत, क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं -

पृष्ठ 3, पंक्ति 15,

"या हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय" के स्थान पर

"हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय या कुमायूं विश्वविद्यालय" प्रतिस्थापित किया जाए। (7)

पृष्ठ 3, पंक्ति 17-18

"और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय" के स्थान पर

"हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमायूं विश्वविद्यालय" प्रतिस्थापित किया जाए। (8)

पृष्ठ 3, पंक्ति 19-20,

"और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय" के स्थान पर

"हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमायूं विश्वविद्यालय" प्रतिस्थापित किया जाए। (9)

पृष्ठ 3, पंक्ति 22,

"या हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय" के स्थान पर

"हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय या कुमायूं विश्वविद्यालय" प्रतिस्थापित किया जाए। (10)

पृष्ठ 3, पंक्ति 23-24,

"और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय" के स्थान पर

"हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमायूं विश्वविद्यालय" प्रतिस्थापित किया जाए। (11)

पृष्ठ 3, पंक्ति 26,

"और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय" के स्थान पर

"हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमायूं विश्वविद्यालय" प्रतिस्थापित किया जाए। (12)

पृष्ठ 3, पंक्ति 29,

"और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय" के स्थान पर

"हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमायूं विश्वविद्यालय" प्रतिस्थापित किया जाए। (13)

पृष्ठ 3, पंक्ति 31-32,

"और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय" के स्थान पर

"हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमायूं विश्वविद्यालय" प्रतिस्थापित किया जाए। (14)

पृष्ठ 4, पंक्ति 8,

"या हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय" के स्थान पर

"हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय या कुमायूं विश्वविद्यालय" प्रतिस्थापित किया जाए। (15)

पृष्ठ 4, पंक्ति 12,

"या हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय" के स्थान पर

"हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय या कुमायूं विश्वविद्यालय" प्रतिस्थापित किया जाए। (16)

पृष्ठ 4, पंक्ति 16-17,

"हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय" के स्थान पर

"हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमायूं विश्वविद्यालय" प्रतिस्थापित किया जाए। (17)

पृष्ठ 4, पंक्ति 21-22,

"और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय" के स्थान पर

"हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमायूं विश्वविद्यालय" प्रतिस्थापित किया जाए। (18)

पृष्ठ 4, पंक्ति 25,

"और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय" के स्थान पर

"हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमायूं विश्वविद्यालय" प्रतिस्थापित किया जाए। (19)

सभापति महोदय, मैं यह इसलिए मूव कर रहा हूं ताकि वह ऑन रिकार्ड हो जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं अब श्री बची सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 7 से 19 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गए
तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 5 से 27 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 28 अध्यादेश लाने की शक्ति

[हिन्दी]

सभापति महोदय: श्री बची सिंह रावत, आप अपना अमेंडमेंट मूव कीजिए।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 13, पंक्ति 23,

"गढ़वाल विश्वविद्यालय" के पश्चात्

"और कुमायूं विश्वविद्यालय" अत:स्थापित किया जाए। (20)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं अब श्री बची सिंह रावत 'बचदा' द्वारा प्रस्तुत संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया
तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 28 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 28 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 29 से 45 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 46 संक्रमणीय उपबंध

[हिन्दी]

सभापति महोदय: श्री बची सिंह रावत, आप अपना अमेंडमेंट मूव कीजिए।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': मैं प्रस्ताव करता हूं: -

पृष्ठ 17, पंक्ति 33-35, के स्थान पर निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए -

"(क) धारा 4 की उपधारा (1) का लोप किया जाए।" (21)

पृष्ठ 17, पंक्ति 36-37, के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए -

"(ख) धारा 20 की उपधारा (1) के खंड (घ) में,-

'(i) कुमायूं और बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय' शब्दों के

[श्री बची सिंह रावत 'बचदा']

स्थान पर 'बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए; और (ii) 'हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय' शब्दों का लोप किया जाए।" (22)

पृष्ठ 17, पंक्ति 38-39,

के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए -

"(ग) धारा 52 की उपधारा (2) में, "कुमायूं और गढ़वाल विश्वविद्यालय" तथा किसी अन्य "के स्थान पर" किसी "शब्द को प्रतिस्थापित किया जाए।" (23)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं अब श्री बची सिंह रावत 'बचदा' द्वारा प्रस्तुत संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 46 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 46 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 47 विधेयक में जोड़ दिया गया।

प्रथम अनुसूची

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 17 पर पंक्ति 3 से 5 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए:-

क्रम सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र
1.	असम	केन्द्रीय बोडोलैंड विश्वविद्यालय	निचले असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट (बी.टी.ए.डी.)
1क.	बिहार	बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय	संपूर्ण बिहार राज्य

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 17, पंक्ति 14 में,

"केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय" के स्थान पर

"मन्नाथु पद्मनाभन केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय" प्रतिस्थापित किया जाए।

सभापति महोदय: मैं अब श्री बची सिंह रावत 'बचदा' तथा पी.सी. थामस द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि प्रथम अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रथम अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

द्वितीय अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री शिवन्ना।

*श्री एम. शिवन्ना (चामराजनगर): महोदय, आज मैं तमिलनाडु सरकार द्वारा आरंभ की गई होगेनक्कल पेयजल परियोजना के महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहूंगा। अंतरिम बजट में संप्रग सरकार ने तमिलनाडु को जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन से पेयजल परियोजना हेतु ऋण लेने के संबंध में सारी बाधाओं को दूर कर दिया था। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: यह 'शून्यकाल' के अंतर्गत तात्कालिक लोक महत्व का मुद्दा है। जैसे आपको कहने का अधिकार है, वैसे ही इन्हें भी अपने विचारों को रखने का अधिकार है। जहां तक 'शून्य काल' का सवाल है इस पर कोई विवाद नहीं है।

श्री एम. शिवन्ना: क्योंकि यह एक विवादित स्थल है इसलिए दोनों राज्यों के बीच की सीमा निर्धारण हेतु संयुक्त सर्वेक्षण कराना अभी बाकी है।

सभापति महोदय: मैं श्री वरकला राधाकृष्णन को पुकारने जा रहा हूं। आप अपनी बात रख चुके हैं। विशेष उल्लेख के तहत प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार है कि वे अपनी बात रखें और इसका विरोध नहीं किया जा सकता है।

श्री वरकला राधाकृष्णन

...(*व्यवधान*)

श्री एम. शिवन्ना: जैसा कि कावेरी न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है इसलिए इस परियोजना का आरंभ नहीं किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: उनका मुद्दा पहले ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित कर लिया गया है। इसको वापस लेने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई सदस्य निवेदन कर चुका है और यह संसदीय है तो फिर मैं कुछ और अधिक नहीं कर सकता।

श्री शिवन्ना कृपया बैठ जाइए। आप पहले ही अपनी बात रख चुके हैं।

(*व्यवधान*)**...

श्री एम. शिवन्ना: महोदय, पूरे कर्नाटक के लोग विशेष-कर, चामराजनगर और मैसूर जिलों के लोग सड़क रोको प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने इस मुद्दे को इस सम्मानीय सभा में उठाया था। विवादित सिंचाई परियोजना पर कर्नाटक द्वारा एतराज जताने के बावजूद इसे आरंभ किया जा रहा है। अतः सरकार से मेरा निवेदन है कि वह तमिलनाडु सरकार को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करे कि विवादित होगेनक्कल स्थल पर इस विवादित परियोजना को आरंभ न करे।

सभापति महोदय: अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप इसे लिखित रूप में दें और इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित कर लिया जाएगा। अतः इसके लिए परेशान न हों।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: यह वाद-विवाद का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य कृपया क्षमा करें। आप इस बात से अच्छी तरह अवगत हैं और अनुभवी भी है कि यह चर्चा का समय नहीं है। यह 'शून्यकाल' है। अतः कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

(*व्यवधान*)*...

सभापति महोदय: केवल श्री वरकला राधाकृष्णन जो कहेंगे वही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*...

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): केरल में काजू, रबर और नारियल जैसे पारंपरिक कृषि उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। लेकिन अब आयात के कारण इन उत्पादों के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अतः मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इन उत्पादों के लिए कुछ पैकेज की घोषणा करे अन्यथा केरल के किसानों के लिए भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कॉयर उद्योग भी संकट की स्थिति में है। काजू की तरह यह भी एक पारंपरिक उद्योग है। आयात के संबंध में आर्थिक स्थिति और भी बदतर है। यहां निर्यात नहीं होता। रबर के संबंध में भी भारत में केरल का एकाधिकार है जहां 90 प्रतिशत रबर का उत्पादन होता है। आर्थिक मंदी के कारण इसका भारत के बाहर निर्यात नहीं हो रहा है। अतः यह बहुत ही भयानक स्थिति है। केरल में काजू, नारियल उत्पादकों आदि

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

के बचाव में केन्द्र सरकार को आगे आना चाहिए। मेरा मानना है कि सरकार इन उद्योगों को बचाने के लिए पैकेज लाने पर विचार करे।

श्री जे.एम. आरून रशीद (पेरियाकुलम): महोदय, मैं सरकार का आभार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि उन्होंने डा. एम.एस. स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को यह मानते हुए लागू किया कि केरल के इदुक्की जिले में इलायची उत्पादकों की स्थिति काफी गंभीर और शोचनीय है।

रात्रि 8.38 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*]

आयोग ने कहा था कि इदुक्की जिले के किसानों की दयनीय स्थिति का मुख्य कारण उनकी ऋणग्रस्तता है जो उनके भुगतान करने की क्षमता से अधिक हो चुकी है। समिति ने यह भी उजागर किया था कि 1998 से अब तक 473 किसानों ने आत्महत्या की है। इसी संदर्भ में समिति ने चार हेक्टेयर तक ऋम माफी और मार्च, 2008 तक पूर्ण ऋण और ब्याज माफी की सिफारिश की है। अतः उनकी ऋण माफी के लिए कितनी राशि जारी की गई है? आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य की पूर्ति के लिए इदुक्की के किसानों के लिए आयोग की रिपोर्ट के आधार पर विस्तृत, प्रभावी और स्थान विशेष आधारित अलग से ऋण माफी उपाय की योजना होनी चाहिए।

इस समय यह आवश्यक है कि पौध रोपण करने वालों की योग्यता सीमा दो हेक्टेयर से बढ़ाकर चार हेक्टेयर कर दी जाए क्योंकि यह पौध रोपण तमिलनाडु और निकटवर्ती केरल के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है और पौध रोपण क्षेत्र की एक लाख की अधिकतम सीमा को समाप्त देनी चाहिए क्योंकि अन्य फसलों की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इलायची पौध रोपण क्षेत्र में ऋण माफ करने का वास्तविक उद्देश्य सभी इलायची पौध रोपण प्लांटों में पौध रोपण का क्षेत्र दो से बढ़ाकर चार हैक्टेयर करने से ही पूरा होगा।

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): सभापति महोदय, गांधी जी ने समाज के पिछड़े वर्गों विशेषकर ग्रामीण बेरोजगारों को आर्थिक सहयोग देने के लिए खादी तथा अन्य ग्राम्य उद्योगों पर जोर दिया था। अपने आर्थिक विकास की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में खादी का उत्पादन जारी रखने और विशेषकर स्वतंत्र्योत्तर भारत में स्वरोजगार की गुंजायश बनाये रखने की दृष्टि से पिछड़े, पर्वतीय, आदिवासी बहुल ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन गरीबों को स्वरोजगार मुहैया कराने के एकमात्र उद्देश्य से वर्ष 1957 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गयी थी।

लेकिन, ऐसा प्रतीत होता है कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे गरीब राज्यों में वह लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया है। उड़ीसा जैसे गरीब राज्यों के खादी बोर्डों के प्रति और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण उड़ीसा में खादी का वार्षिक उत्पादन गिर कर एक करोड़ रुपये से भी नीचे आ गया है खादी तथा और ग्रामोद्योग आयोग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार उड़ीसा में खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों की कुल बिक्री 3.5 करोड़ रुपये की हुई है; जो बहुत निराशाजनक है। गत 50 वर्षों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग में तकरीबन 13,000/- करोड़ रुपये का कुल प्रत्यक्ष निवेश किया गया जबकि उड़ीसा में कुल प्रत्यक्ष पूंजी निवेश मात्र 6.5 करोड़ रुपये का ही किया गया है।

उड़ीसा में खादी के उत्पादन में विशेषकर 1999 के महाचक्रवात के बाद बहुत तेजी से कमी आई है। कार्यशील पूंजी की कमी के कारण अधिकांश खादी सोसायटियां बंद होने के कगार पर हैं। कार्यशील पूंजी मुहैया करवाने में आयोग हिचकिचा रहा है। केन्द्र सरकार के निदेशों के विपरीत राष्ट्रीयकृत बैंक भी खादी एजेंसियों को कार्यशील पूंजी मुहैया कराने के लिए अनिच्छुक हैं जिसके परिणामस्वरूप खादी उत्पादक इकाईयों के लिए गंभीर वित्तीय समस्याएं पैदा हो रही है।

महोदय, चूंकि उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां पर 47 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं; यह इस देश का ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा गरीब और अ.जा. तथा अ.ज.जा. के लोग रहते हैं। मैं भारत सरकार से खादी और ग्राम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष जोर देने की अपील करता हूं जिससे उन ग्रामीण गरीबों का आर्थिक उत्थान हो सके जो अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): सभापति महोदय, प्राकृतिक रबर की कीमत 143 रुपये प्रति किलो से गिरकर

60 रुपये प्रति किलो रह गयी है उससे तकरीबन 92 प्रतिशत उन छोटे और मझोले कृषकों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है जिनके पास 0.5 हैक्टेयर से कम भूमि है। इस प्रकार के तकरीबन दस लाख कृषक है और केरल राज्य में इस क्षेत्र में तकरीबन तीन लाख कामगार हैं। इससे राज्य को 6,777 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

वैश्विक आर्थिक संकट और कच्चे तेल की कम कीमत के कारण प्राकृतिक रबर की कीमतें गिर गयी थीं। ट्रक और बसों के टायरों का बड़े पैमाने पर आयात होने से समस्या और भी बढ़ गयी है। वर्ष 2002-2003 में देश में ट्रक और बस के पहिये का आयात 80,000 था जो 2007-08 में बढ़कर तकरीबन 13.28 लाख हो गया है। इसी अवधि के दौरान कार के टायरों का आयात भी 1,94,000 से बढ़कर 16.27 लाख हो गया। आयातित ट्रक टायरों में से 80% चीन से है और 60 प्रतिशत से अधिक कार टायरों का आयात चीन और दक्षिण कोरिया से किया जाता है।

2007-08 में टायरों पर आयात शुल्क 45 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत रह गया है। हालांकि टायरों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र शुल्क 10 प्रतिशत है तथापि एशिया प्रशान्त व्यापार समझौते के हस्ताक्षरकर्ता देश होने के कारण चीन और दक्षिण कोरिया पर 8.6 प्रतिशत की अधिमानतः दर से आयात शुल्क लगाया जा रहा है। दक्षिण एशियन मुक्त व्यापार समझौता और भारत सिंगापुर समझौते के अंतर्गत टायरों पर आयात शुल्क की अधिमानतः दर 5 प्रतिशत है। प्रमुख एशिया प्रशान्त राष्ट्रों में टायरों पर आयात शुल्क तुलनात्मक रूप से अधिक है। उदाहरण के लिए मलेशिया और वियतनाम में इसकी दर 40 प्रतिशत तथा थाईलैण्ड और इण्डोनेशिया में 15 प्रतिशत है।

टायरों के तेजी से बढ़ते आयात से घरेलू टायर उद्योग जिसमें प्राकृतिक रबर के घरेलू उत्पादन का लगभग 58% उपयोग होता है; पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आयातित टायरों में अनुमानित प्राकृतिक रबर घटक 2002-03 में 2,140 टन की तुलना में 2007-08 में बढ़कर 32,727 टन हो गया।

सभापति महोदयः यह एक बड़ा वक्तव्य है। कृपया इसे सभा पटल पर रखें।

श्री के. फ्रांसिस जार्जः अतः मैं सरकार से तत्काल निम्नलिखित उपाय करने का अनुरोध करूंगाः

1. चीन और थाईलैण्ड से होने वाले पक्षपातपूर्ण टायर आयात पर पाटनरोधी शुल्क तथा सुरक्षोपाय शुल्क लगाना;

2. रेडियल टायर और बस टायरों को प्रतिबंधित सूची में शामिल करना और इसी सूची में बनाए रखना;

3. टायरों पर सीमा शुल्क बढ़ाना और द्विपक्षीय/क्षेत्रीय करार के अन्तर्गत शुल्क रियायत हेतु टायरों को भारत की निषेध सूची में शामिल किया जाना चाहिए;

4. 100 रुपये प्रति किलो की दर से 50,000 टन प्राकृतिक रबर की खरीद करना और उसका बफर स्टाक बनाना; और

5. औद्योगिक कच्चे माल की बजाय रबर को कृषि उत्पाद घोषित करना।

सभापति महोदयः जिन माननीय सदस्यों के पास लिखित वक्तव्य है वे इसका उल्लेख करके इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री भर्तृहरि महताबः महोदय, आज सात दिन और एक घंटे का समय बीत चुका है जब कोरोमण्डल एक्सप्रैस के जाजपुर रोड पर दर्दनाक दुर्घटना हुई जिसमें नौ जानें जा चुकी हैं और सौ से भी ज्यादा लोग घायल हो गए हैं।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री वेलु वहां पर गए थे और जांच रिपोर्ट देने के लिए उन्होंने सात दिन का समय दिया था। सात दिन पहले ही बीत चुके हैं मैं इस सरकार से आशा करता हूं कि वह कम से कम दुर्घटना होने का कारण तो बताए क्योंकि दो विरोधी वक्तव्य उभर कर आए हैं। एक तो इसे मानवीय चूक बता रहा है जबकि दूसरा इसे संप्रेषण अंतराल कह रहा है। दूसरी तकनीकी खामी है, क्योंकि जिस अत्याधुनिक संकेत प्रणाली को लगाया गया था वास्तव में इसका उपयोग नहीं किया गया था।

मैं सभा के साथ-साथ सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि खुर्दा रोड जंक्शन डिविजन से जाजपुर रोड स्टेशन मास्टर को यह सूचना दी गई थी कि इंजन चालक को यह सूचना संप्रेषित की जाए कि वह गति को कम रखे क्योंकि रेलपथ की मरम्मत का कार्य चल रहा है तथा कतिपय नई प्रौद्योगिकी शुरू की गई है। अतः जब तक वह ट्रेन की गति को 109 किलोमीटर से कम करके विनिर्दिष्ट सीमा तक नहीं लाते तब तक आप हरी बत्ती नहीं

[श्री भर्तृहरि महताब]

दिखायेंगे। लेकिन इंजन चालक को यह सूचना संप्रेषित नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप ट्रेन गति से दौड़ती रही और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह एक बयान है।

मैं कहना चाहूंगा कि यह बयान जो मानवीय भूल का है: कहना चाहूगा जोकि रेलवे के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा दिया जा रहा है। मीडिया में यही चल रहा है। दूसरी बात है संकेत प्रणाली की जिसे अब शुरू किया गया है। यह कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया था इसका कुछ कार्य मानव चालित था और कुछ भाग तकनीक आधारित था।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह 26 तारीख को सभा के सत्रावसान होने से पूर्व सभा को कम से कम इस बारे में अवश्य बताएं। कृपया सभा को सूचित करें कि वह दुर्घटना क्यों हुई; ऐसा कैसे हुआ और इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। इंजन चालक और स्टेशन मास्टर से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। यह बात रिकार्ड पर है। अत: मैं सरकार से आशा करूंगा कि वह यह दुर्घटना क्यों हुई इसके कारण और इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कौन हैं इसके बारे में एक वक्तव्य सभा में दे।

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): सभापति महोदय, पिछले कई वर्षों से पूरे देश में और विशेष तौर पर हरियाणा में भी जाट आरक्षण संघर्ष समिति का आंदोलन चल रहा है। तीन-चार दिन पहले भी हजारों लोगों ने संसद पर धरना प्रदर्शन किया था। सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर जाट समाज आज बहुत पिछड़ गया है। जब देश आजाद हुआ, उसके बाद सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर पीड़ित अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण दिया गया। यह तय किया गया कि अगले दस वर्ष में बाकी समाज के जो गरीब वर्ग हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रत्येक सदस्य भाषण दे रहा है जैसे कि मुद्दे का उल्लेख करना ही पर्याप्त नहीं है। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान: महोदय, मैंने अभी अपना भाषण शुरू किया है, अभी ही कैसे समाप्त कर दूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान: दस वर्ष का समय तय किया गया था कि समाज की जो अन्य जातियां हैं, उनका भी सर्वे करवा कर, उनका जो अधिकार है, उन्हें मिलेगा। इसके लिए वर्ष 1953 में केलकर कमिशन बनाया गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट पेश नहीं हुई। उसके बाद दूसरा कमिशन मंडल आयोग के नाम से बनाया गया, उसने भी सारे देश की सभी जातियों का सर्वे किया। इनमें कुछ जातियां चिन्हित की गईं जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं। लेकिन जाट जाति को इसमें कवर नहीं किया गया। देश में जितने भी किसान, सैनी, अहीर, यादव आदि हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। पहले ही बहुत देर हो चुकी है आप भाषण दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान: ये मेरे ऊपर ही लागू क्यों हैं? मैं दो मिनट का समय लूंगा। आपने क्यों टाइम लिया था?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया मुद्दे का उल्लेख कीजिए।

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान: मैं इश्यू के बारे में ही कह रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट को लागू किए जाने की आवश्यकता है। मुद्दा तो केवल यही है आप भाषण दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान: किसान, जाट खेती करता है, वह सबसे ज्यादा स्वाभिमानी है, देशभक्त है, मेहनती है लेकिन बार-बार कमीशनों में इसे आरक्षण से वंचित रखा है। हरियाणा में गुरुनाम सिंह आयोग में दस जातियों को आरक्षण की सुविधा देने की रिपोर्ट दी थी जिसमें जाट समाज शामिल था। लेकिन वहां भी उनको इग्नोर किया गया। मेरा आपसे कहना है कि जाट जाति किसान है। 90 परसेंट लोग खेती करते हैं। सारे देश में राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तरांचल में स्टेट लैवल पर आरक्षण मिला है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह बजट भाषण का मामला है। आप बजट पर होने वाली चर्चा में इस बारे में बोल सकते हैं, विशेष उल्लेख के माध्यम से नहीं।

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान: यह बजट स्पीच नहीं है, यह स्पेशल इश्यू है। यह रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह ऐसा मामला है जिसका उल्लेख बजट चर्चा में होना चाहिए। यह कोई विशेष उल्लेख नहीं है।

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान: यह सारे समाज का इश्यू है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप अपनी बात शीघ्र पूरी कीजिए। मैं इस पीठ पर अपराह्न चार बजे तक रहूंगा।

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान: उसे उसके अधिकारों से वंचित किया है। हम आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि जाट समाज को केंद्र और राज्यों में नौकरियों और दाखिलों में आरक्षण दिया जाए।

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित एक विशेष समिति ने तथा सदन में सरकार द्वारा नए युवा प्रतिभाओं को विश्वविद्यालय शिक्षण सेवा की तरफ आकर्षित करने के लिए एक पैकेज की घोषणा की गई थी। इसके अनुसार जितने नए रिक्रूट थे, उनकी सैलरी में 80 परसेंट की वृद्धि की बात थी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मेरे प्रिय मित्र, हमने इस मामले पर अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा की है। आपका मुद्दा विश्वविद्यालयों में शिक्षण पेशे में प्रतिभाशाली युवाओं को आकर्षित करने की आवश्यकता से संबंधित है। आप इस मामले पर चर्चा करना चाहते हैं।

श्री आलोक कुमार मेहता: महोदय, मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूं। यह केवल विश्वविद्यालयों से ही संबंधित है। मैंने इस मामले को उठाने की बात कही है और अब मैं यही मामला उठा रहा हूं।

सभापति महोदय: आज सभा में केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक पर चर्चा हुई थी। वह स्वयं इस चर्चा में भाग ले रहे थे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मेहता जी, यह मामला केन्द्रीय विश्व-विद्यालयों से संबंधित है। आपने स्वयं इस चर्चा में भाग लिया था। आप उस समय इसे उठा सकते थे।

श्री आलोक कुमार मेहता: यह उससे संबंधित नहीं है। यह एक अलग विषय है।

[हिन्दी]

मैं यह कहना चाहता हूं कि नए युवा टैलेंट को विश्वविद्यालय शिक्षण के प्रति आकर्षित करने के लिए पैकेज की घोषणा की गई थी और उसमें सैलरी में 80 प्रतिशत की वृद्धि का आश्वासन दिया गया था। लेकिन जब उसे लागू करने का समय आया तब 40 परसेंट की वृद्धि की गई। जबकि पुराने प्राध्यापकों को तीन गुना बेनिफिट मिलता है लेकिन नए रिक्रूट को ऐसी सुविधा नहीं मिल पाएगी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उनकी उद्घोषणा के तहत युवा प्रोफेसर्स की बहाली और बेस्ट टैलेंट को आकर्षित

[श्री आलोक कुमार मेहता]

करने के लिए, शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई घोषणा के आधार पर इसे लागू किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब आप तो घर चले जाएंगे लेकिन मुझे यहीं मौजूद रहना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): सभापति महोदय, मैं कोल इंडिया की पश्चिमांचल इकाई, जिसका नागपुर में हैडक्वार्टर है, वहां पर विस्थापित किसानों की भूमि अर्जित करने के बाद उन्हें नौकरी देने के लिए वहां के अधिकारीगण मना कर रहे हैं। वहां 47 परिवार अनशन करने के लिए बैठे हैं और उनमें से एक विस्थापित परिवार ने नौकरी न मिल पाने की वजह से पॉयजन खाकर आत्महत्या करने का प्रयास भी किया।

मैं आपके माध्यम से सरकार से और विशेषकर कोल मंत्रालय से विनती करता हूं कि जिन विस्थापितों की जमीन अर्जित की जाती है, उन्हें नौकरी देने का प्रावधान है। लेकिन जिस समय इन लोगों की भूमि अर्जित की गई थी, उस समय इनके परिवार में जो लड़के हैं, वे माइनर थे, अभी मेजर होने के बाद उन्होंने इम्पलायमैन्ट मांगा है तो वहां के अधिकारी कहते हैं कि हम उस वक्त ऑफिस में नहीं थे, यहां और कोई अधिकारी होंगे। इसलिए हम नौकरी नहीं दे सकते। इस तरह से उन लोगों के साथ छल और अन्याय किया जा रहा है। मैं सदन के सामने इस विषय को इसलिए रख रहा हूं, क्योंकि वहां पर 47 परिवार अनशन कर रहे हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है। उनमें से एक के द्वारा आत्महत्या करने का प्रयास किया जा चुका है। ये सब लोग यवतमाल जिले के विस्थापित हैं। मैं समझता हूं कि कोल इंडिया को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और कोल मंत्रालय के द्वारा इन लोगों को नौकरी देने हेतु आदेश देने चाहिएं, यही मेरी सरकार से विनती है।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. गढ़वी (कच्छ): सभापति महोदय, मैं गुजरात के लिए सिंधु बेसिन जल के आवंटन के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता हूं।

भारत ने सिंधु जल के बटवारे के लिए विश्व बैंक की मध्यस्थता में 1960 में पाकिस्तान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते को "सिंधु जल संधि" कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जल समझौते के अनुसार, सिंधु बेसिन की पश्चिमी नदियों के जल अर्थात् सतलुज, रावी और ब्यास को भारत को दिया गया है तथा पश्चिमी नदियों - चिनाब, झेलम तथा सिंधु के जल को पाकिस्तान को दिया गया है। पश्चिमी नदियों में अनुमानित जल 17.17 एम.ए.एफ. है। इस जल का आवंटन केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात के अलावा विभिन्न राज्यों को 1981 में किया गया था जबकि यह सिंधु बेसिन में स्थित है और इसलिए सिंधु बेसिन जल का हकदार है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है जबकि कच्छ, सिंधु बेसिन का एक भाग है उसके बावजूद कि पूर्वी नदियों यथा रावी, ब्यास और सतलुज के जल आवंटन के लिए गुजरात पर विचार न करके उसके साथ अन्याय किया गया है। विभिन्न राज्यों को पूर्वी नदियों के जल आवंटन की जल उपलब्धता के पुनर्निधारण तथा भागीदार राज्यों की भौगोलिक स्थिति के आधार पर समय-समय पर समीक्षा की गई है।

गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया है। विशिष्ट भौगोलिक तथा जातीय स्थिति पर विचार करते हुए राजस्थान को उचित महत्व दिया गया है। चूंकि गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र में परिस्थितियां राजस्थान जैसी हैं इसलिए गुजरात को अनुपाततः आवंटन सहित सिंधु जल का पुर्नआवंटन किया जाना चाहिए। इस संबंध में गुजरात सरकार के माननीय जल संसाधन मंत्री ने केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री को 7 फरवरी, 2008 को एक पत्र लिखा है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से गुजरात को सिंधु बेसिन के जल का आनुपातिक आवंटन करने हेतु तुरंत आवश्यक कार्यवाही करने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

श्री भंवर सिंह डांगावास (नागौर): सभापति महोदय, किसानों की फसलों के लिए समर्थन मूल्य बहुत कम रखा जाता है। इसके बारे में जब स्वामीनाथन कमीशन बैठा था, तब उसने कहा था कि उपज पैदा करने के खर्च में 40 प्रतिशत राशि जोड़कर समर्थन मूल्य रखना चाहिए। अभी हाल की बात यह है कि सरसों जिसे हम (राइडा) कहते

हैं, उसका समर्थन मूल्य बहुत कम है और बाजार में खरीदने वाला कोई नहीं है।

अतः मेरी प्रार्थना है कि हमारी लागत एक क्विंटल पर दो हजार रुपये आती है, उसके ऊपर चालीस परसैन्ट देकर 2800 रुपये समर्थन मूल्य तय किया जाए और इसकी खरीदारी जल्दी की जाए।

*यदि इस प्रकार सब जिन्सों का समर्थन मूल्य रखा जाए तो किसान पर किसी भी प्रकार का कर्जा नहीं चढ़ेगा, न ही उसे भुखमरी की नौबत आएगी।

आज जो हालात रबी फसल सरसों (राईड़ा) के पूरी कीमत नहीं मिलने के कारण किसान घाटे में हैं और सालों साल इस प्रकार घाटे में रहने के कारण ऋण के बोझ से लद जाता है।

मैं राईड़ा (सरसों) की फसल के बारे में श्रीमान् के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं। अब यह फसल पक कर मंडियों में बिकने आ चुकी है। इसे जब बोया था तब कीमत थी 2700-2800 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि अब बिक रही है 1600-2000 रुपये प्रति क्विंटल। जबकि समर्थन मूल्य रुपये 1850 प्रति क्विंटल है जो कतई लाभप्रद नहीं है। इस फसल की प्रति क्विंटल पैदावार करने में 2000 रुपये खर्च होते हैं। डाक्टर स्वामीनाथन के आयोग के हिसाब से कीमत 2000 + (40 प्रतिशत=800) - कुल रुपये 2800 होने चाहिए। तब कहीं जाकर किसान के लाभप्रद होती है।

इसके अलावा भी जो समर्थन मूल्य है, उस पर सरकार खरीद की व्यवस्था नहीं करती है। आज तक कोई समर्थन मूल्य पर खरीद मंडियों में हो नहीं रही है। अगर समर्थन मूल्य पर खरीदारी होती है तो व्यापारी भी इसे समर्थन मूल्य से कुछ अधिक राशि पर खरीदना प्रारंभ करते हैं।

आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि समर्थन मूल्य रुपये 2800/- मुकर्रर करें और फसल पकते ही इस समर्थन मूल्य पर खरीदने की मंडियों में व्यवस्था करवाएं।

अगर यह हो जाएगा तो कोई किसान कर्जे में नहीं डुबेगा व न ही आत्महत्या करेगा।*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि राजस्थान के करोड़ो लोगों द्वारा बोली जाने वाली राजस्थानी भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। हमारे राजस्थान की भाषा राजस्थान के साथ-साथ मध्य प्रदेश, हरियाणा और देश के अन्य भागों के साथ-साथ विदेशों में भी पचास मिलियन से ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। हाड़ौती, बागड़ी, ढुडाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, मेरवाड़ी, मालवी, शेखावती अनेक भाषाएं हैं। यहां संसद में भी माननीय मंत्री महोदय ने कुछ समय पहले कहा था कि संविधान की आठवीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को सम्मिलित किया जायेगा। यह आश्वासन गृह राज्य मंत्री जी द्वारा भोजपुरी और राजस्थानी भाषा के बारे में दिया गया था। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक राजस्थानी भाषा, जिसकी अपनी व्याकरण, जिसका अपना साहित्य, जिसका अपना इतिहास, जिसकी अपनी संस्कृति है, लेकिन उस भाषा को अभी तक संविधान की आठवीं अनुसूची से सम्मिलित नहीं किया गया है। इस बारे में राजस्थान विधान सभा द्वारा भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को भेजा जा चुका है, लेकिन उस पर अभी तक टालमटोल की जा रही है।

अतः आपके माध्यम से भारत सरकार से प्रार्थना है कि करोड़ों लोगों के द्वारा बोली जाने वाली राजस्थानी भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। धन्यवाद।

*राजस्थान में व्यापक तौर पर बोली जाने वाली राजस्थानी भाषा सबसे प्राचीन और समृद्ध भाषाओं में से एक है। इस भाषा की अन्य उप-भाषाएं हैं, जो राजस्थान के विभिन्न भागों में बोली जाती है। किन्तु ये सभी राजस्थानी भाषा के ही हिस्से हैं। इसे पहले डिंगल भाषा भी कहा जाता था। इस भाषा ने कई बड़े-बड़े कवि, साहित्यकार तथा प्रबुद्ध विद्वान दिए हैं। कई लोकप्रिय फिल्मों का निर्माण राजस्थानी भाषा में हुआ है। यह भाषा बहुत से विद्यालयों, महाविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, किन्तु दुर्भाग्यवश इस भाषा को वह पहचान प्राप्त नहीं हो पाई जिसकी कि वह अधिकारी है। चूंकि इस भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अतः इस भाषा के विद्यार्थी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में तथा अन्य परीक्षाओं में इस भाषा को नहीं ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य भी इस भाषा को बढ़ावा देने के प्रति गंभीर नहीं हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अब राजस्थान देश का सबसे बड़ा तथा सीमावर्ती

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[प्रो. रासा सिंह रावत]

महत्वपूर्ण राज्य है। अतः राजस्थान में राजस्थानी बोलने वाले करोड़ों लोगों की यह इच्छा है कि इस समृद्ध भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति द्वारा सत्याग्रह, धरने, प्रदर्शन, विभिन्न आन्दोलनात्मक अभियान भी चलाए गए परन्तु अभी तक भारत सरकार के कानों में जूं नहीं रेंगी है, जिससे राजस्थानी भाषियों में घोर रोष तथा आक्रोश व्याप्त है।

अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शीघ्र सम्मिलित करने हेतु आवश्यक विधेयक सदन में प्रस्तुत कर पारित कराएं तथा करोड़ों राजस्थानियों की भावनाओं का सम्मान कर राजस्थानी भाषा का मान बढ़ाएं?*

रात्रि 9.00 बजे

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): सभापति महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री, श्री लालू प्रसाद जी से पुरजोर आग्रह करता हूं कि वे निम्नलिखित रेलगाड़ियों का कोकराझार रेलवे स्टेशन में ठहराव सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएं:-

- त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस
- एरनाकुलम (कोचीन एक्सप्रेस)
- बंगलोर एक्सप्रेस
- दादर एक्सप्रेस
- चराईघाट एक्सप्रेस
- लाहित एक्सप्रेस
- पारबतर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस
- चिन्नेई-गुवाहाटी एक्सप्रेस
- सिकंदराबाद एक्सप्रेस
- जोधपुर-बीकानेर एक्सप्रेस
- ओका एक्सप्रेस
- अमृतसर एक्सप्रेस
- झाझा एक्सप्रेस
- पुरी एक्सप्रेस
- केपिटल एक्सप्रेस
- अमरनाथ एक्सप्रेस

सभापति महोदय: आप कृपया अपना पत्र सभा पटल पर रख दें।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: महोदय, ठीक है। मैं अपने लिखित निवेदन को सभा पटल पर रख रहा हूं।

सभापति महोदय: धन्यवाद।

***श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी:** कोकराझार, बोडोलैण्ड में प्रादेशिक परिषद् प्रशासन का मुख्यालय भी है साथ ही असम राज्य का अंतिम सीमावर्ती जिला भी है, जिसकी सीमा पश्चिम में पश्चिम बंगाल के साथ जुड़ी हुई है।

कुछ महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों जैसे (i) 5959/5610 कामरूप एक्सप्रेस (ii) 5609/5610 अवध असम एक्सप्रेस (iii) 6519/6520 बंगलोर एक्सप्रेस ((iv) 6321/6322 त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस तथा (v) 6313/6314 एरनाकुलम (कोचीन) एक्सप्रेस का गोसाईं गांव हट रेलवे स्टेशन पर ठहराव की व्यवस्था करने संबंधी मुद्दा चिरकाल से लंबित है, जिस पर रेल मंत्रालय द्वारा सकारात्मक रूप से विचार किया जाना चाहिए।

फकीराग्राम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर भी केपिटल एक्सप्रेस; उत्तर पूर्व एक्सप्रेस; ओका एक्सप्रेस तथा त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस जैसी रेलगाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था भी नहीं है।

बारपेट जिले के बारपेट रोड टाऊनशिप के इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों द्वारा बारपेट रोड रेलवे स्टेशन पर उत्तर पूर्व एक्सप्रेस तथा गुवाहाटी-चिन्नेई एगमोर एक्सप्रेस जैसी रेलगाड़ियों के ठहराव की लंबे समय से लंबित मांग को अब तक पूरा नहीं किया गया है।

उपरोक्त के मद्देनजर, मैं ऊपर बताई गई रेलगाड़ियों का संबंधित रेलवे स्टेशन पर ठहराव सुनिश्चित करने के लिए तुरंत प्रभाव से उचित कदम उठाने का पुरजोर आग्रह

---

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

करता हूं। मैं उपरोक्त मुद्दे के साथ-साथ, चिरकाल से लंबित निम्नलिखित जायज मुद्दों का आपके विचारार्थ उल्लेख करने की आवश्यकता भी महसूस करता हूं।

श्रीरामपुर, गोसाईगांव, तुलसीबिल, फकीराग्राम, कोकराझाड़, सालाघाटी, बासुगांव, डंगटोल, चपराघाटा, बिजनी, पटीलादोहा, सरभोग, बरपेटा रोड, गोरेश्वर, तोंगला, उदलगुड़ी, रोवता और कुछ अन्य स्थानों पर उत्तर सीमान्त रेलवे लाइन पर उपरि पुलों का निर्माण किया जाना चाहिए।

निम्नलिखित स्थानों के बीच नई रेल लाइनें बिछाई जाए (एक) सालाघाटी (कोकराझाड़) और ग्लूफू (भूटान) (दो) रांगिया रेलवे जंक्शन और संद्रूपूंजरवा। दरांगे मेला (भूटान); (तीन) कोकराझाड जिले में गौसाई गांव सिविल उपमंडल में बरास्ता काचू गांव फकीराग्राम रेलवे स्टेशन और भूटान के बीच।

उत्तरी बोगाईगांव में एक रेल सवारी डिब्बा निर्माण उद्योग की स्थापना की जानी चाहिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत शत-प्रतिशत नौकरियां मिलनी चाहिए। और

तत्काल प्रभाव से "उत्तर सीमान्त रेलवे सुरक्षा बल" नाम की पृथक् रेलवे संरक्षण बल की स्थापना की जानी चाहिए।"

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): महोदय, मैं सभा का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

पूरे देश के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लगभग 12,000 गैर शैक्षणिक कार्मचारी व्यापक प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। यह व्यापक प्रदर्शन कार्यक्रम 5 फरवरी, 2009 को शुरू हुआ था। इस आंदोलन को चलाने के लिए सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की यूनियनें एकजुट हैं। उन्होंने संबंधित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के निदेशकों को ज्ञापन सौंपे थे। उन्होंने केन्द्र सरकार को भी अपने ज्ञापन दिए थे।

वे अपनी दो प्रमुख मांगों को पूरा करवाना चाहते है। पहली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए वेतनमानों और भत्तों की सिफारिश हेतु वेतन समिति का गठन किया जाए। छठे वेतन आयोग ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और सेवा-शर्तों से संबंधित अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी है। लेकिन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के संबंध में कुछ भी नहीं किया गया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 06 सितम्बर, 2008 को विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के प्राध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन करने हेतु पहले ही समिति का गठन किया जा चुका है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषदों की एक स्थायी समिति होती है इस स्थायी समिति ने ही दो समितियों के गठन का प्रस्ताव किया है। विचार-विमर्श के बाद स्थायी समिति ने दो वेतन समितियों के गठन की सिफारिश की पहली भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के संकाय तथा वैज्ञानिक/ डिजाइन स्टॉफ के लिए एवं दूसरी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को गैर संकाय स्टॉफ के लिए।

मैं सरकार से इन सभी चीजों का अनुमोदन और स्वीकृत देने का अनुरोध करता हूं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं जोकि बहुत महत्वपूर्ण है। एम.एस.ई. की थी। दसवर्षीय योजना में प्रोन्नति में संशोधन किया गया था जिसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद की अड़तीसवीं बैठक में मंजूरी दी गई थी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में यह निकाय सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एक स्वायत्त निकाय है। मुझे लगता है कि इस निकाय को निर्णय को लागू करने का अवसर देना चाहिए।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थिति है और मैं आशा करता हूं कि वे संबंधित मंत्री महोदय को इस बारे में बता देंगे क्योंकि इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता है। यदि यह आन्दोलन चलता रहा तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का सामान्य कार्यकरण बुरी तरह प्रभावित होगा। मैं एक बार पुनः सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने तथा आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): महोदय, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे देश भारतवर्ष में अनेकों राजाओं ने राज किया है। हिन्दू शासक के रूप में शब्दभेदी राजा पृथ्वीराज चौहान हमारे देश के आखिरी शासक रहे हैं। हमारे सारे देशवासियों के लिए वे गौरव का प्रतीक हैं और क्षत्रिय समाज के लिए तो वे सिरमौर हैं। हमारी युवा पीढ़ी उनके जीवन से वीरता,

[श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा]

साहस, स्वाभिमान और देशभक्ति की प्रेरणा लेती है। महोदय, महमूद गजनवी हमारे देश पर आक्रमण कर उन्हें पकड़कर ले गया था और उनकी आंखें निकाल ली गयी थीं। वे इतने वीर और बहादुर थे कि आंखें निकाल लिये जाने के बाद भी उन्होंने उस राजा की हत्या कर दी थी।

महोदय, मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि पृथ्वीराज रासो में कहा गया है कि आठ बांस बत्तीस गज अंगुल, अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है, अब न चूक चौहान। पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी राजा थे। उनकी समाधि अफगानिस्तान में है। मैं केन्द्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि उनकी समाधि के दर्शनार्थ भारतवर्ष का जो नौजवान, युवा पीढ़ी वहां जाना चाहती है, उन्हें हमारे अल्पसंख्यक बंधुओं, मुसलिम समाज के लोगों को हज जाने के लिए जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, वही सुविधाएं भारतवर्ष के नौजवानों, हिन्दू समाज को अफगानिस्तान में उनकी समाधि पर जाने के लिए प्रदान की जाएं ताकि युवा पीढ़ी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके और राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत हो सके। महोदय, आपने बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब केवल एक मामला शेष है लेकिन इसे अभी नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसमें कुछ आरोप लगाए गए हैं। यहां यह नोट है। श्री मानिक सिंह आप इसे नहीं उठा सकते। इसलिए आपका नाम नहीं लिया जा सकता।

अब सभा 20 फरवरी, 2009 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 9.07 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा शुक्रवार, 20 फरवरी, 2009/ 1 फाल्गुन, 1930 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री सी.के. चन्द्रप्पन श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	61
2.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	62
3.	श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	63
4.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	64
5.	श्री नवीन जिन्दल	65
6.	श्री विजय कृष्ण श्री असादूद्दीन ओवेसी	66
7.	श्री हंसराज गं. अहीर	67
8.	श्री अधीर चौधरी श्री निखिल कुमार	68
9.	श्री एस.के. खारवेनथन श्री नन्द कुमार साय	69
10.	श्री गिरधारी लाल भार्गव श्री उदय सिंह	70
11.	श्री रायापति सांबासिवा राव	71
12.	श्री रामजीलाल सुमन	72
13.	श्री रामदास आठवले	73
14.	श्री सुग्रीव सिंह श्री किसनभाई वी. पटेल	74
15.	श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील	75
16.	श्री किन्जरपु येरननायडु श्री हेमलाल मुर्मू	76
17.	श्री जी.एम. सिद्दीश्वर	77
18.	श्री एल.राजगोपाल श्री संतोष गंगवार	78
19.	श्री के.एस. राव	79
20.	श्री बसुदेव आचार्य	80

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अब्दुल्लाकुट्टी, श्री	413
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	342, 356, 401, 421
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	359, 390, 413, 426
4.	अहीर, श्री हंसराज गं.	345, 386, 412, 428
5.	अजय कुमार, श्री एस.	308, 364
6.	अनंत कुमार, श्री	329
7.	अंगड़ि, श्री सुरेश	302, 355
8.	अप्पादुई, श्री एम.	300, 352
9.	आठवले, श्री रामदास	357, 380, 397, 418
10.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	292
11.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	343, 391, 414, 418
12.	बर्मन, श्री हितेन	287
13.	भगोरा, श्री महावीर	316
14.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	339
15.	बोस, श्री सुब्रत	324

1	2	3
16.	बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर	296
17.	चक्रवर्ती, श्री अजय	319, 371
18.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	358
19.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	290
20.	चिन्ता मोहन, डा.	309, 358
21.	चौधरी, श्री पंकज	368
22.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	358
23.	देवरा, श्री मिलिन्द	423
24.	धनराजू, डा. के.	326
25.	दूबे, श्री रमेश	330
26.	दुबे, श्री चन्द्र शेखर	335
27.	गढवी, श्री पी.एस.	311
28.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	314, 382, 395
29.	गंगवार, श्री संतोष	401
30.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	315, 358
31.	हुसैन, श्री अनवर	318, 361, 370, 400, 420
32.	जटिया, डा. सत्यनारायण	288
33.	जयाप्रदा, श्रीमती	303
34.	जिन्दल, श्री नवीन	338
35.	कस्वां, श्री राम सिंह	310, 366, 396
36.	खैरे, श्री चंद्रकांत	291, 344, 392, 393
37.	खां, श्री सुनील	313
38.	खारवेनथन, श्री एस.के.	348, 359, 367, 388
39.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	295, 349, 389, 411, 425
40.	कृष्ण, श्री विजय	358, 362, 406, 424
41.	कुप्पुसामी, श्री सी.	373, 402
42.	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	381
43.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	332, 379, 407
44.	महरिया, श्री सुभाष	297, 307, 350
45.	महतो, श्री नरहरि	294
46.	महतो, श्री टेक लाल	322, 374, 403
47.	मंडल, श्री सनत कुमार	304, 354
48.	माने, श्रीमती निवेदिता	314, 382, 395
49.	मनोज, डा. के.एस.	307, 363, 394, 416, 429
50.	मैन्या, डा. टोकचोम	312, 369
51.	मंडल, श्री अबु अयीश	320, 378
52.	मुर्मू, श्री हेमलाल	372
53.	निखिल कुमार, श्री	353, 359, 388, 399
54.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	283
55.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	286
56.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	367

1	2	3
57.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	293, 320
58.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	340, 384, 409
59.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	285, 325, 341, 376
60.	राजगोपाल, श्री एल.	347, 383, 398, 419
61.	रामदास, प्रो. एम.	305
62.	राणा, श्री काशीराम	333
63.	राव, श्री ई. दयाकर	321, 373, 402, 422
64.	राव, श्री के.एस.	337, 399, 403
65.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	365, 395, 417
66.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	413
67.	रेंगे पाटील, श्रीतुकाराम गणपतराव	325, 376
68.	रिजीजू, श्री कीरेन	283
69.	साय, श्री नन्द कुमार	367, 408
70.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	301
71.	सत्पथी, श्री तथागत	284, 399
72.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	359, 383, 390, 408
73.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	328, 385, 410
74.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	289
75.	सिंह, श्री गणेश	417
76.	सिंह, श्री मोहन	317
77.	सिंह, श्री राकेश	299, 351
78.	सिंह, श्री सुग्रीव	367, 408
79.	सिंह, श्री सूरज	309, 358
80.	सिंह, श्री उदय	346, 387, 399, 423
81.	सोलंकी, श्री भरतसिंह माधवसिंह	331
82.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	298
83.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	327, 377, 404
84.	थामस, श्री पी.सी.	306, 360
85.	ठुम्मर, श्री वी.के.	290
86.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	361, 392, 415, 427
87.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	307, 323, 375
88.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	334, 405
89.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	359, 383, 390, 408, 413
90.	यादव, श्री गिरीधारी	361
91.	यास्खी, श्री मधु गौड	314, 382, 395, 408
92.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	368

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	74, 79
नागर विमानन	:	61, 68
संस्कृति	:	71
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	63
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	67
अल्पसंख्यक मामले	:	–
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	65, 66, 70, 78, 80
रेल	:	62, 72, 73, 75, 76, 77
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	–
इस्पात	:	–
पर्यटन	:	64, 69

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	291, 298, 346, 367, 383, 386, 387, 392, 406, 415, 421, 427
नागर विमानन	:	296, 300, 314, 323, 330, 336, 349, 359, 368, 370, 371, 373, 384, 390, 393, 404
संस्कृति	:	286, 290, 302, 308, 345, 380, 423
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	328, 365, 377, 391
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	343, 362, 428
अल्पसंख्यक मामले	:	318, 320, 321, 347, 352
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	284, 301, 303, 306, 309, 316, 334, 339, 348, 353, 354, 358, 375, 379, 399, 408, 410, 417, 418
रेल	:	283, 285, 288, 292, 293, 295, 297, 299, 305, 307, 310, 311, 315, 317, 319, 322, 325, 326, 327, 331, 332, 335, 338, 340, 344, 350, 351, 355, 360, 363, 364, 366, 369, 372, 374, 376, 381, 382, 385, 388,

389, 394, 397, 398, 400, 402, 405, 407, 409, 411, 412, 413, 414, 416, 422, 425, 429

सामाजिक न्याय और अधिकारिता : 341, 357, 396, 401, 419, 420

इस्पात : 287, 294, 313, 324, 337, 342, 356, 378, 403

पर्यटन : 289, 304, 312, 329, 333, 361, 395, 424, 426

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2008 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, द्वारा मुद्रित।